Ministry of Tribal Affairs
Government of India
Celebrating
Iconic Week
15th - 22nd November 2021
on the Birth Anniversary
of freedom fighter
Birsa Munda

आज़ादी का अमृत महोत्सव

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट

2021-22

अर्जुन मुंडा
भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय

Khadi India

वार्षिक रिपोर्ट
2021–22

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

विषय–सूची

अध्याय सं.	शीर्षक	पृष्ठ सं.
1	जनजातीय कार्य मंत्रालयः एक परिचय	1–12
2	मंत्रालय के कार्यकलाप– सिंहावलोकन	13–21
3	कार्यकलापों की मुख्य उपलब्धियां	22–36
4	अनुसूचित जनजातियों की विवरणिका	37– 52
5	अनुसूचित जनजातियां तथा अनुसूचित क्षेत्र	53–62
6	जनजातीय विकास की कार्यनीति और कार्यक्रम	63–70
7	अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006	71–75
8	शिक्षा के संवर्धन के लिए कार्यक्रम	76–96
9	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास	97–98
10	अनुसंधान, सूचना और जनसंचार	99–122
11	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम	123–126
12	जनजातीय उपज के लिए विपणन सहायता	127–134
13	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग	135–138
14	स्वैच्छिक कार्यों को बढ़ावा हेतु कार्यक्रम	139–141
15	अनुसूचित जनजातियों के लिए मानव अधिकार और संवैधानिक प्रावधान	142–146
16	पूर्वोत्तर राज्यों पर फोकस	147
17	जेंडर बजटिंग	148–151
18	दिव्यांगजनों के लिए कार्यक्रम	152–153
19	'लोक शिकायत और सूचना का अधिकार,' अधिनियम 2005 कार्यान्वयन	154–155
20	विभागीय लेखा–परीक्षण	156–158
21	नागरिक / ग्राहक चार्ट	159–167

अनुलग्नक

अनुलग्नक सं.	शीर्षक	पृष्ठ सं.
1क	संगठनात्मक चार्ट – जनजातीय कार्य मंत्रालय	170
1ख	आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम	171–177
3क	2019–20 और 2020–21 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के योजना–वार बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और व्यय	178
3ख	वर्ष 2021–22 के लिए योजना–वार बजट अनुमान और संशोधित अनुमान और 31.12.2021 तक व्यय	179
4क	लिंग और निवास के आधार पर अनुसूचित जनजातियों की राज्यध्संघ राज्य क्षेत्रवार जनसंख्याः जनगणना 2011	180–182
4ख	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार सम्पूर्ण जनसंख्या, अ.ज.जा. की जनसंख्या, भारत/राज्य की कुलजनसंख्या की तुलना में भारत/राज्य में अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता तथा राज्य में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशतता	183
4ग	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का भारत, राज्य–संघ राज्य क्षेत्रवार लिंग अनुपात	184
4घ	सम्पूर्ण जनसंख्या तथा अ.ज.जा. की जनसंख्या की साक्षरता दरें तथा अंतर रू जनगणना 2011	185
4ङ	15 वर्ष और इससे ऊपर की आयु अनुसूचित जनजातियों के लिए – स्नातक तथा इससे ऊपरका शैक्षिक स्तर	186
4च	जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे (एससी, पीएचसी और सीएचसी) की स्थिति	187
4छ	जनजातीय क्षेत्रों में उपकेंद्रों पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता [महिला] / एएनएम	188

अनुलग्नक सं.	शीर्षक	पृष्ठ सं.
4ज	जनजातीय क्षेत्रों के पीएचसी में स्वास्थ्य कार्यकर्ता [महिला]/एएनएम	189
4झ	जनजातीय क्षेत्र के पीएचसी में नर्सिंग स्टाफ	190
4ञ	जनजातीय क्षेत्रों के सीएचसी में नर्सिंग स्टाफ	191
4ट	जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) के डॉक्टर	192
4ठ	2015–16 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के लिए परिचालन जोतों की संख्या का राज्यवार प्रतिशत वितरण	193
4ड	2018–2020 के दौरान अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के विरूद्ध अपराध/अत्याचार	194
4ढ़	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार अनुसूचित जनजाति के प्राथमिकता वाले जिले	195–199
4ण	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार प्रमुख अनुसूचित जनजाति समुदाय: जनगणना 2011	200–210
5क	राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने केआदेश/संशोधन	211–215
5ख	भारत में अनुसूचित जनजातियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार सूची	216–227
5ग	अनुसूचित क्षेत्रों की राज्यवार सूची	228–253
6क	वर्ष 2019–20, 2020–21 और 2021–22 के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा एसटीसी/टीएसपी आवंटन	254–257
6ख	राज्य जनजातीय उप–योजना/अनुसूचित जनजाति घटक के तहत विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा 2019–20 से 2021–22 तक आवंटन और व्यय का विवरण	258–259

अनुलग्नक सं.	शीर्षक	पृष्ठ सं.
6ग	"आईटीवीडी के लिए एससीए"योजना के तहत पांच साल के पहले चरण में कम से कम 50% जनजातीय आबादी और 500 अनुसूचित जनजातियों के ज्ञात गांवों की सूची	260
6घ	2011–12 से 2021–22 के दौरान संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत जारी की गई निधि अनुदान	261
7	दिनांक 30.09.2021 को अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत दावों और अधिकार पत्रों के वितरण का विवरण	262
8क	वर्ष 2021–22 (31.12.2021 तक) के दौरान कई अन्य ईएमआरएस की आधारशिला रखने का विवरण	263–264
8ख	अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और उसके लाभार्थियों को जारी की गई निधि का विवरण	265
8ग	अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और उसके लाभार्थियों कोजारी निधि का विवरण	266
9क	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों की सूची	267–269
9ख	2019–20 से 2021–2022 के दौरान विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास की योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त निधि (31.12.2021 तक)	270
10क	जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई)	271–272
10ख	"टीआरआई को सहायता" योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त निधियां	273

अनुलग्नक सं.	शीर्षक	पृष्ठ सं.
11	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) वर्ष 2021–22 के दौरान सहायता प्राप्त लाभार्थी (31.12.2021 तक)	274
12	एमएफपी योजना के लिए एमएसपी के तहत कवर की गई मदवार न्यूनतम समर्थन मूल्य	275–281
13	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) के 6 (छः) क्षेत्रीय कार्यालयों के पते और कार्य अधिकार क्षेत्र	282
14क	'अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान' योजना के तहत 2019–20 से 2021–22 (31.12.2021 तक) के दौरान वित्त पोषित स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों की राज्यवार सूची	283–307
14ख	'कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के बीच शिक्षा का सुदृढ़ीकरण' करने की योजना के तहत 2019–20 से 2021–22 (31.12.021) के दौरान वित्त पोषित संगठनों की राज्य–वार सूची	308–310
16	वर्ष 2021–22 के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को जारी की गई राशि (31.12.2021 की स्थिति के अनुसार)	311
17	वर्ष 2021–22 के दौरान महिला लाभार्थियों को शामिल करने वाली विभिन्न स्कीमों के तहत उपलब्धियां	312–314
18	अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की स्कीम के तहत दिव्यांग अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए अतिरिक्त प्रावधान	315–316
19	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) के रूप में कार्यरत अधिकारियों की सूची	317–319

शब्दावली

संक्षिप्तियां	अर्थ / पूरा रूप
एएमएसवाई	आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना
एफएनएम	सहायक नर्स प्रसाविका
बीआईटी	बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान
सीसीडी	संरक्षण–सह–विकास
सीएफटीआरआई	केन्द्रीय खाद्य प्रौद्यागिकी अनुसंधान संस्थान
सीएचसी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
सीओ	संवैधानिक आदेश
सीपीजीआरएएमएस	केन्द्रीकृत जन–शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली
सीएसपीएस	केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीम
सीएसआईआर	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
सीएसआर	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व
सीएसएस	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम
सीटीएस	शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम
सीवीओ	मुख्य सतर्कता अधिकारी
डीएपीएसटी	अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए विकासात्मक कार्य योजना
डीईएसए	जिला शिक्षा समर्थनकारी एजेंसी
ईएफसी	व्यय वित्त समिति
ईएमआरएस	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय
ईवीए	स्थापित स्वैच्छिक एजेंसियां
एफडीए	वन विकास एजेंसियां
एफडीसी	वन विकास निगम
एफआरए	वन अधिकार अधिनियम

संक्षिप्तियां	अर्थ / पूरा रूप
एफटीएस	फाइल ट्रैकिंग प्रणाली
जीईआर	सकल नामांकन अनुप
जीपीडीपी	ग्राम पंचायत विकास कार्यक्रम
एचएलसी	उच्च स्तरीय समिति
आईपीआर	बौद्धिक संपदा अधिकार
आईटीडीपी / आईटीडीए	एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना / एजेंसी
जेआरएफ	कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति
एलएएन	स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क
एमएडीए	संशोधित क्षेत्र विकास उपागम
एमएएन	महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क
एमईएस	मॉडयूलर रोजगारक्षम कौशल
एमएफपी	लघु वन उत्पाद
एमओटीए	जनजातीय कार्य मंत्रालय
एमएसपी	न्यूनतम समर्थन मूल्य
एमटीडीपी	बहु–उद्देशीय जनजातीय विकास परियोजना
एनएईबी	राष्ट्रीय वनरोपण एवं पारिरिथितिकी विकास बोर्ड
एनसीवीटी	राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद
एनसीएसटी	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
एनडीसीएसपी	राष्ट्रीय आंकड़ा केन्द्र, शास्त्री पार्क
एनजीओ	गैर–सरकारी संगठन
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र
एनओएस	राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृति्
एनपीसीआई	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
एनआरएलएम	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

संक्षिप्तियां	अर्थ / पूरा रूप
एनएसटीएफडीसी	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम
एनटीए	राष्ट्रीय जनजातीय पुरस्कार
एटीआरआई	राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सस्थान
एनईएसटीएस	जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी
एनटीएफपी	गैर–इमारती लकड़ी वाले वन उत्पाद
एनटीपी	राष्ट्रीय जनजातीय नीति
पीएफएमएस	लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली
पीएचसी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
पीएमएवाई	प्रधानमंत्री आवास योजना
पीएमएस	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना
पीवीटीजी	विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूह
आरएमएसए	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
एससी	उप–केन्द्र
आरजीएनएफ	राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति
टीएसएस को एससीए	जनजातीय उप– स्कीम को विशेष केन्द्रीय सहायता
एससीडी	सिकल सेल बीमारी
अनुसूचित जनजाति (एसटी)	भारत के संविधान के अनुच्छेद 366(25) अनुसूचित जनजातियों से ऐसे समुदायों के रूप में संदर्भित करता है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित है। इस अनुच्छेद के अनुसार केवल उन समुदायों को जोकि राष्ट्रपति द्वारा आरंभिक सार्वजनिक अधिसूचना या संसद के बाद के संशोधन संबंधी अधिनियम द्वारा इस प्रकार घोषित किए गए हैं, को अनुसूचित जनजातियां माना जाएगा।
एससीएसवीई	स्वैच्छिक प्रयासों के समर्थन हेतु राज्य समिति
एसएचजी	स्व–सहायता समूह
एसजी	राज्य अनुदान

संक्षिप्तियां	अर्थ / पूरा रूप
एसपीएआरआरओडब्ल्यू	स्मार्ट प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट रिकॉरडिंग ऑनलाइन विंडो
एसआरएफ	वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति
एसएसए	सर्व–शिक्षा अभियान
एसटीडीसीसी	राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम
टीएसी	जनजातीय सलाहकार परिषद
टीटीएएडीसी	त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद
ट्राइफेड	भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लि.
टीआरआई	जनजातीय अनुसंधान संस्थान
टीएसपी	जनजातीय उप–प्लान
टीएसएस	जनजातीय उप–स्कीम
यूसी	उपयोग प्रमाण–पत्र
यूजीसी	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
यूआईडीएआई	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
यूआरएल	सम स्रोत निर्धारक
वीडीवीके	वन धन विकास केन्द्र
वीकेवाई	वनबंधु कल्याण योजना
वीओ	स्वैच्छिक संगठन
वीटीसी	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र
डब्लूएएन	विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क

अध्याय 1

जनजातीय कार्य मंत्रालयः एक परिचय

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन 1999 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वि–विभाजन के उपरांत किया गया था और इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के समेकित सामाजिक–आर्थिक विकास पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना है। इस मंत्रालय के गठन से पहले जनजातीय कार्य विभिन्न मंत्रालयों द्वारा विभिन्न समय अवधि में निपटाए जाते रहे थे, जो निम्नानुसार हैं:

1. स्वतंत्रता प्राप्ति से सितम्बर, 1985 तक गृह मंत्रालय के "जनजातीय प्रभाग" नामक एक प्रभाग के रूप में।
2. सितम्बर, 1985 से मई, 1998 तक कल्याण मंत्रालय।
3. मई, 1998 से सितम्बर, 1999 तक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय।

अधिदेश

1.2 जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के विकास कार्यक्रमों की समग्र नीति, आयोजना एवं समन्वयन के लिए एक नोडल मंत्रालय है। इस उद्देश्य हेतु, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 'भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961' के अंतर्गत आबंटित विषयों के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलाप किए हैं जो निम्नानुसार हैं:

1. अनुसूचित जनजातियों के संबंध में सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा।
2. जनजातीय कल्याण: जनजातीय कल्याण आयोजना, परियोजना तैयार करना, अनुसंधान, मूल्यांकन, सांख्यिकी और प्रशिक्षण;
3. जनजातीय कल्याण से संबद्ध स्वयंसेवी प्रयासों का संवर्धन एवं विकासय
4. अनुसूचित जनजातियों सहित ऐसी जनजातियों से संबंधित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति सहितय
5. अनुसूचित जनजातियों का विकास

5 क. वन भूमियों पर वन निवासी अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों से संबंधित विधान सहित सभी मामले।

6 (क) अनुसूचित क्षेत्र;

(ख) राज्य के राज्यपालों द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के लिए तैयार किये गये विनियमः

7 (क) आयोग, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देगा; तथा

(ख) किसी भी राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवश्यक योजनाओं को तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन के संबंध में दिशा–निर्देशों के मुद्दे।

8. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग;
9. अनुसूचित जनजातियों से संबद्ध अपराधों के मामलों में आपराधिक न्याय के प्रशासन को छोड़कर नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22) और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) का कार्यान्वयन।
10. नीति आयोग द्वारा डिजाइन किए गए फ्रेमवर्क (ढ़ांचे) और मेकेनिजम (तंत्र) के आधार पर जनजातीय उप–योजना की मॉनीटरिंग।

1.3 जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के विकास के कार्यक्रमों के समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय है। हालाँकि, इन समुदायों के विकास के क्षेत्रीय कार्यक्रमों और योजनाओं, नीति, नियोजन, निगरानी, मूल्यांकन आदि के संबंध में भी उनके समन्वय के लिए संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों, राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय / विभाग अपने क्षेत्र के संबंध में नोडल मंत्रालय या विभाग है।

भूमिका

1.4 मंत्रालय के कार्यक्रम और स्कीमें अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और आंशिक रूप से स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों को वित्तीय सहायता के माध्यम से आलम्बन प्रदान करने और उनकी संपूर्ति के लिए तथा अनुसूचित जनजातियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए संस्थानों और कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण अंतरों को पाटने हेतु अभिप्रेत हैं। जबकि क्षेत्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन में अनुसूचित जनजातियों के हितों को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक जिम्मेवारी सभी केन्द्र मंत्रालयों की है, वहीं जनजातीय कार्य मंत्रालय विशेष रूप से तैयार योजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक उपायों के माध्यम से उनके प्रयासों को अनुपूरक प्रदान करता है। आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक विकास के लिए ये स्कीमें जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित की जाती हैं और इनका कार्यान्वयन मुख्यतः राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से और संस्थान निर्माण के माध्यम से किया जाता है।

संगठन

1.5 जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय कार्य मंत्री के समग्र मार्गदर्शन में दो केंद्रीय राज्य मंत्री की सहायता से कार्य करता है। मंत्रालय के प्रशासनिक प्रमुख सचिव हैं जिसकी सहायता के लिए एक अपर सचिव, दो संयुक्त सचिव, एक उप महानिदेशक और एक आर्थिक सलाहकार हैं। संयुक्त सचिव व वित्तीय सलाहकार (जेएस एंड एफए) आंतरिक वित्त और बजट मामलों में मंत्रालय की सहायता करते रहे हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक बजट / व्यय नियंत्रण में मदद करते हैं। मंत्रालय प्रभागों और अनुभागों के रूप में संगठित है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के पास 110 कर्मचारियों की कार्य बल के साथ 145 कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या है। इसमें 47 समूह 'क' पद, 62 समूह 'ख' पद (राजपत्रित / गैर–राजपत्रित) तथा 36 समूह 'ग' पद हैं। मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट **अनुलग्नक–1क** पर है।

मंत्रालय के तहत प्रशासन, प्रभाग तथा संगठन

1.6 मंत्रालय की स्थापना एवं सामान्य प्रशासन से संबंधित मामले, मंत्रालय के प्रशासन प्रभाग द्वारा निपटाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय की केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत नियुक्त अधिकारियों और संवर्ग बाह्य पदों तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं से संबंधित पदों जैसे भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा आदि की स्थापना संबंधी मामलों को भी इसी प्रभाग द्वारा प्रशासित किया जाता है। सतर्कता तथा शिकायत संबंधी मामले देखने के लिए एक समर्पित प्रभाग है।

प्रशासनिक प्रभाग के अलावा, सीएलएम प्रभाग, एफआरए प्रभाग, एनसीएसटी प्रभाग, नीति विश्लेषण और लोक शिकायत प्रभाग जैसे संवैधानिक और कानूनी मामलों को देखने वाले प्रभाग हैं। जनजातियों के कल्याण के लिए मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न विकास योजनाओं को संचालित करने वाले प्रभाग छात्रवृत्ति प्रभाग, एनजीओ प्रभाग, ईएमआरएस प्रभाग, अनुदान प्रभाग, पीवीटीजी प्रभाग, टीआरआई प्रभाग, आजीविका और एसटीसी प्रभाग हैं। मंत्रालय में एक समर्पित जनजातीय स्वास्थ्य प्रकोष्ठ के साथ–साथ एक मीडिया प्रकोष्ठ भी है। एकीकृत वित्त प्रभाग (आईएफडी) के प्रमुख का कार्य संयुक्त सचिव और

वित्तीय सलाहकार करते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग मंत्रालय के अधीन एक संवैधानिक निकाय है। इसके अलावा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी (एनईएसटीएस) और जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत अन्य संगठन हैं।

1.7 जनजातीय कार्य मंत्रालय के कार्यालय दिल्ली में नामतः शास्त्री भवन (राजेंद्र प्रसाद रोड), निर्माण भवन (मौलाना आजाद रोड) और जीवन तारा बिल्डिंग (संसद मार्ग), नई दिल्ली में स्थित है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)

1.8 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए विशेष रूप से स्थापित एक शीर्ष संस्था है जिसे 10.04.2001 को स्थापित किया गया था। यह निगम जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत सरकारी कंपनी के रूप में निगमित किया गया था तथा इसे कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के तहत लाइसेंस प्रदान किया गया था। इसका प्रबंधन केन्द्रीय सरकार, राज्य चौनेलाइजिंग एजेंसियों, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई), भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लि. (ट्राइफेड) के प्रतिनिधियों तथा अनुसूचित जनजातियों इत्यादि के ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के प्रतिनिधियों के साथ निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाता है। निगम, ब्याज की रियायती दरों पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करा कर अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक उत्थान में अग्रणी भूमिका निभाता है। एनएसटीएफडीसी का कार्यालय भीकाजी कामा प्लेस, आरके पुरम नई दिल्ली में स्थित है। इसका नेतृत्व एक प्रबंध निदेशक करता है, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद का होता है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी)

1.9. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन करके तथा नए अनुच्छेद 338–क का अंतर्निवेश करके दिनांक 19 फरवरी, 2004 को संविधान (89वां संशोधन) अधिनियम, 2003 के माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। आयोग के मुख्य कर्त्तव्य–अनुसूचित जनजातियों को दिए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच–पड़ताल करना और उनकी निगरानी करना तथा ऐसे सुरक्षा उपायों के कार्यों का मूल्यांकन करना है और अनुसूचित जनजातियों को अधिकारों से वंचित करने और सुरक्षा उपायों के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना है। आयोग के पास अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षापायों के वंचन से संबंधित किसी शिकायत के बारे में पूछताछ करते समय अथवा किसी मामले के संबंध में, जांच–पड़ताल करते समय सिविल न्यायालय के सभी अधिकार निहित हैं। एनसीएसटी का कार्यालय लोक नायक भवन, खान मार्केट नई दिल्ली में स्थित है।

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड)

1.10. भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) 1987 में बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 (अब बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002)के तहत स्थापित एक बहु राज्य सहकारी समिति है, जो सेवा प्रदाता और जनजातीय उत्पादों के लिए बाजार विकासकर्ता दोनों के रूप में कार्य करती है। यह देश में अपने खुदरा आउटलेट 'ट्राइब्स इंडिया' के नेटवर्क के माध्यम से जनजातीय उत्पादों का विपणन करता है। क्षमता निर्माता के रूप में, यह अनुसूचित जनजाति के कारीगरों और लघु वनोपज (एमएफपी) संग्रहकर्ताओं को प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। ट्राइफेड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और निदेशक मंडल हैं। एमडी ट्राइफेड, ट्राइफेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। ट्राइफेड

का कार्यालय एनएसआईसी एस्टेट, ओखला फेज III, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली में स्थित है।

1.10.1. ट्राइफेड की अधिकृत शेयर पूंजी रु. 300.00 करोड़ है। 31.03.2021 को ट्राइफेड की चुकता शेयर पूंजी 100.56 करोड़ रुपये थी। दिनांक 31.03.2021 तक ट्राइफेड के 31 सदस्य (शेयरधारक) हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इक्विटी शेयर पूंजी में 99.75 करोड़ रुपये का निवेश किया है और ट्राइफेड का सबसे बड़ा शेयरधारक है।

जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी (एनईएसटीएस)

1.11. जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन, जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी (एनईएसटीएस) को 1 अप्रैल 2019 को नई दिल्ली में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम XXI 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया है ताकि स्कूलों की स्थापना, सहायता, रखरखाव, नियंत्रण और प्रबंधन (बाद में 'एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय' कहा जाता है) और ऐसे स्कूलों के प्रचार के लिए आवश्यक या अनुकूल सभी कार्य और चीजें की जा सकें। आयुक्त, एनईएसटीएस एनईएसटीएस के प्रमुख होते हैं, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद का होता है। इसका कार्यालय नई दिल्ली में जीवन तारा बिल्डिंग (संसद मार्ग) में स्थित है।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी)

1.12. एनआईसी की जनजातीय मामलों के मंत्रालय में एक समर्पित टीम है जिसमें डीडीजी रैंक के एक अधिकारी, एक तकनीकी निदेशक और एक सिस्टम एनालिस्ट हैं। मंत्रालय ने निम्नलिखित श्रेणियों के तहत मंत्रालय के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) सेल के समन्वय में विभिन्न परियोजनाओं/गतिविधियों को शुरू किया है।

1.12.1. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) परियोजनाएं/गतिविधियां

- प्रशिक्षण संबंधी ई–गवर्नेंस परियोजनाओं का डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन।
- वेबसाइट का डिजाइन, विकास और होस्टिंग
- वेब पोर्टल और वेब आधारित अनुप्रयोगों (एप्लीकेशनों) का डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन
- एनआईसी क्लाउड पर वेबसाइटों, वेब पोर्टलों और वेब आधारित अनुप्रयोगों का नियोजन
- साइबर सुरक्षा ऑडिट अनुपालन
- स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (एलएएन) और इंटरनेट सेवाओं का रखरखाव
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
- आईसीटी संबंधित परियोजनाओं/गतिविधियों में ट्राइफेड, एनसीएसटी और एनएसटीएफडीसी को सहायता।
- एनटीआरआई भवन को सहायता

1.12.2. ई–गवर्नेंस एप्लिकेशन/पोर्टल

एनआईसी मंत्रालय के अधिकारियों को जेनेरिक ई–गवर्नेंस अनुप्रयोगों पर भी सहायता प्रदान करता है जैसे कि:

- https://mta.eoffice.gov.in
- https://nsp.gov.in (अनुसूचित जनजाति के छात्रों के उच्चतर कक्षा छात्रवृत्ति डेटा के लिए)
- http://bhavishya.gov.in (पेंशन, प्रतिबंध और भुगतान ट्रैकिंग प्रणाली)
- https://limbs.gov.in (अदालती मामलों के डिजिटलीकरण के लिए वेब एप्लिकेशन)

- https://pgportal.gov.in (शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के लिए पोर्टल),
- https://e-samiksha.gov.in
- ई–टेंडरिंग, ई–सर्विस बुक, ई–एचआरएमएस, स्पैरो, ई–विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम, जीएलआईएस, आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली, पीएफएमएस आदि।

डिजिटल गवर्नेंस

1.13. "डिजिटल इंडिया" लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने साक्ष्य–आधारित निर्णय लेने, परिणाम–उन्मुख योजना और सेवा वितरण के लिए डेटा–संचालित शासन मॉडल विकसित किए हैं। मंत्रालय की सभी योजनाओं और पहलों को 20 समर्पित पोर्टलों/वेबसाइटों/मोबाइल ऐप के साथ शुरू से अंत तक डिजिटाइज किया गया है, जो प्रदर्शन डैशबोर्ड के माध्यम से मंत्रालय की मातृ (मदर) वेबसाइट के साथ एकीकृत हैं। डैशबोर्ड को श्री अमिताभ कांत, सीईओ, नीति आयोग और श्री रमेश चंद, सदस्य, नीति द्वारा अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया था। इनमें से अधिकांश ई–गवर्नेंस एप्लिकेशन घर में विकसित किए गए हैं और एनआईसी द्वारा डिजाइन और विकसित किए गए हैं और एनआईसी क्लाउड पर होस्ट किए गए हैं। एनआईसी टीम इन ई–जीओवी अनुप्रयोगों की नियमित सुरक्षा ऑडिट सुनिश्चित करती है।

1.14. प्रदर्शन डैशबोर्ड: प्रदर्शन डैशबोर्ड मंत्रालय द्वारा विकसित एक आईटी इंटरफेस है जो विभिन्न मानकों में राज्यों और कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रदर्शन को दर्शाने वाली प्रत्येक योजना के आउटपुट–परिणाम संकेतक प्रदान करता है। एमएस–पॉवरबीआई का उपयोग करके आगे की तैनाती के लिए एनआईसीएसआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डेटा एनालिटिक्स (सीईडीए) द्वारा कई स्रोतों से प्राप्त डेटा को संकलित, रूपांतरित, गुणवत्ता के लिए मूल्यांकन और विश्लेषण किया जाता है। डैशबोर्ड से जुड़ी विभिन्न योजनाओं से संबंधित ई–जीओवी एप्लीकेशन इस प्रकार हैं:

क. केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस योजनाएं):

क्र.सं.	स्कीम	ई–जीओवी आवेदन
1–2	अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	dbttribal.gov.in/
3	जनजातीय अनुसंधान संस्थान को सहायता	tritribal.gov.in/ adiprashikshan.tribal.gov.in repository.tribal.gov.in/
4	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास	grants.tribal.gov.in/
5	जनजातीय उप–योजना को विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए)	
6	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत राज्यों को अनुदान	

ख. केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमः

क्र.सं.	स्कीम	ई–जीओवी आवेदन
1	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)	emrs.tribal.gov.in/
2	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	ngo.tribal.gov.in/
3.	राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को सहायता	www.nstfdc.net/
4	ट्राइफेड को संस्थागत समर्थन	trifed.tribal.gov.in
5	जनजातीय महोत्सव, अनुसंधान सूचना और जन शिक्षा	tritribal.gov.in/ repository.tribal.gov.in/
6	अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति	fellowship.tribal.gov.in/ scholarships.gov.in/
7	विदेश में अध्ययन के लिए अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति	overseas.tribal.gov.in/

ग. डिजिटलीकरण के लिए अन्य पहलें (अन्य एमआईएस/डैशबोर्ड/ई–सेवाएं)

क्र.सं.	पहल का नाम	ई–जीओवी आवेदन
1	अग्रणी (लीडर्स) के रूप में ऑनलाइन जाना (गोल)	goal.tribal.gov.in/
2	स्वास्थ्य पोर्टल	swasthya.tribal.gov.in/home
3	राष्ट्रीय जनजातीय प्रवासन सहायता पोर्टल	shramshakti.tribal.gov.in/
4	सिकल सेल सपोर्ट कॉर्नर	scdcorner.in/
5	अंतर विश्लेषण	dashboard.tribal.gov.in/gapanalysis-aspÛ
6	प्रदर्शन डैशबोर्ड	dashboard.tribal.gov.in/
7	वन अधिकार	forestrights.nic.in/
8	अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) निगरानी प्रणाली	stcmis.gov.in/
9	उमंग मोबाइल ऐप पर एनएफएस और एनओएस	https://play.google.com/store/apps
10	जनजातीय भंडार	tribal.nic.in/repository/
11	समाचार पोर्टल (आदि–प्रसारण)	adiprasaran.tribal.gov.in/
12	स्प्रिंग जल एटलस	thespringsportal.org/
13	प्रलेख प्रबन्धन तंत्र	tribal.gov.in/mtad/
14	जीआईएस सक्षम पात्रता ट्रैकिंग प्रणाली (जीईईटी)	geet-undp.com/

प्रदर्शन डैशबोर्ड जनजातीय कार्य मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के आंकड़ों पर विश्लेषण प्रदान करता है ताकि योजनाओं की कुशल योजना और निगरानी को सक्षम बनाया जा सके। मंत्रालय इन योजनाओं के तहत प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआइ) की निगरानी के लिए इस विश्लेषण का उपयोग कर रहा है। डैशबोर्ड डेटा संचालित निर्णय लेने और जीयूआई इंटरफेस में देखे गए पैटर्न और पैटर्न के आधार पर विभिन्न योजनाओं की निगरानी में एक बहुत प्रभावी उपकरण रहा है। डैशबोर्ड को माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई विश्लेषणात्मक उपकरण का उपयोग करके डिजाइन किया गया है। मंत्रालय के प्रदर्शन डैशबोर्ड को एनआईसी द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है और इसे एनआईसी क्लाउड पर होस्ट किया गया है।

वेबसाइट और डैशबोर्ड का संयोजन जनजातीय आबादी की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल, 17 बुनियादी ढांचे पर 1,17,000 जनजातीय गांवों के अंतराल विश्लेषण, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, 117 आकांक्षी जिलों में बीमारी के बोझ के साथ–साथ वेबसाइट होमपेज और डायनामिक–इंटरैक्टिव डैशबोर्ड के माध्यम से आसान नेविगेशन (संचालन) के साथ योजनाओं के प्रदर्शन की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। सर्व–समावेशी डिजिटल–पहल ने कागज–आधारित से डेटा–संचालित ई–गवर्नेंस मॉडल में एक प्रतिमान–परिवर्तन लाया है और उभरते हुए उपयोग के साथ डिजिटल–परिवर्तन के लिए एक सफल भविष्यवादी, टिकाऊ और प्रतिकृति ई–गवर्नेंस मॉडल के रूप में उभरने के लिए परिसीमित है और प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण के तहत स्कॉच पुरस्कार और वर्ष 2020 और 2021 के लिए कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया पुरस्कार भी जीता है।

1.15. प्रयास – पीएमओ डैशबोर्ड (https://prayas.nic.in) पर योजनाएं): सात योजनाओं (मैट्रिक पूर्व/मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, एनएफएस, एनओएस, एनजीओ, टॉप क्लास छात्रवृत्ति और ईएमआरएस) के माहवार संचयी डेटा को लोकल गवर्नमेंट डायरेक्ट्री (एलजीडी) के अनुरूप बनाया गया था और इसे वेब एपीआइ का उपयोग करके पीएमओ के प्रयास डैशबोर्ड में पोर्ट किया जा रहा है। डैशबोर्ड शीर्ष स्तर पर निगरानी के लिए समय श्रृंखला विश्लेषण के साथ विभिन्न केपीआई दिखाता है।

1.16. डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स: अपने पूरे जीवन चक्र में सार्वजनिक नीति को चलाने में डेटा द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के उभरते अंतरराष्ट्रीय साक्ष्य के साथ, नीति आयोग ने 2020 में डेटा निर्माण, डेटा गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी का उपयोग, डेटा विश्लेषण, डेटा सुरक्षा और सर्वोत्तम प्रथाओं जैसे विभिन्न विषयों पर केंद्रीय मंत्रालयों की डेटा तैयारियों का पता लगाने के लिए डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स (डीजीक्यूआई) की पहल शुरू की। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में कार्यक्रम कार्यान्वयन में डेटा तैयारियों की व्यापक समीक्षा के आधार पर, नीति आयोग ने पाया कि डेटा सिस्टम की समग्र प्रभावशीलता, दक्षता और स्थिरता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भी नीति द्वारा निर्धारित स्कोरिंग मानदंडों के आधार पर डीजीक्यूआई अभ्यास में भाग लिया और शासन में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए 2018 से इसके द्वारा की गई विभिन्न पहलों का प्रदर्शन किया। डीजीक्यूआई द्वारा कवर 65 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और 250 केंद्रीय योजनाओं/केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से, एमओटीए स्कोरकार्ड निम्नानुसार है:

श्रेणी	स्कोर	रैंक (स्थान)
65 मंत्रालयों के बीच समग्र प्रदर्शन	3.19	8
सामाजिक श्रेणी	3.19	3
प्रौद्योगिकी का उपयोग	3.70	5
डेटा सुरक्षा और मानव संसाधन क्षमता	5/5	1 (शीर्ष 5 में 5 अंक हैं)

डीजीक्यूआई अभ्यास के पहले दौर के बाद विभिन्न पहल की गई हैं और जनजातीय कार्य मंत्रालय का उद्देश्य नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए डीजीक्यूआई अभ्यास के दूसरे दौर में बेहतर प्रदर्शन करना है और शासन में प्रभावी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाकर सेवा वितरण में पारदर्शिता, दक्षता, जवाबदेही और सुधार लाएगा।

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

1.17. जनजातीय कार्य मंत्रालय सरकारी कार्यों में हिन्दी के प्रगतिशील प्रयोग को प्रोत्साहित करता रहा है। आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक अलग हिंदी प्रभाग है, जो राजभाषा नीति और राजभाषा अधिनियम और नियमों के कार्यान्वयन का काम देखता है। उन्हें एक संयुक्त निदेशक (ओएल), एक सहायक निदेशक (ओएल), एक वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी और दो कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों द्वारा समर्थित किया जाता है। वर्तमान में उप निदेशक (राजभाषा) संयुक्त निदेशक (राजभाषा) के स्वीकृत पद पर पदस्थापित हैं।

यह प्रभाग अपने संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के आधिकारिक कार्यों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की निगरानी करता है और आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल माध्यम से हिंदी के प्रयोग में रिपोर्ट, संसद के प्रश्नों, दस्तावेजों और अधिकारियों के नियमित प्रशिक्षण के हिंदी अनुवाद में सहायता प्रदान करता है। मंत्रालय के अधिकांश अधिकारी और कर्मचारी हिंदी में दक्ष हैं या उन्हें हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है।

राजभाषा अधिनियम/नियमों और वार्षिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन

1.18 वार्षिक कार्यक्रम में राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास किये गये। 'ए' और 'बी' क्षेत्रों को हिंदी में पत्र जारी करने का ध्यान रखा जाता है। सभी प्रशासनिक एवं अन्य प्रतिवेदन द्विभाषी रूप से तैयार किये जा रहे हैं। सभी रबर स्टैंप, नेम प्लेट और मुद्रित स्टेशनरी भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किए गए हैं। मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का सभी प्रकार से अनुपालन किया जा रहा है। राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जांच बिंदु स्थापित किए गए हैं।

हिन्दी माह का आयोजन

1.19 मंत्रालय के काम में हिन्दी के अधिकारिक प्रयोग को बढ़ावा देने और अनुकूल वातावरण बनाए रखने के लिए मंत्रालय में 1 से 30 सितम्बर, 2021 के दौरान 'हिन्दी माह' का आयोजन किया गया था। इस अवधि के दौरान हिन्दी निबंध लेखन, हिन्दी स्वरचित कविता पाठ, हिन्दी टिप्पण तथा प्रारूप लेखन, हिन्दी में तत्काल भाषण (एक्सटेम्पोर), हिन्दी टंकण, हिन्दी श्रुतलेखन, वाद–विवाद, और अनुवाद जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं। मंत्रालय के हिन्दीतर भाषा–भाषी कार्मिकों के लिए इस वर्ष हिन्दी माह के दौरान अलग से हिन्दी निबंध प्रतियोगिता भी आयोजित की गई ताकि अधिक–से–अधिक राजभाषा का प्रचार–प्रसार हो। मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इन प्रतियोगिताओं में बहुत उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस वर्ष 1,44,000/– रुपए के कुल 72 पुरस्कार विजेताओं को वितरण के लिए थे।

सतर्कता गतिविधियां

1.20 मंत्रालय में, मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) अपर सचिव मंत्रालय के सचिव को सतर्कता से संबंधित सभी मामलों में सहायता प्रदान करते हैं तथा मंत्रालय और केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में अपने सामान्य कर्तव्यों के अतिरिक्त सतर्कता के कार्य देखते हैं। एक निदेशक तथा एक अवर सचिव मुख्य सतर्कता अधिकारी की उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करते हैं।

1.21 मंत्रालय ने 26.10.2021 से 01.11.2021 तक 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' मनाया। इस वर्ष की विषयवस्तु थी "स्वतंत्र भारत / 75% ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा के साथ आत्मनिर्भरता; भारत/ 75% सत्यनिष्ठा से आत्म निर्भरता"। सचिव द्वारा सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रतिज्ञा दिलवाई और अधिकारियों/कर्मचारियों ने सीवीसी की वेबसाइट

पर जाकर ई–प्रतिज्ञा ली। जनजातीय कार्य मंत्रालय की सतर्कता गतिविधियों की सत्यनिष्ठा रिपोर्ट और त्रैमासिक निष्पादन रिपोर्ट कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को और सीवीसी क्रमशः नियमित आधार पर भेजी जा रही है।

लोक शिकायत निवारण तंत्र

1.22 मंत्रालय के लोक शिकायत विभाग के निदेशक को मंत्रालय में शिकायत निदेशक के रूप में नामित किया गया है, मंत्रालय की वेबसाइट डिजिटल और भौतिक रूप से एक सार्वजनिक शिकायत कैसे दर्ज करें, इसका पूरा विवरण प्रदान करती है। लोक शिकायत निगरानी प्रणाली की निगरानी ऑनलाइन (सीपीजीआरएएमएस) की जा रही है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, राष्ट्रपति सचिवालय, पीएमओ आदि के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त जन शिकायतों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान किया जाता है।

काम पर महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के संबंध में आंतरिक शिकायत समिति

1.23 प्रत्येक महिला कर्मचारी को यौन उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित, सुरक्षित और सक्षम वातावरण प्रदान करने के लिए मंत्रालय में एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। समिति की अध्यक्षता अतिरिक्त सचिव सुश्री आर जया कर रही हैं। समिति को वर्ष 2021–22 (31.12.2021 तक) के दौरान मंत्रालय से संबंधित यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

नागरिक/ग्राहकों का चार्टर

1.24 जनजातीय कार्य मंत्रालय के नागरिक/ग्राहक चार्टर का विवरण इस रिपोर्ट के अध्याय 21 में दिया गया है। सोशल मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया और जन जागरूकता के उपयोग के माध्यम से मंत्रालय की योजनाओं/कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी और कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली बनाई गई है।

सचिवों का क्षेत्रीय समूह (एसजीओएस)

1.25. सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग कल्याण समूह के एसजीओएस के संयोजक हैं, जिसके सदस्य के रूप में अन्य नौ सचिव/सचिव स्तर के अधिकारी हैं। सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, सचिव, महिला और बाल विकास मंत्रालय, सचिव, दिव्यांगजनों के अधिकारिता विभाग, सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, सचिव, विदेश मंत्रालय, सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अन्य सदस्य हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव बैठकें आयोजित करने और सदस्यों के बीच चर्चा के लिए कार्यसूची (एजेंडा) निर्धारित करने के लिए समन्वयक हैं। मंत्रालय ने कल्याण पर एसजीओएस को सचिवालय सहायता प्रदान की जिसने समूह का पंचवर्षीय विजन दस्तावेज तैयार किया है। वर्तमान में यह एसजीओएस विजन इंडिया/2047 के लिए मसौदा दस्तावेज विकसित करने की प्रक्रिया में है।

आजादी का अमृत महोत्सव

1.26. आजादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) भारत की आजादी के 75 साल और इसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास का उत्सव और स्मरणोत्सव मनाने के लिए भारत सरकार की एक पहल है, जिसमें संस्कृति मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। आजादी का अमृत महोत्सव का उत्सव 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ और इस समारोह का समापन 15 अगस्त 2023 को देश भर के सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों और दुनिया भर के दूतावासों में कई गतिविधियों का आयोजन करते हुए किया जाएगा। जनजातीय कार्य मंत्रालय मार्च, 2021 से भारत /75 – आजादी का अमृत महोत्सव के समारोहों में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है, जिसमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासियों की भूमिका, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए विभिन्न विकास कार्यक्रमों, जनजातीय संस्कृति और विरासत, जनजातीय शिल्प और उद्यम आदि को बढ़ावा देने पर प्रकाश डाला

गया है। अब तक आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों और कार्यक्रमों का विवरण **अनुलग्नक–1ख** में दिया गया है और इसे संस्कृति मंत्रालय की एकेएएम वेबसाइट (https://amritmahotsav.nic.in/ministries and departments) पर भी देखा जा सकता है।

1.27. 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को बहादुर जनजातियों स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति को समर्पित जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने की मंजूरी 10 नवंबर, 2021 को दी ताकि आने वाली पीढ़ियां देश के बारे में उनके बलिदानों के बारे में जान सकें। यह घोषणा जनजातीय समुदायों के गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक विरासत की अभिस्वीकृति करती है। यह दिवस हर साल मनाया जाएगा और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और वीरता, आतिथ्य और राष्ट्रीय गौरव के भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जनजातियों के प्रयासों को मान्यता देगा। 15 नवंबर को वर्तमान झारखंड के महान जनजातीय नेता भगवान बिरसा मुंडा की जन्म तिथि पड़ती है, जिन्होंने शोषणकारी विदेशी शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और बहुत कम उम्र में अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनके संघर्ष ने औपनिवेशिक सरकार को जनजातियों की दुर्दशा और शोषण का संज्ञान लेने के लिए मजबूर किया, और जनजातीय भूमि "छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908" को अधिनियमित किया, और जनजातीय भूमि अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक ऐतिहासिक कानून बन गया।

1.28. आजादी का अमृत महोत्सव के लिए 15 नवंबर से 22 नवंबर तक प्रतिष्ठित सप्ताह के रूप में उत्सवः

मंत्रालय ने 15.11.2021 से 22.11.2021 तक प्रतिष्ठित सप्ताह के दौरान देश भर में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया।

1.29. रांची में भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय का उद्घाटन

इसके बाद रांची में भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। संग्रहालय झारखंड राज्य सरकार के सहयोग से रांची की पुरानी सेंट्रल जेल में बनाया गया है, जहां भगवान बिरसा मुंडा ने अपने जीवन का बलिदान दिया था।

भगवान बिरसा मुंडा के साथ, संग्रहालय शहीद बुधु भगत, सिद्धू–कान्हू, नीलांबर–पीतांबर, दिवा–किसुन, तेलंगा खड़िया, गया मुंडा, जात्रा भगत, पोटो एच, भगीरथ मांझी, गंगा नारायण सिंह जैसे विभिन्न आंदोलनों से जुड़े अन्य आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को भी उजागर करेगा। संग्रहालय में भगवान बिरसा मुंडा की 25 फीट की मूर्ति और क्षेत्र के अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की 9 फीट की मूर्ति होगी। यह राष्ट्र और आदिवासी समुदायों के लिए उनके बलिदान को श्रद्धांजलि के रूप में काम करेगा। जनजातीय संस्कृति और इतिहास को संरक्षित और बढ़ावा देने में संग्रहालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह संग्रहालय

यह भी प्रदर्शित करेगा कि किस तरह जनजातियों ने अपने जंगलों, भूमि अधिकारों, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए संघर्ष किया और राष्ट्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण उनकी वीरता और बलिदान को प्रदर्शित करेगा। स्मृति उद्यान को राज्य सरकार द्वारा पास में (पड़ोस में) 25 एकड़ में विकसित किया गया है और इसमें एक संगीतमय फव्वारा, फूड कोर्ट, चिल्ड्रन पार्क और उद्यान और अन्य सुविधाएं होंगी।

1.30. भोपाल के जंबुरी मैदान में जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जहाँ माननीय प्रधान मंत्री ने जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए कई पहल की। प्रधान मंत्री ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, त्रिपुरा और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव सहित राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में देश भर में 50 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की आधारशिला भी रखी।

1.31. जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान की स्मृति में कई अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न संस्थानों और संगठनों में उत्सव के साथ–साथ राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के सहयोग से देश भर में कार्यक्रमों की योजना बनाई गई थी। एकेएएम के दौरान मंत्रालयों/विभागों, राज्य और टीआरआई के समन्वय में संपूर्ण भारत दृष्टिकोण, जनभागीदारी, डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग और कम लागत वाली पहलों को प्राथमिकता दी गई है।

संसदीय स्थायी समिति

1.32 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2019–20) ने वर्ष 2020–21 की अनुदान मांगों की जांच पर 19.02.2021 को जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया।

- जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदान मांगों (2021–22) पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर स्थायी समिति (सत्रहवीं लोकसभा) की उन्नीसवीं रिपोर्ट में निहित टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के जवाब 9 जून, 2021 को लोक सभा सचिवालय को अग्रेषित किए गए थे। ।

- जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2020–21) ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) के कामकाज की समीक्षा की और 26.08.2021 को जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया।
- वर्ष के दौरान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2020–21) जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित "जनजातियों के लिए कौशल विकास योजनाओं की समीक्षा" विषय की जांच करती है।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2020–21) ने वर्ष के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित "जनजातीय महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं" विषय की जांच की और वर्ष 2021–22 के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य भी लिया।

सलाहकार समिति की बैठक

1.33 जनजातीय कार्य मंत्रालय से जुड़ी सलाहकार समिति की बैठक में माननीय जनजातीय कार्य मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 11.08.2021 को जनजातीय समुदायों में "अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) सहित जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और सिकल सेल रोग से निपटने में हुई प्रगति" पर एजेंडे पर चर्चा हुई।

पंचायती राज संस्था (पीआरआई)/पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा)

1.34 पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) पंचायतों के अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार (पेसा) अधिनियम, 1996 के कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रीय मंत्रालय है। एमओपीआर का उद्देश्य पंचायतों या पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के माध्यम से विकेन्द्रीकृत और सहभागी स्थानीय स्वशासन प्राप्त करना है। संसद ने संविधान के अनुच्छेद 243एम के अनुसार पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में इसकी प्रयोज्यता के पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) अधिनियमित किया। वर्तमान में, पांचवीं अनुसूची क्षेत्र 10 राज्यों, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में मौजूद हैं।

अध्याय– 2

जनजातीय कार्य मंत्रालय के कार्यकलाप– एक सिंहावलोकन

2.1 मंत्रालय देश में जनजातीय लोगों के विकास हेतु सभी प्रयासों में योगदान देने के लिए दो विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों अर्थात जनजातीय उप–योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) तथा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत सहायता अनुदान के अलावा विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र की तथा केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें चलाता है। मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित स्कीमों की सूची नीचे दी गयी है:

क. केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस योजनाएं):

क्र.सं.	स्कीम
1–2	अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
3	जनजातीय अनुसंधान संस्थान को सहायता
4	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास
5	जनजातीय उप–योजना को विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए)
6	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत राज्यों को अनुदान

ख. केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम:

क्र.सं.	स्कीम
1	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)
2	अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्चत्तर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति
3	अनुसूचित जनजाति के छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति
4	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान
5.	राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को सहायता
6	जनजातीय उत्पादों के विपणन और विकास के लिए संस्थागत समर्थन (ट्राइफेड आदि) और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वनोपज (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास
7	जनजातीय महोत्सव, अनुसंधान सूचना और जन शिक्षा
8.	निगरानी और मूल्यांकन

2.2 मंत्रालय की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के संबंध में एक सिंहावलोकन नीचे दिया गया है जबकि विवरण बाद के अध्यायों में दिया गया है।

शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण

2.3 चूंकि शैक्षिक विकास आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए प्रथम सोपान है, और आदिवासियों

को सशक्त बनाने के लिए सबसे प्रभावी साधन भी है, मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजना के तहत एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की स्थापना के उपाय के द्वारा बुनियादी ढांचे के प्रावधान के माध्यम से शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावासों के निर्माण, आश्रम विद्यालयों की स्थापना एवं उन्नयन, राज्यों के प्रस्तावों के आधार पर व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र के लिए भी राज्यों को धनराशि दी जाती है। छात्रों को बीच में छोड़ने से रोकने के लिए और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रालय की 5 छात्रवृत्ति योजनाएं हैं जैसे मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (फैलोशिप) और छात्रवृत्ति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति, जिसके तहत पात्र छात्रों को नौवीं कक्षा से भारत और विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

2.4 दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों को उच्चतर प्राथमिक, माध्यमिक और सीनियर माध्यमिक स्तर की गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 1997–98 में एकलव्य आदर्श (मॉडल) आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) की योजना शुरू की गई थी। प्रारंभ में विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान के अंतर्गत वित्तपोषित किया, इसे 2019–20 में एक अलग योजना के रूप में कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। 2018–19 के केंद्रीय बजट में, सरकार ने घोषणा की कि "सरकार जनजातीय बच्चों को उनके वातावरण में सर्वोत्तम गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए, 50% से अधिक अजजा आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों (2011 की जनगणना के अनुसार) वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) खोलेगी। योजना को आबादी के मानदण्डों पर आधारित 452 नए विद्यालयों की स्थापना हेतु 17.1.2018 को यूनियन कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था। ये एकलव्य विद्यालय नवोदय विद्यालयों के समतुल्य होंगे और इनमें खेल–कूद और कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष सुविधाएं होंगी।"

2.5 कक्षा IX और X में पढ़ रहे जरूरतमंद अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति की एक योजना 1.7.2012 से शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य जनजातीय छात्रों विशेष रूप से लड़कियों को प्रोत्साहन प्रदान करना है ताकि विशेष रूप से प्राथमिक से माध्यमिक में और माध्यमिक स्तर की शिक्षा के दौरान स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम किया जा सके। बेहतर भागीदारी और प्रदर्शन के साथ, उनके पास शिक्षा के मैट्रिकोत्तर चरणों में आगे बढ़ने का एक बेहतर मौका है। इस योजना के तहत छात्रवृत्ति की दर शैक्षणिक सत्र 2019–20 (01.12.2019) से संशोधित की गई है और शैक्षणिक सत्र 2020–21 से आय सीमा को संशोधित कर 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है।

2.6 मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की स्कीम को छात्रवृत्ति की दर, आय सीमा तथा विषयों के समूहीकरण में कुछ आशोधनों के साथ दिनांक 01.07.2010 से संशोधित किया गया है तथा अनुसूचित जनजातियों में उच्चतर शिक्षा के संवर्धन हेतु यह एक महत्वपूर्ण केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में जारी है।

2.7 राज्यों द्वारा कार्यान्वित इन 2 मुख्य योजनाओं के अलावा, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए केंद्रीय क्षेत्र की दो छात्रवृत्ति योजनाएं, अर्थात; राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और शीर्ष श्रेणी की शिक्षा को एक केंद्रीय क्षेत्र योजना में मिला दिया गया है जिसे "एसटी छात्रों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और

छात्रवृत्ति" कहा जाता है। टॉप क्लास स्कॉलरशिप के तहत आईआईटी, आईआईएम, एम्स, एनआईटी जैसे टॉप 246 क्लास संस्थानों में छात्रों को कोर्स की पूरी अवधि के लिए स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति में, हर साल 750 छात्रों को एमफिल और पीएचडी करने के लिए 5 साल तक की अवधि के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

2.8 विदेश में उच्च अध्ययन के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत, मंत्रालय स्नातकोत्तर, पीएच.डी और डॉक्टरोत्तर अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए विदेश में उच्च अध्ययन के लिए चुने गए 20 छात्रों को प्रति वर्ष वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

2.9 जनजातीय कार्य मंत्रालय शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका क्षेत्र में 'अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता' योजना कार्यान्वित करता है। इस योजना को पिछली बार 1 अप्रैल 2008 से संशोधित किया गया था और वित्तीय मानदंडों को 2020 में संशोधित किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच को बढ़ाना और स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों के माध्यम से, आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों, चल औषधालयों, दस या अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों आदि शिक्षा और स्वास्थ्य को कवर करने वाले क्षेत्रों में सेवा की कमी वाले जनजातीय क्षेत्रों में अंतराल को भरना है और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के सामाजिक–आर्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना है। संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की बहु–अनुशासनात्मक राज्य स्तरीय समिति द्वारा विधिवत अनुशंसित एक निर्धारित प्रारूप में, आवेदन पर गैर–सरकारी संगठनों को अनुदान प्रदान किया जाता है। 54 कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के बीच शिक्षा को मजबूत करने को प्राथमिकता दी जाती है ताकि सामान्य महिला आबादी और जनजातीय महिलाओं के बीच साक्षरता के स्तर में अंतर को कम किया जा सके।

राज्यों को अनुदान

2.10. मंत्रालय संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के तहत राज्यों को अनुदान देता है। यह जनजातीय उप–योजना (टीएसएस को एससीए) और पीवीटीजी के विकास के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के तहत अनुदान भी प्रदान करता है।

2.11. जनजातीय उप–योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए): जनजातीय उप–योजना (टीएसएस को एससीए) को विशेष केंद्रीय सहायता के विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के तहत, जनजातीय लोगों के विकास तथा कल्याण के लिए अनुदान अनुसूचित जनसंख्या वाले राज्यों को निर्मुक्त किये जाते हैं। राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों और कार्यकारी समिति द्वारा विधिवत अनुमोदित प्रस्तावों के आधार पर और इस प्रयोजनार्थ इस मंत्रालय में गठित परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) द्वारा मूल्यांकन और अनुमोदन करने के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कौशल विकास, रोजगार–सह–आय सृजन आदि जैसे क्षेत्रों में अंतरों को भरने के लिए राज्यों को निधियां प्रदान की जाती हैं। राज्यों को 100ः अनुदान प्रदान किया जाता है।

मंत्रालय ने अंत्योदय मिशन के आंकड़ों के आधार पर 1,17,000 गांवों में ढांचागत कमियों की पहचान की है और यह देखा गया है कि एसटीसी तंत्र और मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत कई पहलों के बावजूद, जनजातीय गांवों में प्रमुख क्षेत्र में कई बुनियादी ढांचागत अंतराल हैं। यह प्रस्तावित किया जा रहा है कि जनजातीय उप–योजना (टीएसएस को एससीए) को विशेष केंद्रीय सहायता की योजना का उद्देश्य इन अवसंरचनात्मक अंतरालों को कम करना होना चाहिए। मंत्रालय ने लगभग 36,000 गांवों को चिन्हित किया है, जिनमें 500 से अधिक अनुसूचित

जनजाति की आबादी है और गांव की 50% से अधिक आबादी अनुसूचित जनजाति है। संशोधित योजना का उद्देश्य बुनियादी सेवाएं और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना होगा ताकि वे एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें और अपनी अंतर्निहित क्षमता का पूरा उपयोग कर सकें।

2.12. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के कार्यक्रम के तहत, अधिसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए अनुसूचित जनजाति की जनजातीय आबादी वाले 26 राज्यों को अनुदान जारी किया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आजीविका आदि जैसे क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक गतिविधियों में अंतर भरने के लिए अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राज्यों को निधियां जारी की जाती हैं। यह विशेष क्षेत्र कार्यक्रम है तथा राज्यों को 100% अनुदान प्रदान किए जाते हैं।

2.13. लगभग 75 जनजातीय समूह हैं, जिन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पीवीटीजी के निर्धारण के लिए अपनाए गए मानदंड निम्नानुसार हैं:

- प्रौद्योगिकी का कृषि–पूर्व स्तर;
- एक स्थिर या घटती जनसंख्या;
- कम साक्षरता; तथा
- अर्थव्यवस्था का निर्वाह स्तर।

पीवीटीजी, अन्य जनजातीय समूहों की तरह, भारत सरकार और राज्य सरकारों की उन सभी योजनाओं के लाभों के लिए पात्र हैं जो सामान्य आबादी के लिए उपलब्ध हैं, साथ ही राज्यों और केंद्र सरकार के टीएसपी के तहत योजनाओं के लिए भी पात्र हैं। फिर भी, उनकी विशेष जरूरतों को पहचानते हुए और पीवीटीजी के विकास के लिए एक समुदाय/क्षेत्र संचालित दृष्टिकोण के लिए, भारत सरकार पीवीटीजी आबादी के साथ 18 राज्यों और संघ राजज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पीवीटीजी के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, पोषण, आजीविका, संस्कृति और विरासत के संरक्षण और आवास अधिकारों की मान्यता के क्षेत्रों में "संरक्षण–सह–विकास (सीसीडी) योजनाओं" के अनुसार अनुमोदित प्राथमिकता वाली गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए विशेष रूप से निर्देशित एक योजना प्रदान करती है। योजना के तहत सहायता अनिवार्य रूप से अंतराल भरने वाले हस्तक्षेपों की प्रकृति में है।

जनजातीय आजीविका को बढ़ावा देना

मंत्रालय एनएसटीएफडीसी और ट्राइफेड के माध्यम से जनजातीय आबादी की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करता है।

2.14. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) एक निगम है और रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करके अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक उत्प्रेरक एजेंट के रूप में कार्य करना जारी रखता है।

2.15. जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2013–14 के दौरान अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों से संबंधित लोगों, जिनकी आजीविका एमएफपी के संग्रह और बिक्री पर निर्भर करती है, को अति आवश्यक सुरक्षा जाल प्रदान करने और सहायता प्रदान करने हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वनोपज (एमएफपी) के विपणन और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए एक योजना शुरू की गई थी।

प्रारंभ में, यह योजना उन राज्यों में लागू की गई थी जहां **अनुसूची ट** क्षेत्र हैं और इसमें दस लघु वनोपज (एमएफपी) आइटम (मदें) शामिल हैं। इसके अलावा, अधिसूचना संख्या एफ.सं.

19/17/2018–आजीविका दिनांक 26 मई 2020 और 11 नवंबर 2020 के माध्यम से योजना के दायरे और कवरेज का विस्तार करने के लिए एमएफपी योजना के लिए एमएसपी की सूची में अतिरिक्त 37 एमएफपी आइटम (मदें) भी शामिल किए गए हैं। इस प्रकार, इस योजना में वर्तमान में कुल 87 आइटम (मदें) शामिल हैं।

एमएफपी के लिए एमएसपी की योजना के दिशानिर्देशों को फरवरी 2019 में संशोधित किया गया था और विभिन्न कौशल उन्नयन प्रशिक्षण और एमएफपी के वैज्ञानिक संग्रह, कटाई और प्राथमिक प्रसंस्करण को अपनाने के माध्यम से आजीविका सृजन को लक्षित करने वाली "वन धन विकास कार्यक्रम (वीडीवीके)" एक पहल शुरू की गई थी। वन धन केंद्रों की मंजूरी के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ट्राइफेड को अधिकार सौंपे गए। वीडीवीके का उद्देश्य जनजातीय संग्राहकों/उद्यमियों से मिलकर एक जनजातीय उद्यम बनाना है, जो सामूहिक रूप से मूल्य वर्धित उत्पादों के संग्रह, मूल्य–वर्धन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और विपणन सहित सभी संबंधित गतिविधियों को करेगा।

2.16. जनजातीय उत्पादों/उपज के विकास और विपणन के लिए संस्थागत समर्थन : इस योजना के तहत ट्राइफेड को धन दिया जाता है, जो जनजातीय उत्पादों के लिए सेवा प्रदाता और बाजार विकासकर्ता दोनों के रूप में कार्य करता है। यह देश में अपने खुदरा आउटलेट 'ट्राइब्स इंडिया' के नेटवर्क के माध्यम से जनजातीय उत्पादों का विपणन करता है। ट्राइफेड अनुसूचित जनजाति के कारीगरों और लघु वन उत्पाद (एमएफपी) संग्रहकर्ताओं को भी प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस योजना के तहत, राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों (एसटीडीसीसी) को सहायता अनुदान भी जारी किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के लिए एमएफपी से संबंधित गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधियों के विपणन और विकास का समर्थन करने के लिए संस्थानों का निर्माण करना है, जिन पर वे अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं। इन्हें विशिष्ट उपायों द्वारा प्राप्त किए जाने का प्रयास किया जाता है जैसे (i) बाजार हस्तक्षेप; (ii) जनजातीय कारीगरों, शिल्पकारों आदि का प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन और (iii) आपूर्ति श्रृंखला बुनियादी ढांचे का विकास।

जनजातीय संस्कृति और विरासत का संरक्षण और संवर्धन

2.17. मंत्रालय नए टीआरआई स्थापित करने के लिए 'जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को समर्थन' योजना के माध्यम से राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करता है और साथ ही अनुसंधान और दस्तावेज, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, समृद्ध जनजातीय विरासत को बढ़ावा देने आदि के लिए मौजूदा टीआरआई को मजबूत करने के लिए भी सहायता प्रदान करता है। देश भर में 27 टीआरआई हैं और मंत्रालय राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान को कार्यात्मक बनाने की प्रक्रिया में है, जो इन टीआरआई की गतिविधियों का समन्वय करेगा और समग्र जनजातीय विकास पर महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंत्रालय को इनपुट प्रदान करने में एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा।

2.18. जनजातीय महोत्सव, अनुसंधान सूचना और जन शिक्षा योजना का उद्देश्य समृद्ध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना, जनजातीय शिल्प और खाद्य उत्सव, खेल, संगीत, नृत्य और फोटो प्रतियोगिता, विज्ञान, कला और शिल्प प्रदर्शनी, कार्यशालाएं, संगोष्ठियों के आयोजन, मंत्रालय और राज्यों द्वारा वृत्तचित्र फिल्मों का निर्माण, महत्वपूर्ण अध्ययनों पर प्रकाश डालने वाले प्रकाशन, जनजातीय समुदायों के ऐतिहासिक पहलुओं का दस्तावेजीकरण, नियमित अंतरालों पर अन्य आवश्यक प्रचार के अलावा जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) और राज्य विभागों की उपलब्धियों सहित सूचना का प्रसार और जागरूकता पैदा करना है। जनजातीय मुद्दों पर

शोध अध्ययनों के अंतराल को भरने के लिए, "उत्कृष्टता केंद्रों को सहायता के लिए वित्तीय सहायता" योजना के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय, प्रसिद्ध गैर सरकारी संगठनों, अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है जहां विशेषज्ञता मौजूद है और जो पहले से ही जनजातीय जीवन और संस्कृति के क्षेत्र में अग्रणी अनुसंधान में अपनी पहचान बना चुके हैं। यह परिकल्पना की गई है कि ऐसे संगठन केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जनजातीय विकास के लिए उपयुक्त रणनीति तैयार करने के लिए ज्ञान बैंक के निर्माण और राज्यों में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के प्रयासों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

2.19. अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए संविधान में दिए गए विभिन्न सुरक्षोपायों और विभिन्न अन्य सुरक्षात्मक कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 1950 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त का कार्यालय स्थापित किया गया था। इसके अतिरिक्त, 1978 में, एक बहुसदस्यीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। वर्ष 1992 में ये दो संगठन सांविधिक बहु–सदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए गए थे। चूंकि अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताएं, समस्याएं तथा उनके अपेक्षित समाधान, अनुसूचित जातियों की समस्याओं से कहीं अधिक भिन्न थे, अतः जनजातीय विकास के लिए एक विशेष दृष्टिकोण और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों के सुरक्षोपायों के लिए स्वतंत्र मशीनरी का होना आवश्यक समझा गया। तद्नुसार, अनुच्छेद 338 में संशोधन करके तथा संविधान (89वां संशोधन) अधिनियम, 2003 के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 338क का अंतर्निवेश करके दिनांक 19 फरवरी, 2004 को एक अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) की स्थापना की गई थी।

आयोग के मुख्य कार्य अनुसूचित जनजातियों को दिए गए सुरक्षोपाय से संबंधित सभी मामलों की जांच–पड़ताल करना और उनकी निगरानी करना है तथा ऐसे सुरक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना; और अनुसूचित जनजातियों को अधिकारों से वंचित करने और सुरक्षोपायों के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना है। आयोग के पास अनुसूचित जनजातियों के किसी शिकायत के बारे में पूछताछ करते समय अथवा किसी मामले, के संबंध में, जांच–पड़ताल करते समय सिविल न्यायालय के वाद की जांच करने के सभी अधिकार निहित हैं।

केंद्रीय अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) और राज्य जनजातीय उप योजना की निगरानी

2.20. जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय उप योजना (टीएसपी)/अनुसूचित जनजातीय घटक (एसटीसी)/एसटी के लिए विकास कार्य योजना निधियों (डीएपीएसटी) की निगरानी के लिए नोडल मंत्रालय है, जिनको अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए 40 मंत्रालयों/विभागों (जनजातीय कार्य मंत्रालय को छोड़कर) की विभिन्न योजनाओं के तहत निर्धारित किया गया है। इन मंत्रालयों/विभागों द्वारा टीएसपी निधियों के आवंटन और उपयोग की निगरानी के लिए पीएफएमएस के साथ एकीकृत एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली (https://stcmis.gov.in) तैयार की गई है।

जनजातीय समुदायों का निर्धारण

2.21. मंत्रालय के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक अनुसूचित जनजाति समुदायों का शेड्यूलिंग/डी–शेड्यूलिंग है। अनुसूचित जनजातियों को संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित किया गया है। अनुसूचित जनजातियों के रूप में समुदायों के निर्धारण के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त प्रस्तावों को मौजूदा प्रविधियों के अनुसार संसाधित किया जाता है जिन्हें 15.6.1999 को अनुमोदित किया गया था और 25.6.2002 को और संशोधित किया गया था। इसी तरह, मंत्रालय नोडल प्राधिकरण है जो संविधान की **अनुसूची ट** में प्रदान किए गए क्षेत्रों के समावेश और निष्कासन के लिए जिम्मेदार है।

वन अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन:

2.22. सरकार ने अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 को अधिनियमित किया, जिसे सामान्यतः वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के रूप में जाना जाता है, जैसा कि 31.12.2007 को अधिसूचित किया गया था। अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिनियम 01.01.2008 को नियमों की अधिसूचना के साथ लागू हुआ। अधिनियम वन अधिकार धारकों, ग्राम सभाओं और ग्राम स्तर की संस्थाओं को वन्य जीवन, वन और जैव विविधता की रक्षा करने का अधिकार भी देता है।

जनजातीय स्वास्थ्य में सुधार –

2.23. कमजोर आबादी का स्वास्थ्य और भलाई सरकार के लिए प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। भारत की जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य परिणामों और सामान्य आबादी के बीच अंतर है। मलेरिया, तपेदिक, कई अन्य संचारी रोगों और सिकल सेल रोग जैसे आनुवंशिक रोगों की उच्च घटनाओं के अलावा, मातृ मृत्यु दर, पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर और कुपोषण दर जनजातीय समूहों में बहुत अधिक है। विभिन्न जनजातीय समुदायों की स्वास्थ्य स्थिति पर विश्वसनीय आंकड़ों का भी अभाव है, जिसे विशेषज्ञ समिति ने भी इंगित किया था। यद्यपि जनजातीय स्वास्थ्य के लिए कोई अलग से कोई योजना नहीं है, मंत्रालय ने मौजूदा योजनाओं के तहत उपलब्ध धन से विभिन्न पहल की हैं। मंत्रालय ने जनजातीय स्वास्थ्य कार्य योजना तैयार की है और सभी राज्यों, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याम मंत्रालय (एमओएचएफडबल्यू), नीति आयोग के साथ साझा की है और सभी राज्यों को जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में मौजूदा अंतराल के आधार पर पीआईपी में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

2.24. मंत्रालय ने स्वास्थ्य विकसित किया है, जो महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले 177 जिलों में भारत की जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी डेटा और जानकारी प्रस्तुत करने के लिए एकल बिंदु स्रोत है। यह साक्ष्य, विशेषज्ञता और अनुभवों के आदान–प्रदान की सुविधा के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों से एकत्र की गई नवीन प्रथाओं, अनुसंधान संक्षिप्त, केस स्टडी और सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जानकारी भी प्रदान करता है।

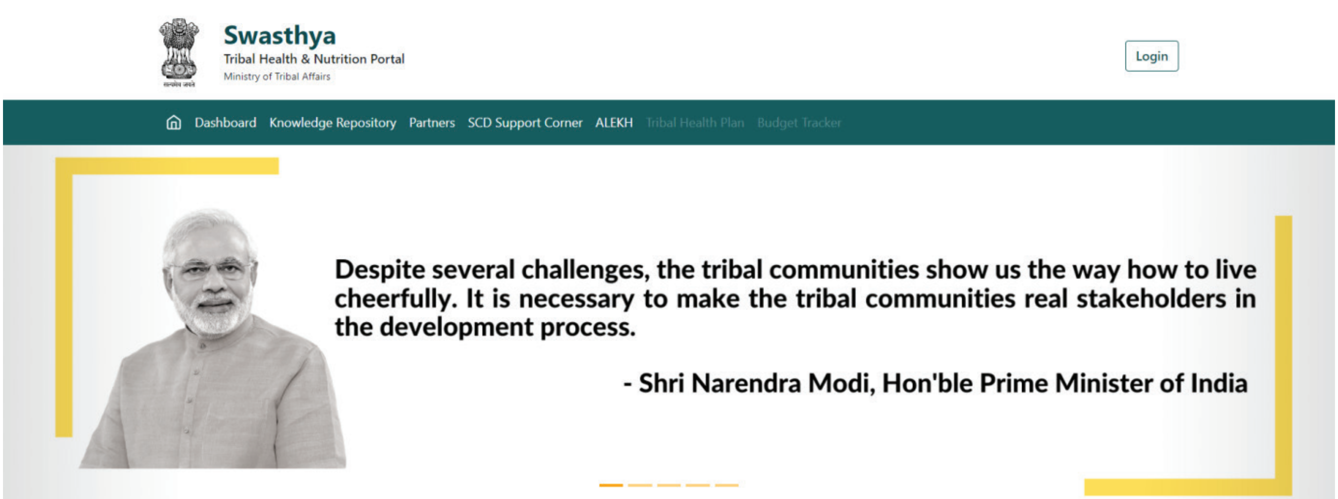

2.25. केंद्रीय टीबी प्रभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक संयुक्त पत्र दिनांक 13.10.2020 को संप्रेषित किया है जिसमें जनजातीय आबादी में टीबी के बोझ को दूर करने के लिए संयुक्त कार्य योजना शामिल है। 7 अप्रैल 2021 को, मंत्रालय ने जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग भी शुरू किया, जहां जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमटीए) , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

मंत्रालय (एमओएचएफडबल्यू), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमओडबल्यूसीडी), नीति आयोग और सिविल सोसाइटी संगठनों जैसे पीरामल फाउंडेशन, यूएसएआईडी और अन्य गैर–सरकारी संगठनों ने जनजातीय स्वास्थ्य मुद्दों पर 50 आकांक्षी जिलों में एक साथ काम करने की योजना बनाई। मंत्रालय ने क्षेत्रीय मंत्रालयों के पास उपलब्ध अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) की प्रभावी निगरानी के माध्यम से जनजातीय स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण अंतराल को भरने के लिए एक स्वास्थ्य प्रकोष्ठ की भी स्थापना की।

2.26. "स्वास्थ्य पोर्टल", जनजातीय स्वास्थ्य योजना, टीबी पर संयुक्त कार्य योजना और जनजातीय स्वास्थ्य सहयोगात्मक जनजातीय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करते हैं। जनजातीय स्वास्थ्य कार्य योजना से पारम्परिक चिकित्सीय पद्धतियों के साथ–साथ प्राचीन उपचारी तकनीकों का संरक्षण और उन्हें बढ़ावा देते हुए, आवश्यक मानवीय संसाधनों और तकनीकी के इस्तेमाल से स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी अवसंरचनाएं प्रदान करते हुए, जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने के लिए एक बहुमुखी कार्यनीति है, से जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल प्रदायगी प्रणाली के सुदृढ़ होने की आशा की जाती है।

2.27. बुनियादी ढांचे, डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों, पैरा मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता और बीमारी के बोझ के संबंध में 177 आकांक्षी जिलों के लिए जिलेवार डेटा को मॉनिटरिंग डैशबोर्ड और त्रैमासिक न्यूजलेटर "आलेख", लर्निंग एंडेवर फॉर नॉलेज इन हेल्थकेयर, जनजातीय क्षेत्रों में कोविड–19 प्रतिक्रिया, पोषण अभियान– जनजातियों के बीच कुपोषण, तपेदिक और सिकल सेल रोग के नियंत्रण के साथ–साथ जिला स्तरीय प्रमुख जानकारी उपलब्धता जैसी प्रासंगिक थीम आधारित त्रैमासिक न्यूजलेटर के माध्यम से साझा किया जा रहा है, जो नीति–निर्माताओं और चिकित्सकों दोनों को मौजूदा अंतरालों के आधार पर अपने मौजूदा हस्तक्षेपों और डिजाइन हस्तक्षेपों को फिर से रणनीति बनाने में सक्षम बनाता है और इससे कार्यक्रम के डिजाइन और निर्णय लेने में सुधार की उम्मीद है।

2.28. सिकल सेल रोग (एससीडी) एक अनुवांशिक स्थिति है, जो भारत में जनजातीय आबादी के बीच व्यापक है। गुजरात से लेकर ओडिशा तक मध्य, पश्चिमी और पूर्वी भारत के जनजातीय इलाकों में सिकल सेल एनीमिया की व्यापकता अधिक है। यह अनुमान लगाया गया है कि अनुसूचित में 86 जन्मे बच्चों में से लगभग 1 में एससीडी है। एससीडी वाले लगभग 20 प्रतिशत जनजातीय बच्चे दो साल की उम्र तक पहुंचने से पहले मर जाते हैं, और 30% बच्चे वयस्क होने से पहले ही मर जाते हैं। 2016–17 में समस्या की गंभीरता का आकलन करने के लिए, राज्यों में जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से सिकल सेल विशेषता की घटनाओं के मानचित्रण के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गईं। राज्यों को आईसीएमआर के सहयोग से जनजातीय छात्रों की स्क्रीनिंग के लिए भी निधियां दी गई। जैसा कि विभिन्न राज्यों द्वारा बताया गया है, 1,13,83,664 व्यक्तियों की जांच की गई, जिनमें से लगभग 8.75%, यानी 9,96,368 व्यक्ति परीक्षण में सकारात्मक पाए गए 9,49,057 में सिकल सेल विशेषता थी और 47,311 में सिकल सेल रोग था, जिसने जनजातियों में एससीडी के उच्च प्रसार की पुष्टि की।

2.29. इस मुद्दे को अन्य बातों के साथ–साथ मुख्य सचिव (सचिवों) के साथ डी.ओ. पत्र दिनांक 18.06.2021 को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीएचसी, सीएचसी और जिला स्तर पर सिकल सेल रोग के निदान और उपचार के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध है। मंत्रालय ने लक्षित आबादी की स्क्रीनिंग (जांच) करने के लिए कई राज्यों को निधियां भी दी है। 19 जून 2021 को मंत्रालय ने झारखंड के खूंटी जिले और छत्तीसगढ़ के कांकेर, 2 आदिवासी जिलों में जनजातीय लोगों में सिकल सेल रोग के उच्च

प्रसार के साथ एससीडी के सुदृढ़ीकरण, स्क्रीनिंग और समय पर प्रबंधन के लिए मोबाइल इकाइयों के साथ उन्मुक्त परियोजना भी शुरू की।

2.30. जनजातीय कार्य मंत्रालय ने सिकल सेल रोग पर सर गंगा राम अस्पताल को एक शोध अध्ययन कार्यक्रम को मंजूरी दी है जिसमें संगठन को मेडिकल कॉलेजों और मॉड्यूल में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एससीडी पर एक मैनुअल जिला अस्पतालों में चिकित्सा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए मॉड्यूल और हीमोग्लोबिनोपैथी और हीमोफीलिया के लिए एकीकृत केंद्र तैयार करना आवश्यक है। परियोजना में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 4–5 कार्यशालाएं भी शामिल होंगी। आज की तारीख में, सर गंगा राम अस्पताल ने मसौदा मॉड्यूल तैयार किए हैं और इनकी जांच तकनीकी विशेषज्ञ समूह (टीईजी) द्वारा की गई है जिसमें क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हैं। मॉड्यूल को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एससीडी के लिए प्रशिक्षण सामग्री के रूप में अनुमोदित किया गया है।

2.31. एकीकृत सिकल सेल एनीमिया अनुसंधान कार्यक्रम "आई–एससीएआरपी" नामक एक परियोजना को महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान, एस–व्यासा विश्वविद्यालय, बैंगलोर और आईएनएफओएमईडी, अहमदाबाद को सौंपा गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिकल सेल एनीमिया रोग से निपटने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा और योगिक विधियों का पता लगाना है। ।

2.32. जनजातीय कार्य मंत्रालय ने राज्य के जनजातीय समुदायों के बीच जनजातीय उप योजना क्षेत्र में सिकल सेल एनीमिया के मानचित्रण की एक परियोजना दी है और अनुभवजन्य अध्ययन का एक संग्रह और ओडिशा के जनजातीय समुदायों के बीच सिकल सेल एनीमिया पर इसके निष्कर्षों को आरएमआरसी, ओडिशा के सहयोग से निष्पादित किया जाना है। टीआरआई तेलंगाना के लिए एक परियोजना 'निदान, आईईसी और सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया प्रभावित रोगियों के लिए न्यूट्री समर्थन'। जनजातीय समुदायों के बीच सिकल सेल एनीमिया की मैपिंग, डेटा के संकलन का मिलान, सिकल सेल में काम करने वाले संगठनों की मैपिंग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ समन्वय में सिकल सेल पर मास्टर प्रशिक्षकों का डेटा बेस, डेटा साझाकरण तंत्र और रक्त की मैपिंग नामक एक परियोजना बैंकों की उपलब्धता' एनटीआरआई को दे दी गई है। इसी तरह की कई परियोजनाएं अन्य राज्यों को दी गई हैं।

अध्याय 3

कार्यकलापों की विशेषताएं

योजना / स्कीम परिव्यय तथा इसके उपयोग

3.1 वर्ष 2021–22 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय का कुल बजटीय आवंटन (योजनाओं और गैर योजनाओं के तहत) 7524.87 करोड़ रूपये है जिसमें से योजना परिव्यय हेतु बजट आवंटन 7484.07 करोड़ रूपये हैद्य वर्ष 2021–22 (31.12.2021 तक) के दौरान मंत्रालय द्वारा योजनाओं (योजना तथा गैर योजना दोनों), के तहत कुल निर्मुक्तियां 3824.72 करोड़ रूपये है। जो बजट अनुमान का 50.83% है।

3.2 वर्ष 2019–20 तथा 2020–21 के दौरान बजट अनुमान, संशोधित अनुमान तथा व्यय का स्कीम–वार ब्यौरा अनलुग्नक–3क के अनुसार हैं। वर्ष 2021–22 (31.12.2021 तक) के दौरान बजट अनुमान संशोधित अनुमान तथा व्यय के स्कीम–वार ब्यौरे **अनुलग्नक–3ख** में दिए गए हैं।

जनजातीय उप–योजना को विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए):

3.3 जनजातीय उप–योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) के विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम के तहत, जनजातीय आबादी वाले राज्यों में जनजातीय लोगों के विकास और कल्याण के लिए अनुदान प्रदान किए जाते है। निधियां राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर कार्यकारी समिति द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदन तथा इस उद्देश्य के लिए इस मंत्रालय में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कौशल विकास, रोजगार सह आय सृजन आदि जैसे क्षेत्रों में कार्यकलापों को समर्थन देने के उद्देश्य से गठित परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) द्वारा मूल्यांकन एवं अनुमोदन के पश्चात निर्मुक्त की जाती है जिसमें राज्यों को 100% अनुदान प्रदान किया जाता है।

अगले वित्त चक्र (2021–26) में, मंत्रालय ने योजना में सुधार करने का प्रस्ताव किया है, जिसका उद्देश्य 500 से अधिक और 50% अनुसूचित जनजातियों की अनुसूचित आबादी वाले जनजातीय गांवों के विकास को एकीकृत करना होगा। 36,000 से अधिक गांवों की पहचान की गई है, जिन्हें अगले 5 वर्षों में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों के तहत एसटीसी घटक के अंतर्गत उपलब्ध निधियों और मंत्रालय के पास उपलब्ध निधियों के अभिसरण के माध्यम से विकसित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, स्कूली शिक्षा और साक्षरता, पेयजल और स्वच्छता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, दूरसंचार, महिला और बाल विकास, पूर्वोत्तर क्षेत्र, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जैसे प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों के पास उपलब्ध निधियों को सड़क और मोबाइल कनेक्टिविटी, स्कूल और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और छात्रवृत्ति, पेंशन, आयुष्मान कार्ड और कौशल विकास जैसे व्यक्तियों को लाभान्वित करने वाली योजनाओं जैसी प्रमुख आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए चिन्हित गांवों को समर्पित होगा।

संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान

3.4 संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान के अधीन राज्य सरकारों के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए दिनांक 31.12.2021 तक की स्थिति के अनुसार 24 राज्यों के साथ परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) की बैठकें आयोजित की गई थीं।

3.5 संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदानों के लिए वर्ष 2021–22 के दौरान अनुमोदित कुछ कार्यकलाप निम्नानुसार हैं:

- प्राथमिक/अपर प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों को उन्नयन/अतिरिक्त अवसंरचना।
- अजजा बालक तथा बालिकाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण।
- सीएचसी/पीएचसी के लिए अस्पताल भवनों का निर्माण वृद्धि/सुदृढ़ीकरण।
- न्यूनतम तीन वर्ष की जीवन अवधि के साथ स्वास्थ्य उपस्कर का प्रावधान।
- कौशल विकास।
- जनजातीय घरेलू आय को बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक तथा परंपरागत फसलों को अपनाना तथा इसका विस्तार।
- कृषि पहलें/जैविक खेती का संवर्धन।
- पोलीहाउस, ग्रीनहाउस खेती सहित फलों, फूलों, सब्जियों की नर्सरी स्थापित करना।
- मुर्गी पालन/डेयरी/सुअर पालन/मछली पालन/भेड़/बकरी पालन आदि को आय सृजनकारी गतिविधि के रूप में बढ़ावा।
- भवन अवसंरचना तथा उपकरण सहित पशु पालन/पशु चिकित्सा सेवाएं।
- महिला लाभार्थियों के लिए प्रमुख स्वीकृत राशि के प्रावधान के साथ महिला केन्द्रित कार्यकलापों/परियोजनाओं पर ध्यान देना।
- जनजातीय विद्यालयों में खेल सुविधाओं का प्रावधान।
- साफ पेयजल, स्वच्छता आदि के लिए निधियां प्रदान करते हुए स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा।

3.6 जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति का आकलन करने के लिए राज्य सरकारों के साथ कई समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं। प्रचलित महामारी की स्थिति के कारण, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों जैसे कई राज्य समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान नहीं कर सके क्योंकि सिविल और अन्य ढांचागत कार्यों में देरी हो रही थी। इसलिए कुछ राज्यों को उनकी पात्रता के अनुसार निधियों को जारी नहीं किया जा सका। मंत्रालय ने राज्य के अधिकारियों और कार्यान्वयन एजेंसियों को आदिग्राम (आदिवासी अनुदान प्रबंधन प्रणाली) पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जो राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित परियोजनाओं की वित्तीय और भौतिक (फिजिकल) प्रगति की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है।

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास की स्कीम

3.7. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास की योजना, 18 राज्यों में फैले सबसे कमजोर जनजातीय समुदायों और संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सामाजिक – आर्थिक विकास के लिए 75 चिन्हित पीवीटीजी को कवर करती है। यह योजना लचीली है क्योंकि यह राज्यों को उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाती है, जिन्हे वे पीवीटीजी के लिए प्रासंगिक समझते हैं। इस योजना के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, पोषण, आजीविका, संस्कृति और विरासत का संरक्षण और अधिवास अधिकारों की मान्यता के क्षेत्रों में सरकारों द्वारा संरक्षण–सह–विकास (सीसीडी) योजनाएं तैयार की जानी हैं।

यह योजना पीवीटीजी आबादी के लिए सूक्ष्म योजनाओं को बनाने का प्रावधान करती है। योजना के दिशानिर्देश सीसीडी योजनाओं को बनाने के लिए अलग महिला सभा बैठकों का विशेष प्रावधान करती है। सीसीडी योजनाओं के मूल्यांकन के समय, लाभार्थियों की लिंग अलग–अलग जानकारी पर विचार किया जाना है।

इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को यह सुनिश्चित करना है कि कुल लाभार्थियों में से कम से कम एक तिहाई महिलाएं/लड़कियां हैं। सीसीडी योजना में किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की जाती हैं।

3.8. अजजा छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

- इस मंत्रालय की वेबसाइट पर राष्ट्रीय जनजातीय अध्येतावृत्ति पोर्टल (https://fellowship.tribal.gov.in/) ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए विकसित और संचालित किया गया है।
- वर्ष 2021–22 के लिए पोर्टल 22.11.2021 से 31.01.2022 तक खोला गया है।
- लाभार्थियों को समय पर भुगतान करने के लिए केनरा बैंक के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया।
- अनंतिम रूप से चयनित अध्येतावृत्ति छात्रों के विवरण के ऑनलाइन सत्यापन के लिए विश्वविद्यालय सत्यापन मॉड्यूल विकसित किया गया।
- सभी हितधारकों के लिए शिकायत मॉड्यूल (https://tribal.nic.in/Grievance/) विकसित किया गया।
- सत्यापन प्रक्रिया में सुधार के लिए डिजी–लॉकर के साथ एकीकृत।

उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति

- इस मंत्रालय की वेबसाइट पर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (https://scholarships.gov.in/) ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए विकसित और संचालित किया गया।
- वर्ष 2021–22 के लिए पोर्टल को 16.08.2021 से 15.01.2022 तक खोला गया है।
- इस योजना के दो घटक हैं, संस्थागत शुल्क और छात्रवृत्ति। संस्थान के लिए शुल्क सीधे संस्थान को जारी किया जाएगा जबकि छात्रों को छात्रवृत्ति राशि डीबीटी मोड के माध्यम से जारी की जाती है।
- योजना के तहत प्राप्त आवेदनों का ऑनलाइन सत्यापन प्रक्रियाधीन है।
- सभी हितधारकों के लिए शिकायत मॉड्यूल (https://tribal.nic.in/Grievance/) विकसित किया गया।

3.9 विदेश में उच्चतर अध्ययन के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना

2017–18 से उम्मीदवारों के चयन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति पोर्टल (https://overseas.tribal.gov.in/) इस मंत्रालय की वेबसाइट पर विकसित और पूरी तरह कार्यात्मक है। सत्यापन प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए डिजी–लॉकर के साथ एकीकरण किया जाता है। वर्ष 2021–22 के लिए पोर्टल को 22.11.2021 से 31.01.2022 तक खोला गया है।

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान

3.10 जनजातीय कार्य मंत्रालय सेवा की कमी वाले क्षेत्रों, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों और मुख्य रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में सीमावर्ती क्षेत्रों में 300 परियोजनाओं के लिए लगभग 200 गैर सरकारी संगठनों को वित्त पोषित कर रहा है। आवेदन जमा करने और सत्यापन से लेकर आवेदक संगठन के खाते में निधियां जारी करने तक की पूरी प्रक्रिया अब एक समर्पित एनजीओ पोर्टल (https://ngo.tribal.

gov.in) के माध्यम से की जाती है, जहां गैर सरकारी संगठन भी वास्तविक समय के आधार पर अपने आवेदन अपनी स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि एनजीओ केवल उसी उद्देश्य के लिए निधि का उपयोग करते हैं जिसके लिए उन्हें स्वीकृत किया गया था, पीएफएमएस के ईएटी मॉड्यूल के माध्यम से निधि की निगरानी की जाती है। एनजीओ पोर्टल में एक संचार मॉड्यूल भी शामिल है जो एनजीओ और मंत्रालय के बीच दोतरफा संचार प्रदान करता है और गैर सरकारी संगठनों को प्रश्नों, दस्तावेजों, उनकी शिकायतों को अपलोड करने और उत्तर/स्पष्टीकरण प्राप्त करने में भी सक्षम बनाता है। पोर्टल कैसे काम करता है और एनजीओ इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, इसका व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए कई क्षेत्रीय कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया।

चूंकि 2020–21 के दौरान शैक्षणिक संस्थानों को पर्याप्त अवधि के लिए बंद कर दिया गया था, शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों को 2019–20 में जारी राशि का 50% तक अनुदान जारी किया गया था ताकि शिक्षकों का वेतन और स्कूलों का रखरखाव प्रभावित न हो और दिसंबर 2021 तक, गैर सरकारी संगठनों को 2020–21 के लिए दूसरी और अंतिम किस्त के रूप में 39 करोड़ रुपये जारी किए गए। उन गैर सरकारी संगठनों को दूसरी किस्त जारी करने में कुछ देरी हुई जो कोविड के कारण अपने लेखा परीक्षित खाते जमा नहीं कर सके। हालांकि स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों को 2020–21 में पहली किश्त के रूप में उनकी हकदार राशि का 95% तक जारी किया गया ताकि वे जिला प्रशासन को कोविड के खिलाफ लड़ाई में आवश्यक सहायता प्रदान कर सकें। 2021–22 के दौरान, चालू गैर सरकारी संगठनों और परियोजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए पोर्टल खोला गया था क्योंकि वित्त चक्र 2021–26 के लिए योजना दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं। 2021–22 के लिए पहली किस्त जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों ने मोबाइल डिस्पेंसरी के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने, कोविड और टीकाकरण के बारे में जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)

3.11 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास (एनएसटीएफडीसी) ब्याज की रियायती दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2021–22 के दौरान, निगम ने 40,034 लाभार्थियों के लिए 139.16 करोड़ रू. की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। निगम ने 31.12.2021 तक विभिन्न स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 104.31 करोड़ रू. निर्मुक्त किए हैं।

3.12. भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड)

ट्राइफेड देश भर में 14 क्षेत्रीय कार्यालयों के अपने नेटवर्क के माध्यम से जनजातीय उत्पादों की पहचान करता है और देश भर में स्थित 119 ट्राइब्स इंडिया आउटलेट्स के साथ 98 स्वयं के बिक्री आउटलेट, 13 कंसाइनमेंट बिक्री और 08 फ्रैंचाइज आउटलेट और प्रदर्शनियों के माध्यम से विपणन के लिए जनजातीय उत्पादों की आपूर्ति (सोर्स) करता है। इसके अलावा, ट्राइफेड ने जनजातीय कारीगरों के उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए एक ई–मार्केट प्लेस शुरू किया है।

3.12.1. जनजातीय कारीगर मेला (टीएएम):

जनजातीय आपूर्तिकर्ताओं की संख्या बढ़ाने और उन्हें खुदरा संचालन से जोड़ने के लिए, ट्राइफेड जिला/तहसील स्तरों पर जनजातीय कारीगर मेलों

(टीएएम) का भी आयोजन करता है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, 1140 कारीगरों को नामांकित किया गया है, जिनमें से कुछ को मध्य प्रदेश, उत्तर–पूर्वी राज्यों और झारखंड में आयोजित टैम के माध्यम से और एक राष्ट्रीय वर्चुअल सप्लायर मीट के माध्यम से सूचीबद्ध किया गया था। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान लगभग 5000 जनजातीय आपूर्तिकर्ताओं के कुल आपूर्तिकर्ता आधार तक पहुंचने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया जाएगा।

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता

3.13. जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता योजना का वार्षिक परिव्यय 2016–17 में 21.00 करोड़ रु. से बढ़ाकर 2017–18 में 80.00 करोड़ रु. व 2019–20 में 100.00 करोड़ रु., 2020–21 में 110.00 करोड़ रुपये और 2021–22 में 120.00 करोड़ रू. किया गया। वर्ष 2015–16 से 2020–21 के दौरान, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, गोवा और जम्मू और कश्मीर के संघ राज्य क्षेत्रों में नए जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना के लिए जहां टीआरआई मौजूद नहीं थे निधि उपलब्ध कराया गया है। आज की तारीख में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और जम्मू और कश्मीर सहित 27 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में टीआरआई मौजूद हैं। 2021–22 के दौरान, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने विभिन्न गतिविधियों अर्थात् अनुसंधान अध्ययन, मूल्यांकन अध्ययन, प्रशिक्षण/सेमिनार/कार्यशाला का संगठन, जनजातीय उत्सवों का आयोजन, आधारभूत सर्वेक्षण, प्रकाशन, वृत्तचित्र/दस्तावेज, आदान–प्रदान यात्राओं का आयोजन और आजादी का अमृत महोत्सव आदि से संबंधित गतिविधियां को करने के लिए टीआरआई को वित्तीय सहायता प्रदान की। टीआरआई ने आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान विभिन्न गतिविधियों के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय

3.14 जनजातीय लोगों के वीरता और देशभक्ति के कार्यों को मान्यता देने के लिए, सरकार ने उन राज्यों में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय लिया है जहां जनजातीय रहते थे व जिन्होंने औपनिवेशिक शक्तियों के खिलाफ संघर्ष किया।

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन 15 नवंबर 2021 को किया गया था। राष्ट्रीय स्तर की समिति और सचिव द्वारा जनजातीय संग्रहालय की प्रगति की निगरानी के लिए नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं। सचिव जनजातीय कार्य और सचिव संस्कृति ने दिसंबर 2021 में गुजरात में राष्ट्रीय जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय के काम की प्रगति का विहंगावलोकन किया।

3.15. राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थानः देश भर में सभी जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) के कामकाज में तालमेल सुनिश्चित करने और जनजातीय संबंधित मुद्दों के लिए टीआरआई को एक थिंक टैंक और ज्ञान केंद्र के रूप में विकसित करने के सरकार के संकल्प को साकार करने हेतु समर्थन प्रदान करने के लिए, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान को भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) नई दिल्ली के परिसर में स्थापित और कार्यात्मक किया जा रहा है।

राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान की नई दिल्ली में स्थापना से जनजातीय अनुसंधान में सुधार और टीआरआई के बेहतर समन्वय और प्रबंधन में काफी मदद मिलेगी। एनटीआरआई का उद्देश्य विभिन्न राज्यों में स्थित जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) का मार्गदर्शन करना और अनुसंधान कार्यों, मूल्यांकन अध्ययन, प्रशिक्षण, जनजातियों के बीच जागरूकता पैदा करना, भाषाओं, पर्यावासों आदि सहित समृद्ध

जनजातीय विरासत का प्रदर्शन करना, में गुणवत्ता और एकरूपता सुनिश्चित करना है।

3.16. निधियों का उपयोगः 31.12.2021 तक राज्य सरकारों को 120.00 करोड़ रू. के कुल बजट अनुमान आवंटन में से 21.55 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। कोविड के कारण, टीआरआई उन्हें विशेष रूप से टीआरआई भवन और जनजातीय संग्रहालय के निर्माण के लिए दी गई धनराशि खर्च नहीं कर सके। कोविड के कारण जमीनी स्तर की गतिविधियाँ और सर्वेक्षण भी बाधित हुए, जिसके परिणामस्वरूप टीआरआई द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। मंत्रालय टीआरआई के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है ताकि वे उन गतिविधियों में तेजी ला सकें जिनके लिए उन्हें निधि जारी किया गया है।

जनजातीय महोत्सव, अनुसंधान सूचना और जन शिक्षा

3.17. राष्ट्रीय जनजातीय उत्सवः जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष समस्त देश में जनजातियों के लोक नृत्यों, गीतों, खान–पान, चित्रकला और कारीगरी में पारंपरिक कौशल के प्रदर्शन और चिकित्सा पद्यतियों आदि के विभिन्न विशिष्ट रूपों के माध्यम से समृद्ध विरासत की झलक दर्शाने के लिए राष्ट्रीय उत्सव और कार्निवल आयोजित किए जाते हैं। वर्ष 2015 से अब तक किए गए आयोजनों का विवरण इस प्रकार हैः

वर्ष	विषय	अवधि	स्थान
2015	राष्ट्रीय जनजाति उत्सव – वनज	13 – 18 फरवरी, 2015	इंदिरा गांधी आर्ट एंड कल्चरल सेंटर, नई दिल्ली
2016	राष्ट्रीय जनजाति कार्निवल – 2016	25 – 28 अक्तूबर, 2016	इंदिरा गांधी इनडोर स्टेडियम और प्रगति मैदान, नई दिल्ली
2017	राष्ट्रीय जनजाति कार्निवल (आदि महोत्सव)	16 –30 नवम्बर, 2017	दिल्ली हॉट, आईएनए, सेंट्रल पार्क, आदि नई दिल्ली
2018	राष्ट्रीय जनजाति उत्सव (आदि महोत्सव)	16 –30 नवम्बर, 2018	दिल्ली हॉट, आईएनए, नई दिल्ली
2019	राष्ट्रीय जनजाति उत्सव (आदि महोत्सव)	16 –30 नवम्बर, 2019	दिल्ली हॉट, आईएनए, नई दिल्ली
2021	ट्राइब्स इंडिया 'आदि महोत्सव'	1–15 फरवरी, 2021	दिल्ली हॉट, आईएनए, नई दिल्ली
2021	ट्राइब्स इंडिया 'आदि महोत्सव'	16–30 नवम्बर, 2021	दिल्ली हॉट, आईएनए, नई दिल्ली

जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) कोविड –19 महामारी के कारण वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान जनजातीय महोत्सव का आयोजन नहीं कर सका, हालाँकि भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) ने मध्य प्रदेश में माननीय जनजातीय कार्य मंत्री द्वारा एक आभासी (वर्चुअल) जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया है, जिसका उद्घाटन 1 दिसंबर 2020 को हुआ था।

"आदि महोत्सव" – जनजातीय कलाकारों के प्रदर्शन के साथ–साथ जनजातीय शिल्प, संस्कृति, व्यंजन और वाणिज्य को दिखाने के लिए एक त्योहार है। ये सभी एक साथ एक छत के नीचे जनजातीय समुदायों की समृद्ध पारंपरिक संस्कृति की झलक आम जनता को प्रदान करते हैं। ट्राइफेड ने 1 से 15 फरवरी 2021 तक दिल्ली हाट, नई दिल्ली में आदि महोत्सव का आयोजन किया। श्री वेंकैया नायडू, भारत के माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा जनजातीय उत्सव का उद्घाटन माननीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा और माननीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह की गरिमामय उपस्थिति में किया गया था। ट्राइफेड ने आजादी का अमृत महोत्सव के प्रतिष्ठित सप्ताह के दौरान 16 नवंबर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक दिल्ली हाट, नई दिल्ली में आदि–महोत्सव का भी आयोजन किया।

बाह्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा निर्धारित जनजातीय उप योजना (टीएसपी)/अनुसूचित जनजातीय घटक (एसटीसी) निधियों की निगरानी

3.18 जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय उप योजना (टीएसपी)/अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी)/अनुसूचित के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) की निगरानी के लिए नोडल मंत्रालय है, जिन्हें अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए 40 मंत्रालयों/विभागों (जनजातीय कार्य मंत्रालय को छोड़कर) विभिन्न योजनाओं के तहत निर्धारित किया जाता है। इन मंत्रालयों/विभागों द्वारा एसटीसी निधियों के आवंटन और उपयोग की निगरानी के लिए पीएफएमएस के साथ एकीकृत एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली (stcmis.gov.in) तैयार की गई है। टीएसपी/एसटीसी निधियों के आवंटन और व्यय की समीक्षा के लिए सचिव (जनजातीय कार्य) की अध्यक्षता में अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2021 के महीने में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित की गईं। वर्ष 2021–22 में 78256.31 करोड़ रु. की एसटीसी निधियों के कुल आवंटन में से, 12.01.2022 तक व्यय 52893.67 करोड़ रू. (अर्थात् 67.59%) है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

3.19 30.09.2021 तक, एफआरए के तहत दायर दावों की कुल संख्या 42,96,452 है, जिसमें से 86.47% दावों का निपटारा किया जा चुका है और 20,74,295 अधिकार पत्रों (48.28%) जारी किए जा चुके हैं।

'जनजातीय गौरव दिवस' सप्ताह

3.20 भारत सरकार ने सभी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने और स्वतंत्रता संग्राम और सांस्कृतिक विरासत में उनके योगदान को याद करने और मान्यता देने और जनजातीय क्षेत्रों के सामाजिक–आर्थिक विकास के प्रयासों को फिर से पुनः सक्रिय करने के लिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है। यह तारीख देश के एक प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी और जनजातीय नेता बिरसा मुंडा की जयंती है। अधिसूचना दिनांक 12.11.2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–I, खंड–I में दिनांक 15.11.2021 को प्रकाशित की गई है।

इस अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कैंपस पार्किंग में बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए और फिर 15 नवंबर को रांची में भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर झारखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित थे।

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के लुआंगकाओ गांव में रानी गैदिनलिउ जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की स्थापना की आधारशिला रखी। शिलान्यास समारोह में मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री नोंगथोम्बम बीरेन सिंह और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा अन्य गणमान्य व्यक्तियों में शामिल थे।

भारत के जनजातीय समुदायों को समर्पित एक प्रतिष्ठित सप्ताह भर चलने वाला उत्सव (15–22 नवंबर, 2021) पूरे देश में 15 नवंबर को पूरे उत्साह के साथ शुरू हुआ और जनजातीय संस्कृति के विभिन्न रंगों पर प्रकाश डाला गया। माननीय प्रधानमंत्री ने भोपाल से जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन में जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत की। उन्होंने मध्य प्रदेश सिकल सेल मिशन की भी शुरुआत की। उन्होंने देश भर में 50 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की नींव रखी। मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, डॉ वीरेंद्र कुमार, श्री नरेंद्र सिंह तोमर, श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री प्रहलाद एस. पटेल, श्री फग्गन सिंह कुलस्ते और डॉ. एल. मुरुगन भी उपस्थित थे।

इस समारोह में 13 राज्यों और नई दिल्ली में प्रभावशाली सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। भगवान बिरसा मुंडा के पोते श्री सुखराम मुंडा ने दिल्ली हाट में आदि महोत्सव, राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव का उद्घाटन किया, जो 30 नवंबर, 2021 तक जारी रहा। त्योहारों ने जनजातीय शिल्प, व्यंजनों और विभिन्न जनजातीय समुदायों की विरासत की भव्यता को प्रदर्शित किया। 200 से अधिक स्टॉल प्रदर्शनी में भारत भर के कारीगरों द्वारा हाथ से बुने हुए सूती, रेशमी कपड़े, हस्तनिर्मित आभूषण और उत्तम व्यंजनों के विभिन्न उत्पादों की पेशकश की गई।

गुजरात राज्य ने अहमदाबाद हाट में 5 दिवसीय पारंपरिक जनजातीय शिल्प, भोजन, हर्बल बिक्री और प्रदर्शनी मेले का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन जनजातीय विकास विभाग के मंत्री श्री नरेश पटेल और जनजातीय विकास राज्य मंत्री श्रीमती निमिषाबेन सुथार, गुजरात सरकार द्वारा किया गया। यह आयोजन पारंपरिक जनजातीय कला और शिल्प, जैविक भोजन और जनजातीय जड़ी–बूटियों और औषधीय ज्ञान को प्रदर्शित करता है। मेला राज्य के जनजातीय लोककथाओं और शहरी निवासियों के बीच बातचीत का एक मिलन स्थल बन गया। इस कार्यक्रम को पारंपरिक जनजातीय नृत्य प्रदर्शन द्वारा चिह्नित किया गया था, जिसने जनजातियों की समृद्ध संस्कृति और उनकी एकजुटता का प्रतिनिधित्व किया।

जनजातीय कार्य और पहाड़ी (हिल्स) विभाग के तहत **जनजातीय अनुसंधान संस्थान मणिपुर**, ने इंफाल आर्ट कॉलेज के सहयोग से 16 से 18 नवंबर 2021 तक जनजातीय कला और पेंटिंग प्रतियोगिता पर एक 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन श्री लेतखोगिन हाओकिप, अपर मुख्य सचिव, मणिपुर सरकार द्वारा किया गया था। प्रतियोगिता का उद्देश्य जनजातीय समुदायों के युवाओं के रचनात्मक कौशल, व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, मानसिक और कल्पनाशील कौशल को बढ़ावा देना है।

तेलंगाना राज्य ने दो महान स्वतंत्रता सेनानियों – रामजी गोंड और कोमाराम भीम पर आधारित वीडियो वृत्तचित्रों की एक श्रृंखला जारी की। कार्यक्रम महत्वपूर्ण था क्योंकि प्रतिभागी स्वतंत्रता सेनानियों के वंशज थे।

छत्तीसगढ़ राज्य ने अन्य जनजातीय कारीगरों के साथ बेहतर आर्थिक अवसरों और अंतर–सांस्कृतिक पारस्परिक संपर्क प्रदान करने के लिए 15 से 17 नवंबर तक एक भव्य दो दिवसीय जनजातीय कारीगर शिल्प मेला का आयोजन किया। मेले में उत्साही लोगों की भारी भीड़ ने जनजातीय कारीगरों के साथ वार्तालाप करते देखा गया। मेले का उद्देश्य जनजातीय पारंपरिक कला और शिल्प को संरक्षित करने, बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने का 3–पी चरण था। जनजातीय कारीगरों की व्यावसायिक व्यवहार्यता के प्रयासों ने उन्हें आत्म–सशक्तिकरण की भावना दी।

जनजातीय गौरव दिवस **जम्मू और कश्मीर, संघ राज्यक्षेत्र** में बड़ी धूमधाम से मनाया गया और विभिन्न क्षेत्रों से भागीदारी देखी गई। जम्मू और कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल, श्री मनोज सिन्हा ने जम्मू में समारोह की अध्यक्षता की, जबकि संभागीय आयुक्तों और जिला मजिस्ट्रेटों ने जम्मू और कश्मीर संघ राज्य–क्षेत्र के 20 विभिन्न जिलों में कार्यक्रम का आयोजन किया। सभी शैक्षणिक संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों ने विभिन्न प्रकार के समारोहों का आयोजन करके जनजातीय गौरव दिवस मनाया।

जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने के लिए दो दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान, दिल्ली के सहयोग से आयोजित किया गया और जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा आभासी (वर्चुअल) रूप से इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

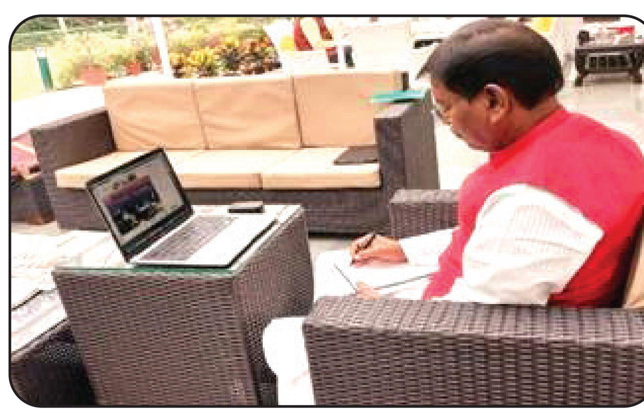

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सांस्कृतिक रूप से समृद्ध द्वीपों ने भी 16 नवंबर, 2021 को अपनी गौरवशाली विरासत और कला रूपों को प्रस्तुत करने के लिए 'जरवा जनजाति का सांस्कृतिक कार्यक्रम' आयोजित किया।

इन सभी पहलों का आयोजन जनजातीय समुदायों को विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत करने और उनके सर्वांगीण विकास के लिए एक रोडमैप तैयार करने के लिए एक मंच प्रदान करने हेतु किया गया है।

(माननीय राज्य मंत्री (जनजातीय कार्य), श्रीमती रेणुका सिंह ने महाराष्ट्र में ट्राइफूड और ट्राइफेड आउटलेट का निरीक्षण किया)

(माननीय राज्य मंत्री (जनजातीय कार्य), श्रीमती रेणुका सिंह जम्मू और कश्मीर के जनजातीय क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेते हुए)

(माननीय जल शक्ति और जनजातीय कार्य राज्य मंत्री, श्री बिश्वेश्वर टुडु, ईएमआरएस, सेरांगो, गुम्मा, जिला गजपति, ओडिशा की आधारशिला रखते हुए)

(माननीय जल शक्ति और जनजातीय कार्य राज्य मंत्री, श्री बिश्वेश्वर टुडु, राजस्थान राज्य की विभिन्न चालू परियोजनाओं और अन्य लंबित मुद्दों पर जयपुर में जनजातीय विकास, राजस्थान सरकार के राज्य स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए)

अध्याय–4

अनुसूचित जनजातियों की विवरणिका

जनसंख्या

4.1 जनगणना 2011, के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 10.45 करोड़ है। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत है तथा कुल ग्रामीण जनसंख्या का 11.3 प्रतिशत है। अनुसूचित जनजाति के पुरूषों की जनसंख्या 5.25 करोड़ तथा अजजा महिलाओं की जनसंख्या 5.20 करोड़ है। 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में ग्राफ 4.1 में दर्शाई गई दशकीय वृद्धि से स्पष्ट है कि अनुसूचित जनजाति की महिला जनसंख्या की वृद्धि दर (25%), अनुसूचित जनजाति के पुरूष जनसंख्या की वृद्धि दर (23%) से उच्चतर है।

लिंग और निवास के आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या **अनुलग्नक–4क** में दी गई है।

भारत में, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कुल जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजातियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार प्रतिशत आबादी, भारत में कुल अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजाति की प्रतिशतता का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार विवरण **अनुलग्नक 4ख** में दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के अनुपात के आधार पर क्रमबद्ध राज्या/संघ राज्य क्षेत्रों को **तालिका 4.1** में दिया गया है।

तालिका 4.1: अनुसूचित जनजातियों के अनुपात द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का क्रम: जनगणना 2011

शीर्ष 5 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	
लक्षद्वीप	94.8%
मिजोरम	94.4%
नागालैण्ड	86.5%
मेघालय	86.1%
लद्दाख	79.5%

नीचे के 5 राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	
उत्तर प्रदेश	0.6%
तमिलनाडु	1.1%
बिहार	1.3%
केरल	1.5%
उत्तराखंड	2.9%

जनगणना से संबंधित आंकड़ों के बारे में अद्यतन जानकारी भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा की जाने वाली जनगणना 2021 के पश्चात उपलब्ध होगी।

लैंगिक अनुपात

4.2 अनुसूचित जनजातियों के संबंध में लैंगिक अनुपात 990 है जो राष्ट्रीय औसत 943 से अधिक है। अनुसूचित जनजाति लैंगिक अनुपात भी वर्ष 2001 में प्रति 1000 पुरुषों पर 978 महिलाओं से बढ़कर 2011 में 990 महिलाएं हो गया है। गोवा, केरल, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ आदि ने अनुसूचित जनजाति का लैंगिक अनुपात उच्चतर दर्शाया है, जबकि जम्मू और कश्मीर ने वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजातीय महिलाओं का लैंगिक अनुपात निम्नतम अर्थात 924 दर्शाया है। वर्ष 2001 और 2011 में आवासीय आधार पर अनुसूचित जनजाति का लैंगिक अनुपात राज्य–वार **अनुलग्नक–4ग** में दिया गया है।

बाल लैंगिक अनुपात

4.3 0–6 वर्ष आयु वर्ग के संबंध में बाल लैंगिक अनुपात 2001 में 972 से घट कर 2011 में 957 हो गया है। तथापि, अनुसूचित जनजाति का बाल लैंगिक अनुपात सामान्य जनसंख्या के बाल लैंगिक अनुपात जो 1000 लड़कों के प्रति 914 लड़कियां है, की तुलना में अधिक है।

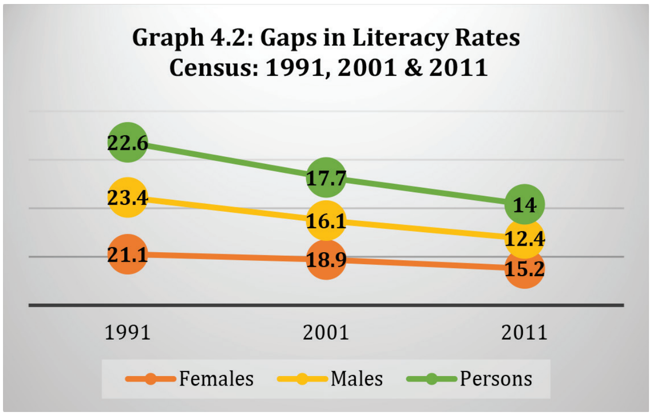

साक्षरता दर

4.4 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, भारत में अनुसूचित जनजातियों के लिए साक्षरता दर में वर्ष 2001 में 47.1% से 2011 में 59% तक सुधार हुआ है। इन वर्षों के दौरान अनुसूचित जनजाति के पुरुषों में साक्षरता दर 59.2% से 68.5% तक बढ़ी है तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में साक्षरता दर 34.8% से 49. 4% तक बढ़ी है। संपूर्ण जनसंख्या के लिए साक्षरता दर में वर्ष 2001 में 64.8% से वर्ष 2011 में 73% तक की बढ़ोतरी हुई है। अखिल भारतीय साक्षरता दर की तुलना में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर में 14 प्रतिशत का अंतर है। वर्ष 1991, 2001 तथा 2011 के लिए व्यक्तियों, पुरुषों तथा महिलाओं के संबंध में साक्षरता दरों में अंतर जैसा ग्राफ 4.2 में दर्शाया गया है, प्रगति सूचक गिरावट दर्शाता है। वर्ष 1961 के बाद की जनगणना के आधार पर साक्षरता दरें निम्नलिखित तालिका 4.2 में दी गई हैं।

तालिका 4.2: अनुसूचित जनजाति और सभी की साक्षरता दरें

वर्ष	सभी			अनुसूचित जनजातियां		
	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला
1961	28.30	40.40	15.35	8.53	13.83	3.16
1971	34.45	45.96	21.97	11.30	17.63	4.85
1981	43.57	56.38	29.76	16.35	24.52	8.04
1991	52.21	64.13	39.29	29.60	40.65	18.19
2001	64.84	75.26	53.67	47.10	59.17	34.76
2011	73.00	80.90	64.60	59.00	68.50	49.40

स्रोत : जनगणना, भारत के महापंजीयक का कार्यालय

4.5 वर्ष 2011 के दौरान तमिलनाडु, ओडिशा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा केरल नामक राज्यों ने कुल जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर में 18 प्रतिशत से अधिक अंतर दर्शाया है। हालांकि, सभी राज्यों ने वर्ष 2001 तथा 2011 के बीच साक्षरता दर के अंतर में गिरावट दर्ज की। संपूर्ण जनसंख्या की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार साक्षरता दर, अनुसूचित जनजाति की आबादी और अंतराल का विवरण **अनुलग्नक– 4घ** में दिया गया है।

4.6 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा "सामाजिक उपभोग: शिक्षा" पर कराए गए 71वें सर्वेक्षण (जनवरी–जून, 2014) के आधार पर अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर 67% है तथा तदनुरूप, सभी श्रेणियों का आंकडा 76% है। एनएसएस के "सामाजिक उपयोगरू शिक्षा" पर 75वें सर्वेक्षण (जुलाई 2017–जून 2018) के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर 71.4% और तदनुरूप सभी वर्गों की साक्षरता दर 77.7% है।

4.7 जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लिए स्नातक तथा उससे ऊपर, 15 वर्ष तथा उससे अधिक आयु वर्ग के शिक्षा स्तर के अखिल भारतीय तथा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार ब्यौरे **अनुलग्नक– 4ङ** में दिए गए हैं। भारत के लिए वर्गीकृत, लैंगिक–वार अलग–अलग श्रेणियों (सभी आयु वर्ग 10–14 वर्ष, 15–19 वर्ष, 20–24 वर्ष की आयु) किशोर (10–19 वर्ष) तथा युवा (15–24 वर्ष) के लिए अखिल भारतीय स्तर पर साक्षरता दर जो वर्ष 2011 में कुल जनसंख्या तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए है, **तालिका 4.3** में दी गई है:

तालिका 4.3: साक्षरता दर: जनगणना–2011

सभी श्रेणियां (आयु वर्ग)	कुल			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला
सभी आयु	73.0	80.9	64.6	66.1	75.2	56.5	59.0	68.5	49.4
10–14	91.1	92.2	90.0	90.3	91.5	89.0	86.4	88.3	84.4
15–19	88.8	91.2	86.2	87.1	89.7	84.1	80.2	85.7	74.6
20–24	83.2	88.8	77.3	79.1	86.2	71.6	69.2	79.6	59.0
किशोर									
(10–19)	90.0	91.7	88.2	88.8	90.6	86.8	83.6	87.1	79.9
युवा (15–24)	86.1	90.0	81.8	83.3	88.1	78.0	75.0	82.9	67.1

स्रोत: भारत के महापंजीयक का कार्यालय

युवा साक्षरता दर

4.8 जनगणना 2001 तथा जनगणना 2011 के अनुसार समस्त तथा अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या की अखिल भारतीय स्तर पर युवा साक्षरता दर, ग्राफ 4.3 में दर्शाई गई है। अनुसूचित जनजातीय युवाओं की साक्षरता दर वर्ष 2001 में 59.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011 में 75 प्रतिशत हो गई है। इसके अलावा, अनुसूचित जनजाति की युवा पुरुष साक्षरता दर में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजाति की महिला युवा साक्षरता दर में 20 प्रतिशत–बिन्दुओं का महत्वपूर्ण उछाल दर्शाया है। तथापि, सारी जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजाति की युवा साक्षरता दर के बीच अंतर अभी भी विद्यमान है।

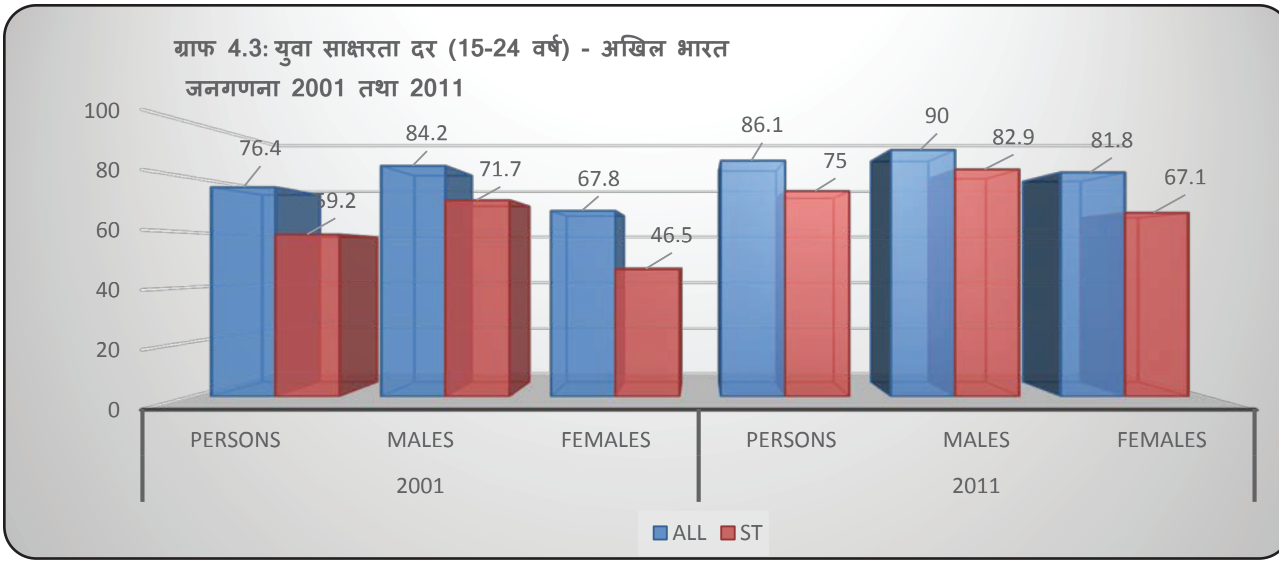

सकल नामांकन अनुपात (जीईआर)

4.9 वर्ष 2015–16 से 2019–20 तक के लिए प्राथमिक, अपर प्राथमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा स्तरों पर अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) के ब्यौरे **तालिका 4.4** में दिए गए हैं। माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अनुसूचित जनजाति का सकल नामांकन अनुपात **तालिका 4.5** में दिया गया है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 2015–16 तथा 2019–20 में प्राथमिक (I-V), प्रारम्भिक (I-VIII), माध्यमिक (IX-X) तथा वरिष्ठ माध्यमिक (XI-XII) स्तरों पर जीईआर में कमी आई है। हालांकि, 2016–17 से 2017–18 और 2018–19 से 2019–20 तक भी मामूली वृद्धि हुई है। अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए जीईआर 2015–16 में 90.94% से बढ़कर 2019–20 में 93. 01% उच्च प्राथमिक स्तर (VI-VIII) पर, 2015–16 में 70.75% से बढ़कर 2019–20 में माध्यमिक स्तर (IX-X) पर 77.24% हो गया है और 2015–16 में 36.34 प्रतिशत से 2019–20 में 43.90 प्रतिशत वरिष्ठ माध्यमिक स्तर (XI-XII) पर हो गया है। साथ ही, उच्च शिक्षा के संबंध में एसटी जीईआर में सुधार हुआ है, जोकि 2015–16 में 14.2% से 2019–20 में 18.0% हो गया है।

तालिका 4.4: अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर)

स्तर/वर्ष	प्राथमिक (I-V) 6–10 वर्ष			अपर प्राथमिक (VI-VIII) 11–13 वर्ष			प्रारंभिक (I-VIII) 6–13 वर्ष		
	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
2015–16	109.59	113.39	111.52	90.94	92.21	91.59	102.72	105.52	104.15
2016–17	105.16	109.00	107.11	90.32	92.05	91.20	99.68	102.69	101.21
2017–18	106.23	109.26	107.77	92.74	94.64	93.71	101.24	103.84	102.57
2018–19	105.64	107.63	106.66	92.18	93.62	92.92	100.66	102.45	101.57
2019–20	106.57	107.63	107.11	93.01	93.93	93.48	101.54	102.58	102.08

तालिका 4.5: अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का सम्पूर्ण दाखिला अनुपात

स्तर/वर्ष	माध्यमिक (IX-X) 14–15 वर्ष			वरिष्ठ माध्यमिक (XI-XII) 16–17 वर्ष			उच्चतर शिक्षा 18–23 वर्ष		
	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
2015–16	70.75	70.69	70.72	36.34	38.15	37.27	12.9	15.6	14.2
2016–17	69.65	69.52	69.58	33.79	34.67	34.24	14.2	16.7	15.4
2017–18	73.11	72.99	73.05	39.37	39.51	39.44	14.9	17.0	15.9
2018–19	75.85	74.87	75.35	42.70	41.80	42.24	16.5	17.9	17.2
2019–20	77.24	76.22	76.72	43.90	41.92	42.89	17.7	18.2	18.0

डेटा स्रोत:

स्कूली शिक्षा के लिए: शिक्षा हेतु एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई), शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा के लिए: उच्चतर शिक्षा संबंधी अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) रिपोर्टें, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी)

प्राथमिक स्तर के लिए जीईआर की परिभाषा: आयु इतर प्राथमिक शिक्षा (ग्रेड I-V) में कुल नामांकन एक विद्यालय–वर्ष में पात्र आधिकारिक प्राथमिक विद्यालय–आयु (6–10 + वर्ष) की गणना की प्रतिशतता के रूप में व्यक्त किया जाता है।

लैंगिक (जेंडर) समानता सूचकांक (जीपीआई)

4.10 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए लैंगिक समानता सूचकांक (जीपीआई) में वरिष्ठ माध्यमिक के साथ–साथ उच्चतर शिक्षा स्तर पर सुधार दर्शाया है। हालांकि, इसमें माध्यमिक स्तर पर 2015–16 से 2019–20 तक मामूली वृद्धि हुई है। आंकड़े **तालिका 4.6** में दिए गए हैं:

तालिका 4.6: अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए लैंगिक समानता सूचकांक (जीपीआई)

स्तर/वर्ष	माध्यमिक (IX–X)	वरिष्ठ माध्यमिक (XI–XII)	उच्चतर शिक्षा
2015–16	1.00	0.95	0.83
2016–17	1.00	0.97	0.85
2017–18	1.00	1.00	0.87
2018–19	1.01	1.02	0.92
2019–20	1.01	1.05	0.97

आंकड़ों का स्रोत:

स्कूली शिक्षा के लिए: शिक्षा हेतु एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई),
उच्चतर शिक्षा के लिए: उच्चतर शिक्षा संबंधी अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) रिपोर्टें, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी)

स्कूली शिक्षा मध्य में छोड़ने की (ड्रॉप–आउट) दरें

4.11 अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए स्कूली शिक्षा की ड्रॉप–आउट दरों के ब्यौरे नीचे **तालिका 4.7** में दिए गए हैं:

तालिका 4.7: अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की स्कूली शिक्षा में ड्रॉप–आउट दर

वर्ष / कक्षाएं	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक			प्राथमिक		
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां	लड़के		लड़के	लड़कियां	लड़के
2015–16	4.18	4.29	4.24	9.64	9.70	9.67	26.28	26.27	26.27
2016–17	3.91	3.96	3.94	8.60	8.69	8.64	27.15	27.85	27.51
2017–18	3.48	3.82	3.66	6.14	5.95	6.04	21.36	22.90	22.14
2018–19	5.23	5.72	5.48	6.46	6.89	6.69	23.38	26.40	24.93
2019–20	3.45	3.90	3.69	5.65	6.15	5.90	22.49	25.51	24.03

स्रोतः फ्लैश सांख्यिकी 2016–17 एकीकृत– शिक्षा जिला सूचना प्रणाली (यू–डीआईएसई), शिक्षा मंत्रालय

परीक्षा परिणाम

4.12 वर्ष 2016 के दौरान 65.0% तथा 68.2% अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों ने मुक्त (ओपन) बोर्ड सहित विभिन्न राज्य तथा केन्द्रीय परीक्षा बोर्डों के माध्यम से क्रमशः कक्षा X तथा XII उत्तीर्ण की है। सभी श्रेणियां और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमशः **तालिका 4.8** तथा **तालिका 4.9** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 4.8: 2011–2016 के दौरान माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण प्रतिशत

वर्ष	सभी श्रेणियां			अनुसूचित जनजाति		
	लड़के	लड़कियाँ	कुल	लड़के	लड़कियाँ	कुल
2011(पी)	73.3	76.7	74.8	62.4	61.7	62.1
2012 (पी)	74.4	78.0	76.0	61.5	61.2	61.4
2013 (पी)	75.8	80.1	77.8	64.2	64.8	64.5
2014 (पी)	77.6	81.0	79.2	65.1	63.8	64.5
2015 (पी)	77.5	80.6	78.9	65.0	63.2	64.1
2016 (पी)	77.7	79.8	78.7	65.2	64.9	65.0

तालिका 4.9: 2011–2016 के दौरान उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण प्रतिशत

वर्ष	सभी श्रेणियां			अनुसूचित जनजाति		
	लड़के	लड़कियाँ	कुल	लड़के	लड़कियाँ	कुल
2011(पी)	70.8	81.0	75.3	63.9	68.4	65.8
2012 (पी)	75.2	82.8	78.5	66.6	72.0	68.9
2013 (पी)	75.0	83.0	78.5	66.7	72.0	69.0
2014 (पी)	75.8	84.1	79.5	67.9	73.7	70.6
2015 (पी)	75.2	84.1	79.2	65.8	72.2	68.9
2016 (पी)	74.3	82.2	77.9	65.5	71.4	68.2

स्रोतः शिक्षा मंत्रालय, जोकि पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था।
पी– अनंतिम

संक्रमण (ट्रांसीशन) दरों की परिभाषाः संक्रमण (ट्रांसीशन) दर उन छात्रों के अनुपात को दर्शाती है जो उच्च कक्षा में आगे बढ़ने में सक्षम हैं। 100% से नीचे की संक्रमण दर इंगित करती है कि छात्रों को रोक दिया गया है या इन्होंने स्कूल छोड़ दिया गया है।

2019–20 के दौरान, 2016–17 में 54.65% अजजा (एसटी) छात्रों (सभी के लिए 62.82:) की तुलना में 62.78% अजजा (एसटी) छात्र (सभी के लिए 71.60%) कक्षा 10 से कक्षा 11 में अवस्थांतर करने में सक्षम हैं, जो दर्शाता है कि अभी भी सभी श्रेणियों की तुलना में, एसटी छात्रों के लिए ट्रांसीशन दरों में अंतराल हैं। 2016–17 से 2019–20 के दौरान माध्यमिक से उच्चतर माध्यमिक (X से XI) में ट्रांसीशन दर **तालिका 4.10** में दी गई है।

तालिका 4.10: 2016–17 से 2019–20 के दौरान माध्यमिक से उच्चतर माध्यमिक (X से XI) में संक्रमण (ट्रांसीशन) दर

माध्यमिक से उच्चतर माध्यमिक (X से IX)						
वर्ष	सभी श्रेणियां			अनुसूचित जनजाति		
	लड़कियाँ	लड़के	संपूर्ण	लड़कियाँ	लड़के	संपूर्ण
2016–17	62.37	63.23	62.82	54.04	55.25	54.65
2017–18	63.38	62.05	62.70	61.71	61.64	61.68
2018–19	70.21	67.53	68.80	63.38	62.05	62.70
2019–20	73.09	70.23	71.60	63.6	61.97	62.78

स्रोतः यूडीआईएसई, शिक्षा मंत्रालय

स्वास्थ्य संकेतक

4.13 2015–16 के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) –4 के अनुसार, शिशु मृत्यु दर (आईएमआर), पांच वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर (यू 5 एमआर) और अजजा (एसटी) के साथ–साथ सभी श्रेणियों की महिलाओं में एनीमिया की स्थिति **ग्राफ 4.4** में दर्शाई गई है। **ग्राफ 4.5** से यह देखा जा सकता है कि शिशु मृत्यु दर, पांच वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर और सभी श्रेणी और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं और बच्चों में एनीमिया की स्थिति में, 2005–06 (एनएफएचएस –3) से 2015–16 (एनएफएचएस –4) में काफी सुधार हुआ है।

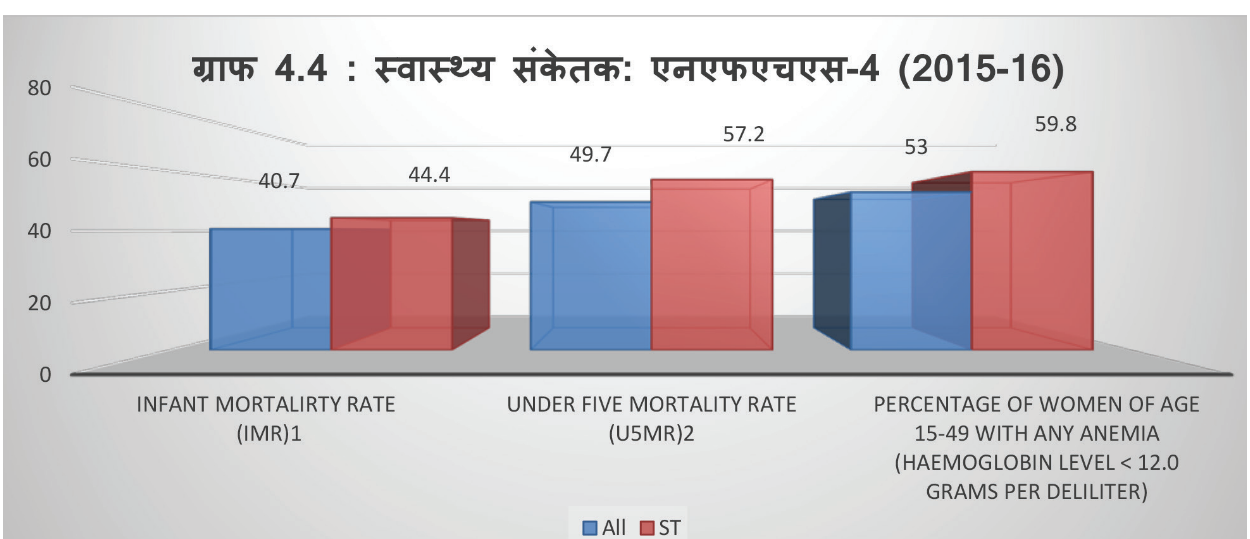

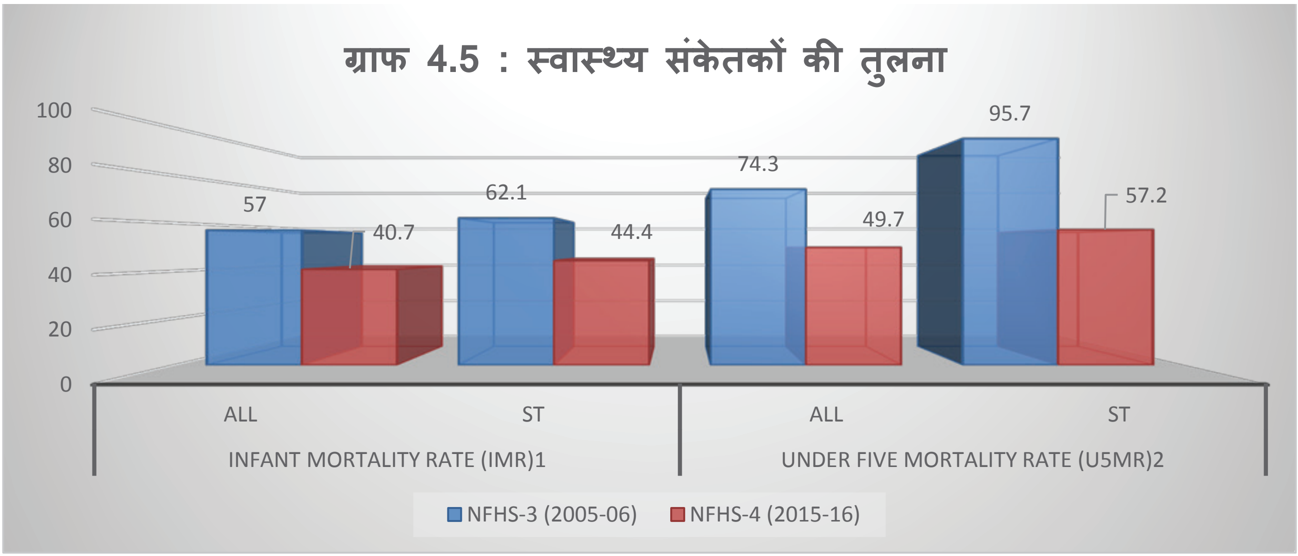

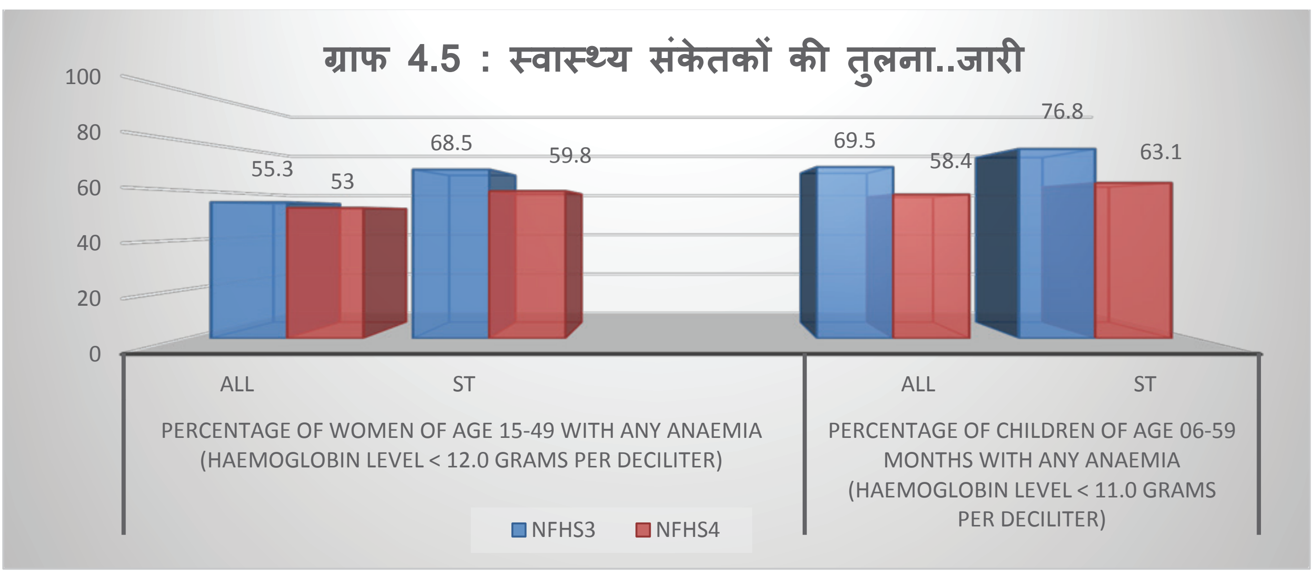

स्रोतः स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

[1]आईएमआर वर्ष के दौरान प्रति 1000 जीवित जन्मों /संतति पर वर्ष के दौरान शिशु मृत्यु की संख्या है।

[2]यू5एमआर प्रति 1000 बच्चों पर वर्ष के दौरान 0–4 वर्ष की आयु के बच्चों की इस आयु वर्ग में मृत्यु की संख्या है

5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की पोषण स्थिति

4.14 एनएफएचएस 3 और एनएफएचएस 4 के आंकड़ों के आधार पर पोषण की स्थिति के अनुसार पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के प्रतिशत को कुपोषित के रूप में इस प्रकार वर्गीकृत किया गया हैः बौना (उम्र के अनुसार ऊंचाई), वेस्टेड (वजन – ऊंचाई के लिए) और कम वजन (अंडर वेट) (वजन – आयु के लिए) **ग्राफ 4.6** में दिया गया है।

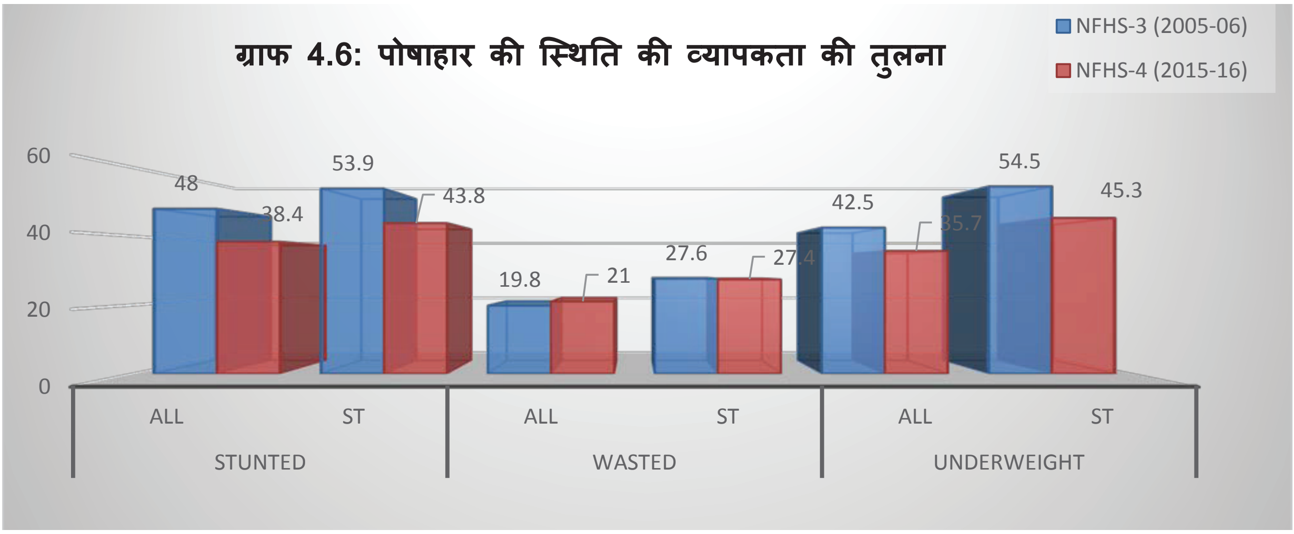

आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष के दौरान अनुसूचित जनजाति के बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार हुआ है, हालांकि, अभी भी महत्वपूर्ण अंतर हैं।

बच्चों का टीकाकरण कवरेज

4.15 अनुसूचित जनजाति और 12–23 महीने की आयु के सभी श्रेणी के बच्चों की स्थिति, जिनका पूर्ण टीकाकरण हो गया है और टीकाकरण नहीं हुआ है, की स्थिति तालिका 4.11 में दी गई है। जब बच्चों को तपेदिक (बीसीजी), डिप्थीरिया की तीन खुराक, काली खांसी (पर्टुसिस), और टेटनस (डीपीटी) का टीका पोलियोमाइलाइटिस (पोलियो) के टीके की तीन खुराकें (जन्म के समय दिए गए पोलियो टीके को छोड़कर); और 12 महीने की उम्र तक खसरे के टीके की एक खुराक लग जाती है, तो उन्हें पूरी तरह से वैक्सीनेटेड माना जाता है।

तालिका 4.11: अनुसूचित जनजाति और 12–23 महीने की आयु के सभी वर्ग के बच्चों का प्रतिशत जिन्होंने पूर्ण टीकाकरण/कोई टीकाकरण प्राप्त नहीं किया

स्रोत	पूर्ण टीकाकरण		कोई टीकाकरण नहीं	
	सभी	एसटी	सभी	एसटी
एनएफएचएस–3 (2005–06)	43.5	31.3	5.1	11.5
एनएफएचएस–4 (2015–16)	62.0	55.8	6.0	9.2

स्रोतः राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस), विभाग एच एंड एफडब्ल्यू

संस्थागत वितरण

4.16 ग्राफ 4.7 में दिए गए आंकड़े बताते हैं कि अनुसूचित जनजातियों के संबंध में संस्थागत प्रसव का प्रतिशत 2005–06 में 17.7% से बढ़कर 2015–16 में 68% हो गया है, जबकि सभी श्रेणियों के आंकड़े 38.7% से 78.9% तक सुधार दिखाते हैं। साथ ही, अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए, 2005–06 से 2015–16 की अवधि के दौरान कुशल स्वास्थ्य कर्मियों की मौजूदगी में डिलिवरी में 25.4% से 71.5% की वृद्धि हुई है। दोनों ही मामलों में, कुल महिलाओं की तुलना में अजजा (एसटी) की महिलाओं के लिए लगभग 10 प्रतिशत अंक का अंतर है।

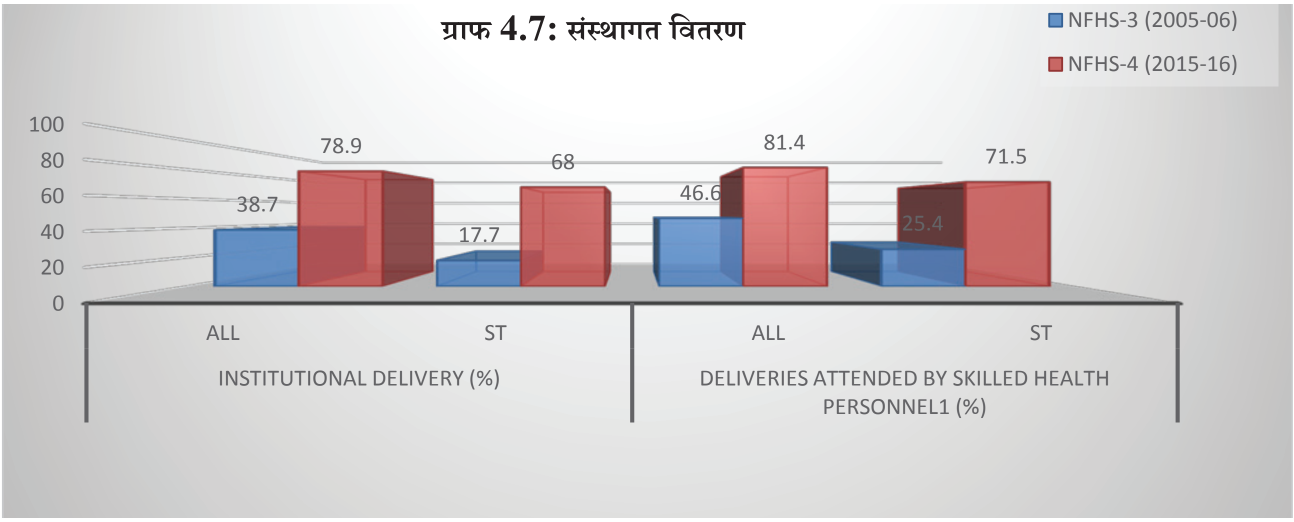

नोटः [1] कुशल स्वास्थ्य कर्मियों में डॉक्टर, एएनएम, नर्स, एलएचवी/मिडवाइफ शामिल है।

जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना

4.17 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रकाशित ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी (आरएचएस) 2019–20 के अनुसार, 31 मार्च, 2020 तक जनजातीय क्षेत्रों में 29745 उप केंद्र (एससी), 4203 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और 1035 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) थे। 2019 की तुलना में 2020 में उप केंद्रों की संख्या में 1063, सीएचसी में 13 की वृद्धि हुई है, जबकि 2019 की तुलना में 2020 में पीएचसी की संख्या में 8 की कमी आई है। अखिल भारतीय स्तर पर 31 मार्च 2020 तक आवश्यकता की तुलना में जनजातीय क्षेत्रों में 6602 उप केन्द्रों, 1371 पीएचसी 375 सीएचसी की कमी हुई है। राज्यवार आंकड़ों से पता चलता है कि मध्य प्रदेश (2408), कर्नाटक (862) और महाराष्ट्र (586) में उप–केंद्रों की संख्या में भारी कमी हुई है।

इसके अलावा, मध्य प्रदेश में 491 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कमी हुई है, इसके बाद राजस्थान में 292 और झारखंड में 269 की कमी हुई है। सीएचसी के मामले में, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कमी (116) है, इसके बाद राजस्थान (57) और महाराष्ट्र (54) का स्थान है। ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे के लिए निर्धारित मानदंडों का उपयोग करके गणना की गई आवश्यकता और इन मानदंडों की तुलना में वर्तमान स्थिति **तालिका 4.12** में दी गई है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार विवरण **अनुलग्नक–4च** में दिया गया है।

तालिका 4.12: ग्रामीण स्वास्थ्य अवसंरचना – मानदंड* और उपलब्धियों का स्तर (अखिल भारतीय)

केंद्र	जनसंख्या मानदंड*		स्थिति (2020)	
	मैदानी क्षेत्र	पहाड़ी/जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र	मैदानी क्षेत्र	पहाड़ी/जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र
उप केंद्र	5,000	3,000	5729	3381
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	30,000	20,000	35730	23930
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	1,20,000	80,000	171779	97178

*किसी विशेष सुविधा (एससी, पीएचसी और सीएचसी) की सेवाओं के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों की संख्या

4.18 31.03.2020 तक ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2019–20 से यह भी पता चलता है कि मध्य प्रदेश में 460 स्वास्थ्य कार्यकर्ता [महिला]/सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम) की कमी है, इसके बाद जनजातीय क्षेत्रों में उप केंद्रों में गुजरात (408) और त्रिपुरा (215) कमी है। इसके अलावा, महाराष्ट्र में 209 स्वास्थ्य कार्यकर्ता [महिला]/एएनएम की कमी है, इसके बाद पीएचसी में पश्चिम बंगाल (130) और ओडिशा (125) की कमी है। विवरण **अनुलग्नक–4छ** और 4ज में दिया गया है।

पीएचसी में 256 नर्सिंग स्टाफ की सबसे ज्यादा कमी ओडिशा में है, इसके बाद महाराष्ट्र (209) और मध्य प्रदेश (107) में कमी हैं। सीएचसी में 198 नर्सिंग स्टाफ की सबसे ज्यादा कमी ओडिशा में है, इसके बाद गुजरात (36) और लद्दाख (33) में कमी हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टरों की कमी छत्तीसगढ़ (182) के जनजातीय क्षेत्रों में सबसे अधिक है, इसके बाद मध्य प्रदेश (66) और झारखंड (48) का स्थान है। विवरण **अनुलग्नक–4झ, 4ञ और 4ट** में दिया गया है।

गरीबी का अनुमान

4.19 पूर्ववर्ती योजना आयोग ने उन वर्षों के लिए गरीबी अनुपात के लिए तेंदुलकर पद्धति पर आधारित अनुमान प्रदान किए, जिसके लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा घरेलू उपभोक्ता व्यय पर बड़े नमूना सर्वेक्षण किए गए हैं। इन अनुमानों के अनुसार, सभी जनसंख्या के लिए 2011–12 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जनजाति के लोग ग्रामीण क्षेत्रों में 45.3% और शहरी क्षेत्रों में 24.1% थे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 13.7% व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे थे। वर्ष 2009–10 और 2011–12 के लिए राज्यवार विवरण **तालिका 4.13** में दिया गया है।

तालिका 4.13: 2009–10 और 2011–12 के दौरान गरीबी रेखा के नीचे अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत (तेंदुलकर पद्धति)

क्र.सं.	राज्य	ग्रामीण		शहरी	
		2009–10	2011–12	2009–10	2011–12
1	**आंध्र प्रदेश**	**40.2**	**24.1**	**21.2**	**12.1**
2	असम	32.0	33.4	29.2	15.6
3	बिहार	64.4	59.3	16.5	10.3
4	छत्तीसगढ	66.8	52.6	28.6	35.2
5	गुजरात	48.6	36.5	32.2	30.1
6	हिमाचल प्रदेश	22.0	9.5	19.6	4.0
7	जम्मू और कश्मीर	3.1	16.3	15.0	3.0
8	झारखंड	51.5	51.6	49.5	28.7
9	कर्नाटक	21.3	30.8	35.6	33.7
10	केरल	24.4	41.0	5.0	13.6
11	मध्य प्रदेश	61.9	55.3	41.6	32.3

क्र.सं.	राज्य	ग्रामीण		शहरी	
		2009–10	2011–12	2009–10	2011–12
12	महाराष्ट्र	51.7	61.6	32.4	23.3
13	ओडिशा	66.0	63.5	34.1	39.7
14	राजस्थान	35.9	41.4	28.9	21.7
15	तमिलनाडु	11.5	36.8	17.6	2.8
16	उत्तर प्रदेश	49.8	27.0	20.2	16.3
17	उत्तराखंड	20.0	11.9	0	25.7
18	पश्चिम बंगाल	32.9	50.1	20.6	44.5
	अखिल भारतीय	**47.4**	**45.3**	**30.4**	**24.1**

भूमि जोत (होल्डिंग)

4.20 कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा की गई कृषि जनगणना, 2015–16 के आधार पर पता चलता है कि सभी आकारों के संबंध में जोतों की कुल संख्या 146,454 हजार है। इनमें 12,669 हजार (8.7%) अनुसूचित जनजाति के हैं। कुल क्षेत्रफल में संचालित क्षेत्र का प्रतिशत अर्ध–मध्यम श्रेणी (26.72%) में अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे अधिक है। अनुसूचित जनजाति के संबंध में बड़ी श्रेणी के लिए प्रति जोत औसत संचालित क्षेत्र 15.11 प्रतिशत है और सीमांत वर्ग के लिए यह 0.48% है। कृषि जनगणना 2015–16 के अनुसार जोत और संचालित क्षेत्र का वितरण – सभी सामाजिक समूहों और अनुसूचित जनजातियों को **तालिका 4.14** में दिया गया है।

तालिका 4.14: कृषि जनगणना 2015–16 के अनुसार जोत और संचालित क्षेत्र का वितरण – सभी और अनुसूचित जनजातियाँ (एसटी)

आकार समूह	होल्डिंग्स की संख्या ('000 में)		संचालित क्षेत्र ('000 हेक्टेयर में)		कुल जोतों में जोत का प्रतिशत		कुल क्षेत्रफल में संचालित क्षेत्र का प्रतिशत		प्रति जोत औसत संचालित क्षेत्र (हे.)	
	सभी	अनु.जन जाति	सभी	अनु. जनजाति	सभी	अनु. जनजाति	सभी	अनु. जनजाति	सभी	अनु.जन जाति
सीमांत (1.00 हे. से नीचे।)	100251	7127	37923	3413	68.45	56.26	24.03	19.19	0.38	0.48
छोटा (1.00 – 2.00 हेक्टेयर)	25809	2972	36151	4202	17.62	23.46	22.91	23.63	1.40	1.41
अर्ध–मध्यम (2.00 – 4.00 हेक्टेयर।)	13993	1771	37619	4752	9.55	13.98	23.84	26.72	2.69	2.68
मध्यम (4.00 – 10.00 हेक्टेयर)	5561	704	31810	3984	3.80	5.56	20.16	22.40	5.72	5.66
बड़ा (10.00 हेक्टेयर और अधिक)	838	95	14314	1434	0.57	0.75	9.07	8.06	17.07	15.11
कुल*	**146454**	**12669**	**157817**	**17784**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**1.08**	**1.40**

स्रोतः कृषि जनगणना, 2015–16

*पूर्णांकन के कारण कुल मिलान नहीं हो सकता है।

4.21 परिवारों का उच्चतम अनुपात भूमि जोतों की सीमांत श्रेणी (सभी के लिए 68.45%, अनुसूचित जनजाति के लिए 56.26%) और परिवारों का सबसे कम अनुपात बड़ी जोत (0.57% सभी के लिए, 0.75% अनुसूचित जनजाति के लिए) से संबंधित है। यह पैटर्न सभी घरेलू सामाजिक समूहों में देखा जाता है।

कृषि जनगणना, 2015–16 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लिए परिचालन जोतों की संख्या का राज्यवार प्रतिशत वितरण **अनुबंध – 4ठ** में दिया गया है।

रोजगार

श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर)

4.22 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, एमओएसपीआई द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, 2017–18 से 2019–20 के दौरान अनुसूचित जनजाति और सभी के बीच सामान्य स्थिति (पीएस़एसएस) में श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) (प्रतिशत में)– **तालिका 4.15** में दिए गए हैं। वर्ष 2019–20 के लिए अनुसूचित जनजाति और सभी के लिए सामान्य स्थिति (पीएस़एसएस) के अनुसार एलएफपीआर (प्रतिशत में) **ग्राफ 4.8** में दिखाया गया है।

तालिका 4.15: 2017–18 से 2019–20 तक अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और सभी के लिए सामान्य स्थिति (पीएस़एसएस) के अनुसार श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर)

(आंकड़े % में)

सामाजिक समूह	ग्रामीण			शहरी			ग्रामीण+ शहरी		
	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति
पीएलएफएस (2019–20)									
अनुसूचित जनजाति	57.4	38.0	47.9	56.3	25.6	41.3	57.2	36.5	47.1
सभी	56.3	24.7	40.8	57.8	18.5	38.6	56.8	22.8	40.1
पीएलएफएस (2018–19)									
अनुसूचित जनजाति	57.3	28.7	43.3	54.3	18.4	36.5	57	27.6	42.5
सभी	55.1	19.7	37.7	56.7	16.1	36.9	55.6	18.6	37.5
पीएलएफएस (2017–18)									
अनुसूचित जनजाति	56.6	27.6	42.5	53.6	18.4	36.6	56.3	26.6	41.8
सभी	54.9	18.2	37.0	57.0	15.9	36.8	55.5	17.5	36.9

स्रोतः पीएलएफएस 2019–20, एनएसओ, एमओएसपीआई

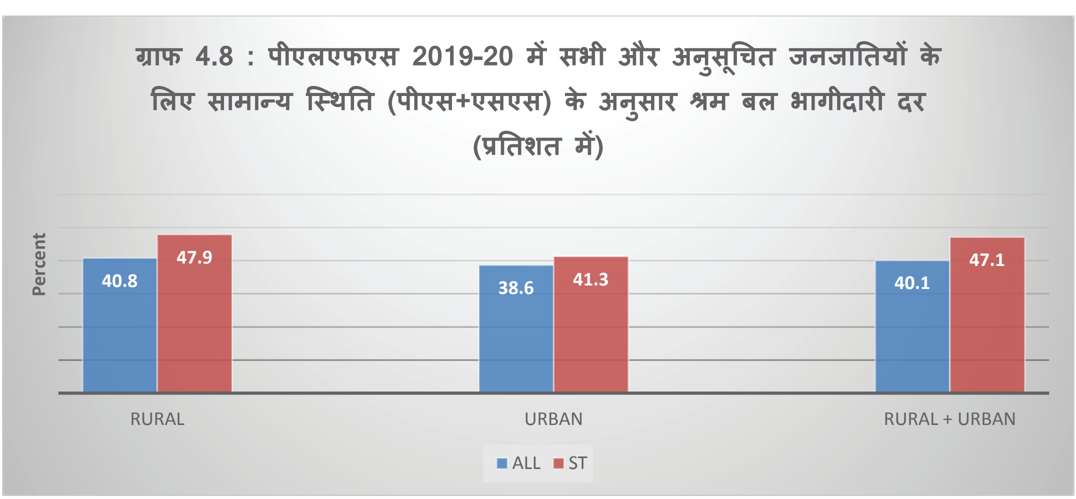

श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर)

4.23 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों के बीच 2017–18 से 2019–20 के दौरान अनुसूचित जनजाति और सभी के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) (प्रतिशत में) सामान्य स्थिति में (पीएस़एसएस) **तालिका 4.16** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 4.16: 2017–18 से 2019–20 तक अनुसूचित जनजातियॉ (एसटी) और सभी के लिए सामान्य स्थिति (पीएस+एस) के अनुसार श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर)

(आंकड़े % में)

सामाजिक समूह	ग्रामीण			शहरी			ग्रामीण. शहरी		
	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति
पीएलएफएस (2019–20)									
अनुसूचित जनजाति	55.2	37.3	46.4	52.3	23.6	38.2	54.9	35.7	45.5
सभी	53.8	24	39.2	54.1	16.8	35.9	53.9	21.8	38.2
पीएलएफएस (2018–19)									
अनुसूचित जनजाति	54.8	28	41.6	48.6	15.8	32.3	54.1	26.7	40.6
सभी	52.1	19	35.8	52.7	14.5	34.1	52.3	17.6	35.3
पीएलएफएस (2017–18)									
अनुसूचित जनजाति	53.8	27	40.8	49.9	17	33.9	53.4	25.9	40
सभी	51.7	17.5	35	53	14.2	33.9	52.1	16.5	34.7

स्रोतः पीएलएफएस 2019–20, एनएसओ, एमओएसपीआई

बेरोजगारी दर (यूआर)

4.24 बेरोजगारी दर उन व्यक्तियों के अनुपात को दर्शाती है जो काम के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन संदर्भ अवधि के दौरान काम नहीं मिला। 2017–18 से 2019–20 के दौरान अनुसूचित जनजाति और सभी के बीच सामान्य स्थिति में यूआर (प्रतिशत में) **तालिका 4.17** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 4.17: अनुसूचित जनजाति (एसटी) और 2017–18 से 2019–20 तक सभी के लिए सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार बेरोजगारी दर (यूआर)

(आंकड़े % में)

सामाजिक समूह	ग्रामीण			शहरी			ग्रामीण शहरी		
	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति
पीएलएफएस (2019–20)									
अनुसूचित जनजाति	3.7	1.8	3	7.1	8	7.3	4.1	2.3	3.4
सभी	4.5	2.6	4	6.4	8.9	7	5.1	4.2	4.8
पीएलएफएस (2018–19)									
अनुसूचित जनजाति	4.4	2.4	3.8	10.5	14.4	11.5	5	3.3	4.5
सभी	5.6	3.5	5	7.1	9.9	7.7	6	5.2	5.8
पीएलएफएस (2017–18)									
अनुसूचित जनजाति	4.9	2.2	4	7	7.6	7.1	5.1	2.6	4.3
सभी	5.8	3.8	5.3	7.1	10.8	7.8	6.2	5.7	6.1

स्रोतः पीएलएफएस 2019–20, एनएसओ, एमओएसपीआई

सामान्य प्रधान स्थिति (यूपीएस) की परिभाषाः यूपीएस दृष्टिकोण सर्वेक्षण की तारीख से पहले के 365 दिनों के दौरान किसी व्यक्ति की गतिविधि की स्थिति से संबंधित है। गतिविधि की स्थिति जिस पर किसी व्यक्ति ने अवधि के दौरान अपेक्षाकृत अधिक समय (183 दिन या अधिक) बिताया है, उस व्यक्ति की सामान्य प्रमुख गतिविधि स्थिति मानी जाती है।

सामान्य प्रिंसिपल और सहायक स्थिति (यूपीएसएस): सामान्य प्रधान और सहायक स्थिति दृष्टिकोण मूल स्थिति दृष्टिकोण का विस्तार है। यदि कोई व्यक्ति पिछले 365 दिनों के दौरान 30 दिनों या उससे अधिक की अवधि के लिए किसी भी आर्थिक गतिविधि में संलग्न है, तो इस दृष्टिकोण के तहत एक व्यक्ति को नियोजित माना जाता है।

भारत में अनुसूचित जनजाति आबादी के विरूद्ध किए गए अपराध

4.25 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, गृह मंत्रालय, मध्य प्रदेश (2401 मामले) ने अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के विरूद्ध अत्याचार के सबसे अधिक मामले दर्ज किए, जो अनुसूचित जनजाति के विरूद्ध कुल अपराध का 15.7% है, इसके बाद राजस्थान का स्थान है। 2020 के दौरान 1898 मामलों (20.3%) और ओडिशा में 624 मामलों (6.5%) के साथ है। राज्य / संघ राज्य–क्षेत्र वार विवरण **अनुबंध – 4ङ** में दिया गया है। 2019 से 2020 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध अपराधों के तुलनात्मक आंकड़े नीचे **तालिका 4.18** में दिए गए हैं।

तालिका 4.18: अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराध/अत्याचार

अपराध शीर्ष	अपराध की घटनाएं		अपराध दर	
	2019	2020	2019	2020
अनुसूचित जनजाति के विरूद्ध अत्याचार	7570	8272	7.2	7.9

अपराध शीर्ष–वार मामलों से पता चला कि 2020 के दौरान 'साधारण चोट' (2247 मामले) में अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के विरूद्ध अपराधों/अत्याचारों के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए, जो 27.2% है इसके बाद 'बलात्कार' के साथ 13.7% (1137 मामले) है और शील भंग करने के इरादे से महिलाओं पर हमला हुआ के 885 मामले, (10.7%) है।

केंद्रित हस्तक्षेपों के लिए पहचाने गए जिले और प्राथमिकता वाले जिले

4.26 अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के कल्याण और विकास के लिए एक केंद्रित तरीके से हस्तक्षेप की योजना बनाने के लिए, 177 प्राथमिकता वाले जिलों की पहचान की गई है और उन्हें नीचे इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है:

- **प्राथमिकता 1**: वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित 14 जिलों सहित 50% या अधिक एसटी आबादी वाले 94 जिले।
- **प्राथमिकता 2**: 69 जिलों जिनमें 25% लेकिन <50% अनुसूचित जनजाति आबादी है जिसमें 7 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले शामिल हैं।
- **प्राथमिकता 3**: शेष 14 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में <25% अनुसूचित जनजाति आबादी

अनुसूचित जनजाति के 58% (6.10/10.45 करोड़) प्राथमिकता वाले 1 और 2 जिलों में निवास करते हैं, अर्थात 163 (94+69) जिलों में 25% से अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी है। 177 प्राथमिकता वाले जिलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **अनुबंध– 4ढ** में दिया गया है।

प्रमुख अनुसूचित जनजाति समुदाय

4.27 देश के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में फैले 700 से अधिक अनुसूचित जनजाति समुदाय हैं। अनुसूचित जनजाति आबादी के भीतर, कुछ अनुसूचित जनजाति समुदाय प्रत्येक राज्य में 5% से अधिक आबादी की गणना करते हैं। इनकी पहचान की गई है और इन्हें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अनुसार संकलित किया गया है। 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में, 700 से अधिक अनुसूचित जनजाति समुदायों में से, 111 समुदायों की गणना प्रत्येक 5% (संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति आबादी का) है। इन 111 समुदायों की संख्या 803.25 लाख है, यानी कुल अनुसूचित जनजाति आबादी का 76.8% है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार विवरण **अनुलग्नक–4ण** में दिया गया है।

अध्याय 5

अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित क्षेत्र

अनुसूचित जनजातियाँ

5.1 भारत के संविधान के अनुच्छेद 366(25) में अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख उन समुदायों के रुप में किया गया है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित हैं। इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि केवल वे समुदाय जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा प्रारंभिक लोक अधिसूचना के जरिए अथवा संसद के अधिनियम में अनुवर्ती संशोधन के जरिए इस प्रकार घोषित किया गया है, को अनुसूचित जनजातियॉ माना जाएगा।

5.2 अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विशेष है और किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में किसी समुदाय को यदि अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया हो तो यह जरूरी नहीं कि दूसरे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में भी उस समुदाय को अनुसूचित जाति माना जाए।

5.3 अनुसूचित जनजातीय समुदाय देश के लगभग 15: क्षेत्रों में, विभिन्न पारिस्थितिकीय और भौगोलिक जलवायु के हालातों में मैदानों और जंगलों से लेकर पहाड़ों तक में रहते हैं। जनजातीय समूह सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के विभिन्न चरणों में हैं। जबकि कुछ जनजातीय समुदायों ने जीवन की मुख्यधारा की शैली अपना ली है वहीं दूसरी ओर 75 ऐसे समूह हैं जिन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी संक्षेप में) के रूप में जाना जाता है, जिन्हें पहले आदिम जनजातीय समूह कहा जाता था, जिनकी विशेषताओं को पीवीटीजी के संरक्षण और विकास की योजना में सेक्शन के अंतर्गत शामिल किया गया है।

प्रमुख जनजातियां

5.4 भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत 700 से अधिक अनुसूचित जनजातियां अधिसूचित हैं, जो देश के विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में फैली हुई हैं। अनेक जनजातियां एक से अधिक राज्यों में मौजूद हैं। अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित समुदायों की सबसे अधिक संख्या ओडिशा राज्य में अर्थात् 62 है।

जनजातियों का अनुसूचीकरण एवं वि–अनुसूचीकरण (डी–शेड्यूलिंग) :

5.5 "अनुसूचित जनजातियां" शब्द की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 366 (25) में इस प्रकार की गई है, "ऐसी जनजाति या जनजातीय समुदाय या इन जनजातियों या जनजातीय समुदायों का भाग या उनके समूह के रूप में, जिन्हें इस संविधान के उद्देश्यों के लिए अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियां माना गया है" अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों के विनिर्देशन के मामले में अनुसरण किए जाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

5.6 संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड (1) के अधीन राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र, तथा जहां यह एक राज्य है, उसके राज्यपाल के परामर्श से जनजातियों या जनजातीय समुदायों या इनके भागों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित कर

सकते हैं। इससे जनजाति या इसके भाग को संविधान में किए गए रक्षोपायों के प्रावधान का आह्वान करते हुए उनके संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है।

5.7 अनुच्छेद 342 का खण्ड (2) संसद को किसी जनजाति या जनजातीय समुदाय या इनके भागों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने (समावेशन) या शामिल नहीं करने (अपवर्जन) के लिए कानून पारित करने की शक्तियां प्रदान करता है।

5.8 इस प्रकार, किसी विशेष राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजातियों का पहला विनिर्देश संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति के अधिसूचित आदेश द्वारा होता है। राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों से संबंधित अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने वाले आदेशों/अधिनियमों की सूची **अनुलग्नक–5 क** में दी गई है। राष्ट्रपति के आदेशों को संसद के अधिनियमों द्वारा संशोधित किया गया है।

5.9 किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट करने के लिए अनुसरण किए जाने वाले मानदंड हैं–

- आदिम (प्रारंभिक) लक्षणों के संकेत
- विशिष्ट संस्कृति
- भौगोलिक एकाकीपन
- बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ सम्पर्क में झिझक, तथा
- पिछड़ापन

5.10 इन मानदंडों का उल्लेख संविधान में नहीं है, परन्तु ये सुस्थापित और स्वीकृत हो चुके हैं। यह 1931 की जनगणना, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग (कालेलकर),1955, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची के संशोधन संबंधी सलाहकार समिति (लोकुर समिति), 1965 तथा अनुसूचित जातियॉ तथा अनुसूचित जनजातियों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के आदेश (संशोधन) विधेयक 1967 और चंदा समिति, 1969 में उल्लिखित परिभाषाओं को ध्यान में रखा जाता है।

5.11 अनुसूचित जनजातियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार सूची **अनुलग्नक–5 ख** में दी गई है। हरियाणा और पंजाब राज्यों तथा चंडीगढ़ और दिल्ली संघ राज्यक्षेत्रों में किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

व्यक्तियों की अनुसूचित जनजाति की स्थिति का पता लगाना

5.12 जहां कोई व्यक्ति जन्म से अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करता है वहां यह प्रमाणित किया जाना चाहिए:–

(i) कि वह व्यक्ति या उसके माता–पिता दावा किए गए समुदाय से वास्तविक रूप से संबंधित हैं:

(ii) कि वह समुदाय अपने संबंधित राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने वाले राष्ट्रपति के आदेश में शामिल है;

(iii) कि वह व्यक्ति उस राज्य तथा उस राज्य के अंतर्गत उस क्षेत्र से संबंधित है जिसका समुदाय अनुसूचित किया गया है;

(iv) कि वह या उसके माता–पिता/दादा–दादी आदि उसके मामले में लागू, राष्ट्रपति के आदेश को अधिसूचित करने की तारीख को उस राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के स्थायी निवासी होने चाहिए।

(v) वह किसी भी धर्म का अनुयायी हो सकता है;

5.13 वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा लागू आदेश की अधिसूचना जारी होने के समय अपने स्थायी निवास स्थान से अस्थाई रूप से अर्थात् उदाहरण के लिए

जीविकोपार्जन या शिक्षा प्राप्त करने आदि के कारण दूर होता है तो उसके मामले में उसे भी अनुसूचित जनजाति के रूप में माना जा सकता है, यदि उसकी जनजाति समुदाय को उस आदेश में उसके राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में विनिर्दिष्ट किया गया है। परन्तु इस तथ्य के बावजूद कि उस राज्य में जहां वह अस्थायी रूप से बस गया है, के संबंध में उसकी जनजाति के नाम को राष्ट्रपति के किसी आदेश में अधिसूचित किया गया है, उसके अस्थाई निवास के संबंध में उसे राष्ट्रपति के उक्त आदेश में शामिल नहीं माना जा सकता है।

5.14 प्रांसगिक राष्ट्रपति आदेश के अधिसूचित होने की तारीख के पश्चात् पैदा हुए लोगों के मामले में, अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त करने के उद्देश्य हेतु वह निवास स्थान जिसके तहत उन्होंने इस प्रकार की जनजाति होने का दावा किया है, राष्ट्रपति आदेश के अधिसूचित होने के समय उनके माता–पिता का स्थायी निवास स्थान था। यह लक्षद्वीप अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता है, जिनके लिए अनुसूचित जनजाति के दर्जे की पात्रता के लिए इस संघ शासित क्षेत्र में जन्म होना अपेक्षित होता है।

5.15 एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के बाद (माइग्रेशन) अनुसूचित जनजाति का दावा

(i) यदि एक व्यक्ति राज्य के उस भाग जिसके संबंध में उसका समुदाय अनुसूचित है, से उसी राज्य के दूसरे भाग जिसके संबंध में वह समुदाय अनुसूचित नहीं है, में चला जाता है तो वह व्यक्ति उस राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य समझा जाता रहेगा।

(ii) यदि एक व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में चला जाता है तो वह केवल अपने मूल राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा कर सकता है और उस राज्य के संबंध में नहीं कर सकता जिसमें वह बस (माइग्रेशन) गया है।

विवाह के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के दावे

5.16 इस संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत यह है कि कोई भी व्यक्ति जो जन्म से अनुसूचित जनजाति का नहीं है, उसे केवल इसलिए अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं माना जाएगा कि उसने एक अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति से विवाह कर लिया है। इसी प्रकार, कोई व्यक्ति जो किसी अनुसूचित जनजाति का सदस्य है वह अपनी शादी उस व्यक्ति जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं है, के साथ हो जाने के बाद भी अनुसूचित जनजाति का सदस्य बना रहेगा।

अनुसूचित जनजाति प्रमाण–पत्र जारी करना

5.17 अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्राधिकारियों में से किसी प्राधिकारी द्वारा या संबंधित राज्य सरकारों द्वारा यथा निर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति प्रमाण–पत्र जारी किए जा सकते हैं:

उचित सत्यापन के बिना अनुसूचित जनजाति के प्रमाण–पत्र जारी करने वाले अधिकारियों के लिए दंड

5.18 यदि किसी अधिकारी के संबंध में यह पता चलता है कि उसने अनुसूचित जनजाति प्रमाण–पत्र असावधानीपूर्वक तथा बिना उचित सत्यापन के जारी कर दिया है, तो भारतीय दंड संहिता के संगत प्रावधानों के अंतर्गत उसके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। यह उन पर लागू उपयुक्त अनुशासनिक नियमों के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाई के अलावा होगी।

अन्य राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से आए प्रवासियों को अनुसूचित जनजाति के प्रमाण–पत्र जारी करने की प्रक्रिया को उदार बनाना

5.19 किसी अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति जो एक राज्य से दूसरे राज्य में रोजगार, शिक्षा आदि के उद्देश्य से आए हैं, वे उस राज्य से प्रमाण–पत्र

प्राप्त करने में बहुत कठिनाई का अनुभव करते हैं जहां से वे आए हैं। इस कठिनाई को दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि एक राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन का निर्धारित प्राधिकारी उसके माताधपिता के मूल राज्य के निर्धारित प्राधिकारी द्वारा उसके माता/पिता को जारी किए गए वास्तविक प्रमाण–पत्र को प्रस्तुत करने पर उस परिस्थिति को छोड़कर जिसमें वह निर्धारित प्राधिकारी यह महसूस करता है कि प्रमाण–पत्र जारी करने से पूर्व मूल राज्य के माध्यम से विस्तृत जांच आवश्यक है, उस व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण–पत्र जारी कर सकता है जो एक अन्य राज्य से आया है। यह प्रमाण–पत्र इसका ध्यान किए बिना जारी कर दिया जाएगा कि वह संबंधित जनजाति उस राज्य/संघ राज्यक्षेत्र जिससे वह व्यक्ति आया है, में अनुसूचित है अथवा नहीं। तथापि, वे उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लाभों के पात्र नहीं होंगे जहां वे स्थानांतारित हुए हैं।

अनुसूचित जनजातियों के विनिर्दिष्ट आदेशों में समावेशन, उससे अपवर्जन तथा अन्य संशोधनों हेतु दावों के निर्धारण के लिए प्रविधियां

5.20 जून, 1999 में सरकार ने अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में शामिल करने (समावेशन) और शामिल नहीं करने (अपवर्जन) संबंधी दावों के निर्णय के लिए प्रविधियों को अनुमोदित किया जिन्हें 25.6.2002 को पुनरू संशोधित किया गया। इन अनुमोदित प्रविधियों के अनुसार, केवल उन दावों पर विचार किया जाएगा जिन पर राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, भारत के महापंजीयक (आरजीआई) तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) (जो अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है) की सहमति होगी। जब कभी किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी समुदाय को शामिल करने (समावेशन)/से अपवर्जन के लिए मंत्रालय में अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं तो मंत्रालय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत आवश्यकतानुसार संबधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को उस अभ्यावेदन को सिफारिश के लिए भेज देता है। यदि संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र उस प्रस्ताव की सिफारिश करती है तो उसे भारत के महापंजीयक को भेज दिया जाता है। यदि भारत के महापंजीयक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र की सिफारिश से संतुष्ट होते हैं तो वह उस प्रस्ताव को केन्द्र सरकार को भेज देते हैं। तत्पश्चात, सरकार उस प्रस्ताव को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को सिफारिश के लिए भेजती है। यदि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी सिफारिश कर देता है तो उस मामले पर मंत्रिमंडल के निर्णय के लिए कार्यवाही की जाती है। उसके बाद मामले को राष्ट्रपति के आदेश को संशोधित करने के लिए एक विधेयक के रूप में संसद के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है। अनुसूचित जनजातियों को शामिल करने (समावेशन)/अपवर्जन के मामले जिसका राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र अथवा आरजीआई, अथवा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग समर्थन नहीं करते, निरस्त कर दिए जाते हैं।

अनुसूचित क्षेत्र

5.21 अनुसूचित जनजातियां अधिकाशंतरू अन्य समुदायों के विपरीत समीपवर्ती क्षेत्रों में रहती हैं। इसलिए उनके हितों की रक्षा करने के लिए विकास संबंधी कार्यकलापों तथा विनियामक संबंधी प्रावधानों के लिए क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण रखना अधिक आसान होता है। अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करने के लिए भूमि तथा अन्य सामाजिक मुद्दों के संबंध में संविधान की पांचवी अनूसूची तथा छठी अनुसूची में विभिन्न प्रावधान दिए गए हैं।

पांचवीं अनुसूची

5.22 संविधान के अनुच्छेद 244 (1) के तहत 5वीं अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के अलावा अनुसूचित क्षेत्रों

के प्रशासन से संबंधित प्रावधान निहित हैं। संविधान की 5वीं अनुसूची के भाग—ग के सेक्शन 6 के प्रावधान निम्नानुसार हैंः

"अनुसूचित क्षेत्र— (1) इस संविधान में "अनुसूचित क्षेत्र" पद से ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र होना घोषित करे।

(2) राष्ट्रपति किसी भी समय आदेश द्वारा —

(क) निदेश दे सकेगा कि कोई संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र या उसका कोई निर्दिष्ट भाग अनुसूचित क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र का भाग नहीं रहेगा;

(कक) किसी राज्य के किसी अनुसूचित क्षेत्र को उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात बढ़ा सकेगा;

(ख) किसी अनुसूचित क्षेत्र में केवल सीमाओं का परिशोधन करके ही परिवर्तन कर सकेगा;

(ग) किसी राज्य की सीमाओं के किसी परिवर्तन पर या संघ में किसी नये राज्य के शामिल होने पर या नये राज्य की स्थापना पर ऐसे किसी क्षेत्र को, जो पहले से किसी राज्य में सम्मिलित नहीं है, अनुसूचित क्षेत्र या उसका भाग घोषित कर सकेगा;

(घ) किसी राज्य या राज्यों के संबंध में, इस पैराग्राफ के अधीन किए गए आदेश या आदेशों को रद्द कर सकेंगे और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके उन क्षेत्रों को, जो अनुसूचित क्षेत्र होंगे, पुनः परिभाषित करने के लिए नए आदेश कर सकेगा;

और ऐसे किसी आदेश में ऐसे आनुषंगिक और परिणामिक उपबंध हो सकेंगे, जो राष्ट्रपति को आवश्यक और उचित प्रतीत हों, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय इस पैरा के उप—पैरा (1) के अधीन किए गए आदेश में किसी पश्चवर्ती आदेश द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा।"

अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा के लिए मानक

5.23 पांचवीं अनुसूची के अधीन किसी क्षेत्र को 'अनुसूचित क्षेत्र' के रूप में घोषित करने के लिए मानदंड निम्नलिखित हैं—

(i) जनजातीय जनसंख्या का बाहुल्य,

(ii) सघनता तथा क्षेत्र का औचित्यपूर्ण आकार,

(iii) व्यवहार्य प्रशासनिक अस्तित्व जैसे जिला, ब्लाक या तालुका हो, तथा

(iv) निकटवर्ती क्षेत्रों की तुलना में क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन।

अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा के लिए उपर्युक्त मानक संविधान में इस रूप में सूचित नहीं किए गए हैं, परंतु ये सुस्थापित हो गए हैं।

अनुसूचित क्षेत्रों की कवरेज

5.24 वर्तमान में आंध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित), छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा तथा राजस्थान राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। अनुसूचित क्षेत्रों की राज्य—वार सूची **अनुलग्नक—5 ग** में दी गई है।

अनुसूचित क्षेत्रों के लिए लागू कानून

5.25 संविधान की 5वीं अनुसूची के पैरा 5 के प्रावधान, जो अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य के राज्यपाल से संबंधित है निम्नानुसार दिए गए हैं :

"(1) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि संसद का या उस राज्य के विधान मंडल का कोई विशिष्ट अधिनियम उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए लागू नहीं होगा अथवा उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते

हुए लागू होगा, जो वह अधिसूचना में निर्दिष्ट करे और इस उप–पैरा के अधीन दिया गया कोई निदेश इस प्रकार दिया जा सकेगा कि उसका पूर्वव्यापी प्रभाव हो।

(2) राज्यपाल राज्य में किसी ऐसे क्षेत्र की शांति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा, जो तत्समय अनुसूचित क्षेत्र है।

विशिष्टतया और उसके पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियम –

(क) ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनमें भूमि के अंतरण का निषेध या प्रतिबंधित कर सकेंगे;

(ख) ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को भूमि के आवंटन का विनियमन कर सकेंगे;

(ग) ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को धन उधार देते हैं, साहूकार के रूप में कारोबार करने का विनियमन कर सकेंगे।

(3) ऐसे किसी विनियम को बनाने में जो इस पैरा के उप–पैरा (2) में निर्दिष्ट हैं, राज्यपाल, संसद के या उस राज्य के विधानमंडल के अधिनियम का या किसी विद्यमान विधि का, जो प्रश्नगत क्षेत्र में तत्समय लागू है, निरसन या संशोधन कर सकेगा।

(4) इस पैरा के अधीन बनाए गए सभी विनियम राष्ट्रित के समक्ष तुरंत प्रस्तुत किए जाएंगे और जब तक उन पर अनुमति प्राप्त नही होती, तब तक उनका कोई प्रभाव नहीं होगा।

(5) इस पैरा के अधीन कोई विनियमन तब तक नहीं बनाया जाएगा, जब तक विनियम बनाने वाले राज्यपाल ने जनजातीय सलाहकार परिषद वाले राज्य ने ऐसी परिषद से परामर्श नहीं कर लिया हो।

राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा रिपोर्ट

5.26 संविधान की 5वीं अनुसूची के भाग क, पैरा 3 के प्रावधानों के अनुसरण में ऐसे प्रत्येक राज्य के राज्यपाल जिसमें अनुसूचित क्षेत्र हैं, प्रति वर्ष या जब भी राष्ट्रपति इस प्रकार अपेक्षा करे, उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देंगे और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य के उक्त क्षेत्र के प्रशासन के बारे में निदेश देने तक होगा।

5.27 संवैधानिक प्रावधान के अनुसार, अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान तथा तेलंगाना को वार्षिक रूप से राज्यपाल की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

जनजातीय सलाहकार परिषद

5.28 5वीं अनुसूची के भाग ख, पैरा 4 के प्रावधान के अनुसार, ऐसे प्रत्येक राज्य में, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र है और यदि राष्ट्रपति ऐसा निदेश दे तो, किसी ऐसे राज्य में भी जिसमें अनुसूचित जनजातियां हैं, किन्तु अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं, एक जनजातीय सलाहकार परिषद (टीएसी) स्थापित की जाएगी, जिसमें 20 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिनमें से यथासंभव लगभग तीन चौथाई उस राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होंगे। जनजातीय सलाहकार परिषद का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह दे, जो उसको राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं।

5.29 अनुसूचित क्षेत्रों वाले सभी राज्यों में जनजातीय सलाहकार परिषदें (टीएसी) गठित कर ली गई हैं। यद्यपि तमिलनाडु, उत्तराखंड तथा पश्चिम बंगाल में कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं, उन्होंने भी टीएसी का गठन कर लिया है।

अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा के लिए अधिसूचना

5.30 इस समय निम्नलिखित आदेश अपने मूल रूप या संशोधित रूप में लागू हैं :

क्रम सं.	आदेश का नाम	अधिसूचना की तारीख	राज्य (राज्यों) का नाम जिसके लिए लागू है
1	अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश, 1950 (सी.ओ.9)	26.01.1950	तेलंगाना सहित आंध्र प्रदेश
2	अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश, 1950 (सी.ओ.26)	7.12.1950	तेलंगाना सहित आंध्र प्रदेश
3	मद्रास अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश, 1951 (सी.ओ.30)	02.06.1951	आंध्र प्रदेश
4	आंध्र अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश, 1955 (सी.ओ.50)	09.09.1955	आंध्र प्रदेश
5	अनुसूचित क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश) आदेश, 1975 (सी.ओ.102)	21.11.1975	हिमाचल प्रदेश
6	अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्य) आदेश, 1977 (सी.ओ.109)	31.12.1977	गुजरात और ओडिशा
7	अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 1981 (सी.ओ.114)	12.02.1981	राजस्थान
8	अनुसूचित क्षेत्र (महाराष्ट्र) आदेश, 1985 (सी.ओ.123)	02.12.1985	महाराष्ट्र
9	अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखंड तथा मध्य प्रदेश) आदेश, 2003 (सी.ओ.192)	20.02.2003	छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश
10	अनुसूचित क्षेत्र (झारखंड राज्य) आदेश, 2007 (सी.ओ.229)	11.04.2007	झारखंड
11	अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 2018 (सी.ओ. 270)	19.05.2018	राजस्थान

5.31 मध्य प्रदेश और बिहार राज्यों का पुनर्गठन क्रमशः मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 तथा बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों का एक भाग नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य को अंतरित हो गया और इसी प्रकार संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र मूल बिहार राज्य से झारखंड को अंतरित हो गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नवगठित राज्यों के अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत उपलब्ध लाभ प्राप्त होते रहेंगे, इसलिए 31 दिसम्बर, 1977 को जारी अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा) आदेश, 1977 (सी.ओ.109), जहां तक कि यह बिहार और मध्य प्रदेश के पूरे राज्यों से संबंधित हैं, को संशोधित करना आवश्यक हो गया था। राष्ट्रपति ने 20 फरवरी, 2003 को छत्तीसगढ़, झारखंड तथा मध्य प्रदेश राज्यों के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करते हुए एक नया संवैधानिक आदेश प्रख्यापित किया है। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को झारखण्ड राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में दिनांक 11.04.2007 को अनुसूचित क्षेत्र (झारखण्ड राज्य) आदेश, 2007 (संवैधानिक आदेश 229) द्वारा पुनः परिभाषित किया गया है। राजस्थान राज्य के संबंध में अनूसूचित क्षेत्र 12 फरवरी, 1981 के सं. आ. 114 को रद्द करते हुए दिनांक 19 मई, 2018 के अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 2018 (सं. आ. 270) के माध्यम से नए संवैधानिक आदेश को लागू करते हुए घोषित किए गए थे।

छठीं अनुसूची

5.32 संविधान के अनुच्छेद 244 (2) तथा 275 (1) के तहत छठीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान करती है। इसमें ऐसे क्षेत्रों में स्वायत्त जिलों तथा स्वायत्त क्षेत्रों के लिए भी प्रावधान है। छठीं अनुसूची से संबंधित विषयगत मामले गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के तहत आते हैं।

एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (आईटीडीए)/एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी), संशोधित क्षेत्र विकास पद्धति (माडा) पॉकेट्स तथा समूहों अर्थात् क्लस्टर्स

5.33 जनजातीय विकास की रणनीति जनजातीय उप–योजना के माध्यम से प्रशासनिक समर्थन तथा विकास प्रयासों के संवर्धन द्वारा जनजातीय लोगों के हितों की सुरक्षा के दृष्टिकोण पर आधारित है। भारत सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, जनजातीय सघनता वाले क्षेत्रों में प्रभावी कार्यान्वयन तथा सेवाओं की सुपुर्दगी के लिए संस्थागत तथा प्रशासनिक उपायों जैसे एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (आईटीडीए)/एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी) की शुरूआत की। छठीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कुल 10,000 जनजातीय जनसंख्या तथा अनुसूचित जनजाति की 50 प्रतिशत या अधिक सघनता वाले छोटे क्षेत्रों को शामिल करने के लिए संशोधित क्षेत्र विकास पद्धति (माडा) को अपनाया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद के दौरान न्यूनतम लगभग 5,000 की कुल जनजातीय सघनता वाली आबादी वाले छोटे क्षेत्रों तथा जहां अनुसूचित जनजातियों (अजजा) की सघनता 50 प्रतिशत या अधिक है, को शामिल करने के लिए क्लस्टर चिह्नित किए गए थे। भारत सरकार ने 18 राज्यों और 2 संघ राज्यक्षेत्रों नामतः आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा दमन और दीव में 193 आईटीडीपी / आईटीडीए घोषित किए हैं।

5.34 एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी) एक अथवा अधिक विकास ब्लॉकों के आकार का क्षेत्र है, जहां अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या ऐसे ब्लॉकों की कुल जनसंख्या का 50

प्रतिशत या अधिक है। संपूर्ण विकास ब्लॉकध्पंचायत समिति आईटीडीपी की न्यूनतम संघटन इकाई है। जिले में एक अथवा अधिक आईटीडीपी हो सकते हैं। आईटीडीपी का क्षेत्र एक से अधिक जिलों के ब्लॉकों से भी बनाया जा सकता है। ऐसे मामलों में आईटीडीपी का नाम सामान्यतः इसके मुख्यालय के स्थान अथवा जिला जहां इसका मुख्यालय स्थित है, के नाम पर किया जाएगा।

5.35 एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (आईटीडीए) जो जनजातीय विकास परियोजनाओं के प्रशासन के अधिकार क्षेत्र वाला संबंधित प्राधिकरण है को आंध्र प्रदेश, ओडिशा तथा तेलंगाना राज्यों में ऐतिहासिक रूप से इस नाम से जाना जाता है। अतः आईटीडीए (अर्थात एजेंसी अथवा प्राधिकरण) के पास आईटीडीपी (सम्पूर्ण ब्लॉक/पंचायत समितियां के साथ) माडा तथा क्लस्टर पॉकेट पर अधिकार क्षेत्र प्राप्त होना चाहिए। जिले की फैली हुई जनजातीय आबादी को भी संबंधित जिले के आईटीडीए के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लाया जा सकता है।

5.36 संशोधित क्षेत्र विकास पद्धति (माडा) पॉकेट 10,000 या अधिक की कुल जनसंख्या वाले ऐसे क्षेत्रों के अंदर जनजातीय लोगों की 50 प्रतिशत या अधिक सघनता वाले समीपवर्ती क्षेत्रों में (एक या अधिक राजस्व ग्रामों वाले) चिह्नित पॉकेट हैं। माडा पॉकेट की न्यूनतम संघटक इकाई गांव होगी तथा माडा क्षेत्रों में एक से अधिक राजस्व गांवों को शामिल करते हुए गांवों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के सवोच्च प्रतिशत वाले गॉव के नाम पर इसका नाम रखा जाना चाहिए।

5.37 ऐसे क्षेत्र में 5,000 या अधिक की कुल जनसंख्या के अंदर जनजातीय लोगों की 50 प्रतिशत या अधिक सघनता वाले क्षेत्रों में (एक या अधिक राजस्व ग्रामों, संघटक इकाई होने के नाते, के साथ) चिह्नित पॉकेट हैं। क्लस्टर की न्यूनतम संघटक इकाई गांव होगा तथा क्लस्टर में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के सर्वोच्च प्रतिशत वाले गांव के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा।

5.38 आईटीडीपी/आईटीडीए, माडा पॉकेट्स, क्लस्टर्स (समूहों) और अनुसचित क्षेत्र तथा जनजातीय सलाहकार परिषद (टीएसी) वाले राज्यों:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	संख्या		
		आईटीडीपी/ आईटीडीए	माडा पॉकेट्स	क्लस्टर (समूह)
1	आंध्र प्रदेश#	5	41	17
2	असम	19	–	–
3	बिहार	–	7	–
4	छत्तीसगढ़#	19	9	2
5	गुजरात#	9	1	–
6	हिमाचल प्रदेश#	5	2	–
7	झारखंड#	14	34	7

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	संख्या		
		आईटीडीपी/आईटीडीए	माडा पॉकेट्स	क्लस्टर (समूह)
8	कर्नाटक	5	–	–
9	केरल	7	–	–
10	मध्य प्रदेश#	31	30	6
11	महाराष्ट्र#	16	44	24
12	मणिपुर	5	–	–
13	ओडिशा#	22	46	14
14	राजस्थान#	5	44	11
15	सिक्किम	4	–	–
16	तमिलनाडु$	9	–	–
17	तेलंगाना	3		–
18	त्रिपुरा*	–	–	–
19	उत्तर प्रदेश	1	1	–
20	उत्तराखंड$	–	–	–
21	पश्चिम बंगाल$	12	–	1
	संघ राज्यक्षेत्र			
22	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	–	––
23	दमन और दीव	1	–	–
	कुल	**193**	**259**	**82**

*त्रिपुरा में कोई आईटीडीपी नहीं है। वहां त्रिपुरा जनजातीय स्वायत्त जिला परिषद (टीटीएएडीसी) हैं। 2006 में त्रिपुरा राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना अनुसार संविधान के 49वें संशोधन के मध्यम से 1985 से त्रिपुरा में छठी अनुसूची के प्रावधानों को विस्तार दिया गया था।

#अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय सलाहकार परिषदों (टीएसी) वाले राज्य।

$ केवल जनजातीय सलाहकार परिषदों (टीएसी) वाले परन्तु गैर अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य।

अध्याय – 6

जनजातीय विकास रणनीति तथा कार्यक्रम

पृष्ठभूमि

6.1 जनगणना 2011 के अनुसार, देश में अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा.) की आबादी 10.45 करोड़ है। देश की कुल जनसंख्या की 8.6 प्रतिशत आबादी, अनुसूचित जनजातीय है। आजादी के बाद से जनजातीय विकास, भारत सरकार का केन्द्र बिन्दु रहा है। जनजातीय लोगों के बीच विकास की वांछित गति प्राप्त करने में चुनौतियां रही हैं। ऐसा मुख्यतः उनकी परम्परागत जीवनशैलियों, पर्यावासों की सुदूरता, बिखरी हुई जनसंख्या तथा विस्थापन की वजह से है। जनजातीय लोगों के त्वरित विकास के लिए 5वीं पंचवर्षीय योजना (1974–75) में सरकार द्वारा जनजातीय उप योजना (टीएसपी)/एसटी (डीएपीएसटी)/अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) के लिए विकास कार्य योजना को अपनाया गया था। इसमें विकास के सभी क्षेत्रों से अनुसूचित जनजाति आबादी के लिए परिव्यय और लाभों के प्रवाह को चौनलाइज करने की परिकल्पना की गई है। टीएसपी /डीएपीएसटी /एसटीसी निधि जनजातीय आदिवासी विकास के लिए धन के समर्पित स्रोत हैं। 40 केंद्रीय मंत्रालयों (जनजातीय कार्य मंत्रालय को छोड़कर) को जनजातीय विकास के लिए हर साल अपने कुल योजना आवंटन के 4.3% से 17.5% की सीमा में जनजातीय उप–योजना निधि निर्धारित करने के लिए अनिवार्य किया गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय अंतरों को दूर करके इन पहलों में अपना योगदान देता है। टीएसपी/डीएपीएसटी/एसटीसी कार्यनीति के माध्यम से किये गये प्रयासों से साक्षरता, स्वास्थ्य, आजीविका आदि संबंधी विभिन्न जनजातीय सूचकांकों में कुछ सुधार आया है। हालांकि, जनजातीय तथा अन्य सामाजिक वर्गों के बीच मानव विकास के क्षेत्र में अंतर अभी भी कायम हैं।

6.2 बजट 2021–22 के अनुसार, 41 केंद्रीय मंत्रालय और विभाग हैं जिनके पास 260 से अधिक विभिन्न योजनाओं में जनजातीय विकास के लिए टीएसपी/डीएपीएसटी/एसटीसी निधियां हैं, जैसा कि केंद्रीय बजट 2021–22 के व्यय प्रोफाइल के विवरण 10ख में दर्शाया गया है। सभी मंत्रालयों में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवंटन में 2017–18 में 31,920.00 करोड़ रु. से 2018–19 में 37803.26 करोड़ रु., से 2019–20 में 51283.53 करोड़ रु., से 2020–21 में 52024.23 करोड़ रु. और 2021–22 में 78256.31 करोड़ रुपये की वृद्धि देखी गई है।

अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी)/ जनजातीय उप–स्कीम की निगरानी

6.3 कार्य आवंटन नियमावली (एबीआर) को जनवरी, 2017 में संशोधित किया गया है जिसके तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय को नीति आयोग द्वारा तैयार रुपरेखा तथा तंत्र पर आधारित केन्द्रीय मंत्रालयों की टीएसपी/डीएपीएसटी/एसटीसी निधियों की निगरानी के लिए अधिदेशित किया गया है। टीएसपी/डीएपीएसटी/एसटीसी की निगरानी के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा, http://stcmis.gov.in वेब पते के साथ एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली शुरू की गई है। यह प्रणाली (फ्रेमवर्क) सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) से सीधे ही आंकड़े ग्रहण करती है और आवंटनों के साथ–साथ व्यय का अवलोकन करने के लिए हमें विवरण प्रदान करती है। वास्तविक कार्य–निष्पादन की निगरानी तथा पहलों के परिणामों की जानकारी, भी इस प्रणाली में समाहित की गई हैं। चालू परियोजनाओं के स्थान तथा लाभार्थियों के ब्यौरे प्राप्त करने के लिए एमआईएस में तदनुकूल प्रपत्र दिया गया है। इसके अलावा, समन्वय एवं निगरानी के लिए लाइन

मंत्रालयों/विभागों में नोडल अधिकारी पदनामित किए गये हैं। निष्पादन एवं परिणाम के संबंध में आंकड़े अपलोड करने के लिए नोडल अधिकारियों के साथ आवश्यक प्रत्यय–पत्र की साझेदारी की गई है।

6.4 12.01.2022 तक, कुल आवंटित टीएसपी/डीएपीएसटी/एसटीसी निधि का 67.59% शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवास, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास आदि से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों द्वारा जारी कर दिया गया है।

6.5 तत्कालीन जनजातीय उप–योजना (टीएसपी)/डीएपीएसटी/एसटीसी के तहत निधियों का निर्धारण, डॉ. नरेन्द्र जाधव की अध्यक्षता में गठित तत्कालीन योजना आयोग द्वारा गठित कार्यदल, 2010 द्वारा संस्तुत मानदण्डों के अनुसार, जनजातीय उप–योजना (टीएसपी) की वृहद कार्यनीतियों के अंतर्गत उनके योजना आवंटन की तुलना में, संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई थीं। कार्यदल ने अलग–अलग निर्धारण की सिफारिश की थी अर्थात कुल 28 मंत्रालयों/विभागों द्वारा केवल उनकी योजना परिव्यय के तुलना में विभिन्न दरों पर निर्धारण करना । 'योजना' तथा 'गैर–योजना' के समन्वय (मिलाने) के पश्चात वित्त मंत्रालय ने दिसम्बर, 2016 में केन्द्रीय मंत्रालयो/विभागों के लिए एसटीसी निधियों के निर्धारण हेतु प्रतिशतता संशोधित की थी तथा दो नए केन्द्रीय मंत्रालयों अर्थात कौशल विकास एवं उद्मिता मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (डीओएनईआर) मंत्रालय को शामिल किया था। निधियों के निर्धारण के मामले पर नीति आयोग तथा वित्त मंत्रालय द्वारा पुनः विचार–विमर्श किया गया है तथा अलग–अलग मंत्रालयों/विभागों के लिए आवंटन–प्रतिशतताओं पर पुनर्विचार किया गया है और कुछ नए मंत्रालय/विभाग अर्थात पशुपालन विभाग, डेयरी और मछली पालन विभाग, वाणिज्य विभाग, उपभोक्ता मामले विभाग, खाद्य प्रसंस्करण उद्यम मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, उर्वरक विभाग, पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय, औषध विभाग तथा शहरी कार्य मंत्रालय इस एसटीसी के दायरे में शामिल किए गए हैं। उनके ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

तालिका 6.1: केंद्रीय बजट 2021–22 में दर्शाए अनुसार अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए केंद्रीय मंत्रालयो/विभागों द्वारा अलग से किए गए आवंटन का विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	नीति आयोग द्वारा निर्धारित निर्धारित प्रतिशत	कुल योजना (सीएस + सीएसएस) आवंटन	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए बजट अनुमान (2021–2022)	एसटी के कल्याण के लिए मंत्रालयों/विभागों द्वारा आवंटन का प्रतिशत
1	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	4.30	2686.00	115.50	4.30
2	कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग	8.60	122427.00	10528.73	8.60
3	पशुपालन और डेयरी विभाग	8.60	2930.04	265.29	9.05
4	वाणिज्य मंत्रालय	4.30	4147.02	25.00	0.60
5	उपभोक्ता कार्य विभाग	4.30	2870.50	1.92	0.07
6	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	8.60	709.77	61.04	8.60
7	मत्स्य विभाग	8.60	1015.00	91.52	9.02
8	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	4.30	251336.17	10814.48	4.30
9	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	8.60	53544.13	4260.20	7.96

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	नीति आयोग द्वारा निर्धारित निर्धारित प्रतिशत	कुल योजना (सीएस + सीएसएस) आवंटन	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए बजट अनुमान (2021–2022)	एसटी के कल्याण के लिए मंत्रालयों/विभागों द्वारा आवंटन का प्रतिशत
10	उच्चतर शिक्षा विभाग	8.60	9069.43	1963.45	21.65
11	भूमि संसाधन विभाग	10.00	2150.00	215.01	10.00
12	ग्रामीण विकास विभाग	17.50	131342.00	15127.24	11.52
13	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	10.70	43648.66	5297.40	12.14
14	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	4.30	2915.69	125.45	4.30
15	दूरसंचार विभाग	4.30	14431.58	401.01	2.78
16	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग	8.60	8144.51	197.17	2.42
17	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	10.00	60005.10	5897.18	9.83
18	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	4.30	852.47	35.80	4.20
19	कोयला मंत्रालय	8.60	419.98	36.11	8.60
20	संस्कृति मंत्रालय	4.30	455.20	19.57	4.30
21	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	8.60	2637.49	716.87	27.18
22	इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	6.70	6806.33	456.03	6.70
23	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	8.60	1759.13	152.00	8.64
24	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	4.30	1200.00	47.30	3.94
25	आवास और शहरी कार्य के मंत्रालय	4.30	51019.02	174.50	0.34
26	श्रम और रोजगार मंत्रालय	8.60	12651.00	1084.12	8.57
27	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम मंत्रालय	8.60	15629.25	350.50	2.24
28	खान मंत्रालय	4.30	804.52	15.03	1.87
29	नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	8.60	5645.28	486.00	8.61
30	पंचायती राज मंत्रालय	8.60	876.20	78.86	9.00
31	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	4.30	15695.00	555.99	3.54
32	विद्युत मंत्रालय	8.60	11009.12	765.60	6.95
33	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	4.30	117947.35	4125.00	3.50
34	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	8.60	2505.00	191.83	7.66
35	वस्त्र मंत्रालय	8.60	3444.61	202.79	5.89
36	पर्यटन मंत्रालय	4.30	1900.67	82.00	4.31
37	जनजातीय कार्य मंत्रालय	100.00	7484.07	7484.07	100.00
38	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	8.60	24162.00	2077.93	8.60
39	युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय	8.60	1398.01	121.25	8.67
40	उर्वरक विभाग	4.30	79529.68	3592.57	4.52
41	औषध विभाग	4.30	410.76	17.00	4.14
	कुल		**1079614.74**	**78256.31**	**7.25**

6.6 केन्द्रीय टीएसपी के लिए दिशा–निर्देशों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- मंत्रालयों / विभागों को अनुसूचित जनजातियों की विकास आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना, अंतरों का आकलन करना तथा अन्तरों को पाटने के लिए स्कीमों को उन्मुखी बनाना है।
- टीएसपी के तहत तैयार की गयी स्कीमों से अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों / परिवारों / पर्यावासों को सीधे तथा परिमाणात्मक लाभ मिलना चाहिए।
- दर्शायी गयी आवंटन प्रतिशतता को केवल न्यूनतम तथा निम्नतम प्रतिशतता के रुप में माना जाए।
- टीएसपी के तहत 8.2 प्रतिशत से अधिक निर्धारण करने की बाध्यता वाले मंत्रालयों/विभागों में टीएसपी इकाई के मुखिया के रुप में, पूर्ण कालिक संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी हो सकता है।
- सभी मंत्रालयों/विभागों में नोडल इकाइयां स्थापित की जानी चाहिएं जिनकी अध्यक्षता संयुक्त सचिव (आयोजना) अथवा आर्थिक सलाहकार द्वारा की जाएगी, जो आवश्यक पूर्णकालिक सहायक स्टाफ के साथ एससीएसपी तथा टीएसपी के तहत निर्धारण करने के लिए उत्तरदायी हैं।

6.7 जनजातीय कार्य मंत्रालय और नीति आयोग टीएसपी/एसटीसी फंड वाले केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ समय–समय पर बैठकें करते रहे हैं। सचिव, जनजातीय कार्य की अध्यक्षता में बाध्य मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठकें अगस्त–अक्टूबर 2021 के दौरान आयोजित की गईं। बैठकों में मंत्रालयों/विभागों को यह दोहराया गया है कि टीएसपी/डीएपीएसटी/एसटीसी निधियां प्रचलन में निर्धारित प्रतिशत के अनुसार होनी चाहिएं। इसके अलावा, यह दोहराया गया कि निर्धारित आवंटन प्रतिशत का पालन किया जाना चाहिए और परियोजनाओं के स्थान और लाभार्थी विवरण सहित एसटीसी निधि से स्वीकृत कार्य की भौतिक प्रगति को साझा करना चाहिए। केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा वर्षवार टीएसपी/डीएपीएसटी/एसटीसी आवंटन और व्यय **तालिका 6.2** में दिए गए हैं।

तालिका 6.2: केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा एसटीसी/टीएसपी आवंटन और व्यय/निर्मुक्ति

वर्ष	मंत्रालयों/विभागों का कुल एसटीसी योजना आवंटन	एसटीसी आवंटन	व्यय	टीएसपी/एसटीसी के आवंटन संदर्भ में व्यय/निर्मुक्ति %
2018 – 19 (वास्तविक)	702814.83	39545.48	35352.77	89.40
2019 – 20 (वास्तविक)	801699.88	47748.83	45856.40	96.04
2020 – 21 (सं.अ.)	1313803.85	51780.82	42963.57*	82.97
2021 – 22 (ब.अ.)	1079614.74*	78256.31	52893.67*	67.59

नोटः *अनंतिम आंकड़े

डेटा स्रोतः

(1) वर्ष 2017–18 से 2019–20 के लिए केंद्रीय बजट के विवरण 10ख के अनुसार वास्तविक व्यय।

(2) वर्ष 2020–21 और 2021–22 के लिए एसटीसी–एमआईएस पोर्टल से व्यय (12.01.2022 तक)

2019–20 से 2021–22 तक टीएसपी निधियों के मंत्रालयों/विभाग–वार आवंटन का विवरण **अनुलग्नक–6क** में दिया गया है।

राज्य टीएसपी

6.8 तत्कालीन, योजना आयोग ने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा टीएसपी के कार्यान्वयन के लिए दिशा–निर्देशों में 18 जून, 2014 को संशोधन किया है। दिशा–निर्देशों में अन्य बातों के साथ–साथ टीएसपी के तहत निधियों के आवंटन के लिए सरकार के संकल्प को दोहराया गया है कि यह कुल योजना परिव्यय में राज्य में अनुसूचित जनजातियों के 2011 की जनगणना के अनुपात से कम नहीं हो। यह दिशा–निर्देश, जनजातीय क्षेत्रों के लिए निधियों का अन्यत्र उपयोग के लिए तथा परिणामों के साथ–साथ सेवा सुपुर्दगी के मानकों, प्रावधान को शामिल करते हुए सुपरिभाषित संकेतकों की संरचना की सम्पूर्ण निगरानी को पुनः निर्धारित करते हैं।

जनजातीय उप–योजना (टीएसपी) का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के विकास को गति देकर उन्हें (i) शिक्षा और स्वास्थ्य तक उनकी पहुंच बढ़ाकर मानव संसाधन विकास करना, (ii) आवासों सहित, जनजातीय क्षेत्रों/इलाकों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके जीवन को उन्नत बनाना; (iii) गरीबी और बेरोजगारी में पर्याप्त कमी, उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण और आय सृजन के अवसर पैदा करना (iv) अवसरों का लाभ उठाने, अधिकार और पात्रता प्राप्त करने और अन्य क्षेत्रों के समान सुविधाओं में सुधार की क्षमता को बढ़ाना, और (v) शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ संरक्षण प्रदान करते हुए अनुसूचित जनजाति (अजजा) की आबादी और अन्य लोगों के बीच अंतर को पाटना है।

टीएसपी दिशा–निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, टीएसपी के लिए चिह्नित/आवंटित की जाने वाली निधियां निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन होंगीः

i. टीएसपी के तहत व्यय, सामान्य प्रावधानों के ऊपर अतिरिक्त वित्तीय सहायता के रुप में केवल विकास की कमी को पूरा करने के लिए हैं, जो महत्पूर्ण कार्यक्रमों सहित, विभिन्न योजनाओं के तहत अन्य लोगों की तरह, अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध होने चाहिएं।

ii. टीएसपी के तहत निधियां, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात से कम नहीं, कुल योजना परिव्ययों (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं–ईएपी तथा किसी अन्य योजना के तहत निवेशों को बिना छोड़े) से चिन्हित की गई हैं।

iii. निधियां वित्तीय वर्ष की शुरू होने से कम से कम छः माह पूर्व चिन्हित की जानी चाहिएं। प्रत्येक विभाग के टीएसपी तैयार करने की प्रक्रिया शुरु करने के लिए निर्धारित टीएसपी निधियों की मात्रा की सूचना सभी विभागों को दी जाएगी।

iv. जिनके पास अनुसूचित जनजातियों को सीधे लाभ देने की फ्लो/योजनाएं नहीं हैं, उन्हें सैद्धान्तिक/वैचारिक तौर पर कोई भी आवंटन नहीं किया जाएगा।

v. अनुसूचित क्षेत्रों में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों को अधिक निधियां आंवटित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

vi. जनजातीय पर्यावासों की वास्तविक दूरी तथा दुर्गम भूभाग में होने के कारण सामान्य क्षेत्रों की तुलना में जनजातीय क्षेत्रों में उच्च वित्तीय मानक तय करने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में सेवा मानकों से कोई समझौता न हो।

vii. प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कौशल मूल्यांकन शुरू करेंगे तथा जनजातीय युवाओं के कौशल विकास के लिए टीएसपी के तहत निधियां

आवंटित करेंगे तथा गरीबी एवं रोजगार के तहत निगरानी की जा सकने वाले लक्ष्य निर्धारित करेंगे।

viii. संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए अंतर क्षेत्रीय कार्यक्रमों का तालमेल और अन्य स्कीमों/कार्यक्रमों के साथ एक एकीकृत दृष्टिकोण / अभिसरण सुनिश्चित किया जाता है।

ix. नोडल विभाग के परामर्श से, सभी विभाग अनुसूचित जनजातियों में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच विकास में समानता को प्रोत्साहित करने के लिए टीएसपी तैयार करेंगे।

x. निधि के अन्यत्र उपयोग पर रोक सुनिश्चित करने के लिए, टीएसपी के तहत निधियां, क्रियाशील मुख्य शीर्ष/उप–मुख्य शीर्षों के तहत एक पृथक लघु शीर्ष के अंतर्गत निर्धारण की जाएंगी।

6.9 वर्ष 2018–19 से 2021–22 (31.12.2021) के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कुल राज्य परिव्यय और एसटीसी आवंटन और व्यय का विवरण **तालिका 6.3** में दिया गया है।

तालिकाः 6.3ः 2018–19 से 2021–22 तक (31.12.2021 तक) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एसटीसी/आवंटन

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	कुल योजना परिव्यय	एसटीसी आवंटन	एसटीसी आवंटन का %	एसटीसी व्यय	कुल राज्य परिव्यय के संदर्भ में व्यय का %	कुल टीएसपी आवंटन के संदर्भ में व्यय का%
2018–19	1826098.84	152071.69	8.33	126276.19	6.92	83.04
2019–20	1951772.54	159108.06	8.15	129910.34	6.66	81.65
2020–21#	2061941.51	160980.40	7.81	87196.17	4.23	54.17
2021–22*	1902485.67	128871.33	6.77	25380.76	1.33	19.69

स्रोतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना।

#मिलान किया जा रहा है, *अनंतिम आंकड़े

तीन साल अर्थात 2019–20, 2020–21 और 2021–22 (31.12.2021 को) के लिए राज्यों द्वारा टीएसपी निधि का आवंटन और व्यय **अनुलग्नक–6ख** में है।

जनजातीय उप–योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए)

6.10 जनजातीय उप–योजना को विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) भारत सरकार से 100% अनुदान है (1977–78 से)। इस अनुदान का उपयोग आईटीडीपी, आईटीडीए, माडा, क्लस्टर, पीवीटीजी और बिखरी हुई जनजातीय आबादी के आर्थिक विकास के लिए किया जाता है। वर्ष 2021–22

के लिए 'टीएसएस को एससीए' की योजना के तहत संशोधित अनुमान (आरई) चरण में 785.00 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

6.11 जनजातीय उप–योजना को विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए)की योजना को "महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले गांवों" को आदर्श गांवों में चरणबद्ध तरीके से बदलने के उद्देश्य से 'एकीकृत जनजातीय ग्राम विकास के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (आईटीवीडी के लिए एससीए)' में तब्दील किया जा रहा है, जिसमें अनुसूचित जनजाति के लोगों को बुनियादी सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच होगी ताकि वे एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें और अपनी अंतर्निहित क्षमता का पूरा उपयोग कर सकें। चूंकि इस योजना में सुधार किया जा रहा है, इसलिए राज्यों को पहले के प्रारूप में निधियां जारी नहीं की जा सकीं। उम्मीद है कि मंत्रालय 31.03.2022 तक 785.00 करोड़ रुपये का संशोधित आवंटन जारी कर देगा।

6.12 आईटीवीडी के लिए एससीए की योजना अनुसूचित जनजाति के लोगों को विकास के 14 क्षेत्रों अर्थात स्वास्थ्य और पोषण, पेयजल, शिक्षा, आवास, आजीविका, बिजली की आपूर्ति, सड़क संपर्क, मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी, कृषि और गैर–कृषि गतिविधियों, कौशल और उद्यमिता विकास, बाजार हस्तक्षेप, वित्तीय समावेशन, सामाजिक सुरक्षा आदि में अंतरों को कम करके राज्य जनजातीय उप–योजना (टीएसपी), केंद्रीय लाइन मंत्रालयों के साथ अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी), कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि, जिला खनिज निधि आदि पर संसाधनों के उचित अभिसरण के माध्यम से बुनियादी सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच की सुविधा प्रदान करेगी।

6.13 पांच साल के पहले चरण में, पूरे देश में कम से कम 50% जनजातीय आबादी और 500 अनुसूचित जनजाति वाले 36428 जनजातीय बहुल गांवों को इस योजना के तहत लिया जाएगा। प्रथम चरण में शामिल किए जाने वाले गांवों की राज्यवार संख्या **अनुलग्नक – 6ग** में दी गई है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के तहत सहायता अनुदान

6.14 भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के तहत भारत सरकार से 26 राज्यों को 100% वार्षिक सहायता अनुदान है। यह भारत की समेकित निधि से प्रभारित है (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अनुदान को छोड़कर, एक वोटेड मद) और राज्य योजना निधि और जनजातीय विकास के प्रयासों के लिए एक परिवर्धक है।

तालिका 6.4: 2021–22 हेतु बजट

(करोड़ रुपए में)

स्कीम	बजट अनुमान 2021–22	संशोधित अनुमान	निर्मुक्त (31.12.2021 तक)	जनवरी–मार्च, 2022 के लिए प्रोजेक्शन/अनुमान
भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान*	1350.00	900.00	312.56	587.58
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय	1418.04	1057.74	767.70	289.27

* प्रशासनिक व्यय सहित

वर्ष 2011–12 से 2021–22 के दौरान भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत सहायता अनुदान (प्रशासनिक खर्चों को छोड़कर) के अधीन निधियों की राज्य–वार निर्मुक्ति को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक–6 घ** एवं 2017–18 से 2021–22 के दौरान अनुच्छेद 275(1) के तहत का वर्ष–वार निधियों का आवंटन तथा निर्मुक्ति **ग्राफ 6.1** पर है।

ग्राफ 6.1 अनुच्छेद 275 (1) के तहत आवंटन (ब.अ.) तथा निधियों की निर्मुक्ति का विवरण (31. 12.2021 तक की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ रुपए में)

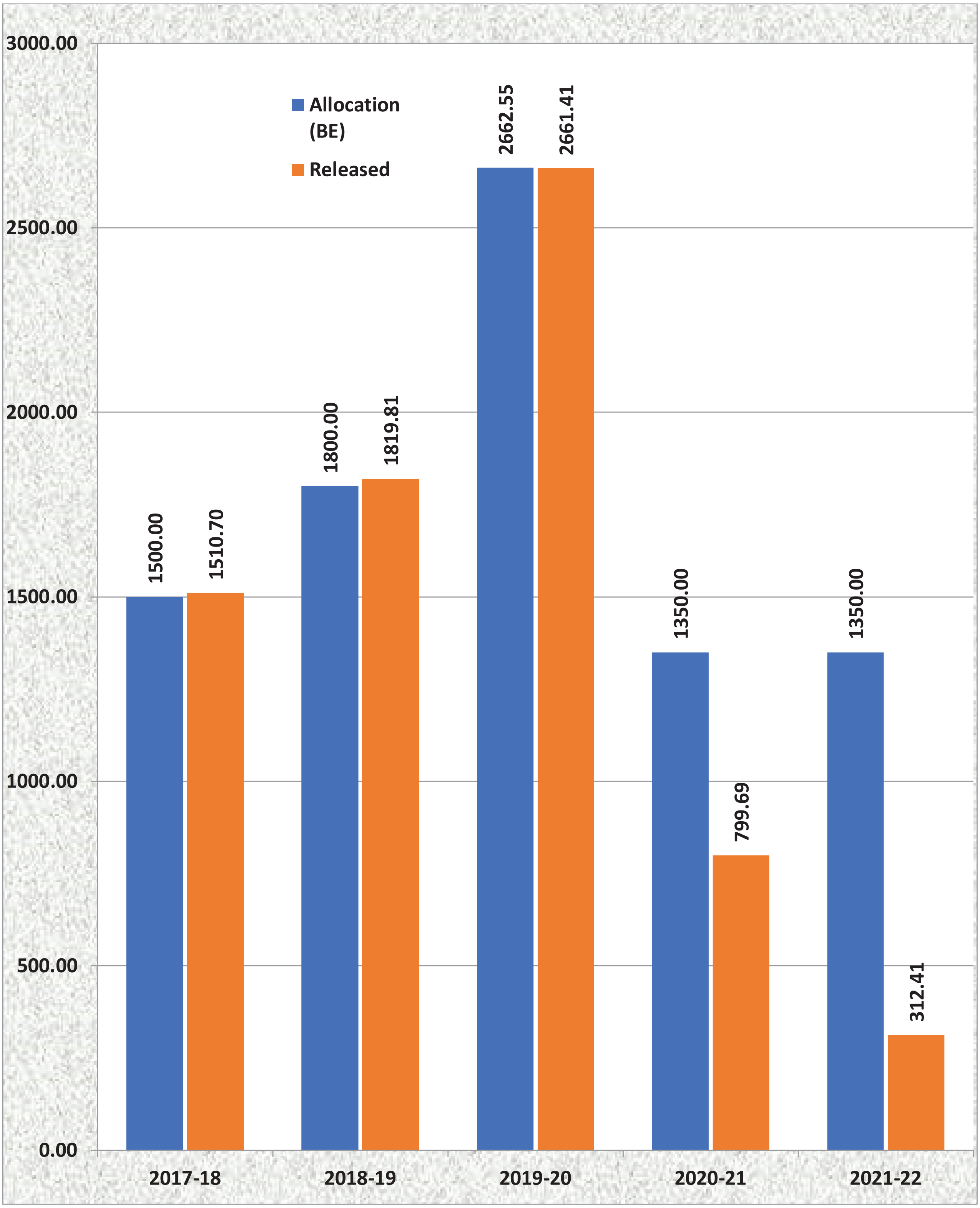

अध्याय 7
अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

पृष्ठभूमि

7.1 अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 को वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को वन भूमि में वन अधिकारों और कब्जे को मान्यता देने और निहितता प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था, जो पीढ़ियों से ऐसे जंगलों में रह रहे हैं। वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), जैसा कि आमतौर पर जाना जाता है, इस तरह के निहित वन अधिकारों को रिकॉर्ड करने और ऐसी मान्यता और वन भूमि के संबंध में निहित होने के लिए आवश्यक साक्ष्य की प्रकृति को रिकॉर्ड करने के लिए एक वैधानिक रुपरेखा भी प्रदान करता है। अधिनियम वन अधिकार धारकों, ग्राम सभा और ग्राम स्तर की संस्थाओं को वन्य जीवन, वन और जैव विविधता की रक्षा करने का अधिकार भी देता है।

अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की प्रमुख विशेषताएं

7.2 अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं नीचे दी गई हैंः–

(1) अधिनियम की धारा 3 में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परम्परागत वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के सभी वन भूमियों पर वन अधिकार होंगे। वन अधिकार इस प्रकार हैं:

(क) वन निवासी अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी के एक सदस्य या सदस्यों द्वारा आजीविका हेतु निवास या स्व–कृषि हेतु व्यक्तिगत या सामान्य कब्जे के तहत वन भूमि पर कब्जा करने तथा वहाँ रहने का अधिकार;

(ख) सामुदायिक अधिकार जैसे 'निस्तार', जिस भी नाम से जाना जाता हो, सहित भूतपूर्व रियासतों, जमींदारी या ऐसे अंतरवर्ती राज्यों में प्रयुक्त अधिकार।

(ग) लघु (गौण) वन उपज/उत्पादों के स्वामित्व, इन्हें एकत्रित करने, इनके उपयोग तथा निपटान का अधिकार, जिन्हें गांव की सीमाओं के भीतर या बाहर परंपरागत रुप से एकत्र किया जाता है।

(घ) सामुदायिक अधिकार, जैसे– मत्स्य और जलाशयों के अन्य उत्पादों, चराई (स्थायी या मौसम के अनुसार स्थान बदलने वाले) और घुमंतू या चरवाहा समुदायों की परंपरागत मौसमी संसाधन तक पहुंच।

(ड.) आदिम जनजातीय समूहों तथा कृषि पूर्व समुदायों के लिए अधिवास तथा आवास के कार्यकाल सहित अधिकार।

(च) लंबित दावों वाले किसी भी राज्य में किसी नामावली के तहत विवादित भूमि में अथवा पर अधिकार।

(छ) अधिकार पत्रों के लिए वन भूमि पर किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए पट्टों में परिवर्तन या लीज या अनुदानों के लिए अधिकार।

(ज) सभी वन गांवों, पुराने निवास स्थान,

गैर–सर्वेक्षित गावों तथा वनों में अन्य गावों के व्यवस्थापन तथा परिवर्तन का अधिकार चाहे राजस्व गांवों में रिकार्ड किया गया हो, अधिसूचित किया गया हो या न किया गया हो।

(झ) किसी समुदाय वन संसाधन की सुरक्षा, पुनः उत्पन्न करने या संरक्षण या प्रबंध करने का अधिकार जिसे वे सतत उपयोग के लिए परंपरागत रुप से सुरक्षित तथा संरक्षित कर रहे हैं।

(ञ) वे अधिकार जो किसी राज्य विधि या किसी स्वायत्त जिला परिषद् के विधि या स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद् के तहत मान्यता प्राप्त हों या किसी राज्य के संबंधित जनजातियों के किसी परंपरागत या प्रत्यायन विधि के तहत जनजातीय लोगों के अधिकार के रुप में स्वीकृत हों।

(ट) जैव–विविधता तक पहुंच का अधिकार और जैव–विविधता एवं सांस्कृतिक विविधता से संबंधित बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान का सामुदायिक अधिकारय

(ठ) वन निवासी अनुसूचित जनजातियों या अन्य परंपरागत वन निवासियों द्वारा परम्परागत रूप से प्राप्त कोई अन्य परम्परागत अधिकार,जैसी भी स्थिति/मामला हो, जिसका उल्लेख खण्ड (क) से (ट) में नहीं किया गया है, परन्तु उनमें किसी भी प्रजाति के वन्य जीव का शिकार करने या पकड़ने या शरीर के अंग को निकालने का परम्परागत अधिकार शामिल नहीं है।

(ड) यथावत पुनर्वास का अधिकार, जिसके अंतर्गत उन मामलों में आनुकल्पिक भूमि भी है जहां अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों को 13 दिसंबर, 2005 से पूर्व किसी भी प्रकार की वनभूमि से उनके पुनर्वास के वैध हक प्रदान किए बिना अवैध रूप से बेदखल या विस्थापित किया गया हो।

(2) इस अधिनियम की धारा 3(2) में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में दिए गए किसी प्रावधान के बावजूद सरकार द्वारा प्रबंधित कुछ सुविधाओं के लिए वन भूमि के विपथन हेतु प्रावधान है तथा जिसके तहत प्रति हेक्टेयर 75 वृक्षों से अधिक नहीं गिराए जाने चाहिएं और इस उद्देश्य के लिए विपथित की जाने वाली वन भूमि का एक हेक्टेयर से कम होना तथा ग्राम सभा द्वारा ऐसी विकास परियोजना की अनुमति (क्लीयरेंस) की सिफारिश किया जाना शामिल है।

(3) अधिनियम की धारा 4(3) इस शर्त के साथ वन अधिकारों की मान्यता और इन्हें प्रदान करने का उद्देश्य करती है कि वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों ने 13 दिसम्बर, 2005 से पूर्व वन भूमि पर कब्जा किया था, धारा 4(4) में व्यवस्था है कि इस अधिनियम के तहत प्रदान किए गए अधिकार अनुवांशिक होंगे, परन्तु अन्य हस्तान्तरणीय या परिवर्तनीय नहीं होंगे और विवाहित व्यक्तियों के मामले में पति–पत्नी दोनों के नाम पर संयुक्त रूप से पंजीकृत किए जायेंगे।

(4) धारा 4(5) के माध्यम से वन अधिकार धारकों के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक सुरक्षोपाय प्रदान किया गया है जो इस बात को अनिवार्य करता है कि किसी वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों को मान्यता एवं सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो जाने तक उनके कब्जे वाली वन भूमि से बेदखल या हटाया नहीं जा सकेगा।

(5) वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के किसी सदस्य या सदस्यों द्वारा आजीविका के लिए स्वकृषि या आवास के लिए व्यक्तिगत या सामान्य कब्जे के तहत वनभूमि को धारण करने तथा वहां रहने का अधिकार उसके वास्तविक कब्जे के अंतर्गत क्षेत्र तक प्रतिबंधित होगा तथा इस अधिनियम की धारा 4(6) के अनुसार किसी मामले में यह चार हैक्टेयर से अधिक नहीं होगा। अधिनियम की धारा 4(7) में प्रावधान है कि सभी बाधाओं और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं से मुक्त वन अधिकार सौंपे जाएंगे।

(6) इस अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त एवं प्रदान किए गए वन अधिकारों में वन निवासी अनुसूचित

जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के लिए भूमि का अधिकार शामिल है जो यह स्थापित कर सकते हैं कि राज्य विकास हस्तक्षेपों के कारण भूमि की क्षतिपूर्ति के बिना उन्हें उनके रहने एवं खेती वाली जगह से विस्थापित किया गया था तथा इस अधिनियम की धारा 4(8) के अनुसार उक्त अधिग्रहण के पांच वर्षों के अन्दर इस भूमि का उपयोग उस उद्देश्य से नहीं किया गया है जिसके लिए उसका अधिग्रहण किया गया था।

(7) अधिनियम की धारा 5 वन अधिकार धारकों, ग्रामसभा तथा ग्राम स्तरीय संस्थानों को (क) वन्यजीव, वन एवं जैव विविधता की सुरक्षाय (ख) यह सुनिश्चित करना कि निकटवर्ती जलागम–क्षेत्र, जल स्रोत तथा अन्य संवेदनशील पारिस्थितिकी क्षेत्रों की समुचित रूप से सुरक्षा हो; (ग) यह सुनिश्चित करना कि वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों के आवास किसी विनाशकारी प्रक्रियाओं जो उनकी सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत को प्रभावित कर रहे हैं, से संरक्षित रहे, तथा (घ) यह सुनिश्चित करना कि सामुदायिक वन संसाधनों तक पहुंच को नियमित करने के लिए ग्राम सभा में लिए गए निर्णय तथा कोई गतिविधि जो जंगली जानवरों, जंगल और जैव–विविधता को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं, की रोक का पालन करने के लिए सशक्त करती है।

(8) इस अधिनियम की धारा 6 (अध्याय–IV) वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों को वन अधिकार प्रदान करने के प्राधिकरणों और प्रक्रियाओं से संबंधित है। वन अधिकार प्रदान करने के लिए प्राधिकरणों की एक तीन–स्तरीय संरचना है, ग्राम सभा व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों या दोनों जिन्हें वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों को प्रदान किया जा सकता है, की प्रकृति तथा सीमा के निर्धारण हेतु प्रारंभिक प्राधिकरण है। उप–मण्डल स्तरीय समिति (एसडीएलसी) ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प की जांच करती है तथा इसे अंतिम निर्णय हेतु जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) के पास भेजती है। ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प से संतप्त (खिन्न) कोई भी व्यक्ति उप–मण्डल स्तरीय समिति को याचिका प्रस्तुत कर सकता है और उप–मण्डल स्तरीय समिति के निर्णय द्वारा संतप्त कोई व्यक्ति जिला स्तरीय समिति में याचिका प्रस्तुत कर सकता है। वन अधिकारों के रिकार्ड पर जिला स्तरीय समिति का निर्णय अन्तिम और बाध्यकारी है। वन अधिकारों की मान्यता और इन्हें प्रदान करने की प्रक्रिया की निगरानी करने तथा नोडल एजेंसी को प्रस्तुत ऐसे विवरण तथा रिपोर्टें जिन्हें उस एजेंसी द्वारा मांगा जा सकता है, के लिए एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति (एसएलएमसी) है।

(9) जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार अधिनियम की धारा 11 के अनुसार इस अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी है।

(10) धारा 12 इस अधिनियम के अध्याय–IV में संदर्भित प्राधिकरणों को निर्देश जारी करने के लिए भारत सरकार को शक्ति प्रदान करती है।

(11) अधिनियम की धारा 13 के अनुसार इस अधिनियम के प्रावधान तत्समय प्रवृत किसी अन्य कानून के अलावा होंगे तथा उसके अपकर्ष में नहीं होंगे।

अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति

7.3 दिनांक 30.09.2021 तक, एफआरए के तहत दायर दावों की कुल संख्या 42,96,452 है, जिनमें से 86.47% दावों का निपटान किया जा चुका है और 20,74,295 (48.28%) अधिकार–पत्र (टाइटल) जारी किए गए हैं। दिनांक 30.09.2021 को अधिनियम के तहत प्राप्त दावों (राज्य–वार) के संबंध में निपटाए गए दावों की प्रतिशतता को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक–7** में दिया गया है।

वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा की गई पहलें

7.4 जनजातीय कार्य मंत्रालय अधिनियम के कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं/चुनौतियों का समाधान करने के लिए स्पष्टीकरण और निर्देश जारी करता रहा है। मंत्रालय भी कार्यान्वयन प्रक्रियाओं की निगरानी को सुदृढ़ करने का प्रयास करता रहा है। इस दिशा में निम्नलिखित कार्य किए गए हैं:

- मंत्रालय सभी राज्यों में अधिकारों की मान्यता और अधिकार–पत्र प्रदान करने में हुई प्रगति की नियमित तौर पर निगरानी करता है। मासिक प्रगति रिपोर्ट (एमपीआर) के रूप में सभी राज्यों से नियमित रुप से अद्यतन डेटा (अपडेट) मांगा जाता है जो प्रति माह, मंत्रालय की वेबसाइट पर भी दर्शाया जाता है।

- सचिव, जनजातीय कार्य, भारत सरकार की अध्यक्षता में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ 7.6.2021 से 14.6.2021 तक आयोजित एक वर्चुअल समीक्षा बैठक में एफआरए, 2006 के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। विशेष तौर पर उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया कि डब्ल्यूपी (सी) संख्या 109/2008 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर उनके संबंधित हलफनामों की सामग्री में उल्लेखित बातों का समय–सीमा को ध्यान में रखते हुए अनुपालन किया जाए। राज्यों से यह भी अनुरोध किया गया था कि अस्वीकृतमामलों की पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए और प्रत्येक मामले की अस्वीकृति के कारणों का उपयुक्त ढंग से दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए।

- जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव सहित सचिव, गृह मंत्रालय द्वारा, अन्य मंत्रालयों के सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 17.09.2021 को एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया और बैठक में, सचिव, गृह मंत्रालय के सचिव ने कहा कि दावों का समयबद्ध तरीके से निपटान करने के लिए मुख्य सचिव स्तर पर, नियमित अंतराल पर समीक्षा की जानी चाहिए।

- एमओटीए के प्रतिनिधियों ने पर्यावरण मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, आदि जैसे अन्य मंत्रालयों द्वारा आयोजित विभिन्न बैठकों में भाग लिया और अपना योगदान दिया।

- भारत की 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 'आजादी का अमृत महोत्सव' के भाग के रूप में, वन अधिकार अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन पर सरकारी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सत्रों की एक श्रृंखला आयोजित की जा रही है। पहला प्रशिक्षण सत्र ऑनलाइन मोड के माध्यम से 2 अगस्त, 2021 से 04 अगस्त, 2021 तारीख तक आयोजित किया गया था। सिक्किम सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए 'एफआरए 2006 के क्रियान्वयन' पर 08 दिसंबर 2021 से 10 दिसंबर 2021 तक नई दिल्ली में एक 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया।

- भूमि अधिग्रहण (एलए) और पोलावरम सिंचाई परियोजना (पीआईपी) के लिए निगरानी तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रक्रिया (आर एंड आर) के लिए जल शक्ति मंत्रालय (एमओजेएस) के दिनांक 12.9.2017 के आदेश के तहत सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित एक समिति, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित कार्यों में हुई प्रगति की समीक्षा कर रहा है। 29–7–2021 को आयोजित पिछली बैठक में विभिन्न मुद्दों जैसे परियोजना से संबद्ध विस्थापित परिवारों (पीडीएफ) का स्थानांतरण, आर एंड आर गतिविधियों का पूरा कार्यक्रम, वर्तमान स्थिति और भावी कार्य योजना, वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) का कार्यान्वयन, विशेष पीआईपी आदि पर एनसीएसटी की रिपोर्ट पर चर्चा की गई और पोलावरम परियोजना प्राधिकरण को अत्यंत मानवीय विचार के साथ अनुपालन करते हुए एलए और आर एंड आर गतिविधियों/कार्यों को लगन से पूरा करने का अनुरोध किया गया। सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 23 24 नवंबर 2021 को आंध्र प्रदेश के सरकार के अधिकारियों और परियोजना के प्राधिकारियों के साथ क्षेत्रों का दौरा किया और पुनर्व्यवस्थापन और पुनर्वासन के कार्यों का निरीक्षण किया।

❖ सहयोग को सुदृढ़ रुप देने के लिए, वन संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए वन विभाग और वन अधिकार धारकों द्वारा सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता के संबंध में माननीय जनजातीय कार्य मंत्री और माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने संयुक्त रूप से, राज्य सरकारों को एक परामर्शी जारी की है। पत्र में वन की गुणवत्ता और वनवासी समुदायों की आजीविका की अन्योन्याश्रयता के मुद्दों पर भी प्रकाश डाला गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 6 जुलाई 2021 को संयुक्त पत्र पर हस्ताक्षर किए गए जिसके पश्चात एक संयुक्त आयोजन किया गया ।

❖ इस कार्यक्रम में मुख्य सचिवों, सचिव (जनजातीय कार्य), वन विभागों के सचिवों और राजस्व विभागों के सचिवों सहित राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ–साथ देश भर के विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

❖ 'पेसा अधिनियम – 1996' के प्रख्यापन के 25वें वर्ष, जिसमें **अनुसूची–ट** क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन का सशक्तीकरण किया गया है, समीक्षा के लिए एक उपयुक्त अवसर प्रदान किया गया है। तदनुसार, पंचायती राज मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से 18.11.2021 को एक दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन विज्ञान भवन एनेक्सी, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

❖ राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए, माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ने कहा कि छह राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना ने पेसा नियमों को अधिसूचित किया है और शेष चार राज्यों अर्थात् छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा को चाहिएकि वे भी, 'पेसा' नियम बनाएं और उन्हें शीघ्र लागू करना शुरू करें। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय की ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करते समय, पंचायती राज मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय को परंपराओं को ध्यान में रखते हुए अभिसरण के माध्यम से जनजातीय समुदाय के लिए विकास का एक नया मॉडल तैयार करना चाहिए; पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिएं।

❖ केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री ने पंचायती राज मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की योजनाओं के साथ संकेंद्रित रुप से जनजातियों के कल्याण पर जोर दिया। उन्होंने, जनजातियों के कल्याण में सामाजिक और स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग लेने पर भी बल दिया।

❖ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना सहित अनुसूचित क्षेत्रों वाले सभी राज्यों ने राष्ट्रीय सम्मेलन में सक्रिय रुप से भाग लिया। इसके अलावा, अनुसूचित जनजातियों के सशक्तीकरण की दिशा में काम कर रहे कई गैर सरकारी संगठनों ने भी भाग लिया। सम्मेलन में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान ने भी रचनात्मक रुप से सहभागिता की। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), नई दिल्ली के महानिदेशक ने 'पेसा' के तहत विधायी और प्रशासनिक ढांचे पर सत्र की अध्यक्षता की।

❖ सम्मेलन के दौरान पेसा के तहत कानूनी और प्रशासनिक ढांचे 'के विषयों – पेसा राज्यों में संसाधन ढांचा' और 'पेसा की योजना और कार्यान्वयन – भावी परिदृश्य' पर तीन तकनीकी सत्रय आयोजित किए गए जहां राज्यों द्वारा संबंधित विषयों पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी गई ।

अध्याय 8

शिक्षा के संवर्धन से संबद्ध कार्यक्रम

8.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा के प्रसार के लिए अनेक स्कीमें और कार्यक्रम आरंभ किए हैं। ये नीचे दिए गए हैं :–

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)

8.2 2018–19 के केंद्रीय बजट में, भारत सरकार ने घोषणा की कि जनजातीय बच्चों को उनके अपने वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए, 50% से अधिक एसटी आबादी वाले प्रत्येक ब्लॉक और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों (2011 की जनगणना के अनुसार) में ईएमआरएस स्कूल स्थापित किया जाएगा। कैबिनेट द्वारा 17.1.2018 को जनसंख्या मानदंड के आधार पर 452 नए स्कूल स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी गई थी। ये ईएमआरएस खेल और कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष सुविधाओं के साथ नवोदय विद्यालयों के समान होंगे। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा संशोधित कार्यक्रम का शुभारंभ 12 सितंबर, 2019 को रांची, झारखंड में किया गया था

8.3 पुर्नोत्थान योजना की शुरूआत से पहले, 1998 से अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान के तहत कुल 288 ईएमआरएस स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 200 स्कूल क्रियाशील थे। प्रति छात्र आवर्ती लागत 61,000 रु. थी और इन स्कूलों के निर्माण के लिए दी गई धनराशि मैदानी इलाकों में 12 करोड़ रु. और पहाड़ी इलाकों में 16 करोड़ रु. थी। स्कूल के निर्माण की लागत की तुलना में प्रति छात्र मौजूदा आवर्ती लागत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और विभिन्न हितधारकों की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए स्कूलों को तैयार करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसके अतिरिक्त, इन विद्यालयों के प्रबंधन में कोई एकरूपता नहीं थी। अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग पाठ्यक्रम और शिक्षा के अलग–अलग मानक थे। जनजातीय छात्रों के समग्र विकास के लिए ईएमआरएस को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संस्थानों में बदलने के लिए निर्माण, शैक्षणिक, खेल और सह–पाठ्यचर्या, शिक्षण और गैर–शिक्षण कर्मचारियों और स्कूलों के प्रबंधन सहित स्कूल के लगभग हर पहलू में बदलाव की आवश्यकता थी।

8.4. नई योजना के तहत, देश भर में 452 नए ईएमआरएस स्थापित किए जाएंगे। पुरानी योजना के तहत पहले से ही स्वीकृत 288 स्कूलों के साथ, स्थापित किए जाने वाले स्कूलों की कुल संख्या 740 (288+452) हो जाती है। यह परिकल्पना की गई है कि 2025 तक 50% से अधिक एसटी आबादी या कम से कम 20,000 एसटी व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में अपने स्वयं के भवन से 480 छात्रों के साथ ईएमआरएस कार्य कर रहे होंगे। राज्यों के पास 90% या अधिक एसटी आबादी और 20,000 या अधिक जनजातीय व्यक्तियों वाले उप–जिलों में एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल (ईएमडीबीएस) स्थापित करने का विकल्प है। जनजातियों के बीच खेलों को बढ़ावा देने के लिए 15 खेल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे (भवन, उपकरण आदि) और दो चिन्हित खेलों (एक समूह खेल और एक व्यक्तिगत खेल सहित) के लिए सुविधाओं के साथ की जाएगी।

8.5 ईएमआरएस के निर्माण के लिए खेल और पाठ्येतर गतिविधियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बुनियादी

ढांचे के प्रावधान के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए 15 एकड़ भूमि के प्रावधान की आवश्यकता है। स्कूल में सुविधाओं में अत्याधुनिक कक्षाएं पूरी तरह से सुसज्जित प्रयोगशालाएंय पुस्तकालय; प्राचार्य और कर्मचारियों के लिए प्रशासनिक सुविधाएं; स्वच्छता और पेयजल सुविधा; खेल और क्रीडा सुविधाएं (इनडोर और आउटडोर) शामिल हैं। अन्य सुविधाओं में लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास, रसोई और भोजन कक्ष और शिक्षण और गैर–शिक्षण कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टर आदि शामिल हैं।

मानदंडों के अनुसार कक्षा VI से कक्षा X तक प्रत्येक सेक्शन में 30 विद्यार्थियों के साथ दो सेक्शनों में कुल 60 विद्यार्थी तथा विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी की विधाओं में कक्षा XI और XII के प्रत्येक सेक्शन में 30 विद्यार्थियों के साथ तीन सेक्शनों में कुल 90 विद्यार्थी अनुमत्त किए जाने हैं।

8.6 छात्रावास और स्टाफ क्वार्टर सहित स्कूल परिसर की स्थापना के लिए पूंजीगत लागत 20.00 करोड़ रुपये के साथ पूर्वोत्तर, पहाड़ी क्षेत्रों और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्लयूई) प्रभावित क्षेत्रों में 24.00 करोड़ रुपये तक करने का प्रावधान है। स्कूल चलाने के लिए और छात्रों के खर्च (वर्दी, किताबें और स्टेशनरी, भोजन आदि) के लिए आवर्ती लागत रु. 1.09 लाख प्रति वर्ष प्रति छात्र का भुगतान किया जाता है। केंद्रीय बजट 2021–22 में, मैदानी इलाकों में ईएमआरएस की निर्माण लागत मौजूदा 20.00 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 38.00 करोड़ रुपये और पहाड़ी, पूर्वोत्तर और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 24.00 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 48.00 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है।

8.7. 2019 से दिसंबर 2021 तक, 2018–19 की बजट घोषणा के अनुरूप चिन्हित ब्लॉकों में कुल 664 स्कूलों को स्वीकृत किया गया था, जिनमें से 31.12.2021 तक 367 के कार्यात्मक होने की सूचना है। अब तक स्वीकृत ईएमआरएस (ब्लॉक–वार) की सूची https://www.tribal.nic.in/emrs पर उपलब्ध है। यह राज्य की जिम्मेदारी है कि वह सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराए और यह सुनिश्चित करे कि स्वीकृत विद्यालयों का निर्माण 2 वर्ष के निर्धारित समय में पूरा किया जाए। राज्य एक उपयुक्त भवन किराए पर लेकर स्कूल को क्रियाशील भी बना सकता है बशर्ते उसके पास शिक्षकों की उपलब्धता सहित आवश्यक बुनियादी ढाँचा हो। अनुमोदित विद्यालयों का राज्यवार सारांश और उनकी कार्यात्मक स्थिति नीचे **तालिका 8.1** में दी गई है।

तालिका 8.1: स्वीकृत और क्रियाशील ईएमआरएस की संख्या (31.12.2021 तक)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत ईएमआरएस	क्रियाशील ईएमआरएस
1	आंध्र प्रदेश	28	26
2	अरुणाचल प्रदेश	10	2
3	असम	10	1
4	बिहार	3	0
5	छत्तीसगढ	73	71
6	दादर और नगर हवेली और दमन और दीव	1	1
7	गुजरात	40	35
8	हिमाचल प्रदेश	4	4

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत ईएमआरएस	क्रियाशील ईएमआरएस
9	जम्मू और कश्मीर	6	0
10	झारखंड	86	13
11	कर्नाटक	12	12
12	केरल	4	2
13	लद्दाख	3	0
14	मध्य प्रदेश	67	63
15	महाराष्ट्र	33	25
16	मणिपुर	21	3
17	मेघालय	25	0
18	मिजोरम	17	6
19	नागालैंड	22	3
20	ओडिशा	97	27
21	राजस्थान	31	21
22	सिक्किम	4	4
23	तमिलनाडु	8	8
24	तेलंगाना	23	23
25	त्रिपुरा	20	5
26	उत्तर प्रदेश	4	2
27	उत्तराखंड	4	3
28	पश्चिम बंगाल	8	7
	कुल योग	**664**	**367**

8.8 राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर किसी विशेष ब्लॉक में एक स्कूल को एनईएसटीएस द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद, राज्य को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि भूमि सभी बाधाओं से मुक्त है। तब निर्माण एजेंसी सत्यापित करती है कि मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट, पानी की उपलब्धता, सड़क संपर्क और वन विभाग की अनापत्तियों (क्लीयरेंस) के आधार पर भूमि निर्माण के लिए उपयुक्त है या नहीं। भूमि को राज्य ईएमआरएस सोसाइटी के नाम हस्तांतरित करना आवश्यक है। निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने की स्वीकृति तभी दी जाती है जब मास्टर लेआउट प्लान और डीपीआर प्रस्तुत किया जाता है और फिर निर्माण एजेंसी को निधियॉं जारी की जाती है।

तालिका 8.2: 2021–22 के लिए बजट

(करोड़ रूपए में)

योजना	बजट अनुमान 2021–22	संशोधित अनुमान 2021–22	जनवरी–मार्च, 2022 के लिए प्रक्षेपण/अनुमान
ईएमआरएस	1418.04	1057.74	289.27

2021–22 की मुख्य विशेषताएं:

8.9 ईएमआरएस फाउंडेशन का शिलान्यास समारोह

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में 15 नवंबर, 2021 को मनाए गए 'जनजातीय गौरव दिवस' के अवसर पर, भोपाल, मध्य प्रदेश से लगभग 50 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की आधारशिला वर्चुएल रूप से रखी। ये स्कूल 7 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र के 26 जिलों में स्थापित किए जा रहे हैं। इन 50 स्कूलों में से 20 स्कूल झारखंड में, 15 ओडिशा में, 4 आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, 3 महाराष्ट्र में, 2 मध्य प्रदेश में और 1–1 त्रिपुरा और दादर और नगर हवेली में स्थित हैं। ये स्कूल देश के सुदूर पहाड़ी और वन क्षेत्रों में स्थित हैं।

(माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ईएमआरएस नोआमुंडी पश्चिमी सिंहभूम जिला, झारखंड का उद्‌घाटन)

इसके अलावा, इस दौरान कई अन्य ईएमआरएस का शिलान्यास किया गया। ब्यौरे **अनुलग्नक – 8** क में दिए गए हैं।

ईएमआरएस मांझगांव, पश्चिमी सिंहभूम जिला, झारखंड का शिलान्यास

ईएमआरएस टायरिंग, मयूरभंज जिला, ओडिशा की शिलान्यास

8.10 नेशनल एजुकेशन सोसयटी फॉर ट्राइबल स्टूडेन्टस (एनईएसटीएस) के संचालन को सरल बनाने के लिए की गई पहलें:

एनईएसटी के संचालन को सरल बनाने के लिए की गई पहलें इस प्रकार हैं:

- शिक्षण और गैर–शिक्षण कर्मचारियों के लिए मॉडल भर्ती नियम राज्यों के साथ साझा किए गए हैं।
- राज्यों को सलाह दी जा रही है कि वे ईएमआरएस में कर्मचारियों की भर्ती के लिए राज्य के भर्ती नियमों और नीतियों के अनुसार समयबद्ध तरीके से आवश्यक और उचित कार्रवाई करें।
- राज्यों द्वारा भर्ती नियमों की अधिसूचना अधिसूचित की जा रही है।
- शैक्षणिक, निर्माण, तकनीकी, वित्त, निगरानी आदि से संबंधित मामलों की निगरानी के लिए एनईएसटी में एक परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) और एक तकनीकी विंग (स्कंध) की स्थापना की गई है।
- विभिन्न एजेंसियों को सौंपे गए निर्माण कार्य के पुनरीक्षण और निगरानी सहित परियोजनाओं के विकास के पर्यवेक्षण के लिए तकनीकी जनशक्ति को नियुक्त करते हुए एक तकनीकी संघ की स्थापना।

8.11 राज्य ईएमआरएस सोसायटी : सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत विधिवत पंजीकृत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय ईएमआरएस सोसायटी की स्थापना के लिए ठोस प्रयास किए गए। तदनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय ईएमआरएस सोसाइटी की स्थापना 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से 27 में की गई है। यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि सोसायटी शेष राज्यों में यथाशीघ्र स्थापित हो। अब तक 25 राज्यों ने एनईएसटीएस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू मूल रूप से ईएमआरएस के पुर्नोत्थान कार्यक्रम को लागू करने में एनईएसटीएस और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ईएमआरएस सोसायटियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है।

8.12 शैक्षिक:

ईएमआरएस में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना, ईएमआरएस के स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का संचालन, आईटी सॉफ्टवेयर, आदि जैसे मुख्य विषयों में व्यवसायिक क्षमता निर्माण कार्यक्रम का संचालन जैसे क्षेत्रों में विविध शैक्षिक क्षेत्रों को कवर करने वाले राष्ट्रीय शीर्ष निकायों और स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से कई शैक्षिक कार्यक्रमों को आरंभ किया गया है।

प्रयोग और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और राष्ट्रीय महत्व के ऐसे अन्य निकायों के साथ भी सहयोग शुरू किया गया है; विभिन्न क्षेत्रों में कुछ प्रमुख कार्यक्रम संबंधी पहलें की गईय शैक्षिक परियोजनाओं और उपलब्धियों का कार्यक्रम संबंधी सिंहवालेकन इस प्रकार है:

क. निष्ठा– राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी)

निष्ठा (स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति की राष्ट्रीय पहल) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा शुरू किए गए एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण का एक प्रमुख (फ्लैगशिप) क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर सभी स्कूल प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के बीच शिक्षकों की दक्षताओं को बढ़ाना है। कार्यक्रम का बैच–1 आयोजित किया गया जिसमें 3 राज्यों के 120 ईएमआरएस शिक्षकों और प्राचार्यों ने 40 दिनों का निष्ठा कार्यक्रम पूरा किया। कार्यक्रम ऑनलाइन मोड के माध्यम से वर्चुअली आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का आयोजन संसाधन सामग्री, प्रशिक्षण

के दिशा–निर्देश, प्रशिक्षण पैकेज और इसके द्वारा विकसित अन्य सहायक सामग्री का उपयोग करते हुए सीखने (लर्निंग) के परिणामों, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, स्कूल पूर्व शिक्षा, सतत और व्यापक मूल्यांकन, विज्ञान और गणित किट, पाठ्यचर्या विकास, समावेशी शिक्षा, लिंग संवेदीकरण, शैक्षणिक प्रथाओं आदि जैसे क्षेत्रों में किया गया है।

माध्यमिक शिक्षकों के लिए निष्ठा– 2.0 शुरू की गई थी, जिसके लिए ईएमआरएस शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों को प्रशिक्षण कार्यशाला में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। यह दीक्षा मंच के माध्यम से एक ऑनलाइन मोड में संचालित किया जा रहा एक सतत कार्यक्रम है।

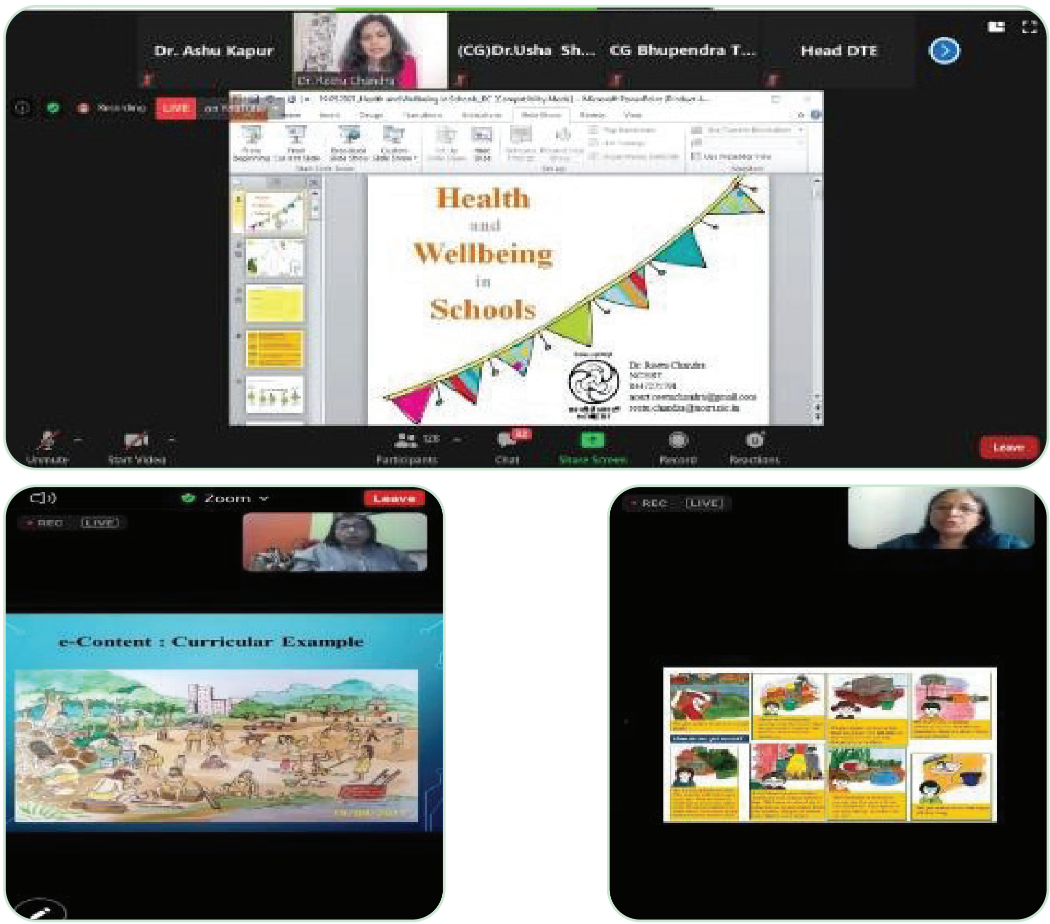

(ऑनलाइन निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम से स्नैपशॉट)

ख. सीबीएसई, एआईसीटीई और इनोवेशन काउंसिल, शिक्षा मंत्रालय द्वारा ईएमआरएस प्रमुखों और शिक्षकों के लिए स्कूल इनोवेशन एंबेसडर प्रोग्राम

16 जुलाई 2021 को देश भर के 50,000 स्कूल शिक्षकों के लिए स्कूल इनोवेशन एंबेसडर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बदलाव और घरेलू के साथ–साथ वैश्विक चुनौतियों को संबोधित करके दुनिया को पुनरू आकार देने की अपनी दिशा को ध्यान में रखते हुए, शिक्षकों और छात्रों को नवाचार क्षमताओं से सक्षम करने की अनिवार्य आवश्यकता महसूस की गई है जिससे नवाचार की संस्कृति का विकास हो। स्कूल इनोवेशन एंबेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्देश्य स्कूली शिक्षकों

को प्रशिक्षण देना है ताकि वे युवा स्कूली छात्रों को समस्या–समाधान, उद्भावना (आइडिएशन), नवाचार, उद्यमिता और महत्वपूर्ण सोच पर पोषित कर सकें। इस कार्यक्रम में, शिक्षकों को निम्नलिखित 72 घंटों के मॉड्यूल पर प्रशिक्षित किया गया:

- डिजाइन सोच (थिकिंग) और नवाचार
- आइडिया जनरेशन (विचार सृजन) और आदर्श हैंडहोल्डिंग (सहायता)
- बौद्धिक संपदा अधिकार
- उत्पाद / प्रोटोटाइप विकास
- वित्त, मानव संसाधन और बिक्री
- (स्कूल इनोवेशन एंबेसडर प्रोग्राम के शुभारंभ की झलक)

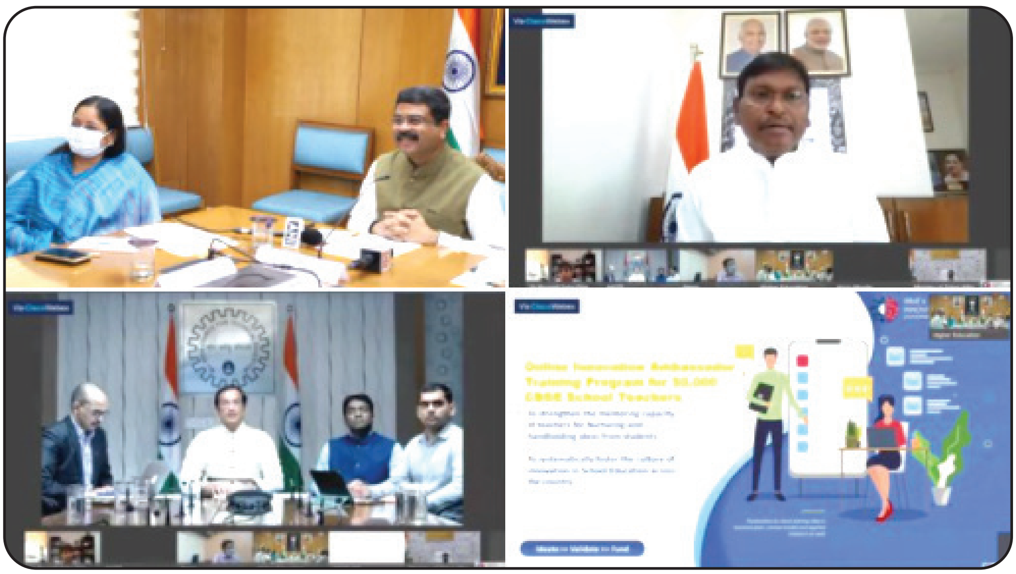

(स्कूल इनोवेशन एंबेसडर प्रोग्राम के शुभारंभ की झलक)

'स्कूल इनोवेशन एंबेसडर प्रोग्राम' के माध्यम से 50,000 स्कूल शिक्षकों को 'इनोवेशन एंबेसडर' के रूप में प्रशिक्षित करने की परिकल्पना की गई है। देश भर के स्कूलों, विदेश में सीबीएसई स्कूलों और ईएमआरएस से भारी संख्या में नामांकन प्राप्त हुए थे। कार्यक्रम अभी भी एक ऑनलाइन मोड के माध्यम से जारी है।

ग. अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग के सहयोग से ईएमआरएस स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) की स्थापना

देश भर में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को सृजित करने और बढ़ावा देने के लिए अटल नवाचार मिशन (एआईएम) भारत सरकार की प्रमुख पहल है। भारत में ''एक मिलियन (10 लाख) बच्चों को आधुनिक प्रवर्तकों (नियोटेरिक इनोवेटर्स) के रूप में शिक्षित करने'' की दृष्टि के साथ, अटल नवाचार मिशन पूरे भारत के स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैबोरेटरीज (एटीएल) स्थापित कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य युवा मन में जिज्ञासा, रचनात्मकता और कल्पना को बढ़ावा देना हैय और डिजाइन माइंड–सेट, कम्प्यूटेशनल थिंकिंग (सोच), एडेप्टिव लर्निंग, फिजिकल कंप्यूटिंग आदि जैसे कौशल विकसित करना है।

ईएमआरएस स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना के लिए एआईएम, नीति आयोग के साथ

सहयोग स्थापित किया गया था। एटीएल लैब्स स्कूली बच्चों को एक कार्यक्षेत्र प्रदान करती है जहां युवा मनोभाव उनके विचारों को आकार देते हैं। अब तक, 18 ईएमआरएस स्कूल हैं जहां एटीएल स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन स्कूलों में स्थापना की प्रक्रिया पूरी तरह कार्यात्मक प्रयोगशालाओं से लेकर पीएफएमएस पंजीकरण की प्रतीक्षा कर रहे स्कूलों तक विभिन्न चरणों में है।

इस वर्ष, एआईएम ने 14 से 16 अप्रैल 2021 तक आयोजित एटीएल सामुदायिक दिवस कॉन्क्लेव के उत्सव की शुरुआत की। सभी ईएमआरएस स्कूल के प्रधानाचार्यों को सम्मेलन (कॉन्कलेव) में उत्साहपूर्वक भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिसने नवाचार, डिजिटल कौशल आदि के महत्व पर जागरूकता सृजित करने के लिए एक आदर्श मंच प्रदान किया। स्कूलों का प्रदर्शन ट्रैक एटीएल टीम द्वारा बैक–एंड डेटा पुनर्प्राप्ति के माध्यम से भी किया जाता है जो ईएमआरएस के लिए नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को समर्पित रूप से शुरू करने के लिए प्रेरित है। इस संबंध में, एआईएम, नीति आयोग के सहयोग से मिशन मॉडल दृष्टिकोण को अपनाते हुए 100 ईएमआरएस में दक्ष (एजाइल)–एटीएल स्थापना के लिए भविष्य का रोडमैप तैयार किया गया है।

ईएमआरएस में एटीएल स्थापना के लिए भविष्य का रोडमैप (कार्यनीति)

आऊटपुट	स्कूल स्तर पर संकेतक	आऊटकम	स्कूल स्तर पर संकेतक
नवाचार और उद्यमिता हेतु मंच बनाने के लिए	1.1 एटीएल की स्थापना	भारत में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना	1.1 एटीएल नवाचार परियोजनाओं में छात्रों की भागीदारी
	1.2 स्कूल स्टाफ / शिक्षकों को एटीएल में शामिल करना		1.2 एटीएल छात्र प्रोटोटाइप नवाचार रचनाएं
	1.3 एटीएल नवाचार चुनौतियां		

घ. राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार– 2020 और सीबीएसई संबद्धता पोर्टल– 2021 के सार्वजनिक पोर्टल में ईएमआरएस को एक अद्वितीय इकाई के रूप में शामिल करना

जेएनवी, केवी और सैनिक स्कूलों की तर्ज पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार – 2020, शिक्षा मंत्रालय (एमओई) के सार्वजनिक पोर्टल में ईएमआरएस को एक अद्वितीय स्कूल इकाई के रूप में शामिल करने के लिए एक सक्रिय पहल की गई है। छात्रों के जीवन को समृद्ध बनाने के लिए स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में शिक्षकों की कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता के अद्वितीय योगदान का गुणगान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय (एमओई) द्वारा हर साल राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का आयोजन किया जाता है। ईएमआरएस को एक विशिष्ट स्कूल श्रेणी के रूप में शामिल करने के माध्यम से ईएमआरएस शिक्षकों के अद्वितीय योगदान को सम्मानित करने के लिए एमओई (शिक्षा मंत्रालय) के साथ एक संयोजन स्थापित किया गया। तदनुसार, विशिष्ट अनुभव और क्षमताओं वाले सभी

ईएमआरएस शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों को एक अलग विशेष ईएमआरएस स्कूल श्रेणी के तहत एनएटी 2020 के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। साथ ही, केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की तरह ही ईएमआरएस को सीबीएसई संबद्धता पोर्टल में एक सरकारी स्कूल श्रेणी के रूप में जोड़ा गया है।

ड. शिक्षा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार – 2021

ईएमआरएस स्कूलों के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, 2021 में भाग लिया। देश के कुछ बेहतरीन शिक्षकों के अद्वितीय योगदान को सम्मानित करने और स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए उनकी प्रतिबद्धता के लिए उन शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए हर साल राष्ट्रीय पुरस्कार आयोजित किए जाते हैं। एनवीएस, केवीएस और ऐसे अन्य स्कूलों की तर्ज पर एनएटी, 2021 सार्वजनिक पोर्टल में ईएमआरएस को एक अद्वितीय इकाई के रूप में आरंभ करने के लिए मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित किया गया था। सभी ईएमआरएस स्कूलों के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को पुरस्कार के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। एनएटी, 2021 की राष्ट्रीय जूरी (निर्णायक मंच) को अपनी उपलब्धियों को प्रस्तुत करने के लिए सभी शॉर्टलिस्ट (लघु सूचीबद्ध) किए गए उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार के चयन के लिए संगठनात्मक समिति की बैठक आयोजित की गई थी। इस वर्ष – राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय– करपावंड, बस्तर, छत्तीसगढ़ से श्री प्रमोद कुमार शुक्ला (व्याख्याता) को प्रदान किया गया है।

(श्री प्रमोद कुमार शुक्ला, व्याख्याता, ईएमआरएस करपावंड, छत्तीसगढ़ (2021) को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया)

एनएटी पुरस्कार विजेताओं की उपलब्धियां मंत्रालय द्वारा जनजातीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए ईएमआरएस को दिए गए विस्तारित समर्थन के ठोस प्रयासों का प्रमाण हैं। उनके अभियान के बारे में सबसे अद्वितीय विशेषताओं में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) और ऐसी ही प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए अभिनव प्रयोग जैसे नवीन प्रयोग शामिल हैं।

च. माइक्रोसॉफ्ट पहल

मंत्रालय ने ईएमआरएस, आश्रम स्कूलों और मंत्रालय के तहत अन्य स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन को सक्षम करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन (इंडिया) के साथ समन्वय किया है। समन्वय का उद्देश्य प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों के व्यावसायिक विकास की सुविधा के लिए ईएमआरएस का समर्थन करना और छात्रों को एआई, कोडिंग और डेटा विज्ञान (साइन्स) जैसी नई प्रौद्योगिकियों से अवगत कराना है। माननीय मंत्री की सौम्य उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ और उद्घाटन 17 मई, 2021 को एक वर्चुअल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किया गया है।

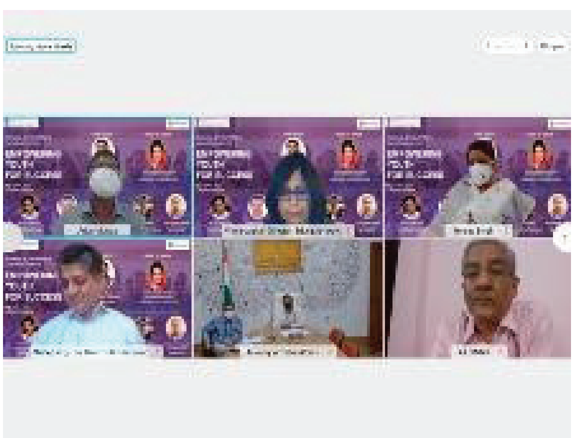

(माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन परियोजना के लॉन्च की झलक)

छ. राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (एनआईईपीए) के साथ समन्वय से ईएमआरएस स्कूल प्रमुखों के लिए स्कूल नेतृत्व कार्यक्रम (समीक्षा और प्रतिक्रिया)

स्कूल नेतृत्व प्रतिक्रिया और समीक्षा कार्यक्रम के भाग के रूप में, 5 और 6 अप्रैल, 2021 को दो दिवसीय समीक्षा और प्रतिक्रिया कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य भविष्य के लिए तैयार की गई स्कूल प्रमुखों की सीखने (लर्निंग) और कार्यान्वयन योजनाओं पर नजर रखना था। इसका उद्देश्य स्कूल स्तर पर परिवर्तनों में परिणत हुई सीखने के स्तर की समीक्षा करना था। एनसीएसएल, एनआईईपीए के प्रमुख संसाधक (रिसोर्स पर्सन) और फैकल्टी (संकाय) द्वारा जहां भी आवश्यक हो, व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए पर्याप्त सहायता (हैंडहोल्डिंग) प्रदान की गई थी। समीक्षा कार्यशाला ने प्रधानाध्यापकों को नेतृत्व और परिवर्तन के लिए भविष्य की कार्य योजना विकसित करने में सक्षम बनाया। सभी प्रतिभागियों ने गहरी दिलचस्पी दिखाई और कार्यशाला के दौरान वास्तविक स्कूल के संदर्भ में अपने सीखने (लर्निंग) की उपयोगिता का संकेत देने वाली अपनी कार्य योजनाओं को साझा किया।

इसके अलावा, ईएमआरएस के सभी स्कूल प्रमुखों को मूडल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन एनआईईपीए प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

ज. आईआईटी– बॉम्बे के सहयोग से स्पोकन ट्यूटोरियल आईटी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम (शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में परिकल्पित डिजिटल प्रौद्योगिकियों के महत्व को देखते हुए, यह महसूस किया गया है कि कंप्यूटिंग कौशल और आईटी सॉफ्टवेयर पर शिक्षक को प्रशिक्षण देना समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। यह ज्ञान और शिक्षकों के प्रौद्योगिकी के उपयोग के विस्तार के लिए एक आधार प्रदान करेगा। इस संबंध में, आईआईटी बॉम्बे ने एक स्व–शिक्षण अतुल्यकालिक प्रशिक्षण पद्धति विकसित की है जिसे स्पोकन ट्यूटोरियल कहा जाता है, जिसे आईसीटी, शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। इस पद्धति का उपयोग करते हुए, इसने पिछले आठ वर्षों के दौरान लगभग 70 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया है।

मंत्रालय ने शैक्षिक तकनीकी तंत्र प्रदान करने के लिए, रसायन विज्ञान, भौतिकी, गणित और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न विषयों के स्नातकोत्तर शिक्षकों (पीजीटी) हेतु एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आईआईटी–बॉम्बे की स्पोकन ट्यूटोरियल टीम के साथ समन्वय किया। दो राज्यों यानी महाराष्ट्र और ओडिशा के ईएमआरएस के पीजीटी शिक्षकों के लिए 5 और 6 अप्रैल 2021 को दो दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। लगभग 70 विभिन्न विषयों में अंग्रेजी में लगभग 1,000 स्पोकन ट्यूटोरियल हैं; हालाँकि, प्रायोगिक कार्यशाला के लिए, निम्नलिखित विषयों को चुना गया था।

इसके अलावा, ईएमआरएस के पीजीटी रसायन विज्ञान के शिक्षकों ने सीबीएसई और आईआईटी बॉम्बे द्वारा ऑनलाइन मोड में आयोजित केमकोलेक्टिव वर्चुअल लैब कार्यशाला में भाग लिया। केमकोलेक्टिव वर्चुअल लैब ओपन–सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए एक रसायन विज्ञान प्रयोगशाला का अनुकरण है। यह प्रयोगशाला छात्रों को रसायन विज्ञान प्रयोगशाला प्रयोग करने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई है। प्रयोगशाला छात्रों को सैकड़ों मानक अभिकर्मकों (रीएजन्ट) (जलीय) में से चयन करने की अनुमति देती है और एक वास्तविक प्रयोगशाला की तरह उन्हें प्रस्तुत करने का व्यवहार–कौशल प्रदान करती है। केमकोलेक्टिव वर्चुअल (आभासी) प्रयोगशाला (केमकलेक्टिव वर्चुअल लैब) सॉफ्टवेयर, विंडोज, मैक और लिनक्स मशीनों पर काम करता है और सभी शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त उपलब्ध है। कार्यशाला का उद्देश्य शिक्षकों के लिए आईसीटी उपकरणों के उपयोग पर ज्ञान को बढ़ाना था।

स्पोकन ट्यूटोरियल ट्रेनिंग प्रोग्राम की पाठ्यक्रम सामग्री

विषय	सॉफ्टवेयर
भौतिक विज्ञान	पीएचईटी सिमुलेशन
गणित	जियो गेब्रा
रसायन विज्ञान	रसायन कलेक्टिव वर्चुअल लैब्स (केमकोलेक्टिव वर्चुअल लैब)
सूचना प्रौद्योगिकी	आरडीबीएमएस पोस्टग्रेएसक्यूएल

झ. ईएमआरएस में डिजिटल और तकनीकी पहलें

देश भर में अन्य छात्रों की तरह ईएमआरएस छात्र कोविड–19 महामारी में राज्यों में आंशिक या पूर्ण रूप से स्कूलों के बंद होने से प्रभावित हुए थे। दूरस्थता के बावजूद, ईएमआरएस ने डिजिटल और तकनीकी साधनों सहित मिश्रित मोड को अपनाया। लॉकडाउन के दौरान ईएमआरएस के टीचिंग–लर्निंग प्रथाओं की लगातार निगरानी, स्कूलों को उनके शैक्षिक अनुभवों को एक ऑनलाइन सर्वेक्षण फॉर्म में प्रलेखित करके की गई थी। प्रतिक्रियाओं से पता चला है कि स्कूलों द्वारा लॉकडाउन के दौरान यूट्यूब, दीक्षा, व्हाट्सएप, गूगल क्लासरूम, मोबाइल एप्स (स्टेपएप) आदि जैसे विभिन्न तकनीकी प्लेटफॉर्मों का उपयोग किया गया था।

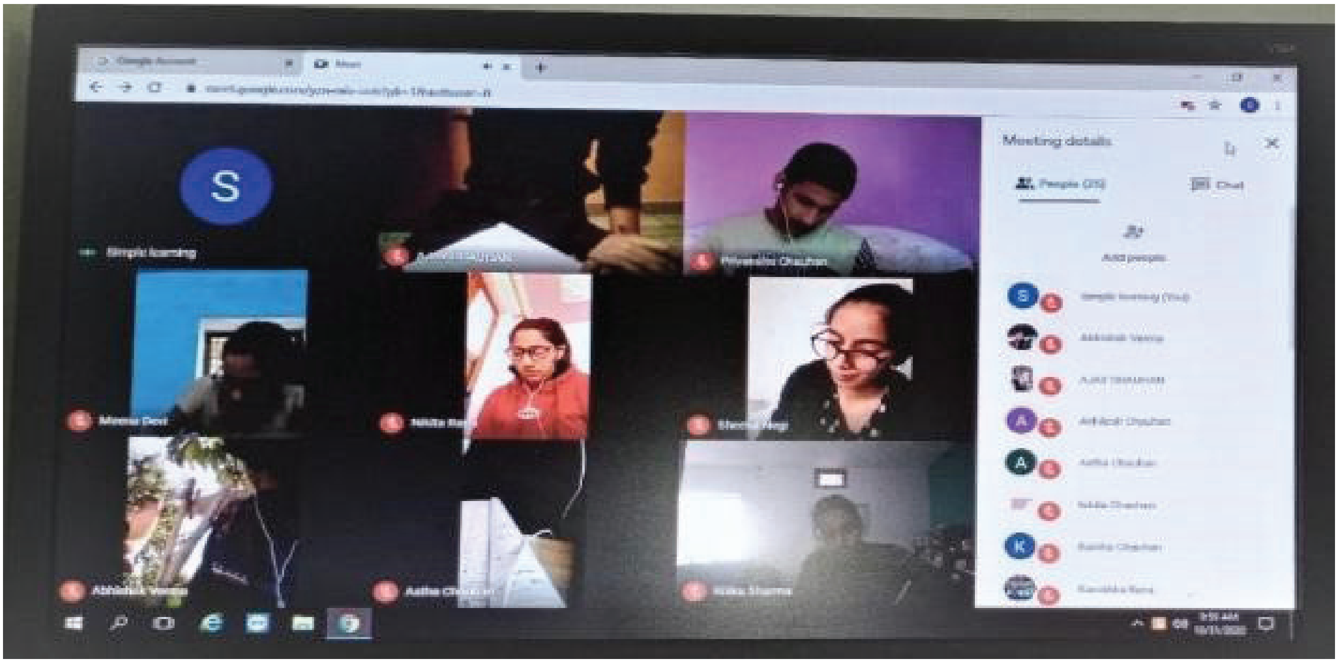

लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन

ञ. स्कूलों की सीबीएसई संबद्धता में सुविधा

विभिन्न श्रेणियों के तहत सीबीएसई संबद्धता के लिए आवेदन करने हेतु ईएमआरएस को प्रोत्साहित और सरल बनाने के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं। सीबीएसई संबद्धता के संबंध में प्रगति निम्नानुसार है–

1. सीबीएसई संबद्धता पोर्टल में केवीएस और एनवीएस की तरह ईएमआरएस को एक अद्वितीय सरकारी स्कूल श्रेणी के रूप में शामिल करने से ईएमआरएस को शुल्क में छूट, अनिवार्य दस्तावेज छूट आदि के संदर्भ में सरकारी स्कूल श्रेणी को दिए गए लाभों का लाभ उठाने के लिए एक अतिरिक्त सुविधा प्रदान की गई है।

2. ईएमआरएस के सामने आने वाले तकनीकी मुद्दों के साथ–साथ सीबीएसई संबद्धता के लिए शुल्क/जुर्माने से छूट के मामलों के त्वरित निवारण के लिए सीबीएसई सचिव और अध्यक्ष, के साथ नियमित बातचीत की जा रही है।

3. ईएमआरएस से संबंधित सभी सीबीएसई संबद्धता मामलों की निगरानी सीबीएसई और मंत्रालय के बीच सीधे संपर्क के लिए नामित नोडल अधिकारी के माध्यम से की जाती है। स्कूलों के सामने आने वाले मुद्दों पर चर्चा और निवारण के लिए सीबीएसई संबद्धता इकाई और जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) के बीच मासिक ऑनलाइन बैठकें निर्धारित की जाती हैं।

4. संबद्धता के लिए आवेदन करते समय शामिल तंत्र और प्रविधियों (माड्यूल) पर स्कूल के प्रधानाचार्यों के उन्मुखीकरण के लिए ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया है।

5. ऑनलाइन फॉर्म के प्रबंध के माध्यम से प्रत्येक घटनाक्रम (साइकल) के लिए सीबीएसई संबद्धता मुद्दों का संकलन किया जाता है, जिसके आधार पर मुद्दों के निवारण की योजना के लिए सीबीएसई संबद्धता इकाई के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की जाती है।

6. दिसम्बर, 2021 तक, यह बताया गया है कि 367 कार्यात्मक ईएमआरएस में से 231 स्कूल सीबीएसई से संबद्ध थे; जबकि 60 स्कूलों की राज्य बोर्ड से सम्बन्धन है। इसके अलावा, 47 स्कूल संबद्धता की प्रक्रिया में है।

ट. निम्नलिखित संगठनों के साथ शैक्षिक सुधार में प्रगति के लिए समन्वय

- कौशल प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
- ईएमआरएस संबद्धता के लिए स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया
- अनुभवात्मक शिक्षण परियोजना (एक्सपेरिमेटल लर्निंग प्रोजेक्ट) के लिए टाटा ट्रस्ट और महात्मा गांधी इंटरनेशनल स्कूल (एमजीआईएस)
- छात्र हैकथॉन, स्कूल नवाचार केंद्र आदि के लिए शिक्षा नवाचार परिषद मंत्रालय।
- ईएमआरएस परामर्श (मेटरशीप) कार्यक्रम के लिए नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस)
- केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई)
- बड़े पैमाने के आकलन के भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क परीक्षण के लिए ऑस्ट्रेलियाई शैक्षिक अनुसंधान परिषद (एसीईआर)

छात्रवृत्ति स्कीमें:

जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) पॉच छात्रवृत्तियों का संचालन करता हैं, जैसे कि मैट्रिकपूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां केंद्र प्रायोजित स्कीमें हैं जबकि अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति (राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति), और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें हैं।

कक्षा नवीं तथा दसवीं में अध्ययनशील अनुसूचित जनजाति के जरुरतमंद विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति

8.13 उद्देश्यः– स्कीम का उद्देश्य कक्षा नवीं तथा दसवीं में अध्ययनशील अनुसूचित जनजाति के छात्रों की सहायता करना है ताकि विशेष रुप से शिक्षा के प्राथमिक से माध्यमिक स्तर में जाने तथा माध्यमिक स्तर के दौरान, स्कूल छोड़ने (ड्रॉप आउट) के मामले को कम किया जा सके, तथा शिक्षा के मैट्रिकोत्तर स्तर पर उन्हें प्रगति करने के बेहतर मौके प्राप्त हो सकें।

8.14 मुख्य विशेषताएं:

- यह एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है जो राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।
- पूर्वोत्तर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा जम्मू और कश्मीर जैसे पहाडी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों जहां निधियन अनुपात 90:10 है, के अलावा केन्द्र और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच निधियन अनुपात 75:25 है। बिना विधानमण्डल के संघ राज्य–क्षेत्रों के लिए शेयरिंग पैटर्न 100% केन्द्रीय अंश है।
- छात्रवृत्तियां केवल भारत में अध्ययन के लिए उपलब्ध है।
- राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन लाभार्थियों की पहचान, सत्यापन और समय पर छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए जिम्मेवार है।

8.15 पात्रताः

- विद्यार्थी अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए।
- उसके माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- वह केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित किसी अन्य मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति को प्राप्त न कर रहा हो।
- वह सरकारी स्कूल या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या केन्द्रीय/राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में नियमित, पूर्णकालिक विद्यार्थी होना चाहिए।
- किसी कक्षा में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए उपलब्ध होगी। यदि कोई विद्यार्थी किसी कक्षा में दोबारा पढ़ता है तो उसे दूसरे (उत्तरवर्ती) वर्ष के लिए उस कक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होगी।

8.16 लाभः

- छात्रवृत्तियों का भुगतान वर्ष में 10 माह की अवधि हेतु दिवा विद्यार्थियों के लिए 225/– रूपये प्रतिमाह की दर से तथा छात्रावासियों के लिए 525/– रूपये प्रतिमाह की दर से दिया जाता है।
- पुस्तकों तथा तदर्थ अनुदान का भुगतान दिवा छात्रों के लिए 750/– रूपये वार्षिक की दर से तथा छात्रावासियों के लिए 1000/– रूपये वार्षिक की दर से किया जाता है।
- अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग विद्यार्थी जो मान्यता प्राप्त निजी गैर–सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, अपनी दिव्यांगता के आधार पर 160/– रूपये से 240/– रूपये के बीच की दर पर मासिक भत्तों के लिए पात्र हैं।
- छात्रवृत्तियों का भुगतान एक शैक्षिक वर्ष में 10 माह की अवधि के लिए किया जाता है।
- प्रदत्त छात्रवृत्तियां अच्छे आचरण तथा उपस्थिति में नियमितता के अधीन जारी रहेगी। कक्षा IX में उत्तीर्ण होने के उपरांत कक्षा X के लिए इनका नवीनीकरण किया जायेगा।

8.17 कार्य निष्पादनः स्कीम के तहत वर्ष 2021–22 के लिए 400 करोड़ रूपये की राशि आवंटित की गई थी जिसमें से 31–12–2021 तक 389.18 करोड़ रूपये खर्च किए गए। वर्ष 2019–20 से 2021–22 (31–12–2021 तक) के दौरान राज्य–वार शामिल लाभार्थियों और जारी की गई केंद्रीय सहायता की विवरणी **अनुलग्नक – 8ख** पर दी गई है।

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम (पीएमएस)

8.18 उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्रः इस स्कीम का उद्देश्य माध्यमिकोत्तर (पोस्ट सेकेन्डरी) स्तर पर शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना उन सभी अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए खुली है जिनके माता–पिता की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तक है। छात्र देश में कही भी अध्ययन कर सकता है और छात्रवृत्ति का वितरण उस राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार के माध्यम से किया जाता है जहां वे अधिवासित है।

8.19 मुख्य विशेषताएंः

i. इस योजना में राज्य फीस नियामक बोर्ड द्वारा नियत की गई ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति की जाती है। छात्रों को पाठ्यक्रम के आधार पर अनुरक्षण भत्ता भी प्रदान किया जाता है। पाठ्यक्रमों को चार श्रेणियों में बांटा गया है और दरें 230/– रूपये प्रतिमाह से 1200/– रूपये प्रतिमाह है जैसा कि निम्नानुसार दर्शाया गया है।

समूह	पाठ्यक्रम	अनुरक्षण भत्ता की दर (रुपये प्रति माह)	
		छात्रावासी	दिवा छात्र
समूह I	एम.फिल, पीएचडी और पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च [मेडिसिन, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, सीए आदि] सहित स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम।	1200	550
समूह II	स्नातक/स्नातकोत्तर कोर्स करने के लिए फार्मेसी (बी फार्मा), नर्सिंग (बी नर्सिंग), एलएलबी, बीएफएस, अन्य पैरा–मेडिकल शाखाओं में [एमए, एम.एससी, एम.कॉम, एम.फार्मा, एम.एड आदि जैसे क्षेत्रों में] डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र	820	530
समूह III	स्नातक डिग्री के लिए अन्य सभी पाठ्यक्रमों को समूह I और II के तहत कवर नहीं किया गया उदाहरण के लिए बीए/बीएससी/बी.कॉम आदि।	570	300
समूह IV	सभी मैट्रिकोत्तर स्तर गैर–डिग्री [व्यावसायिक स्ट्रीम, आईटीआई पाठ्यक्रम, 3 वर्ष पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा पाठ्यक्रम, आदि]	380	230

उपर्युक्त के अलावा, अजजा के दिव्यांग छात्रों के लिए 160 रूपये से लेकर 240 रूपये तक प्रावधान किया गया है।

ii. दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए पाठक भत्ते का प्रावधान है और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सहायक और परिवहन भत्ते का प्रावधान है।

iii. छात्रवृत्ति वार्षिक आधार पर पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए प्रदान की जाती है और यह विद्यार्थियों के संतोषजनक निष्पादन और अच्छे आचरण पर निर्भर करती है।

iv. राज्य/संघ राज्य–क्षेत्र लाभार्थियों की पहचान, सत्यापन और समय पर छात्रवृतियाँ प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।

8.20 निधियन पद्धतिः स्कीम राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा जम्मू और कश्मीर जैसे पर्वतीय राज्यों जहां निधियन अनुपात 90:10 है, के अलावा केंद्र और अन्य सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच निधियन अनुपात 75:25 है। बिना विधानमण्डल के संघ राज्यक्षेत्रों के लिए शेयरिंग पैटर्न 100% केन्द्रीय अंश है।

8.21 कार्य–निष्पादनः 1993.00 करोड़ रुपये के बजट आवंटन की तुलना में दिनांक 31–12–2021 तक 1891.45 करोड़ रुपये की राशि (अंब्रेला स्कीम के सामान्य घटक) जारी की गई थी। वर्ष 2019–20 से 2021–22 (31–12–2021 तक) के दौरान राज्य–वार लाभार्थियों तथा निर्मुक्त की गई केन्द्रीय सहायता का विवरण **अनुलग्नक–8** ग में दिया गया है।

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

8.22 उद्देश्यः इस स्कीम का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति से संबंधित विद्यार्थियों को एम.फिल और पीएचडी जैसे उच्चतर अध्ययनों हेतु वित्तीय सहायता के रुप में अध्येतावृत्तियां प्रदान करना है।

8.23 कवरेजः यह स्कीम निम्नानुसार भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों को कवर करती है:—

i. यूजीसी अधिनियम की धारा 2(च) तथा 12(ख) अथवा 2(च) और 12(ख) के तहत शामिल विश्वविद्यालय/ संस्थान/महाविद्यालय

ii. यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत शामिल मानित विश्वविद्यालय तथा वे यूजीसी से सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

iii. केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालय / संस्थान / महाविद्यालय

iv. राष्ट्रीय महत्व वाले संस्थान

अध्येतावृत्ति की अवधि निम्नानुसार है:—

क.	एम.फिल	2 वर्ष
ख.	पीएचडी	5 वर्ष
ग.	एम.फिल पूरी होने के पश्चात पीएचडी में नामांकन	2 वर्ष (एम.फिल) तथा 3 वर्ष (पीएचडी)

पाठ्यक्रम	राशि (रु.)	आकस्मिकता	एचआरए	एस्कॉर्ट्स/रीडर सहायता
एम.फिल	प्रतिमाह 25000/— रूपये की दर से	i. मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान के लिए प्रतिवर्ष 10,000/— रूपये ii. विज्ञान, इंजिनियरिंग प्रौद्योगिकी के लिए प्रतिवर्ष 12,000/— रूपये	विश्वविद्यालय / संस्थान / महाविद्यालय के नियमों के अनुसार	सभी विषयों के लिए दिव्यांग तथा दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के मामले में प्रतिमाह 2000/— रूपये
पीएचडी	प्रतिमाह 28000/— रूपये की दर से	i. मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान के लिए प्रतिवर्ष 20,500/— रूपये ii. विज्ञान, इंजिनियरिंग प्रौद्योगिकी के लिए प्रतिवर्ष 25,000/— रूपये		

8.24 निधियन पद्धतिः यह एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम है और केन्द्र सरकार द्वारा समस्त वित्त पोषण किया जाता है। अध्येतावृत्ति की दरें पिछले पृष्ठ पर हैं:

निधियों को सीधे ही स्कॉलर (अध्येता) के एकाउन्ट में 2011 से यूजीसी द्वारा नामित अधिकृत केनरा बैंक के माध्यम से अन्तरित किया जाता है। छात्रों को छात्रवृत्ति राशि जारी करने के लिए तिमाही अनुवर्ती (कन्टिन्यूएशन) प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

8.25 प्रमुख विशेषताएं:

- इस स्कीम के अंतर्गत प्रतिवर्ष अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को 750 अध्येतावृत्तियां दी जाती हैं।
- अध्येतावृत्ति की अधिकतम अवधि 5 वर्ष है।
- इस स्कीम में आय की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।

8.26 कार्य–निष्पादनः वर्ष 2020–21 के दौरान 31.12.2021 तक 150.00 करोड़ रूपये के बजट आवंटन की तुलना में 96.69 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई थी (छात्रवृत्ति (टॉप क्लास) घटक सहित)। शैक्षणिक वर्ष 2021–22 के लिए चयन प्रक्रिया जारी है।

8.27 प्रतिभा पूलः जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) की जनजातीय प्रतिभा पूल पहल का उद्देश्य लर्निंग (सीखने), समर्थन, योगदान और मान्यता का वातावरण प्रदान करके अनुसूचित जनजाति (एसटी) विद्वानों (स्कॉलर) का विकास करना है और उन्हें केंद्र और राज्य स्तर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किए गए विभिन्न अनुसंधान और मूल्यांकन गतिविधियों में भाग लेने में सक्षम बनाना है। जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) अध्येतावृति योजना में एम.फिल और पीएचडी करने के लिए हर साल 3000 से अधिक शोध विद्वानों को वित्त पोषित कर रहा है, जिसमें पूरे भारत के अनुसूचित जनजाति (एसटी) विद्वान चुनिंदा विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं। जनजातीय प्रतिभा से जुड़ने के लिए, उनकी रुचि के क्षेत्रों को समझकर और उन्हें उद्यमियों, शोधकर्ताओं के रूप में विकसित करने और उनके कल्याण के लिए भारत सरकार की विभिन्न अन्य योजनाओं के बारे में जागरूक करने के लिए उनकी क्षमता का उपयोग करने के लिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) के साथ एक अनूठी पहल की है।

राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान, (एनटीआरआई), भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, आईआईपीए, नई दिल्ली, कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान, ओडिशा और एससीएसटीआरटीआई, ओडिशा के सहयोग से 23 से 24 सितंबर 2021 तक दो दिवसीय आभासी "राष्ट्रीय जनजातीय प्रतिभा पूल कॉन्क्लेव" का आयोजन किया गया था। कार्यशाला के दौरान, 250 से अधिक अनुसूचित जनजाति (एसटी) शोधार्थी जो ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के विभिन्न विश्वविद्यालयों से थे, उनके पर्यवेक्षक और विश्वविद्यालयों के गाइड के मध्य वार्तालाप हुई व इन्होंने विभिन्न गतिविधियों के लिए इंटरैक्टिव सत्र में भाग लिया।

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (उच्च श्रेणी) (टॉप क्लास)) स्कीम (स्नातक स्तर):

8.28 उद्देश्यः इस स्कीम का उद्देश्य प्रतिभाशाली अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को 246 संस्थानों की नामित सूची में डिग्री (स्नातक) और पोस्ट डिग्री (स्नातकोत्तर) स्तर के अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना है जिनकी, पैतृक आय 6.00 लाख रूपये से कम हैः यह स्कीम 2007–08 में शुरु की गई हैः वित्तीय वर्ष 2015–16 से प्रत्येक वर्ष नई छात्रवृत्तियों की कुल संख्या 1000 है।

8.29 प्रमुख विशेषताएंः

(i) सभी स्रोतों से अजजा विद्यार्थियों की पारिवारिक आय प्रति वर्ष 6.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ii) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को सरकार / सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थानों के संबंध में पूर्ण ट्यूशन शुल्क और अन्य अप्रतिपूर्ति योग्य देयताओं को कवर करते हुए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। हालांकि, निजी संस्थानों के लिए प्रति छात्र प्रति वर्ष 2.50 लाख रुपये की सीमा होगी।

(iii) योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 100% वित्त–पोषित है तथा निधियां संबंधित लाभार्थी / संस्थान के बैंक खाते में सीधे निर्मुक्त की जाती है।

(iv) छात्रवृत्ति (उच्च श्रेणी) हेतु वित्तीय सहायता।

संघटक	विवरण
ट्यूशन फीस	सरकार /सरकारी द्वारा वित्त–पोषित संस्थानों के संबंध में पूरी ट्यूशन फीस और अन्य अप्रतिपूर्ति देय
पुस्तकें और स्टेशनरी	रू. 3000 /– की दर से
निर्वाह खर्च	रू. 26400 /– प्रति वर्ष
कंप्यूटर और अनुषंगी उपकरण	रू. 45000 /– कार्यकाल के दौरान एक बार सहायता

8.30 कार्य निष्पादनः वर्ष 2021–22 के दौरान 150.00 करोड़ रूपए के बजट अनुमान की तुलना में 31.12.2021 तक 96.69 करोड़ रूपए का व्यय किया गया था (अध्येतावृत्ति घटक सहित)। चयन प्रक्रिया एक समर्पित पोर्टल https://scholarships.gov.in (राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल) के माध्यम से प्रबंधित की जाती है, जिस पर शैक्षणिक वर्ष 2021–22 के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, एनएसपी पोर्टल 16. 08.2021 से 15.01.22 तक खुला था। नए उम्मीदवारों के ऑनलाइन सत्यापन के बाद, सचिव की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जो चयन के लिए मानदंड भी तय करती है। धनराशि सीधे डीबीटी के माध्यम से छात्र के आधार लिंक्ड बैंक खाते और संस्थान खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है। विश्वविद्यालयों और छात्रों के साथ निगरानी और समन्वय के लिए राज्यवार, संस्थान वार, लिंग वार, विषय (स्ट्रीम) वार रिपोर्ट जैसी विभिन्न एमआईएस रिपोर्टों के लिए सुविधा है।

8.31 ईएटी मॉड्यूल का कार्यान्वयनः मंत्रालय के पीएफएमएस ईएटी (व्यय अग्रिम हस्तांतरण) मॉड्यूल के तहत 200 संस्थान हैं और इसके परिणामस्वरूप योजना के तहत निधि की निगरानी सुदृढ़ हुई है।

विदेश में उच्चतर अध्ययन के लिए अनुसूचित जनजाति के छात्रों को राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति (एनओएस):

8.32 उद्देश्यः इस केंद्रीय क्षेत्र स्कीम का उद्देश्य स्नातकोत्तर, पी.एच.डी. तथा डॉक्टोरत्तर अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए विदेश में उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने हेतु चयनित विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

8.33 कार्य क्षेत्रः विदेश में स्नातकोत्तर, डाक्टरोत्तर तथा पोस्ट डाक्टरोत्तर स्तर के पाठ्क्रम पढ़ने वालों के लिए अनुसूचित जनजाति के 17 अभ्यर्थियों तथा विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) से संबंधित 3 अभ्यर्थियों को वार्षिक आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान की जा सकती है।

8.34 मुख्य विशेषताएंः

i. यह छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों (प्रत्येक परिवार से एक सदस्य) को दी जाती है बशर्ते कि उम्मीदवार और उसके माता–पिता /अभिभावक की कुल आय 6 लाख रूपये प्रतिवर्ष से अधिक न हो।

ii. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए, अभ्यर्थी के 55% अंक या समकक्ष ग्रेड वाली संगत स्नातक डिग्री के साथ कम से कम दो वर्षों का कार्य अनुभव वांछनीय है। अनुभवी उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाती है। एम.फिल या पीएचडी पाठ्यक्रम के लिए, अभ्यर्थी के 55% अंक या समकक्ष ग्रेड वाली स्नातकोत्तर डिग्री के साथ दो वर्षों का अनुसंधान/शिक्षण/एम. फिल संबंधित क्षेत्र में डिग्री वांछनीय है। अनुभवी उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। पोस्ट डॉक्टोरल अध्ययन के लिए उम्मीदवार के 55% अंक या समकक्ष ग्रेड वाली स्नातकोत्तर

डिग्री और संगत क्षेत्र में 5 वर्षों का वांछनीय अध्यापन / अनुसंधान / व्यावसायिक अनुभव वांछनीय है।

iii. उम्मीदवारों से विदेश में किसी विश्वविद्यालय / कालेज में चयन की तारीख से 2 वर्षों के अंदर अपने द्वारा स्वयं दाखिले की व्यवस्था करना अपेक्षित है।

छात्रवृत्ति और अन्य भत्तों की दरें: –

घटक	यूएस डॉलर / यू के पाउंड में राशि
i). ट्यूशन फीस	वास्तविक के अनुसार
ii). वार्षिक रखरखाव भत्ता	$ 15,400 (यूके को छोड़कर यूएसए और अन्य देश) £ 9,900 (यूके के लिए)
iii). वार्षिक आकस्मिकता और उपकरण भत्ता	$ 1532 (यूके को छोड़कर यूएसए और अन्य देश) £ 1116 (यूके के लिए)
iv). पोल टैक्स, आकस्मिक यात्रा व्यय, चिकित्सा बीमा प्रीमियम, हवाई मार्ग की लागत, स्थानीय यात्रा, वीजा शुल्क	वास्तविक, जहाँ कहीं लागू हो

8.35 यात्रा अनुदान: इस स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति तथा पीवीटीजी अभ्यर्थियों को चार 'वार्षिक यात्रा अनुदान' भी प्रदान किए जाते हैं। यात्रा अनुदान ऐसे उम्मीदवारों के लिए पूरे वर्ष भर खुले हैं जो विदेश में स्नातकोत्तर अध्ययनों, अनुसंधान या प्रशिक्षण के लिए किसी विदेशी विश्वविद्यालय / सरकार या किसी अन्य योजना के अंतर्गत प्रतिभा–छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं ,जहां यात्रा की लागत नहीं दी जाती है। इस योजना में इकोनॉमी–क्लास द्वारा भारत से आने–जाने के लिए अनुदान उपलब्ध है।

8.36 निधियन प्रतिमान: मंत्रालय द्वारा चयनित अभ्यार्थियों को विदेश में भारतीय मिशन के माध्यम से सीधे अनुदान दिए जाते हैं।

8.37 कार्य–निष्पादन: वर्ष 2021–22 के दौरान 20 विद्यार्थियों का चयन वर्ष 2020–21 के लिए किया गया है तथा वर्ष 2021–22 के लिए भी विद्यार्थियों का चयन किया जा रहा है। वर्ष 2021–22 के लिए 3.00 करोड़ रूपये के बजट आवंटन की तुलना में 31.12.2021 तक 2.46 करोड़ रूपये की राशि निर्मुक्त की गई है। चयन प्रक्रिया का प्रबंधन एक समर्पित पोर्टल https://tribal.nic.in/nos.aspx के माध्यम से किया जाता है, जिस पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। शैक्षणिक वर्ष 2021–22 के लिए आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया जारी है। पात्र छात्रों के आवेदनों की स्क्रीनिंग समिति द्वारा ऑनलाइन जांच की जाती है और 20 उम्मीदवारों को विशेषज्ञ समिति द्वारा चुना जाता है, जिसमें प्रतिष्ठित संस्थानों से इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबंधन और कला संकाय के 10 विशेषज्ञ शामिल होते हैं।

8.38 उमंग ऐप : राष्ट्रीय अध्येतावृति स्कीम और राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति स्कीम को 'मेइटी की उमंग' के साथ एकीकृत किया गया है। छात्र, अब इन स्कीमों के तहत आवेदन भरने और देखने के लिए मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं।

8.39 ई–पहल (डीबीटी पोर्टल): कई राज्यों द्वारा 2018 तक, मैट्रिकपूर्व और मैट्रिकोत्तर दोनों योजनाओं

को मैनुअल मोड में लागू किया जा रहा था। आवेदन भौतिक (फिजिकल) रूप में आमंत्रित किए गए थे और संबंधित संस्थानों / जिला अधिकारियों द्वारा मैन्युअल रूप से सत्यापित किए गए थे। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में भी, प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) और सत्यापन प्रक्रिया कागज आधारित होने के कारण बोझिल, समय लेने वाली थी जिसके परिणामस्वरूप फर्जी लाभार्थियों और धोखाधड़ी वाले संस्थानों को लाभ मिलने की अधिक संभावना के कारण छात्रवृत्ति के भुगतान में देरी हुई। कई राज्यों में छात्रवृत्ति घोटाले हुए। राज्यों और छात्रों के साथ मजबूत संचार या शिकायत निवारण तंत्र की अनुपस्थिति के साथ संयुक्त बकाया राशि के भारी लम्बन के कारण, अंतर–राज्य परिषद में कई उच्च न्यायालय के मामले और विवाद थे।

2018 में डीबीटी मिशन ने विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए, जिसमें छात्रवृत्ति जारी करने की पूरी प्रक्रिया को डिजिटलीकृत करने के निर्देश दिए गए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्रवृत्ति की राशि सीधे छात्र के आधार से जुड़े बैंक खाते में स्थानांतरित की जाए, जिसमें योजना विशिष्ट एमआईएस के विकास के साथ लाभार्थी की जानकारी हासिल करने की सुविधा हो। सभी 5 योजनाओं को समर्पित योजना विशिष्ट पोर्टलों के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है।

छात्रवृत्ति योजना	यूआरएल
मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना	https://dbttribal.gov.in
मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	https://dbttribal.gov.in
राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना	https://fellowship.tribal.gov.in
अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना	https://scholarships.gov.in
राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना	https://overseas.tribal.gov.in

तदनुसार, छात्रवृत्ति योजनाओं के कार्यान्वयन की पूरी प्रक्रिया को पेपर–आधारित प्रारूप से डिजिटल मोड में स्थानांतरित करने के साथ निम्नलिखित विशेषताओं के साथ सुधार किया गया है।

(i) राज्यों द्वारा डेटा साझाकरण, डेटा विश्लेषण और प्रदर्शन डैशबोर्डः सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास अब या तो अपना पोर्टल है या वे आवेदन आमंत्रित करने और संसाधित करने के लिए एमईआईटीवाई द्वारा विकसित राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) का उपयोग कर रहे हैं। चूंकि ये पोर्टल अलग–अलग प्लेटफॉर्म पर हैं, विभिन्न डेटाबेस और विभिन्न प्रारूपों का उपयोग करते हुए, राज्यों द्वारा डेटा साझा करने के लिए एक 31–फील्ड (क्षेत्र) सामान्य प्रारूप तैयार किया गया है ताकि लाभार्थी विवरण, बैंक विवरण, स्कूल का स्थान, पाठ्यक्रम विवरण और लेन देन विवरण प्राप्त किया जा सके। डीबीटी पोर्टल में राज्यों को वेब सेवाओं, एक्सेल/सीएसवी फाइल के माध्यम से या राज्य की आईटी क्षमता के आधार पर डेटा की मैन्युअल प्रविष्टि के माध्यम से लाभार्थी डेटा ऑनलाइन साझा करने की सुविधा दी गई है। राज्यों को प्रश्न, दस्तावेज उपयोग प्रमाण पत्र, और ऑनलाइन व्यय विवरण अपलोड करने और मंत्रालय के अधिकारियों के साथ संवाद करने की सुविधा भी दी गई है जिससे प्रसंस्करण समय और शिकायतें कम हो गई हैं। संपूर्ण डेटा को एनआईसी द्वारा प्रबंधित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डेटा एनालिटिक्स (सीईडीए) के साथ परिमार्जित (क्लीन), संकलित, एकत्रित और साझा किया जाता है। डुप्लिकेट और धोखाधड़ी के मामलों का पता लगाने के लिए डेटा का विश्लेषण किया जाता है और छात्रवृत्ति वितरण तंत्र में सुधार के लिए डेटा एनालिटिक्स रिपोर्ट राज्यों के साथ साझा

की जाती है। डेटा का उपयोग विभिन्न राज्यों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए भी किया जाता है और मंत्रालय के प्रदर्शन डैशबोर्ड पर साझा किया जाता है। संकलित डेटा को आउटपुट परिणाम संकेतकों की निगरानी के लिए डीबीटी मिशन, प्रयास डैशबोर्ड और नीति आयोग के साथ भी साझा किया जाता है।

(ii) डिजी – लॉकर के साथ एकीकरणः अध्येतावृति और समुद्रपारीय छात्रवृत्ति पोर्टल दोनों को डिजी–लॉकर के साथ एकीकृत किया गया है। डिजी–लॉकर पर उपलब्ध सभी दस्तावेज सत्यापन के लिए आवेदन के रूप में स्वतः प्राप्त हो जाते हैं।

(iii) अध्येतावृति पोर्टल के साथ विश्वविद्यालयों का एकीकरणः सभी 331 विश्वविद्यालय जहां छात्र शोध कर रहे हैं, उन्हें "सत्यापन मॉड्यूल" के माध्यम से फैलोशिप पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है, जिसमें विश्वविद्यालय के पंजीकृत नोडल अधिकारी डिजी–लॉकर पर उपलब्ध दस्तावेजों और विद्वान द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों को देख सकते हैं और आवेदन को डिजिटल रूप से स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं।

(iv) शिकायत निवारण और संचार तंत्रः तेजी से संचार और शिकायत निवारण के लिए, सभी हितधारकों, अर्थात छात्रों, विश्वविद्यालयों, संवितरण के लिए अधिकृत बैंक और डिजी–लॉकर को फैलोशिप पोर्टल के "संचार मॉड्यूल" के साथ पंजीकृत किया गया है। छात्रों को यूजर मैनुअल, वीडियो क्लिपिंग, फोन हेल्पलाइन, ईमेल, हेल्प डेस्क द्वारा दूरस्थ पहुँच (रिमोट एक्सेस) के माध्यम से निरंतर मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाता है।

इन पहलों के परिणामस्वरूप मैनुअल पेपर–आधारित यूसी–आधारित निगरानी से डेटाबेस ऑनलाइन निगरानी में एक आदर्श बदलाव आया है। जारी की गई निधियॉ और उनके उपयोग की मैपिंग की जा रही है। सत्यापन प्रक्रिया को मजबूत किया गया है और इसने फर्जी और धोखाधड़ी के मामलों को रोका है और इसके परिणामस्वरूप त्वरित और मजबूत शिकायत निवारण तंत्र के साथ समय की बचत हुई है। सभी हितधारकों का प्रदर्शन, लाभार्थियों के जिलेवार विवरण और जिस तरीके से निधियों का उपयोग किया गया है, को प्रदर्शन डैशबोर्ड के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है। केपीएमजी ने नीति आयोग के अपने जनादेश के भाग के रूप में, सामाजिक समावेश पर केंद्रित केंद्र प्रायोजित योजनाओं का राष्ट्रीय मूल्यांकन किया है और जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पोर्टल को ई–गवर्नेंस में सर्वोत्तम पद्धति के रूप में मान्यता दी है, जिससे अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सेवा वितरण में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और आमूलचूल सुधार हुआ है। मंत्रालय ने 2020 में "आईटी सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से जनजातियों के सशक्तिकरण" के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड भी जीता।

8.40. मंत्रालय जनजातीय उप–योजना को विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) योजना लागू कर रहा है और राज्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत राज्यों को निधियॉ भी प्रदान करता है। मंत्रालय द्वारा अन्य बातों के साथ–साथ शिक्षा क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों जैसे मौजूदा भवन अवसंरचना के अतिरिक्त, सह–शिक्षा आवासीय विद्यालयों का निर्माण, लड़कियों और लड़कों के छात्रावासों का निर्माण, आश्रम विद्यालयों का निर्माण, आवासीय विद्यालयों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों के निर्माणय आईटी आधारित शिक्षा सुविधाएं/उपकरण आदि के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं। आश्रम स्कूलों, लड़कों और लड़कियों के छात्रावासों और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र (वीटीसी) से संबंधित हस्तक्षेपों को "टीएसएस को एससीए" और भारत के "संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान" की योजना के तहत शामिल किया गया है।

अध्याय– 9

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास की योजना

9.1 जनजातीय आबादी में कुछ समूह ऐसे हैं जिनकी सदस्यों की संख्या घट रही है या स्थिर है, साक्षरता का स्तर निम्न और प्रौद्योगिकी कृषि–पूर्व स्तर की है और वे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। ये समूह सामान्यतः घटिया अवसंरचना एवं कम प्रशासनिक सहायता वाले सुदूर क्षेत्रों में निवास करते हैं। 18 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के 75 ऐसे समूहों की पहचान की गई है तथा उन्हें श्रेणीबद्ध किया गया है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की राज्य–वार सूची **अनुलग्नक–9** क में दी गई है।

पीवीटीजी के विकास की योजना

9.2 पीवीटीजी समुदायों को केन्द्र सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय और राज्य सरकारों के जनजातीय कल्याण विभागों की सभी स्कीमों में सहायता दी जा रही है। यद्यपि, 1998–99 में ऐसे समुदायों के लिए एक समर्पित स्कीम शुरू की गई थी। पीवीटीजी के विकास के लिए यह अनन्य रूप से एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम है और केन्द्र सरकार से 100% वित्त पोषित है।

स्कीम का कार्यक्षेत्र और कार्यान्वयन

9.3 राज्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की विकासात्मक गतिविधियों क्रमशः आवास, भूमि संवितरण, भूमि विकास, कृषीय वृद्धि, मवेशी विकास, संपर्क, प्रकाश के उद्देश्य के लिए ऊर्जा के गैर–परम्परागत स्रोतों की संस्थापना, सामाजिक सुरक्षा अथवा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के व्यापक सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए अभिप्रेत कोई अन्य नवाचारी गतिविधियां पर ध्यान केन्द्रित करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। संरक्षण–सह–विकास योजनाएं (सीसीडी) राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह द्वारा, उनके द्वारा किए गए आधारभूत (बेसलाइन) या अन्य सर्वेक्षणों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अधिवास विकास दृष्टिकोण अपनाकर पांच वर्षों के लिए तैयार की जाती है और मंत्रालय की परियोजना आंकलन समिति द्वारा इन्हें अनुमोदित की जाती है।

संरक्षण – सह – विकास (सीसीडी)/ वार्षिक योजनाओं की जांच और अनुमोदन

9.4 सचिव, जनजातीय कार्य की अध्यक्षता में मंत्रालय की एक परियोजना आकलन समिति (पीएसी) राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के संरक्षण–सह–विकास (सीसीडी)/ वार्षिक योजनाओं के प्रस्तावों की जांच करती है और उनके तहत संगत क्रियाकलापों के लिए निधि का अनुमोदन करती है। वर्ष 2021–22 (31.12.2021 तक) के दौरान, मंत्रालय ने 12 राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों (अर्थात आंध्र प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तराखंड) के संबंध में 2021–22 के दौरान उनके संबंधित संरक्षण–सह–विकास

(सीसीडी) योजनाओं के तहत विभिन्न परियोजनाओं की गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए निधियां जारी की हैं।

निधियन पद्धति

9.5 यह 100% केन्द्र प्रायोजित योजना है। निधियां सामान्यतः सीसीडी योजना में विशेष वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप राज्यों को एक या अधिक किस्तों में निर्मुक्त की जाती हैं।

निगरानी (मॉनीटरिंग) और मूल्यांकन

9.6 मंत्रालय ने स्कीम की प्रत्यक्ष (फिजिकल) और वित्तीय प्रगति निगरानी के लिए आदिग्राम पोर्टल विकसित किया है। राज्यों/संघ राज्य–क्षेत्रों में रहने वाली पीवीटीजी जनसंख्या का आंकलन करने हेतु राज्यों को बेसलाइन (आधारभूत) सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया है। योजना का मूल्यांकन भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) द्वारा किया गया है। आईआईपीए की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:

- सभी राज्यों को सीसीडी योजना के तहत सूक्ष्म योजना परियोजनाओं का गठन करना चाहिए, जिसमें न केवल बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया जाए बल्कि पारंपरिक आजीविका और कौशल विकास को भी मजबूत किया जाए। सीसीडी योजनाओं में 3 से 5 वर्ष का दीर्घकालीन दृष्टिकोण होना चाहिए।
- पेयजल और स्वच्छता का प्रावधान, सिंचाई के बुनियादी ढांचे का निर्माण और पीवीटीजी आवास की सभी मौसम सड़कों के साथ कनेक्टिविटी (संपर्क)।
- पीवीटीजी समुदायों के लिए उप केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण के लिए मानदंडों में छूट।
- यह उल्लेख करने के प्रावधान के साथ जाति प्रमाण पत्र जारी करना कि व्यक्ति मिशन मोड में पीवीटीजी समुदाय से है।
- वन उपजों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए पीवीटीजी क्षेत्रों में एमएफपी को एमएसपी योजना का कार्यान्वयन।
- वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत वास अधिकारों की मान्यता।

आवंटन और व्यय

9.7 पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पीवीटीजी के विकास की स्कीम के तहत किया गया आवंटन तथा निर्मुक्ति/व्यय **तालिका–9** में दिया गया है:–

तालिका 9: 2019–20 से 2021–22 के दौरान आवंटन और निर्मुक्तियां (31.12.2021 तक की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय/निर्मुक्ति
2019–20	250.00	250.00	249.99
2020–21	250.00	140.00	140.00
2021–22	250.00	160.00	143.03

वर्ष 2021–22 के दौरान 31.12.2021 तक 12 राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों को 143.03 करोड़ रूपये जारी किए गए। योजना के तहत 2019–20 से 2021–22 के दौरान जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार ब्योरा **अनुलग्नक– 9 ख** में दिया गया है।

अध्याय 10

अनुसंधान, सूचना और जनसंचार

जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) को सहायता

10.1 देश भर में 27 जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) हैं, जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्थापित और प्रशासनिक रूप से समर्थित हैं। जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) का विवरण **अनुलग्नक–10क** में दिया गया है। यह परिकल्पना की गई है कि जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को, साक्ष्य आधारित आयोजना तथा उपयुक्त विधानों, जनजातीय लोगों तथा जनजातीय कार्य से जुड़े व्यक्तियो/संस्थानों की क्षमता निर्माण, सूचना के प्रसार व जागरूकता निर्माण, जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु कम या अधिक विचारक–मण्डल (थिंक–टैंक) तथा एक अनुसंधान निकाय के रूप में कार्य करना चाहिए।

10.2 जनजातीय कार्य मंत्रालय, इन जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को उनकी अवसंचनात्मक जरूरतों, अनुसंधान और प्रलेखन गतिविधियों और प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों आदि में सुदृढ़ीकरण के लिए "टीआरआई को सहायता" योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार दिसंबर, 2017 में 'टीआरआई को सहायता' योजना के तहत की जाने वाली गतिविधियां इस प्रकार हैं:

10.2.1 अवसंरचना निर्माण

क. टीआरआई (एस)/राष्ट्रीय टीआरआई के लिए आधुनिक भवन।

ख. गृह – व्यवस्था (हाउस – कीपिंग), दैनिक अनुरक्षण, उपयोग बिल आदि जैसेदैनिक रख–रखाव को छोड़कर, मौजूदा टीआरआई भवन की मरम्मत/विस्तार/उन्नयन।

ग. वास्तविक संग्रहालयों सहित जनजातीय संग्रहालय/स्मारक स्थापित करने के लिए सहायता।

घ. डिजिटल कोष (रिपोजिटरी) सहित पुस्तकालय स्थापित करने के लिए सहायता।

ङ. टीआरआई भवन में सम्मेलन कक्ष, प्रशिक्षण/संसाधन केन्द्र, प्रशिक्षण छात्रावास।

च. टीआरआई/संग्रहालय परिसर में अथवा राज्य में अन्य स्थानों पर जनजातीय भोजन (फूड) कैफे, कारीगर कॉर्नर, जनजातीय कला तथा कारीगरी की प्रर्दशनी–सह–बिक्री केन्द्र, स्मारक इत्यादि स्थापित करना।

10.2.2 अनुसंधान तथा प्रलेखन (श्रव्य/दृश्य/वर्चुअल वास्तविक (वीआर)/विस्तृत वास्तविक (एआर) तथा नई प्रौद्योगिकी सहित)

(क) जनजातीय कल्याणकारी उपाय।

(ख) सफलता की कहानियां ।

(ग) जनजातीय प्रोफाइल ।

(घ) जनजातीय भाषा, संस्कृति, परम्परा, कला तथा कारीगरी, परम्परागत चिकित्सा प्रक्रियाएं, जनजातीय कथाएं तथा कहानियां, जनजातीय पाक कला तथा अन्य विशिष्ट लक्षण ।

(ङ) विभिन्न सरकारी उपायों की निगरानी तथा मूल्यांकन ।

(च) स्थानीय जनजातीय भाषाओं में प्रवेशिकाएं (प्राइमर) तैयार करना तथा उनका मुद्रण।

(छ) जनजातीय कला, परम्परा तथा संस्कृति से संबंधित कोई अन्य पहलू।

10.2.3 प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माणः

(क) वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 सहित अनुसूचित क्षेत्र/जनजातीय अधिकारों के संबंध में कानून/संवैधानिक प्रावधान, संसद ने पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा), अत्याचारों की रोकथाम अधिनियम, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन अधिनियम आदि अधिनियमित किए हैं।

(ख) सामाजिक–आर्थिक कार्यक्रमों से संबद्ध कार्यकर्ताओं तथा जनजातीय प्रतिनिधियों की क्षमता का निर्माण।

(ग) कारीगरों की क्षमता का निर्माणः कला तथा शिल्प, धातु शिल्प, चित्रकारी, नृत्य/नाटक, वस्त्र, हस्तशिल्प कारीगरों की क्षमता का निर्माण के साथ–साथ कला, शिल्प तथा डिजाइन आदि के लिए मूल्यवर्धन। इसमें किट और उपकरण इत्यादि शामिल किए जा सकते हैं।

(घ) जनजातीय संबंधी विभिन्न मुद्दों पर संगोष्ठियां, सम्मेलन तथा कार्यशालाएं आयोजित करना।

(ड.) विचारक–मण्डल (थिंक टैंक) से जुड़े हुए कार्यकलाप।

10.2.4 अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जनजातीय त्योहारों/यात्राओं का आयोजन।

10.2.5 "जनजातियों द्वारा यात्राओं का आदान–प्रदान" आयोजित करना, ताकि वे संस्कृति और परंपराओं का व्यापक परिप्रेक्ष्य अथवा पृष्ठभूमि जान सकें, सामाजिक–आर्थिक विकास /अन्य क्षेत्रों की सर्वोत्तम प्रथाओं को सीख सकें।

10.2.6. जनजातीय समुदायों या जनजातीय क्षेत्रों के लिए लाभकारी कार्य अनुसंधान परियोजनाएं।

10.3 "जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआईएस) को सहायता" स्कीम के तहत वित्त पोषणः यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जहां जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा टीआरआई को 100% अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। टीआरआई द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को परियोजना अनुमोदन समिति(पीएसी) के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाता है, जिसकी अध्यक्षता जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव द्वारा की जाती है। वित्तीय वर्ष 2020–21 और 2021–22 के दौरान "जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता" योजना के तहत राज्या/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी निधि का विवरण **अनुलग्नक–10ख** में दिया गया है।

जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआईएस) का नवीकरण और राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान (एनटीआरआई) की स्थापना

10.4. 2015 में, नीति आयोग ने जनजातीय कार्य मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, आंध्र प्रदेश, एवं मध्य प्रदेश के टीआरआई के प्रतिनिधियों और कुछ गैर–आधिकारिक सदस्यों / विशेषज्ञों के प्रतिनिधित्व के साथ डॉ. एस.एम. झारावल, चांसलर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, की अध्यक्षता में एक उप–समूह, का गठन किया। उप–समूह ने नीति आयोग के निर्देशन में राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी) के माध्यम स टीआरआईएस का एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण और कुछ चयनित जनजातीय अनुसंधान संस्थानों का मूल्यांकन अध्ययन किया। उप समूह की

रिपोर्ट में पाया गया कि जनजातीय अनुसंधान और विकास के लिए कोई राष्ट्रीय स्तर का संस्थान नहीं था। जनजातीय अनुसंधान संस्थानों की गतिविधियां प्रेरक नहीं थीं और उनमें से कई जनशक्तियों की कमी, प्रशासनिक बाधाओं, वित्तीय बाधाओं, बुनियादी ढांचे की बाधाओं आदि के कारण निष्क्रिय थीं। तथापि, जनजातीय विकास के लिए एक विचारण्क मंडल (थिंक टैंक) के रूप में ज्ञान और अनुसंधान के निकाय के रूप में काम करने की परिकल्पना की गई थी। राज्य के समाज कल्याण/जनजातीय कल्याण विभागों में कई टीआरआई नियमित प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त थे। इसलिए, वे सौंपे गए कार्यों को प्राप्त करने में विफल रहे।

10.5 उप–समूह द्वारा रिपोर्ट में दिए गए सुझावों के आधार पर, नीति आयोग ने मंत्रालय को राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को नवनीत करने और राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थान द्वारा अनुसंधानों के बेहतर समन्वय और गुणवत्ता के लिए राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान स्थापित करने के लिए कहा। टीआरआई योजना का बजट दिया गया है। 2013–14 में 13 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 2019–20 में 120 करोड़ रुपये कर दिया गया है। 2014–15 के बाद 9 टीआरआई स्वीकृत किए गए हैं। "टीआरआई को समर्थन" योजना के तहत कई राज्य और संघ राज्य क्षेत्र राज्य टीआरआई स्थापित करने के लिए आगे आए हैं और कई मौजूदा टीआरआई ने बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए निधि प्रदान करने का अनुरोध किया है। टीआरआई उत्तराखंड भवन का निर्माण कार्य माननीय जनजातीय कार्य मंत्री और उत्तराखंड के माननीय मुख्य मंत्री सीएम द्वारा 2019 में संपन्न हुआ और टीआरआई आंध्र प्रदेश का कार्य 15 अगस्त 2021 को पूरा होने पर उद्घाटन किया गया।

नए और मौजूदा टीआरआई का विवरण जिन्हें निर्माण और निर्माण की स्थिति के लिए निधि प्रदान की गई है, नीचे दिया गया है।

2014 के बाद स्वीकृत नए टीआरआई की भवनों की स्थिति

क्रम सं.	राज्य	स्थान	मंत्रालय द्वारा अनुमोदन का वर्ष	भवन की स्थिति	पूरा होने की संभावित तिथि
1	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	2014	संपन्न	15 अगस्त 2021 को उद्घाटन किया गया
2	अरुणाचल प्रदेश	नाहरलगुन	2018	उपर्युक्त	दिसंबर 2022
3	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	2016	उपर्युक्त	दिसंबर 2021
4	मिजोरम	आइजोल	2018	उपर्युक्त	जुलाई, 2022
5	नागालैंड	कोहिमा	2018	उपर्युक्त	जुलाई 2022
6	सिक्किम	गंगटोक	2016	उपर्युक्त	जुलाई 2022
7	मेघालय	वेस्ट गारो हिल्स	2018	उपर्युक्त	जनवरी, 2023
8	उत्तराखंड	देहरादून	2016	निजी इमारत	2019 में पूरा हुआ
9	गोवा	अभी निर्धारित की जानी है	2020	नहीं	स्थान को अंतिम रूप दिया जा रहा है

पुराने टीआरआई के उन भवनों स्थिति जहां भवनों को 2014 के बाद स्वीकृत किया गया था ।

क्रम सं.	राज्य	स्थान	टीआरआई की स्थापना का वर्ष	भवन स्वीकृति का वर्ष	पूरा होने की संभावित तिथि
1	तेलंगाना	हैदराबाद	1963	2018–19	31.12.2021
2	मणिपुर	इंफाल	1988	2018–19	मार्च 2023
3	त्रिपुरा	पश्चिम त्रिपुरा	1993	2018–19	मार्च 2023
4	कर्नाटक	मैसूर	2005	राज्य निधि से	31.12.2021

10.6 नीति आयोग की सिफारिश के अनुसार, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) के परिसर में एक राष्ट्रीय स्तर का जनजातीय अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जा रहा है और कार्यशील बनाया जा रहा है। यह संस्थान, राज्य टीआरआई के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करेगा और जनजातीय विकास से संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समन्वित अनुसंधान करने में जनजातीय कार्य मंत्रालय को सहायता/सुविधा प्रदान करेगा। इसके लिए, दिल्ली में जमीन आवंटित करने के लिए आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय से अनुरोध किया गया है। नीति आयोग के सीईओ ने भी एनटीआरआई के लिए भूमि आवंटन का मामला उठाया है।

10.7 यह देखा जा सकता है कि 2014–15 तक, केवल 18 राज्यों और अंडमान और निकोबार के 01(एक) संघ राज्य क्षेत्र में जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) कार्यशील थे। अब देश भर में 27 जनजातीय अनुसंधान संस्थान कार्यशील हैं। आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू–कश्मीर, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय और गोवा के 9 राज्यों में स्वीकृत नए टीआरआई कार्य कर रहे हैं। इनमें से कई राज्यों में टीआरआई भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अलावा, मौजूदा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और ओडिशा को भी धन स्वीकृत किया गया था। इनमें से कई टीआरआई को सोसायटियों में परिवर्तित कर दिया गया है ताकि नीति आयोग की सिफारिशों के आधार पर और ध्‍ान के सीधे अंतरण के लिए वे स्वायत्त निकायों के रूप में कार्य किया जा सके। नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना से जनजातीय अनुसंधान में सुधार और टीआरआई के बेहतर समन्वय और प्रबंधन में काफी मदद मिलेगी। एनटीआरआई का उद्देश्य विभिन्न राज्यों में स्थित जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सलाह देना और सहायता प्रदान करना है, और अनुसंधान कार्यों में गुणवत्ता और एकरूपता सुनिश्चित करना, मूल्यांकन अध्ययन, प्रशिक्षण, जनजातियों के बीच जागरूकता पैदा करना, भाषाओं सहित समृद्ध जनजातीय विरासत एवं पर्यावासों आदि का प्रदर्शन करना है।

जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयः

10.8 माननीय प्रधान मंत्री ने 15 अगस्त 2016 को अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों की स्थापना के संबंध में एक घोषणा की। उसका एक अंश प्रस्तुत हैः

"भाइयों और बहनों, जब हम आजादी के इतिहास, अपने देश के संघर्ष के बारे में बात करते हैं, तो कुछ लोगों के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, कुछ का अत्यधिक उल्लेख किया जाता है लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में जंगलों में रहने वाले लोगों, जनजातियों द्वारा किया गया योगदान बेजोड़ था। वे जंगलों में रहते थे। हम बिरसा मुंडा का नाम सुनते हैं लेकिन शायद कोई जनजातीय बहुल जिला नहीं होगा जहां 1857 से आजादी मिलने तक जनजातियों ने लड़ाई नहीं लड़ी होगी और बलिदान नहीं दिया होगा। उन्होंने अपने बलिदान से साबित कर दिया कि आजादी क्या है, गुलामी के खिलाफ संघर्ष क्या है। लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियां इस इतिहास से ज्यादा वाकिफ

नहीं हैं। सरकार की इच्छा और योजना है कि आने वाले दिनों में जिन राज्यों में ये स्वतंत्रता सेनानी, जो जनजातीय थे, जो जंगल में रहते थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, जो झुकने को तैयार नहीं थे। सरकार जनजातीय बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित विभिन्न राज्यों में स्थायी संग्रहालय बनाने की दिशा में काम करेगी, जहां भी इस उद्देश्य के लिए जमीन उपलब्ध होगी, जहां उनके योगदान और संस्मरण प्रदर्शित किए जाएंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियों को उनके देश के लिए किए गए बलिदानों के बारे में पता चल सके।"

इस ज्ञान को संरक्षित और प्रलेखित करने की आवश्यकता है, अन्यथा आने वाली पीढ़ियां देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका के बारे में नहीं जान पाएंगी।

10.9 माननीय प्रधान मंत्री की घोषणा के अनुसरण में, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने उन राज्यों में जहां जनजातीय रहते थे, स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों के निर्माण के लिए एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से बहुत बार परामर्शी बैठकें आयोजित की, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया और झुकने से इनकार कर दिया, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चल सके कि हमारे जनजातीय लोगों ने भारत माता के गौरव के लिए कैसे–कैसे बलिदान दिए हैं। मंत्रालय ने प्रगति की निगरानी सहित प्रस्तावों के मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए सचिव (जनजातीय कार्य) की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय स्तरीय समिति (एनएलसी) का गठन किया है।

एनएलसी में विभिन्न मंत्रालयों/संगठनों के सदस्य सहित संस्कृति मंत्रालय, राष्ट्रीय संग्रहालय, योजना और वास्तुकला विद्यालय, आईसीएचआर और साथ ही साथ एक बाहरी विशेषज्ञ शामिल हैं। एनएलसी की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार होती है। विभिन्न हितधारकों, इतिहासकारों, मानवविज्ञानी, निजी वास्तुकारों और राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई। इन अधिकारियों को, विरासत–ए–खालसा संग्रहालय, पंजाब और भोपाल में मानव संग्रहालय का दौरा कराया गया ताकि वे, संग्रहालय की डिजाइनिंग से कहानी और प्रौद्योगिकी के उपयोग से स्वयं को अवगत करा सकें। जिन राज्यों में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय स्वीकृत किए गए हैं, उन्हें निर्मुक्त की गई निधि की स्थिति सहित विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	राज्य	स्थान	स्वीकृति वर्ष	परियोजना की लागत	ज.जा.का. मंत्रालय की प्रतिबद्धता	निर्मुक्त निधि
1	गुजरात	राजपिपला	2017–18	102.55	50.00	50.00
2	झारखंड	रांची	2017–18	34.22	25.00	25.00
3	आंध्र प्रदेश	लम्बासिंगी	2017–18	35.00	15.00	7.50
4	छत्तीसगढ	रायपुर	2017–18	25.66	15.00	4.65
5	केरल	कोझिकोड	2017–18	16.16	15.00	7.50
6	मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा	2017–18	38.26	15.00	6.93
7	तेलंगाना	हैदराबाद	2018–19	18.00	15.00	1.00
8	मणिपुर	लुआंगकाओ तामेंगलोंग	2018–19	51.38	15.00	1.00
9	मिजोरम	मुलंगो, केल्सिह	2019–20	15.00	15.00	7.00
10	गोवा	पोंडा	2020–21	15.00	15.00	0.10
		कुल			**195.00**	**110.68**

10.10 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय भारत में जनजातीय लोगों के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के प्रति समर्पित होंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां देश के लिए उनके बलिदानों के बारे में जान सकें और उनकी सराहना कर सकें। अपनी अवस्थिति के कारण ये संग्रहालय पर्यटकों के

आकर्षण का केंद्र बनने जा रहे हैं; वास्तुकला और ऑडियो–वीडियो डिस्प्ले तैयार किए जा रहे हैं और जनजातीय संस्कृति, हस्तशिल्प और जनजातीय–कला को संरक्षित और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इन संग्रहालय, समय क्रमानुसार (ट्रेल्स के साथ) इतिहास का पता लगाया जाए, जिसमें पहाड़ियों और जंगलों में जनजातीय लोगों ने अपने जीने के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी थी और इसलिए, स्वस्थानी संरक्षण, आत्मोन्नति की पहल के साथ एक्स–सिटू डिस्प्ले को जोड़ा जाएगा। इन संग्रहालयों में जनजातियों द्वारा अपने वनों, भूमि अधिकारों, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए संघर्ष करने के तरीके और देश की जैविक और सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित किया जाएगा, जिसे राष्ट्र निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। बिरसा मुंडा संग्रहालय का भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में रांची में उद्घाटन करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह, मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के लुआंगकाओ गांव में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 'रानी गैदिन्लिउ जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय' की स्थापना की आधारशिला रखते हुए।

इम्फाल में सिटी कन्वेंशन सेंटर की आधारशिला की स्थापना के दौरान अन्य गणमान्य व्यक्तियों में मणिपुर के माननीय मुख्यमंत्री – श्री नोंगथोम्बम बीरेन सिंह, और माननीय जनजातीय कार्य मंत्री – श्री अर्जुन मुंडा ने सहभागिता की)

'जनजातीय महोत्सव, अनुसंधान सूचना और जन–शिक्षा' योजना

10.11 'जनजातीय महोत्सव, अनुसंधान सूचना और जन शिक्षा', एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसके तहत प्रतिष्ठित संगठन, अनुसंधान संस्थान, विश्वविद्यालय जहां विशेषज्ञ हैं और जो पहले से ही अपने संबंधित विषय में अनुसंधान करके अग्रणी के रूप से अपनी पहचान बना चुके हैं, उन्हें महत्वपूर्ण विषयों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, डिजिटल अभिशासन आदि के क्षेत्रों में अनुकरणीय मॉडल उदाहरण के रूप में तैयार करना है। योजना के तहत ऐसे संगठनों के संवर्धन और सुदृढ़ीकरण के लिए 'उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) को सहायता अनुदान', वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जनजातीय समुदायों के विकास के लिए गुणात्मक, कार्रवाई उन्मुख और नीति अनुसंधान करने के लिए संस्थागत संसाधन क्षमताएं। इस योजना के तहत प्रवासन, रोगों पर शोध जैसे अखिल भारतीय या अंतर्राज्यीय प्रकृति की परियोजनाएं भी ली जाती हैं। ऐसे संगठनों द्वारा ऑनलाइन या भौतिक मोड में प्रस्तुत परियोजनाओं की मंत्रालय के टीआरआई डिवीजन द्वारा जांच की जाती है और सचिव, जनजातीय कार्य अध्यक्षता वाली परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) के समक्ष रखी जाती है।

10.12. कार्यशालाओं/सेमिनारों के लिए विश्वविद्यालयों/संस्थानों/गैर–सरकारी संगठनों को निम्नलिखित पैटर्न पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

संगोष्ठी/कार्यशाला की अवधि	धनराशि (रुपए में)
एक दिन के लिए	50,000/–
दो दिनों के लिए	75,000/–
तीन दिनों के लिए (विशेष मामलों में जहां क्षेत्रीय दौरा आवश्यक है)	1,00,000/–

10.13. प्रख्यात लेखकों / लेखकों / विद्वानों को अलिखित जनजातीय लोककथाओं सहित, जनजातीय विकास पर अच्छी पुस्तकों को लिखने या अनुवाद करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, मंत्रालय, अधिमानतः एक संस्थान को, जिससे ऐसे व्यक्ति संबद्ध हैं, एक परियोजना/पुस्तक के लिए 30,000/– रुपये तक अनुदान प्रदान करता है।

10.14. अखिल भारतीय या अंतर्राज्यीय प्रकृति के उत्कृष्टता केंद्र और परियोजनाओं के लिए अनुदान योजना के तहत, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमिता विकास, जल संरक्षण, पंचायती राज संस्थानों के लिए जागरूकता कार्यक्रमों के क्षेत्रों में जनजातियों के कल्याण के लिए काम करने वाले प्रतिष्ठित संगठनों के साथ सहयोग किया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के सकारात्मक कार्रवाई के हिस्से के रूप में वन अधिकार और जैविक खेती और विभिन्न अभिनव मॉडल विकसित किए हैं जिन्हें पूरे देश में दोहराया जा सकता है। इनमें से कुछ परियोजनाएं नीचे सूचीबद्ध हैं:

संगठन का नाम	परियोजना का नाम
लद्दाख के छात्र शैक्षिक और सांस्कृतिक आंदोलन (एसईसीएमओएल)	लद्दाख में आइस स्तूपों के माध्यम से गांवों का इको–पुनर्वास
टाटा फाउंडेशन	लद्दाख में सतत आजीविका में सुधार
फेसबुक	नेताओं के रूप में ऑनलाइन जा रहे हैं
आर्ट ऑफ लिविंग	महाराष्ट्र में जैविक खेती के माध्यम से आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर)
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम	ओडिशा में 1000 चश्में स्प्रिंग्स पहल
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	साक्ष्य आधारित योजना और विकास के लिए डेटा विज्ञान
पीरामल फाउंडेशन	स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल
एम्स जोधपुर पतंजलि माँ अमृतमई संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (एनआईपीईआर), गुवाहाटी	राजस्थान, उत्तराखंड, केरल और महाराष्ट्र में स्वदेशी ज्ञान, जनजातीय चिकित्सा, पौधों और जड़ी–बूटियों का संरक्षण।
एक्सिस माय इंडिया	मंत्रालय की प्रमुख पहलों का प्रभाव आकलन
पीडब्ल्यूसी, अर्नेस्ट एंड यंग	
एसोचैम, फिक्की	जनजातीय आबादी की उद्यमशीलता क्षमताओं को बढ़ाना
दिशा फाउंडेशन	प्रवास
सर गंगाराम अस्पताल	सिकल सेल रोग
आरके मिशन और भारत सेवाश्रम	जनजातीय स्कूल और दिव्यांग – आजीविका विकास कार्यक्रम
डेटा एनालिटिक्स के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीईडीए)	प्रदर्शन डैशबोर्ड
ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टीईआरआई)	वन अधिकार अधिनियम 2006
बीएआईएफ डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन	आदर्श ग्राम (आदर्श ग्राम)
एएफसी इंडिया लिमिटेड	आकांक्षी जिले गजपति के लिए व्यापक विकास योजना

आइस स्तूपों के माध्यम से लद्दाख में एसईसीएमओएल के सहयोग से लद्दाख में गांवों की पारिस्थितिकी की पुनर्व्यर्वस्था/पुर्नवासन

10.15. लेह और लद्दाख के हिमालयी क्षेत्र के निवासियों के लिए जल एक महत्वपूर्ण जीवन स्रोत है। कम वर्षा और हिमनदों के सिकुड़ने के कारण पानी एक दुर्लभ संसाधन बन गया है, जिससे कृषि बाधित हो रही है और ग्रामीणों का विस्थापन हो रहा है। इस पहल का उद्देश्य लद्दाख के गांवों में पानी की समस्या को समझना है, जो पानी की कमी के कारण परिव्यक्त किए जा रहे हैं। समुदायिक भागीदारी से इस समस्या के समाधान का पता लगाया जा रहा है ताकि ऐसे गांवों में बर्फ के स्तूपों की स्थापना के माध्यम से पुनर्वासीय ढांचे को लागू किया जा सके।

10.16. लद्दाख के छात्र, शैक्षिक और सांस्कृतिक आंदोलन (एसईसीएमओएल) के साथ साझेदारी में जनजातीय कार्य मंत्रालय यह प्रदर्शित कर रहे हैं कि इन बर्फ के स्तूपों, में जिनमें सर्दियों के महीनों में कम इस्तेमाल किए गए जमे हुए पानी को स्टोर हो जाता है, गर्मी के महीनों के दौरान पानी और आजीविका की समस्या का समाधान कर सकते हैं जब गुंबद के आकार के स्तूप पिघलते है और महत्वपूर्ण बुवाई के मौसम में खेतों और गांवों को आपूर्ति करते हैं। वर्ष 2019–20 से अब तक 60 मिलियन लीटर से अधिक जल संचय करने वाले चयनित गांवों में प्रतिवर्ष 25–30 बर्फ के स्तूप स्थापित किए जा रहे हैं। उन क्षेत्रों में, जहां तापमान –30 डिग्री से नीचे गिर जाता है, बर्फ के स्तूप, जो कृत्रिम रूप से हिमनद संरचनाएं होते हैं, कठोर सर्दियों के महीनों के दौरान बर्फ के रूप में बड़ी मात्रा में पानी जमा करने के लिए बनाए जाते हैं। यह आत्मनिर्भर बनने में सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से परिवर्तन लाने के लिए सरकार, गैर सरकारी संगठनों और कॉर्पोरेट घरानों की संयुक्त पहल वाला एक सहभागी और सहयोगी मॉडल है।

10.17 इस पहल से परित्यक्त गांवों को पुनर्व्यर्वस्थापित/पुर्नर्वासित करने में मदद मिली है। कुलम गांव में, पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुने गए गांवों में से, 2020–21 की सर्दियों के दौरान बर्फ के कुल 3 स्तूप और 7 क्षैतिज कृत्रिम ग्लेशियर बनाए गए थे। इन संरचनाओं से लगभग 10 मिलियन लीटर पानी के संरक्षण में सहायता मिली। कुलम गांव में 15 साल के अंतराल के बाद, 2021 के वसंत में कृषि संबंधी गतिविधियां शुरू हुईं। इस तरह की पहल से पानी की समस्या का समाधान, वृक्षारोपण और सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता से गांव की अर्थव्यवस्था बदल सकती है। स्तूप न केवल पर्यटकों के आकर्षण का स्रोत हैं, बल्कि "होम स्टे प्रोजेक्ट" से स्थानीय लोगों को शामिल करके उनके आर्थिक उत्थान में भी मदद मिलेगी।

2019–20 में, अधिक लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए लद्दाख में पारिस्थितिकी और बर्फ स्तूप पाठ्यक्रम का पहला बैच शुरू किया गया था। विभिन्न गांवों और पृष्ठभूमि के लगभग 300 हितधारकों को ग्लेशियर ग्राफ्टिंग की कला में प्रशिक्षित किया गया था। इस परियोजना को इनोवेटिव तरीकों से पर्यावरण के संरक्षण के क्षेत्र में 2020 के लिए स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है।

हिमोत्थान सोसाइटी के साथ लेह में खुबानी और सब्जी की खेती, कृषि–प्रसंस्करण और कृषि संबद्ध गतिविधियों पर जोर देते हुए जनजातीय परिवारों की आजीविका और आय में वृद्धि

10.18 लद्दाख की खुबानी अपनी गुणवत्ता की दृष्टि से मूल्यवान हैं और शाम घाटी (निचले लद्दाख) में ग्रामीणों के लिए आय का मुख्य स्रोत बनी हुई है। लद्दाख खुबानी की 62% हिस्सेदारी के साथ भारत का सबसे बड़ा खुबानी उत्पादक है। वार्षिक कुल उत्पादन 15,789 टन (कारगिलरू 10,656 टन और लेहरू 5133 टन) है। लद्दाख खुबानी की विशिष्टता हाल ही में 'डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च' (डीआईएचएआर) द्वारा सिद्ध की गई है, जबकि रक्षते कार्पो (सफेद कर्नेल खुबानी) को टीएसएस 37.9 ब्रिक्स़ के साथ दुनिया की सबसे मीठी खुबानी के रूप में जाना जाता है। सुनियोजित विपणन की कमी और सुखाने के अकुशल तरीकों के कारण कुल उत्पादन का 40–50% बेकार हो जाता है। बर्बादी को कम करने के लिए विभिन्न अनुसंधान संस्थानों, सरकारी विभागों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा बेहतर कटाई तकनीक, शुष्कीकरण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

10.19 मंत्रालय ने हिमोत्थान सोसाइटी (टाटा ट्रस्ट की शाखा) के सहयोग से लेह जिले की शाम घाटी के गांवों में खुबानी और सब्जियों के पैकेजिंग और विपणन के लिए 3 साल तक चलने वाली एक परियोजना तैयार की है। इसका उद्देश्य कृषि प्रसंस्करण और बाजार लिंकेज के लिए भागीदारी कार्रवाई, अनुसंधान कार्यक्रम द्वारा कृषि और संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा देना भी है। क्षेत्र की विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, उत्कृष्टता केंद्र खोला गया। इसने किसानों से संबंधित विभिन्न मुद्दों को हल करने और सब्जी किसान उत्पादक संगठन और खुबानी किसान उत्पादक संगठन को बढ़ावा देने के लिए सिखलाई और प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य किया। कृषि–प्रसंस्करण इकाइयों और किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) को कृषि उत्पादों के सामूहिकीकरण, उत्पाद ब्रांडिंग, पैकेजिंग और विपणन में सहायता प्रदान की गई। परियोजना का उद्देश्य लेह जिले में जनजातीय आबादी की पारंपरिक और उन्नत कृषि पद्धतियों का अनुसंधान और प्रलेखन के माध्यम से अध्ययन करना है। क्षेत्र की आवश्यकता के आधार पर, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने फोर्स्ड सर्कुलेशन सोलर खुबानी ड्रायर विकसित किया जिसका विश्वकर्मा सौर ऊर्जा निगम, फिल्लौर पंजाब से प्राप्त किया गया था। इसमें ताजा लोडिंग क्षमता 300 किलोग्राम है जो 4–5 दिनों में खुबानी को सुखा सकती है। 'एप्रीकॉट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' सोलर ड्रायर ताकामाचिक गांव में स्थापित किया गया है।

10.20 किसान अब अपने स्वयं के अनूठे ब्रांड "जुले लद्दाख खुबानी" के तहत 'एफपीओ' के माध्यम से अपनी उपज सीधे बाजारों में बेचते हैं, जिसे एफपीओ के पंजीकरण के बाद पंजीकृत किया गया है। यह बिचौलियों और ठेकेदारों से बचकर उच्च आय सुनिश्चित करेगा। लेह शहर और अन्य शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण मार्ट की स्थापना के साथ सब्जियों, फलों और अन्य ग्रामीण उत्पादों के विपणन के लिए ताजा, संग्रहीत और संसाधित सब्जियों और फलों के लिए साल भर चलेगा। धीरे–धीरे इस कार्यक्रम को अन्य पड़ोसी गांवों में विस्तारित करने की योजना है, ताकि वे भी उत्कृष्टता केन्द्रों से लाभ उठा सकें। इसने कृषि उपज के बेहतर मूल्य की प्राप्ति के द्वारा जनजातीय आबादी की आय बढ़ाने और आजीविका के विकल्प बनाने में सुविधा प्रदान की है। इसने प्रभावी विपणन चैनल के माध्यम से खुबानी और सब्जियों के उत्पादन के लिए उत्पादकता वृद्धि, छंटाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग और बाजार में अवसर की पहचान के माध्यम से कृषि मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ किया है जिससे बिचौलियों को हटाकर किसान की आय को बढ़ावा मिलेगा। शाम वैली एप्रीकॉट प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव लिमिटेड को अपना व्यवसाय संचालन शुरू करने के लिए एफएसएसएआई लाइसेंस, पैन और जीएसटी मिला है। अमेजन जैसी ई–कॉमर्स साइट पर खुबानी की बिक्री प्रक्रिया अधीन है, जबकि इसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग विभिन्न ऑनलाइन चैनलों और सोशल मीडिया साइटों के माध्यम से की जाएगी। इस जीवाणु (कीट) को नियंत्रित करने के लिए, ताजा खुबानी पर लगाया गया घरेलू संगरोध, आगे के अध्ययन हेतु एक समाधान खोजने के लिए, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के साथ मंत्रालय द्वारा उठाया गया।

आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सहयोग से जैविक खेती के माध्यम से जनजातीय किसानों में आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर)

10.21 कृषि–रसायनों ने धीरे–धीरे जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश करना शुरू कर दिया है, जिन्होंने सदियों से स्थायी जैविक या प्राकृतिक कृषि तकनीकों को अपनाया है। इससे फसल की जैव विविधता का गंभीर क्षरण हो रहा है और मिट्टी का क्षरण हो रहा है। यह स्थायी कृषि में आदिवासी समुदायों के पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान के नुकसान का कारण बन रहा है। इस खतरनाक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, एसएसआईएएसटी ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ "जनजातीय किसानों को आत्मनिर्भर बनाना" परियोजना शुरू की है, क्योंकि इसका उद्देश्य जनजातीय किसानों के बीच आत्मनिर्भरता पैदा करना है।

10.22 जनजातियों के निवास वाले 10 गांवों में भील, पारधी, लमन, वदर, कैकडी, प्रधान, अंध, वैदु और अन्य का चयन किया गया था। जनजाति के लोगों की उच्च जनसंख्या घनत्व और परियोजना टीम की जमीनी स्तर पर कार्य–पूर्व/क्षेत्र भ्रमण रिपोर्ट के आधार पर 2 परियोजना समन्वयकों और 10 सलाहकारों (मेंटरों) की पहचान की गई थी। मेंटरों का चयन उनके नेतृत्व कौशल, सकारात्मक दृष्टिकोण, उपलब्धता और जनजातियों के साथ काम करने के पूर्ववर्ती अनुभव के आधार पर किया गया था। प्रतिभागियों ने स्वदेशी बीजों, देशी गायों पर सैद्धांतिक और व्यावहारिक जानकारी के साथ खेती की गौ–आधारित तकनीक के कौशल को सीखा। क्षेत्र के दौरों, प्रशिक्षणों और फीडबैक सर्वेक्षणों से संबंधित रिकॉर्डों को ट्रैक और बनाए रखने के लिए सलाहकारों (मेंटरों), समन्वयकों और परियोजना प्रबंधकों को सक्षम करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। सभी सलाहकारों (मेंटरों) और परियोजना समन्वयकों को एक अच्छी परियोजना प्रशासन तंत्र के महत्व पर प्रशिक्षित किया गया था।

10.23 यह पहल लोगों को प्रशिक्षकों और सलाहकारों के रूप में विकसित करने में लोगों की भागीदारी पर आधारित है जो पूरे समुदाय को लैंगिक आधार पर प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। आजीविका जानकारी को रीसायकल करने के लिए चंहदिश जैव–अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों की समग्र समझ के सभी पहलुओं पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस पहल के तहत, किसानों को पीजीएस–इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए भी पंजीकृत किया जाएगा और उन्हें ई–नाम, स्फूर्ति आदि जैसे अन्य मार्केटिंग पोर्टलों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। अब तक 3489 जनजातीय किसानों की प्राकृतिक खेती में प्रशिक्षित किया गया है। अन्य उपलब्धियां हैं

i. किसानों के साथ 1 लाख वृक्षारोपण किया गया।

ii. आयुर्वेद के सहयोग से किसानों को औषधीय पौधे लगाने के लिए भी प्रशिक्षित किया गया है।

10.24 वृक्षबंधन: महिला किसान मंच के 1100 सदस्यों ने देशी बीजों से राखी बनाने का विचार रखा। 10 अगस्त 2021 को आयोजित एक कार्यक्रम में जनजातीय किसान महिला मंच की महिलाओं ने "बीज राखियों" की विस्तृत श्रृंखला और उन्हें बनाने की प्रक्रिया को प्रदर्शित किया। राखी प्राकृतिक रूप से रंगे हुए, नरम स्वदेशी, गैर–विषैले, बायोडिग्रेडेबल कपास पर चिपके स्वदेशी बीजों से बनी होती है। एक बार उपयोग करने के बाद, बीजों को मिट्टी में बोया जा सकता है, जिससे पर्यावरण को लाभ होता है। उम्मीद है कि इस परियोजना के तहत हजारों पेड़ लगाए जाएंगे और इस परियोजना से, परियोजना से जुड़ी जनजातीय महिलाओं को रोजगार मिलेगा। जनजातीय महिलाओं को बीजराखी (बीज राखी) बनाने जैसे कौशल में भी प्रशिक्षण दिया गया है जो त्योहारों के दौरान अतिरिक्त रोजगार पैदा कर सकता है।

प्रदर्शनी(एस)

परियोजना का शुभारंभ – 27 अक्टूबर, 2020

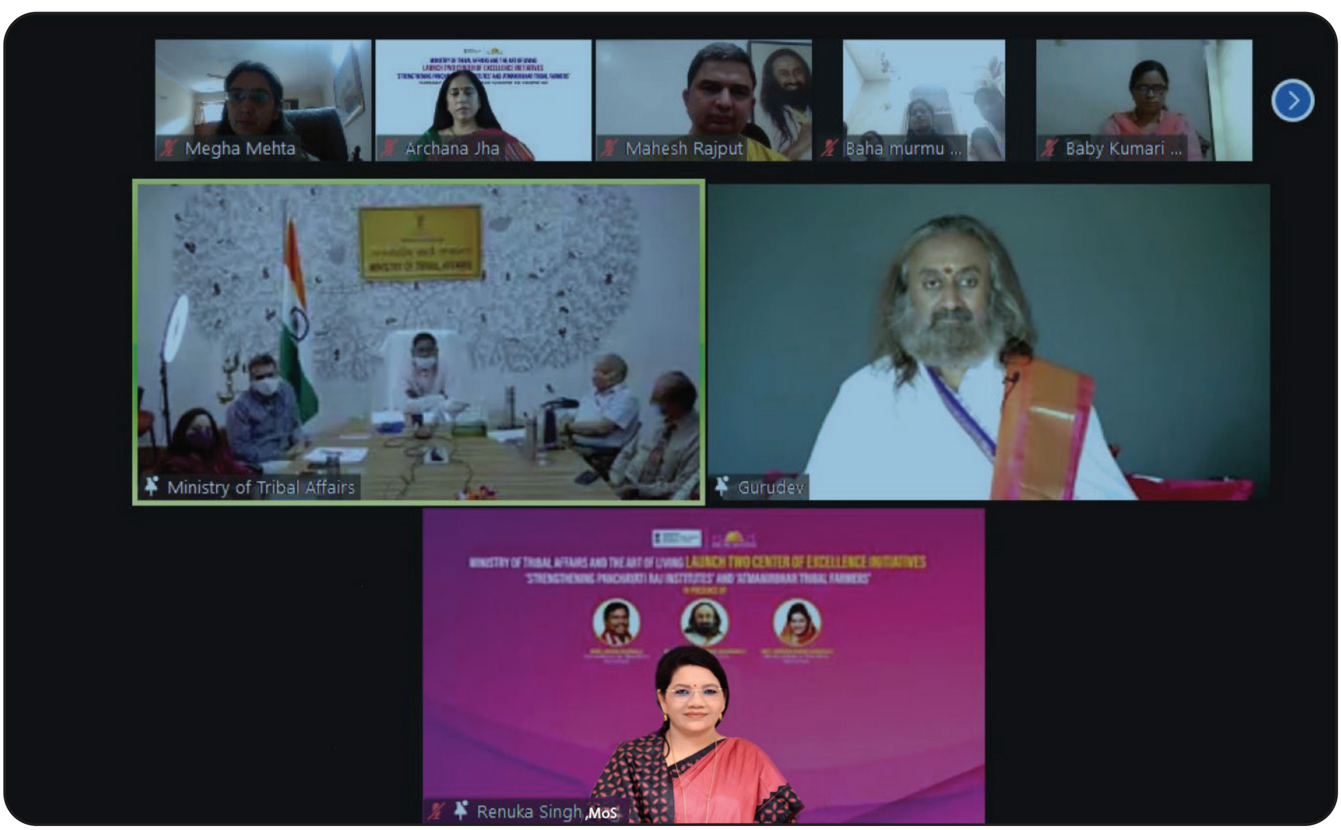

1000 स्प्रिंग्स इनिशिएटिवों' यूएनडीपी के साथ साझेदारी में जनजातीय क्षेत्रों में पानी की कमी को दूर करने के लिए झरनों की क्षमता का दोहन

10.25 पानी की कमी खाद्य सुरक्षा, आजीविका विकल्पों और शैक्षिक अवसरों को प्रभावित करती है। जटिल भौगोलिक स्थिति और जटिल जल–भूवैज्ञानिक सीमाओं के कारण, पारंपरिक साधनों के माध्यम से पहाड़ी और घने जंगलों वाले क्षेत्रों में जहां अधिकांश जनजातीय समुदाय रहते हैं भूजल विकास की क्षमता सीमित है। पीने और घरेलू उपयोग के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पानी तक पहुंच अभी भी पहाड़ी इलाकों और जंगलों में बसे हुए विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के लिए दूर की कौड़ी बनी हुई है। अच्छी पैदावार वाले नलकूपों/कुओं की खुदाई की सफलता कम है और पाइपों के माध्यम से पानी की आपूर्ति के पारंपरिक साधन या तो मुश्किल हैं या सस्ते नहीं हैं। दूर–दराज की बस्तियों में रहने वाले इन समुदायों के लिए अपनी पानी की जरूरतों के लिए प्राकृतिक झरनों पर निर्भर रहना ही एकमात्र विकल्प है। पानी की बढ़ती मांग, भूमि उपयोग में बदलाव, पारिस्थितिक क्षरण, जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान के कारण 'स्प्रिंग डिस्चार्ज' में गिरावट की सूचना है। इससे वनस्पति आच्छादन में कमी, तेज बहाव, पेयजल की भारी कमी और आजीविका से संबंधित गतिविधियों में कमी हुई है। महिलाओं और लड़कियों को पीने और घरेलू उपयोग के लिए पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।

10.26 यूएनडीपी ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से 2019 में ग्रामीण क्षेत्रों के एक कठिन और दुर्गम हिस्से में रहने वाले जनजातीय समुदायों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पानी तक पहुंच में सुधार के लिए प्राकृतिक झरनों की रक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से '1000 स्प्रिंग इनिशिएटिव' शुरू किया। इसका उद्देश्य दूरस्थ जनजातीय बस्तियों में पानी की आपूर्ति की जरूरतों को पूरा करने के लिए जहां पाइप से पानी की आपूर्ति एक चुनौती बनी हुई है एक स्थानीय समाधान प्रदान करना है। जनजातीय युवाओं के एक संवर्ग को स्थायी जल संसाधन के रूप में झरनों की पहचान, आकलन और बचाव, संरक्षण, नवीकरण और झरनों के प्रबंधन के लिए, उनके पारंपरिक और वैज्ञानिक ज्ञान का लाभ उठाकर विशुद्ध जलविज्ञानी के रूप में प्रशिक्षित किया गया। इन विशुद्ध जल–विज्ञानियों ने मोबाइल–मानचित्रों पर 550 से अधिक झरनों (स्प्रिंग्स) के वास्तविक, जल भूवैज्ञानिक और रासायनिक गुणों (पीएच, टीडीएस, तापमान, विद्युत चालकता, निर्वहन आदि) को रिकॉर्ड किया, जिन्हें आगे वेब–आधारित 'जीआईएस सक्षम स्प्रिंग एटलस' से टैग किया गया। यह 'मनरेगा' और 'वाटरशेड विकास' सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी के साथ किया जा रहा है। प्रशिक्षित स्थानीय लोगों ने गांवों में पानी की साल भर उपलब्धता के लिए झरनों के कायाकल्प में मदद करने के लिए जलग्रहण क्षेत्र में काउंटर–ट्रेंचिंग की। प्रवाह और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए, मनरेगा के साथ अभिसरण में 1500 से अधिक अंतर से 'कंटूर' खाइयां खोदी गईं। यह

समुदाय आधारित मॉडल, मानचित्रों की पहचान करने के लिए पारंपरिक और वैज्ञानिक ज्ञान को जोड़ता है और एक स्थायी मीठे पानी के स्रोत के रूप में झरनों की सुरक्षा के लिए नवीकरण और संरक्षण के उपाय करता है। उपाय करने के बाद से उनकी भागीदारी से स्प्रिंग्स के मानचित्रण, संरक्षण और नवीकरण के लिए सामुदायिक भागीदारी और स्वामित्व सुनिश्चित किया जाता है।

पीने और घरेलू उपयोग के लिए पानी लाने के काम में जनजातीय महिलाएं और युवतियां जुटी

पानी नहीं, जानवर नहीं। अब कुछ नहीं। सब सूखा ही सूखा है। बस सूखा। मेरे गांव में चार झरने हैं। वे सब सूख गए हैं। हर वसंत हमारे लिए मायने रखता है लेकिन सभी सूख गए हैं और इसलिए हमारे गांव में कोई कृषि नहीं होती है।

— पिस्कू माझी

10.27 डेटा–संग्रह के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन और स्प्रिंग्स के हाइड्रोलॉजिकल और रासायनिक गुणों के साथ एक 'जीआईएस–आधारित स्प्रिंग एटलस' (https://thespringsportal.org/) भी तैयार किया गया है ताकि डेटा का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आसानी से अवलोकन किया जा सके। वर्तमान में, समस्त ओडिशा के जनजातीय बहुल जिलों से 550 से अधिक झरनों का डेटा दर्ज किया गया है। झरनों की मैपिंग और पुनर्भरण क्षेत्रों की पहचान से सुरक्षा और संरक्षण के उपायों के साथ–साथ अन्य सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से पुनर्भरण संरचना तैयार करने में मदद मिलेगी।

1000 स्प्रिंग्स इनिशिएटिव: आउटरीच*

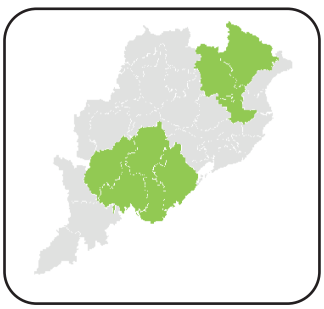

11 जिले – 554 झरने

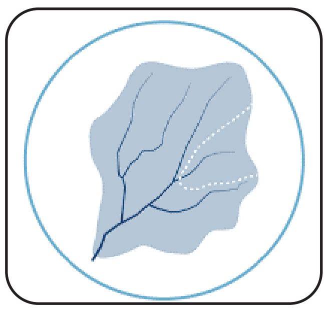

38 जलाशय

116 बस्तियां

2233 परिवार

*जुलाई 2021 तक

10.28 '1000 स्प्रिंग्स इनिशिएटिव' से दूरस्थ जनजातीय बस्तियों की पानी की जरूरतों को स्रोत से संसाधन में बदलने के लिए बारहमासी झरनों की क्षमता का उपयोग करके एक स्थानीय समाधान देखने को मिला है। स्प्रिंग एटलस तैयार किया गया है और जनजातीय युवाओं को जलभृतों का नक्शा बनाने और झरनों की सुरक्षा और संरक्षण के उपायों के लिए विशुद्ध जलविज्ञानी के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। प्रयासों की सफलता को निम्नलिखित परिणामों से मापा जा सकता है।

जनजातीय विशुद्ध जल विज्ञानियों के संवर्ग का निर्माण	135 जनजातीय युवाओं को जल विज्ञानियों के रूप में प्रशिक्षित किया गया, ताकि वे झरनों के संरक्षण के लिए नवीकरण और संरक्षण उपायों की पहचान, नक्शा तैयार करना और कार्य कर सकें।
झरनों की पहचान और मैपिंग	ओडिशा के 11 जिलों में 116 बस्तियों को कवर करते हुए 554 झरनों की पहचान की गई है
वृक्षारोपण और वनरोपण पहल	झरनों के स्थायी पुनर्भरण के लिए प्रवाह और मिट्टी की नमी को कम करने के लिए आईटीडीए और वन विभाग के अभिसरण में वसंत जलग्रहण क्षेत्र में 150,000 से अधिक स्वदेशी प्रजातियों के वृक्षारोपण किए गए
झरनों को खिलाने वाले जलभृतों के पुनर्भरण के लिए भूमि विकास गतिविधियाँ	जलग्रहण क्षेत्र में 1,250 एकड़ भूमि को वाटरशेड सिद्धांतों के आधार पर स्प्रिंगशेड के तहत उपचारित किया जाता है।

पीने और घरेलू उपयोग के लिए पानी की बेहतर उपलब्धता	वसंत जलग्रहण क्षेत्र में भूमि उपचार और वृक्षारोपण के कारण सभी 116 बस्तियों में पिछले वर्षों की तुलना में पूरे वर्ष पीने के पानी की उपलब्धता में वृद्धि हुई है। वृक्षारोपण के बाद पीने और घरेलू उपयोग के लिए घरेलू परिसरों में पानी की उपलब्धता 20% से बढ़कर 100% होने की उम्मीद है।
पाइप्ड पानी के कनेक्शन तक पहुंच	समुदाय के नेतृत्व वाले वसंत–आधारित गुरुत्वाकर्षण आपूर्ति प्रणाली के माध्यम से अपने घरों में स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल के लिए 24X7 पहुंच के साथ 25 जनजातीय आवास
वृक्षों का बढ़ा हुआ आवरण	25 बस्तियों में अपेक्षित वृक्ष आवरण 115 एकड़ (वर्तमान) से बढ़कर 750 एकड़ हो जाएगा जिसके परिणामस्वरूप वृक्षारोपण के अपेक्षित जीवन (40 वर्ष) पर ~ 95,200 टन CO^2 का अधिग्रहण होगा।
कृषि के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि	सभी बस्तियों में मिट्टी और नमी संरक्षण कार्यों के कारण कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ी है। कुछ ने इंटरक्रॉपिंग सिस्टम को अपनाया और कुछ किसानों ने हल्दी और केले जैसी बागवानी फसलें लगाईं। इससे न केवल आजीविका में वृद्धि होगी बल्कि किसानों की आय में भी वृद्धि होगी।

जीओएएल: लीडर के रूप में ऑनलाइन – फेसबुक के सहयोग से जनजातीय युवाओं के लिए डिजिटल उद्यमिता कार्यक्रम

10.29 दूरदर्शिता और डिजिटल कनेक्टिविटी की कमी के कारण, जनजातीय युवा, देश के बाकी हिस्सों की तुलना में डिजिटल रूप से काफी कम जुड़े हुए हैं और यह कार्यक्रम विशेष रूप से युवा जनजातीय महिलाओं के लिए लागू है। ऑनलाइन जॉब मार्केट को समझने और सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए जागरूकता और क्षमता, नौकरी खोजने और आवेदन करने के लिए, आदि के संदर्भ में यह एक चुनौती है। उद्यमियों और कलाकारों / कारीगरों के लिए भी अवसर नहीं दिए गए हैं क्योंकि डिजिटल उपस्थिति नहीं होने के कारण, उनके व्यवसाय को भौगोलिक रूप से और उनके ग्राहक आधार को सीमित हो गया है। आज इंटरनेट कई लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है और इंटरनेट के उपयोग के बिना काम करने की कल्पना करना मुश्किल है।

10.30 जीओएएल का उद्देश्य डिजिटल साक्षरता के माध्यम से जनजातीय युवाओं को सशक्त बनाना है। प्रशिक्षु (मेंटरों) को बुनियादी कौशल, डिजिटल उपकरण, क्षेत्र विशिष्ट कौशल और नेतृत्व और उद्यमिता में प्रशिक्षण दिया जाता है और मेंटरों द्वारा निर्देशित किया जाता है। इस कार्यक्रम की 2020 में, वेबिनार, वीडियो सहायक सामग्री, सोशल मीडिया समर्थन आदि के माध्यम से 46 से अधिक सांसदों, 250 से अधिक गैर सरकारी संगठनों, एवं उत्कृष्ट केन्द्रों, शीर्ष स्तरीय शैक्षणिक संस्थानों और राज्य और केंद्रीय नौकरशाही के सदस्यों तक पहुंच और जुडाव है। एक मजबूत अखिल भारतीय पहुंच बनाना। इस कार्यक्रम, का उद्देश्य भागीदारों के अपने व्यापक नेटवर्क के माध्यम से, इस पहल की इष्टतम पहुंच सुनिश्चित करना है, जिससे जनजातीय समुदाय के उन्नयन और विकास के लिए एक समग्र वातावरण तैयार करना है। यह कार्यक्रम जागरूकता के स्तर को बढ़ाने में सक्षम रहा है और उन्हें उच्च आकांक्षी होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जैसे–जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ता है, यह उम्मीद की जाती है कि यह कई

लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने में मदद करेगा क्योंकि ये शिक्षार्थी मैंटर/मैंटीस अपने ज्ञान का प्रसार करते हैं।

एसोचैम के सहयोग से जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम (टीईडीपी)

10.31 इस संयुक्त पहल के तहत, एसोसिएटेड चौंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसोचैम) अपने कौशल कार्यक्रम (सेट) को बढ़ाने, उनकी क्षमताओं के संवर्धन और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में उनके योगदान में उनकी मदद करने के लिए तीन साल की अवधि में 1000 जनजातीय कारीगरों की पहचान करेगा और उन्हें प्रशिक्षित करेगा। यह 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के अनुरूप है जो आत्मनिर्भरता शुरू करने के लिए है और जनजातीय समुदाय के लिए रोजगार पैदा करने के अवसर पैदा करने में सहायक होगा।

पहले वर्ष में, 'टीईडीपी' पहल मजबूत जनजातीय ब्रांड पहचान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और निर्माण करने के रास्ते तलाशने और इस प्रक्रिया में – जनजातीय कारीगरों की उद्यमशील क्षमताओं के निर्माण और वृद्धि करने में सफल रही है। इन कारीगरों ने अपने सामान और सेवाओं की पहुंच का विस्तार करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी और ई–कॉमर्स जैसे अपने पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण का उपयोग पहले से ही करना शुरू कर दिया है। प्रशिक्षित लोगों में से अधिकांश उत्पादक रूप में कार्यशील हैं और अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं।

जनजातीय स्वास्थ्य और अनुसंधान के लिए 'सेटेलाइट–सेंटर' और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर और प्रवर आयुर्विज्ञान संस्थान के माध्यम से सुलभ गुणवत्ता स्वास्थ्य देखभाल

10.32 दिन–प्रतिदिन की शारीरिक बीमारियों और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए, दूरदराज के इलाकों में जनजातीय लोग अभी भी अपने समुदाय के पारंपरिक जनजातीय चिकित्सकों से सलाह लेते हैं। स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद, जनजातीय उपचारकर्ताओं की उपयोगिता, ज्ञान और प्रथाओं के तरीके के बारे में अधिक जानकारी जनजातीय की खोजबीन नहीं की जाती है। जनजातीय उपचारकर्ताओं की वर्तमान स्थिति और उनकी प्रथाओं को समझने के लिए, एम्स जोधपुर द्वारा एक आकांक्षी जनजातीय जिले सिरोही, राजस्थान में और प्रवरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज द्वारा महाराष्ट्र राज्य के चार जनजातीय मंडलों, 34 जिलों और 47 जनजातीय समूहों में परियोजना शुरू की गई थी। परियोजनाओं का उद्देश्य अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), जोधपुर और प्रवर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेज महाराष्ट्र, के माध्यम से चयनित जिलों में भू–टैगिंग, जनजातीय समुदायों के पारंपरिक उपचार और जातीय–चिकित्सा प्रथाओं के दस्तावेजीकरण और पारंपरिक चिकित्सकों के प्रशिक्षण के साथ सामाजिक आर्थिक और जनसांख्यिकीय प्रोफाइल का अध्ययन करना है।

10.33 अध्ययन को चार भागों में बांटा गया है (1) जनजातीय समुदायों की जनसांख्यिकी और सामाजिक आर्थिक जानकारी का अध्ययन (2) अनुसंधान समीक्षा दृष्टिकोण से पौधों की औषधीय जानकारी का दस्तावेजीकरण। (3) जनजातीय समुदायों के पारंपरिक औषधीय पौधों की अनुसंधान संबंधी रूपरेखा। (4) जनजातीय उपचारकर्ताओं के लिए वैज्ञानिक पाठ्यक्रम के विकास के माध्यम से आदिवासी पारंपरिक चिकित्सकों का मार्गदर्शन, समन्वयन, प्रशिक्षण और प्रमाणन।

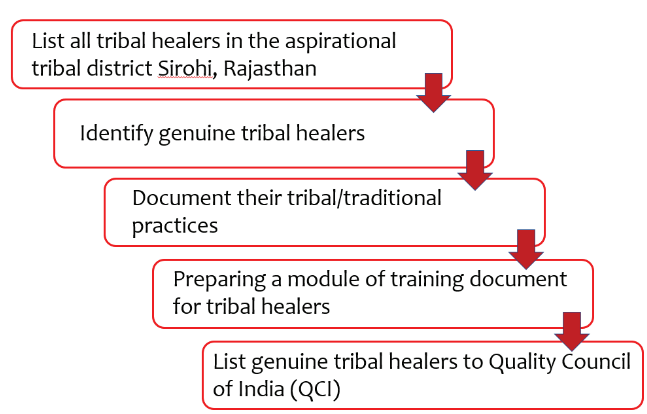

सिरोही जिले में एक हजार पंद्रह (1015) जनजातीय उपचारकों की गिनती की गयी। 1000 से अधिक जनजातीय उपचारकर्ताओं को कोविड–19 और कोविड उपयुक्त व्यवहार के बारे में जागरूक किया गया। उपचारकों द्वारा इलाज की गई 26 प्रकार की स्वास्थ्य स्थितियों का दस्तावेजीकरण किया गया और जनजातीय उपचारकों की लगभग 40 भौलिक प्रथाओं को दर्ज किया गया। स्वास्थ्य स्थितियों पर डेटा एकत्र करने के लिए सर्वेक्षण में 1000 से अधिक जनजातीय लोगों को शामिल किया गया था। लगभग

500 जनजातीय महिलाओं और लड़कियों को मासिक धर्म स्वच्छता और कोविड उपयुक्त व्यवहार के बारे में जागरूक किया गया था, 200 स्कूली बच्चों को दंत स्वास्थ्य शिविर से लाभान्वित किया गया था। 500 जनजातीय रोगियों ने सत्र में संपर्क किया और एम्स जोधपुर के विशेषज्ञों द्वारा टेलीमेडिसिन परामर्श के माध्यम से 200 नए जनजातीय रोगियों को लाभान्वित किया गया। सिरोही में एक सेटेलाइट सेंटर स्थापित किया गया है जहां डॉक्टरों की टीम सिरोही में रहकर क्षेत्र के स्थानिक रोगों में अनुसंधान करने, जनजातीय उपचारकों के प्रशिक्षण के लिए और एम्स के विशेषज्ञों द्वारा सिरोही और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को टेली मेडिसिन सुविधा प्रदान करेगी।

माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से शिक्षकों और छात्रों को सशक्त बनाकर जनजातीय विद्यालयों के लिए ज्ञानार्जन का परिवर्तनकारी अनुभव

10.34 इस पहल का उद्देश्य जनजातीय विद्यालयों में शिक्षकों के लिए शैक्षणिक नवाचारों से परिचय कराना है। इस नियोजन में एमओटीए के तहत शिक्षकों, छात्रों और विद्यालयों को छात्रों में 21 वीं सदी के कौशल का निर्माण करने के लिए प्रौद्योगिकी का अर्थपूर्ण उपयोग करने में सक्षम बनाना शामिल है। इस परियोजना में कुछ चुनिंदा विद्यालयों के साथ मिलकर काम करना भी शामिल है ताकि छात्रों में शिक्षण और सीखने और कौशल निर्माण में परिवर्तन की यात्रा को सक्षम बनाया जा सके जो उन्हें भविष्य के लिए तैयार करे और इसका उद्देश्य हैं:

i. 250 प्रधानाध्यापकों के लिए शिक्षा परिवर्तन ढांचा (ईटीएफ) – विद्यालयों में परिवर्तन लाने के लिए विद्यालयों के अगुआओं को सशक्त बनाना।

ii. मास्टर प्रशिक्षकों के लिए व्यावसायिक विकास के अवसर– 5000 शिक्षकों के लिए मिश्रित शिक्षण, एआई और प्रौद्योगिकी के साथ शिक्षण।

iii. जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत स्कूलों के लिए 8वीं से 12वीं कक्षा के लिए एआई पाठ्यक्रम साझा करना।

iv. एआई को छात्रों के लिए निर्माण–परिचय (बिल्डिंग एक्सपोजर) और 1000 छात्रों के लिए कोडिंग

v. शिक्षकों के लिए व्यावसायिक विकास कार्यक्रम – 1000 शिक्षकों के लिए एमसीई प्रमाणन

vi. 250 स्कूल अगुआ, शिक्षा परिवर्तन ढांचे से परिचित कराए जाएंगे और स्कूल के अन्य अगुआओं और विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा साझा किए गए सर्वोत्तम प्रक्रियाओं और तौर–तरीकों से सीखेंगे।

vii. 22 राज्यों के 50 शहरों में 36 ईएमआरएस स्कूल, 12 एनजीओ संचालित स्कूल और एमओटीए द्वारा नामांकित अन्य सरकारी स्कूल, उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में काम करेंगे।

viii. 50 शहरों और 22 राज्यों में फैले इन 50 स्कूलों में 10,000 छात्र बदलाव आएगा। ये विद्यालय अन्य सभी स्कूलों के लिए प्रेरणा का स्रोत होंगे और उन्हें डिजिटल परिवर्तन को अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे।

ix. सिखलाई की सुविधा के लिए टीमों की तैनाती के माध्यम से 'हाइब्रिड लर्निंग सक्षमता'।

x. इससे कक्षाओं की निरंतरता सुनिश्चित होगी और आकलन, भाषा सीखना, सीखने और सिखाने के लिए एआई अनुप्रयोगों का परिचय और पहुंच (एक्सेसिबिलिटी) टूल्स को अपनाने के लिए तैयार करेगा।

xi. 5000 शिक्षकों के प्रशिक्षण से 2.5 लाख विद्यार्थियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा

xii. ज्ञानार्जक समुदाय को संचालित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र में 500 मास्टर ट्रेनर 1 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे।

xiii. 250 मास्टर ट्रेनर्स को माइक्रोसॉफ्ट इनोवेटिव विशेषज्ञ शिक्षक बनने में सक्षम बनाया जाएगा।

xvi. यदि शिक्षक प्रमाणन परीक्षा देते हैं, तो वे 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी के साथ सीखने और सिखाने में दक्षता हासिल कर सकते हैं।

xv. सभी जनजातीय कार्य मंत्रालय के स्कूलों के सभी शिक्षक और छात्र एआई पाठ्यक्रम तक पहुंच से लाभान्वित होंगे। 285 ईएमआरएस विद्यालयों के 73,000 छात्र इस एआई एक्सपोजर से लाभान्वित होंगे

xvi. छात्रों को उनके संरक्षक शिक्षकों के साथ अच्छी परियोजनाओं के लिए विशिष्ट एआई, एआई और क्लाउड अनुप्रयोगों के संपर्क और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी और मान्यता के अवसरों के बारे में सलाह दी जाएगी।

Transformation Road Map for Ministry of Tribal Affairs

Leadership & Policy	Modern Teaching and Learning – Teachers	Student Success	Technology Blueprint	Intelligent Environments
ETF Framework - implementation for all system leaders and Principals – **250** School Principals	Professional Development by Earning MIE Badges on Microsoft Educator Center Applying for MIE Expert Educators and Training of **1000** teachers for 2 hours	Building Exposure of Students to AI and Coding to **1000** students	Use of collaborative platforms- Teams	Exploration of Cloud Labs on teams
Schools signing up for MS Incubator Schools	Professional Development Program for teachers –	Sharing of AI curriculum for Grade 8th to 12th for Schools under Ministry of Tribal Affairs	Creating of communities of learning	Access to electricity, internet and devices to students and teachers
Achieve status of MS Showcase Schools in a year on meeting criteria	Sharing of Faculty and Student handbooks on AI for its schools from Grade 8th to 12th along with faculty resource materials. The materials would be available in English and Hindi	Accessibility assets and language learning on One Note	Analytics	Security policies
Light house institution in the region. Courses and Resources for School Principals available for teachers	Three Day workshop for **5000** teachers 2 days on O 365 tools – collaboration, accessibility, assessments - one day on AI and Azure applications	Participation in Minecraft , MOS Championship and AI competitions		Classrooms for creativity and team work

Education Transformation Framework

ETF	Education Transformation Framework
MIE Badges	Microsoft Innovative Educator 1000 pts or two hours on MEC
MIE Expert	Microsoft Innovative Educator Expert
MEC	Microsoft Educator Center online access to free courses
MOS	Microsoft Office Specialist

पशुधन और ऊन शिल्प संवर्धन, चंगथांग, लेह

10.35 तिब्बत (4500 मीटर से ऊपर) से सटे उच्च ऊंचाई वाले पठार में एक ठंडा रेगिस्तानी कम आबादी वाले क्षेत्र हैं, चांगथांग जिसमें लेह जिले के दुरबुक, न्योमा और रूपशो के तीन प्रशासनिक ब्लॉकों में फैले 14 राजस्व गांव शामिल हैं। इसमें 4,000 वर्ग किलोमीटर का विशाल भौगोलिक क्षेत्र आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार, चांगथांग क्षेत्र में कुल 10,800 की आबादी वाले 2,063 घर हैं। ब्लॉक मुख्यालय, न्योमा, लेह शहर से 180 किमी की दूरी पर स्थित है। न्योमा गाँव में 202 घर हैं और 918 की कुल जनसंख्या वाली 100% आबादी एसटी है। चांगथांग के न्योमा ब्लॉक में मुध गांव, लेह शहर से 203 किमी की दूरी पर स्थित है। 330 की कुल आबादी वाले 68 घर हैं। यह गांव लेह–सागा मार्ग रोड पर स्थित है और इसकी 100% आबादी जनजातीय है।

10.36 स्थानीय आबादी, ज्यादातर खानाबदोश और अर्ध–घुमंतू चरवाहे अनिवार्य रूप से भेड़ और बकरियों के प्रजनन से रहते हैं। यह परम्परा भेड़ ऊन, याक ऊन और पश्मीना ऊन की उपलब्धता की संभावना की ओर ले जाती है और गांव के कारीगर ऊन प्रसंस्करण में बुनियादी कौशल रखते हैं। सर्दियों

के दौरान, गंभीर ठंड के कारण मेमनों की मृत्यु दर अक्सर 50% तक पहुंच जाती है।

10.37 जनजातीय कार्य मंत्रालय, एनएसटीएफडीसी और टाटा ट्रस्ट द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई परियोजना का उद्देश्य ऊन शिल्प आधारित उद्यम के गठन के द्वारा जम्मू और कश्मीर के लेह जिलों के 3 गांवों में 300 परिवारों के लिए बेहतर पशुधन ऊन शिल्प आधारित पहल से जीवन की गुणवत्ता और आय में सुधार करना है। न्योमा ब्लॉक (न्योमा, मुध और हनले) के तीन गांवों में मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण अपनाते हुए। इसका उद्देश्य बुनाई और बुनाई कार्य में 50 कारीगरों को प्रशिक्षित करना और उत्पादों के डिजाइन, 50 शिल्पकारों और खानाबदोशों को बेहतर पशुधन प्रबंधन परंपराओं और शिल्पकारी में उपकरण के उपयोग में पूरी तरह से पेशेवर बनाना है। मेमनों के लिए 'इनडोर लैम्बिंग शेड' की एक प्रणाली की खोज की गई है ताकि उन्हें मौसम की गड़बड़ी से सुरक्षा मिल सके और मेमने की मृत्यु दर को कम किया जा सके।

10.38 चांगथांग के मुध और हनले गांव में 23'x26' आकार के भेड़ के बच्चों (मेमनों) के दो शेडों का निर्माण किया गया था, जिसमें 70 से 80 भेड़ें बैठ सकती हैं। यह परियोजना, शून्य से नीचे के तापमान और जंगली जानवरों से होने वाली क्षति के कारण भेड़ के बच्चे की मृत्यु दर को कम करने में सफल रही है। लैम्बिंग–शेड के बंद सुरक्षात्मक ढांचे के कारण रात के समय जानवरों को इस परियोजना से 93 परिवारों और 262 व्यक्तियों को लाभ हुआ है। ऊनी उत्पादों की बुनाई और बुनाई में 36 कारीगरों को प्रशिक्षित किया गया है और बुनाई प्रशिक्षण के दौरान कारीगरों द्वारा 300 आइटम तैयार किए गए हैं।

बुनाई केंद्र में बुने हुए शॉल और कारीगर

प्रशिक्षण में बुने हुए मोजे, दस्ताने और ऊनी टोपी

उत्सव, प्रचार और विज्ञापन

10.39 इस योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर गणतंत्र दिवस समारोह, आदि–महोत्सव, सम्मेलन और सेमिनार भी आयोजित किए जाते हैं। समृद्ध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने, सूचना के प्रसार और जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिष्ठित संगठनों को इस योजना के तहत परियोजनाएं भी दी जाती हैं।

10.40 वर्ष के दौरान, मंत्रालय ने ट्राइफेड के माध्यम से 16 नवंबर से 30 नवंबर, 2021 तक दिल्ली हाट, आईएनए, नई दिल्ली में "आदि–महोत्सव" राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया। उत्सव में 27 राज्यों के एक हजार से अधिक कारीगरों ने भाग लिया।

टीआरआई और सीओई परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानीः

10.41 इस मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई), उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) और अनुसंधान संस्थानों को स्वीकृत परियोजनाओं की निगरानी के लिए मंत्रालय ने वेब पते https://tri.tribal.gov.in के साथ राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान पोर्टल विकसित किया है। टीआरआई/सीओई त्रैमासिक स्थिति के साथ अपने स्वीकृत परियोजना विवरण जमा कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं, यूसी और दस्तावेज, ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं।

10.42 जनजातीय भंडार (ट्राइबल रिपॉजिटरी): समृद्ध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और दूसरों के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से, वेब पते के साथ एक डिजिटल भंडार https://tribal.nic.in/repository विकसित किया गया है जहां दस्तावेजों, लोक गीतों, फोटो/वीडियो के संबंध में उनके विकास, उत्पत्ति के स्थान, जीवन शैली, खाने की आदतों, वास्तुकला, शिक्षा स्तर, पारंपरिक कला, लोक नृत्य और भारत में जनजातियों के अन्य मानवशास्त्रीय विवरण संग्रहीत हैं। इस भंडार (रिपॉजिटरी) में वर्तमान में 10,000 से अधिक तस्वीरें, वीडियो, ऑडियो, दस्तावेज और प्रकाशन हैं जो ज्यादातर टीआरआई द्वारा संग्रह किया गया है।

10.43 जनजातीय डिजिटल अभिलेख भंडारः "जनजातीय डिजिटल अभिलेख भंडार" प्रकाशित शोध पत्रों, पुस्तकों, रिपोर्टों और दस्तावेजों का एक अद्वितीय डिजिटल भंडार है, जिसमें भारत में जनजातियों से संबंधित राज्य, टीआरआई, लेखक, जनजाति, विषय इत्यादि जैसे विभिन्न मानकों के आधार पर उनके मेटाडेटा के साथ संबंधित दस्तावेज हैं। वेब पते के साथ http://repository.tribal.gov.in. इसमें परिष्कृत खोज की सुविधा प्रदान की गई है, ताकि हर कोई सुगमता से अपने संबंधित दस्तावेज ढूंढ़ सके।

10.44 आदि प्रशिक्षण पोर्टलः क्षमता निर्माण के लिए पोर्टल। जनजातीय कार्य मंत्रालय और राज्य जनजातीय विकासध्कल्याण विभाग के साथ–साथ अन्य नोडल एजेंसियों द्वारा संचालित सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय डेटाबेस की सुविधा हेतु एक वेब पोर्टल (https://adiprashikshan.tribal.gov.in) विकसित किया गया है। जनजातीय विकास के लिए जिम्मेदार एजेंसियां यह पोर्टल आदिवासी विकास के प्रमुख कार्यक्रमों जैसे संवैधानिक सुरक्षा और विधायी संरक्षण, वन अधिकार अधिनियम, कौशल और उद्यमिता विकास, एसटी, पीआरआई सदस्यों के लिए प्रशिक्षण, जनजातीय स्कूलों के शिक्षकों, युवा आदि के लिए देश भर में आयोजित होने वाले विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी को एक साथ लाने में सक्षम बनाता है। यह संसाधन व्यक्तियों, मास्टर प्रशिक्षकों और प्रतिभागियों और विभिन्न डोमेन में प्रशिक्षण संसाधन सामग्री के डेटाबेस के एक–स्थलीय सूचना केंद्र के रूप में भी काम करेगा। पोर्टल का शुभारंभ माननीय जनजातीय कार्य मंत्री द्वारा किया गया था।

10.45 आदि प्रसरणः मीडिया समाचार और घटनाओं के लिए वेब पोर्टल

एक वेब पोर्टल विकसित किया गया है (https://adiprasaran.tribal.gov.in) जिसका उद्देश्य समाचार और घटनाओं की मुख्य शीर्षक हाइलाइट्स, पीआईबी, इवेंट्स, नवीन पहल, फोटो गैलरी, वीडियो गैलरी, प्रकाशन और रिपोर्ट दखल रखने वालों की 'सिंगल विंडो एक्सेस' को सक्षम बनाना है।

10.46 जनजातीय कार्य मंत्रालय इन डिजिटल पहलों के माध्यम से अनुसंधान परियोजनाओं की प्रगति, जिस तरीके से धन का उपयोग किया जाता है और अनुसंधान परियोजनाओं की गुणवत्ता की ऑनलाइन निगरानी कर रहा है। दस्तावेज रिपोजिटरी, राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में जनजातीय समुदायों और जनजातीय क्षेत्रों के लिए योजना बनाने के लिए जनजातियों से संबंधित डेटा और नीति निर्माताओं में रुचि रखने वाले शोधकर्ताओं और व्यक्तियों के लिए उपयोगी टीआरआई द्वारा परस्पर (क्रॉस) लर्निंग की सुविधा प्रदान करता है। टीआरआई ने टीआरआई के साथ समन्वय में पंचायती राज संस्थान के प्रतिनिधियों के लिए एफआरए, पेसा और केंद्र एवं राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। आने वाले वर्षों में जनजातीय मुद्दों से संबंधित एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने के लिए इन सभी पदाधिकारियों, मास्टर प्रशिक्षकों और प्रशिक्षुओं का डेटा बेस उपयोगी होगा।

योजना का प्रदर्शन

10.47 जनजातीय महोत्सव, अनुसंधान सूचना एवं जन शिक्षा योजना के अन्तर्गत पिछले वर्षों में स्वीकृत परियोजनाओं के अन्तर्गत किये गये व्यय को दर्शाने वाला विवरण नीचे दर्शाया गया है।

(राशि करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	नई और चल रही परियोजनाओं के लिए व्यय	स्वीकृत नई परियोजनाओं की संख्या
2017–18	0.41	5
2018–19	4.50	16
2019–20	7.00	24
2020–21	8.00	17
2021–22	2.58 (31.03.21 तक)	0
कुल		**62**

बहुत कम बजट वाली योजना होने के बावजूद, इस योजना में कई सफलता की कहानियां और साझा करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाएं हैं, जिन्हें पिछले 3–4 वर्षों में स्वीकृत 62 परियोजनाओं के लिए Tribal.gov.in. adiprasaran.tribal.gov.in, और dashboard.tribal.gov.in पर देखा जा सकता है। मंत्रालय ने वर्ष 2020–21 के दौरान ई–गवर्नेंस में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए "स्कॉच चैलेंजर अवार्ड" प्राप्त किया। आइस–स्तूप, स्वास्थ्यरू जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण, पोर्टल का उपयोग करते हुए जल प्रबंधन में अभिनव डिजाइन, जनजातीय गांवों के पारिस्थितिकी–पुनर्वास की परियोजना, प्रदर्शन डैशबोर्ड – भारत को बदलने वाले जनजातीय लोगों को सशक्त बनाना "आईटी सक्षम छात्रवृत्ति, जनजातियों का सशक्तिकरण, योजनाओं के माध्यम से स्कॉच गोल्ड श्रेणी पुरस्कार प्राप्त किया। मंत्रालय को विभिन्न आईसीटी पहलों के माध्यम से 18वें सीएसआई एसआईजी ई–गवर्नेंस अवार्ड्स 2020 में प्रोजेक्ट कैटेगरी–सेंट्रल गवर्नमेंट एंटिटी

के लिए, 'परफॉर्मेंस डैशबोर्ड'–एम्पावरिंग ट्राइबल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया' के लिए और 19वें सीएसआई एसआईजी ई–गवर्नेंस अवार्ड्स 2021 में जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल – स्वास्थ्य पोर्टल के लिए प्रोजेक्ट कैटेगरी–सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रशंसा पुरस्कार से सम्मानित हुआ। परियोजनाओं को विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में जगह मिली और पिछले 2 वर्षों के दौरान मीडिया में भी व्यापक स्थान दिया गया।

अध्याय 11

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम

संगठन के बारे में

11.1 संगठन: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) को जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत सरकारी कंपनी के रूप में 10.04.2001 को स्थापित किया गया था तथा इसे कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत लाइसेंस प्रदान किया गया था। इसका प्रबंधन केन्द्रीय सरकार, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए), भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई), भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लि. (ट्राइफेड) के प्रतिनिधियों तथा अनुसूचित जनजातियों इत्यादि का प्रतिनिधित्व करने वाले ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के साथ निदेशक मण्डल द्वारा किया जाता है। निगम रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाकर अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक उन्नयन में अग्रणी भूमिका निभाता है।

उद्देश्य

11.2 एनएसटीएफडीसी अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एनएसटीएफडीसी के मुख्य उद्देश्य हैं:—

- अनुसूचित जनजातियों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक कार्यकलापों की पहचान करना ताकि स्व—रोजगार का सृजन किया जा सके तथा उनकी आय को बढ़ाया जा सके।
- संस्थागत और रोजगार के दौरान प्रशिक्षण दोनों उपलब्ध कराकर अनुसूचित जनजातियों द्वारा प्रयुक्त उनके कौशल और प्रक्रियाओं का उन्नयन करना।
- मौजूदा राज्य/संघ राज्य—क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगमों (एससीए) और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास में लगे अन्य विकास अभिकरणों को और अधिक प्रभावी बनाना।
- राज्यीय चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) की परियोजना निर्माण, एनएसटीएफडीसी समर्थित योजनाओं के कार्यान्वयन तथा उनके कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायता करना।
- एनएसटीएफडीसी से सहायता प्राप्त योजनाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए कार्यान्वयन की निगरानी करना।

अंश पूंजी

11.3 निगम की अधिकृत शेयर पूंजी 750 करोड़ रुपये है और प्रदत्त पूंजी 750 करोड़ रुपये थी।

पात्रता मानदण्ड

11.4 एनएसटीएफडीसी से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदण्ड हैं: —

क. व्यक्ति/स्वयं सहायता समूह

- सभी आवेदक (आवेदकों) अनुसूचित जनजाति समुदाय के होने चाहिए।
- ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए आवेदनकर्ताओं की वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपए (प्रतिवर्ष) से अधिक नहीं होनी चाहिए

ख. सहकारी समितियां: कम से कम 80 प्रतिशत या उससे अधिक सदस्य अनुसूचित जनजाति समुदाय के होने चाहिएं तथा आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए 3 लाख रूपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। सदस्यता के

परिवर्तन के मामले में, उक्त सहकारी समिति यह सुनिश्चित करेगी कि एनएसटीएफडीसी ऋण की मुद्रा की अवधि के दौरान अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का प्रतिशत 80% से कम न हो।

ग. गरीबी रेखा से दुगनी (डीपीएल) से अधिक तथा 6.00 लाख रुपए प्रति वर्ष तक आय वाली अनुसूचित जनजातियों को ऋण देने के लिए ब्याज की दर वाणिज्यिक बैंक दरों से 2 प्रतिशत कम है।

स्कीमें

11.5 निगम अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक उत्थान हेतु आय सृजनकारी कार्यकलापों तथा विपणन समर्थन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एनएसटीएफडीसी की स्कीमों के विवरण इस प्रकार हैं:—

क. आय सृजनकारी गतिविधियों के तहत प्रमुख स्कीमें:

- **मियादी ऋण योजना:** एनएसटीएफडीसी प्रति इकाई 50.00 लाख रुपए तक की लागत वाली व्यवहार्य योजनाओं के लिए मियादी ऋण प्रदान करता है। एनएसटीएफडीसी स्कीम की लागत के 90 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है तथा शेष राशि सब्सिडी/प्रवर्तक के अंशदान/उपान्त (मार्जिन) धनराशि के रूप में पूरी की जाती है।
- **आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई):** यह स्कीम केवल अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए है। इस स्कीम के तहत, एनएसटीएफडीसी 2 लाख रुपए तक की लागत वाली स्कीम के लिए 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की उच्च रियायती ब्याज दर पर 90 प्रतिशत तक ऋण प्रदान करता है।
- **लघु (माइक्रो) ऋण योजना:** यह स्कीम अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की छोटी ऋण आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्वयं सहायता समूहों हेतु एक प्रमुख योजना है। इस योजना के तहत, निगम प्रति सदस्य 50,000/— रूपये और प्रति स्व—सहायता समूह 5.00 लाख रूपये ऋण प्रदान करता है।
- **आदिवासी शिक्षा ऋण योजना:** यह शिक्षा ऋण योजना है जो भारत में पीएचडी सहित प्रौद्योगिकी और पेशेवर शिक्षा के व्यय को वहन करने के लिए अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को सक्षम बनाती है। इस योजना के तहत, निगम 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की रियायती ब्याज दर पर 10.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार इस स्कीम के लिए ब्याज—सब्सिडी प्रदान करता है जिसके द्वारा पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान तथा नौकरी प्राप्त होने के एक वर्ष या छह माह के पश्चात, जैसा भी मामला हो, विद्यार्थी द्वारा कोई ब्याज देय नहीं है।
- **जनजातीय वन निवासी सशक्तीकरण स्कीम:** इस स्कीम का उद्देश्य वन निवासी अनुसूचित जनजातियों जिन्हें वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत भूमि के अधिकार दिए गए हैं, में जागरुकता पैदा करना, लाभार्थियों को प्रशिक्षण देना, एनएसटीएफडीसी की रियायती वित्तीय सहायता देना, बाजार के साथ संपर्क (लिंकेज) इत्यादि में सहायता देना है। इस स्कीम के तहत, एनएसटीएफडीसी, लाभार्थियों द्वारा 4 प्रतिशत देय की रियायती ब्याज दर पर 2 लाख रूपये तक की लागत वाली योजनाओं के लिए 90 प्रतिशत तक का ऋण प्रदान करता है।

ख. विपणन समर्थन सहायता: निगम लघु वन उत्पाद (एमएफपी) और अन्य जनजातीय उत्पादों की खरीद तथा विपणन में लगी एजेंसियों की कार्यकारी पूंजी संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

ग. अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के लिए

मार्जिन मनी सहायता योजनाः भारत सरकार की स्टैंड–अप इंडिया योजना के तहत परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए, दिसंबर 2020 में "एसटी उद्यमियों के लिए मार्जिन मनी सपोर्ट स्कीम" नामक एक अलग योजना तैयार की गई है। इस योजना के तहत, पात्र एसटी उद्यमियों को स्टैंड–अप इंडिया योजना के तहत कुल परियोजना लागत के 15% की सीमा तक एनएसटीएफडीसी की वित्तीय सहायता का लाभ उठाने की अनुमति है।

घ. **अनुदान के रूप में एनएसटीएफडीसी द्वारा दी गई वित्तीय सहायताः** स्वरोजगार/रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, पात्र अनुसूचित जनजातियों के कौशल और उद्यमिता विकास के लिए अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

एनएसटीएफडीसी की उपर्युक्त योजनाओं के लिए ऋण प्रदान करने के मानदण्ड इस प्रकार हैं:

क्रम सं.	सहायता का प्रकार	प्रति इकाई लागत	एनएसटीएफडीसी का अंश	प्रतिवर्ष देय ब्याज	
				एससीए द्वारा	
1.	सावधि ऋण योजना	50.00 लाख रुपए	इकाई लागत का 90%	3%	6%
				(एनएसटीएफडीसी के शेयर के रूप में प्रति इकाई 5.00 लाख रुपए तक)	
				5%	8%
				(एनएसटीएफडीसी के शेयर के रूप में प्रति इकाई 10 लाख रुपए तक)	
				7%	10%
				(एनएसटीएफडीसी के शेयर के रूप में प्रति इकाई 10.00 लाख रुपए से ऊपर) (उपर्युक्त ब्याज दरें स्लैब आधार पर नहीं हैं)	
2.	आदिवासी महिला सशक्तीकरण योजना (एएमएसवाई)	2 लाख रुपए	इकाई लागत का 90:	2%	4%
3.,	स्वयं सहायता समूहों के लिए लघु ऋण योजना (एमसीएफ)	प्रति सदस्य 50,000 रुपए तथा प्रति एसएचजी 5 लाख रुपए	100%	3%	6% (एसएचजी द्वारा देय)
4.	आदिवासी शिक्षा ऋण योजना (एएसआरवाई)	10 लाख रुपए	ऋण राशि का 90%	3%	6%
5.	जनजातीय वन निवासी सशक्तिकरण योजना	2 लाख रुपए	ऋण राशि का 90%	2%	4%

11.6 निगम का निष्पादन

क. संस्वीकृतियां: निगम ने दिनांक 31.12.2021 तक 40,034 लाभार्थियों के आर्थिक उत्थान के लिए आय सृजनकारी कार्यकलापों के तहत 139.16 करोड़ रूपये स्वीकृत किए हैं।

ख. संवितरण: निगम ने दिनांक 31.12.2021 तक स्कीम के तहत 1,15,345 लाभार्थियों के लिए 104.31 करोड़ रुपए स्वीकृत किये हैं। इसमें मियादी ऋण के तहत 45.21 करोड़ रूपए और लघु (माइक्रो) ऋण योजना के तहत 54.94 करोड़ रूपए का संवितरण शामिल है। वर्ष 2021–22 के दौरान विभिन्न स्कीमों के तहत सहायता प्राप्त लाभार्थियों की राज्य–वार सूची **अनुलग्नक–11** में दर्शायी गई है।

अध्याय 12

जनजातीय उत्पाद के लिए विपणन सहायता

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन हेतु तंत्र तथा एमएफपी के लिए मूल्य श्रृखंला का विकासः

12.1 "न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन हेतु तंत्र तथा एमएफपी के लिए मूल्य श्रृखंला का विकास" वर्ष 2013–14 में प्रारंभ की गई एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है जो उन एमएफपी संग्रहकर्ताओं के सामाजिक सुरक्षोपाय के रूप में आरंभ की गई जो मुख्यतः अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हैं। यह योजना संग्रहण, प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण, पैकिंग, परिवहन, आदि में उनके प्रयासों के लिए उचित लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करने का प्रयास करती है। यह कटौती की गई लागत के साथ बिक्री आय से राजस्व का हिस्सा प्राप्त करने का भी प्रयास करती है। इसका उद्देश्य स्थिरता के लिए अन्य मुद्दों का समाधान करना भी है।

12.2 इस स्कीम में, चयनित लघु वन उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण और घोषणा की परिकल्पना की गई है। किसी एमएफपी वस्तु का प्रचलित बाजार मूल्य, निर्धारित एमएसपी मूल्य से कम हो जाने के मामले में पूर्व नियत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रापण व विपणन का प्रचालन निर्दिष्ट राज्य एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। इसके साथ–साथ ही अन्य मध्यम व दीर्घकालिक मुद्दों जैसे निरंतर संग्रहण, मूल्य वृद्धि, अवसंरचना विकास, लघु वन उत्पादों का ज्ञान आधारित विस्तार, बाजार आसूचना विकास का समाधान भी किया जाएगा।

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य

12.3 जनजातियों का पारिश्रमिक बढ़ाने के लिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या एफ.सं. 19/17/2018–आजीविका दिनांक 01 मई 2020 के माध्यम से योजना के तहत पहले से अधिसूचित 50 एमएफपी वस्तुओं के लिए एमएसपी को संशोधित किया। इसके अलावा, योजना के तहत एमएफपी वस्तुओं की कवरेज को जनजातीय कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एफ.सं. 19/17/2018–आजीविका दिनांक 26/05/2020 के माध्यम से अखिल भारतीय संकेन्द्रण (पैन इण्डिया फोकस) के साथ अतिरिक्त 37 वस्तुओं तक बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार, इस योजना में वर्तमान में 87 वस्तुएं शामिल हैं। विवरण **अनुलग्नक–12** में दिया गया है। यह योजना राज्य सरकार के परामर्श से ट्राइफेड द्वारा चयनित राज्य स्तरीय एजेंसी (एसएलए) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार एसएलए को एक परिक्रामी निधि प्रदान करती है। हानि, यदि कोई हो, को केंद्र और राज्य द्वारा 75:25 के अनुपात में साझा किया जाना है।

वन धन कार्यक्रम

12.4 एमएफपी के लिए एमएसपी की योजना के तहत, "वन धन विकास कार्यक्रम (वीडीवीके)" विभिन्न कौशल उन्नयन प्रशिक्षण और एमएफपी के वैज्ञानिक संग्रहण, कटाई और प्राथमिक प्रसंस्करण को अपनाने के माध्यम से आजीविका सृजन को लक्षित करने वाली एक पहल की कल्पना की गई और इसे गति प्रदान की गई। 14.04.2018 को एक वन धन केंद्र (वीडीके) का उद्घाटन भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा बीजापुर, छत्तीसगढ़ में प्रारंभिक (पायलट) आधार पर किया गया था। वन धन कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए फरवरी, 2019 में एमएफपी के लिए एमएसपी की योजना के दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया था।

कार्यक्रम के तहत, वन धन स्व–सहायता समूह (वीडीएसएचजी) के रूप में जानी जाने वाली एक

ग्राम स्तर की प्राथमिक एसएचजी इकाई की स्थापना की जाती है, जिसमें 20 वनवासी होते हैं, जो लघु वन उत्पादों के संग्रहण, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन का कार्य करती है। 15 ऐसे वीडीएसएचजी को एक वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) में शामिल कर लिया गया है, जो प्रशिक्षण, कच्चे माल के एकत्रीकरण, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और विपणन कार्यों में पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के लाभों को प्राप्त करने के लिए 300 सदस्यों को जोड़ता है।

यह वन धन यानी वन धन का उपयोग करके जनजातियों के लिए आजीविका सृजन को लक्षित करने वाली एक पहल है। कार्यक्रम का उद्देश्य जनजातीय समुदाय आधारित उद्यमों, वन धन विकास केंद्रों के निर्माण और संचालन के माध्यम से, जनजातियों के पारंपरिक ज्ञान और कौशल का दोहन करना और आदिवासी के ज्ञान को एक अधिक व्यवहार्य आर्थिक गतिविधि में मजबूत करना है। वन धन विकास केन्द्रों, वीडीवीके को जनजातीय आवास में और उसके आसपास उपलब्ध विभिन्न वन उत्पादों के मूल्यवर्धन और बेहतर विपणन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण इनपुट, उपकरण और अन्य सहायता दी जाएगी। वर्ष 2019 से वन धन योजना के शुभारंभ के बाद से, ट्राइफेड ने 52,976 वन धन स्वयं सहायता समूहों (वीडीएसएचजी) को 27 राज्यों/संघ राज्य–क्षेत्रों में 3,110 वन धन विकास केंद्र समूहों (वीडीवीके) में शामिल करने की मंजूरी दी है, जिसमें 9.27 लाख लाभार्थी शामिल हैं। ये वीडीएसएचजी/वीडीवीके कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

जबकि केंद्र की स्थापना के लिए राज्य सरकार को भूमि/भवन निःशुल्क उपलब्ध कराना होता है, वहीं केंद्र सरकार प्रशिक्षण, पक्ष समर्थन (एडवोकेसी), कच्चा माल, उपकरण किट आदि के लिए व्यय प्रदान करेगा। क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से स्थायी जनजातीय उद्यमिता स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण, मूल्य संवर्धन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और विपणन गतिविधियों को एकीकृत करने के लिए वन धन कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संशोधित किया गया है। यह जनजातीय परिवारों को नियमित आजीविका और आय सृजन के अवसर प्रदान करेगा।

राज्यवार वन धन स्वयं सहायता समूहों (वीडीएसएचजी) और वीडीवीके समूहों (वीडीवीकेसी) का विवरण **तालिका 12.1** में दिया गया है।

तालिका 12.1: वर्ष 2019 से वन धन स्वयं सहायता समूहों (वीडीएसएचजी) और वीडीवीके क्लस्टर्स(वीडीवीकेसी) की राज्यवार स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	स्वीकृत/अनुमोदित वीडीएसएचजी की संख्या	स्वीकृत/अनुमोदित वीडीवीके क्लस्टरों की संख्या	वन संग्राहकों की संख्या	स्वीकृत राशि (रु. लाख रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश	6225	415	123258	6162.9
2	अरुणाचल प्रदेश	1275	85	25500	1275
3	असम	7140	302	90316	4530
4	बिहार	120	8	1630	81.5
5	छत्तीसगढ	4170	139	41700	2085

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	स्वीकृत/ अनुमोदित वीडीएसएचजी की संख्या	स्वीकृत/ अनुमोदित वीडीवीके क्लस्टरों की संख्या	वन संग्राहकों की संख्या	स्वीकृत राशि (रु. लाख रुपये में)
6	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	15	1	302	15
7	गोवा	150	10	3000	150
8	गुजरात	1740	116	34424	1721.2
9	हिमाचल प्रदेश	61	3	810	40.5
10	लद्दाख	150	10	3000	150
11	झारखंड	585	39	11601	569.7
12	कर्नाटक	1946	140	41748	2087.4
13	केरल	660	44	12038	597.25
14	मध्य प्रदेश	1605	107	32100	1605
15	महाराष्ट्र	3960	264	79350	3960
16	मणिपुर	3000	200	60390	2996.8
17	मेघालय	585	39	11835	584.1
18	मिजोरम	2385	159	46168	2306.55
19	नागालैंड	3090	206	61800	3089.9
20	ओडिशा	4110	170	51019	2479.25
21	राजस्थान	7322	479	144803	7135.6
22	सिक्किम	1200	80	23800	1169.05
23	तमिलनाडु	192	8	2400	120
24	तेलंगाना	255	17	5100	255
25	त्रिपुरा	480	32	9039	436.95
26	उत्तर प्रदेश	375	25	7191	359.55
27	उत्तराखंड	180	12	3605	179.95
	कुल	**52976**	**3110**	**927927**	**46143.15**

राज्य स्तरीय पक्ष समर्थन (एडवोकेसी) कार्यशाला

12.5. कोविड –19 के कारण वर्तमान महामारी ने जनजातीय कारीगरों और इकट्ठा करने वालों सहित गरीब और हाशिए के समुदायों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, ट्राइफेड ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के संसद सदस्यों, राज्य नोडल विभागों, राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों और विभिन्न हितधारकों के साथ वेबिनार/वीडियो कॉन्फ्रेंस की एक श्रृंखला आयोजित की, जिसमें सभी राज्यों को विशेष रूप से कोविड–19 महामारी के खिलाफ शमन करने के लिए विभिन्न उपायों को अपनाने और एमएफपी योजना के लिए एमएफपी के तहत एमएफपी की खरीद शुरू करने के लिए जनजातीय संग्रहकर्ताओं को बहुत आवश्यक आजीविका सहायता प्रदान करने और उनके बीच सामाजिक दूरी बनाए रखने के उपायों और उनके दैनिक गतिविधियों के दौरान सुरक्षा सावधानियों का पालन करने के लिए जागरूकता पैदा करने की सलाह दी गई।

योजना का प्रदर्शन

12.6. 2014–15 से 2020–21 के दौरान 'न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास' योजना के तहत जारी सहायता अनुदान का विवरण नीचे **तालिका 12.2 (क)** और **तालिका 12.2 (ख)** में दिया गया है। वर्ष 2020–21 के दौरान राज्यों द्वारा लघु वनोपज (एमएफपी) की खरीद **तालिका 12.2 (ग)** में दी गई है।

तालिका 12.2: (क) एमएफपी की खरीद के लिए मंत्रालय द्वारा राज्यों को जारी सहायता अनुदान (परिक्रामी निधि)

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	राज्यों को स्वीकृत/जारी की गई परिक्रामी निधि
1	छत्तीसगढ़	15366.00
2	गुजरात	622.00
3	झारखंड (झामकोफेड)	2415.00
	झारखंड (झास्कोलैम्प्फ)	2257.00
4	महाराष्ट्र	500.00
5	आंध्र प्रदेश	828.75
6	मध्य प्रदेश	3489.00
7	ओडिशा	4991.00
8	राजस्थान	20.00
9	पश्चिम बंगाल	201.72
10	मणिपुर	10.50
11	नागालैंड (डूडा)	252.16
12	उत्तर प्रदेश	240.00
13	केरल	59.74
14	कर्नाटक	124.60
15	असम	66.94
16	त्रिपुरा (टीआरपीसी लिमिटेड)	192.15
	त्रिपुरा – (मार्कफेड)	8.51
17	तमिलनाडु	228.97
18	मिजोरम*	91.50
	कुल	**31965.54**

* स्वीकृत

तालिका 12. 2(ख) : अवसंरचना विकास मंत्रालय द्वारा राज्यों को जारी की गई निधि :

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	राज्यों को जारी अवसंरचना निधि (लाख रुपये में)
1	छत्तीसगढ़	990.25
2	गुजरात	497.37
3	झारखंड (झास्कोलैम्फ)	39.00
4	महाराष्ट्र	325.00
5	आंध्र प्रदेश	709.50
6	मध्य प्रदेश	2681.25
7	ओडिशा	820.00
8	पश्चिम बंगाल	455.44
9	मणिपुर	300.00
10	नागालैंड	65.80
11	उत्तर प्रदेश	821.25
12	केरल	357.75
13	असम	708.38
14	तमिलनाडु	30.94
15	त्रिपुरा	114.00
	कुल	**8915.93**

तालिका 12.2 (ग): वर्ष 2020–21 के दौरान राज्यों द्वारा लघु वनोपज (एमएफपी) की खरीद (अधिप्राप्ति)

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	खरीदी हुई (अधिप्राप्त) एमएफपी का मूल्य
1	आंध्र प्रदेश	95.03
2	छत्तीसगढ़	8591.80
3	गुजरात	64.65
4	झारखंड	205.85
5	कर्नाटक	36.58
6	केरल	67.52
7	मध्य प्रदेश	5.55
8	महाराष्ट्र	119.01
9	नागालैंड	0.67
10	ओडिशा	578.75
11	राजस्थान	2.65
12	उत्तर प्रदेश	1.76
	कुल	**9769.83**

12.7 2017–18 से 2021–22 (31.12.2021 को) तक "न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वनोपज (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला के विकास" की योजना के तहत ट्राइफेड को जारी सहायता अनुदान का विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22 (31.12.2021 तक)
ट्राइफेड	2.00	31.47	147.43	75.74	57.50

जनजातीय उत्पादों/उपज के विकास और विपणन के लिए संस्थागत समर्थन:

इस योजना के तहत, राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों (एसटीडीसीसी) और भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) को सहायता अनुदान जारी किया जाता है, जो जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एक बहु–राज्य सहकारी है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के लिए एमएफपी से संबंधित गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधियों के विपणन और विकास का समर्थन करने के लिए संस्थानों का निर्माण करना है, जिन पर वे अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं। इन्हें विशिष्ट उपायों के द्वारा प्राप्त किए जाने की आवश्यकता है, जैसे (i) बाजार हस्तक्षेपय (ii) जनजातीय कारीगरों, शिल्पकारों, आदि का प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन और (iii) आपूर्ति श्रृंखला बुनियादी ढांचे का विकास।

12.8 ट्राइफेड देश भर में अपने खुदरा आउटलेट "ट्राइब्स इंडिया" और प्रदर्शनी के नेटवर्क के माध्यम से जनजातीय उत्पादों का विपणन करता है। वर्ष 2020–21 के दौरान, ट्राइफेडने पिछले वर्ष की 5094.65 लाख की खरीद की तुलना में 1561.42 लाख रुपये के जनजातीय उत्पादों का कारोबार किया है।

12.9 विपणन विकास गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार है

- ट्राइफेड ने 31.01.2022 तक देश भर में स्थित 119 स्वयं के ट्राइब्स इंडिया आउटलेट्स यानी 98 स्वयं के सेल्स आउटलेट्स, 13 कंसाइनमेंट सेल्स और 08 फ्रैंचाइज आउटलेट्स की एक रिटेल नेटवर्क चेन स्थापित की है।

- राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव "आदि महोत्सव" – ट्राइफेड राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव 'आदि महोत्सव' – देश भर के सभी प्रमुख शहरों में शिल्प, संस्कृति, व्यंजन और वाणिज्य का उत्सव का आयोजन किया गया है। वर्ष के दौरान, यह कार्यक्रम 16 नवंबर से 30 नवंबर तक आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में आदिवासी कला और शिल्प का प्रदर्शन और बिक्री, आदिवासी चिकित्सा और उपचारकर्ता और आदिवासी व्यंजन, आदिवासी शिल्प प्रदर्शन और शाम को आदिवासी लोक प्रदर्शन शामिल थे। इन सभी को एक छत के नीचे एक साथ रखकर जनजातीय समुदायों की समृद्ध पारंपरिक संस्कृति की झलक आगंतुकों को प्रदान की गई।

- मिनी आदि महोत्सवः ट्राइफेड ने 20 जनवरी से 30 जनवरी, 2021 के बीच जीपीआरए कॉम्प्लेक्स, न्यू मोती बाग, नई दिल्ली में एक मिनी आदि महोत्सव का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में देश भर की जनजातियों की जनजातीय परंपराओं, शिल्प, कला और संस्कृति को प्रदर्शित किया गया और पूरे भारत के लगभग 100 जनजातीय कारीगरों और उत्पादकों ने इस उत्सव में भाग लिया।

12.10 जनजातीय कार्य मंत्रालय दोनों योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ट्राइफेड को सहायता अनुदान प्रदान करता है। 2017–2018 से 2021–22 (31.12.2021 तक) 'जनजातीय उत्पादों/उपज के विपणन और विकास के लिए संस्थागत समर्थन' योजना के तहत जारी सहायता अनुदान का विवरण।

(करोड़ रुपए में)

ट्राइफेड	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22 (31.12.2021 तक)
	39.00	62.50	118.50	95.00	56.50

(श्रीमती मैरी कॉम, ब्रांड एंबेसडर, ट्राइब्स इंडिया, जिन्हें हाल ही में भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, को दिल्ली हाट में आदि महोत्सव के उद्घाटन समारोह के दौरान माननीय ज.जा.का. मंत्री श्री अर्जुन मुंडा द्वारा सम्मानित किया गया)

(दिल्ली हाट में 16 से 30 नवंबर 2021 तक आयोजित ट्राइब्स इंडिया आदि महोत्सव के दौरान गणमान्य व्यक्तियों के साथ जनजातीय कलाकार)

अध्याय 13

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

आयोग के बारे में

13.1 अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए संविधान में दिए गए विभिन्न सुरक्षोपायों और विभिन्न अन्य सुरक्षात्मक कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 1950 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त का कार्यालय स्थापित किया गया था। इसके अतिरिक्त, 1978 में, एक बहुसदस्यीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। वर्ष 1992 में ये दो संगठन सांविधिक बहु–सदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए गए थे। चूंकि अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताएं, समस्याएं तथा उनके अपेक्षित समाधान, अनुसूचित जातियों की समस्याओं से कहीं अधिक भिन्न थे, अतः जनजातीय विकास के लिए एक विशेष दृष्टिकोण और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों के सुरक्षोपायों के लिए स्वतंत्र मशीनरी का होना आवश्यक समझा गया। तद्नुसार, अनुच्छेद 338 में संशोधन करके तथा संविधान (89वां संशोधन) अधिनियम, 2003 के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 338क का अंतर्निवेश करके दिनांक 19 फरवरी, 2004 को एक अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) की स्थापना की गई थी।

13.2 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन सदस्य होते हैं। आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्रमशः केन्द्रीय मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, जबकि आयोग के अन्य सदस्यों को भारत सरकार के सचिव का दर्जा दिया गया है।

कार्यालय की अवधि

13.3 आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य, कार्यालय में अपने कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन (3) वर्षों की अवधि तक उस कार्यालय में अपने पद पर बने रहते हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य दो अवधियों से अधिक के लिए नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे।

कार्य एवं कर्तव्य

13.4 आयोग के मुख्य कर्तव्य अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना तथा ऐसे सुरक्षा उपायों के कामकाज का मूल्यांकन करना और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना है।

13.5 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कर्तव्य तथा शक्तियां संविधान के अनुच्छेद 338क के खण्ड (5), (8) तथा (9) में दी गई हैं। संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड 5 के अनुसार, आयोग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:

(क) इस संविधान के तहत या कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून के तहत या सरकार के किसी भी आदेश के तहत अनुसूचित

जनजातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना और ऐसे सुरक्षा उपायों के कामकाज का मूल्यांकन करना;

(ख) अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना;

(ग) अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना तथा संघ एवं किसी भी राज्य के तहत उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;

(घ) राष्ट्रपति को सालाना और ऐसे अन्य समय पर प्रस्तुत करने के लिए जो आयोग उपयुक्त समझे, उन सुरक्षा उपायों के काम पर रिपोर्ट;

(ङ.) ऐसी रिपोर्टों में उन उपायों के बारे में सिफारिश करने के लिए जो संघ या किसी राज्य द्वारा अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए उन सुरक्षा उपायों और अन्य उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किए जाने चाहिए; तथा

(च) अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और विकास एवं उन्नति के संबंध में ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करना, जैसा कि राष्ट्रपति, संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन, नियम द्वारा निर्दिष्ट कर सकते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड 8 के अनुसार, आयोग के पास अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षापायों के वंचन से संबंधित किसी शिकायत के बारे में पूछताछ करते समय अथवा किसी मामले, विशेषकर निम्नलिखित मामलों के संबंध में, जांच–पड़ताल करते समय सिविल न्यायालय के वाद की जांच करने के सभी अधिकार निहित हैं, अर्थातः

(क) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को सम्मन भेजकर उपस्थित होने के लिए बाध्य करना तथा उसे शपथ दिलाकर उससे पूछताछ करना;

(ख) किसी भी दस्तावेज की खोज और प्रस्तुति की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से आयोग के किसी सार्वजनिक रिकार्ड अथवा उसकी प्रति की आवश्यकता;

(ङ.) गवाहों और दस्तावेजों की जांच के लिए आदेश जारी करना;

(च) कोई अन्य मामला, जिसे राष्ट्रपति नियमानुसार निर्धारित करें।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (9) में यह प्रावधान है कि केन्द्रीय और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने से संबंधित सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी।

13.6 इसके अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना एफ.सं. 17014ध्3ध्2004–सी एंड एलएम–प्प दिनांक 23 अगस्त, 2005 के अनुसार, आयोग अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा, कल्याण, विकास तथा उन्नति के संबंध में कुछ अन्य कार्यों का भी निर्वहन करेगा, अर्थातः

(क) उपाय जो वन क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों को लघु वन उत्पाद के संबंध

में स्वामित्व का अधिकार दिए जाने के लिए आवश्यक हैं;

(ख) कानून के अनुसार, खनिज संसाधनों, जल संसाधनों आदि के संबंध में जनजातीय समुदायों को सुरक्षा अधिकार देने के लिए किए जाने वाले उपाय;

(ग) जनजातियों के विकास में कमियों को दूर करना और अधिक व्यवहार्य आजीविका रणनीतियों के लिए किए जाने वाले उपाय,

(घ) विकास परियोजनाओं द्वारा विस्थापित जनजातीय समूहों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की प्रभावोत्पादकता को सुधारने के लिए किए जाने वाले उपाय;

(ड.) जनजातीय लोगों का भूमि से अन्य अन्तरण रोकने के लिए किए जाने वाले उपाय और उन लोगों का प्रभावी रूप से पुनर्वास करना जिनके मामले में पहले ही अन्तरण हो चुका है;

(च) वनों के संरक्षण और सामाजिक वनरोपण के लिए जनजातीय समुदायों को शामिल करने एवं अधिकतम सहयोग प्रदान करने हेतु किए जाने वाले उपाय;

(छ) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का 40) के उपबंधों के पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले उपाय;

(ज) जनजातियों द्वारा की जाने वाली झूम खेती को धीरे–धीरे कम करना और अन्ततः समाप्त करना, जिसके कारण उनकी अधिकारिता निरंतर कम होती है और भूमि तथा पर्यावरण का क्षय होता है, के लिए किए जाने वाले उपाय।

आयोग तथा उसके क्षेत्रीय कार्यालयों का स्थान

13.7 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आयोग के छः क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर, रायपुर, रांची एवं शिलांग में स्थित हैं। इन कार्यालयों के पते और क्षेत्राधिकार **अनुलग्नक–13** में दिए गए हैं।

आयोग की वार्षिक रिपोर्टें

13.8 संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड 5(घ) के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षोपाय करने संबंधी रिपोर्टें राष्ट्रपति के समक्ष वार्षिक रूप से और आयोग जब भी उचित समझे, अन्य समय पर प्रस्तुत करना अपेक्षित है। संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (6) के अनुसार इन रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन में रखना अपेक्षित है और इसके साथ केन्द्रीय सरकार से संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई या की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई को स्पष्ट करते हुए एक ज्ञापन भी प्रस्तुत करना होगा तथा ऐसी किन्ही सिफारिशों की अस्वीकृति के कारण, यदि कोई हों, भी बताने होंगे। एनसीएसटी द्वारा इसके सृजन से लेकर प्रस्तुत की गई रिपोर्टों की स्थिति और उन पर की गई कार्रवाई **तालिका 13** मे दी गयी है:–

तालिका 13: एनसीएसटी द्वारा इसके सृजन और उसके बाद की गई कार्रवाई के बाद से प्रस्तुत रिपोर्टों की स्थिति

विवरण	वर्ष	एनसीएसटी द्वारा भारत के माननीय राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि	जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संसद में रखी गई, की गई कार्रवाई रिपोर्ट
पहली	2004–05 और 2005–06	08.08.2006	31.08.2012 और 30.08.2012
दूसरी	2006–07	03.09.2008	26.04.2013 और 02.05.2013
तीसरी	2007–08	29.03.2010	08.08.2016 और 10.08.2016
चौथी	2008–09	27.08.2010	08.08.2016 और 10.08.2016
पांचवी	2009–10	13.07.2011	08.08.2016 और 10.08.2016
जनजातीय विकास और प्रशासन के लिए सुशासन की विशेष रिपोर्ट	2012	18.06.2012	12.12.2013 और 13.12.2013
6वीं	2010–11	25.10.2013	10.04.2017. और 29.03.2017
7वीं	2011–12	20.02.2015	10.04.2017 और 29.03.2017
8वीं	2012–13	16.11.2015	10.04.2017 और 29.03.2017
9वीं	2013–14	24.05.2016	31.12.2018 और 03.01.2019
10वीं	2014–15	31.05.2016	11.02.2019 और 07.02.2019
11वीं	2015–16	28.10.2016	25.11.2019 और 28.11.2019
एपी में इंदिरा सागर पोलावरम परियोजना पर विशेष रिपोर्ट	2018*	03.07.2018	–
12वीं	2016–17*	14.11.2019	–
13वीं	2017–18*	15.01.2020	–
विस्थापित जनजातियों के पुनर्वास एवं पुनः स्थापन पर विशेष रिपोर्ट (राउरकेला स्टील प्लांट)	2020*	15.01.2020	–
14वीं	2018–19*	24.03.2021	–

*मंत्रालय में प्रक्रियाधीन

अध्याय 14

स्वैच्छिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम

14.1 स्वैच्छिक अथवा गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) के स्थानीय आधार और पहुंच के साथ उनकी भूमिका महत्वपूर्ण बन गई है क्योंकि यह सुनिश्चित करने में वे सरकारी प्रयासों के पूरक होते हैं कि उन प्रयासों के लाभ बड़ी सख्या में लक्षित आबादी तक पहुंचें। कई स्वैच्छिक संगठनों (वी.ओ) ने जनजातियों के उत्थान में सराहनीय कार्य किया है और मंत्रालय इन संगठनों के प्रयासों का समर्थन करता है जो "एनजीओ को सहायता अनुदान" योजना के माध्यम से देश के दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा स्वास्थ्य और आजीविका के क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से केवल उन गैर सरकारी संगठनों को अनुदान जारी किया जा रहा है जो नीति आयोग के एनजीओ दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत हैं। किसी विशिष्ट वर्ग की परियोजना हेतु स्वैच्छिक संगठन/गैर–सरकारी संगठन को अनुदान सरकार द्वारा उस विशिष्ट वर्ग की परियोजना के लिए निर्धारित तथा समय–समय पर संशोधित वित्तीय मानदण्डों के अनुसार सीमित है। अनुदानों की संस्वीकृति समय–समय पर संशोधित सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर), 2017, के नियम 230 से 234 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुदान स्वीकृत किए जाते हैं तथा अनुदान संशोधित स्कीम के नियम और शर्तों के अनुसार जारी किए जाते हैं।

14.2 यह सुनिश्चित करने के लिए कि गैर–सरकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वित योजनाओं का चयन, पारदर्शी तरीके से, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की भागीदारी से किया जाए, मंत्रालय ने गैर–सरकारी संगठनों के प्रस्तावों की प्राप्ति, पहचान, संवीक्षा एवं स्वीकृति के लिए एक विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया विकसित की है। इस प्रक्रिया के अनुसार, सभी राज्य सरकारों/संघ संघ राज्य क्षेत्रों ने प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में "स्वैच्छिक प्रयासों को समर्थन देने के लिए राज्य समिति" का गठन किया है। समिति गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रस्तुत नए और साथ ही चल रहे प्रस्तावों की जांच करती है और आवश्यक सिफारिशें करती है।

एनजीओ अनुदान ट्रैकिंग और निगरानी प्रणाली (एनजीओ पोर्टल) के माध्यम से एनजीओ अनुदान तंत्र का समग्र (एंड टू एंड) डिजिटलीकरण

14.3 2018 तक, इस योजना को मैनुअल मोड में लागू किया जा रहा था। गैर–सरकारी संगठनों द्वारा प्रस्ताव को ऑफलाइन प्रस्तुत करना आवश्यक था और प्रस्तावों को वास्तविक (फिजिकल) सत्यापन के लिए राज्यों को भेजा गया था और इसमें किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए अनुदान जारी करने से पहले कुछ वर्षों का समय अंतराल था। निधियों को जारी करने में देरी के कारण, गैर सरकारी संगठनों को अपने लंबित अनुदानों के बारे में पूछताछ करने के लिए राज्य और केंद्रीय मंत्रालय के कार्यालय में बार–बार जाना पड़ता था और कोई शिकायत निवारण तंत्र स्थापित नहीं था। गैर सरकारी संगठनों के कामकाज की निगरानी के लिए कोई मजबूत तंत्र नहीं था।

14.4 योजना के संचालन को ऑनलाइन करने के नीति आयोग के आदेश के बाद, मंत्रालय ने एक समर्पित एनजीओ पोर्टल विकसित किया है जो एनजीओ योजना को लागू करने के लिए अनुकूलित एंड–टू–एंड समाधान प्रदान करता है। इस पोर्टल में ऑनलाइन प्रस्ताव जमा करने, निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड करने, ऑनलाइन सिफारिश या अस्वीकृति सुविधा, प्रसंस्करण और निधि जारी करने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन और पेपरलेस बनाने की सुविधा है। ऑनलाइन प्रस्ताव दाखिल करने, सत्यापन, आवेदनों के प्रसंस्करण और पीएफएमएस के माध्यम से गैर सरकारी संगठनों के

खाते में निधियों के सीधे वितरण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, पोर्टल को एनजीओ, जिला, राज्य, एनजीओ डिवीजन और आईएफडी के साथ एकीकृत किया गया है, जिन्हें लॉगिन के माध्यम से एक्सेस दिया गया है। पोर्टल पर पंजीकरण के लिए, एनजीओ के पास नीति आयोग के एनजीओ दर्पण से यूनिक–आईडी होना आवश्यक है। एक परियोजना के लिए जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन को जिला और राज्य के अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन सत्यापित किया जाता है। ऑनलाइन प्रशासनिक और वित्तीय अनुमोदन के बाद, पीएफएमएस के माध्यम से स्वीकृति आदेश उत्पन्न होता है और अनुदान जारी किया जाता है। गैर सरकारी संगठनों को व्यय अग्रिम हस्तांतरण (ईएटी मॉड्यूल) के माध्यम से व्यय विवरण ऑनलाइन जमा करना आवश्यक है। पोर्टल में ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र है। सभी हितधारक अपने लॉगिन आईडी के साथ आवेदन की लाइव स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। डेटाबेस में एनजीओ और राज्यों के साथ निगरानी और समन्वय के लिए राज्य–वार, एनजीओ–वार, क्षेत्र–वार, जिला–वार जारी निधियाँ जैसी विभिन्न एमआईएस रिपोर्ट तैयार करने की क्षमता है, जिसे प्रदर्शन डैशबोर्ड के माध्यम से सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाता है।

14.5 समर्पित एनजीओ पोर्टल (ngo.tribal.gov.in) एनजीओ योजना के ऑनलाइन कार्यान्वयन और 24 राज्यों में 300 से अधिक परियोजनाओं के लिए 200 एनजीओ जो स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका के क्षेत्र में कार्य कर रहे है को जारी अनुदान की निगरानी के लिए अनुकूलित एंड–टू–एंड समाधान प्रदान करता है।

14.6 इस पहल से प्रणाली में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही आई है। न केवल प्रसंस्करण समय कम हो गया है, मंत्रालय उसी वित्तीय वर्ष में अनुदान के बड़े हिस्से को मंजूरी देने और शिकायतों का तेजी से निवारण करने में सक्षम हुआ है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल विश्वसनीय एनजीओ को ही योजना के दायरे में लाया जाए, मंत्रालय ने भारत ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन (बीआरएलएफ) को एनजीओ के स्वतंत्र सत्यापन के लिए नियुक्त किया है, जिन्हें उनके प्रदर्शन के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा, मंत्रालय जीआईएस आधारित ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से छात्रों की उपस्थिति और एम्बुलेंस की आवाजाही पर नजर रखने के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग करने की योजना बना रहा है।

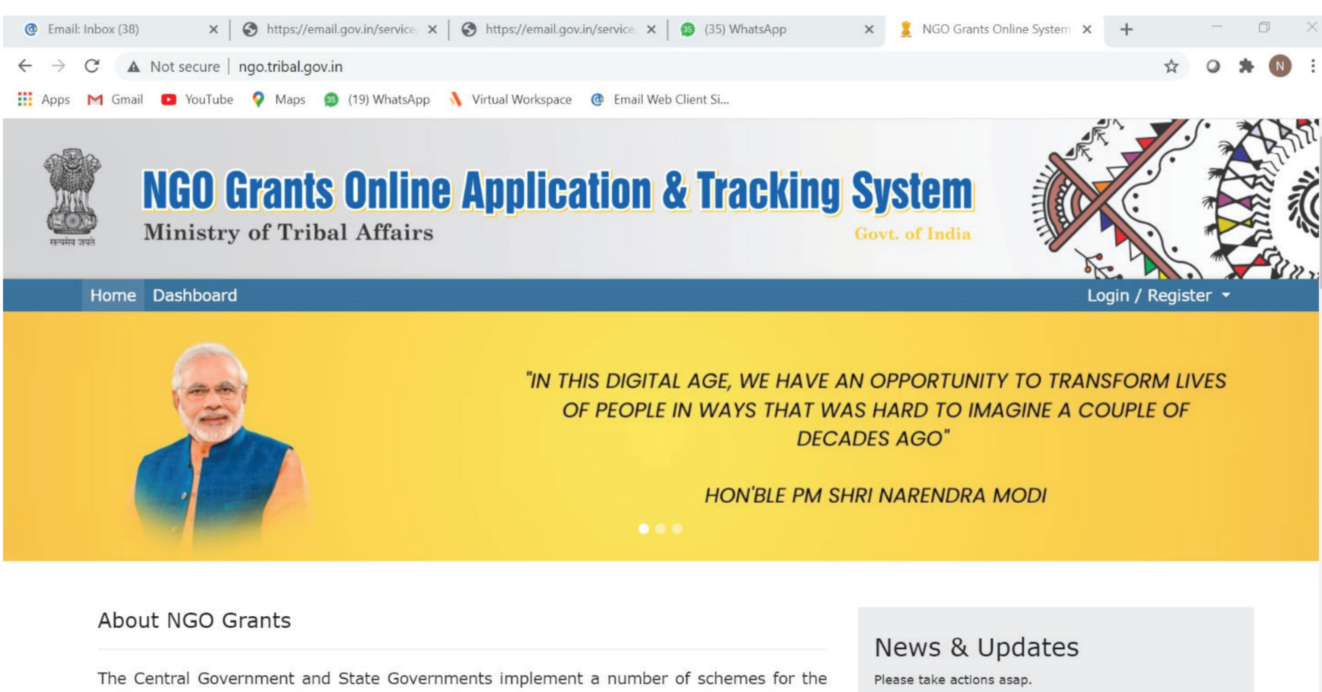

14.7 सामान्यतया जिला क्लेक्टर अथवा प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किए गए वार्षिक निरीक्षण एवं राज्य समिति की संस्तुतियों के आधार पर गैर–सरकारी संगठनों के संतोषजनक कार्य निष्पादन के आधार पर अनुदान प्रतिवर्ष निर्मुक्त किया जाता है। इस योजना के तहत मंत्रालय निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए और प्रयास कर रहा है।

स्कीम का निष्पादन

14.8 वर्ष 2021–22 के दौरान स्कीम के तहत मंत्रालय द्वारा आवंटन एवं किये गये व्यय तथा विगत 2 वर्षों में किए गए आवंटन तथा व्यय के ब्यौरे **तालिका 14** में दिये गये हैं। योजना के तहत वर्ष 2019–20 से 2021–22 (31.12.2021 तक के दौरान स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकार सगठनों, निर्युक्त निधि और लाभार्थियों की राज्य–वार सूची **अनुलग्नक 14क और 14 ख** पर है।

तालिका 14: वर्ष 2019–20, 2020–21 और 2021–22 के दौरान निधियों का आवंटन तथा निर्मुक्ति

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बजट आवंटन		व्यय
	ब.अ.	सं.अ.	
2019–20	110	110	94.85
2020–21	110	60	59.50
2021–22	110	90	38.33 (31.12.2021 तक)

अध्याय 15
अनुसूचित जनजातियों के लिए मानव अधिकार और संवैधानिक प्रावधान

प्रस्तावना

"मानव अधिकार", मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 2 (घ) के तहत परिभाषित किये गए हैं, जो भारत में प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार अभिप्रेत है जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए हैं या अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं में सन्निविष्ट और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है। भारत का संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान किए गए हैं।

15.2 अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक प्रावधान

क. अजजा के रूप में समुदायों की परिभाषा और निर्धारण

i. अनुच्छेद 366 (25) में उन जनजातियों की परिभाषा दी गई हैं जिन्हें अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजातियां समझा जाता है

ii. अनुच्छेद 342 में यह प्रावधान है कि (1) राष्ट्रपति, संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से परामर्श करने के पश्चात लोक अधिसूचना के द्वारा उन जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें के यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा और (2) संसद में खंड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी।

भारत सरकार ने समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित या उसमें से अपवर्जित करने की प्रविधियां जारी की हैं। ये प्रविधियां निर्दिष्ट करती हैं कि राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रस्ताव को यथावत, भारत के महापंजीयक (आरजीआई) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) के समक्ष रखा जाएगा और भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति संबंधित अधिसूचना के तहत संशोधन के उपयुक्त अधिनियमन के लिए इस प्रस्ताव को संसद के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व इस पर आरजीआई और एनसीएसटी दोनों की सहमति आवश्यक होगी ।

ख. अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान

iii. अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन संबंधी प्रावधान किये गये हैं कि (1) पांचवीं अनुसूची के उपबंध , असम मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए लागू होंगे और (2) छठी अनुसूची के उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए इन चार राज्यों (असम मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम) में लागू होंगे।

iv. अनुच्छेद 339 में यह प्रावधान है कि (1) राष्ट्रपति, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और राज्यों के अनुसूचित जनजाति के कल्याण के बारे में प्रतिवेदन देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति करेगा और (2) संघ की कार्यपालक शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निदेश देने तक होगा जो उस राज्य की अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए आवश्यक बताई गई स्कीमों के बनाने और निष्पादन के बारे में हैं।

ग. सार्वजनिक नियोजन, सामाजिक–आर्थिक सुरक्षा और एसटी के विकास से संबंधित प्रावधान

v. अनुच्छेद 15 (1) में यह प्रावधान है कि राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म–स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं करेगा। इसके अलावा, अनुच्छेद 15 (4) में प्रावधान हैं कि इस अनुच्छेद में या अनुच्छेद 29 के खंड (2) की कोई बात राज्य को सामाजिक सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी ।

vi. अनुच्छेद 16 में प्रावधान है कि राज्य के अधीन किसी पर पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में, सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी।

vii अनुच्छेद 19 में प्रावधान है कि सभी नागरिकों को निम्नलिखित का अधिकार होगाः

(क) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार;

(ख) शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार;

(ग) संगम या संघ (या सहकारी सोसाइटी) बनाने का अधिकार;

(घ) समस्त भारत में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार;

(ङ) भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार; तथा

(च) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार।

अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में ये स्वतंत्रता और सुरक्षा उपाय, महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि देश के समान नागरिकों के अनुरूप अपने अधिकारों का उपयोग करने में ये सुरक्षा – उपाय, अनुसूचित जनजातियों को सक्षम बनाते हैं।

viii. अनुच्छेद 23 और 24 मानव का दुर्व्यापार (तस्करी) और बेगार (बंधुआ मजदूरी) के साथ–साथ बाल–श्रम भी प्रतिशिद्ध(मनाही) है । अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक–आर्थिक कमजोरियों को देखते हुए यह एक महत्वपूर्ण प्रावधान हैं।

ix. अनुच्छेद 29 में प्रावधान है कि एक सांस्कृतिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। राज्य, उस पर समुदाय की अपनी संस्कृति के अलावा किसी अन्य संस्कृति को नहीं थोपेगा।

x. अनुच्छेद 46 में यह प्रावधान है कि राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को ध्यान में रखते हुए, उनके शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानीसे अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा ।

xi. अनुच्छेद 275 (1) के तहत, राज्य द्वारा उस राज्य में अनुसूचित जनजाति के कल्याण या उसमें अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासनिक स्तर के उन्नयन के लिए भारत सरकार के अनुमोदन से राज्य सरकार द्वारा आरम्भ की जाने वाली ऐसी विकासात्मक योजनाओं की लागतों को पूरा करने के लिए राज्यों को भारत की संचित निधि से अनुदान का प्रावधान है ।

xii. अनुच्छेद 335 में यह प्रावधान है संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों पर नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों

और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा बशर्ते कि इस अनुच्छेद की कोई बात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के पक्ष में संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं के किसी वर्ग या वर्गों में, या पदो पर प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए, किसी भी परीक्षा में अर्हक अंकों में छूट देने या मूल्यांकन के मानकों को घटाने के उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।

xiii. अनुच्छेद 350 में विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है;

घ. राजनीतिक सुरक्षा–उपायों से संबंधित प्रावधान

xiv. अनुच्छेद 330, 332, 243घ और 243न में क्रमशः लोक सभा (हाऊस ऑफ पीपल), राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों की विधानसभाओं और स्थानीय निकायों (पंचायत राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं) में अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित पद्धति के अनुसार सीटों के आरक्षण के लिए प्रावधान किये गये हैं।

ङ. संवैधानिक उपचार का अधिकार

xv. अनुच्छेद 32 में राज्य या अन्य संस्थानों/ व्यक्तियों द्वारा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ सुरक्षा के लिए कानूनी उपायों का प्रावधान करता है। यह भारत के नागरिकों को इन अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में जाने का अधिकार देता है। राज्य को ऐसा कोई भी कानून बनाने से मना किया गया है जिसका मौलिक अधिकारों के साथ टकराव होता हो। यह अधिकार भारत की जनजातीय आबादी के लिए समान रूप से उपलब्ध है।

च. अजजा के हितों की सुरक्षा के लिए सांविधिक प्रावधान

भारत सरकार ने माना है कि संवैधानिक सुरक्षा उपायों को कानूनी और अन्य उपायों में निरूपित किये जाने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एसटी अपनी अद्वितीय सामाजिक–सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखते हुए समाज के अन्य वर्गों के साथ विकसित करने में सक्षम हो सकें। इस संबंध में मुख्य सांविधिक प्रावधान निम्नलिखित हैं:

i. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 को "अस्पृश्यता" को बढ़ावा देने और अस्पृश्यता का व्यवहार करने पर उससे संबंधित मामलों में उत्पन्न किसी भी दिव्यांगता के खिलाफ दंडित करने के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिनियमित किया गया था ।

ii. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एक महत्वपूर्ण अधिनियम है जो अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजातियों के साथ भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा–उपाय है। यह अधिनियम, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के साथ अत्याचार के अपराधों को रोकने के लिए लागू किया गया है।

iii. पंचायत अधिनियम, 1996 (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) (संक्षेप में 'पेसा') को, संविधान के भाग IX में पंचायतों से संबंधित दिए गए प्रावधानों का, अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

iv. अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम {वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के नाम से

प्रसिद्ध}, 2006 का मुख्य उद्देश्य, वन में निवास करने वाली ऐसी अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के जो पीढ़ियों से ऐसे वनों में निवास कर रहे हैं, किंतु उनके अधिकारो को अभिलिखित नहीं किया जा सका है, वन भूमि में वन अधिकारों और अधिभोग और कब्जों को मान्यता देना तथा उन्हें प्रदान प्रदान करना है।

v. अनुसूचित जनजातियों के हितों और अधिकारों से संबद्ध अन्य कानून हैं– भारतीय वन अधिनियम 1927, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976, बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986, भारतीय वन नीति 1988, भारतीय जैव विविधता अधिनियम 2002, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार, क्षतिपूरक वनीकरण कोष नियम 2018, राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित भूमि का हस्तांतरण और बहाली या परिवर्तन से संबद्ध सभी केंद्रीय और राज्य अधिनियम और विनियम।

15.3 सुरक्षा–उपायों की निगरानी के लिए एजेंसीः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) की स्थापना संविधान में, 'संविधान अधिनियम, 2003 (89वां संशोधन)', अनुच्छेद 338 में संशोधन और नए अनुच्छेद 338क को शामिल करके, 19 फरवरी 2004 को की गई थी। आयोग के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष को क्रमशः केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य और राज्य के मंत्री का जबकि आयोग के अन्य सदस्यों को भारत सरकार के सचिव का रैंक दिया गया है।

एनसीएसटी आयोग के कार्य

अनुच्छेद 338 क के खंड (5) के प्रावधानः

(क) अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायो से संबंधित सभी मामलों की जांच करना तथा मॉनीटर करना ।

(ख) अनुसूचित जनजातियों को अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित किए जाने के संबंध में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करनाय

(ग) अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उन पर सलाह देना और संघ और किसी भी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।

(घ) राष्ट्रपति को, वार्षिक तौर पर और अन्य ऐसे समयों पर, जब भी आयोग उपयुक्त समझें, उन सुरक्षा उपायों के आकलन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करनाय

(ङ) उन रक्षोपायों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के बारे में लिए जो संघ या किसी भी राज्य द्वारा किए जाने चाहिएं, सिफारिश करनाय तथा

(च) अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और विकास और उन्नयन के संबंध ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करना।

आयोग, उपरोक्त कार्यों के अलावा, निष्पादन, कल्याण और विकास तथा अनुसूचित जनजातियों के उन्नयन के संबंध में निम्नलिखित अन्य कार्यों का भी निर्वहन करेगा –

(क) वन क्षेत्रों में रहने वाले अजजा के लोगों को गौण वन उपज (एमएफपी) के संबंध में स्वामित्व–अधिकार प्रदान करने के लिए आवश्यक उपाय करना;

(ख) कानून के अनुसार, खनिज संसाधनों, जल संसाधनों, आदि पर जनजातीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए किए जाने वाले उपाय करना;

(ग) जनजातियों के विकास के लिए खामियों को दूर करने और अधिक व्यवहारिक आजीविका संबंधी कार्यनीतियां बनाने के काम करने के लिए उपाय करना;

(घ) विकास परियोजनाओं के परिणामस्वरूप विस्थापित जनजातीय समूहों के लिए राहत और पुनर्वासन—उपायों की पर्याप्तता में सुधार के लिए उपाय करना;

(ङ) जनजातीय लोगों को भूमि से अलग किये जाने से बचाव और ऐसे लोगों जिनके मामले में भूमि से पहले ही अलगा किया जा चुका है, को प्रभावी ढंग से पुनर्वासित करने के लिए उपाय करना;

(च) वनों की रक्षा और सामाजिक तौर पर वनीकरण के लिए जनजातीय समुदायों के अधिकतम सहयोग और भागीदारी के लिए उठाए जाने वाले उपाय करना;

(छ) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का 40) के प्रावधानों का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने वाले उपाय करना;

(ज) जनजातियों द्वारा शिफ्ट खेती को कम करने और अंततः समाप्त करने के उपाय करना जो उन्हें निरंतर उनके निशक्तीकरण और भूमि एवं पर्यावरण के क्षरण की प्रवृत्ति की ओर ले जाती है ।

अध्याय 16

पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान केंद्रित करना

मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में की गई पहलें

16.1. तत्कालीन योजना आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार, सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को अपने–अपने बजट आबंटन का कम से कम 10%, पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के विकास हेतु विशेष कार्यक्रमों के लिए निर्धारित करना आवश्यक है। इन दिशा–निर्देशों के अनुसरण में मंत्रालय, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए निधियां आवंटित करता है। सामान्यतया, आबंटित की जाने वाली धनराशि, कुल आबंटित बजट धनराशि (मंत्रालय के) के 10% से अधिक होती है।

16.2. मंत्रालय, विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्र–प्रायोजित स्कीमों के लिए राज्य सरकारों को अनुदान निर्मुक्त करता है। यह "स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान", नामक योजना के तहत ''कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा के सुदृढ़ीकरण'', के लिए अनुदान भी, सीधे निर्मुक्त करता है। 'जनजातीय उप–स्कीम को विशेष केन्द्रीय सहायता" के रूप में तथा 'भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत' राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों को छोड़कर सभी स्कीमों के तहत अनुदान, राज्य सरकारों से नए प्रस्तावों की प्राप्ति पर निर्मुक्त किए जाते हैं। 'भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान' और 'जनजातीय उप–स्कीम के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता', नामक योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए संबंधित राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में 'परियोजना आकलन समिति' द्वारा मूल्यांकन और अनुमोदन के पश्चात जारी की जाती है। मंत्रालय, ऐसी केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों को अनुदान निर्मुक्त करने पर पर्याप्त ध्यान दे रहा है और मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इन स्कीमों के लिए बजट आबंटन का कम से कम 10% निर्मुक्ति सुनिश्चित की है।

16.3. वित्तीय वर्ष 2021–22 (31.12.2021) तक की स्थिति के अनुसार) के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को निर्मुक्त की गई निधियों के स्कीम–वार ब्यौरे **अनुलग्नक–16** में दिये गये हैं।

16.4 145 करोड़ रुपये के बजट से ''पूर्वोत्तर क्षेत्रों से जनजातीय उत्पादों के उन्नयन के लिए विपणन और संभारिकी विकास '' नामक एक पृथक स्कीम स्वीकृत की गई है जिसे पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ट्राइफेड द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

अध्याय 17

जेंडर बजट

संवैधानिक तथा विधिक ढांचा

17.1 संविधान में महिलाओं को न केवल समानता प्रदान की गयी है, बल्कि भेद–भाव के विरुद्ध महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक उपाय अपनाने के लिए भी राज्यों को शक्तियां प्रदान की गई हैं। लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत, हमारे कानूनों, विकास नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का लक्ष्य, विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की प्रगति है। महिलाओं के अधिकारों और कानूनी पात्रताओं के सुरक्षोपाय के रुप में संसद के एक अधिनियम के तहत, वर्ष 1990 में 'राष्ट्रीय महिला आयोग' का गठन किया गया था। भारत के संविधान के 73वें और 74वें संशोधन (1993) के अनुसार पंचायतों और नगरपालिकाओं के स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है जो स्थानीय स्तरों पर निर्णय करने के कार्य में उनकी भागीदारी को ठोस आधार प्रदान करता है।

मंत्रालय द्वारा की गई पहलें

17.2 किसी भी देश के समग्र सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए समस्त विकास प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक होती है। इसलिए, सामान्यतः, महिलाओं और विशेष रुप से सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई महिलाओं की प्रस्थिति (स्टेटस) में उन्नयन, न केवल नैतिक दृष्टि से आवश्यक है अपितु, कार्यनीतिक दृष्टि से भी अनिवार्य है। इसलिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते समय कि महिलाओं को योजनाओं का लाभ समान रुप से प्राप्त हो, मंत्रालय की कुछ विशेष योजनाएं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं और बालिकाओं के हित के लिए ही बनी हैं ।

17.3 मंत्रालय में अगस्त, 2017 में एक जेंडर बजटिंग प्रकोष्ठ का पुनर्गठन किया गया है जो विभिन्न जेंडर विशिष्ट बजट–कार्यों बनाम मंत्रालय की नीतियों और कार्यक्रमों को इस प्रकार से देखता है कि वह लैंगिक दृष्टि से असंतलुन का समाधान कर सके और लैंगिक समानता और विकास को बढ़ावा दे सके तथा बजट के माध्यम से सार्वजनिक संसाधनों का आवंटन और उनका तदनुसार प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।

17.4 जनजातीय उप–स्कीम को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) के तहत राज्यों को दिया जाने वाला सहायता अनुदान, जनजातीय विकास के लिए राज्य योजना निधियों और प्रयासों के लिए परिवर्धक (एडिटव) योगदान है। लैंगिक दृष्टि से यह एक तटस्थ कार्यक्रम है और महिला तथा पुरुष दोनों लाभार्थियों के लिए हितकारी है। टीएसपी को एससीए के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच को बढ़ाकर मानव संसाधन का विकास।

- आवास (अधिकांशतः, प्रधानमंत्री आवास योजना/राज्य की स्कीमों के तहत शामिल) सहित जनजातीय क्षेत्रों/बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराकर जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना।
- गरीबी और बेरोजगारी में महत्वपूर्ण कमी,

उत्पादक वस्तुओं का सृजन और आय–सृजन के सुअवसर ।

- सुअवसरों का लाभ उठाने की क्षमता में वृद्धि, अधिकारों और हकदारियों की प्राप्ति तथा अन्य क्षेत्रों के समान, उन्नत/बेहतर सुविधाएं, तथा
- शोषण और उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा ।

मंत्रालय ने 2019–20 के दौरान 'टीएसएस को एससीए' नामक योजना से संबद्ध संशोधित दिशा–निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि महिला लाभार्थियों के लिए लक्षित प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि कुल मिलाकर, कम से कम 33% लाभार्थी, महिलाएं हों ।

17.5 "भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत सहायता अनुदान" अनुसूचित जनजातियों के विकास तथा जनजातीय क्षेत्रों में अवसंरचना के सृजन के लिए है। जनजातीय क्षेत्रों को देश के शेष हिस्सों के समतुल्य बनाने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण अवसंरचना के सृजन एवं उन्नयन के लिए विशेष परियोजनाएं शुरू करने हेतु राज्य सरकारों को निधियां निर्मुक्त की जाती हैं। दिशानिर्देशों में विशेष रुप से यह परिकल्पना की गई है कि परियोजनाआ/स्कीमों को तैयार करने में आयोजना से कार्यान्वयन के स्तर तक, महिलाओं को प्रभावित करने वाली समस्याओं/मुद्दों को महिलाओं की सहभागिता सहित प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए। परियोजना मूल्यांकन समिति की बैठक के दौरान भी राज्यों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं कि कुल लाभार्थियों में से कम–से–कम एक–तिहाई लाभार्थी महिलाए/बालिकाएं होनी चाहिएं।

17.6 "एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय" स्कीम के तहत वर्ष 2021–22 के दौरान 85,700 विद्यार्थियों का नामांकन किया गया था। इनमें से नामांकित बालिकाओं की संख्या 44,455 (51.87%) थी ।

17.7 अनुसूचित जनजाति के कक्षा IX तथा कक्षा–X में पढ़ रहे जरुरतमंद विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति दिनांक 01.07.2012 से प्रारम्भ की गई है। यह योजना राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है जो संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की प्रतिबद्ध देयता के अलावा मंत्रालय से 100% केन्द्रीय सहायता प्राप्त करते हैं। छात्रवृत्तियों का भुगतान, दिवा–छात्र के लिए 225/– रूपये प्रतिमाह की दर से तथा छात्रावासियों के लिए 525/– रूपये प्रतिमाह की दर से, वर्ष में 10 माह की अवधि हेतु किया जाता है। पुस्तकों तथा तदर्थ अनुदान का भुगतान दिवा–छात्र के लिए 750/– रुपये वार्षिक की दर से तथा छात्रावासियों के लिए 1000/– रुपये वार्षिक की दर से किया जाता है। छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजाति के उन पात्र छात्रों तथा छात्राओं को प्रदान की जाती है जिनके माता–पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये है। वर्ष 2019–20 और 2020–21 के दौरान स्कीम के तहत महिला लाभार्थी 51 प्रतिशत थीं।

17.8 अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं तथा बालकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की स्कीम, मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढ़ाये जा रहे माध्यमिकोत्तर/मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए सभी मान्यता प्राप्त मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिए, राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति को (1) वार्षिक आय सीमाय (2) पाठ्यक्रमों के समूहों में संशोधनय तथा (3) अनुरक्षण और अन्य भत्तों की दर में बदलाव के साथ 01.07.2010 से संशोधित किया गया है। वर्ष 2019–20 और 2020–21 के दौरान महिला लाभार्थियों की संख्या 51 प्रतिशत थी।

17.9. 'अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति तथा छात्रवृत्ति' की योजना के तहत, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों

को एमफिल तथा पीएचडी पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिए अध्येतावृत्तियों के रुप में उच्चतर शिक्षा अर्जित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' द्वारा मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालय/संस्थान आते हैं। कुल 750 स्लॉट्स में से अन्य बातों के साथ–साथ, 30% स्लॉट्स महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित हैं। एमफिल के लिए चयनित अभ्यर्थियों को प्रति माह 25,000/– रुपये तथा पीएचडी के लिए प्रतिमाह 28,000/– रुपये की दर से अध्येतावृत्ति राशि तथा अन्य स्वीकार्य भत्ते प्रदान किए जाते हैं।

17.10 राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति (एनओएस) विदेश में स्नातकोत्तर, पीएचडी तथा डॉक्टरोत्तर की पढ़ाई करने के लिए चयनित अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाली कुल 20 छात्रवृत्तियों में से 6 छात्रवृत्तियां (30%) बालिकाओं के लिए निर्धारित हैं। तथापि, निर्धारित स्लॉट्स खाली रह जाने की स्थिति में ये स्लॉट्स, बालकों को दे दिए जाते हैं। माता–पिता/परिवार की सभी स्रोतों से आय प्रतिवर्ष 6.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। चयनित अभ्यार्थी जिन्होंने विदेश के विश्वविद्यालय में दाखिला लिया है, उन्हें वार्षिक अनुरक्षण भत्ता, वार्षिक आकस्मिकता भत्ता तथा अन्य भत्ते, विदेश में स्थित 'भारतीय मिशन' के माध्यम से प्रदान किये जाते हैं ।

17.11. अनुसूचित जनजातियों के बीच महिला साक्षरता कम होना, एक विशेष चिंता का विषय होने के कारण 1993–94 में 'जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, कम साक्षरता वाले पॉकेटों में, शैक्षिक परिसरों की स्थापना' नामक लैंगिक विशिष्ट योजना की शुरुआत की गई। जिसे वर्ष 2008–09 में संशोधित किया गया था तथा इसका नया नाम 'कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण' रखा गया था। संशोधित योजना 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी हुई। योजना का क्रियान्वयन न्यूनतम साक्षरता वाले चिन्हित 54 जिलों में किया जा रहा है जहां जनगणना 2001 के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 25% या अधिक है तथा अनुसूचित जनजाति की महिला साक्षरता दर 35% या इसके कुछ अंशों से कम है। चिन्हित 54 जिलों के अलावा, जिले में कोई अन्य ब्लॉक जहां जनगणना 2001 के अनुसार, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 25% या अधिक है तथा अनुसूचित जनजाति की महिला साक्षरता दर 35% या इसके अंशों से कम है, को भी शामिल किया गया है। विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूह द्वारा आबाद क्षेत्रों तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है।

इस योजना का उद्देश्य सामान्य महिला जनसंख्या और जनजातीय महिलाओं की जनसंख्या के बीच साक्षरता स्तर के अंतर को पाटना है। इस योजना के तहत उन्हें नियमित रुप से विद्यालय में आने के लिए छात्रावासीय सुविधा प्रदान करने पर भी जोर दिया गया है।

17.12 अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए 'राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम', जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एक शीर्ष संस्थान है । इस निगम ने जनजातीय महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए 'आदिवासी महिला सशक्तीकरण योजना' (एएमएसवाई) शीर्षक के तहत एक विशिष्ट योजना प्रारम्भ की है। योजना के तहत, निगम 2,00,000 रुपये तक की इकाई लागत तक वाली योजनाओं के लिए 90% तक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह वित्तीय सहायता प्रतिवर्ष 4% की अत्यधिक रियायती ब्याज दर पर दी जाती है। एएमएसवाई के तहत, इस वर्ष के दौरान 31.12.2021 तक, एनएसटीएफडीसी ने 1238 महिला लाभार्थियों के आर्थिक विकास के लिए 12.08 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। निगम, अन्य आय–सृजनकारी स्कीमों के तहत महिला लाभार्थियों के लिए भी अपनी वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

17.13 'जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता' नामक स्कीम के तहत देश के अलग–अलग भागों में जनजातीय लोगों द्वारा परस्पर ज्ञान आदान–प्रदान दौरे (एक्सचेंज विजिट्स) के लिए सहायता दी जाती है। मुलाकाती–दल में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

17.14 अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत ग्राम सभा को ''ग्राम सभा'' से ऐसी ग्राम सभा अभिप्रेत है जो ग्राम के सभी वयस्क सदस्यों से मिल कर बनेगी और ऐसे राज्यों की दशा में जिनमें कोई पंचायत नहीं है, पाड़ा, टोला तथा ऐसी अन्य परम्परागत ग्राम संस्थाएं और निर्वाचित ग्राम समितियां भी हैं जिनमें महिलाओं की पूर्ण और अनिबंधित भागीदारी है'' के तौर पर परिभाषित {धारा 2(छ)} किया गया है। इसके अतिरिक्त धारा 4(4) उपबंधित करती है कि उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त कोई अधिकार वंशानुगत होगा, किन्तु संक्रमणीय या अंतरणीय नहीं होगा और विवाहित लोगों की दशा मे पति–पत्नी दोनों के नाम में संयुक्त रुप से और यदि किसी घर का मुखिया एकल व्यक्ति है तो एकल मुखिया के नाम में पंजीकृत होगा और सीधे वारिस की अनुपस्थिति में वंशानुगत अधिकार अगले निकटतम संबंधी को चला जाएगा। धारा 6(8) के अनुसार भी ''उप खंड स्तर की समिति, जिला स्तर की समिति और राज्य स्तर की मानीटरी समिति में राज्य सरकार के राजस्व विभाग, वन विभाग तथा जनजातीय मामले विभाग के अधिकारी और समुचित स्तर पर पंचायती राज्य संस्थाओं के तीन सदस्य होंगे जिन्हें संबंधित पंचायती राज संस्थाओं द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जिनमें से दो अनुसूचित जनजाति के सदस्य होंगे और कम से कम एक महिला होगी जैसा विहित किया जाए''। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन नियमावली, 2012 में प्रावधान है कि (नियम 3 (1) के तहत) ग्राम संभाएं ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित की जाएंगी और इनकी प्रथम बैठक में, इनके सदस्यों से ही कम से कम दस और अधिक से अधिक पन्द्रह व्यक्तियों की एक समिति का 'वन अधिकार समिति' के रुप में चयन किया जाएगा, जिसमें दो तिहाई सदस्य अनुसूचित जनजाति के होंगे बशर्ते कि ऐसे सदस्यों में कम से कम एक तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी। यह आगे भी उपबंधित करता है कि जहां अनुसूचित जनजातियां नहीं हैं, वहां, कम से कम एक तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी ।

17.15 'गणतंत्र दिवस परेड' देखने के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र से, प्रत्येक वर्ष, दो जनजातीय लोगों को दिल्ली में आमंत्रित किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाते रहे हैं कि इस समारोह में प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र से एक महिला तथा एक पुरूष अतिथि, भेजा जाए ।

17.16 वर्ष 2021–22 के दौरान महिला लाभार्थियों को शामिल करने वाली विभिन्न स्कीमों के तहत उपलब्धियों का ब्यौरा **अनुलग्नक –17** में दिया गया है।

अध्याय 18

दिव्यांगजनों के लिए कार्यक्रम

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमों के तहत दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रावधान

18.1 अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए किए गए प्रावधान नीचे स्कीम–वार उल्लेखित किए गए हैं:

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 'मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम'

18.2 अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए इस स्कीम के अंतर्गत, निम्नलिखित अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं:

(क) दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए वाचक भत्ता;

(ख) शैक्षणिक परिसर के अंदर छात्रावास में नहीं रहने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए यातायात भत्ते का प्रावधान;

(ग) कम गहनता वाले दिव्यांग दिवा–विद्यार्थिंयों (डे–स्कॉलर्स) के लिए अनुरक्षक भत्ता;

(घ) किसी शैक्षणिक संस्था के छात्रावास में रह रहे गंभीर रूप से अस्थि–दिव्यांग विद्यार्थियों को सहायता देने के इच्छुक, छात्रावास के किसी कर्मचारी को विशेष वेतन;

(ड.) मंदबुद्धि अथवा मानसिक रोग से पीड़ित विद्यार्थियों को अतिरिक्त अनुशिक्षण (कोचिंग) के लिए भत्ता। उपर्युक्त प्रावधानों का विवरण **अनुलग्नक–18** में दिया गया है।

कक्षा–IX तथा कक्षा–X में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति

18.3 मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित 'माध्यमिक स्तर पर दिव्यांगों की समावेशी शिक्षा' (आईईडीएसएस) की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत सरकारी स्थानीय निकायों तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग छात्रों के लिए "छात्र–उन्मुख घटक" के तहत 3,000/– रुपये प्रति वर्ष की दर से सहायता, पहले ही दी जा रही है। तथापि, गैर–सहायता प्राप्त विद्यालयों के विद्यार्थियों को आईईडीएसएस के तहत कवर नहीं किया जाता है। अतरू, गैर–सहायता प्राप्त निजी परंतु मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा–IX तथा कक्षा–X में में पढ़ रहे अनुसूचित जनजातियों के दिव्यांग विद्यार्थी इस योजना के तहत अतिरिक्त भत्तों के पात्र होंगे:

(क) दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए मासिक वाचक भत्ता,

(ख) ऐसे दिव्यांग विद्यार्थी, जो शैक्षणिक परिसर के अंदर छात्रावास में नहीं रहते हैं, उनके लिए मासिक यातायात भत्ते का प्रावधान;

(ग) अधिक गहनता वाले दिव्यांग (80 प्रतिशत या अधिक की दिव्यांगता) वाले दिवा विद्यार्थी/विद्यार्थियों के लिए मासिक अनुरक्षक भत्ता,

(घ) किसी शैक्षणिक संस्था के छात्रावास में रह रहे गंभीर रूप से अस्थि–दिव्यांग विद्यार्थी को

सहायता देने के इच्छुक छात्रावास के किसी कर्मचारी को देय मासिक सहायक–भत्ता।

(ड.) मंदबुद्धि अथवा मानसिक रोग से पीड़ित विद्यार्थियों को मासिक अनुशिक्षण (कोचिंग) के लिए भत्ता। उपर्युक्त प्रावधानों के ब्यौरे **अनुलग्नक–18** में दिये गये हैं

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

18.4 शारीरिक रूप से दिव्यांग और दृष्टिहीन अभ्यर्थियों (विद्यार्थियों) के मामलों में 2000/– रुपए प्रतिमाह की दर से अनुरक्षक/वाचक सहायता प्रदान की जाती है।

अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं तथा बालकों के लिए छात्रावास संबंधी स्कीम तथा जनजातीय उप–स्कीम वाले क्षेत्रों में 'आश्रम विद्यालयों' की स्थापना संबंधी स्कीम

18.5 पीएसी की बैठकों के दौरान, इन स्कीमों के प्रावधानों में, राज्यों से इस बिंदु पर बल दिया गया है कि अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग विद्यार्थियों की सुविधा के लिए छात्रावासों के कुछ कमरे/ब्लॉक अवरोधमुक्त निर्मित किए जाएं तथा रैम्प इत्यादि जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएं।

गैर–सरकारी संगठन संबंधी स्कीमें

18.6 राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे स्वैच्छिक/गैर–स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की योजना तथा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास की योजना के तहत निधियां प्राप्त कर रहे स्वैच्छिक/गैर–सरकारी संगठनों को सलाह दें कि वे 'दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2006' के अनुसार आवासीय विद्यालयों/गैर–आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों, 10 या अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों तथा सामुदायिक केन्द्र जैसे भवनों आदि में "अवरोध मुक्त क्षेत्र (परिसर)" जैसी सुविधाएं प्रदान करायें।

अध्याय 19
लोक शिकायत एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

लोक शिकायत

19.1 मंत्रालय का एक अलग लोक शिकायत प्रभाग है जिसके प्रमुख लोक शिकायत निदेशक हैं। निदेशक (शिकायत)/संयुक्त सचिव, (नोडल अपीलीय प्राधिकारी) के संपर्क विवरण मंत्रालय की वेबसाइट (https://tribal.nic.in/publicGrievances.aspx) पर भी उपलब्ध हैं।

19.2 प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने नागरिकों के सशक्तीकरण के लिए एक पीजी पोर्टल विकसित किया है ताकि ऑनलाइन शिकायतें/आपत्तियां कहीं से और किसी भी समय दर्ज की जा सकें और सरकारी विभाग निर्धारित समय–सीमा के भीतर शिकायत निवारण संबंधी कार्रवाई करने में भी सक्षम हों। इसके दो इंटरफेस हैं:– (क) लोक शिकायत दर्ज करना और नागरिकों के लिए निगरानी प्रणाली तथा (ख) मंत्रालयों, विभागों/संगठनों के लिए संकेन्द्रित लोक शिकायत और निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस)। सीपीजीआरएएमएस वेब आधारित एकल खिड़की प्रणाली है जो: (i) नागरिकों को अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए, और (ii) निवारण हेतु त्वरित कार्रवाई करने के लिए सरकारी विभागों में नोडल लोक शिकायत अधिकारी तक ऑनलाइन पहुंच उपलब्ध कराती है।

19.3 इस मंत्रालय को व्यक्तिगत रूप से और साथ ही सीपीजीआरएएमएस डाक के माध्यम से प्रतिवेदन/शिकायतें प्राप्त होती हैं। उन्हें उठाए गए मुद्दों पर निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाती हैं और उचित रूप से निवारण किया जाता है। अन्य संगठनों से संबंधित शिकायतों को उचित कार्रवाई के लिए अग्रेषित कर दिया जाता है, याचिकाकर्ताओं को उनकी शिकायतों पर की गई कार्रवाई से भी अवगत कराया जाता है। वर्ष 2021–22 के दौरान, अर्थात् 01.04.2021 से 31.12.2021 तक, 106 शिकायतें आगे लाई गईं, 1302 शिकायतें प्राप्त हुई और कुल मिलाकर 1408 शिकायतें प्राप्त हुई। कुल 1338 शिकायतों अर्थात 95.02% का निपटान किया गया। शिकायतों के निपटान की स्थिति की, शिकायत निदेशक/संयुक्त सचिव, (नोडल अपीलीय प्राधिकारी) द्वारा और सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित बैठकों में नियमित रूप से समीक्षा भी की जाती है।

19.4 मंत्रालय के छात्रवृत्ति और एनजीओ पोर्टलों पर एक समर्पित ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली विद्यमान है। प्रत्येक छात्र जो 3 केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजनाओं अर्थात् राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति और राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति के तहत मंत्रालय से छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा है, उसे एक अद्वितीय लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाता है ताकि वह ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सके। इसी प्रकार मंत्रालय से अनुदान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठन ऑनलाइन संचार प्रणाली के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, जिसकी निगरानी ब्यूरो प्रमुखों और सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से की जाती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम,2005

19.5 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 दिनांक

12.10.2005 से प्रभावी है। जैसा कि अधिनियम की धारा 4(1)(ख) में बताया गया है, मंत्रालय ने इस संबंध में अपनी नियमावली तैयार करके उसे मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया है। उपरोक्त अधिनियम की धारा 5(1) और (2) की शर्तों के अनुसार मंत्रालय के संबंध में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) को निर्दिष्ट कर दिया गया है। मंत्रालय की वेबसाइट पर भी संबंधित अनुदेश अपलोड किये गये हैं। मंत्रालय में 'संसद एवं समन्वय अनुभाग' को मंत्रालयों से संबंधित आवेदकों द्वारा आरटीआई अधिनियम के तहत किए गए अनुरोधों को प्राप्त करने का कार्य सौंपा गया है। प्राप्त शुल्क सहित रजिस्टर में उचित प्रविष्टि करने के पश्चात मंत्रालय में संबंधित सीपीआईओ को आगे की आवश्यक कार्रवाई करने के लिए आवेदनों को अग्रेषित किया जाता है।

19.6 मंत्रालय के संबंध में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों के ब्यौरे अनुलग्नक–19 में दिए गए हैं। श्री मनोज बापना, निदेशक को मंत्रालय में सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नोडल अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है। अधिसूचनाएं (यथा संशोधित) मंत्रालय की वेबसाइट (www.tribal.gov.in) पर डाल दी गई हैं।

19.7 इस प्रकार की अधिसूचनाएं/नियम पुस्तिकाएं (i) भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड); (ii) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) और (iii) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) ने भी प्रकाशित की हैं और उन्हें अपनी–अपनी संबंधित वेबसाइटों पर डाल दिया है तथा जिन्हें मंत्रालय की वेबसाइट से जोड़ दिया गया है।

19.8 सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत 01.04.2021 से 31.12.2021 के दौरान प्राप्त और उत्तर दिए गए आवेदनों का विवरण नीचे दिया गया है:

01.04.2021 से 31.12.2021 के दौरान आरटीआई की स्थिति

	प्राप्त	निपटान किए गए	लंबित
ऑनलाइन	1280	1223	57
ऑफलाइन	198	167	31
कुल	**1478**	**1390**	**88**

आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत अपील

19.9 संबंधित निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव स्तर के अधिकारियों को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में जनजातीय कार्य मंत्रालय में उनके द्वारा नियंत्रित किए जा रहे संबंधित विषयों के संबंध में दिनांक 24.11.2021 से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत पदनामित किया गया है। सीपीआईओ को अन्य सीपीआईओ के लिंक अधिकारियों के रूप में नामित करने की अधिसूचना भी 24.11.2021 को जारी की गई थी जैसा कि 'आरटीआई ऑडिट पार्टी' द्वारा सुझाव दिया गया था । प्राप्त सभी अपीलों की बारीकी से निगरानी की जाती है और अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटान किया जाता है। 30.11.2021 को अद्यतन किया गया आरटीआई मैनुअल भी मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

अध्याय 20

विभागीय लेखा प्रणाली

संगठन :

20.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव, मुख्य लेखा अधिकारी हैं। वे अपने इस उत्तरदायित्व को वित्तीय सलाहकार एवं विभाग के मुख्य लेखा नियंत्रक की सहायता से निभाते हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक मंत्रालय के लेखा संगठन का प्रमुख, होता है। वेतन एवं लेखा कार्यालय (पीएओ), खातों के समेकन, आवंटित बजट के संबंध में व्यय की निगरानी, विभिन्न एमआईएस रिपोर्टों इत्यादि के अलावा सहायता अनुदान सहित विभिन्न प्रकार के बिलों की पूर्ववर्ती जांच–कार्य का निष्पादन करता है। प्रधान लेखा–अधिकारी कम्प्यूटरीकृत मासिक खातों, खातों के विनियोजन, केन्द्रीय लेन–देन के विवरण, संघीय वित्त–खातों, अन्य संबंधित कार्यों जैसे कि राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान, पीएओ को चेकबुक की आपूर्ति/प्रापण, प्राप्ति–बजट तैयार करने, महालेखा नियंत्रक के साथ समन्वयन आदि का कार्य करने के लिए उत्तरदायी है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए शास्त्री भवन स्थित भारतीय स्टेट बैंक, अधिकृत बैंक है।

व्यय की निर्मुक्ति तथा निगरानी (मॉनीटरिंग)

20.2 जनजातीय कार्य मंत्रालय में भुगतान एवं व्यय की निगरानी का कार्यान्वयन, वेतन एवं लेखा कार्यालय के माध्यम से होता है। वेतन एवं लेखा कार्यालय, मासिक खातों को, प्रधान लेखा कार्यालय के माध्यम से महालेखा नियंत्रक, आईएनए, नई दिल्ली को प्रस्तुत करता है।

खातों और भुगतान कार्य का कम्प्यूटरीकरण

20.3 विगत में, वेतन तथा लेखा कार्यालय 'कॉम्पैक्ट' के सभी मॉड्यूलों जैसे पूर्व–जांच, संकलन, सामान्य भविष्य निधि एवं पेंशन का उपयोग करता था। 01 अक्टूबर, 2015 से प्रभावी गैर–योजना (नॉन प्लान) भुगतान के लिए लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के आरंभ के साथ, विगत में उपयोग किए जाने वाले 'कॉम्पैक्ट' के अधिकतर मॉड्यूल बंद कर दिए गए हैं। 'गवर्नमेंट ई–भुगतान गेटवे (जीईपीजी)' के माध्यम से ई–भुगतान प्रणाली में भी परिवर्तन किया गया है तथा सभी भुगतान, योजना तथा गैर–योजना (प्लान तथा नॉन–प्लान), पीएफएमएस की वेबसाइट पर अपलोड किए जा रहे हैं। कॉम्पैक्ट के माध्यम से पास किए गए बिलों की वेब–फाइल निर्मित करते हुए पीएफएमएस पर अपलोड किया जा रहा है। अधिकृत बैंक, 'ई–एडवाइस' डाउनलोड करते हैं तथा आरटीजीएस/एनईएफटी आदि के द्वारा प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में सीधे भुगतान करते हैं।

ई–लेखा

20.4 दैनिक आधार पर 'ई–लेखा' में 'कॉम्पैक्ट' का डाटा अपलोड करने का कोई प्रावधान नहीं है। अब 'पीएफएमएस', आंकड़ों को स्वतः ही अद्यतित कर देता है तथा मंत्रालय एवं अन्य हितधारकों (स्टेकहोल्डर) को विभिन्न एमआईएस रिपोर्ट की निगरानी में सक्षम बनाने के लिए एवं पीएओ के कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए 'ई–लेखा' में आंकड़े भर देता है।

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)

20.5 भारत सरकार से राज्यों तथा अन्य कार्यान्वयनकारी संस्थाओं को निधियों के अंतरण अथवा उनसे जिलों तथा उपमंडल और व्यय बिन्दुओं तक राशियों के प्रवाह पर विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त करने के विचार से 'सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)' को, आरंभ किया गया है जिसे इससे पूर्व 'सेंट्रल प्लान् स्कीम मॉनीटरिंग सिस्टम (सीपीएसएमएस)' के रूप में जाना जाता था। तदनुसार, इस मंत्रालय की सभी 'प्लान स्कीमों' की मैपिंग इस संगठन द्वारा 'सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली' के माध्यम से की गई है। इस संबंध में विभाग के सभी संबंधित कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से अलग–अलग संगठनों/निकायों को निर्मुक्त किए गए सहायता अनुदान की स्थिति को देखा जा सकता है। इसे विभाग द्वारा भी अत्यंत उपयोगी पाया गया है। इस प्रणाली में, विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों के बैंक खातों में अप्रयुक्त निधियों/अनुदानों का अवलोकन करने की एक नई उपयोगिता भी दी गई है।

20.6 विभिन्न स्कीमों के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में लाभ के सीधे अंतरण (डीबीटी) पर भारत सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप, इस उद्देश्य के लिए पीएफएमएस में एक अतिरिक्त कार्य–प्रविधि प्रदान की गयी है।

20.6 विभिन्न स्कीमों के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में लाभ के सीधे अंतरण (डीबीटी) पर भारत सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप, इस उद्देश्य के लिए पीएफएमएस में एक अतिरिक्त कार्य–प्रविधि प्रदान की गयी है।

20.7 राज्यों को की गई निर्मुक्तियों के स्कैन किए गए स्वीकृति आदेशों को अपलोड करने तथा अंतः सरकारी लेखा सलाह (आईजीएए) के ऑनलाइन सृजन के लिए एक नई कार्य–प्रविधि प्रदान की गयी है तथा इसे भारतीय रिजर्व बैंक को ऑनलाइन भेजा जाता है जो राज्य सरकारों के लिए तत्काल जमा (क्रेडिट) सुनिश्चित करता है।

नई पेंशन योजना (एनपीएस)

20.8 उन सभी कर्मचारियों के लिए जिनकी नियुक्ति 1.1.2004 के बाद हुई है, नई पेंशन योजना की शुरूआत की गई। इस स्कीम के तहत ऐसे सभी कर्मचारियों के वेतन से वेतन (ग्रेड वेतऩ मंहगाई भत्ते) का 10 प्रतिशत लेकर तथा सरकार के 14 प्रतिशत अंशदान को सम्मिलित रूप से नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल), सेंट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए) के पास उसके ट्रस्टी बैंक के माध्यम से जमा किया जाता है। यह योजना इस मंत्रालय में चालू है।

उपयोग प्रमाण–पत्र

20.9 मंत्रालय द्वारा विभिन्न संगठनों को निर्मुक्त सहायता अनुदान से संबंधित समुचित सूचनाओं को प्राप्त करने हेतु एवं 'उपयोग प्रमाण–पत्र' की जोरदार मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन के लिए प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय ने एक वेब आधारित सॉफ्टवेयर तैयार किया है। इस सॉफ्टवेयर में डाटा एंट्री के दो स्तर हैं। प्रथम स्तर सहायता अनुदान को देख रहे आहरण एवं संवितरण अधिकारी हेतु स्वीकृति एवं बिलों के ब्यौरे डालने के लिए है। द्वितीय स्तर वेतन एवं लेखा कार्यालय के लिए है जो बिलों को सत्यापित करता है और अंतिम रूप से उन्हें स्वीकार करता है। यह साफ्टवेयर–कार्यक्रम विभिन्न एमआईएस रिपोर्टें सृजित करता है, जो मंत्रालय द्वारा निर्णय लेने में उपयोगी होती है।

20.10 प्रधान लेखा कार्यालय की आंतरिक लेखा–परीक्षा इकाई, जो अनुवर्ती लेखा–परीक्षा करती है, अलग–अलग योजनाओं के आकलन, निगरानी तथा मूल्यांकन में भी शामिल है। आंतरिक लेखा–परीक्षा अब निम्नलिखित पर भी ध्यान देती है:

- **सामान्यतः** आंतरिक नियंत्रण की उपयुक्तता एवं प्रभावशीलता का आकलन तथा विशेषतः वित्तीय प्रणाली की सुदृढ़ता तथा वित्तीय एवं लेखा रिपोर्टों की विश्वसनीयता; जोखिम वाले कारकों की पहचान तथा निगरानी (जो परिणाम बजट में हैं, उनके सहित);
- धन का मूल्य सुनिश्चित करने के लिए अर्थव्यवस्था, कार्यकुशलता तथा सेवा प्रदायगी – तंत्र की प्रभावोत्पादकता का महत्वपूर्ण आकलन; और
- कार्य–प्रणाली सुधार को सुसाध्य बनाने हेतु एक प्रभावी निगरानी प्रणाली उपलब्ध कराना।

20.11 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएडंएजी) की रिपोर्ट में जनजातीय कार्य मंत्रालय के संबंध में निम्नलिखित लेखा परीक्षा पैरा शामिल किए गए हैं :

क्रम सं.	पैरा नं.	पैरा का शीर्षक	31–12–2021 को स्थिति
1	सीएंडएजी की 2021 की रिपोर्ट सं. 2 का पैरा नं. 12.1	सरकारी कर्मचारियों के धोखाधड़ी पूर्ण अवकाश यात्रा रियायत वाले दावों की प्रतिपूर्ति	2.12.2021 को प्रस्तुत किए गए संशोधित एटीएन पर पुनरीक्षा की टिप्पणी

पीएसी पैराओं पर कृत–कार्रवाई टिप्पणियां (एटीएन)/कृत कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर)

20.12 जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबद्ध लोक लेखा समिति (पीएसी) के पैराओं पर कृत–कार्रवाई टिप्पणियों (एटीएन) की स्थिति 31–12–2021 तक 'शून्य' है ।

अध्याय 21

नागरिक/ग्राहक चार्टर

नागरिक/ग्राहक चार्टर

पताः गेट नं. 3, भू–तल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली––110001

वेबसाइटः www.tribal.nic.in

परिदृश्यः

सामान्य जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के मानव विकास सूचकांकों (एचडीआई) में अंतर को कम करना और समाप्त करना तथा जनजातीय लोगों को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाना।

मिशनः

जनजातीय कार्य मंत्रालय निम्नलिखित के माध्यम से जनजातीय लोगों के विकास तथा उनकी सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैः

1. वैधानिक एवं कार्यकारी उपायों का प्रतिपादन करना एवं उनका संवर्धन करना,
2. क्षेत्र एवं जनसंख्या लक्षित दृष्टिकोण (अप्रोच) के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तरों के उन्नयन को सरल बनाना, तथा
3. सामाजिक–आर्थिक एवं आजीविका अवसरों में बढ़ोत्तरी ।

मुख्य सेवाएं/कार्य संपादन

क्र सं	सेवाएं/कार्य संपादन	भार%	जिम्मेदार व्यक्ति (पदनाम)	ई–मेल	मोबाइल (फोन न.)	प्रक्रिया	अपेक्षित दस्तावेज	शुल्क		
								श्रेणी	पद्धति	राशि
1.	जनजातीय उप–योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) के तहत राज्य सरकारों के लिए निर्मुक्त वित्तीय सहायता	30	श्री नदीम अहमद, अवर सचिव	nadeem.ahmad@nic.in	011–23343708	i) राज्य सरकारों से प्रस्ताव आमंत्रित करना ii) राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावों की प्रस्तुति (iii) परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) की बैठकों का आयोजन (iv) मंत्रालय में पीएसी द्वारा अनुमोदन। (i) प्रथम और दूसरी (I / II) किश्त की संस्वीकृति /निर्मुक्ति (जैसी भी स्थिति हो) जारी करना।	i) आवंटित राशि के अधीन तथा योजना दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों से प्रस्ताव (ii) विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र, (iii) विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट, (iv) भूमि की उपलब्धता, यथा अपेक्षित।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान, और पीवीटीजी –विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास। क) लक्षित अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कल्याण एवं सामाजिक–आर्थिक विकास, ख) अनुसूचित जनजाति की लक्षित जनसंख्या का कौशल विकास, आय सृजन ग) अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक विकास। घ) जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को बढ़ाना। ड.) संस्थानों का सुदृढ़ीकरण।		श्री वैभव गोयल, उप–सचिव श्री मुकेश कुमार, उप–सचिव	vibhavgoyal.ofb@ofb.gov.in kr.mukesh87@nic.in	011–23340470 011–23383303	i) राज्य सरकारों से प्रस्ताव आमंत्रित करना ii) राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावों की प्रस्तुति (iii) परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) की बैठकों का आयोजन (iv) मंत्रालय में पीएसी द्वारा अनुमोदन। (v) प्रथम और दूसरी (I / II) किश्त की संस्वीकृति /निर्मुक्ति (जैसी भी स्थिति हो) जारी करना।	i) आवंटित राशि के अधीन तथा योजना दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों से प्रस्ताव (ii) विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र, (iii) विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट, (iv) भूमि की उपलब्धता, यथा अपेक्षित।	लागू नहीं लागू नहीं	लागू नहीं लागू नहीं	लागू नहीं लागू नहीं

क्र सं	सेवाएं/कार्य संपादन	भार%	जिम्मेदार व्यक्ति (पदनाम)	ई–मेल	मोबाइल (फोन न.)	प्रक्रिया	अपेक्षित दस्तावेज	शुल्क		
								श्रेणी	पद्धति	राशि
2	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृतियां।	20	श्री मनोज कुमार सिंह, उप सचिव	Singh.mk@ nic.in	011–23340270	(i) राज्य सरकारों/ संघ राज्यक्षेत्रों से डीबीटी पोर्टल के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित करना। ii) मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी की जांच और अनुमोदन (ii) मंजूरी का मुद्दा / पीएफएमएस के माध्यम से I/II किस्त (जैसा लागू हो) जारी करना।	i) योजना दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों से व्यय के विवरण के साथ प्रस्ताव। ii) पिछले वर्षों में की गई रिलीज के संबंध में यूसी। iii) व्यय विभाग के प्रपत्र दिनांक 04.05.2020 के अनुसार वित्तीय प्रबंधन। (iv) डीओई पत्र दिनांक 23.03.2021 के अनुसार सीएसएस योजनाओं की नई प्रक्रिया का अनुपालन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को, जनजातीय उत्सवों सहित जनजातीय लोगों से संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, संगोष्ठियां तथा कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए निर्मुक्त वित्तीय सहायता राज्य सरकारा/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) के लिए निर्मुक्त वित्तीय सहायता	10	श्री राजेन्द्र कुमार, निदेशक	rajenderkumar. ofb@gov.in	011.23383965	i) प्रस्ताव आमंत्रित करना ii) राज्य सरकारों से वार्षिक कार्य योजना आमंत्रित करना। iii) राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के द्वारा प्रस्तावों की प्रस्तुति iv) मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच और अनुमोदन v) अनुसूची के अनुसार पहली और दूसरी किस्त की संस्वीकृति/ निर्मुक्ति जारी करना	i) निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव। ii) राज्य सरकार की संस्तुति। iii) लेखा का लेखापरीक्षित विवरण (द्वितीय और अंतिम किस्त के लिए) iv) निर्धारित प्रपत्र में पूर्व अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र। v) प्रबंधन समिति की सूची iv) कर्मचारियों की सूची, vii) पंजीकरण प्रमाण–पत्र viii) अग्रिम जमानत बांड, ix) नियम एवं शर्तों की स्वीकृति। x) बैंक का प्राधिकार–पत्र,	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

क्र सं	सेवाएं/कार्य संपादन	भार%	जिम्मेदार व्यक्ति (पदनाम)	ई–मेल	मोबाइल (फोन न.)	प्रक्रिया	अपेक्षित दस्तावेज	शुल्क		
								श्रेणी	पद्धति	राशि
4.	क) निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्तिः– ख) ग) क) भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ और राज्य स्तरीय निगमों को सहायता। ख) न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र तथा एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास	5	श्री नदीम अहमद अवर सचिव	Nadeem. ahmad@nic.in	011.23343708	i) संबंधित एसटीडीसीसी से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण–पत्रों के साथ (जहां देय हो) के साथ राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावों की प्रस्तुति ii) मंत्रालय और आईएफडी में सक्षम प्राधिकारी की संवीक्षा व अनुमोदन। iii) पहली और दूसरी किस्त की संस्वीकृतिः निर्मुक्ति जारी करना (जैसा लागू हो)	क. ट्राइफेड i) प्रस्ताव ii) वास्तविक एवं वित्तीय निष्पादन रिपोर्ट। iii) पूर्व वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र ख. एसटीडीसीसी (i) योजना दिशा–निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में राज्य सरकारों के प्रस्तावः सिफारिश, (ii) पूर्व वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण–पत्र, (iii) पूर्व वर्ष के अनुदान की वास्तविक प्रगति रिपोर्ट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5	अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा के लिए विभिन्न केन्द्रीय लाइन–मंत्रालयों/विभागों के नीतिगत दस्तावेज/मामले, विधान संबंधी प्रस्ताव, मंत्रिमण्डल टिप्पणियां तथा ईएफसी ज्ञापन के संबंध में निविष्टियां (इनपुट्स)/टिप्पणियां प्रदान करना।	10	कार्य वितरण के अनुसार मंत्रालय के संबंधित प्रभाग।			i) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से नीतिगत दस्तावेजों, विधान संबंधी प्रस्तावों, मंत्रिमंडल टिप्पणियां, ईएफसी ज्ञापन आदि की प्राप्ति। ii) गहन अध्ययन, प्रासंगिक साहित्य का अवलोकन, विश्लेषण जनजातियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से मत का प्रतिपादन। iii) संबंधित मंत्रालय/विभाग तक जनजातीय कार्य मंत्रालय के विचार संप्रेषित करना,	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

क्र सं	सेवाएं/कार्य संपादन	भार%	जिम्मेदार व्यक्ति (पदनाम)	ई–मेल	मोबाइल (फोन न.)	प्रक्रिया	अपेक्षित दस्तावेज	शुल्क		
								श्रेणी	पद्धति	राशि
6.	मंत्रालयों/विभागों और नीति आयोग में विभिन्न कार्य समूहों, विभिन्न केंद्रीय विशेषज्ञ समूहों, कार्यबलों और शासी परिषदों का गठन सुझावों/नीतिगत आदानों के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया	10	कार्य वितरण के अनुसार मंत्रालय के संबंधित प्रभाग।			i) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा नीति आयोग के कार्यकारी समूहों, विशेषज्ञ समूहों, कार्य–बलों, शासी–परिषदों से कार्यसूची मदों की प्राप्ति। ii) गहन अध्ययन, प्रासंगिक साहित्य का अवलोकन, विश्लेषण और हमारे मतों का प्रतिपादन iii) बैठकों में हमारे विचार व्यक्त करना	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7०	मंत्रालय के कर्मचारियों/सेवा प्रदाताओं की शिकायतों/पीड़ाओं का निवारण तथा निपटान।	10	सुश्री अथिरा एस. बाबू, निदेशक श्री ए.के. सिंह, संयुक्त सचिव, (नोडल अपीलीय प्राधिकारी)	athira.babu@nic.in singh.ak2862@nic.in	011–23340272 011–23340468	i) शिकायत प्राप्ति	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						ii) जांच एवं आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई	समर्थनकारी दस्तावेज/आदेश			
						iii) आवेदक को उत्तर				

क्र सं	सेवाएं/कार्य संपादन	भार%	जिम्मेदार व्यक्ति (पदनाम)	ई–मेल	मोबाइल (फोन न.)	प्रक्रिया	अपेक्षित दस्तावेज	शुल्क		
								श्रेणी	पद्धति	राशि
8.	आवासीय/ गैर–आवासीय/ स्वास्थ्य/ व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजनाओं आदि के लिए स्वैच्छिक संगठनों/ एनजीओ को वित्तीय सहायता जारी करना।	5	श्री के. चंद्र सेकर	Kotamraju.cs@ nic.in	011–23380068	i) राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के माध्यम से एनजीओ द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करना। ii) प्रस्तावों की संवीक्षा तथा पात्र मामलों में अनुदानों की निर्मुक्ति।	i) आवेदन पत्र, ii) राज्य सरकार की संस्तुति, iii) जिला कलेक्टर द्वारा प्रति–हस्ताक्षरित निरीक्षण रिपोर्ट, iv) बजट अनुमान, v) लेखाओं का लेखा–परीक्षित विवरण, vi) निर्धारित प्रपत्र में पिछले अनुदान का उपयोगिता प्रमाण–पत्र, vii) प्रबंधन समिति की सूची, vii) कर्मचारियों की सूची, xi) लाभार्थियों की सूची, x) वार्षिक रिपोर्ट, xi) पंजीकरण प्रमाण–पत्र, नियम एवं उप–नियम (नवीनीकरण प्रस्ताव के मामले में जमा करने की आवश्यकता नहीं), xii) अद्यतन किराया करार/किराया आकलन प्रमाण–पत्र, xiii) अग्रिम जमानत बांड, xiv) नियम एवं शर्तों की स्वीकृति, xv) प्राधिकार–पत्र, xvi) परियोजना के लिए रखी गई पासबुक के बैंक लेन–देन की प्रति,	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

राशि, एनए रू लागू नहीं

सेवा मानक

क्र.सं.	सेवाएं/संव्यवहार (ट्रैनजेक्शन)	भार	सफलता सूचकांक	सेवा मानक	इकाई	डेटा स्रोत
1	राज्य सरकारों को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्ति क) लक्षित अनुसूचित जनजाति आबादी का कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास, ख) लक्षित अनुसूचित जनजाति आबादी का कौशल विकास, आय सृजन। ग) अजजा बहुल क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक विकास। घ) जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को बढ़ाना। ड.) संस्थानों का सुदृढ़ीकरण।	20.0	समय	40	दिन	मंत्रालय के रिकॉर्ड
2	राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्तिः– क) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों और आवासीय विदयालयों के रूप में शैक्षिक सुविधाएं, ख) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर स्तर पर छात्रवृत्तियां।	15.0	समय	45	दिन	मंत्रालय के रिकॉर्ड
3	अनुसूचित जनजातियों में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के सामाजिक– आर्थिक विकास के लिए राज्य सरकारा/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता की निर्मुक्ति,	15.0	समय	45	दिन	मंत्रालय के रिकॉर्ड
4	राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्तिः– क) जनजातीय संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, संगोष्ठियां, कार्यशालाएं आयोजित करना, ख) जनजातीय उत्सव,	10.0	समय	45	दिन	मंत्रालय के रिकॉर्ड
5	निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्तिः– भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ और राज्य स्तरीय निगमों को समर्थन	5.0	समय	45	दिन	मंत्रालय के रिकॉर्ड
6	अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा के लिए विभिन्न केन्द्रीय लाइन मंत्रालयों/विभागों की नीति संबंधी दस्तावेजों/मामलों/विधायी प्रस्तावों, मंत्रिमंडल टिप्पणियों और ईएफसी ज्ञापन पर इनपुट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करना।	10.0	समय	25	दिन	मंत्रालय के रिकॉर्ड
7	विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा नीति आयोग में गठित विभिन्न कार्यकारी समूहों, विशेषज्ञ समूहों, कार्यदल तथा शासी परिषदों की बैठकों में सुझावों/नीति अंतर्निवेशों (इनपुट्स) के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के हितों का प्रतिनिधित्व करना।	10.0	समय	लागू नहीं	दिन	मंत्रालय के रिकॉर्ड
8	मंत्रालय के कर्मचारियों/सेवा आपूर्तिकर्ताओं की शिकायतों/पीड़ाओं का समाधान व निपटान	10.0	समय	30	दिन	मंत्रालय के रिकॉर्ड
9	आवासीय/गैर–आवासीय/स्वास्थ्य, व्यावसायिक प्रशिक्षण, परियोजनाओं आदि के लिए स्वैच्छिक संगठनों/गैर–स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता जारी करना।	5.0	समय	90	दिन	मंत्रालय के रिकॉर्ड

शिकायत निवारण तंत्र

शिकायत दर्ज करने के लिए http://pgportal.gov.in/ **वेबसाइट / यूआरएल**

क्र.सं.	लोक शिकायत अधिकारी का नाम	हेल्पलाइन नं.	ई–मेल
1	सुश्री अथिरा एस. बाबू, निदेशक श्री ए.के. सिंह, संयुक्त सचिव, (नोडल अपीलीय प्राधिकारी)	011–23340272 011–23340468	athira.babu@nic.in singh.ak2862@nic.in
2	श्री अनुपम त्रिवेदी, कार्यपालक निदेशक, ट्राइफेड	011–20883003	anupam@tribesindia.com
3	**एनएसटीएफडीसी** श्री एम. के. ब्रह्मा जीएम (प्रोजेक्ट, पी एंड वी और ओएल) (गुजरात, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, दादरा और नगर हवेली और अंडमान और निकोबार राज्यों के लिए)) श्री राजन जे. कच्छप उप महाप्रबंधक (परियोजना) (छत्तीसगढ़, गोवा, मध्य प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और महाराष्ट्र राज्यों के लिए) श्री एस. एन. गलगोटिया जीएम (परियोजना और एमआईएस) (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु और तेलंगाना)	011–26177042 011–26177046 011–26180980	mkbrahma2007@rediffmail.com rajanstfdc@gmail.com sudhirgalgotia@gmail.com

हितधारकों / ग्राहकों की सूची

क्र. सं.	हितधारक / ग्राहक
1	अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक विकास से संबंधित केन्द्रीय / राज्य मंत्रालय / विभाग
2	केन्दीय / राज्य सरकार के निकाय
3	संस्थान (यूजीसी / शैक्षिक संस्थान)
4	भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड)
5	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)
6	राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम (एसटीडीसीसी)
7	जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई)
8	गैर सरकारी संगठन (एनजीओ)
9	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी)
10	राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग
11	नागरिक

उत्तरदायी केंद्र और अधीनस्थ संगठन

क्र. सं.	उत्तरदायी केंद्र और अधीनस्थ संगठन	दूरभाष संख्या	ई–मेल पता	पता
1	भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड)	011–71600410, 71600415, 71600420	trifed@rediffmail.com	एनएसआईसी बिजनेस पार्क एनएसआईसी एस्टेट, ओखला फेज III, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली, दिल्ली 110020
2	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)	011–26712519, 26712562, 26712583	nstfdc@bol.net.in	एनबीसीसी टावर, 5वां तल, हाल नं 1, भीकाजीकामा प्लेस, नई दिल्ली–110066.

सेवा प्राप्तकर्ताओं से संकेतक प्रत्याशाएं

क्र. सं.	सेवा प्राप्तकर्ताओं से संकेतक प्रत्याशाएं
1	वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पूर्ण आवेदन (सभी दृष्टियों से) (अपेक्षित दस्तावेज www.tribal.gov.in पर उपलब्ध है)
2	प्रस्तावों का जल्द व यथासमय पर प्रस्तुतीकरण
3	निर्धारित अवधि में निधियों की उपयोगिता को सुनिश्चित करना
4	किसी नीति / विधान / योजनात्मक उपाय के गुण–दोषों के विश्लेषण और अध्ययन के लिए पर्याप्त समय / सूचना देना।

अनुलग्नक

अनुलग्नक -1क

संगठनात्मक संरचना
जनजातीय कार्य मंत्रालय

प्रशा.: प्रशासन
बी एंड सी: बजट और नकद
पीसी: संसद, समन्वय
एसटीसी: अनुसूचित जनजातीय घटक
लिव: आजीविका
एनजीओ: गैर सरकारी संगठन
एससीएच: छात्रवृत्ति और डीबीटी
सी एंड एलएम: संवैधानिक और कानूनी मामले
विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी)
वि.: वित्त
सामान्य: सामान्य प्रशासन
एफआरए: वन अधिकार अधिनियम
रा.भा.: राजभाषा
सां.: सांख्यिकी
एनआईसी: राष्ट्रीय सूचना केंद्र
पीजी: लोक शिकायत
पीए: नीति विश्लेषण
एनसीएसटी: एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग
टीआरआई: जनजातीय अनुसंधान संस्थान
स्था.: स्थापना
पीवीटीजी: विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह

एएस/जेएस: अपर सचिव/संयुक्त सचिव
जेएस एंड एफए: संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार सीवीओ: मुख्य सतर्कता अधिकारी
डीडीजी: उप महानिदेशक सीसीए: मुख्य लेखा नियंत्रक
सीसीए: मुख्य लेखा नियंत्रक
निदे.: निदेशक
डी एस: उप सचिव जेडी: संयुक्त निदेशक
सीए: लेखा नियंत्रक यूएस: अवर सचिव
डीडी: उप निदेशक आरओ: अनुसंधान अधिकारी
एसओ: अनुभाग अधिकारी
पी एंड एओ: वेतन और लेखा अधिकारी
डीसीए: उप लेखा नियंत्रक
ईए: आर्थिक सलाहकार
एडी: सहायक निदेशक
डीडीओ: आहरण एवं संवितरण अधिकारी

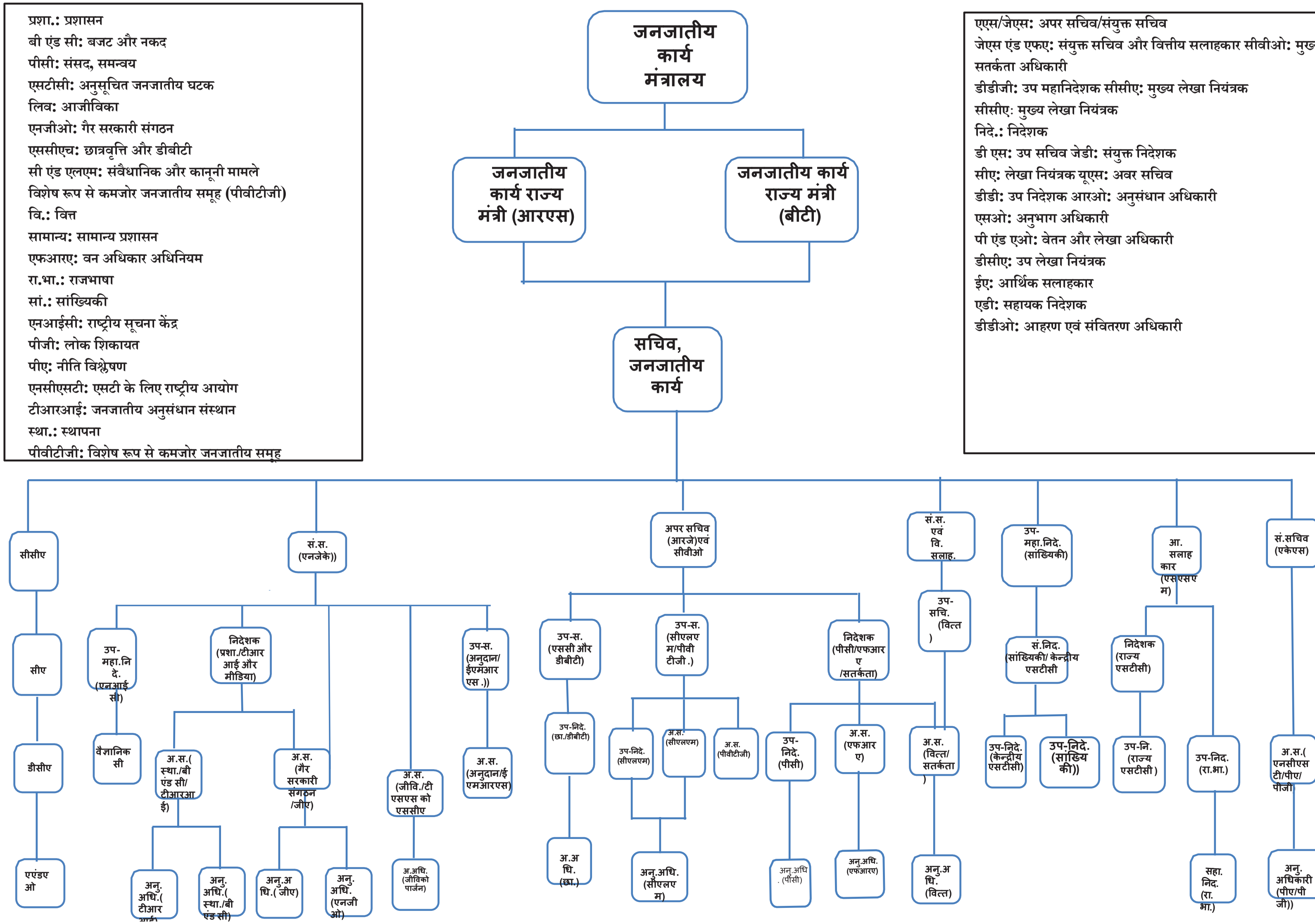

अनुलग्नक– 1ख

आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम

क्र.सं.	राज्य	आयोजन की तिथि	कार्यकलाप
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	16.11.2021–18.11.2021	जारवा जनजाति का सांस्कृतिक कार्यक्रम
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	18.11.2021	'ओंगे जनजाति' का सांस्कृतिक कार्यक्रम
3	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	21.11.2021	अंडमानी जनजाति का सांस्कृतिक कार्यक्रम
4	आंध्र प्रदेश	15.08.2021	टीआईरआई आंध्र प्रदेश के लिए नए भवन परिसर का उद्‌घाटन
5	आंध्र प्रदेश	15.11.2021–19.11.2021	विशाखापत्तनम में 5 दिवसीय राज्य स्तरीय जनजातीय शिल्प मेला (प्रदर्शनी सह बिक्री)
6	आंध्र प्रदेश	22.11.2021	एसएचजी सहित एसटी उद्यमियों का सम्मान
7	आंध्र प्रदेश	22.11.2021	एक दिवसीय राज्य स्तरीय जनजातीय चित्रकला/कला प्रतियोगिता एवं प्रख्यात जनजातीयकलाकारों का अभिनंदन
8	अरुणाचल प्रदेश	15.11.2021	ईएमआरएस में बिरसा मुंडा को याद करना
9	अरुणाचल प्रदेश	20.11.2021	एसजेईटीए द्वारा और जिला प्रशासन के सहयोग से हवाई, अंजॉ जिले में दिव्यांगजनों को नैदानिक शिविर सह मुफ्त सहायता और उपकरण वितरण का आयोजन करते हुए उत्सव और समारोह मनाना
10	असम	21.11.2021	स्वास्थ्य कैम्प
11	छत्तीसगढ़	15.11.2021–17.11.2021	जनजातीय शिल्प मेला
12	गोवा	सितम्बर, 2021	राष्ट्रीय पोषण माह (राष्ट्रीय न्यूट्रीशन माह) सितंबर, 2021 में 9 विभिन्न ग्राम पंचायतों में मनाया गया
13	गोवा	15.11.2021	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत कब्जे के तहत वन भूमि के शीर्षक (टाइटल) का वितरण किया
14	गोवा	17.11.2021	गोंडांग्रिम, कानाकोना में स्वास्थ्य के मुद्दों पर जागरूकता कार्यक्रम
15	गोवा	10.12.2021	मोशीफॉन्ड, अमोनपोइगुइनिमकानाकोना में आश्रम स्कूल का उद्‌घाटन

क्र.सं.	राज्य	आयोजन की तिथि	कार्यकलाप
16	गुजरात	15.11.2021–19.11.2021	पारंपरिक जनजातीय कला और शिल्प मेला, जनजातीय हर्बल और जनजातीय खाद्य मेला, जनजातीय नृत्य और संगीत
17	गुजरात	17.11.2022	स्मारक समारोह का आयोजन : मंगध धाम
18	गुजरात	09.11.2021	स्मृति समारोह का आयोजन : वेदछी ग्राम विद्यापीठ
19	गुजरात	29.11.2021	जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री ठक्कर बापा की 152वीं जयंती का स्मृति समारोह का आयोजन समारोह।
20	जम्मू और कश्मीर	15.11.2021–22.11.2021	20 जिलों में जनजातीय गौरव दीपों का सप्ताह भर चलने वाला समारोह
21	जम्मू और कश्मीर	15.11.2021	अनंतनाग जिले में जनजातीय गौरव दिवस समारोह
22	जम्मू और कश्मीर	16.11.2021	जनजातीय छात्रावास डोडा में जनजातीय सांस्कृतिक आयोजन
23	जम्मू और कश्मीर	17.11.2021	विरासत स्थल का दौरा
24	जम्मू और कश्मीर	17.11.2021	पेंटिंग प्रतियोगिता
25	जम्मू और कश्मीर	19.11.2021	जिला बारामूला में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव
26	जम्मू और कश्मीर	20.11.2021	अनंतनाग जिले में जनजातीय गौरव सप्ताह उत्सव
27	जम्मू और कश्मीर	21.11.2021	राजौरी में जनजातीय गौरव सप्ताह समारोह
28	जम्मू और कश्मीर	22.11.2021	डीसी राजौरी के साथ मुझसे कुछ भी पूछें सत्र
29	जम्मू और कश्मीर	22.11.2021	जनजातीयछात्रों के लिए करियर परामर्श कार्यशाला एवं बांदीपोरा जिले में जनजातीय गौरव सप्ताह का समापन कार्यक्रम
30	जम्मू और कश्मीर	15.11.2021	जनजातीय गौरव सप्ताह का उद्‌घाटन समारोह और जनजातीय गौरव दिवस का समारोह।
31	जम्मू और कश्मीर	24.11.2021–25.11.2021	जनजातीय साहित्य सह सांस्कृतिक महोत्सव
32	जम्मू और कश्मीर	25.11.2021	जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्मार्ट स्कूलों का शुभारंभ
33	झारखंड	03.07.2021–04.07.2021	झारखंड में 5 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का शिलान्यास
34	झारखंड	03.09.2021	झारखंड में ईएमआरएस बंसजोरे और पाकर्तन का शिलान्यास
35	झारखंड	24.09.2021	माननीय जनजातीय कार्य मंत्री द्वारा ईएमआरएस डुमरिया और पोटका का शिलान्यास समारोह

क्र.सं.	राज्य	आयोजन की तिथि	कार्यकलाप
36	झारखंड	1.11.2021	माननीय जनजातीय कार्य मंत्री द्वारा ईएमआरएस खूंटी का शिलान्यास
37	झारखंड	15.11.2021	उद्घाटन माननीय प्रधान मंत्री द्वारा रांची में (वर्चुअल रूप से) श्री बिरसा मुंडा जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का
38	झारखंड	15.11.2021	1. रक्तदान शिविर, 2. एनबीटी के सहयोग से प्रकाशित 45 पुस्तकों के विमोचन का कार्यक्रम
39	झारखंड	16.11.2021	'सरदारी शांतिपूर्ण आंदोलन, बिरसैतः धार्मिक आंदोलन, बिरसौलगुलान' पर संगोष्ठी
40	कर्नाटक	15.11.2021	जन ज्योति गौरव दिवस कार्यक्रम
41	केरल	15.11.2021	केरल के जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों पर वेबिनार
42	केरल	16.11.2021	बिरसा मुंडा चित्रोत्सव, स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों के लिए बिरसा मुंडा के जीवन पर एक ऑनलाइन कला प्रतियोगिता
43	केरल	16.11.2021	केरल की जनजातियों के बीच आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय वेबिनार
44	केरल	18.11.2021	एफआरए पर कार्यशाला
45	केरल	17.11.2021	कोविड–19 संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं और जनजातीय समुदायों पर कोविड–19 का प्रभाव
46	केरल	19.11.2021	जनजातीय युवा कोविड–स9 . के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम
47	केरल	20.11.2021	जनजातीय समुदायों के बीच मादक द्रव्यों का सेवन और उनके सामाजिक–सांस्कृतिक जीवन पर इसका प्रभाव
48	केरल	20.11.2021–22.11.2021	जनजातीय कलाकारों के लिए तीन दिवसीय कार्यशाला
49	मध्य प्रदेश	18.09.2021	केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने अमर जनजातीय शहीदों के स्मारक पर श्रद्धांजलि दी
50	मध्य प्रदेश	23.10.2021–31.10.2021	टीआरआई मध्य प्रदेश आयोजित आदिरंग 2021 महोत्सव
51	मध्य प्रदेश	15.11.2021	भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 50 ईएमआरएस के लिए शिलान्यास समारोह
52	मध्य प्रदेश	15.11.2021	भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन का उद्घाटन किया गया
53	मणिपुर	25.10.2021–30.10.2021	जनजातीय कला एवं चित्रकला प्रतियोगिता

क्र.सं.	राज्य	आयोजन की तिथि	कार्यकलाप
54	मणिपुर	22.11.2021	माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मणिपुर में 'रानी गैदिनल्यू जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय' का शिलान्यास
55	मेघालय	15.11.2021	कोंगथोंग में कार्यक्रम (सीटी बजाना और गीत गांव)
56	मिजोरम	15.11.2021	आइजोल आर्ट गैलरी में बिरसा मुंडा के चित्र पर मौके पर पेंटिंग प्रतियोगिता
57	नागालैंड	21.10.2021	एनएसटीएफडीसी ने पूर्वोत्तर राज्यों के 53 सफल जनजातीय उद्यमियों को सम्मानित किया
58	नागालैंड	15.11.2021	गुलेल लक्ष्य मारना
59	नई दिल्ली	26.03.2021	'टीबी मुक्त भारत' के अनुसरण में जनजातीय टीबी पहल
60	नई दिल्ली	07.04.2021	जनजातीय स्वास्थ्य सहयोगी 'अनमाया' – 'जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण' को बढ़ाने के लिए एक बहु हितधारक पहल शुरू की गई
61	नई दिल्ली	10.05.2021	एनईएसटीएस ने ईएमआरएस प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों के लिए निष्ठा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए एनसीईआरटी के साथ सहयोग किया है
62	नई दिल्ली	16.05.2021	माननीय जनजातीय कार्य मंत्री द्वारा भारत के जनजातीय युवाओं के लिए 'गोल' कार्यक्रम का शुभारंभ
63	नई दिल्ली	17.05.2021	जनजातीय कार्य मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट के बीच जनजातीय स्कूलों के डिजिटल रुपांतरण के लिए संयुक्त पहल पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
64	नई दिल्ली	16.06.2021–19.06.2021	एसटी पीआरआई सदस्यों के लिए 'आदि प्रशिक्षण पोर्टल' और 3 दिवसीय ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम का शुभारंभ
65	नई दिल्ली	19.06.2021	विश्व सिकल सेल दिवस पर 'भारत में सिकल रोग पर दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन'
66	नई दिल्ली	06.07.2021	पर्यावरण और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित एफआरए के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संयुक्त संचार
67	नई दिल्ली	16.07.2021	स्कूल इनोवेशन एंबेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ
68	नई दिल्ली	02.08.2021–04.08.2021	वन अधिकार अधिनियम, 2006 पर 'प्रशिक्षकों के आभासी प्रशिक्षण कार्यक्रम' का उद्घाटन
69	नई दिल्ली	23.09.2021–24.09.2021	दो दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन

क्र.सं.	राज्य	आयोजन की तिथि	कार्यकलाप
70	नई दिल्ली	16.11.2021—30.11.2021	ट्राइफेड द्वारा राष्ट्रीय आदि महोत्सव
71	नई दिल्ली	15.11.2021	संसद भवन, नई दिल्ली में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा बिरसा मुंडा प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित
72	नई दिल्ली	18.11.2021	पेसा राज्यों के साथ पंचायती राज मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालयद्वारा संयुक्त रूप से एक दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन आयोजित किया जाना
73	नई दिल्ली	17.11.2021—18.11.2021	जम्मू—कश्मीर के जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के लिए जीपीडीपी तैयार करने के लिए दो दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम
74	ओड़िशा	10.09.2021	जनजातीय कार्य मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री द्वारा ओडिशा में ईएमआरएस कप्तिपाड़ा का शिलान्यास समारोह
75	ओड़िशा	12.12.2021	जनजातीय कार्य मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री द्वारा मयूरभंज, ओडिशा में 2 ईएमआरएस का शिलान्यास समारोह
76	ओड़िशा	22.12.2021	जनजातीय कार्य मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री द्वारा मयूरभंज, ओडिशा में 2 ईएमआरएस का शिलान्यास समारोह
77	ओड़िशा	12.09.2021	जनजातीय कार्य मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री द्वारा ईएमआरएस बरसही, ओडिशा का शिलान्यास
78	ओड़िशा	19.10.201	जनजातीय कार्य मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री द्वारा ईएमआरएस कुलियाना, ओडिशा का शिलान्यास
79	ओड़िशा	20.10.2021	जनजातीय कार्य मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री द्वारा ईएमआरएस ठाकुरमुंडा, ओडिशा की आधारशिला रखी गई
80	ओड़िशा	31.10.2021	जनजातीय कार्य मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री द्वारा ईएमआरएस टायरिंग का शिलान्यास समारोह
81	ओड़िशा	2.11.2021	जनजातीय कार्य मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री द्वारा ईएमआरएस जामदा और बिजाटोला, ओडिशा का शिलान्यास
82	ओड़िशा	06.11.2021	जनजातीय कार्य मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री द्वारा ईएमआरएस बोईपारीगुडा, ओडिशा का शिलान्यास समारोह
83	ओड़िशा	07.11.2021	जनजातीय कार्य मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री द्वारा ईएमआरएस चित्रकोंडा, ओडिशा का शिलान्यास समारोह

क्र.सं.	राज्य	आयोजन की तिथि	कार्यकलाप
84	ओड़िशा	10.01.2022	जनजातीय कार्य मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री द्वारा ओडिशा के कंधमाल, गजपति, कोरापुट जिलों और ओडिशा के नंदपुर ब्लॉक में 3 ईएमआरएस का शिलान्यास समारोह
85	ओड़िशा	24.11.2021–29.11.2021	प्राथमिक विद्यालय शिक्षक प्रशिक्षण
86	ओड़िशा	22.09.2021–02.10.2021	जीवन कौशल शिक्षा कार्यक्रम के तहत किशोरी बालिकाओं की काउंसलिंग पर महिला शिक्षकों का ऑनलाइन क्षमता निर्माण प्रशिक्षण
87	ओड़िशा	31.08.2021–30.09.2021	विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, उड़िया और सामाजिक विज्ञान में ओडिशा के एसएसडी हाई स्कूलों के टीजीटी के लिए ऑनलाइन क्षमता निर्माण प्रशिक्षण
88	ओड़िशा	17.11.2021	ईएमआरएस छात्रों के लिए 'ओडिशा के स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान' पर वेबिनार
89	ओड़िशा	15.11.21 से17.11.2021	ईएमआरएस छात्रों के बीच भारतीय स्वतंत्रता के लिए 'ओडिशा के स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान' पर निबंध और वाद–विवाद प्रतियोगिता
90	ओड़िशा	17.11.2021	ओडिशा के प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानियों "साहिद लक्ष्मण नाइक" पर बनायी गयी ऑडियो वीडियो एनिमेटेड फिल्म का एससी एसटीआरटीआई प्रदर्शन (विमोचन)
91	ओड़िशा	22.11.2021	राज्य सरकार द्वारा ओडिशा के महान स्वतंत्रता सेनानियों शहीद लक्ष्मण नाइक स्मारक को श्रद्ध ाभाव और श्रद्धांजलि अर्पित करना और उनकी स्मृति में एक समारोह का आयोजन करना
92	ओड़िशा	24.03.2021–26.03.2021	"भारत के जनजातीय समुदायों के बीच स्वदेशी ज्ञान के बदलते स्वरूप" पर राष्ट्रीय वेबिनार
93	ओड़िशा	28.12.2021	जनजातीय कार्य मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री द्वारा ओडिशा में ईएमआरएस सहारापाड़ा, केंदुझार का शिलान्यास समारोह
94	ओड़िशा	15.11.2021	'भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में भगवान बिरसा मुंडा के योगदान' पर राष्ट्रीय वेबिनार
95	राजस्थान	19.03.2021–20.03.2021	'पारंपरिक चिकित्सा – चुनौतियां और अवसर' पर राष्ट्रीय सम्मेलन
96	राजस्थान	15.11.2021	जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी के योगदान पर संगोष्ठी
97	राजस्थान	17.11.2021–22.11.2021	जनजातीय लकड़ी की कला कार्यशाला
98	सिक्किम	15.11.2021	रक्तदान शिविर

क्र.सं.	राज्य	आयोजन की तिथि	कार्यकलाप
99	तमिलनाडु	22.11.2021	जनजातीय युवाओं के लिए औषधीय पादप कार्यशाला एवं चित्रांकन प्रतियोगिता
100	तेलंगाना	15.11.2021	दो स्वतंत्रता सेनानियों के वीडियो वृत्तचित्रों का प्रदर्शन (विमोचन)
101	तेलंगाना	18.11.2021	उत्नूर भद्राचलम में सांस्कृतिक कार्यक्रम, पद्मश्री पुरस्कार विजेता श्री कनक राजू पर वृत्तचित्र का प्रदर्शन (विमोचन)
102	तेलंगाना	20.11.2021	छात्रों के लिए कला और शिल्प प्रतियोगिता
103	त्रिपुरा	19.11.2021	'बिरसा मुंडा और भारत के स्वतंत्रता संग्राम' पर संगोष्ठी
104	त्रिपुरा	19.11.2021	नशीले पदार्थों की लत पर स्वास्थ्य जागरूकता शिविर, पश्चिम त्रिपुरा के ईएमआर स्कूलों और एसटी बोर्डिंग हाउस के छात्रों के बीच चित्रकला प्रतियोगिताएं और "नशीली दवाओं की लत और समाज पर प्रभाव" पर निबंध लेखन प्रतियोगिता।
105	उत्तराखंड	15.11.2021–17.11.2021	आईटीआई खटीमा में जनजातीय छात्र खेल प्रतियोगिता
106	उत्तराखंड	18.11.2021–20.11.2021	ईएमआरएस कलसी में जनजातीय छात्र–छात्राओं का सांस्कृतिक कार्यक्रम
107	पश्चिम बंगाल	15.11.2021	बिरसा मुंडा जयंती का उत्सव

अनुलग्नक–3क

वर्ष 2019–20 से 2020–21 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय का योजना–वार बजट आवंटन/संशोधित आवंटन तथा व्यय

(करोड़ रुपए में)

कार्यक्रम/स्कीम	2019–20 (पूर्वोत्तर राज्यों सहित)			2020–21 (पूर्वोत्तर राज्यों सहित)		
	ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय
अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	110.00	110.00	94.84	110.00	60.00	59.66
जनजातीय उत्पाद/उपज के विकास तथा विपणन हेतु संस्थागत सहायता	83.00	128.50	128.50	140.00	105.00	105.00
विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह का विकास (पीवीटीजी)	250.00	250.00	250.00	250.00	140.00	140.00
राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को सहायता	80.00	80.00	80.00	150.00	0.00	0.00
अनुसूचित जनजाति के बच्चों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति तथा छात्रवृत्ति	100.00	100.00	99.89	100.00	120.00	120.00
विदेश में अध्यन हेतु विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति	2.00	2.00	1.90	2.00	4.76	4.76
लघु वन उत्पाद के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएफपी के एमएसपी)	130.00	190.00	164.64	152.51	85.74	82.86
जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम (ईएपी)	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति	340.00	440.00	440.00	400.00	250.00	248.90
मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	1613.50	1826.39	1863.33	1900.00	1833.00	1830.18
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)	0.31	16.22	16.21	1313.23	1200.00	1200.00
जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता	100.00	110.00	109.98	110.00	60.00	60.00
अनुसंधान सूचना तथा जनशिक्षा, जनजातीय उत्सव तथा अन्य	24.00	24.00	23.23	24.00	12.00	9.00
निगरानी तथा मूल्यांकन	2.50	4.00	3.83	4.00	2.00	1.82
वन बंधु कल्याण योजना	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जनजातीय उप–स्कीम को विशेष केन्द्रीय सहायता	1350.00	1350.00	1349.86	1350.00	800.00	799.49
संविधान के अनुच्छेयद 275(1) के प्रावधानों के तहत योजना	2662.56	2662.55	2662.53	1350.01	800.00	800.00
कुल योग	**6847.89**	**7293.66**	**7288.74**	**7355.76**	**5472.50**	**5461.67**

ब.अ. – बजट अनुमान, सं.अ. – संशोधित अनुमान, व्यय – व्यय

अनुलग्नक–3 ख

वर्ष 2021–22 के लिए योजना–वार बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान एवं 31.12.2021 तक का व्यय

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	ब.अ. 2021–22	सं.अ. 2021–22	31.12.2021 तक व्यय
1	2	3	4	5
1	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधानों के तहत योजना	1350.00	900.00	312.56
2	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के द्वितीय प्रावधान के खण्ड (क) के तहत असम सरकार को अनुदान	0.01	0.00	–
3	अजजा बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति	150.00	120.00	96.59
4	विदेश में अध्ययन के लिए अजजा विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति	3.00	5.00	4.92
5	राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को समर्थन	0.01	0.00	0.00
6	जनजातीय उत्पाद/उपज के विकास और विपणन के लिए संस्थागत समर्थन	150.00	120.00	56.50
7	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)	1418.04	1057.74	767.70
8	जनजातीय स्मारक सहित जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता	120.00	60.00	21.55
9	मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति	400.00	400.00	389.18
10	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	1993.00	2257.72	1892.12
11	अजजा के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	110.00	90.00	38.37
12	लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएफपी के लिए एमएसपी)	155.00	115.00	57.50
13	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास (पीवीटीजी)	250.00	160.00	143.03
14	जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम (ईएपी)	0.01	0.00	0.00
15	जनजातीय उत्सव, अनुसंधान सूचना और जनशिक्षा	30.00	15.00	5.03
16	निगरानी तथा मूल्यांकन	5.00	5.00	1.78
17	जनजातीय उप–योजनाओं को एससीए	1350.00	785.00	3.38
18	पूर्वोत्तर क्षेत्र से जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विपणन और रसद विकास	0.00	36.00	0.00
	कुल योग	**7484.07**	**6126.46**	**3790.21**

अनुलग्नक–4क

लिंग और निवास के आधार पर अनुसूचित जनजातियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार जनसंख्या: जनगणना 2011

क्र.सं.	भारत/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	टी/आर/यू	व्यक्ति	पुरूष	महिला
	भारत	कुल	104545716	52547215	51998501
		ग्रामीण	94083844	47263733	46820111
		शहरी	10461872	5283482	5178390
1	जम्मू और कश्मीर (संघ राज्यक्षेत्र)	कुल	1275106	666062	609044
		ग्रामीण	1222204	637064	585140
		शहरी	52902	28998	23904
2	लद्दाख (संघ राज्यक्षेत्र)	कुल	218193	110195	107998
		ग्रामीण	184629	93011	91618
		शहरी	33564	17184	16380
3	हिमाचल प्रदेश	कुल	392126	196118	196008
		ग्रामीण	374392	186896	187496
		शहरी	17734	9222	8512
4	उत्तराखंड	कुल	291903	148669	143234
		ग्रामीण	264819	134691	130128
		शहरी	27084	13978	13106
5	राजस्थान	कुल	9238534	4742943	4495591
		ग्रामीण	8693123	4454816	4238307
		शहरी	545411	288127	257284
6	उत्तर प्रदेश	कुल	1134273	581083	553190
		ग्रामीण	1031076	526315	504761
		शहरी	103197	54768	48429
7	बिहार	कुल	1336573	682516	654057
		ग्रामीण	1270851	648535	622316
		शहरी	65722	33981	31741
8	सिक्किम	कुल	206360	105261	101099
		ग्रामीण	167146	86059	81087
		शहरी	39214	19202	20012
9	अरुणाचल प्रदेश	कुल	951821	468390	483431
		ग्रामीण	789846	390625	399221
		शहरी	161975	77765	84210
10	नागालैंड	कुल	1710973	866027	844946
		ग्रामीण	1306838	665351	641487
		शहरी	404135	200676	203459
11	मणिपुर	कुल	1167422	588279	579143
		ग्रामीण	1055808	533856	521952
		शहरी	111614	54423	57191

क्र.सं.	भारत/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	टी/आर/यू	व्यक्ति	पुरूष	महिला
12	मिजोरम	कुल	1036115	516294	519821
		ग्रामीण	507467	257987	249480
		शहरी	528648	258307	270341
13	त्रिपुरा	कुल	1166813	588327	578486
		ग्रामीण	1117566	563908	553658
		शहरी	49247	24419	24828
14	मेघालय	कुल	2555861	1269728	1286133
		ग्रामीण	2136891	1070557	1066334
		शहरी	418970	199171	219799
15	असम	कुल	3884371	1957005	1927366
		ग्रामीण	3665405	1847326	1818079
		शहरी	218966	109679	109287
16	पश्चिम बंगाल	कुल	5296953	2649974	2646979
		ग्रामीण	4855115	2428057	2427058
		शहरी	441838	221917	219921
17	झारखंड	कुल	8645042	4315407	4329635
		ग्रामीण	7868150	3928323	3939827
		शहरी	776892	387084	389808
18	ओडिशा	कुल	9590756	4727732	4863024
		ग्रामीण	8994967	4428522	4566445
		शहरी	595789	299210	296579
19	छत्तीसगढ़	कुल	7822902	3873191	3949711
		ग्रामीण	7231082	3577134	3653948
		शहरी	591820	296057	295763
20	मध्य प्रदेश	कुल	15316784	7719404	7597380
		ग्रामीण	14276874	7187769	7089105
		शहरी	1039910	531635	508275
21	गुजरात	कुल	8917174	4501389	4415785
		ग्रामीण	8021848	4042691	3979157
		शहरी	895326	458698	436628
22	दमन और दीव एवं दादरा और नगर हवेली	कुल	193927	96615	97312
		ग्रामीण	158561	78892	79669
		शहरी	35366	17723	17643
23	महाराष्ट्र	कुल	10510213	5315025	5195188
		ग्रामीण	9006077	4540456	4465621
		शहरी	1504136	774569	729567
24	तेलंगाना	कुल	3286928	1659963	1626965
		ग्रामीण	2939027	1482516	1456511
		शहरी	347901	177447	170454

क्र.सं.	भारत/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	टी/आर/यू	व्यक्ति	पुरूष	महिला
25	आंध्र प्रदेश	कुल	2631145	1309399	1321746
		ग्रामीण	2293102	1138376	1154726
		शहरी	338043	171023	167020
26	कर्नाटक	कुल	4248987	2134754	2114233
		ग्रामीण	3429791	1723762	1706029
		शहरी	819196	410992	408204
27	गोवा	कुल	149275	72948	76327
		ग्रामीण	87639	43263	44376
		शहरी	61636	29685	31951
28	लक्षद्वीप	कुल	61120	30515	30605
		ग्रामीण	13463	6752	6711
		शहरी	47657	23763	23894
29	केरल	कुल	484839	238203	246636
		ग्रामीण	433092	213208	219884
		शहरी	51747	24995	26752
30	तमिलनाडु	कुल	794697	401068	393629
		ग्रामीण	660280	333178	327102
		शहरी	134417	67890	66527
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	कुल	28530	14731	13799
		ग्रामीण	26715	13837	12878
		शहरी	1815	894	921

स्रोतः महापंजीयक का कार्यालय, भारत

नोटः 2011 में पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी में कोई अधिसूचित अनुसूचित जनजाति नहीं है।

अनुलग्नक– 4 ख

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार सम्पूर्ण जनसंख्या, अ.ज.जा. की जनसंख्या, भारत /राज्य की कुल जनसंख्या की तुलना में भारत / राज्य में अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता तथा अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या की तुलना में राज्य में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशतता

क्र.सं.	भारत / राज्य	कुल जनसंख्या	अ.ज.जा. जनसंख्या	भारत /राज्य की कुल जनसंख्या की तुलना में भारत / राज्य में अ.ज.जा. का%	भारत में अ.ज. जा. की कुल जनसंख्या की तुलना में राज्य में अ.ज.जा. का%
	भारत	1,21,08,54,977	10,45,45,716	8.6	–
1	आंध्र प्रदेश	4,93,86,799	26,31,145	5.3	2.5
2	अरुणाचल प्रदेश	13,83,727	9,51,821	68.8	0.9
3	असम	3,12,05,576	38,84,371	12.4	3.7
4	बिहार	10,40,99,452	13,36,573	1.3	1.3
5	छत्तीसगढ़	2,55,45,198	78,22,902	30.6	7.5
6	गोवा	14,58,545	1,49,275	10.2	0.1
7	गुजरात	6,04,39,692	89,17,174	14.8	8.5
8	हरियाणा	2,53,51,462	एनएसटी	लागू नहीं	लागू नहीं
9	हिमाचल प्रदेश	68,64,602	3,92,126	5.7	0.4
10	जम्मू और कश्मीर (यूटी)	1,22,67,013	12,75,106	10.4	1.2
11	झारखंड	3,29,88,134	86,45,042	26.2	8.3
12	कर्नाटक	6,10,95,297	42,48,987	7.0	4.1
13	केरल	3,34,06,061	4,84,839	1.5	0.5
14	लद्दाख (यूटी)	2,74,289	2,18,193	79.5	0.2
15	मध्य प्रदेश	7,26,26,809	1,53,16,784	21.1	14.7
16	महाराष्ट्र	11,23,74,333	1,05,10,213	9.4	10.1
17	मणिपुर	28,55,794	11,67,422	40.9	1.1
18	मेघालय	29,66,889	25,55,861	86.1	2.4
19	मिजोरम	10,97,206	10,36,115	94.4	1.0
20	नागालैंड	19,78,502	17,10,973	86.5	1.6
21	ओडिशा	4,19,74,218	95,90,756	22.8	9.2
22	पंजाब	2,77,43,338	एनएसटी	लागू नहीं	लागू नहीं
23	राजस्थान	6,85,48,437	92,38,534	13.5	8.8
24	सिक्किम	6,10,577	2,06,360	33.8	0.2
25	तमिलनाडु	7,21,47,030	7,94,697	1.1	0.8
26	तेलंगाना	35193978	3286928	9.3	3.1
27	त्रिपुरा	36,73,917	11,66,813	31.8	1.1
28	उत्तराखंड	1,00,86,292	2,91,903	2.9	0.3
29	उत्तर प्रदेश	19,98,12,341	11,34,273	0.6	1.1
30	पश्चिम बंगाल	9,12,76,115	52,96,953	5.8	5.1
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	3,80,581	28,530	7.5	0.0
32	चंडीगढ़	10,55,450	एनएसटी	लागू नहीं	लागू नहीं
33	दमन और दीव एवं दादरा और नगर हवेली	5,86,956	1,93,927	33.0	0.2
34	दिल्ली	1,67,87,941	एनएसटी	लागू नहीं	लागू नहीं
35	लक्षद्वीप	64,473	61,120	94.8	0.1
36	पुदुचेरी	12,47,953	एनएसटी	लागू नहीं	लागू नहीं

स्रोत : जनगणना, 2011 भारत के महापंजीयक का कार्यालय

एनएसटीः कोई अनुसूचित जनजाति अधिसूचित नहीं है (2011 के अनुसार)

एनएः लागू नहीं

अनुलग्नक – 4 ग

भारत में अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार लिंग अनुपात का विवरण

राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	लिंग अनुपात 2001			लिंग अनुपात 2011		
	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
भारत	978	981	944	990	991	980
जम्मू और कश्मीर	910	916	799	924	927	872
हिमाचल प्रदेश	996	1002	809	999	1003	923
उत्तराखंड	950	956	867	963	966	938
राजस्थान	944	950	851	948	951	893
उत्तर प्रदेश	934	945	850	952	959	884
बिहार	929	934	839	958	960	934
सिक्किम	957	950	1024	960	942	1042
अरुणाचल प्रदेश	1003	1000	1020	1032	1022	1083
नागालैंड	943	942	946	976	964	1014
मणिपुर	980	977	1040	984	978	1051
मिजोरम	984	959	1012	1007	967	1047
त्रिपुरा	970	971	921	983	982	1017
मेघालय	1000	987	1072	1013	996	1104
असम	972	974	929	985	984	996
पश्चिम बंगाल	982	984	950	999	1000	991
झारखंड	987	989	965	1003	1003	1007
ओडिशा	1003	1006	948	1029	1031	991
छत्तीसगढ़	1013	1017	941	1020	1021	999
मध्य प्रदेश	975	979	912	984	986	956
गुजरात	974	978	926	981	984	952
दमन और दीव	947	952	928	977	982	972
दादरा और नगर हवेली	1028	1032	973	1010	1011	1002
महाराष्ट्र	973	979	931	977	984	942
तेलंगाना	962	965	922	980	982	961
आंध्र प्रदेश	983	986	957	1009	1014	977
कर्नाटक	972	975	960	990	990	993
गोवा	893	827	928	1046	1026	1076
लक्षद्वीप	1003	1001	1006	1003	994	1006
केरल	1021	1020	1053	1035	1031	1070
तमिलनाडु	980	977	997	981	982	980
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	948	954	796	937	931	1030

स्रोतः 2001 और 2011 की जनगणना, भारत के महापंजीयक का कार्यालय।

अनुलग्नक – 4 घ

सम्पूर्ण जनसंख्या तथा अ.ज.जा. की जनसंख्या की साक्षरता दरें तथा अंतर : जनसंख्या 2011

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	व्यक्ति			पुरुष			महिला		
		सभी	अ.ज.जा.	अंतर	सभी	अ.ज.जा.	अंतर	सभी	अ.ज.जा.	अंतर
	भारत	73	59	14.0	80.9	68.5	12.4	64.6	49.4	15.2
1	जम्मू और कश्मीर	67.2	50.6	16.6	76.8	60.6	16.2	56.4	39.7	16.7
2	हिमाचल प्रदेश	82.8	73.6	9.2	89.5	83.2	6.3	75.9	64.2	11.7
3	उत्तराखंड	78.8	73.9	4.9	87.4	83.6	3.8	70	63.9	6.1
4	राजस्थान	66.1	52.8	13.3	79.2	67.6	11.6	52.1	37.3	14.8
5	उत्तर प्रदेश	67.7	55.7	12.0	77.3	67.1	10.2	57.2	43.7	13.5
6	बिहार	61.8	51.1	10.7	71.2	61.3	9.9	51.5	40.4	11.1
7	सिक्किम	81.4	79.7	1.7	86.6	85	1.6	75.6	74.3	1.3
8	अरुणाचल प्रदेश	65.4	64.6	0.8	72.6	71.5	1.1	57.7	58	–0.3
9	नागालैंड	79.6	80	–0.4	82.8	83.1	–0.3	76.1	76.9	–0.8
10	मणिपुर	76.9	72.6	4.3	83.6	77.3	6.3	70.3	67.8	2.5
11	मिजोरम	91.3	91.5	–0.2	93.3	93.6	–0.3	89.3	89.5	–0.2
12	त्रिपुरा	87.2	79.1	8.1	91.5	86.4	5.1	82.7	71.6	11.1
13	मेघालय	74.4	74.5	–0.1	76	75.5	0.5	72.9	73.5	–0.6
14	असम	72.2	72.1	0.1	77.8	79	–1.2	66.3	65.1	1.2
15	पश्चिम बंगाल	76.3	57.9	18.4	81.7	68.2	13.5	70.5	47.7	22.8
16	झारखंड	66.4	57.1	9.3	76.8	68.2	8.6	55.4	46.2	9.2
17	ओडिशा	72.9	52.2	20.7	81.6	63.7	17.9	64	41.2	22.8
18	छत्तीसगढ़	70.3	59.1	11.2	80.3	69.7	10.6	60.2	48.8	11.4
19	मध्य प्रदेश	69.3	50.6	18.7	78.7	59.6	19.1	59.2	41.5	17.7
20	गुजरात	78	62.5	15.5	85.8	71.7	14.1	69.7	53.2	16.5
21	दमन और दीव	87.1	78.8	8.3	91.5	86.2	5.3	79.5	71.2	8.3
22	दादरा और नगर हवेली	76.2	61.9	14.3	85.2	73.6	11.6	64.3	50.3	14
23	महाराष्ट्र	82.3	65.7	16.6	88.4	74.3	14.1	75.9	57	18.9
24	तेलंगाना	66.5	49.5	17.0	75	59.5	15.5	57.9	39.4	18.5
25	आंध्र प्रदेश	67.4	48.8	18.6	74.8	56.9	17.9	60	40.9	19.1
26	कर्नाटक	75.4	62.1	13.3	82.5	71.1	11.4	68.1	53	15.1
27	गोवा	88.7	79.1	9.6	92.6	87.2	5.4	84.7	71.5	13.2
28	लक्षद्वीप	91.8	91.7	0.1	95.6	95.7	–0.1	87.9	87.8	0.1
29	केरल	94	75.8	18.2	96.1	80.8	15.3	92.1	71.1	21
30	तमिलनाडु	80.1	54.3	25.8	86.8	61.8	25	73.4	46.8	26.6
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	86.6	75.6	11.0	90.3	80.9	9.4	82.4	69.9	12.5

टिप्पण : 2011 के अनुसार पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुदुचेरी में कोई अधिसूचित अ.ज.जा. नहीं है

अनुलग्नक – 4 ड.

15 वर्ष और इससे ऊपर की आयु अनुसूचित जनजातियों के लिए – स्नातक तथा इससे ऊपर का शैक्षिक स्तर

क्र. सं.	भारत / राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	कुल स्नातक तथा इससे ऊपर	कुल स्नातक तथा इससे ऊपर की प्रतिशतता (कॉलम 3)							
			तकनीकी डिग्री के अलावा स्नातक डिग्री	तकनीकी डिग्री के अलावा स्नातकोत्तर डिग्री	तकनीकी डिग्री या डिग्री के समतुल्य डिप्लोमा या स्नातकोत्तर डिग्री					
					इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी	चिकित्सा	कृषि तथा डेयरी	पशु चिकित्सा विज्ञान	शिक्षण*	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	भारत	**1763879**	**64.08**	**18.28**	**5.92**	**1.94**	**0.36**	**0.11**	**9.27**	**0.04**
1	जम्मू और कश्मीर	19320	55.01	22.51	7.16	3.98	0.61	0.45	10.09	0.20
2	हिमाचल प्रदेश	16983	57.57	27.58	4.57	1.74	0.18	0.11	8.20	0.05
3	उत्तराखंड	18868	61.74	28.87	4.43	1.35	0.20	0.01	3.40	0.00
4	राजस्थान	199280	52.83	22.17	3.14	1.20	0.11	0.06	20.49	0.01
5	उत्तर प्रदेश	18275	71.22	19.62	3.64	1.00	0.20	0.01	4.31	0.00
6	बिहार	12772	83.34	9.02	4.60	1.43	0.05	0.10	1.46	0.01
7	सिक्किम	9401	71.71	16.93	5.94	2.60	0.55	0.20	2.01	0.06
8	अरुणाचल प्रदेश	33331	70.94	13.40	8.99	3.32	1.03	0.36	1.94	0.02
9	नागालैंड	75326	75.44	15.18	4.25	2.22	0.68	0.28	1.92	0.03
10	मणिपुर	60186	82.04	12.68	2.62	1.61	0.15	0.04	0.85	0.01
11	मिजोरम	45681	70.62	16.57	5.51	2.43	0.48	0.38	4.01	0.02
12	त्रिपुरा	12074	72.58	15.83	5.47	3.35	0.80	0.15	1.81	0.02
13	मेघालय	63897	73.85	13.05	5.59	2.47	0.61	0.28	4.13	0.03
14	असम	74746	83.24	9.80	3.93	1.66	0.19	0.18	0.98	0.02
15	पश्चिम बंगाल	62032	79.85	13.50	3.00	1.03	0.12	0.04	2.44	0.01
16	झारखंड	144262	79.58	12.76	2.62	0.95	0.13	0.06	3.90	0.01
17	ओडिशा	64859	71.23	9.64	14.56	1.24	0.14	0.06	3.13	0.00
18	छत्तीसगढ़	109384	54.98	37.76	4.09	1.39	0.38	0.05	1.35	0.01
19	मध्य प्रदेश	121374	59.30	32.64	4.72	1.41	0.37	0.05	1.51	0.00
20	गुजरात	133702	56.13	19.54	5.11	3.11	0.38	0.05	15.55	0.13
21	दमन और दीव	170	63.53	14.71	7.06	3.53	0.00	0.00	11.18	0.00
22	दादरा और नगर हवेली	2232	38.22	12.90	4.57	4.17	0.00	0.00	40.10	0.04
23	महाराष्ट्र	185590	55.83	15.81	5.78	2.33	0.87	0.09	19.28	0.01
24	आंध्र प्रदेश	63124	57.36	13.61	10.52	2.75	0.27	0.14	15.11	0.24
25	तेलंगाना	83954	56.08	14.55	13.17	2.89	0.17	0.11	12.88	0.15
26	कर्नाटक	102014	57.84	12.29	10.82	1.95	0.30	0.09	16.68	0.03
27	गोवा	3990	77.57	8.47	6.24	3.48	0.18	0.00	4.06	0.00
28	लक्षद्वीप	1986	44.66	21.70	8.61	5.09	1.71	0.45	17.12	0.65
29	केरल	10675	62.49	17.80	8.51	4.14	0.36	0.24	6.41	0.06
30	तमिलनाडु	13970	49.20	20.76	20.08	2.66	0.46	0.19	6.63	0.03
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	421	46.32	17.10	3.33	5.23	0.00	0.71	27.32	0.00

* शिक्षण – जूनियर बेसिक ट्रेनिंग (जेबीटी), बीएड, एमएड आदि

स्रोतः जनगणना 2011, भारत के महापंजीयक का कार्यालय

अनुलग्नक–4च

जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना (एससी, पीएचसी एवं सीएचसी) की स्थिति

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	(31 मार्च, 2020 तक)									
		ग्रामीण क्षेत्रों में 01 जुलाई, 2020 को वर्ष के मध्यकाल में अनुमानित जनजातीय जनसंख्या	उपकेन्द्र (एससी)			पीएचसी			सीएचसी		
			आर	पी	एस	आर	पी	एस	आर	पी	एस
1	आंध्र प्रदेश	2258788	752	816	**	112	158	**	28	21	7
2	अरुणाचल प्रदेश#	845133	281	363	**	42	124	**	10	60	**
3	असम	4032528	1344	786	558	201	185	16	50	32	18
4	बिहार	1475163	491	232	259	73	33	40	18	0	18
5	छत्तीसगढ़	7949854	2649	2817	**	397	399	**	99	89	10
6	गोवा(1)	66873	22	लागू नहीं	लागू नहीं	3	लागू नहीं	लागू नहीं	0	लागू नहीं	लागू नहीं
7	गुजरात	8411532	2803	2757	46	420	424	**	105	94	11
8	हरियाणा*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
9	हिमाचल प्रदेश	400577	133	105	28	20	47	**	5	8	**
10	झारखंड	8891251	2963	2462	501	444	175	269	111	103	8
11	कर्नाटक	3461432	1153	291	862	173	65	108	43	7	36
12	केरल	267151	89	272	**	13	150	**	3	35	**
13	मध्य प्रदेश	16222003	5407	2999	2408	811	320	491	202	86	116
14	महाराष्ट्र	9444840	3148	2562	586	472	397	75	118	64	54
15	मणिपुर	839400	279	232	47	41	44	**	10	6	4
16	मेघालय #	2336538	778	444	334	116	111	5	29	26	3
17	मिजोरम #	531192	177	368	**	26	65	**	6	9	**
18	नागालैंड #	1172642	390	415	**	58	137	**	14	21	**
19	ओडिशा	9548607	3182	2701	481	477	444	33	119	134	**
20	पंजाब*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
21	राजस्थान	9787883	3262	2970	292	489	197	292	122	65	57
22	सिक्किम	138618	46	58	**	6	12	**	1	0	1
23	तमिलनाडु	641701	213	543	**	32	94	**	8	21	**
24	तेलंगाना	2777773	925	1489	**	138	202	**	34	19	15
25	त्रिपुरा	1061341	353	439	**	53	46	7	13	8	5
26	उत्तराखंड	278218	92	146	**	13	7	6	3	5	**
27	उत्तर प्रदेश*	1160439	386	लागू नहीं	लागू नहीं	58	लागू नहीं	लागू नहीं	14	लागू नहीं	लागू नहीं
28	पश्चिम बंगाल	4907496	1635	2889	**	245	283	**	61	105	**
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (1)	25803	8	37	**	1	4	**	0	1	**
30	चंडीगढ़*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
31	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	149753	49	76	**	7	9	**	1	2	**
32	दिल्ली*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	जम्मू और कश्मीर	1281909	427	227	200	64	35	29	16	4	12
34	लद्दाख #	210000	70	238	**	10	32	**	2	7	**
35	लक्षद्वीप#(1)	2856	0	11	**	0	4	**	0	3	**
36	पुडुचेरी *	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अखिल भारतीय/ कुल	**100579297**	**33507**	**29745**	**6602**	**5015**	**4203**	**1371**	**1245**	**1035**	**375**

स्रोतः ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2019–20, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नोट्सः एन ऐप – लागू नहीं, एन ए – डेटा उपलब्ध नहीं है

आवश्यकता की गणना जनजातीय जनसंख्या के आधार पर निर्धारित मानदंडों का उपयोग करके की जाती है। अखिल भारतीय कमी कुछ राज्यों में मौजूदा अधिशेष की अनदेखी करते हुए कमी के राज्य–वार आंकड़ों को जोड़कर प्राप्त की जाती है। जनगणना 2011 में ग्रामीण क्षेत्रों में जनजातीय आबादी के प्रतिशत के आधार पर वर्ष 2020 के लिए मध्य–वर्ष की जनजातीय जनसंख्या की गणना

*आरः आवश्यक; पीः तैनात; एसः कमी; **: अधिशेष, *: राज्य / संघ राज्यक्षेत्र में कोई अलग जनजातीय क्षेत्र / जनसंख्या नहीं है;*

#:राज्य प्रमुख रुप से जनजातीय क्षेत्र हैं

1जनसंख्या 80,000 के मानक (सीएचसी) से कम है।

अनुलग्नक–4 छ

जनजातीय क्षेत्रों में उप–केन्द्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)/एएनएम

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	(31मार्च, 2020 तक)				
		अपेक्षित[1]	स्वीकृत	तैनात	रिक्त	कमी
		(आर1)	(एस)	(पी)	(एस–पी)	(आर1–पी)
1	आंध्र प्रदेश	816	1504	1421	83	**
2	अरुणाचल प्रदेश #	363	135	437	**	**
3	असम	786	679	1163	**	**
4	बिहार	232	219	106	113	126
5	छत्तीसगढ़	2817	3403	3111	292	**
6	गोवा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7	गुजरात	2757	2502	2349	153	408
8	हरियाणा *	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
9	हिमाचल प्रदेश	105	88	59	29	46
10	झारखंड	2462	2005	2894	**	**
11	कर्नाटक	291	290	205	85	86
12	केरल	272	267	251	16	21
13	मध्य प्रदेश	2999	3512	2539	973	460
14	महाराष्ट्र	2562	2922	2720	202	**
15	मणिपुर	232	178	322	**	**
16	मेघालय #	444	375	757	**	**
17	मिजोरम #	368	41	474	**	**
18	नागालैंड #	415	206	717	**	**
19	ओडिशा	2701	2885	2872	13	**
20	पंजाब *	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
21	राजस्थान	2970	3211	2805	406	165
22	सिक्किम	58	66	64	2	**
23	तमिलनाडु	543	524	455	69	88
24	तेलंगाना	1489	2656	2235	421	**
25	त्रिपुरा	439	43	224	**	215
26	उत्तराखंड	146	78	93	**	53
27	उत्तर प्रदेश *	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	पश्चिम बंगाल	2889	4817	4744	73	**
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	37	44	41	3	**
30	चंडीगढ़ *	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
31	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	76	102	102	0	**
32	दिल्ली *	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	जम्मू और कश्मीर	227	395	347	48	**
34	लद्दाख #	238	337	381	**	**
35	लक्षद्वीप #	11	10	10	0	1
36	पुदुचेरी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

स्रोत : ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2019–20, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नोटः एन ऐप – लागू नहीं': *राज्य / संघ राज्यक्षेत्र में कोई अलग जनजातीय क्षेत्र / जनसंख्या नहीं है

** अधिशेष

मुख्य रूप से आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार प्रति उप केंद्र एक जनजातीय क्षेत्रों1 वाले राज्य आईपीएचएस

अनुलग्नक – 4ज

जनजातीय क्षेत्रों में पीएचसी में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) एएनएम

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	(31 मार्च, 2020 तक)				
		अपेक्षित[1]	स्वीकृत	तैनात	रिक्त	कमी
		(आर1)	(एस)	(पी)	(एस–पी)	(आर1–पी)
1	आंध्र प्रदेश	158	502	449	53	**
2	अरुणाचल प्रदेश #	124	40	115	**	9
3	असम	185	189	215	**	**
4	बिहार	33	22	12	10	21
5	छत्तीसगढ़	399	442	701	**	**
6	गोवा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7	गुजरात	424	2095	1931	164	**
8	हरियाणा *	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
9	हिमाचल प्रदेश	47	5	9	**	38
10	झारखंड	175	167	228	**	**
11	कर्नाटक	65	297	204	93	**
12	केरल	150	743	691	52	**
13	मध्य प्रदेश	320	626	575	51	**
14	महाराष्ट्र	397	274	188	86	209
15	मणिपुर	44	46	111	**	**
16	मेघालय #	111	102	266	**	**
17	मिजोरम #	65	1	57	**	8
18	नागालैंड #	137	60	223	**	**
19	ओडिशा	444	344	319	25	125
20	पंजाब *	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
21	राजस्थान	197	223	195	28	2
22	सिक्किम	12	24	36	**	**
23	तमिलनाडु	94	275	240	35	**
24	तेलंगाना	202	854	727	127	**
25	त्रिपुरा	46	उपलब्ध नहीं	30	उपलब्ध नहीं	16
26	उत्तराखंड	7	3	0	3	7
27	उत्तर प्रदेश *	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	पश्चिम बंगाल	283	112	153	**	130
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	4	9	8	1	**
30	चंडीगढ़ *	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
31	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	9	28	29	**	**
32	दिल्ली *	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	जम्मू और कश्मीर	35	34	20	14	15
34	लद्दाख #	32	10	13	**	19
35	लक्षद्वीप #	4	28	28	**	**
36	पुडुचेरी *	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

स्रोत : ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी, 2019–20, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नोट्सः एन ऐप – लागू नहीं

*: राज्य / संघ राज्यक्षेत्र का कोई अलग जनजातीय क्षेत्र / जनसंख्या नहीं है

** आधिक्य।

मुख्य रूप से जनजातीय क्षेत्रों वाले राज्य

1 आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार प्रति पीएचसी एक

अनुलग्नक–4 झ

जनजातीय क्षेत्रों में पीएचसी में नर्सिंग स्टाफ

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	(31 मार्च, 2020 तक)				
		अपेक्षित[1]	स्वीकृत	तैनात	रिक्त	कमी
		(आर1)	(एस)	(पी)	(एस–पी)	(आर1–पी)
1	आंध्र प्रदेश	158	443	409	34	**
2	अरुणाचल प्रदेश #	124	72	202	**	**
3	असम	185	247	350	**	**
4	बिहार	33	60	29	31	4
5	छत्तीसगढ़	399	701	639	62	**
6	गोवा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7	गुजरात	424	837	646	191	**
8	हरियाणा *	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
9	हिमाचल प्रदेश	47	21	13	8	34
10	झारखंड	175	142	117	25	58
11	कर्नाटक	65	70	92	**	**
12	केरल	150	222	212	10	**
13	मध्य प्रदेश	320	374	213	161	107
14	महाराष्ट्र	397	274	188	86	209
15	मणिपुर	44	52	82	**	**
16	मेघालय #	111	157	357	**	**
17	मिजोरम #	65	18	227	**	**
18	नागालैंड #	137	83	199	**	**
19	ओडिशा	444	202	188	14	256
20	पंजाब *	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
21	राजस्थान	197	514	457	57	**
22	सिक्किम	12	27	35	**	**
23	तमिलनाडु	94	293	276	17	**
24	तेलंगाना	202	431	400	31	**
25	त्रिपुरा	46	6	226	**	**
26	उत्तराखंड	7	5	0	5	7
27	उत्तर प्रदेश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	पश्चिम बंगाल	283	675	564	111	**
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	4	21	18	3	**
30	चंडीगढ़ *	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
31	दादर एवं नगर हवेली दमन और दीव #	9	33	34	**	**
32	दिल्ली *	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	जम्मू और कश्मीर	35	32	25	7	10
34	लद्दाख#	32	17	21	**	11
35	लक्षद्वीप #	4	15	15	0	**
36	पुडुचेरी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

स्रोत : ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी, 2019–20

नोट: ** आधिक्य एन ऐप – लागू नहीं

*: राज्य / संघ राज्यक्षेत्र का कोई अलग जनजातीय क्षेत्र / जनसंख्या नहीं है

मुख्य रूप से जनजातीय क्षेत्रों वाले राज्य

1 आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार प्रति पीएचसी एक

अनुलग्नक–4 ञ

जनजातीय क्षेत्रों में सीएचसी में नर्सिंग स्टाफ

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	(31 मार्च, 2020 तक)				
		अपेक्षित[1] (आर1)	स्वीकृत (एस)	तैनात (पी)	रिक्त (एस–पी)	कमी (आर1–पी)
1	आंध्र प्रदेश	147	172	158	14	* *
2	अरुणाचल प्रदेश #	420	76	478	* *	* *
3	असम	224	138	277	* *	* *
4	बिहार	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5	छत्तीसगढ़	623	1017	889	128	''
6	गोवा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7	गुजरात	658	693	622	71	36
8	हरियाणा *	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
9	हिमाचल प्रदेश	56	21	24	* *	32
10	झारखंड	721	553	919	* *	* *
11	कर्नाटक	49	56	61	* *	* *
12	केरल	245	446	412	34	* *
13	मध्य प्रदेश	602	1168	1082	86	* *
14	महाराष्ट्र	448	552	467	85	* *
15	मणिपुर	42	17	47	* *	* *
16	मेघालय #	182	149	355	* *	* *
17	मिजोरम #	63	लागू नहीं	51	लागू नहीं	12
18	नागालैंड #	147	28	198	* *	* *
19	ओडिशा	938	532	740	* *	198
20	पंजाब *	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
21	राजस्थान	455	728	654	74	''
22	सिक्किम	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
23	तमिलनाडु	147	198	177	21	* *
24	तेलंगाना	133	151	145	6	* *
25	त्रिपुरा	56	10	127	* *	* *
26	उत्तराखंड	35	21	23	* *	* *
27	उत्तर प्रदेश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	पश्चिम बंगाल	735	1924	2079	* *	* *
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7	23	16	7	* *
30	चंडीगढ़ *	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
31	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	14	16	16	0	* *
32	दिल्ली *	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	जम्मू और कश्मीर	28	51	24	27	4
34	लद्दाख #	49	17	16	1	33
35	लक्षद्वीप #	21	67	65	2	* *
36	पुडुचेरी *	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

स्रोत : ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी, 2019–20

नोट: * * आधिक्य

एन ऐप – लागू नहीं

*: राज्य / संघ राज्यक्षेत्र का कोई अलग जनजातीय क्षेत्र / जनसंख्या नहीं है

मुख्य रूप से जनजातीय क्षेत्रों वाला राज्य

1 मानदंडों के अनुसार प्रति सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सात आईपीएचएस

अनुलग्नक–4 ट

जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) में डॉक्टर[2]

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	(31 मार्च, 2020 तक)				
		अपेक्षित		तैनात	रिक्त	
		(आर1)	(एस)	(पी)	(एस–पी)	
1	आंध्र प्रदेश	158	299	270	29	* *
2	अरुणाचल प्रदेश	124	58	139	* *	* *
3	असम	185	231	295	* *	* *
4	बिहार	33	38	5	33	28
5	छत्तीसगढ़	399	451	217	234	182
6	गोवा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7	गुजरात	424	603	441	162	* *
8	हरियाणा *	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
9	हिमाचल प्रदेश	47	49	39	10	8
10	झारखंड	175	182	127	55	48
11	कर्नाटक	65	71	62	9	3
12	केरल	150	243	227	16	* *
13	मध्य प्रदेश	320	365	254	111	66
14	महाराष्ट्र	397	774	616	158	* *
15	मणिपुर	44	86	151	* *	* *
16	मेघालय #	111	91	162	* *	* *
17	मिजोरम #	65	लागू नहीं	69	लागू नहीं	* *
18	नागालैंड #	137	53	118	* *	19
19	ओडिशा	444	445	484	* *	* *
20	पंजाब *	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
21	राजस्थान	197	264	230	34	* *
22	सिक्किम	12	11	13	* *	* *
23	तमिलनाडु	94	194	181	13	* *
24	तेलंगाना	202	372	277	95	* *
25	त्रिपुरा	46	4	108	* *	* *
26	उत्तराखंड	7	4	3	1	4
27	उत्तर प्रदेश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	पश्चिम बंगाल	283	389	332	57	* *
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4	8	7	1	* *
30	चंडीगढ़ *	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
31	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	9	9	9	0	0
32	दिल्ली *	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	जम्मू और कश्मीर	35	51	36	15	* *
34	लद्दाख #	32	23	10	13	22
35	लक्षद्वीप #	4	9	21	''* *	* *
36	पुडुचेरी *	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

स्रोत : ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2019–20

नोटः एनएः डेटा उपलब्ध नहीं है। ** आधिक्य। एन ऐप – लागू नहीं
*: राज्य / संघ राज्यक्षेत्र का कोई अलग जनजातीय क्षेत्र / जनसंख्या नहीं है
मुख्य रूप से जनजातीय क्षेत्रों वाले राज्य
आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक
2 एलोपैथिक डॉक्टर

अनुलग्नक – 4 ठ

2015–16 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के लिए परिचालन जोतों की संख्या का राज्यवार प्रतिशत वितरण

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	कृषि जनगणना 2015–16				
		सीमांत	छोटा	अर्द्ध–मध्यम	मध्यम	विशाल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	–	–	–	–	–
2	आंध्र प्रदेश	64.83	21.6	10.47	2.84	0.25
3	अरुणाचल प्रदेश	22.68	21.37	26.12	23.79	6.03
4	असम	60.85	21.64	13.99	3.45	0.07
5	बिहार	87.33	8.34	3.73	0.58	0.02
6	चंडीगढ़	–	–	–	–	–
7	छत्तीसगढ	47.51	25.42	18.41	7.55	1.11
8	दादरा और नगर हवेली	55.74	26.91	12.63	4.3	0.41
9	दमन और दीव	93.57	5.27	1.15	0	0
10	दिल्ली	–	–	–	–	–
11	गोवा	79.54	10.33	6.11	3.64	0.38
12	गुजरात	38.19	28.74	22.02	10.14	0.9
13	हरियाणा	–	–	–	–	–
14	हिमाचल प्रदेश	72.75	17.82	7.66	1.65	0.12
15	जम्मू और कश्मीर	81.64	12.62	4.76	0.94	0.04
16	झारखंड	62.12	17.14	12.79	6.74	1.2
17	कर्नाटक	51.46	28.81	14.33	4.82	0.58
18	केरल	89.95	6.85	2.96	0.24	0
19	लक्षद्वीप	95.83	2.64	1.3	0.22	0.01
20	मध्य प्रदेश	47	27.8	17.68	6.89	0.62
21	महाराष्ट्र	37.55	33.41	20.41	7.85	0.77
22	मणिपुर	44.71	33.92	19.36	2.01	0
23	मेघालय	52.3	26.19	17.38	4.02	0.11
24	मिजोरम	50.14	30.63	15.4	3.55	0.29
25	नगालैंड	4.14	15.16	32.25	37.55	10.91
26	ओडिशा	68.5	22.48	7.76	1.21	0.05
27	पुदुचेरी	–	–	–	–	–
28	पंजाब	–	–	–	–	–
29	राजस्थान	56.74	22.61	13.86	5.97	0.82
30	सिक्किम	55.06	18.85	18.21	7.16	0.72
31	तमिलनाडु	74.02	17.86	6.35	1.68	0.09
32	तेलंगाना	61.16	26.36	10.64	1.77	0.07
33	त्रिपुरा	75.12	16.15	7.69	1.03	0.02
34	उत्तर प्रदेश	67.09	18.75	9.34	4.26	0.56
35	उत्तराखंड	56.44	15.55	16.24	10.96	0.81
36	पश्चिम बंगाल	85.00	12.34	2.59	0.07	0.00
	अखिल भारतीय	**56.26**	**23.46**	**13.98**	**5.55**	**0.75**

स्रोतः कृषि जनगणना, 2015–16

अनुलग्नक–4ड

2018–2020 के दौरान अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के विरूद्ध अपराध / अत्याचार

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2018	2019	2020	अजजा के खिलाफ कुल अपराध दर (2020)	चार्जशीटिंग दर (2020)
राज्यः						
1	आंध्र प्रदेश	330	330	320	12.2	67.4
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0.0	–
3	असम	6	4	10	0.3	–
4	बिहार	64	97	94	7.0	96.2
5	छत्तीसगढ	388	427	502	6.4	98.7
6	गोवा	5	2	2	1.3	100.0
7	गुजरात	311	321	291	3.3	93.4
8	हरियाणा	0	1	0	–	–
9	हिमाचल प्रदेश	1	1	3	0.8	100.0
10	झारखंड	224	342	347	4.0	56.2
11	कर्नाटक	322	327	293	6.9	85.1
12	केरल	138	140	130	26.8	81.3
13	मध्य प्रदेश	1868	1922	2401	15.7	99.6
14	महाराष्ट्र	526	559	663	6.3	90.7
15	मणिपुर	1	2	2	0.2	–
16	मेघालय	0	0	0	0.0	–
17	मिजोरम	0	8	0	0.0	–
18	नागालैंड	0	0	0	0.0	–
19	ओडिशा	557	576	624	6.5	96.3
20	पंजाब	0	1	4	–	100.0
21	राजस्थान	1095	1797	1878	20.3	52.1
22	सिक्किम	1	2	0	0.0	–
23	तमिलनाडु	15	31	23	2.9	87.5
24	तेलंगाना	419	530	573	17.4	76.6
25	त्रिपुरा	0	2	2	0.2	–
26	उत्तर प्रदेश	145	36	3	0.3	50.0
27	उत्तराखंड	7	8	13	4.5	91.7
28	पश्चिम बंगाल	101	99	90	1.7	89.6
	कुल राज्य (एस)	**6524**	**7565**	**8268**	**8.1**	**82.7**
संघ राज्यक्षेत्रः						
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	3	2	7.0	75.0
30	चंडीगढ़	0	0	0	–	–
31	दादर एवं नगर हवेली दमन और दीव/	3	0	0	0.0	100.0
32	दिल्ली	0	2	1	–	100.0
33	जम्मू और कश्मीर/	0	0	0	0.0	–
34	लद्दाख /	–	–	0	0.0	–
35	लक्षद्वीप	0	0	1	1.6	–
36	पुडुचेरी	0	0	0	–	–
	कुल संघ राज्यक्षेत्र (एस)	**4**	**5**	**4**	**0.2**	**87.5**
	कुल अखिल भारतीय	**6528**	**7570**	**8272**	**7.9**	**82.7**

ध्यान दें:

जनसंख्या जनगणना 2011 (आरजीआई) के अनुसार एसटी की वास्तविक जनसंख्या।

अत्याचार गैर–अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति द्वारा अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ किए गए अपराधों को संदर्भित करता है। केवल आईपीसी के तहत मामले (एससी/एसटी अधिनियम के बिना) को बाहर रखा गया है क्योंकि उन मामलों में एससी/एसटी द्वारा एसटी के खिलाफ अपराध का उल्लेख है

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की तुलना केवल अपराध के आंकड़ों के आधार पर नहीं की जा सकती है।

+* पूर्ववर्ती दादर एवं नगर हवेली यूटी और दमन और दीव यूटी का संयुक्त डेटा

'*' लद्दाख सहित तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य का डेटा

'@' नव निर्मित संघ राज्यक्षेत्र का डेटा

*2019 के लिए संशोधित डेटा उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा 2021 में प्रस्तुत किया गया है। इसलिए, तुलनात्मक रूप से हो सकता है कि वर्ष 2019 के संबंध में एसटी के खिलाफ अपराध/अत्याचार के पुराने प्रकाशित आंकड़ों में अंतर हो

स्रोतः भारत में अपराध 2020, एनसीआरबी, गृह मंत्रालय

अनुलग्नक–4ढ

अनुसूचित जनजाति के प्राथमिकता वाले राज्य /संघ राज्यक्षेत्र–वार जिले

(लाख में जनसंख्या)

राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	≥ 50% अ.ज.जा., एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	≥ 25% तथाढ 50% अ.ज.जा., एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	<25% अ.ज.जा. वाले एलडब्ल्यूई जिले
प्राथमिकता	1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह (1) कुल 0.24	(1) निकोबार 0.24 (64.3%) 0.24	...	....
आंध्र प्रदेश (1– एलडब्ल्यूई) कुल 6.19	...	...	(1) विशाखापट्नम 6.19 (14.4%) 6.19
अरुणाचल प्रदेश (16) कुल 9.50	(1) कुरुंग कुमेय 0.91 (98.6%) (2) अपर सुबांसिरि 0.78 (93.9%) (3) पूर्वी कमेंग 0.72 (92.0%) (4) तिराप 0.98 (87.9%) (5) लोअर सुबांसिरि 0.73 (87.8%) (6) पश्चिमी सियांग 0.93 (82.6%) (7) अपर सियांग 0.28 (80.6%) (8) अजांव 0.16 (77.7%) (9) दिबांग घाटी 0.06 (71.2%) (10) पूर्वी सियांग 0.70 (70.5%) (11)तवांग 0.35 (69.7%) (12) पापुम परे 1.17 (66.4%) (13) पश्चिमी कमेंग 0.46 (55.2%) 8.23	(1) लोअर दिबांग घाटी 0.26 (48.0%) (2) चांगलांग 0.54 (36.3%) (3) लोहित 0.47 (32.5%) 1.27	...
असम (7) कुल 20.73	(1) दीमा हसाव 1.52 (70.9%) (2) कारबी आंगलोंग 5.39 (56.3%) 6.91	(1) धीमाजी 3.26 (47.4%) (2) चिरांग 1.79 (37.1%) (3) बक्सा 3.31 (34.8%) (4) उदालगुड़ी 2.67 (32.1%) (5) कोकराझार 2.79 (31.4%) 13.82	...
बिहार (6 एलडब्ल्यूई) कुल 1.81	....	....	(1) जमुई 0.79 (4.5%) (2) बांका 0.9 (4.4%), (3) मुज्जफरपुर 0.06 (0.12%) (4) नवादा 0.02 (0.09%) (5) गया 0.03 (0.07%) (6) औरंगाबाद 0.01 (0.04%) 1.81

राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	≥ 50% अ.ज.जा., एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	≥ 25% तथाढ 50% अ.ज.जा., एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	<25% अ.ज.जा. वाले एलडब्ल्यूई जिले
प्राथमिकता	1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)
छत्तीसगढ़ (11 + 8 एलडब्ल्यूई) **कुल 65.72**	(1) सुकमा (एल) 2.09 (83.5%) (2) बिजापुर (एल) 2.04 (80.0%) (3) नारायणपुर (एल) 1.08 (77.4%) (4) दंतेवाड़ा (एल) 2.01 (71.1%) (5) कोंडागांव (एल) 4.11 (71.0%) (6) बलरामपुर 4.59 (62.8%) (7) बस्तर (एल) 5.21 (62.4%) (8) जशपुर 5.30 (62.3%) (9) सरगुजा 4.82 (57.4%) (10) कांकेर (एल) 4.15 (55.4%) **35.4**	(1) कोरिया 3.04 (46.2%) (2) सुरजपुर 3.60 (45.6%) (3) कोरबा 4.94 (40.9%) (4) गरियाबंद 2.16 (36.1%) (5) रायगढ़ 5.06 (33.8%) (6) बलोद 2.59 (31.4%) (7) महासमुंद 2.80 (27.1%) (8) राजनंदगांव (एल) 4.05(26.4%) (9) धमतरी 2.08 (26.0%) **30.32**	....
दादर एवं नागर हवेली (1) **कुल 1.79**	**(1) दादर एवं नागर हवेली 1.79 (52.0%)** **1.79**	....	....
गुजरात (10) **कुल 65.7**	(1) डांगस 2.16 (94.7%) (2) तापी 6.79 (84.2%) (3) नर्मदा 4.81 (81.6%) (4) छोटा उदयपुर 8.57 (79.9%) (5) दाहोद 15.81 (74.3%) (6) वलसाड 9.03 (52.9%) **47.17**	(1) नवसारी 6.40 (48.1%) (2) भरुच 4.88 (31.5%) (3) महिसागर 2.85 (31.2%) (4) पंचमहल 4.40 (25.5%) **18.53**	....
हिमाचल प्रदेश (3) **कुल 2.11**	(1) लाहुल तथा स्पिति 0.26 (81.4%) (2) किन्नौर 0.49 (58.0%) **0.75**	(1) चम्बा 1.36 (26.1%) **1.36**	....
जम्मू एवं कश्मीर (5) **कुल 7.15**	(1) कारगिल 1.22 (86.9%) (2) लेह (लद्दाक) 0.96 (71.8%) **2.18**	(1) पुंछ 1.76 (36.9%) (2) राजौरी 2.33 (36.2%) (3) रियासी 0.88 (28.1%) **4.97**	

राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	≥ 50% अ.ज.जा., एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	≥ 25% तथाढ 50% अ.ज.जा., एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	<25% अ.ज.जा. वाले एलडब्ल्यूई जिले
प्राथमिकता	1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)
झारखण्ड (4 + 16 एलईडब्ल्य)	(1) खुंटी (एल) 3.90 (73.3%) (2) सिमडेगा(एल) 4.24 (70.8%) (3) गुमला(एल) 7.07 (68.9%) (4) पश्चिमी सिंहभूम (एल) 10.11 (67.3%) (5) लोहारदगा (एल) 2.63 (56.9%)	(1) लातेहर(एल) 3.31 (45.5%) (2) दुमका(एल) 5.71 (43.2%) (3) पाकुर 3.79 (42.1%) (4) रांची(एल) 10.42 (35.8%) (5) सरायकेला–खरसांवा 3.75 (35.2%) (6) जामतारा 2.40 (30.4%) (7) पूर्वी सिंहभूम(एल) 6.54 (28.5%) (8) साहिबगंज 3.08 (26.8%)	(1) रामगढ़ 2.01 (21.2%) (2) गढ़वा 2.06 (15.6%) (3) बोकारो 2.56 (12.4%) (4) गिरिडीह 2.38 (9.7%) (5) पलामु 1.81 (9.3%) (6) हजारीबाग 1.22 (7.02%) (7) छतरा 0.46 (4.4%)
कुल 79.45	27.95	39	12.5
लक्षद्वीप (1)	(1) लक्षद्वीप 0.61 (94.8%)	....	....
कुल 0.61	0.61		
मध्य प्रदेश (19)	(1) अलीराजपुर 6.49 (89.0%) (2) झाबुआ 8.92 (87.0%) (3) बरवानी 9.62 (69.4%) (4) डिंडोरी 4.56 (64.7%) (5) मांडला 6.11 (57.9%) (6) धार 12.23 (55.9%)	(1) अनुपपुर 3.59 (47.9%) (2) उमरिया 3.01 (46.6%) (3) शहडौल 4.76 (44.7%) (4) बेतुल 6.67 (42.3%) (5) खरगांव (पश्चिम निमार) 7.30 (39.0%) (6) सियोनी 5.20 (37.7%) (7) छिंदवाड़ा 7.70 (36.8%) (8) खंडवा (पूर्वी निमार) 4.59 (35.1%) (9) सिंसरौली 3.84 (32.6%) (10) बुरहानपुर 2.30 (30.4%) (11) रतलाम 4.10 (28.2%) (12) हरदा 1.60 28.0%) (13) सिधि 3.13 (27.8%)	....
कुल 105.72	47.93	57.79	
महाराष्ट्र 4 + 1 एलडब्ल्यूई)	(1) नन्दूरबार 11.42 (69.3%)	(1) गढ़चिरोली(एल) 4.15 (38.7%) (2) पालघर 11.18 (37.4%) (3) धुले 6.47 (31.6%) (4) नासिक 15.64 (25.6%)	....
कुल 48.86	11.42	37.44	

राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	≥ 50% अ.ज.जा., एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	≥ 25% तथाढ 50% अ.ज.जा., एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	<25% अ.ज.जा. वाले एलडब्ल्यूई जिले
प्राथमिकता	1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)
मणिपुर (5)	(1) तामेंगलोंग 1.35 (95.7%) (2) उखरुल 1.74 (94.4%) (3) चुराचांदपुर 2.55 (92.9%) (4) चांदेल 1.28 (89.0%) (5) सेनापति 4.19 (87.5%)	....	....
कुल 11.11	**11.11**		
मेघालय (7)	(1) पश्चिमी खासी हिल 3.75 (97.8%) (2) पूर्वी गारों हिल्स 3.05 (96.0%) (3) जैन्तिया हिल्स 3.76 (95.2%) (4) दक्षिणी गारो हिल्स 1.34 (94.3%) (5) रिभोई 2.30 (88.9%) (6) पूर्वी खासी हिल्स 6.61 (80.1%) (7) पश्चिमी गारो हिल्स 4.74 (73.7%)	....	....
कुल 25.55	**25.55**		
मिजोरम (8)	(1) चंफाई 1.23 (98.2%) (2) शेरिछप 0.63 (96.8%) (3) सैहा 0.55 (96.6%) (4) लवांगत्लाई 1.12 (95.3%) (5) लुंगलेई 1.54 (95.1%) (6) ममिट 0.82 (95.0%) (7) आइजोल 3.74 (93.3%) (8) कोलासिब 0.74 (87.7%)	....	....
कुल 10.37	**10.37**		
नागालैंड (11)	(1) त्वेनसांग 1.91 (97.1%) (2) जुन्हेबोटा 1.37 (97.0%) (3) किफिरे 0.71 (96.5%) (4) लोंगलोंग 0.49 (96.3%) (5) फेक 1.57 (96.2%) (6) मोन 2.38 (95.2%) (7) वोखा 1.57 (94.2%) (8) मोकोक्चुंग 1.78 (91.7%) (9) पेरेन 0.84 (88.5%) (10) कोहिमा 2.25 (83.9%) (11) दीमापुर 2.24 (59.1%)	....	....
कुल 17.11	**17.11**		
ओडिशा (12 + 2 एलडब्ल्यूई)	(1) मयूरभंज 14.80 (58.7%) (2) मलकानगिरी(एल) 3.55 (57.8%) (3) रायगढ़ 5.42 (56.0%) (4) नबरंगपुर 6.81 (55.8%) (5) गजापटी 3.14 (54.3%) (6) कंधमल 3.93 (53.6%) (7) सुंदरगढ़ 10.62 (50.8%) (8) कोरापुट(एल) 6.98 (50.6%)	(1) केंदुजहर 8.19 (45.5%) (2) देवगढ़ 1.10 (35.3%) (3) संबलपुर 3.55 (34.1%) (4) नौपाडा 2.06 (33.8%) (5) झारसुगुडा 1.77 (30.5%) (6) कालाहांडी 4.49 (28.5%)	....
कुल 76.41	**55.25**	**21.16**	

राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	≥ 50% अ.ज.जा., एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	≥ 25% तथाढ 50% अ.ज.जा., एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	<25% अ.ज.जा. वाले एलडब्ल्यूई जिले
प्राथमिकता	**1**	**2**	**3**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
राजस्थान (6) **कुल 51.56**	(1) बांसवाड़ा 13.73 (76.4%) (2) डुंगरपुर 9.83 (70.8%) (3) प्रतापगढ़ 5.50 (63.4%) **29ण06**	(1) उदयपुर 15.25 (49.7%) (2) सिरोही 2.92 (28.2%) (3) दौसा 4.33 (26.5%) **22ण5**	....
सिक्किम (4) **कुल 2.06**	(1) उत्तरी जिला 0.29 (65.7%) **0.29**	(1) पश्चिमी जिला 0.58 (42.4%) (2) दक्षिणीजिला 0.41 (28.2%) (3) पूर्वी जिला 0.78 (27.7%) **1.77**	....
तेलंगाना (1 + एलडब्ल्यूई) **कुल 6.57**	....	(1) खम्माम(एल) 6.57 (25.2%) **6.57**	....
त्रिपुरा (5) **कुल 8.10**	(1) धलाई 2.11 (55.7%) **2.11**	(1) गोमती 1.89 (42.7%) (2) खोवाई 1.40 (42.6%) (3) दक्षिणी त्रिपुरा 1.53(35.5%) (4) उत्तरी त्रिपुरा 1.17 (28.1%) **5.99**	....
पश्चिम बंगाल (2) **कुल 6.33**	...	(1) दार्जिलिंग 2.51 (28.7%) (2) अलीपुरद्वार3.82 (26.8%) **6.33**	....
कुल: 177 **(142 + एलडब्ल्यूई 35)**	**(80 + एलडब्ल्यूई 14)**	**(62 + एलडब्ल्यूई 7)**	**14 एलडब्ल्यूई**
कुल: 630.75	**341.43**	**268.82**	**20.5**

एलडब्ल्यूईः वामपंथ उग्रवाद (प्रभावित जिले)

अनुलग्नक– 4ण

अनुसूचित जनजाति के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार प्रमुख समुदाय : जनगणना 2011

क्र.सं.	राज्य, अ.ज.जा.समुदाय	अ.ज.जा. जनसंख्या	राज्य की अ.ज.जा. जनसंख्या	
1	**आंध्र प्रदेश**			
	1. येनादिस चेल्ला येनादी, कपाला येनादी, मंची येनादी, रेड्डी येनादी	5.34	20.3	%
	2. येरुकुलस, कोराचा, डब्बायेरुकुला, कुंचपुरीयेरुकुला, उप्पुयेरुकुला	3.75	14.3	%
	3. सुगालिस, लम्बादिस, बंजारा	3.62	13.7	%
	4. कोन्डा धोरस, कुबी	2.11	8.0	%
	5. सावरस, कापूसावरस, मालियासावरस, खुट्टोसावरस	1.38	5.2	%
	6. बगता	1.33	5.0	%
	अ.ज.जा.(6)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**17.51**	**66.6**	**%**
	चिह्नित (28) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	8.05	30.6	%
	अन्य अ.ज.जा. (< 5% जनसंख्या)	0.74	2.8	%
	कुल :	**26.31**	**100**	**%**
2	**बिहार**			
	1. संथाल	4.06	30.4	%
	2. गोंड	2.57	19.2	%
	3. थारू	1.60	12.0	%
	4. उरांव धनगर (उरांव)	1.44	10.8	%
	5. खारवार	1.26	9.4	%
	अ.ज.जा.(5)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**10.93**	**81.8**	**%**
	चिह्नित (27) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.27	9.5	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.17	8.8	%
	कुल :	**13.37**	**100**	**%**
3	**छत्तीसगढ़**			

क्र.सं.	राज्य, अ.ज.जा.समुदाय	अ.ज.जा. जनसंख्या	राज्य की अ.ज.जा. जनसंख्या	
	1. गोंड, अराख, अगारिया, असुर,भटोला,भीम्मा, भूटा/भूटी , भार, मारिया.,धुरू, धुर्वा,धोबा, धूलिया,डोरला,गायकी, गट्टा, कन्दरा, कलंगा, खटोला, कोयतार, कोया,खिरवार, माना, मान्नेवर, मोघिया, मोंघिया, मूडिया, नगारची, नागवंशी, ओझा, राज, सोनझारी, झरेका, थाटिया, थोटिया, दरोई	42.98	54.9	%
	2. कवर, कनवर, चेरवा, राठिया, तंवर, चत्री	8.87	11.3	%
	3. ओरांव, ढांका, धनगढ़	7.49	9.6	%
	अ.ज.जा.(3)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**59.35**	**75.9**	**%**
	चिह्नित (39) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	18.56	23.7	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.32	0.4	%
	कुल :	**78.23**	**100**	**%**
4	**गोवा**			
	1. गवडा	1.07	71.5	%
	2. वेलिप	0.32	21.5	%
	अ.ज.जा.(2)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**1.39**	**92.9**	**%**
	चिह्नित (6) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.06	3.7	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.05	3.4	%
	कुल :	**1.49**	**100**	**%**
5	**गुजरात**			
	1. भील, भील गरासिया, ढोली भील, डूंगरी भील, डूंगरीगरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तड़वी भील, भगालिया, भिलाला, पावरा, वसावा	42.16	47.3	%
	2. धूबला, तालविया, हालपटी	6.43	7.2	%
	3. राठवा	6.42	7.2	%
	4. धोडिया, धोडी	6.36	7.1	%
	5. नायकदा, नायका	4.60	5.2	%
	अ.ज.जा.(5)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**65.97**	**74.0**	**%**
	चिह्नित (24) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	21.10	23.7	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	2.11	2.4	%
	कुल :	**89.17**	**100**	**%**

क्र.सं.	राज्य, अ.ज.जा.समुदाय	अ.ज.जा. जनसंख्या	राज्य की अ.ज.जा. जनसंख्या	
6	**हिमाचल प्रदेश**			
	1. गद्दी	1.78	45.4	%
	2. गुज्जर	0.93	23.6	%
	3. कनौरा, किन्नरा	0.51	13.0	%
	4. भोत, बोध	0.27	6.9	%
	अ.ज.जा.(4)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**3.49**	**89.0**	**%**
	चिह्नित (6) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.33	8.3	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.11	2.7	%
	कुल :	**3.92**	**100**	**%**
7	**जम्मू और कश्मीर**			
	1. गुज्जर	9.81	65.7	%
	2. बकरवाल	1.13	7.6	%
	3. बोत, बोतो	0.91	6.1	%
	अ.ज.जा.(3)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**11.85**	**79.4**	**%**
	चिह्नित (9) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.96	13.1	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.12	7.5	%
	कुल :	**14.93**	**100**	**%**
8	**झारखंड**			
	1. संथाल	27.55	31.9	
	2. ओरांव, धनगर (उरांव)	17.17	19.9	
	3. मुंडा, पतर	12.29	14.2	
	4. हो	9.28	10.7	
	अ.ज.जा.(4)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**66.29**	**76.7**	
	चिह्नित (28) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	18.42	21.3	
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.74	2.0	
	कुल :	**86.45**	**100**	
9	**कर्नाटक**			

क्र.सं.	राज्य, अ.ज.जा.समुदाय	अ.ज.जा. जनसंख्या	राज्य की अ.ज.जा. जनसंख्या	
	1. नायकडा, नायका, चोलीवाला नायका, कपाड़िया नायका, मोटानायका, नाना नायका, नायक, नायक, बेदा, बेदार और वाल्मीकि	32.96	77.6	%
	अ.ज.जा.(1)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**32.96**	**77.6**	**%**
	चिह्नित (49) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	6.41	15.1	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	3.12	7.3	%
	कुल :	**42.49**	**100**	**%**
10	**केरल**			
	1. पनियान	0.88	18.2	%
	2. कुरिच्चान, कुरिचियान	0.35	7.3	%
	3. मलाई अरायान, माला अरायान	0.33	6.9	%
	4. माविलान	0.31	6.4	%
	5. कुरुमांस मुल्लू कुरुमन, मुल्ला कुरुमन, माला कुरुमन	0.25	5.1	%
	अ.ज.जा.(5)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**2.12**	**43.8**	**%**
	चिह्नित (31) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	2.10	43.4	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.62	12.9	%
	कुल :	**4.85**	**100**	**%**
11	**मध्य प्रदेश**			
	1. भील, भिलाला, बरेला, पटेलिया	59.94	39.1	%
	2. गोंड, अरख, अर्रख, अगरिया, असुर, बड़ी मारिया, बड़ा मारिया, भटोला, भिम्मा, भूटा, कोइलाभुता, कोलियाभूति, भर, बाइसनहॉर्न मारिया, छोटा मारिया, दंडमी मारिया, धुरु, धुर्वा, धोबा, धूलिया, डोरला, गैकी, गट्टा, गट्टी, गैता, गोंडगोवारी, हिल मारिया, कांद्रा, कलंगा, खटोला, कोइतार, कोया, खिरवार, खिरवाड़ा, कुचा मारिया, कुचाकी मारिया, मादिया, मारिया, माना, मान्नेवर, मोघिया, मोंग्या, मुदिया, मूडिया, नगारची, नागवंशी, ओझा, राज,सोनझारी,झरेका, थाटिया,थोटिया, वडे मारिया, दरोई	50.93	33.3	%
	3. कोल	11.68	7.6	%
	अ.ज.जा.(3)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**122.55**	**80.0**	**%**
	चिह्नित (40) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	27.98	18.3	%

क्र.सं.	राज्य, अ.ज.जा.समुदाय	अ.ज.जा. जनसंख्या	राज्य की अ.ज.जा. जनसंख्या	
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	2.64	1.7	%
	कुल :	**153.17**	**100**	**%**
12	**महाराष्ट्र**			
	1. भील, भील गरासिया, ढोली भील, डूंगरी भील, डूंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तड़वी भील, भागलिया, भिलाला, पवारा, वसावा, वसावे	25.89	24.6	%
	2. गोंड, राजगोंड, अरख, अरख, अगरिया, असुर, बडी मरिया, बड़ा मरिया, भटोला, भीम, भूटा, कोइलाभूता, कोइलाभूति, भर, बाइसनहॉर्न मारिया, छोटामारिया, दंडमीरिया, धुरु, धुरवा, धोबा, धूलिया, दोरला, गट्टी, गट्टी, गट्टी ,गीता, गोंडगोवारी, हिल मारिया, कांद्रा, कलंगा, खटोला, कोइतार, कोया, खिरवार, खिरवाड़ा, कुचा मारिया, कुचाकीमारिया, माडिया, मारिया, माना, मन्नेवर, मोघ्या, मोगिया, मोंग्या, मुदिया, मुरिया, नागरची, नायकपोड, नागवंशी , ओझा, राज, सोनझारी झरेका, ठटिया, थोटिया, वेड मारिया, वडे मारिया	16.18	15.4	%
	3. कोली महादेव, डोंगरकोली	14.60	13.9	%
	4. वर्ली	7.96	7.6	%
	5. कोकना, कोकनी, कुकना	6.87	6.5	%
	6. ठाकुर, ठाकर, का ठाकुर, कथाकार, मा ठाकुर, मा ठाकरी	5.68	5.4	%
	अ.ज.जा.(6)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**77.18**	**73.4**	**%**
	चिह्नित (39) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	26.17	24.9	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.76	1.7	%
	कुल :	**105.10**	**100**	**%**
13	**ओडिशा**			
	1. खोंड, कोंड, कंधा, नंगुली कांधा, सीता कांधा, कोंध, कुई, बुडा कोंध, बुरा कांधा, देसिया कांधा, डूंगरिया कोंध, कुटिया कांधा, कंधा गौड़ा, मुलीकोंड, मलुआ कोंध, पेंगो कांधा, राजा कोंध, राज खोंड	16.27	17.0	%
	2. संथाल	8.95	9.3	%
	3. गोंड, गोंडो, राजगोंड, मारिया गोंड, धुरगोंडो	8.89	9.3	%
	4. कोल्हा	6.25	6.5	%
	5. मुंडा, मुंडालोहारा, मुंडामहलिस, नागबंशी मुंडा, उड़िया मुंडा	5.59	5.8	%

क्र.सं.	राज्य, अ.ज.जा.समुदाय	अ.ज.जा. जनसंख्या	राज्य की अ.ज.जा. जनसंख्या	
	6. साओरा, सावर, सौरा, सहारा, अर्सीसौरा, आधारित साओरा, भीमासौरा, भीम्मासौरा, चुमुरासौरा, जरासावर, जादूसौरा, जातिसौरा, जुआरीसौरा, कम्पूसौरा, कम्पासौरा, कपोसाओरा, किंडलसौरा, कुम्बी कंचेरसाओरा, कालापिठियासाओरा, लंजियासाओरा, लांजीसाओरा, लंजीसाओरा , मालियासौरा, मल्लासौरा, उरियासौरा, राइकासौरा, सुड्डासाओरा, सारदासौरा, टंकालासाओरा, पात्रोसोरा, वेसुसाओरा	5.35	5.6	%
	7. शबार, लोधा	5.16	5.4	%
	अ.ज.जा.(7)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**56.46**	**58.9**	**%**
	चिह्नित (55) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	38.19	39.8	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.26	1.3	%
	कुल :	**95.91**	**100**	**%**
14	**राजस्थान**			
	1. मीना	43.46	47.0	%
	2. भील, भील गरासिया, ढोली भील, डूंगरी भील, डूंगरीगरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तड़वी भील, भगलिया, भिलाला, पवारा, वसावा, वसावा	42.00	45.5	%
	अ.ज.जा.(2)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**85.56**	**92.5**	**%**
	चिह्नित (9) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	6.25	6.9	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.58	0.6	%
	कुल :	**92.39**	**100**	**%**
15	**सिक्किम**			
	1. भूटिया (चुंबिपा, दोप्थापा, दुक्पा, कागाटे, शेरपा, तिब्बती, ट्रोमोपा, योल्मो सहित)	0.70	33.7	%
	2. लिम्बू	0.54	26.0	%
	3. लेप्चा	0.43	20.8	%
	4. तमांग	0.38	18.3	%
	अ.ज.जा.(4)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**2.04**	**98.8**	**%**
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.02	1.2	%
	कुल :	**2.06**	**100**	**%**
16	**तमिलनाडु**			

क्र.सं.	राज्य, अ.ज.जा.समुदाय	अ.ज.जा. जनसंख्या	राज्य की अ.ज.जा. जनसंख्या	
	1. मलयाली	3.58	45.0	%
	2. इरुलार	1.90	23.9	%
	3. कट्टूनायकन	0.47	5.9	%
	अ.ज.जा.(3)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**5.94**	**74.8**	**%**
	चिह्नित (33) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.46	18.3	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.55	6.9	%
	कुल :	**7.95**	**100**	**%**
17	**तेलंगाना**			
	1. मलयाली	3.58	45.0	%
	2. इरुलार	1.90	23.9	%
	3. कट्टूनायकन	0.47	5.9	%
	अ.ज.जा.(3)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**5.94**	**74.8**	**%**
	चिह्नित (33) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.46	18.3	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.55	6.9	%
	कुल :	**7.95**	**100**	**%**
18	**उत्तर प्रदेश**			
	1. गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पथरी, राज गोंड (मेहराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जोनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में)	5.69	50.2	%
	2. खरवार, खैरवार (देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र जिलों में)	1.61	14.2	%
	3. थारु	1.05	9.3	%
	4. सहरिया (जिले ललितपुर में)	0.71	6.2	%
	अ.ज.जा.(4)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**9.06**	**79.8**	**%**
	चिह्नित (11) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.46	12.9	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.83	7.3	%
	कुल :	**11.34**	**100**	**%**
19	**उत्तराखंड**			

क्र.सं.	राज्य, अ.ज.जा.समुदाय	अ.ज.जा. जनसंख्या	राज्य की अ.ज.जा. जनसंख्या	
	1. थारु	0.91	31.3	%
	2. जानसारी	0.89	30.4	%
	3. बुक्सा	0.54	18.5	%
	4. भोटिया	0.39	13.4	%
	अ.ज.जा.(4)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**2.73**	**93.6**	**%**
	चिह्नित (1) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.01	0.2	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.18	6.2	%
	कुल :	**2.92**	**100**	**%**
20	**पश्चिम बंगाल**			
	1. संथाल	25.12	47.4	%
	2. ओरांव	6.44	12.1	%
	3. भूमिज	3.76	7.1	%
	4. मुंडा	3.66	6.9	%
	अ.ज.जा.(4)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**38.99**	**73.6**	**%**
	चिह्नित (36) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	11.57	21.8	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	2.41	4.6	%
	कुल :	**52.97**	**100**	**%**
	पूर्वोत्तर राज्य			
21	**अरुणाचल प्रदेश**			
	1. न्यईशी	2.50	26.2	%
	2. गलोंग	0.79	8.3	%
	3. अदी	0.68	7.1	%
	4. तगिन	0.63	6.6	%
	5. वांचो	0.57	6.0	%
	अ.ज.जा.(5)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**5.17**	**54.3**	**%**
	चिह्नित (99) अ.ज.जा. (< 5% जनसंख्या)	4.32	45.4	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.03	0.3	%
	कुल :	**9.52**	**100**	**%**

क्र.सं.	राज्य, अ.ज.जा.समुदाय	अ.ज.जा. जनसंख्या	राज्य की अ.ज.जा. जनसंख्या	
22	**असम**			
	1. बोरो, बोरोकचारी	13.62	35.1	%
	2. मिरि	6.80	17.5	%
	3. कार्बी	4.30	11.1	%
	4. राभा	2.96	7.6	%
	5. कचारी, सोनोवाल	2.53	6.5	%
	अ.ज.जा.(5)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**30.22**	**77.8**	**%**
	चिह्नित (24) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	6.83	17.6	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.79	4.6	%
	कुल :	**38.84**	**100**	**%**
23	**मणिपुर**			
	1. थाडोऊ	2.16	18.5	%
	2. थंगखुल	1.79	15.3	%
	3. पौमाई नागा	1.27	10.9	%
	4. काबुई	1.04	8.9	%
	5. माओ	0.93	8.0	%
	6. कच्चा नागा	0.66	5.7	%
	अ.ज.जा.(6)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**7.85**	**67.3**	**%**
	चिह्नित (27) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	3.61	31.0	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.21	1.8	%
	कुल :	**11.67**	**100**	**%**
24	**मेघालय**			
	1. खासी, जयंतिया, सैन्तेंग, प्नार, वार, भोइ, लिग्यंम	14.12	55.2	%
	2. गारो	8.21	32.1	%
	अ.ज.जा.(2)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**22.33**	**87.4**	**%**
	चिह्नित (15) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.49	5.8	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.74	6.8	%
	कुल :	**25.56**	**100**	**%**

क्र.सं.	राज्य, अ.ज.जा.समुदाय	अ.ज.जा. जनसंख्या	राज्य की अ.ज.जा. जनसंख्या	
25	**मिजोरम**			
	1. कोई मिजो (लुसाई) जनजातियां	7.35	70.9	%
	2. चकमा	0.97	9.4	%
	3. पावी	0.51	5.0	%
	अ.ज.जा.(3)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**8.83**	**85.2**	**%**
	चिह्नित (12) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.45	14.0	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.07	0.7	%
	कुल :	**10.36**	**100**	**%**
26	**नागालैंड**			
	1. नागा	16.68	97.5	%
	अ.ज.जा.(1)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**16.68**	**97.5**	**%**
	चिह्नित (4) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.34	2.0	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.09	0.5	%
	कुल :	**17.11**	**100**	**%**
27	**त्रिपुरा**			
	1. त्रिपुरा, त्रिपुरी, टिप्पेरा	5.92	50.8	%
	2. रियांग	1.88	16.1	%
	3. जमातिया	0.83	7.1	%
	4. चकमा	0.80	6.8	%
	अ.ज.जा.(4)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**9.44**	**80.9**	**%**
	चिह्नित (15) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.75	15.0	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.48	4.1	%
	कुल :	**11.67**	**100**	**%**
	संघ राज्यक्षेत्र			
28	**अंडमान निकोबार द्वीप समूह**			
	1. निकोबारी	0.27	95.2	%
	अ.ज.जा.(1)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**0.27**	**95.2**	**%**
	चिह्नित (5) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.01	2.7	%

क्र.सं.	राज्य, अ.ज.जा.समुदाय	अ.ज.जा. जनसंख्या	राज्य की अ.ज.जा. जनसंख्या	
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.01	2.1	%
	कुल :	**0.29**	**100**	**%**
29	**दादर और नगर हवेली**			
	1. वर्ली	1.12	62.8	%
	2. कोकना	0.28	15.6	%
	3. धोडिया	0.24	13.6	%
	अ.ज.जा.(3)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**1.64**	**91.9**	**%**
	चिह्नित (4) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.06	3.3	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.08	4.8	%
	कुल :	**1.79**	**100**	**%**
30	**दमन और द्वीव**			
	1. दुबला (हालपाति)	0.11	72.2	%
	2. धोडिया	0.02	15.2	%
	3. वर्ली	0.01	9.0	%
	अ.ज.जा.(3)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**0.15**	**96.5**	**%**
	चिह्नित (2) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.00	1.3	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.00	2.3	%
	कुल :	**0.15**	**100**	**%**
31	**लक्षद्वीप**			
	1. सभी अनुसूचित जनजाति	0.61	99.99	%
	कुलः	**0.61**	**100**	**%**

टिप्पणः

(1) 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) हैं। इनमें से ≥ 5% जनसंख्या वाले पीवीटीजी अलग से दर्शाएं गए हैं।

(2) जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा, पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा चंडीगढ़ और पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्रों में कोई अ.ज.जा. अधिसूचित नहीं है।

* () में दिये गये आंकड़े अजजा समुदाय की संख्या दर्शाते हैं

** जम्मू और कश्मीर राज्य का – जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रों के रूप में
विभाजित होने से पूर्व

स्रोत : जनगणना 2011 के आंकडें, आरजीआई के कार्यालय की वेबसाइट

अनुलग्नक– 5 क

राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने के आदेश/संशोधन

क्र.सं.	आदेश का नाम	अधिसूचना की तिथि	राज्य/संघ राज्यों के नाम जिन पर लागू है (यथा संशोधित)
1.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 (सी.ओ.22)	06.9.1950	आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, करेल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल।
2.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 (सी.ओ.33)	20.9.1951	दमन व दीव, लक्षद्वीप
3.	आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम, 1953	14.9.1953	आंध्र प्रदेश
4.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनयम, 1956 (1956 की अधिनियम संख्या 63)	25.9.1956	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, मध्य भारत, मैसूर, राजस्थान, सौराष्ट्र, ट्रावनकोर, कोचिन, अजमेर, भोपाल, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा तथा विंध्य प्रदेश
5.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन) आदेश, 1956	29.10.1956	आंध्र पदेश, असम, बिहार, बम्बई, केरल, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरातथा लक्कादीव, मिनीकोय तथा अमिनदीवी द्वीप समूह
6.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन) आदेश, 1956 के शुद्धिपत्र	28.1.1957	मध्य प्रदेश

क्र.सं.	आदेश का नाम	अधिसूचना की तिथि	राज्य/संघ राज्यों के नाम जिन पर लागू है (यथा संशोधित)
7.	संविधान (अंडमान व निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959 (सी.ओ.58)	31.3.1959	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह
8.	बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960की संख्या 11)	25.4.1960	महाराष्ट्र तथा गुजरात
9.	संविधान (दादर व नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962 (सी.ओ.65)	30.6.1962	दादर व नगर हवेली
10.	संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967 (सी.ओ.78)	24.6.1967	उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड
11.	संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति, 1968	12.1.1968	गोवा, दमन और दीव
12.	संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970 (सी.ओ.88)	23.7.1970	नागालैण्ड
13.	हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970	06.01.1971	हिमाचल प्रदेश
14.	पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) आदेश, 1971	30.12.1971	असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश
15.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 की संख्या 108)	18.9.1976	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
16.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976के शुद्धिपत्र	03.2.1977	महाराष्ट्र

क्र.सं.	आदेश का नाम	अधिसूचना की तिथि	राज्य/संघ राज्यों के नाम जिन पर लागू है (यथा संशोधित)
17.	संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978 (सी.ओ.111)	22.6.1978	सिक्किम
18.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1987 (1987 की संख्या 43)	09.12.1987	मेघालय
19.	संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989 (सी.ओ.142)	07.10.1989	जम्मू और कश्मीर
20.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991 (1991 की संख्या 36)	20.8.1991	जम्मू और कश्मीर
21.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1991 (1991 की संख्या 39)	17.9.1991	कर्नाटक
22.	मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 की संख्या 28)	25.8.2000	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़
23.	उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 की संख्या 29)	25.8.2000	उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
24.	बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 की संख्या 30)	25.8.2000	बिहार
25.	संविधान (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2002 की संख्या 32)	03.6.2002	गुजरात

क्र.सं.	आदेश का नाम	अधिसूचना की तिथि	राज्य/संघ राज्यों के नाम जिन पर लागू है (यथा संशोधित)
26.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2003 की संख्या 10)	07.1.2003	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा सिक्किम
27.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 की संख्या 47)	19.9.2003	असम
28.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 की संख्या 48)	12.12.2006	बिहार
29.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 की संख्या 14)	01.4.2008	अरूणाचल प्रदेश
30.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्यक्षेत्र) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2009 की संख्या 2)	07.1.2009	लक्षद्वीप
31.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2012 की संख्या 2)	08.1.2012	मणिपुर, अरूणाचल प्रदेश
32.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 की संख्या 24)	31.5.2012	कर्नाटक
33.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2013 (2013 की संख्या 24)	18.9.2013	केरल तथा छत्तीसगढ़

क्र.सं.	आदेश का नाम	अधिसूचना की तिथि	राज्य/संघ राज्यों के नाम जिन पर लागू है (यथा संशोधित)
34.	आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 की संख्या 6)	1.3.2014	आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना
35.	संविधान (पुदुचेरी) अनुसूचित जनजाति आदेश, 2016	22.12.2016	पुदुचेरी
36.	जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 की संख्या 34)	9.8.2019	जम्मू और कश्मीर, लद्दाख
37.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 की संख्या 4)	19.3.2020	कर्नाटक
38.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 की संख्या 32)	13.08.2021	अरुणाचल प्रदेश

विशेष ध्यान दीजिए: हरियाणा तथा पंजाब राज्यों और चंडीगढ़ तथा दिल्ली संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में किसी समुदाय को निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

अनुलग्नक– 5 ख

भारत में अनुसूचित जनजातियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार सूची

आंध्र प्रदेश

1. अंध, साधु अन्ध
2. बगता
3. भील
4. चेंचू
5. गदाबास, बोडो गडाबा, गुतोब गडाबा, कालायी गडाबा, परांगी गडाबा, कठेरा गडाबा, कापु गडाबा
6. गोंड, नाइकपोड़, राजगोंड, कोईतुर
7. गौडु (एजेन्सी क्षेत्रों में)
8. पहाड़ी रेड्डी
9. जातपुस
10. कम्मारा
11. कट्टूनायकन
12. कोलम, कोलवर
13. कोन्डा धोरस, कुबी
14. कोन्डा कापुस
15. कोन्डारेड्डी
16. कोन्ध, कोडी, कोधु, देसाया कोंध, डोंगरिया कोन्ध, कुटीया कोन्ध, टिकिरिया कोंध, येनिती कोंध, कुविंगा
17. कोटिया, बेन्थो उड़िया, बारतिका, दुलिया, होल्वा, सनरोना, सिधोपाइको
18. कोया, डोली कोया, गुट्टा कोया, कामारा कोया, मुसारा कोया, ओडी कोया, पट्टडी कोया, राजा, रश कोया, लिंगधारी कोया (सामान्य), कोट्टू कोया, भीने कोया, राजकोया
19. कुलिया
20. मालिस
21. मन्ना धोरा
22. मुक्खा धोरा, नुका धोरा
23. नायक (एजेन्सी क्षेत्रों में)
24. परधान
25. परजा, पारंगीपेरजा
26. रेड्डी धोरा
27. रोना, रेना
28. सवारस, कपू सवारस, मालिया सवारस, खुट्टो सवारस
29. सुगालिस, लम्बादि, बंजारा
30. वाल्मीकि (विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, पूर्वी गोदावरी और पश्चिमी गोदावरी जिलों के अनुसूचित क्षेत्रों में)
31. येनादिस, चेल्ला येनादी, कपाला येनादी, मांची येनादी, रेड्डी येनादी
32. येरूकुलस, कोरचा, डब्बा येरूकुला, कुंचापुरी येरूकुला, उप्पु येरूकुला
33. नक्काला कुरविकरन
34. धुलिया, पैको, पुतिया (विशाखापट्टनम और विजयनगरम के जिलों में)

अरुणाचल प्रदेश

निम्नलिखित सहित राज्य में सभी जनजातियांः

1. हटा दिया गया
2. आका
3. अपतानी
4. न्यीशी
5. गालो
6. खम्पती
7. खोवा
8. मिश्मी–कमान (मिजू मिश्मी), इडु (मिश्मी), तरों (दिगारू मिश्मी)
9. मोनपा, मेम्बा, सरतांग, सजोलांग (मिजी)
10. नोक्टे, तांगसा, तुत्सा, वांचो
11. शेरदुकपेन
12. सिंगफो
13. हरुसो
14. तागिन
15. खम्बा
16. आदि

असम

I.कारबी आंगलोंग तथा उत्तर कछार पहाड़ी के स्वायत्त जिलों मेः

1. चकमा
2. दिमसा, कचारी
3. गारो
4. हजोंग
5. हमार
6. खासी, जयन्तिया, सिन्तेंग, प्नार, वार, भोई, लेंगंगम्
7. निम्नलिखित सहित कोई भी कूकी जनजातिः–

(i) बिआत, बिएत

(ii) चांगसान

(iii) चोंगलाइ

(iv) डुंगेल

(v) गमाल्हू

(vi) गंगते

(vii) गुइते

(viii) हन्नेंग

(ix) हाओकिप, हाउपिट

(x) हओलई

(xi) हेंगना

(xii) होंगसुंग

(xiii) हरंखबाल, रंगखोल

(xiv) जोंगबी

(xv) खाओचुंग

(xvi) खावाथलांग, खोतालोंग

(xvii) खेलमा

(xviii) खोल्हू

(xix) किपजेन

(xx) कुकी

(xxi) लेंगथांग

(xxii) ल्हांगम

(xxiii) ल्होउजेम

(xxiv) ल्होउवुन

(xxv) लुपहेंग

(xxvi) मांगजेल

(xxvii) मिसाओ

(xxviii) रियांग

(xxix) साइरहेम

(xxx) सेलनाम

(xxxi) सिंगसन

(xxxii) सितल्होउ

(xxxiii) सुक्ते

(xxxiv) थादो

(xxxv) थांगनगेऊ

(xxxvi) उइबुह

(xxxvii) वाइफेइ

8. लाखेर
9. मान (ताई बोलने वाले)
10. कोई भी मिजो (लुसाई) जनजाति
11. करबी
12. कोई भी नागा जनजाति

13 पावी

14. सिंथेग
15. लालुंग

ii. असम राज्य में कारबी आंगलोंग तथा उत्तर कछार पहाड़ी के स्वायत्त जिलों को छोड़कर तथा बोडो भूमि टेरिटोरियल क्षेत्र जिले सहितः

1. कचार में बरमन
2. बोरो, बोरोकचारी
3. देओरी
4. होजाइ
5. कचारी, सोनवाल
6. लालुंग
7. मेच
8. मिरी
9. राभा
10. दीमासा
11. हजोंग
12. सिंगफो
13. खम्पती
14. गारो

बिहार

1. असुर, अगारिया
2. बैगा
3. बंजारा
4. बाथूड
5. बेदिया
6. हटा दिया है
7. बिनझिया
8. बिरहोर
9. बिरजिया
10. चेरो
11. चिक बारिक
12. गोंड
13. गोरइत
14. हो
15. करमाली
16. खारिया, धेलकी खारिया, दूध खारिया, हिल खारिया
17. खारवार
18. खोंड
19. किसान, नगेशिया
20. कोरा, मुडी–कोरा
21. कोरवा
22. लोहारा, लोहरा
23. महली
24. मल पहाडिया, कुमारभाग पहाडिया
25. मुंडा, पतार
26. ओरान, धानगर (ओरांव)
27. परहइया
28. सन्ताल
29. सउरिया पहारिया
30. सवर
31. कवार
32. कोल
33. थारू

छत्तीसगढ़

1. अगारिया
2. अंध
3. बैगा
4. भाइना
5. भारिया भूमिया, भूइंहार भूमिया, भूमिया, भारिया, पलिहा, पान्डो
6. भत्रा
7. भील, भीलाला, बरेला, पटेलिया
8. भील मीना
9. भून्जिया
10. बीअर, बीयार
11. बीन्जबार
12. बिरहुल, बिरहोर
13. डामोर, डामारिया
14. धंवर
15. गडाबा, गाडबा
16. गोंड, अराक, अराख, अगेरिया आसुर, अबुझमारिया, बादी मारिया, बादा मारिया, भटोला, भीमा, भूटा, कोलियाभूटा, कोलियाभूटी, भर, बीसोनहोरन मारिया, छोटा मारिया, डान्डामी मारिया, धुरू, धुर्वा, धोबा, धुलिया, डोरला, गैकी, गट्टा, गट्टी, गैटा, गौंड ग्वारी, हिल मारिया, कन्दरा, कलंगा, खटोला, कोयतार, कोया, खिरवार, खिरवारा, कूचा मारिया, कुचकी मारिया, माडिया, मारिया, माना, मानेवर, मोघिया, मोगिया, मोंघिया, मूडिया, मूरिया, नगारची, नागवंशी, ओझा, राज, गोंड, सोनझारी झरेका, थाटिया, थोटिया, वादे मारिया, वाद मारिया, दरोई
17. हल्बा, हल्बी
18. कमार
19. करकु
20. कवर, कंवर, कौर, छेरवा, राथिया, तंवर, छत्री
21. खैरवार, कोन्दार
22. खैरिया
23. कोन्ध, खोन्द, कन्ध
24. कोल
25. कोलम
26. कोरकू, बोपची, मुआसी, नीहाल, नाहुल बोन्धी, बोन्देया
27. कोरवा, पहाड़ी कोरवा, कोड़ाकु
28. मांझी
29. मझवार
30. मवासी
31. मुण्डा
32. नागेसिया, नागासिया
33. ओरान, धानका, धनगड
34. पाओ
35. परधान, पाथरी, सरोती
36 पारधी, बहेलिया, बहेल्लिया, चिता पारधी, लंगोली पारधी, फन्स परधी, शिकारी, टकान्कर, टकिया (i) बस्तर, दंतेवाडा, कांकेर, रायगढ़, जशपुरनगर, सरगुजा और कोरिया जिले और (ii) कटघोरा, पाली, करतला और कोरबा जिले की कोरबा तहसील (iii) बिलासपुर, पंडेरा, कोटा, विलासपुर जिले की तख्तपुर तहसीलें (iv)दुर्ग जिले के दुर्ग पाटनगुंडडेही, धांधा, बलोद, गुरुर और डोंडिल होड़ा तहसील (v)राजनंध गांव जिले के चौकी, मानपुर रेवेन्यू सर्किल इंस्पेक्टर (vi)महासमुंद जिले की महासमुंद, सरायपाली की बसना तहसील (vii) बिंदरानावगढ़ राजीम और रायपुर जिले की देवभोग तहसील (viii) धमतरी जिले की धमतरी, कुरूद और सिहावा तहसील
37. परजा
38. सहारिया, सहारिया, सेहरिया, सोसिआ, सोर
39. साओन्ता, साउन्ता
40. साउर
41. सवर, सवरा
42. सोनर

गोवा

1. धोडिया
2. दुबला (हलपती)
3. नैकदा (तालविया)
4. सिद्दी (नायका)
5. वरली
6. कुन्बी
7. गडवा
8. वेलिप

गुजरात

1. बरदा
2. बवाचा, बमाचा
3. भारवाड (अलेच, बरदा और गिर के जंगलों में)
4. भील, भील गरासिया, ढोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी, गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तडवी भील, भगालिया, भीलाला, पावरा, वसावा, वसावे
5. चारन (एल्वा, बारदा और गिर के जंगलों में)
6. चौधरी (सूरत और वलसाड जिलों में)
7. चौधारा
8. धनका, तडवी, तेतारिया, वाल्वी
9. धोडिया, धोदी
10. दुबला, तलविया, हलपती
11. गामित, गामता, गावित, मावची, पदवी
12. गोंड, राजगोंड
13. कथोडी, कतकारी, ढोर कथोडी, ढोर कतकारी, सोन कथोडी, सोन कतकारी
14. कोकना, कोकनी, कुकना
15. हटा दिया गया
16. कोली ढोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलघा
17. कुनबी (डांग जिले में)
18. नायकडा, नायका, चोलीवाला नायका, कपाडिया नायका, मोटा नायका, नाना नायका
19. पधार
20. हटा दिया गया
21. परघी, अदवीचिंचर, फान्से पारघी (अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, राजकोट और सुरेन्द्रनगर जिलों के अतिरिक्त)
22. पटेलिया
23. पोमला
24. रबारी (अलेच, बरदा और गिर के जंगलों में)
25. राठवा
26. सिद्दी, सिद्दी–बादशान (अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, राजकोट और सुरेन्द्रनगर जिलों में)
27. हटा दिया गया
28. वरली
29. विटोला, कोतवालिया, बरोडिया,
30. भील, भीलाला बरेला पटेलिया
31. तडवी भील, बावरा, वसावे,
32. पदवी

हिमाचल प्रदेश

1 भोत, बोध
2. गद्दी
3. गुज्जर
4. जाड, लाम्बा, खाम्पा
5. कनौर, किन्नरा
6. लाहउला
7. पांगवाला
8. स्वांगला
9. बेटा, बेडा
10. डोम्बा, गारा, जोबा

जम्मू और कश्मीर

1. बालटी
2. बेदा
3. बोत, बोतो
4. ब्रोकपा, ड्रोकपा, दर्द, शिन
5. छांगपा
6. गारा
7. मोन
8. पुरिगपा
9. गुज्जर
10. बकरवाल
11. गद्दी
12. सिप्पी

झारखण्ड

1. असुर, अगारिया
2. बैगा
3. बनजारा
4. बठूडी
5. बेदिया
6. बिंझिया
7. बिरहोर
8. बिरजिया
9. चेरो
10. चिक बराइक
11. गोंड
12. गोरइत
13. हो
14. करमाली
15. खारिया, धेलकी खारिया, दुध खारिया, हिल खारिया
16. खरवार
17. खोंड
18. किसान, नगेशिया
19. कोरा, मुडी–कोरा
20. कोरवा
21. लोहरा
22. महली
23. मल पहाडिया, कुमारभाग पहाडिया
24. मुंडा, पतार
25. उरांव, धांगर (ओरांव)
26. परहइया
27. सन्थाल
28. सौरिया पहाडिया
29. सवर
30. भूमिज
31. कवर
32. कोल

कर्नाटक

1. आदियान
2. बरदा
3. बवाचा, बामचा
4. भील, भील गरासिया, ढोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी गरसिया, मेवासी भील, रावल भील, तडवी भील, भागालिया भीलाला, पावरा, वसावा, वसावे
5. चेंचु, चेंचवार
6. चौधरा
7. दुबला, तालविया, हालपति
8. गामित, गामता, गावित, मावछी, पदवी, वालवी
9. गौड, नाइकपोड, राजगोंड
10. गौडालू
11. हक्किपिक्कि
12. हसलारू
13. इरूलर
14. इरूलिगा
15. जेनू कुरूबा
16. काडू कुरूबा
17. कम्मारा (दक्षिण कनारा जिला तथा मैसूर जिले के कोलेगल तालुका में)
18. कनियन, कन्यन (मैसूर जिले के कोलेगत तालुक में)
19. कथोडि, कतकारी, ढोर कथोडि, ढोर कतकारी, सोन कथोडि, सोन कतकारी
20. कट्टूनायकन
21. कोकना, कोकनी, कुकना
22. कोली ढोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलघा
23. कोन्डा कापस
24. कोरगा
25. कोटा
26. कोया, भीने कोया, राजकोया
27. कुडिया, मेलाकुडी
28. कुरूबा (कुर्ग जिले में)
29. कुरूमान
30. महा मलासर
31. मलाइकुडी
32. मलासर
33. मलायेकान्डी
34. मलेरू
35. मराठा (कुर्ग जिले में)
36. मराती (दक्षिणी कनारा जिले में)
37. मेडा, मेडारा, मेदारी, गौरिया, बुरूद
38. नायकडा, नायक (परिवारा और तलवारा सहित), चोल्लिवाला नायक, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक, नाइक, नायक, बेडा, बेदार और वाल्मीकि
39. पल्लियन
40. पानियां
41. पारधी, अड्विचिन्चेर, फेन्स पारधी, हरंशिकारी
42. पटेलिया
43. राठवा
44. शोलगा
45. सोलिगारू
46. टोडा
47. वारली
48. वितोलिया, कोतवालिया बरोडिया
49. येरावा
50. सिद्दी (बेलगावी, धारवाड़ और उत्तर कन्नड जिले में)

केरल

1. अदियान
2. अरान्दन, अरांदन
3. इरावल्लन
4. हिल पुलाया, माला पुलायन, कुरम्बा पुलायान, करवाझी पुलायन, पाम्बा पुलायन
5. इरूलर, इरूलान
6. कदार, वायनाड कदार
7. हटा दिया गया
8. कनिकरन, कनिक्कर
9. कट्टूनायकन
10. कोच्चुवेलन
11. हटा दिया गया
12. हटा दिया गया
13. कोरगा
14. हटा दिया गया
15. कुदिया, मेलाकुडि
16. कुरिच्छान, कुरिचियन
17. कुरूमान, मुल्लु कुरूमान, मुला कुरूमान, माला कुरूमान
18. कुरुम्बास, कुरुम्बार, कुरुम्बान
19. महा मालासर
20. मलाई आर्यन, माला आर्यन
21. मलाई पंडाराम
22. मलाई वेदान, मालावेदान
23. मालाकुरवन
24. मालासार
25. मालायन, नत्तु मालायन, कोंगा मलायन, (कसारगोडे, कन्नानोर, वायनाड और कोजीगोड जिलों को छोड़कर)
26. मालायरयार
27. मन्नान
28. हटा दिया गया
29. मुथुवन, मुदुगर, मुदुवन
30. पुलेयान, पल्लीयान, पल्लीयार, पल्लीयान
31. हटा दिया गया
32. हटा दिया गया
33. पानियान
34. उलादन, उलातन
35. उरली
36. माला वेत्तुवन (कसारगोड तथा कन्नुर जिलों में)
37. तेन कुरुम्बान, जेनु कुरुम्बान
38. थाचानदान, थाचानदान, मूपान
39. चोलानैकन
40. माविलन
41. करीमपलान
42. वेटा कुरुमान
43. माला पनिक्कर

लद्दाख

1. बाल्टी
2. बेडा
3. बोट, बोटो
4. ब्रोकपा, द्रोकपा, दर्द, शिन
5. चांगपा
6. गर्रा
7. मोन
8. पुरीग्पा
9. गुर्जर
10. बकरवाली
11. गद्दी
12. सिप्पी

मध्य प्रदेश

1. अगरिया
2. अंध
3. बैगा
4. भैना
5. भारिया भूमिया, भूइन्हार भूमिआ, भूमिया, भारिया, पलिहा, पान्डो
6. भट्टा
7. भील, भेलाला, बरेला, पटेलिया
8. भील मीना
9. भून्जिया
10. बीअर, बीआर
11. बीन्जवार
12. बिरहुल, बिरहोर
13. डामोर, डामारिया
14. धंवर
15. गडाबा, गडबा
16. गोंड, अराख, अर्रख, अगेरिया, अगारिया, असुर, बादी मारिया, बादा मारिया, भटोला, भीमा, भूटा, कोलियाभूटा, कोलियाभूटी, भर, बीसोनहोरन मारिया, छोटा मारिया, डन्डीमी मारिया, धुरू, धुर्वा, धोबा, धुलिया, डोरली, गैकी, गट्टा, गट्टी, गैटा, गौंड गौरी, हिल मारिया, कन्दरा, कलंगा, खटोला, कोएतार, कोया, खिरवार, खिरवारा, कूचा मारिया, कुचकी मारिया, मडिया, मारिया, माना, मन्नेवार, मोघिया, मोगिया, मोंघिया, मुडिया, मुरिया, नगरची, नागवंशी, ओझा, राज, सोनझारी, झरका, थाटिया, थोटिया, वादे मारिया, वदे मारिया, दरोई
17. हल्बा, हल्बी
18. कमार
19. कोरकु
20. कवर, कंवर, कौर, चेरवा, राठिया तंवर, छत्री
21. (हटा दिया गया)
22. खैरवार, कोन्दार
23. खैरिया
24. कोन्ध, खोन्द, कन्ध
25. कोल
26. कोलम
27. कोरकु बोपची, मैआसी, निहाल, नहुल बोन्धी, बोन्देया
28. कोरवा, कोडाकू
29. माझी
30. मझवार
31. मवासी
32. हटा दिया गया
33. मुण्डा
34. नागेसिया, नागासिया
35. ओरान, धांका, धांगड
36. पानिका ((प)छतरपुर पन्ना, रीवा, सतना, शहडोल, उमरिया सीधी तथा टीकमगढ़ जिले और(पप)दतिया जिले का सेवाड़ा और दतिया तहसील में)
37. पाओ
38. प्रधान, पठारी, सरोटी
39. हटा दिया गया
40. परधी, बहेलिया, बहेल्लिया, चिता परधी, लंगोली परधी, फन्स परधी, शिकारी टकान्कर, हकिया((प) छिन्दवाडा, मंडला, डिंडौरी तथा सिवनी जिलों में (पप) बालाघाट जिले में बैहर तहसील (पपप) बेतुल जिले के बेतुल, शाहपुर और भैंसडेही तहसीलों में (पअ) जवलपुर जिले के पटन तहसील और सिहोरा एवं मंझाली ब्लॉक(अ)कटनी जिले के कटनी (भुरवाड़ा) तथा विजय राघोगढ़ तहसील तथा बहोरीबंधा तथा घेमरखेड़ा ब्लॉक (अप) होशंगाबाद जिले के होशंगबाद, बबाई, सोहागपुर, पिपरिया, बांकखेड़ी तहसील और किस्ला ब्लॉक (अपप) नरसिंहपुर जिला, और(अपपप) खांडवा जिले के हरसुद तहसील में)
41. परजा
42. सहारिआ, सहारिया, सेहरिया, सेहरिया, सोसिया, सोर
43. साओन्ता, साउन्ता
44. साउर
45. सावर, सावरा
46. सोनर

महाराष्ट्र

1. अंध
2. बेगा
3. बारदा
4. बावचा, बामचा
5. भाइना
6. भारिया, भूमिया, भूइंहार, भूमिया, पान्डो
7. भातरा
8. भील, भीलगरासिया, ढोली भील, डूंगरी भील, डूंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तादवी भील, भागालिया, भिलाला, पावरा, बसावा, वासावे
9. भूंजिया
10. बिंझवार
11. बिरहुल, बिरहोर
12. हटा दिया गया
13. धानका, तादवी, तेतरिया, वाल्वि
14. धानवार
15. धोदिया
16. दुबला, तालाविया, हलपति
17. गामित, गमता, गवित,मावछी पाडवी
18. गोंड, राजगोंड, अरख, अर्रख, अगारिया, असुर, बादी मारिआ, बडा मारिआ, भटोला, भीम्मा, भूटा, कोइलाभूटा कोइलाभूटी, भार, बिशोनहोर्न मारिआ, छोटा मारिआ, दन्दमी मारिआ, धुरू, धुर्वा, धोबा, धुलिया, डोरला, गाइकी, गट्टा, गाट्टी, गैट्टा, गौंड़, गोवारी, हिल मारिया, कांद्रा, कलंगा, खटोला, कोइतार, कोया, खिरवार, खिरवारा, कुछा मारिया, कुछकी मारिया, माडिया, मारिया, माना, मान्नेवार, मोघया, मोगिया, मोंघया, मूदिया, मुरिया,नागारची, नाइकपोड, नागवंशी, ओझा, राज, सोनझारी, झारेका थातिया, थोट्या, वाडे मारिया, वाडे मारिया
19. हलबा, हल्बी
20. कामर
21. कथोड़ी, कटकारी, ढोर कथोडी, ढोर कथकारी, सोन कथोडी, सोन कतकारी
22. कवर, कंवर, कौर, छेरवा, राथिया, तंवर, छत्री
23. खैरवार
24. खारिया
25. कोकना, कोकनी, कुकना
26. कोल
27. कोलम, मन्नेरवारलू
28. कोलीढ़ोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलगा
29. कोली महादेव, डोंगर कोली
30. कोली मल्डार
31. कोंध, खोंध, कन्ध
32. कोरकू, बोपची, मोउआसी, निहाल, नाहुल, बोन्धी, बोन्देया
33. कोया, भीने कोया, राजकोया
34. नागेसिया, नागासिया
35. नाइकदा, नायक, छोलीवाला नायक, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक
36. ओरान, धानगर
37. परधान, पठारी, सरोती
38. पारद्यी, अडवीचिंचेर, फान्स परधी, फान्से परधी, लांगोली परधी, बहेलिया, बहेल्लिया छिट्टा परधी, शिकारी, ताकन्कार, ताकिया
39. पारजा
40. पटेलिया
41. पोमला
42. रथावा
43. सवार, सवारा
44. ठाकुर, ठाकर, का ठाकुर, का ठाकर, मा ठाकुर, मा ठाकर
45. हटा दिया गया
46. वारली
47. विटोलिया, कोतवालिया, बडोदिया

मणिपुर

1. अइमोल
2. अनाल
3. अनगामी
4. छिरू
5. छोथे
6. गांगते
7. हमार
8. काम्बुई, इन्पुई, रोंगमेई
9. कच्चा नागा, लेइंगमेई, जेमे
10. कोइराओ, थंगल
11. कोइरेंग
12. कोम
13. लामगांग
14. माओ
15. मारम
16. मारिंग
17. कोई भी मीजो (लुशई) जनजाति
18. मोनसांग
19. मोयोन
20. पाइटे
21. पुरूम
22. राल्टे
23. सीमा
24. सीमते
25. सुथे
26. तांगखुल
27. थाडोउ
28. वाइफुई
29. जोउ
30. पौमाई नागा
31. ताराव
32. खराम
33. कोई कुकी जनजाति
34. माते

मेघालय

1. चकमा

2. दिमसा, कचारी

3. गारो

4. हाजोंग

5. हम्मार

6. खासी, जयंतिया, सइनतेग, प्नार, वार, भोइ, लइनगनगाम सहित

7. कोई भी कूकी जनजाति निम्न सहितः–

i. बिअते, बिएते

i i. चंगसान

iii. चोंगलोइ

iv. डोउन्गेल

v. गमाल्हू

vi. गंगत

vii. गुइते

viii. हान्नेंग

ix. हाओकिप, हाउपिट

x. हाओलाई

xi. हेंगन

xii. होनसुंघ

xiii. हरांगख्वाल, रंगखोल

xiv. जोंगबे

xv. खावचांग

xvi. खवथलांग, खोथलांग

xvii. खेल्मा

xviii. खोल्हू

xix. किपजेन

xx. कुकी

xxi. लेनथांग

xxii. ल्हांगम

xxiii. ल्होउजेम

xxiv. ल्होउवुन

xxv. लुपहेंग

xxvi. मांगजेल

xxvii. मिसाओ

xxviii रिआंग

xxiv. सइरहेम

xxx. सेलनाम

xxxi. सिंगसन

xxxii. सितल्होउ

xxxiii. सुक्ते

xxxiv. थाडो

xxxv. थागंनगेऊ

xxxvi. उइबुह

xxxvii. वाइफेई

8. लाखेर

9. मान (ताई बोलने वाले)

10. कोई भी मिजो (लुशई) जनजाति

11. मिकिर

12. कोई भी नागा जनजाति

13. पावी

14. स्येनतेंग

15. बोरो कचारिस

16. कोछ

17. राबा, रावा

मिजोरम

1. चकमा

2. दिमसा (कछारी

3. गारो

4. हांजोग

5. हम्मार

6. खासी और जयंतिया (खासी, स्येनतेंग या प्नार, वार, भोइ या ल्येनगनगाम सहित)

7. कोई भी कूकी जनजाति निम्न सहितः

(i) बिअते या बिएते

(ii) चंगसान

(iii) चोंगलोइ

(iv) डोउन्गेल

(v) गमाल्हू

(vi) गंगत

(vii) गुइते

(viii) हान्नेंग

(ix) हाओकिप या हाउपिट

(x) हाओलाई

(xi) हेंगना

(xii) होनसुंघ

(xiii) हरांगख्वाल या रंगखोल

(xiv) जोंगबे

(xv) खावचांग

(xvi)खवथलांग या खोथलांग

(xvii) खेल्मा

(xviii) खोल्हू

(xix) किपजेन

(xx) कुकी

(xxi) लेनथांग

(xxii) ल्हांगम

(xxiii) ल्होउजेम

(xxiv) ल्होउवुन

(xxv) लुपहेंग

(xxvi) मांगजेल

(xxvii) मिसाओ

(xxviii) रिआंग

(xxiv) सइरहेम

(xxx) सेलनाम

(xxxi) सिगसन

(xxxii) सितल्होउ

(xxxiii) सुक्ते

(xxxiv) थाडो

(xxxv) थागंनगेऊ

(xxxvi) उइबुह

(xxxvii) वाइफेई

8. लाखेर

9. मान (ताई बोलने वाले)

10. कोई भी मिजो (लुशई) जनजाति

11. मिकिर

12. कोई भी नागा जनजाति

13. पावी

14. स्येनतेंग.

15. पैते

नागालैंड

1. नागा
2. कुकी
3. कचारी
4. मिकिर
5. गारो

ओडिशा

1. बगता, भक्ता
2. बैगा
3. बनजारा, बनजारी
4. बाथूडी, बाथूरी
5. भोत्ताड़ा, धोताडा, भोतरा, भतरा, भत्तरा, भौतोरा, भतारा
6. भूइया, भूयान
7. भूमिया
8. भूमिज, तेली भूमिज, हल्दीपोखरिया भूमिज, हलदी पोखरिया भूमिजा, देसी भूमिज ,देसिया भूमिज, तमारिया भूमिज
9. भुंजिया
10. बिन्झाल, बिंझवार
11. बिनझिआ, बिनझोआ
12. बिरहोर
13. बांडो पोराजा, बोंडा परोजा, बांडा परोजा
14. चेंचू
15. दाल
16. देसुआ भूमिज
17. धारूआ, धुरूबा, धुर्वा
18. दिदायी, दिदाई परोजा, दिदाई
19. गडाबा, बोडो, गडाबा,गुतोब गडाबा, कापु गडाबा, ओलारा गडाबा, पेरंगा गडाबा, सानो गडाबा
20. गांडिया
21. घारा
22. गोंड, गोंडो, राजगोंड, मारिया गोंड, धुर गोंड
23. हो
24. होल्वा
25. जतापु
26. जुआंग
27. कंधा गौदा
28. कवर, कंवर
29. खारिया, खरियनबेरगा खारिया, डेलकी खारिया, दुध खारिया, एरेंगा खारिया, मुंडा खारिया, ओरांव खारिया,खाडिया, पहाड़ी खारिया
30. खरवार
31. खोंड, कोंड, कंधा, नंगुलीकंधा, सीथा कंधा, कोंध, कुई, बुदा कोंध, बुरा कंधा, देसिया कंधा, दुंगारिया कोंध, कुटिया कंधा, कंधा गौड़, मुली कोंध, मालुआ कोंध, पेंगो कंधा, राजा कोंध, राज खोंड
32. किसान, नगेसर, नगेसिया
33. कोल
34. कोलाह लोहरस, कोल लोहरस
35. खोल्हा
36. कोली, मल्हार
37. कोंडाडोरा
38. कोरा, खाइश, खयारा
39. कोरूआ
40. कोटिया
41. कोया, गुम्बा कोया, कोइतुर कोया, कमार कोया, मुसारा कोया
42. कुलिस
43. लोधा, नोध, नोधा, लोध
44. मादिया
45. महाली
46. मनकिदी
47. मनकिरदिया, मनकरिया, मनकिदी
48. मत्या, मातिया
49. मिरधास, कुदा, कोदा
50. मुंडा, मुंडा लोहारा, मुंडा महालिस, नागाबंशी मुंडा, उड़िया मुंडा
51. मुंडारी
52. ओमनत्य, ओमनत्यो, आमनत्य
53. ओरांव, धानगर, उरान
54. परेंगा
55. परोजा, पराजा, बोडो परोजा, बरोंग, झोदिया परोजा, चेलिया परोजा, झोदया परोजा, कोंडा परोजा, पराजा, पोंगा परोजा, सोदियापरोजा, सानो परोजा, सोलिया परोजा
56. पेंटिया
57. राजौर
58. संताल
59. साओरा, सावर, सौरा, सहारा, आरसी साओरा, बसेड साओरा, भीमा साओरा, भीम्मा साओरा, चुमुरा साओरा, जरा सावर, जादु साओरा, जती साओरा, जुआरी साओरा, कम्पू साओरा, केम्पा साओरा, कापोसओरा, किंदल साओरा, कंबी कंचेरसाओरा, कलपितिया साओरा, किराट साओरा, लांजिया साओरा, लाम्बा लांजिया साओरा, लुआरासाओरा, लुआर साओरा, लारिया सावर, मलिया साओरा, मल्ला साओरा, उड़िया साओरा, राइका साओरा, सुद्दा साओरा, सारदा साओरा, तंकला साओरा, पटरो साओरा, वेसु साओरा
60. शबार, लोधा
61. सौंटी
62. थारूआ, थारूआ बिंदानी

राजस्थान

1. भील, भील गरासिया, ढोली भील, डुंगरभील, डुंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तादवी भील, भगालिया, भीलाला, पावरा, वासवा, वासावे
2. भील मीना
3. दामोर, दामारिया
4. धानका, तादवी, तेतरिया, वाल्वी
5. गारासिया (राजपूत गारासिया के अतिरिक्त)
6. कथोडि, काटकारी, धोर कथोड़ि, ठोर काटकारी, सोन कठोडी, सोन काटकारी
7. कोकना, कोकनी, कुकना
8. कोली ढ़ोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलगा
9. मीना
10. नाइकदा, नायक, छोलीवालानायक, कपाडिया नायका, मोटा नायका, नाना नायका
11. पटेलिया
12. सेहारिया, सेहरिया, सहारिया।

सिक्किम

1. भूटिया (चुंबिपा, दोपथापा, दुकपा, कागेती, शेरपा, तिबेतन, तरोमोपा, योल्मो सहित)
2. लेप्चा
3. लिम्बू
4. तमांग

तमिलनाडु

1. आदियान
2. आरानादान
3. इरावल्लान
4. इरूलर
5. कादर
6. कम्मारा (कन्याकुमारी जिला एवं तिरूनेलवेलि जिले के शेनकोट्टा तालुक के अलावा)
7. कनीकरन, कनीक्कर (कन्याकुमारी व तिरूनेलवेल्लि जिले के शेनकोट्टा और अम्बासमुद्रम तालुक में)
8. कनियन, कन्यान
9. कट्टूनायकन
10. कोचु वेलन
11. कोंडा कापस
12. कोंडारेड्डी
13. कोरगा
14. कोटा (कन्याकुमारी जिला एवं तिरूनेलवेलि जिले के शेनकोट्टा तालुक को छोड़कर)
15. कुडिया, मेलाकुडी
16. कुरिच्छन
17. कुरूम्बा (नीलगिरि जिले में)
18. कुरमांस
19. महा मलासर
20. मलाई आर्यन
21. मलाई पण्डाराम
22. मलाई वेदन
23. मलाक्कुरावन
24. मालासर
25. मलयाली (धर्मपुरी, उत्तरी अरकोट पुदुकोट्टाई, सालेम, दक्षिणी अरकोट और तिरूचना पल्ली जिले में)
26. मलायेकान्डी
27. मन्नान
28. मुदुगार, मुदुवान
29. मुत्थुवान
30. पल्लेयान
31. पल्लियान
32. पल्लियार
33. पनियान
34. शोलागा
35. टोडा (कन्याकुमारी जिले व तिरूनेलवलि जिले के शेनकोट्टा तालुक को छोड़ कर)
36.यूराली

तेलंगाना

1. अन्ध, साधु अन्ध
2. बगता
3. भील
4. चेंचू
5. गदाबास, बोडो गडाबा, गुतोब गडाबा, कालायी गडाबा, परांगी गडाबा, कठेरा गडाबा, कापु गडाबा
6. गोंड, नाइकपोड़, राजगोंड, कोईतुर
7. गौडु (एजेन्सी क्षेत्रों में)
8. पहाड़ी रेड्डी
9. जातपुस
10. कम्मार
11. कट्टूनायकन
12. कोलम, कोलवर
13. कोन्डा धोरस, कुबी
14. कोन्डा कापुस
15. कोन्डारेड्डी
16. कोन्ध कोडी, कोधु, देसाया कोन्ध, डोंगरिया कोन्ध, कुटीया कोन्ध, टिकिरिया कोन्ध, येनिती कोन्ध, कुविंगा
17. कोटिया, बेन्थो उडिया, बारतिका, दुलिया, होल्वा, सनरोना, सिधोपाइको
18. कोया, डोली कोया, गुट्टा कोया, कमारा कोया, मुसारा कोया, ओडी कोया, पट्टडी कोया, राजा रश कोया, लिन्गधारी, कोया (सामान्य), कोड्डू कोया, भीने कोया, राजकोया ?
19. कुलिया
20. मन्ना धोरा
21. मुक्खा धोरा, नुका धोरा
22. नायक (एजेन्सी क्षेत्रों में)
23. परधान
24. पोरजा, पारंगीपेरजा
25. रेड्डी धोरा
26. रोना, रेना

27. सवारस, कपू सवारस, मालिया सवारस, खुट्टो सवारस

28. सुगालिस, लम्बादि, बंजारा

29. थोटी (औदिलाबाद, हैदराबाद, करीमनगर, खम्मम, महबूब नगर, मेदक, नालगोंडा, निजामाबाद, वारंगल जिले में)

30. येनादिस, चेल्ला येनादी, कपाला येनादी, मांची येनादी, रेड्डी येनादी

31. येरूकुलस, कोरचा, डब्बा, येरूकुला, कुंछापुरी, येरन्कुला, उप्पू येरून्कुला

32. नक्काला, कुरविकरन

त्रिपुरा

1. भील
2. भूटिया
3. छइमल
4. चकमा
5. गारो
6. हालाम, बेंगशेल, डुब केइपंग, कलाई, कारबोंग, लेंगुई, मुस्सुम, रुपिनी, सुकुचेप, थांगचेप
7. जमातिया
8. खासिया
9. कूकी, निम्न उप जन जातियों सहितः–

(i) बालते (ii) बेलालहुट (iii) छाल्या (iv) फन

(v) हजांगो (vi) जांगतेइ (vii) खारेंग (viii) खेपफोंग

(ix) कुन्तेइ (x) लाइफांग (xi) लेन्तई (xii) मिजेल (xiii) नामते (xiv) पाइतु, पाइते (xv) रांगचांग (xvi) रांगखोले (xvii) थांगलुइया

10. लेपचा
11. लुशाइ
12. माग
13. मुण्डा, कौर
14. नोआटिया, मुराशिंग
15. ओरांग
16. रियांग
17. संताल
18. त्रिपुरा, त्रिपुरी, तिप्पेरा
19. उछाई

उत्तराखंड

1. भोटिया
2. बुक्सा
3. जोनसारी
4. राजी
5. थारू

उत्तर प्रदेश

1. भोतिया
2. बुक्सा
3. जन्नसारी
4. राजी
5. थरू
6. गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पाथरी, राज गोंड (महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में)
7. खरवार, खैरवार (देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराण ासी और सोनभद्र जिलों में)
8. सहारिया (ललितपुर जिले में)
9. परहिया (सोनभद्र जिले में)
10. बइगा (सोनभद्र जिल में)
11. पंखा, पानी का (सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में)
12. अगारिया (सोनभद्र जिले में)
13. पतारी (सोनभद्र जिले में)
14. चेरो (सोनभद्र वाराणसी जिले में)
15. भुइया, भुइन्या (सोनभद्र जिले में)

पश्चिम बंगाल

1. असुर
2. बइगा
3. बदिया, बेदिया
4. भूमिज
5. भूटिया, शेरपा, टोटो, दुकपा, कगाते, तिब्वती, योल्मो
6. बिरहोर
7. बिरजिया
8. चकमा
9. छेरो
10. चिक बारिक
11. गारो
12. गोंड
13. गोरइत
14. हाजांग
15. हो
16. करमाली
17. खारवार
18. खोंड
19. किसान
20. कोरा
21. कोरवा
22. लेप्चा
23. लोधा, खेरिया, खारिया
33. ओरान

34. परहाइया
35. राभा
36. संताल
37. सउरिया पहारिया
38. सवर
39. लिम्बू (सुब्बा)
40. तमंग

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह

1. अंडमानी, चारियार, चारी, कोरा, ताबो, बो, येरे, केडे, बी, बलवा, बोजीगियाब, जुवाई, कोल
2. जारवास
3. निकोबारी
4. ओंगे
5. सेंटाइनलीस
6. शोम पेन्स

दादर और नगर हवेली

1. धोडिया
2. दुबला हलपति सहित
3. कठोडी
4. कोकना
5. कोलघा सहित कोली धोर
6. नइकदा या नायक
7. वर्ली

द्मन व दीव

संपूर्ण संघ राज्यक्षेत्र मेः

1. धोडिया
2. दुबला (हलपति)
3. नइकडा (तालावीया)
4. सिद्दी (नायका)
5. वर्ली।

लक्षद्वीपः

सम्पूर्ण संघ राज्यक्षेत्र मेः–

लक्कादीव, मिनिकोय और अमिनिदिवी द्वीपों के निवासी जो स्वयं और जिनके माता–पिता दोनों इन द्वीपों में पैदा हुए थे।

"बशर्ते ऐसे बच्चे जो भारत की मुख्य भूमि पर किसी अन्य स्थान पर लक्षद्वीप के निवासियों के संतान के रूप में पैदा हुए हैं, को यदि वे स्थायी रूप से इन द्वीप समूहों में बस गए हैं, तो, इन द्वीप समूहों के पैदाइशी निवासी माना जाएगा।

स्पष्टीकरणः– 'स्थायी रूप से बसने' शब्द का अर्थ वही होगा जैसा कि लक्षद्वीप पंचायत विनियम, 1994 के खण्ड 3 (ए) (छ) में परिभाषित किया गया है।

पुद्दुचेरी

इरूलर (विल्ली और वेट्टईकरण सहित)

नोटः यदि उपर्युक्त सूची के समुदाय की वर्तनी में किसी प्रकार का अंतर पाया जाता है तो संबंधित मूल अधिसूचना अंतिम तथा अधिप्रमाणित होगी।

अनुलग्नक– 5ग

अनुसूचित क्षेत्रों की राज्य–वार सूची

I. आन्ध्र प्रदेश' (तेलंगाना सहित)

1. महबूबनगर जिले के आचमपेट तालुका के 67 गांव निम्नानुसार हैं:

आचमपेट तालुका

1) बालमोर	(24) संगरी गुण्डल	(47) मलहामाम्डी
(2) कोदनांगोल	(25) लिंगबोर	(48) वेकेटेश्वरला भावी
(3) बनाल	(26) रामपुर	(49) अमराबाद
(4) बिलाकास	27) अप्पापुर	(50) तिरमालपुर
(5) धारावरम	(28) मालापुर	(51) उपनुटोला
(6) अप्पाइपाली	(29) जलाल पेंटा	(52) मघवनपल्ली
(7) रासुल छेरवु	(30) पीमान पेंटा	(53) जगमरेड्डी पल्ली
(8) पुलेछेलमा	(31) रायलेट	(54) पेदरा
(9) मारलापया	(32) वेटोलापल्ली	(55) वेंकेश्वरम
(10) बुर्ज गुंडाल	(33) पातुर बयाल	(56) चितलामकुंटा
(11)अगारला पेन्टा	(34) भावी पेंटा	(57) लाछमापुर
(12) पुल्लाइपल्ली	(35) नारदी पेंटा	(58) उदमेला
(13) दुक्कान पेन्टा	(36) तपासी पेंटा	(59) मारेड़
(14) बिकिट पेन्टा	(37) चन्द्रगुप्ता	(60) इप्पालपल्ली
(15) कारकार पेन्टा	(38) युल्लुकारतरेवु	(61) मड्डीमाडाग
(16) बोरमाछेरन्वू	(39) तिम्मारेड्डीपल्ली	(62) अक्काराम
(17) येमेलापाया	(40) सारलापल्ली	(63) अइनोल
(18) इरलापेंटा	(41) ततिगुण्डाल	(64) सिद्दापुर
(19) मुदारदीपेंटा	(42) इल्पामायेहेना	(65) बमानपल्ली
(20) तेरकालदारी	(43) कोमान पेंटा	(66) गनपुरा
(21) वकारमामिदी पेंटा	(44) कोल्लामपेंटा	(67) मानेवारपल्ली
(22) मेडीमानकल	(45) मानानूर	
(23) पंडीबोर	(46) माछाराम	

2. आदिलाबाद जिले के आदिलाबाद तालुका के 72 गांव निम्नानुसार हैं:

आदिलाबाद तालुका

(1) मलाइ बोरगोवा,	(25) काफर देनी,	(49) बोरगांव,
(2) अनकानपुर,	(26) रतनापुर,	(50) सयेद पुर,
(3) जामुलाधारी,	(27) कोसाइ,	(51) खारा,
(4) लोकारी,	(28) उमारी,	(52) लोहारा,
(5) वेंकेट,	(29) मदनपुर,	(53) मारीगांव,
(6) तान्तोली,	(30) अम्बूगांव,	(54) छिछदारी,
(7) सीतागोंटी,	(31) रूयेअडी,	(55) खानापुर,
(8) बुरनूर,	(32) सकानपुर,	(56) खण्डाल,
(9) नवगांव,	(33) दादगांव,	(57) तीपा,
(10) पीपलदारी,	(34) कसलापुर,	(58) हाती घोता,
(11) पारदी बुजुर्ग,	(35) डोरली,	(59) करोदखुर्द,
(12) यापाल गुदा,	(36) साहाजी,	(60) करोनी बुजुर्ग,
(13) छिनछूघाट,	(37) सांगवी,	(61) सिंगापुर,
(14) वानकोली,	(38) खोगदूर,	(62) वुरानपुर,
(15) कानपा,	(39) कोबाई,	(63) नागराला,
(16) अवसोदा बुरकी,	(40) पोनाला,	(64) बोदाद,
(17) मलकापुर,	(41) छापराला,	(65) छांदपेल्ली,
(18) जारी,	(42) मंगरोल,	(66) पीतगेन,
(19) पालसी बुजुर्ग,	(43) कोपा अरगूने,	(67) येकोरी,
(20) आरिल खुर्द,	(44) सोअनखास,	(68) सादारपुर,
(21) नन्दगांव,	(45) खिडकी,	(69) वारूर,
(22) वाघापुर,	(46) खासल खुर्द,	(70) रोहार,
(23) पालसीखुर्द,	(47) खासल बुजुर्ग,	(71) तकली,
(24) लिंगी,	(48) जामनी,	(72) रामखाम

3. आदिलाबाद जिले के किनवात तालुका के 72 गांव निम्नानुसार हैं:

किनवात तालुका

(1) अम्बारी,	(25) करला,	(49) पटोड़ा,
(2) बोदरी,	(26) कोठारी,	(50) जवारला,
(3) छिकली,	(27) गोकुड़ा,	(51) पीपलगांव,
(4) कामताला,	(28) गोगरवुडी,	(52) कानकी सिंगोरा,
(5) घोती,	(29) मलकापुर,	(53) डोगरगांव,
(6) मांडवा,	(30) धोनोरा,	(54) पीपल सेंधा,
(7) मेरेगांव,	(31) रामपुर,	(55) जुरूर,
(8) मालबोर गांव,	(32) पातरी,	(56) मिनकी,
(9) पटोडा,	(33) परोधी,	(57) तुलसी,
(10) दहीगांव,	(34) बाओथ,	(58) माचौरड़ेर पारड़ी,
(11) दोमोन घारी,	(35) दरसांगी,	(59) मुरली,
(12) दरसांगी,	(36) नोरगांव,	(60) टाकरी,
(13) डिघरी,	(37) उनरसी,	(61) पारसा,
(14) सिंदगी,	(38) गोदी,	(62) वारसा,
(15) कनकवाड़ी,	(39) साउरखेर,	(63) उमरा,
(16) कोपरा,	(40) नायकवाड़ी,	(64) अष्ठता,
(17) मलाकवाडी,	(41) सरकानी,	(65) हिंगनी,
(18) निसपुर,	(42) वाझेरा,	(66) तिमारपुर,
(19) एन्डा,	(43) मारदाप,	(67) बाजरा,
(20) पीपलगांव,	(44) अंजेरखेर,	(68) बानोला,
(21) बलजा,	(45) गोण्डवारसा,	(69) पाटसोन्डा,
(22) वारोली,	(46) पलाइगुडा,	(70) धनोरा,
(23) अन्जी,	(47) करालगांव,	(71) साकुर
(24) भीमपुर सिरमेती,	(48) पाल्सी,	(72) डिगरी

4. आदिलाबाद जिले के बोथ तालुका के 46 गांव निम्नानुसार हैं:

बोथ तालुका

(1) हतनूर,	(17) कोरसेकाल,	(33) छिनछोली,
(2) बाकरी,	(18) पतनापुर,	(34) सिरछेलमा,
(3) पारधी,	(19) तेजापुर,	(35) मनकापुर,
(4) करतान्डा,	(20) गुरूज,	(36) नारसापुर,
(5) सेरलापाल्लि,	(21) खाहदीगुडा,	(37) धर्मपुर,
(6) नेरादी कोंडा,	(22) राजुरवाड़ी,	(38) हरकापुर,
(7) डालीगाओ,	(23) इसपुर,	(39) धामपुर,
(8) कुनताला,	(24) घानपुर,	(40) निगनी,
(9) वेंकटपुर,	(25) जतेरला,	(41) अजारवजार,
(10) हसनपुर,	(26) खान्तेगांव,	(42) चिन्तलबोरी,
(11) सुरदापुर,	(27) साउरी,	(43) चिंताकारवा,
(12) पोलमामदा,	(28) इछोरा,	(44) रामपुर,
(13) बाल्हनपुर,	(29) मुतनुर,	(45) गंगापुर
(14) धर्मपुरी,	(30) गुडी हाटनूर,	(46) गयात्पल्ली
(15) गाकोंडा,	(31) तालमेडी,	
(16) भोताई,	(32) गेरजाम,	

5. आदिलाबाद जिले के उत्नूर तालुका के सभी गांव।

6. आदिलाबाद जिले के असैफाबाद तालुका के 86 गांव निम्नानुसार है:

असैफाबाद तालुका

(1) राजमपेट,	(31) केरीनेरी,	(61) मलगुण्डी,
(2) गुंजाला,	(32) मुरकीनोनकी,	(62) कन्दन मोओआर,
(3) इंघानी,	(33) देवापुर,	(63) जिओनेना,
(4) समेला,	(34) छिन्ताकारा,	(64) कुटेदा,
(5) तेजपुर,	(35) इहेरी,	(65) तिलानी,
(6) कन्नारगांव,	(36) आरा,	(66) कानेपल्ली,
(7) कन्टागुडा,	(37) डासनापुर,	(67) बोरडोम तेलुन्डी,
(8) शांकेपल्ली,	(38) कापरी,	(68) मौगी लोडीगुडा,
(9) जामुलधारी,	(39) बेलगांव,	(69) मोंइदा–गुडोपेट,
(10) गुडी,	(40) सिरसगांव,	(70) चीन्नेदारी,
(11) छोरपल्ली,	(41) मोआर,	(71) कोइटेलुण्ड़ी,
(12) सालेगुडा,	(42) वादाम,	(72) मदुरा,
(13) वादीगुडा,	(43) धामरीगुडा,	(73) देवैगुड़ा,
(14) सवाती,	(44) दाल्लनपुर,	(74) आरे गुडा,
(15) ढाबा,	(45) छालवारडी,	(75) गरडेपल्ली,
(16) छोपनगुडा,	(46) इहोरघाट,	(76) तकेपाली,
(17) नीमगांव,	(47) वाली झारी,	(77) चोउतेपाली,
(18) खिरदी,	(48) साकमगुंडी,	(78) राने कन्नेपल्ली,
(19) मेटापिपरी,	(49) आरा,	(79) सुंगापुरा,
(20) साकरा,	(50) उप्पाल नवगांव,	(80) राला सामकेपल्ली,
(21) सांगी,	(51) अंकसोरपुर,	(81) छोपरी,
(22) देवुरपल्ली,	(52) चिराकुन्ता,	(82) दोदा अर्जुनी,
(23)खोटरा–रिंगनघाट,	(53)इल्लिपिट्टा डोरली,	(83) सेरवाई,
(24) निशानी,	(54) मन्डरन्मेरा,	(84) रापल्ली,
(25) कोटा परानडोली,	(55) दन्तान्पल्ली,	(85) टेकमाडवा
(26) मेसापुर,	(56) देवदुर्ग,	(86) मीता अर्जुनी
(27) गोइगांव,	(57) तुनपाली,	
(28) धनोरा,	(58) धांगलेश्वर,	
(29) पारधा,	(59) पादिबान्दा,	
(30) सुरदापुर	(60) तामरिन,	

7. आदिलाबाद जिले लक्षेतिपेट तालुका के 18 गांव निम्नानुसार हैं:

लक्षेतिपेट तालुका

(1) गुदाम,	(7) वेंकटपुर,	(13) रोतपल्ली,
(2) कासीपेट,	(8) राली,	(14) माझडामारी,
(3) दांडे पल्ली,	(9) कौवाल,	(15) धर्मारोपेट,
(4) छेलमपेटा,	(10) तारापेत,	(16) वेंकटपुर,
(5) राजमपेट,	(11) देवपुर,	(17) चिंतागुडा
(6) मुत्तीमपेट,	(12) गाथापल्ली,	(18) मुत्तेमपल्ली

8. आदिलाबाद जिले के राजुरा तालुका के 58 गांव।

राजुरा तालुका

(1) बेंडवी,	(21) कानारगांव,	(41) कारकी,
(2) छिनछोली,	(22) छेनाई,	(42) नोकारी,
(3) गोइगांव,	(23) कैरगांव,	(43) मनोली,
(4) हीरापुर,	(24) सामलहीरा,	(44) सोनपुर,
(5) साकरी,	(25) धनोली,	(45) इनापुर,
(6) बालापुर,	(26) मारनगांडी,	(46) मानगी,
(7) मनोली,	(27) येल्लापुर,	(47) उपारवाई,
(8) अन्तारगांव,	(28) काटलबोरी,	(48) तुत्ता,
(9) विरूर,	(29) इसपुर,	(49) लकमापुर,
(10) डोगरगांव,	(30) देवती,	(50) किरदी,
(11) टिमबेरवाई,	(31) पाण्डेरवानी,	(51) इनजापुर,
(12) सेरसी,	(32) वानसारी,	(52) जमीनी,
(13) बडोरा,	(33) पेरदा,	(53) हरगांव,
(14) व्मरजीरी,	(34) वारगांव,	(54) छिकली,
(15) लाकारकोट,	(35) नोकारी,	(55) पाटन,
(16) अरगांव,	(36) मीरापुर,	(56) कोसुंडी,
(17) किरदी,	(37) पारधी,	(57) कोतारा
(18) सोंदो,	(38) कुतोडा,	(58) सोनोरली
(19) देवरा,	(39) परसेवारा,	
(20) खोरुना,	(40) मंगलरा,	

9. आदिलाबाद जिले के सिरपुर तालुका के 27 गांव।

सिरपुर तालुका

(1) रालपेट,	(10) उसू रामपल्ली,	(19) दामदा,
(2) किस्तामपेट,	(11) अरपल्ली,	(20) ढोरपल्ली,
(3) तकलपाल्ली,	(12) बोपालपट्टनम,	(21) कनकी गारलापेट,
(4) छाकलपल्ली,	(13) बालासागा,	(22) गुदलाबोरी,
(5) अनाराम,	(14) पारधी,	(23) गुरूमपेट,
(6) भेटपल्ली,	(15) तुमरीहाती,	(24) लोमवेली,
(7) कोरसनी इसगांव,	(16) छिन्तालमानोपल्ली,	(25) मोगुरदागर,
(8) छिन्तागुडा,	(17) छिन्ताम,	(26) विरदान्डी
(9) अंकोरा,	(18) गुल्लातालोदी,	(27) छिलपुरदुबोर

10. वारंगल जिले के मुलुग तालुका के 85 गांव।

मुलुग तालुका

(1) कन्नइगुडा,	(31) रामपुर,	(61) मलयत,
(2) अंकनगुड्डा,	(32) अंकामपाली,	(62) अचलपुर,
(3) राघवापट्टनम,	(33) कामाराम,	(63) डोल्डा,
(4) मेडारमोला,	(34) कामसेलिगुण्डम,	(64) कमाराम,
(5) कोएटला,	(35) आष्ठानागुडा,	(65) तादवी,
(6) पारसा नागाराम,	(36) येल्लापुर,	(66) बुदीगुडा,
(7) मुथापुर,	(37) अल्लागुड़ा,	(67) बन्नाजी,

(8) मोटलागुड्डा,	(38) नरसापुर,	(68) बन्दाम,
(9) वेंगलपुर,	(39) पुस्छापुर,	(69) सेलपाक,
(10) येलपाक,	(40) भातुपल्लि,	(70) कन्तलपल्ली,
(11) कानेबोएनपल्लि,	(41) लावनाल,	(71) सरवाई,
(12) मेदाराम,	(42) वाड्डगुडा,	(72) गंगागुडा,
(13) कोंडरेड,	(43) कोथूर,	(73) तुपालकालगुदा,
(14) छिन्तागुडा,	(44) पेगदापालि,	(74) अकुलवारी,
(15) कोंडापारथी,	(45) सारवापुर,	(75) घानपुर,
(16) येलसेथिपालि,	(46) भुस्सापुर,	(76) शाहपल्ली,
(17) अल्लामरिघुनपुर,	(47) चेलवाई,	(77) गागपल्ली,
(18) रामपुर,	(48) रंगपुर,	(78) छिन्ना–विओपल्ली,
(19) माल्कपल्लि,	(49) गोविन्दराओपेट,	(79) वेंकटापुर,
(20) छेत्ताल,	(50) बालपाली,	(80) नरसापुर,
(21) भूपतिपुर,	(51) धुमपालागुडा,	(81) अनवाराम,
(22) गंगाराम,	(52) केलापाली,	(82) लिंगाल,
(23) कन्नइगुडा,	(53) लखनवरम,	(83) बालेपापल्ली,
(24) राजन्नापेट,	(54) परसा,	(84) बंडल
(25) भूताराम,	(55) गोनेपाली,	(85) थूनमापुर
(26) अक्केला,	(56) पडगापुर,	
(27) सिरवारपुर,	(57) नरलापुर,	
(28) गंगाराम,	(58) कलवापाली,	
(29) भूपतिपुर,	(59) उरातम,	
(30) पुम्बापुर,	(60) कोंडिया,	

11. वारंगल जिले के नरसामपेत तालुका के 72 गांव।

नरसामपेत तालुका

(1) वेबेल्ली,	(25) रोतुराई,	(49) गंगारामम,
(2) पोलारा,	(26) सतरेद्दीपल्ली,	(50) मुछेरला,
(3) बाकाचिन्ताफाद,	(27) कोनापूर,	(51) अमरोन्छा,
(4) गांजाद,	(28) कोंदापुरम,	(52) कामाराम,
(5) त्रिमागुल्डा,	(29) पोगुलापल्ली,	(53) छिन्टागुडेम,
(6) गोपालपुर,	(30) गोविन्दपुरम,	(54) निलावाच्छा,
(7) खिस्तापुर,	(31) माकदापल्ली,	(55) कांगागिड्डा,
(8) तातीनारी वेनपल्ली,	(32) पागुलदापल्ली,	(56) मडागुड्डेम,
(9) पत्तल भूपति,	(33) मुराइगुडेम,	(57) दालुरपेट,
(10) चन्देलपुर,	(34) येलछागुडेम,	(58) कोठागुडेम,
(11) बत्तालपल्ली,	(35) तुम्मापुरम,	(59) कोटापल्ली,
(12) अदवारमपेट,	(36) जगांमवारतीगुडेम,	(60) दुर्गाराम,
(13) सात्यानगर,	(37) रंगामुडेम,	(61) दूबागुडेम,
(14) दुत्ला,	(38) पेड्डापल्ली,	(62) रून्दावाराम,
(15) मोथवाडा,	(39) येर्रावरम,	(63) नरसूगुडाम,
(16) मंगालावारपेत,	(40) कुन्दापल्ली,	(64) कोमातलागुडेम,
(17) कारलाई,	(41) नीलमपल्ली,	(65) काटेरवम,
(18) अरकालकुंत्ता,	(42) दारावारिनापल्ली,	(66) सेमर राजपेट,
(19) कोदसापेत,	(43) कारनेगुंड,	(67) मारेपल्ली,
(20) गुडेरपल्ली,	(44) महादेवागुडेम,	(68) गोआरूर,
(21) मसामी,	(45) मारिगुडेम,	(69) राधियापुर,
(22) बत्तवारतीगुदेम,	(46) जंगलपल्ली,	(70) गजलगुडेम,
(23) ममीदीगुदम,	(47) बवारगुडा,	(71) राजवेपल्ली
(24) पंगोन्डा,	(48) ओआरवाक,	(72) वोल्लिपल्ली

12. वारांगल जिले के येल्लांडु तालुका के सभी गांव (येलान्डु, सिगारेनी और सिरपुर गांव और कोठागुडा कस्बे को छोड़कर)

13. (i) वारंगल जिले के पालोचा तालुका के सभी गांव (पलोंधा, वोरगामपद, अश्वाराओपेट, दाम्मापेट, कुकनूर और नेलीपाक गांव को छोड़ कर और (ii) पलोन्छा का समस्थान।

14. विशाखापट्टनम एजेन्सी क्षेत्र (एजेन्सी लक्षमीपुरम, छिद्दीकाडा, कोनकासिंगि, कुमारापुरम, कृष्णदेवीपेता, पिछी गान्थिकोथागुडेम, गोलूगोण्डापेटा, गुनुपुडी, गुम्मुडूकोन्डा, सराभूपालपटनम, वादुरुपालि, पेदाजाग्गामपेटा गांवों में शामिल क्षेत्रों को छोड़कर)2 (विशाखापट्टनम जिले के, साराभूपति, अग्रहारम, रामचन्द्रनराजुपेटा, अग्रहारम और कोंडावातिपुड़ी अग्रहारम)

15.पूर्वी गोदावरी एजेंसी क्षेत्र 2 (रामचन्द्रपुरमगांव में शामिल क्षेत्र को छोड़ कर पूर्वी गोदावरी जिले में इसके पुरूषोथपट्टनम कस्बे सहित)

16.पश्चिम गोदावरी जिले में पश्चिम गोदावरी एजेन्सी क्षेत्र।

* आंध्र प्रदेश राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को मूल रूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश, 1950 (सी.ओ.सं.9) दिनांक 26.01.1950 और अनुसूचित क्ष्रेत्र (भाग ख राज्य) आदेश, 1950 (सी.ओ.सं.26) दिनांक 7.12.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया था और मद्रास अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश 1951 (सी.ओ.सं.30) आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश, 1955 (सी.ओ.सं.50).

1मद्रास अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश, 1951 द्वारा शामिल।

आंध्र प्रदेश क्षेत्र (सेसर) आदेश, 1955 द्वारा शामिल।

II. गुजरात**

1. सूरत जिले के उच्छाल, व्यारा, महुवा, माण्डवी, निजार, सोनगढ़, वालोद, मांगरोल और बारदोली तालुका।
2. भरूच जिले के देदियापाड़ा, सागवारा, वालिया, नन्दोद और झगाडिया तालुका।
3. डांग्स जिला तथा तालुका।
4. वलसाड जिले के बांसदा, धर्मपुर, चिखाली, पारदी और उम्बेरगांव तालुका।
5. पंचमहल जिले के झालोड, दोहाद, संतरामपुर, लिमखेडा और देवगढ़ बारिया तालुका।
6. वड़ोदरा जिले में छोटाउदयपुर तथा नसवाडी तालुका और तिलकबाडा महल।
7. साबरकंठा जिले के खेडब्रहमा, भिलोडा और मेघराज तालुका और विजयनगर महल।

**गुजरात राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को मूलरूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश, 1950 (संविधान आदेश संख्या 9) दिनांक 26.01.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया और गुजरात राज्य के संबंध में उपर्युक्त पहले आदेश का रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश, 1977 (संविधान आदेश संख्या 109) दिनांक 31.12.1977 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया।

III. हिमाचल प्रदेश***

1. लाहोल और स्पीति जिले
2. किन्नौर जिला
3. चम्बा जिले में पांगी तहसील और भरमोर उप–तहसील

***अनुसूचित क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश) आदेश, 1975 (संविधान आदेश संख्या 102) दिनांक 21.11.1975 द्वारा निर्दिष्ट

IV. महाराष्ट्र#

1. थाणे जिले में निम्निलिखित:

(क) धाहानु, तलसारी, मोखाडा, जवाहर, वडा और शहपुर तहसील

(ख) (i) पालघर तहसील के एक सौ चवालीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं:

पालघर तहसील

(1) तारापुर	(51) गिरनोली,	(101) गुण्डावे,
(2) कुदन	(52) बोरान्डे,	(102) सतीवली,
(3) दहसीर टर्फ तारापुर	(53) देवखोपे,	(103) वेहालोली,
(4) घिवाली	(54) सागवे,	(104) सवारे,
(5) वावे	(55) कोसबाद	(105) वराई,
(6) अक्कारपत्ती	(56) कोकानेर,	(106) जानसाई
(7) कुरगांव	(57) नागणारी	(107) खाइरे,
(8) पारनाली	(58) छारी खुर्द	(108) ढेकाले,
(9) वेनगानी	(59) बेलगांव	(109) गांजे,
(10) पठारवाली	(60) खुताल,	(110) जायेशेते,
(11) नेवले	(61) छिलहर,	(111) शेलवाडे,
(12) शिगांव	(62) भोपोली,	(112) वेउर,
(13) गारगांव	(63) नीहे,	(113) अम्बादी,
(14) चिंचारे	(64) दामखाण्ड,	(114) नवाली,
(15) अकेगावान	(65) कोंधान,	(115) मोरावाली,
(16) नानीवाली	(66) आवनधान,	(116) वारखुन्ती,
(17) अंबेढे	(67) बेगारचीले,	(117) कामार,
(18) बरहानपुर	(68) शील,	(118) टोकराले,

(19) सलगांव,	(69) लोवारे,	(119) बन्डाते,
(20) खुताद,	(70) बंधान,	(120) जांजरोली,
(21) खानीवाड़े,	(71) नंद गांव टर्फ मानोर,	(121) छाडे,
(22) रावते,	(72) शील शेट,	(122) वसारे,
(23) अकोली,	(73) कताले,	(123) खादकोली,
(24) असेरी,	(74) अम्भान,	(124) सखारे,
(25) सोते,	(75) वासरोली	(125) रोथे,
(26) परस्थाल,	(76) खारशेट,	(126) लालथाने,
(27) बोइसार,	(77) मानोर,	(127) नवाजे,
(28) बोरसेती	(78) ताकवाल,	(128) तान्डुलवाडी,
(29) महागांव,	(79) सवारखण्ड,	(129) गिराले,
(30) किराते,	(80) नालशेट,	(130) पारगाव,
(31) वाडे,	(81) केव,	(131) नागवे टर्फ–मानोर,
(32) खाडवाने,	(82) वाकाडी,	(132) उम्बारपदा नानड़ाडे,
(33) मेंधवान	(83) मासवान,	(133) उचावाली,
(34) विलसेय,	(84) वान्डीवाली,	(134) सफाले,
(35) कोडगांव	(85) नेताली	(135) सोनावे,
(36) कारसूद	(86) साये,	(136) माकने कापसे,
(37) बेतेगांव,	(87) तेन,	(137) करवाले,
(38) वारगंदे	(88) कारालगांव,	(138) वाधिव सरावली,
(39) लालोंडे,	(89) गोवादे,	(139) पेनान्ड,
(40) घनेडे	(90) तामसाइ,	(140) कान्डारवान,
(41) काम्बलगांव	(91) दुरवेस,	(141) दाहीवाले,
(42) मान	(92) धुकतान,	(142) दारशेट,
(43) घानेघर,	(93) पोछादे,	(143) नवगढ़ (घाटीम)
(44) वाढ़े	(94) होलाले,	(144) उम्बारपाडा–टर्फ–मानोर
(45) छारी बुदर्ग	(95) खामलोली,	
(46) बिरवाडी	(96) वाहदोली,	
(47) काल्लाले,	(97) बोत,	
(48) पाद्घे	(98) इम्बूर इराम्बी,	
(49) पोले,	(99) दानिसारी–टर्फ–मानोर,	
(50) नानडोरे,	(100) कुडे,	

(ii) वसाई (बसीन) तहसील के पैंतालीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

वसाई (बसीन) तहसील

(1) दाहीसार,	(16) उसगांव,	(31) अहोले,
(2) कोशिम्बे,	(17) मेधे,	(32) वालिव,
(3) तुलिंज,	(18) वादघर,	(33) सतिवाली,
(4) सकवार,	(19) भीनार,	(34) राजवली,
(5) छिमान,	(20) एम्बोडे,	(35) कोल्ही,
(6) हेडवडे,	(21) कालभोन,	(36) छिनछोती
(7) काशिदकोपर,	(22) अनदने,	(37) जुचंद्र,
(8) खानीवाडे,	(23) सायावान,	(38) बापने,
(9) भालीवाली,	(24) पारोल,	(39) देवदल,
(10) कावेहर,	(25) शिरवाली,	(40) कामन,
(11) शिरसाद	(26) माझीवाली,	(41) सरजामोरी
(12) मान्डवी	(27) कारांजोन,	(42) पोमन
(13) छानदीप,	(28) तिलहर,	(43) शिलोत्तर
(14) भातने,	(29) धानिव,	(44) ससुनवघर
(15) शिवनसाई	(30) पेल्हार,	(45) नागले

(iii) भिवांडी तहसील के बहत्तर गांव नीचे दर्शाए गए हैं:

भिवांडी तहसील

(1) भिवाली, (2) गनेशपुर, (3) वाडावाली वाजरेश्वरी, (4) अकोली, (5) सवारोली, (6) खातीवाली, (7) उसगांव, (8) घोटगांव, (9) वाढ़े, (10) वारेथ, (11) चाने, (12) असनोली–टर्फ–दुगद (13) दुगद, (14) मनीवाली, (15) वादवाली–टर्फ–दुगद, (16) मालबीडी, (17) मोहिली, (18) नन्दीथान, (19) देपोली, (20) सखरोली, (21) सूपेगांव, (22) पिलांजे खुर्द, (23) पिलांजे बुदुर्क, (24) अलखीवाली	(25) वाघीवाले, (26) देवचोले (27) सागोआं, (28) इकसाल, (29) चिन्चावाली–टर्फ–कुंडे, (30) डूधानी, (31) वापे (32) घदाने, (33) कुंडे, (34) घोतावाडे, (35) माइंडे, (36) करमाले, (37) कांडली बुदर्क, (38) केल्हे, (39) कांडली खुर्द, (40) दीघाशी, (41) नेवादे, (42) अम्बादी, (43) दालोंड, (44) जाम्भीवाली टर्फ–खाम्बाले, (45) उम्बारखंड, (46) आशिवाली, (47) जिदके, (48) खारीवाली	(49) बासे, (50) गांडोडे, (51) पहारे, (52) सेदगांव, (53) पच्छापुर, (54) गोंड्रवली, (55) जाम्भीवाली–टर्फ–कुंडे, (56) असनोली–टर्फ–कुंडे, (57) शिरोले, (58) दाभाद, (59) महानडुल, (60) शिरगांव, (61) पिंपल सेठ भुसेठ, (62) खादकी खुर्द, (63) खादकी बुदरूक, (64) चिम्बीपाडे, (65) कूहे, (66) घामने, (67) लाखीवाली, (68) पालीवाली, (69) पाये, (70) गाने, (71) दाहयाले, (72) फिरंगपाडा

(iv) मुरबाद तहसील के सत्तर गांव नीचे दर्शाए गए हैं:

मुरबाद तहसील

(1) कासगावं, (2) किसाल, (3) वाडावाली, (4) सखारे, (5) खुटालबोरगांव, (6) अम्बेल खुर्द, (7) सयाले, (8) इंदे, (9) खेडाले, (10) तलवाली–टर्फ–घोराट, (11) इकलाहारे, (12) चाफे–टर्फ–खेडुल, (13) पिम्पालघर, (14) देहगांव, (15) पारहे, (16) कांडली, (17) धासाई, (18) अल्यानी, (19) पालू, (20) देवघर, (21) माढ, (22) सोनावाले (23) वेलुक, (24) अलावे, (25) बरसुंगे, (26) मांडुस	(27) खेड, (28) वनोटे, (29) शाई, (30) शेलगांव, (31) शिरोशी, (32) तालेगांव (33) फंगाकोशी, (34) मेरडी, (35) वाल्हीवारे, (36) माल, (37) जडाई, (38) अम्बीवाली, (39) डिधेफाल, (40) दीवानपाडा, (41) कोचरे खुर्द, (42) कोचने बुद्रुक, (43) चोसाले, (44) खुटल बंगला, (45) नयाहाडी, (46) मोरोशी, (47) फंगुलगांवाहन, (48) सवरने, (49) थिताबी–टर्फ–वैशाखहरे, (50) कुदसेट, (51) फंगाने, (52) खपारी,	(53) हेडावाली, (54) कारचोंडे, (55) जडघर (56) उडालदोहा, (57) महोरांडे, (58) टोकवडे, (59) बालेगांव, (60) तलवाली (बडागांव), (61) वैशाखरे, (62) मनवाली–टर्फ–खेडुल, (63) पेनढारी, (64) उमरोली बुदर्क, (65) ओजीवाल, (66) मांदवत, (67) महाज, (68) पडाले, (69) कोलोशी, (70) जयगांव, (71) कलामबाद (भोंडीवाले), (72) खेवारे, (73) दुधानोली, (74) उमारोली खुर्द, (75) खोपीवाली, (76) मील्हे, (77) गोरखागड

2. नासिक जिले में निम्नः

(i) डिंडोरी तहसील के एक सौ छः गांव नीचे दर्शाए गए हैं:

डिन्डोरी तहसील

(1) मोखनाल,	(36) पिम्पराज,	(71) फोपासी,
(2) भनवाड,	(37) नालेगांव,	(72) वानी कास्बे,
(3) डेहारे,	(38) विलवांडी,	(73) संगमनेर,
(4) कारंजली,	(39) रासेगांव,	(74) खेडले,
(5) गंडोले,	(40) कोचारगांव,	(75) मवाडी,
(6) पलासविहिर,	(41) तिलहोली,	(76) करंजवान,
(7) वारे,	(42) रावलगांव,	(77) डाहेगांव,
(8) वनजोले,	(43) देहेर वाडी,	(78) वागलूड,
(9) अम्बाद,	(44) ढागुर,	(79) कृष्णागांव,
(10) वनारे,	(45) देवसाने,	(80) वारखेड,
(11) तितवे,	(46) सरसाले,	(81) कदवामहालुंगी,
(12) देवधान,	(47) करांजखेड,	(82) गोंडेगांव,
(13) नानाशी,	(48) पिंगलवाडी,	(83) हतनोर,
(14) चारोसे,	(49) इकलाहारे,	(84) नीलवांडी,
(15) देवघर,	(50) चउसाले,	(85) पिंपलगांव केतकी
(16) कौदासर,	(51) पिम्प्री अंचला,	(86) राजापुर,
(17) वनी खुर्द	(52) अहिवंतवाडी,	(87) डिंडोरी,
(18) पिंपलगांव धूम	(53) गोलडारी,	(88) जोपुल,
(19) जोरान,	(54) हास्ते,	(89) माडकी जाम्ब,
(20) महाजे,	(55) कोलहेरी,	(90) पालखेड
(21) सदराले,	(56) जिरवाडे,	(91) इन्दोर,
(22) नालवाडी,	(57) चामदारी,	(92) कोरहते,
(23) ओजे,	(58) मालदुमाला,	(93) चिंचखेड,
(24) गोलशी,	(59) मंडाने,	(94) टालेगांव डिंडोरी,
(25) जलखेड,	(60) कोशिम्बे,	(95) अकराले,
(26) निगडोल,	(61) पुनेगांव,	(96) मोहाडी,
(27) कोकानगांव बुर्दक,	(62) पंडाने,	(97) पिम्पसालानारे,
(28) उम्ब्राले खुर्द,	(63) अंबानेर,	(98) खाटवाड,
(29) अम्बेगान,	(64) चंदीकपुर,	(99) रामसेज,
(30) चाचादगांन,	(65) भाटोडे,	(100) अम्बे डिंडोरे,
(31) वाघाद,	(66) दाहिवी,	(101) ढाकम्बे,
(32) पोफलवाडे,	(67) मुलाने,	(102) जानोरी,
(33) धाउर,	(68) कोकनगांव खुर्द,	(103) मानोरी,
(34) उम्बाले बुद्रुक,	(69) मालेगांव,	(104) शिवनाई,
(35) जम्बूतके,	(70) पिम्परखेड,	(105) वारवांडी,
		(106) जौलके डिंडोरी

(ii) इगतपुरी तहसील के तिरानवे गांव नीचे दर्शाए गए हैं तथा इगतपुरी तहसील में एक शहरः

(1) ढाडोशी,	(36) पिंपलगांव भटाटा,	(71) अम्बेवाडी,
(2) भीलमाल,	(37) कोपारगांव,	(72) खाडकेड,
(3) पाहिने,	(38) कुरनोली,	(73) इन्दोर,
(4) जारवाड खुर्द,	(39) ढारनोली	(74) उम्बारकोन,
(5) टाकेहर्षा,	(40) वाकी,	(75) सोमाज घादगा,
(6) असवाली हर्षा,	(41) चिंचाले (खाइरे),	(76) उभाडे (वंजुलवाजी),
(7) समुन्दी,	(42) ट्रिंगलवाडी,	(77) मेगारे,
(8) खारोली,	(43) अदवान,	(78) बेलगांव तारहाले,
(9) कोजोली,	(44) अवालखेडे,	(79) धामनगांव,
(10) अवहाते,	(45) पारदेरी,	(80) देओले,
(11) कुशेगांव,	(46) बलायदूरी,	(81) खैरगांव,
(12) मेचन्द्रायची,	(47) खम्बाला,	(82) पिम्पलगांव मोरे,
(13) अलवांड,	(48) टाके घोटी,	(83) धामनी,
(14) दापुरे,	(49) घोटी बुद्रुक,	(84) अदसारे खुर्द,

(15) मेत हुम्बाची,	(50) तालेगांव (1),	(85) अदसारे बुद्रुक,
(16) जारवाड बुद्रुक,	(51) गिरनार,	(86) अहारवाड,
(17) महासुरली,	(52) तितोली,	(87) ताकेड खुर्द,
(18) शेवगेडांग,	(53) बोरटम्भे,	(88) ताकेड बुद्रुक,
(19) वानजोले,	(54) तालोशी,	(89) खेड,
(20) देवगांव,	(55) नन्दगांव साडे,	(90) वारसिंगवे,
(21) अहुरली,	(56) पिंपरी सदरोद्दीन,	(91) सोनोशी,
(22) नन्दादगांव,	(57) तालेघा,	(92) मइदारा धानोशी,
(23) वावी हर्षा,	(58) कंचनगांव,	(93) वासाली
(24) नागोसली,	(59) शेनवाड बुद्रुक,	
(25) ढारगांव,	(60) फंगुलगांवन,	
(26) ओडंली,	(61) बोरली,	
(27) सातुरली,	(62) मानवेधे,	
(28) अवाली डुमला,	(63) भवाली खुर्द,	
(29) कारहाले,	(64) कालूस्ते,	
(30) रायाम्बे,	(65) जामुन्डे,	
(31) टाकेडेगांव,	(66) गाहुन्डे,	
(32) मेटेलयाची,	(67) भारवाज,	
(33) बितुरली,	(68) कारूंगवादी,	
(34) वालविहिर,	(69) निरपन,	
(35) भलवी बुद्रुक	(70) मनजारगांव,	

(iii) नासिक तहसील के सत्तर गांव नीचे दर्शाए गए है तथा एक शहर त्रिम्बकः

नासिक तहसीलः

(1) साप्टे,	(19) चकोरे,	(37) मुलेगांव,	(55) गोवरधान,
(2) कोने,	(20) अम्बोली,	(38) लादाची,	(56) शिवनगांव,
(3) खारवाल,	(21) अम्बाई,	(39) नाकवाडी,	(57) पिंपलगांव गरुडेश्वर,
(4) वरासविहिर,	(22) शीरासगांव,	(40) वेले,	(58) राजेवाडी,
(5) वघेरा,	(23) तालवाडे त्रिम्बाक,	(41) सादगांव,	(59) गंगावारहे,
(6) रोहिले,	(24) पिम्पलाड त्रिम्बाक,	(42) यादगांव,	(60) गणेशगांव त्रिम्बाक,
(7) नन्दगांव,	(25) खामबाले,	(43) मनोली,	(61) गणेशगांव नाशिक,
(8) गोरथान,	(26) सापगांव	(44) ढोंडेगांव,	(62) वसाली,
(9) हिरदी,	(27) काचुरली,	(45) दारी,	(63) दूदगांव,
(10) मालेगांव,	(28) अंजनेरी,	(46) गिरनाते,	(64) महिरावनी,
(11) वेलुन्जे,	(29) तालेगांव त्रिम्बाक,	(47) दुगांव,	(65) तालेगांव अंजानेरी,
(12) गणेशगांव वघेरा,	(30) पेगलवाडी त्रिम्बाक,	(48) देओरगांव,	(66) जाटगांव,
(13) पिम्परी त्रिम्बाक,	(31) वाधोली,	(49) नागलवाडी,	(67) सारूल,
(14) मेट कवारा,	(32) उभरांडे,	(50) ओजारखेडी,	(68) पिंपलाड नासिक,
(15) ब्राह्मणवाडे त्रिम्बाक,	(33) कालमुस्ते,	(51) चांदशी,	(69) राजुबहुला,
(16) तोरनानगान,	(34) तिम्बार्क (ग्रामीण),	(52) गंगम्हौंगी,	(70) दहीगांव
(17) धूमोदी,	(35) हर्षेवाडी,	(53) जलालपुर,	
(18) बेसे,	(36) मेटंघेराकिला त्रिम्बाक,	(54) सावरगांव,	

(iv) बागलान तहसील के सत्तावन गांव नीचे दर्शाए गए हैं:

बागलान तहसील:

(1) बोरहाते, (2) मोहलांगी, (3) जैतपुर, (4) गोलवाड, (5) हतनूर, (6) मालीवाड, (7) अम्बापुर, (8) जाड, (9) वीसापुर, (10) शेवारे, (11) खाराड़, (12) वाड डिगार, (13) देवथान, (14) कोंधाराबाद, (15) अंतापुर,	(16) रावर, (17) जामोती, (18) अलिआबाद, (19) अजांडे, (20) मुलहेर, (21) बाबुलने, (22) मोरने–दिगर, (23) बोरदइवत, (24) भीमखेत, (25) वाघम्बे, (26) मनूर, (27) सालहेर, (28) कटारवेल, (29) भीलवाड, (30) तुंगन,	(31) दसवेल, (32) जाखोड, (33) मुंगासे, (34) भावाडे, (35) दसाने, (36) मालगांव खुर्द, (37) सालवान, (38) पिसोर, (39) करसाने, (40) विथोड, (41) पाठवेडीगर, (42) तालवेडीगर, (43) मोरकुरे, (44) किकवारी खुर्द, (45) केलजार,	(46) ततानी, (47) भीलडार, (48) किकवारी बुर्दुक, (49) जोरान, (50) साकोड़े, (51) करांजखेड, (52) डांग सौडाने, (53) निकबेल, (54) बन्धाते, (55) दाहिन्डुले, (56) सरवार, (57) वाडीचौलहेर

3. धूले जिले में निम्नः–

(i) सकरी तहसील के अस्सी गांव नीचे दर्शाए गए हैं:

सकरी तहसील

(1) चौपाले, (2) रोथोड, (3) जामखेल, (4) खूरूसवाडे, (5) सुतारे, (6) धानेर, (7) अमाले, (8) माचमाल, (9) खांडवारे, (10) रायकोट, (11) बुरूदके, (12) पानगांव, (13) लागडवाल, (14) रायतेल, (15) ब्रहमणवेल, (16) आमखेल, (17) जाम्बोरे, (18) वारसस, (19) जामकी, (20) रूनमाली,	(21) वसखेडी, (22) डामकानी, (23) सालटेक, (24) दाहीवेल, (25) भोनगांव, (26) बादगांव, (27) मेनडाने, (28) दापुर, (29) रोहन, (30) जेबापुर, (31) अमोडे, (32) किरवाड़े, (33) घोडाडे, (34) सुरपान, (35) कोरडे, (36) वालव्हे, (37) विटावे, (38) कासबे छाडवेल, (39) बसार, (40) इसारडे,	(41) पेटाले, (42) पिंपलगांव, (43) मोहाने, (44) तेम्भे, परगाने वारसे, (45) शिरसोले, (46) उमारपीटा, (47) मालगांव, परगान वारसे, (48) खारगांव, (49) कालाम्बे, (50) चोरवाड, (51) लाखाले, (52) वारसे, (53) शेनवाड, (54) कुदाशी, (55) मनजारी, (56) मापालगांव, (57) डांगशिरवाडे, (58) बोपखेल, (59) शिव, (60) खात्याल,	(61) वारदोली, (62) काकसाद, (63) पानखेडे, (64) सामोडे, (65) महासदी, परगने, पिम्पलनेर, (66) पिंपलनेर, (67) चिकासे, (68) जीरापुर, (69) कोकनागांव, (70) शेवागे, (71) धामानधार, (72) विरखेल, (73) पारगांव, (74) मंडाने, (75) बालहाने, (76) देशिरवाडे, (77) काडयाल, (78) ढ़ोगाड्गिार, (79) शेलबारी, (80) डेगांव

(ii) नंदुरबार तहसील व नंदुरबार शहर के बयासी गांव नीचे दर्शाए गए हैं:

नंदुरबार तहसील

(1) भंगाडे,	(22) धुलवाड,	(43) धामदाई,	(64) अखातवाड़े,
(2) मंगलूर,	(23) गुजर भवाली,	(44) वारुल,	(65) हट्टी उर्फ इंडि,
(3) वसलाई,	(24) गुजर जम्बोली,	(45) अदाच्छी,	(66) पलाशी,
(4) अर्दितारा,	(25) कर्णखेडे,	(46) लोंखेडे,	(67) घुली,
(5) धानोरा,	(26) फुलसारे,	(47) कराजकुपे,	(68) राकसवाडे,
(6) पावले,	(27) उमरदे बुद्रुक	(48) नालवे खुर्द,	(69) वाघोडे,
(7) कोठडे,	(28) नारायणपुर,	(49) सुंदारदे,	(70) पाटोंडे,
(8) उमज,	(29) घिरासगांव,	(50) नालवे बुद्रुक,	(71) हाल–टर्फ–हवेली,
(9) कोथाली खुर्द,	(30) धेकवाड,	(51) दुधाले,	(72) खोडासगांव,
(10) वदाजकान,	(31) बिलाड़ी,	(52) नंदारखे,	(73) शाहदे,
(11) निंबोन बुद्रुक,	(32) खैराले,	(53) भाने,	(74) शिंदे,
(12) जालखे,	(33) खामगांव,	(54) वसादारे,	(75) कोल्डे,
(13) शिरवादे,	(34) नागासार,	(55) बावद,	(76) भगसारी,
(14) रनाले खुर्द,	(35) विरचक,	(56) चाकले,	(77) धामदोड,
(15) नटवाड,	(36) टोकारटाले,	(57) दहींडुले बुद्रुक,	(78) सवाल्दे,
(16) करांजवे,	(37) वाघाले,	(58) दहींडुले खुर्द,	(79) कोरित,
(17) शेजवे,	(38) ओजारदे,	(59) कथोरे दिगर,	(80) सुजातपुर,
(18) पिंपलोड–टर्फ–धानोर,	(39) अस्हते,	(60) उमारदे खुर्द,	(81) तिशि,
(19) लोया,	(40) थानेपाडा,	(61) चौपाले,	(82) धंधाने
(20) वेलावाड,	(41) अमरावे,	(62) अखाराले,	
(21) व्याहुर,	(42) पथराई,	(63) वादबारे,	

(iii) शाहदा तहसील के एक सौ इकतालीस, गांव नीचे दर्शाए गए है:

शाहदा तहसील

(1) आकासपुर,	(37) थेंगचे,	(73) सोनवाई–टर्फ–हवेली,	(109) मलोनी,
(2) नवागांव (वन ग्राम),	(38) जावाडे–टर्फ–बोअरडी,	(74) कवालीथ,	(110) डोगंरगांव,
(3) वीरपुर,	(39) तारहाडी–टर्फ–बोअरडी,	(75) तुकी,	(111) कोथाल–टर्फ–शहादा,
(4) दारा,	(40) वारघे,	(76) सावरखेडे,	(112) मटकुट,
(5) भूटा,	(41) पारी,	(77) कारजोत,	(113) बोराले,
(6) कनसाइ (वन ग्राम),	(42) कोठाली–टर्फ–हवेली,	(78) लोहारे,	(114) कामरावद,
(7) नन्दया कुसुमवाडे (वन ग्राम),	(43) औरंगपुर,	(79) गोगापुर,	(115) कहतुल,
(8) चिराडे,	(44) चिखाली बुद्रुक,	(80) कुरांगी,	(116) वादछिल,
(9) नागजिरि (वन ग्राम),	(45) करनखेडे,	(81) तिधारे,	(117) लोंधारे,
(10) कुसुमवाडे,	(46) नन्दारडे,	(82) दमाल्डे,	(118) उधालोड,
(11) नन्दया (वन ग्राम),	(47) वैजाली,	(83) कालामंड–टर्फ–हवेली,	(119) निम्बोरे,
(12) पिम्परानी,	(48) वाघोडे,	(84) चिखाली खुर्द,	(120) धांड़रे बुद्रुक,
(13) रानीपुर (वन ग्राम),	(49) परकाशे,	(85) भारेटेक,	(121) चिरखान (वन ग्राम),
(14) फट्टेपुर,	(50) धामलाड,	(86) श्रीखेडे,	(122) असलोड (नया) (वन ग्राम),
(15) लक्कडकोट (वन ग्राम),	(51) काथारेडे बुद्रुक,	(87) ओजारटे,	(123) जैनघर,
(16) कोटबन्धानी (वन ग्राम),	(52) काथारडे खुर्द,	(88) उखालशेम,	(124) धांद्रे खुर्द (वन ग्राम),
(17) पिम्पलोड,	(53) कलसाडी,	(89) वघारदे,	(125) मनमोडया (वन ग्राम),
(18) कुड्डावाड,	(54) धुरखेडे,	(90) जाम,	(126) दुतखेडे (वन ग्राम),
(19) लाच्छोरे,	(55) भाडे,	(91) जवादे–टर्फ–हवेली,	(127) भोंगारा (वन ग्राम),
(20) कनाडी–टर्फ–हवेली,	(56) पिगाने,	(92) तितारी,	(128) वदाली,
(21) शीरूद–टर्फ–हवेली,	(57) गानोर,	(93) होल मुबारकपुर (वन ग्राम),	(129) कोंधावाल,
(22) अमोडे,	(58) अदगांव,	(94) वडगांव,	(130) भुलाने (वन ग्राम),
(23) अलखेड,	(59) खारागांव,	(95) पिम्पारदे,	(131) चांदसाइली (वन ग्राम),
(24) पाडाल्डे बुद्रुक,	(60) कोचरारे,	(96) असलोड,	(132) उभादगाड (वन ग्राम),
(25) बुदिगावन,	(61) बिलाडी–टर्फ–हवेली,	(97) मंडाने,	(133) काकरडे खुर्द,
(26) उमारती,	(62) बहिरपुर,	(98) अवागे,	(134) खापरखेडे (वन ग्राम),
(27) पिम्परी,	(63) ब्राह्मणसपुर,	(99) तिखोरे,	(135) मालगांव (वन ग्राम),
(28) महासवाद,	(64) सुल्तानपुर,	(100) उन्तावाद,	(136) लंगादी भवानी (वन ग्राम),
(29) अनकवाडे,	(65) रायखेड,	(101) होल,	(137) शहना (वन ग्राम),
(30) सुलवाडे,	(66) खेड दिगर,	(102) मोहिडे–टर्फ–हवेली,	(138) काकरडे बुद्रुक,
(31) तवलाई,	(67) नावलपुर,	(103) जुनवाने,	(139) अम्भानपुर बुद्रुक,
(32) मुबारकपुर,	(68) चांदसाइली,	(104) लोनखेडे,	(140) काटघर,
(33) वेलवाड,	(69) गोदीपुर,	(105) तेम्भाली,	(141) निम्बारडी (वन ग्राम)
(34) कलमाडी–टर्फ–बोअरडी,	(70) पडालडे खुर्द,	(106) होलगुजारी,	
(35) वाडी,	(71) भागा पुर,	(107) आसुस,	
(36) सोनावद–टर्फ–बोअरडी,	(72) जावखेडे,	(108) बुपकारी,	

(iv) शिरपुर तहसील के बासठ गांव नीचे दर्शाए गए हैं:–

शिरपुर तहसील:

(1) बोरपानी (वन ग्राम),	(17) उमरदा (वन ग्राम),	(33) मुखेड,	(49) खेंरखुटी (वन ग्राम),
(2) मलकाटार (वन ग्राम),	(18) डुराबड्या (वन ग्राम),	(34) नीमजारी,	(50) जोयादा (वन ग्राम),
(3) फत्तेपुर (वन ग्राम),	(19) मोहिडे (वन ग्राम),	(35) वरजाडी,	(51) चिलारे (वन ग्राम),
(4) गधाडदेव (वन ग्राम),	(20) डोंडवाडा (वन ग्राम),	(36) वाघबारदा,	(52) लकड्या हनुमान (वन ग्राम),
(5) कोडिड (वन ग्राम),	(21) तेम्भा (वन ग्राम),	(37) समरयामापद,	(53) महादेव डोंडवाडे (वन ग्राम),
(6) गुरहाडपानी (वन ग्राम),	(22) खैरीखान (वन ग्राम),	(38) लउकी,	(54) मालापुर (वन ग्राम),
(7) भुदाकी (वन ग्राम),	(23) बोअरडी,	(39) सूले (61),	(55) रोहिणी,
(8) वाघपाडे (वन ग्राम),	(24) वसारदी,	(40) फत्तेपुर,	(56) भोइती,
(9) सइगारपाडा (वन ग्राम),	(25) नन्दारदे,	(41) हेदाखेड़,	(57) अम्बे,
(10) मंजरीबुरदी (वन ग्राम),	(26) चान्दसे,	(42) अरूनपुरी बांध (अवानकीकृत),	(58) खामखेडे परगने अम्बे,
(11) चौंडी (वन ग्राम),	(27) वाडी बुद्रुक,	(43) संगवी,	(59) हिवारखेडे (वन ग्राम),
(12) भुदाकी (वन ग्राम),	(28) वाडी खुर्द,	(44) हाटेड,	(60) हिगांव,
(13) चंदसुरया (वन ग्राम),	(29) जालोड,	(45) जेन्दया अन्जन,	(61) वाडेल खुर्द,
(14) बोरादी (नया) (वन ग्राम),	(30) अभानपुर खुर्द,	(46) पलासनेर,	(62) कालापानी (वन ग्राम)
(15) काकडमल (वन ग्राम),	(31) तारहाड,	(47) खाम्बले,	
(16) वाकवाड (वन ग्राम),	(32) उखालवाडी,	(48) पानाखेड (वन ग्राम),	

3. जलगांव जिले में निम्नलिखित:–

(क) (i) चोपड़ा तहसील के पच्चीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं:

चोपड़ा तहसील

(1) मराठा (वन ग्राम),	(8) वैजापुर (राजस्व) (52),	(15) मेलान (वन ग्राम),	(22) बधाई,
(2) मूरढिडा (वन ग्राम),	(9) मुलुयाउत्तर (वन ग्राम),	(16) विशनपुर (वन ग्राम),	(23) कनदाने,
(3) उमारती (वन ग्राम),	(10) वैजापुर (वन ग्राम) (54),	(17) देवहारी (वन ग्राम),	(24) मोहराद,
(4) सत्रसेन (वन ग्राम),	(11) बोराजन्ती (वन ग्राम),	(18) देवजिरि (वन ग्राम),	(25) असालवाडी (वन ग्राम)
(5) कृष्णपुर (वन ग्राम),	(12) मालापुर (वन ग्राम),	(19) कुंडयापानी (वन ग्राम),	
(6) अंगुरने,	(13) बोरामाली (वन ग्राम),	(20) इच्छापुर परगने अडवाड़	
(7) खारया पडव (वन ग्राम)	(14) करजाने (वन ग्राम),	(21) बधावानी,	

(ii) यावल तहसील के तेरह गांव नीचे दर्शाए गए हैं:

यावल तहसील

(1) मानापुरी,	(6) हरिपुरा (वन ग्राम),	(11) जामन्या (वन ग्राम),
(2) टोलाने,	(7) वाघाजीरा (वन ग्राम),	(12) गदरया (वन ग्राम),
(3) खालकोट,	(8) प्रसादे बुद्रुक,	(13) उसमाली (वन ग्राम)
(4) इचखेडे,	(9) बोरखेड़े खुर्द,	
(5) मलोद,	(10) लांगदा अम्बा,	

(ii) रावेर तहसील के इक्कीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं:

रावेर तहसील

(1) महुमांडली (वन ग्राम),	(9) पाल,	(17) कुसुम्बे खुर्द,
(2) पिम्परकुंड (वन ग्राम),	(10) मारव्हाल,	(18) पिम्परी,
(3) अन्धारमालि (वन ग्राम),	(11) जिनसी,	(19) मोहगांन बुद्रुक,
(4) तड्या (वन ग्राम),	(12) सहसरालिंग (वन ग्राम),	(20) पडाले बुद्रुक,
(5) निमड्या (वन ग्राम),	(13) लालमाटी (वन ग्राम),	(21) महुमांडली (पुराना) (विरान)
(6) गारबारदी (वन ग्राम),	(14) अवहोडे बुद्रुक,	
(7) जानोरी,	(15) लोहारे,	
(8) चिनचाती,	(16) कुसुम्भे बुद्रुक,	

5. अहमदनगर जिले में निम्नलिखितः—

(क) अकोले तहसील के चौरानबे गांव नीचे दर्शाए गए हैं:—

अकोले तहसील

(1) तिरधे,	(33) सिगनवाडी राजुर,	(65) गोंडोशी,
(2) पडोशी,	(34) मुरशेट,	(66) खादकी,
(3) महाजुंगी,	(35) शेंडी,	(67) साकिरवाडी,
(4) एकडारे,	(36) समराड,	(68) पचनाई,
(5) संगावी,	(37) भंडारडारा,	(69) चिंचवाने,
(6) केली रूमहानवाडी,	(38) रानाड बुद्रुक,	(70) पदालने,
(7) बिताका,	(39) रानाड खुर्द,	(71) शेलाद,
(8) खिरवीरे,	(40) मालेगांव,	(72) पिम्परी,
(9) कोम्भालने,	(41) कोहोन्डी,	(73) घोटी,
(10) तहकारी,	(42) दिगम्बर,	(74) पैथान,
(11) समशेरपुर,	(43) गुहिरे,	(75) लवाली कोतुल,
(12) सावरगांव पाट,	(44) कतालपुर,	(76) वाघदारी,
(13) मुथालने,	(45) रतनवाडी,	(77) शिलवांडी,
(14) बारी,	(46) मुतखेल,	(78) कोहोने,
(15) वारंघुसी,	(47) तेरूंगन,	(79) लिवाली ओतुर,
(16) लाडागांव,	(48) राजुर,	(80) ताले,
(17) शेनित,	(49) विथे,	(81) कोथाले,
(18) पाभुलवांडी,	(50) कोल्टेम्भे,	(82) सोमलवाडी,
(19) बाभुलवांडी,	(51) केलुंगन,	(83) विहिर,
(20) अंबेवांगन,	(52) जामगांव,	(84) शिंडा,
(21) देवगांव,	(53) शिरपुंजे बुद्रुक,	(85) अम्बित खिंड,
(22) पेंडशेट,	(54) सवारकुटे,	(86) पालसुंडे,
(23) मानहेरे,	(55) कुमशेट,	(87) पिसेवाडी,
(24) शेलविहीरे,	(56) शिरपुंजे खुर्द,	(88) फोपसांडी,
(25) पंजारे,	(57) घामनवन,	(89) सातवाडी,
(26) चिनचोंडी,	(58) अम्बित,	(90) केली ओतुर,
(27) वाकी,	(59) बालथान,	(91) केली कोतुल,
(28) तितावी,	(60) मानिक ओजार,	(92) खेतेवाडी,
(29) पिंपरकाने,	(61) पुरूचवाडी,	(93) इसारथाव,
(30) उदादावाने,	(62) मवेशी,	(94) करांडी
(31) कोदानी,	(63) शिसवाद,	
(32) घाटघर,	(64) वापजुलसेत,	

6. पुणे जिले में निम्नलिखितः—

(i) अम्बेगांव तहसील के छप्पन गांव नीचे दर्शाए गए हैं:

अम्बेगांव तहसील

(1) डोन,	(20) पंचाल खुर्द,	(39) राजेवाडी,
(2) पिम्परागाने,	(21) महिलुंगे—टर्फ—अम्बेगांव,	(40) सूपघर,
(3) अघाने,	(22) सवारली,	(41) तालेघर,
(4) अहूपे,	(23) मेघोली,	(42) मापोली,
(5) तिरपाड,	(24) वाचपे,	(43) डिम्भे खुर्द,
(6) नहावेद,	(25) साकेरी,	(44) पोखारी,
(7) असाने,	(26) पिम्परी,	(45) गोहे बुद्रुक,
(8) मलीन,	(27) अम्बेगांव,	(46) निगाडाल,
(9) नानावाडे,	(28) जाम्भोरी,	(47) गोह खुर्द,
(10) अमाडे,	(29) कालम्बाई,	(48) अपाती,
(11) वरसावने,	(30) कोन्ढावाल,	(49) गंगापुर खुर्द,
(12) कोंढारे,	(31) फुलवाडे,	(50) अमोंडी,
(13) आदिवारे,	(32) फलोडे,	(51) कनासे,
(14) बोरघर,	(33) कोलटावाडे,	(52) गंगापुर बुद्रुक,
(15) पाटन,	(34) तेरूनगांव,	(53) सिनोली,
(16) कुसीरे खुर्द,	(35) दिम्भे बुद्रुक,	(54) पिम्पालगाव—टर्फ—घोडा,
(17) पंचाल बुद्रुक,	(36) महालुंगे—टर्फ—घोडा,	(55) साल,
(18) कुसीरे बुद्रुक,	(37) राजपुर,	(56) ढाकले
(19) दिगाद,	(38) चिखाली,	

(i) जुन्नार तहसील के पैंसठ गांव नीचे दर्शाए गए हैं:—

जुन्नार तहसील

(1) चिल्हेवाडी,	(23) हदसर,	(45) वानेवाडी,
(2) अम्बेहवहन,	(24) देवाले,	(46) अपटाले,
(3) जामभूलशी,	(25) खाइरे,	(47) कोली,
(4) खिरेश्वर,	(26) घाटघर,	(48) शिवाली,
(5) माथालाने,	(27) जलवांडी,	(49) उतचिल,
(6) कोल्हेवाडी,	(28) हिरदी,	(50) बोटा,
(7) कोपारे,	(29) उनदेखादक,	(51) धालेवाडी—टर्फ—मिनहर,
(8) मंडावे,	(30) राजुर,	(52) भिवाडे बुद्रुक,
(9) सिंगनोरे,	(31) खाटकाले,	(53) इंगालून,
(10) आलू,	(32) मणिकडोह,	(54) भिवाडे खुर्द,
(11) खूबी,	(33) खाड कुम्बे,	(55) घंगालडारे,
(12) पिम्पालगांव जोगा,	(34) उरसान,	(56) सोनावाले,
(13) कारंजाले,	(35) वेवादी,	(57) ताम्बे,
(14) माध,	(36) तेजुर,	(58) हिवारे—टर्फ—मिनहेर,
(15) पांगरी—टर्फ—माध,	(37) फंगलघावन,	(59) हतविज,
(16) कोलवाडी,	(38) चावन्द,	(60) अम्बे,
(17) परगांव—टर्फ—मोध,	(39) पुर,	(61) पिंपरवाडी,
(18) तालेरान,	(40) खानगांव,	(62) सुकालवधे,
(19) सीतेवाडी,	(41) मानकेश्वार,	(63) गोदरे,
(20) वटखाले,	(42) सुराले,	(64) खामगांव,
(21) निमगिर,	(43) अम्बोली,	(65) सोमतवाडी
(22) अनजानवाले,	(44) शिरोली—टर्फ—कुकादनेर,	

7. नान्देड़ जिले में निम्नलिखितः—

किंवत तहसील के निम्नलिखित एक सौ बावन गांव व किंवत कस्बा, जोकि नीचे उल्लिखित हैं:

(1) तकली,	(41) वाराज बुद्रुक,	(81) राजगड,	(121) परदी बुद्रुक,
(2) पदसा,	(42) उमरी,	(82) वडोली,	(122) बोधादी खुर्द,
(3) सायपाल,	(43) उनकदेव,	(83) अनजी,	(123) बोधादी बुद्रुक,
(4) मुरली,	(44) चाइस,	(84) कनकवाडी,	(124) सिंदगी (चिखली),
(5) वादसा,	(45) पिंपलसेंडा,	(85) लोनी,	(125) अंधाबोरी (चिखली),
(6) कोली,	(46) सरखानी,	(86) धामनधारी,	(126) कोपारा,
(7) अश्ता,	(47) देलही,	(87) पंधारा,	(127) पीपर फोडी,
(8) गोण्डेगांव	(48) निराला,	(88) बेल्लोरी,	(128) पटोडा (चिखली),
(9) मदनापुर (महोर),	(49) नूरगांव,	(89) मारेगांव,	(129) पिपरी,
(10) बोंडगांवन,	(50) टिट्वी,	(90) कमथाला,	(130) धानोरा (चिखली),
(11) उमरा,	(51) लिंगी,	(91) अम्बादी,	(131) सवारी,
(12) मछन्द्रा पारदी,	(52) नागपुर,	(92) खेरदा,	(132) धारा,
(13) करालगांव,	(53) जुनुनी,	(93) मलकापुर,	(133) पोथ रेड्डी,
(14) सावरखेड,	(54) दिगदवाजरा,	(94) घोती,	(134) सिगारवाडी,
(15) डिगडी (कुटेमार),	(55) डारसांगवी (सिंदखेड़),	(95) सिरमेत्ती,	(135) अन्जेगांव,
(16) वाई,	(56) सिंगोडा,	(96) भीमपुर,	(136) भंडारवाडी,
(17) हरदाप,	(57) सिरपुर,	(97) पिंपलगांव (किनवत),	(137) जलधारा (चद्रपुर),
(18) नाइकवाडी,	(58) वेम्भी,	(98) धोगारवाडी,	(138) बेलोरी (चिखली),
(19) हिन्गानी,	(59) पटोड़ा बुद्रुक मिनको,	(99) गोकुंडा,	(139) मालकोलारी,
(20) वाजरा,	(60) मांडवी,	(100) माण्डवा (130),	(140) डिगरास,
(21) तुलशी	(61) जवारला,	(101) डिग्डी (मंगाबोड़ी),	(141) डोंगरगांव (चिखली),
(22) गोंडवाडसा,	(62) पालसी,	(102) नागजरी,	(142) शिवोनी (चिखली),
(23) अंजानखेड,	(63) बेलगांव,	(103) कोठारी (चिखली),	(143) परोटी,
(24) भोराड़,	(64) कनकी,	(104) प्रधान संगवी,	(144) स्वरगांव,
(25) चोराड़,	(65) कोठारी (सिंदखेड़),	(105) बेन्डी,	(145) जलधारा (इस्लापुर),
(26) धनोरा (सिंदखेड),	(66) पिंपलगांव (सिंदखेड़),	(106) अमाडी,	(146) कोठारी,
(27) रामपुर,	(67) डोंगरगांव (सिंदखेड़),	(107) मदनापुर (चिखली),	(147) हुड्डी (इस्लापुर),
(28) पाथरी,	(68) जरूर,	(108) शानीवार पेठ,	(148) करांजी (इस्लापुर),
(29) खाम्बला,	(69) मिनकी,	(109) दभादी,	(149) कुपटी खुर्द,
(30) पारदी,	(70) पचुण्डा,	(110) चिखाली,	(150) कुपटी बुद्रुक,
(31) सिन्दखेड,	(71) वनोला,	(111) हुदी (चिखली),	(151) वागधारी,
(32) सिंचखेड,	(72) साकुर,	(112) एन्धा,	(152) तलारी
(33) हटोला,	(73) मैंडकी,	(113) भूलजा,	
(34) वाइफानी,	(74) डिगडी (मोहनपुर),	(114) डारसंगवी,	
(35) धुंद्रा,	(75) धानोरा (डिगडी),	(115) मालकवाडी,	
(36) गउरी,	(76) मोहापुर,	(116) पेन्डा,	
(37) बोथ,	(77) मुंग्शी,	(117) परधी खुर्द,	
(38) सइलू,	(78) सिंगदी (किनवत),	(118) केरल,	
(39) करन्जी (सिन्दखेड़),	(79) मालबोरगांव,	(119) डेगांव,	
(40) भगवती,	(80) नेजपुर,	(120) लिंगधारी,	

8. अमरावती जिले में निम्नलिखितः—

चिखलाधार और धरनी तहसीलें

9. यवतमाल जिले में निम्नलिखितः—

(i) मारेगांव तहसील के 130 गांव नीचे दर्शाए गए हैंः

मारेगांव तहसील

1) घोगुलदारा	(46) बोटोनी	(91) पारम्भा
(2) शिओनाला	47) गिर्जापुर (वन ग्राम)	(92) पोखरनी (वन ग्राम)
(3) बुरांडा	(48) पछपोहर	(93) पिवारदोल
(4) पहपल	(49) अम्बेजारी	(94) भोराद (वन ग्राम)
(5) कान्हलगांव	(50) रोहपात	(95) चिखालदोह
(6) खेकडवाई	(51) रायपुर	(96) मुल्गवान
(7) घोदाधारा	(52) सगनपुर	(97) भीमनाला
(8) नरसाला	(53) हिवारा बरसा	(98) चटवान
(9) धामनी	(54) रामपुर	(99) अराइकवाड़
(10) मदनापुर	(55) कातली बोरगांव	(100) गवारा
(11) बोरी खुर्द	(56) पारदी (116)	(101) माथार्जुन
(12) पिस्गांव	(57) शिबला	(102) महदापुर
(13) वड़गांव (40)	(58) चियाली (वन ग्राम)	(103) पंधारवानी
(14) फिसकी (वन ग्राम)	(59) बोरगांव (वन ग्राम)	(104) देमाद देवी
(15) भालेवाड़ी	(60) पेंधारी	(105) मंडवा
(16) पथारी (51)	(61) अर्जुनी	(106) डोंगारगांव (वन ग्राम)
(17) चिंचाला,	(62) कागांव	(107) दभाड़ी
(18) पंघार्कवाला (53)	(63) रजनी	(108) उमरी (192)
(19) खर्दा (वन ग्राम) (54)	(64) माजरा	(109) मुधाती
(20) पिम्प्रद (वन ग्राम)	(65) गंगापुर (वन ग्राम)	(110) द्यसोदी
(21) फपरवाड़ा	(66) भोइकुंड (वन ग्राम)	(111) कोंडपखिंडी
(22) सालाभट्टी (वन ग्राम)	(67) वाधोना	(112) मंगरुल खुर्द
(23) दोलदोंगरगांव	(68) सुसारी	(113) मंगरुल बुदुर्क
(24) मचिन्द्रा	(69) सुरला (131)	(114) गोपालपुर
(25) पंडविहोर	(70) गोदानी	(115) रामपेठ
(26) जाल्का	(71) निमानी	(116) चालबरडी
(27) पंधारदेवी (वन ग्राम)	(72) दरारा	(117) जामनी
(28) अम्बोरा (वन ग्राम)	(73) आसन	(118) शिरोला
(29) चिंचोनी बोटोनी	(74) जागलोन	(119) अदकोली
(30) अवंलगांव (वन ग्राम)	(75) जामकोला	(120) खालकलोह
(31) कान्हलगांव (85)	(76) इसापुर	(121) बिरसापेठ
(32) खारीगांव (86)	(77) किलोना	(122) मुछी
(33) सराती	(78) उमरघाट	(123) मारकी बुदुर्क
(34) बुरांडा (88)	(79) वल्लासा	(124) मारकी खुर्द
(35) दुर्गादा	(80) जुनोनी (वन ग्राम)	(125) गणेशपुर
(36) वागधारा	(81) लेंचोरी	(126) पंवार (वन ग्राम)
(37) मेंधानी	(82) चिंचघर	(127) कृष्णपुर (वन ग्राम)
(38) घानपुर	(83) अम्बिजारी खुर्द	(128) खेकाड़ी (वन ग्राम)
(39) खंडानी	(84) अम्बेजारी बुदुर्क	(129) शेकापुर
(40) खापी	(85) करगांव खुर्द	(130) यिओती
(41) उच्चातदेवी (वन ग्राम)	(86) निम्बादेवी	
(42) मारेगांव (वन ग्राम)	(87) टेम्फी	
(43) खंडानी	(88) कुंडी	
(44) महासदोदका	(89) मांडिव	
(45) पालागांव	(90) जुनोनी	

(ii) रालेगांव तहसील के तैंतालीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

रालेगांव तहसील

(1) लोहारा	(16) तेजानी	(31) उमरविहिर
(2) एकलारा	(17) अंजी	(32) अदनी
(3) सोनेर्डी	(18) लोनी	(33) खटारा
(4) वाटखेड	(19)बोराती (वन गांव)	(34) मुंजाला
(5) जलका	(20) साराती	(35) पलासकुन्ड
(6) वार्हा	(21) खैरगांव कसार	(36) वीरगांव
(7) पिंपारी दुर्ग	(22) वारधा	(37) खैर गांव
(8) मांडवा	(23) भुलगद	(38) देवधारी
(9) कोलवान	(24) पिंपलाशेंडा (75)	(39) सिंगल दीप
(10) शोइत	(25) अतमुर्दी	(40) सोनुर्ली
(11) वरुद	(26) सावरखेड	(41) सिन्दोला
(12) बुकाई	(27) चोंधी	(42) जोतिगदारा
(13) जरगद	(28) वधोड़ा	(43) साखी खुर्द
(14) खादकी सुकली	(29) खेमकुन्ड	
(15) डोंगरगांव	(30) पार्डी (वन गांव)	

(iii) केलापुर तहसील में निम्नलिखित 103 गांव नीचे दर्शाए गए हैं और पन्धार्कवाड़ा कस्बाः

(1) मोदारी	(36) नईकसुकली (वन गांव)	(71) पंधारवानी बुदुर्क (वन गांव)
(2) जोगीन कोहला	(37) पेधारी	(72) कोंधी
(3) मीरा	(38) पिल्पाली	(73) वेदार
(4) जीरा	(39) डोंगारागांव (308)	(74) बागी
(5) घोद्दारा (वन ग्राम)	(40) बेथ	(75) घनमोडे
(6) साखी बुदुर्क	(41) माले गांव खुर्द (वन गांव)	(76) नन्दगांव
(7) वधोना खुर्द	(42) हिवारदारी (वन गांव)	(77) गणेशपुर (370)
(8) जोलापुर (वन ग्राम)	(43) मालागांव बुदुर्क (वन गांव)	(78) टाटापुर
(9) कराजी	(44) दरियापुर	(79) जुन्जापुर
(10) वधोना बुदुर्क	(45) पिल्वाहरी	(80) गेंडवाकाडी
(11) तिवसाला (वन ग्राम)	(46) अर्ली	(81) चलबर्दी
(12) कोथाड़ा	(47) हिवरी	(82) बेलुरी
(13) सुरदेवी	(48) पिंपालशेंडा (333)	(83) टादुमारी
(14) चनई	(49) कारेगांव (334)	(84) बरगांव (377)
(15) असोली	(50) वाडवत	(85) अकोली बुदुर्क
(16) मोहादा	(51) खैरी (336)	(86) महानदोली
(17) कारेगांव (163)	(52) घुवाडी	(87) सखारा
(18) चिखालदारा	(53) कोंघारा	(88) मराठवाकाडी
(19) कृष्णापुर	(54) सखरा बुदुर्क	(89) ढोकी (382)
(20) दाभा	(55) धारना	(90) वल्लारपुर
(21) मोरवा	(56) मांगी (343)	(91) टोकवनजारी
(22) खैरगांव (199)	(57) ढोकी (344)	(92) वानजारी (382)
(23) वघोली	(58) वायी	(93) खारीगांव बुदुर्क
(24) कुसल	(59) पिंपालपुर	(94) टिम्भी
(25) चोपन	(60) गणेशपुर (347)	(95) राधापुर (वन गांव)
(26) मल्कापुर (वन गांव)	(61) खैरगांव (348)	(96) पिखाना (वन गांव)
(27) केगांव	(62) पाधे	(97) वासारी
(28) वादनेर	(63) निलजई	(98) अन्धारवाडी
(29) जुली	(64) मारगांव (352)	(99) येदलापुर (वन गांव)
(30) भाद उमारी	(65) अभोरा	(100) चनाखा
(31) पटोडा	(66) डोंगरगांव (358)	(101) निमधेली
(32) पहापल	(67) पिंपारी (353)	(102) रुधा
(33) नागजारी खुर्द	(68) खैरगांव (360)	(103) सुकली
(34) बहततार	(69) मुची	
(35) सुसारी	(70) मगुर्दा	

(iv) घतांजी तहसील के पचपन गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

घतांजी तसील

(1) मारवेली	(20) अयाते	(39) चिखालवर्धा
(2) रजुरवाडी	(21) काप	(40) तड़–सवाली
(3) लिंगी	(22) कवाथा बुद्रुक	(41) सैफल
(4) कोली खुर्द	(23) बिलायत	(42) नागेजरी बुदुर्क
(5) कोली बुदुर्क	(24) खादकी (260)	(43) कवाथा(वन गांव)
(6) रामपुर उन्धार्नी	(25) चिमटा	(44) पारवा
(7) कापशी	(26) कोपरी खुर्द	(45) मझाडा
(8) डेटोडी	(27) चिंचोली (268)	(46) पार्दी
(9) गुधा	(28) किंघी (वन गांव) (269)	(47) जम्ब
(10) वारुड (240)	(29) गवारा (वन गांव)	(48) कालेश्वर
(11) जपारवाडी	(30) टिटवी	(49) शेराद
(12) उमरी (242)	(31) मुरादगवन (वन गांव)	(50) धुंकी (वन गांव)
(13) पलोडी	(32) पिंपाल खुटी(वन गांव)	(51) मथानी (वन गांव)
(14) कोपरी (244)	(33) खरोनी (वन गांव)	(52) राजागांव (वन गांव)
(15) घोटी	(34) वधोना	(53) खापरी (वन गांव)
(16) बुडाडी	(35) डोर्ली	(54) होनेगांव
(17) मुधाटी (वन गांव)	(36) राहती	(55) गनेरी
(18) जलान्द्री	(37) रासा (वन गांव)	
(19) मनुसधारी	(38) जताला	

10. गढ़चिरोली जिले में निम्नलिखितः

(क) इत्तापल्ली, सिरोंचा, अहेरी, धनोरा, कुरखेडा तहसील।

(ख) (i) गढ़चिरोली तहसील के बासठ गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

गढ़चिरोली तहसील :

(1) नावगांव (636)	(22) मुदजा तुकुम	(43) राजनगुद्दा
(2) चाक चुरचुरा	(23) करुपाला	(44) बनोली
(3) कुराधी	(24) मसली	(45) सूर्यडोंगरी
(4) चाक मउसी	(25) रणभूमि	(46) सलाईटोला
(5) मरमेडी	(26) चन्द्राला	(47) विटानटोआ
(6) बोथेडी	(27) रणमोल	(48) पोटेगांव
(7) पेलनदुर	(28) कुम्भी पत्व	(49) रजोली (734)
(8) गिलगांव (658)	(29) कुम्भी मोकासा	(50) म्रदास
(9) चाक खरपुर्डी	(30) मादे मुल	(51) जालेर
(10) जपरा	(31) मारोदा	(52) दैवापुर
(11) चाक धिबाना	(32) कोसामघाट	(53) रामगाड (738)
(12) मेरेउमबोडी	(33) रायपुर (718)	(54) गावलहेटी
(13) कुरकेडी	(34) रवानजोरा	(55) डेउडा
(14) खुरसा	(35) पेकिनकासा	(56) खरादगुडा
(15) वीजापुर	(36) सवेला	(57) तालकुडा
(16) सोनापुर	(37) सुईमारा	(58) जामगांव
(17) मोंधा (680)	(38) सखेरा	(59) खाडसी
(18) सावरगांव (683),	(39) कर्कजारा	(60) कोरकुटी
(19) कनरी	(40) कन्हलगांव(725)	(61) नागवेली
(20) पुलखाल	(41) केलीगाटा	(62) जालेगांव
(21) मुदजा बुदुर्क	(42) तोहागांव	

(ii) अरमोरी तहसील के चौहत्तर गांव नीचे दर्शाए गए हैं:

अरमोरी तहसील

(1) कोरागांव (6)	(26) चाक केरपाडा	(51) पिसेवाडढ़ा
(2) कालमगांव	(27) लोहारा (78)	(52) परासवाडी (113)
(3) कुरल	(28) चाक सोनपुर	(53) डवाडी
(4) सलेडा तुकाम	(29) हिरापुर (80)	(54) खादकी (115)
(5) सलेडा लाम्बा	(30) डोंगर तामसी	(55) भाकरांडी
(6) कसारी तुकाम	(31) सियानी खुर्द	(56) नरोती मालगुजार
(7) कसारी गांव	(32) चावहेला	(57) कारेगांव (119)
(8) शिवराजपुर (29)	(33) मोहाताला चाक कुकोडी	(58) वारखेडा
(9) पोटेगांव (30)	(34) मेंधा (89)	(59) खराडी
(10) विहिरगांव (33)	(35) डोंगारतमसी	(60) भंशी
(11) पिपांलगांव	(36) नगरवाडी	(61) डोर्ली
(12) अरात–तोन्डी	(37) चाक नरोती	(62) वनारचुवा
(13) डोंगारगांव (हलाबी)	(38) चाक कुरोंडी	(63) जमभाली (127),
(14) प्लासगांव (43)	(39) वाडेगांव	(64) मिंधा(128),
(15) नवारगांव	(40) थोटीबोडी	(65) नारचोली
(16) पाथरगोटा (49)	(41) देलवांडी	(66) खेहारी
(17) मगेवड़ा	(42) मेनापुर	(67) मारगांव पेच
(18) अर मोरी	(43) कोसारी	(68) मारगांव (140)
(19) सलमारा	(44) मनगोडा	(69) चाक मारगांव
(20) थानेगावं	(45) तुलतुली	(70) चाक चिंचोली
(21) पटानवेड़ा	(46) चकनागारवाही	(71) मुसी खुम्ब
(22) पुरानवैरागड	(47) विहिरगांव	(72) बेलगांव (144),
(23) देउलगांव (69)	(48) कुरांडी	(73) चिचोली (145),
(24) सुकला	(49) उमारी	(74) वानखेडा
(25) मोहाजारी उर्फ सखारखेडी	(50) यंगाडा	

(iii) चामरोशी तहसील के एक सौ बत्तीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं:

चामरोशी तहसील :

(1) सगानपुर (758)	(23) पन्धारी भटाल	(45) मांगेर
(2) बनढोना (764)	(24) राजनगेट्टा	(46) चिंचापल्ली
(3) गिलगांव (765)	(25) चाक अमरगांवन.1(809)	(47) वानारचुवा
(4) भिंडी कनाल (771)	(26) मुतनूर	(48) जयरामपुर
(5) दातारी	(27) अबापुर	(49) वाइगांव
(6) चाइट कनवर	(28) मुरानदेपी	(50) नाराणपुर
(7) कालमगांव	(29) लिनगुडा	(51) राजुर खुर्द
(8) कुरुड	(30) अदयल	(52) हलदवाही
(9) मालेर,	(31) कर्कापल्ली	(53) मुधौली
(10) कुलेगांव	(32) चाक कर्कापल्ली	(54) कोठारी (845)
(11) नाचनगांव	(33) जंगामरकुरल	(55) बम्हानी देव
(12) भादभिद (788)	(34) फियूजर	(56) सोमनपल्ली
(13) वालसारा	(35) दिकानी	(57) कान्हलगांव (848)
(14) चाक बिसापुर	(36) चाक मुदोली न..2,	(58) सिंगेला
(15) जोगाना	(37) लक्ष्मणपुर	(59) बेलगाट्टा
(16) मुरमुरी	(38) सगानपुर (829)	(60) पेठताला
(17) रावनपल्ली	(39) अम्बोली	(61) छाक पेठाताला सं. 1,
(18) सोनापुर	(40) गहुबोदी	(62) पारादीदेव
(19) डरर्ली	(41) छाक नारायणपुर संख्या 1	(63) यादवपल्ली
(20) रेखागांव	(42) छाक नाराणपुर संख्या 2	(64) राजपुर (856)
(21) येदानूर	(43) राजुर वुदर्क	(65) जाम्भालीरिथ
(22) पेलसानपेथ	(44) भादविड (835),	(66) मेटेगुडा

(67) छाक बेलगत्ता	(89) अम्बेला(वन गांव)	(112) सिगनपल्ली
(68) मांजी गांव	(90) गाट्टा(वन गांव)	(113) धामनपुर
(69) मच्छालीघोट	(91) अडगेपल्लि	(114) कोठारी (930)
(70) छाक माक्केपल्लि सं.4	(93) येल्लूर	(115) अम्बाटपाल्लि
(71) दुर्पन गुडा	(94) थाकरी	(116) गोमानी
(72) छाक माक्केपल्लि सं.2	(95) राजगट्टा (908)	(117) लागमहेट्टी
(73) छाक माक्केपल्लि सं.3	(96) लोहरा	(118) दामनपुर
(74) गारांजी	(97) मुकारीटोला	(119) बन्दुकपल्ली
(75) छाक मेड आमगांव	(98) भोलखांडी(वन गांव)	(120) कोड़ीगांव
(76) छाक मेड आमगांव सं.1	(99) हेतलकासा	(121) चिचेला
(77) छाक मेड आमगांव सं.2	(100) बोलपल्ली	(122) नागुलवाही
(78) तुमडी	(101) पुलीगुड्म	(123) छितुगुंहा
(79) गिरगाडी	(102) कुनधादा	(124) तुमुगुडा
(80) माकेपल्लि मालगुजारी	(103) कोलसापुर	(125) माछिनगट्टा
(81) बोरघाट	(104) गंगापुर	(126) येल्ला
(82) अस्टी नोकेवाडा	(105) चंदन खेड़ी	(127) टिकपाल्ली
(83) ब्राहमणपेठ	(106) मालेरा	(128) मारपाल्ली
(84) बेंगानूर	(107) बसारवाड़ा	(129) जामगांव
(85) नोकेवाडा	(108) चापराला	(130) कुलथा
(86) अल्लापल्ली	(109) छइदमपट्टी	(131) रामपुर
(87) रेगेवाही	(110) मुकाडी(वन गांव)	(132) लागम चक
(88) कोलपल्ली	(111) फुस्की	

11. चन्द्रपुर जिले में निम्नलिखितः

राजुरा तहसील के एक सौ बयासी गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

राजुरा तहसील :

(1) पारसौदा	(30) खेरगांव (33),	(59) कारगांव बुदुर्क
(2) रायपुर	(31) हतलौनी	(60) मारकागोंडी (76)
(3) कोथोडा खुर्द	(32) एरगांव	(61) बेलगांव
(4) गोविंदपुर	(33) उमारजारा	(62) जुलबारदी
(5) कोथोडा बुदुर्क	(34) येल्लापुर	(63) सवालहीरा
(6) मेंहदी	(35) शिंगार पारार	(64) खीरगांव (80)
(7) पर्दी	(36) लम्बोंरी	(65) पांढरवानी (81)
(8) जैवरा	(37) सेदवई	(66) जांम्बुलढ़ारा
(9) चनाई खुर्द	(38) नरपाथर	(67) धानकदेवी
(10) अकोला	(39) कोदापुर	(68) येरमी इसपुर
(11) कोरपाना	(40) घरपाना	(69) सारंगपुर
(12) दुर्गादी	(41) नाकेवाडा	(70) जिवाती
(13) रुपापेठ	(42) गुडसेल	(71) नागपुर
(14) चुनाई बुदुर्क	(43) वानी	(72) मारकोलमोट्टा
(15) मांडवा	(44) केकाजारी	(73) धोंदा अरजुनी
(16) कानेरगांव बुदुर्क	(45) मोहदा	(74) धोंधा मांडवा
(17) कटलावोडी	(46) पुदियाल मोहदा	(75) टेका अर्जुनी
(18) शिवपुर	(47) कमलापुर	(76) टेका मांडवा
(19) चौपान	(48) चिंचखोंड	(77) राहपल्लीबुदुर्क
(20) करमवौडी	(49) वनसाडी	(78) छिखिली (94),
(21) कुकुलवोंडी	(50) पराम्बा	(79) पाटन (95),
(22) टीपा	(51) देवघाट	(80) हीरापुर
(23) मंगुलहीरा	(52) कुसाल	(81) इसपुर
(24) खादकी (27),	(53) दाहेगांव	(82) आसन खुर्द
(25) जमुलधारा (28),	(54) सोनुरलो (70)	(83) आसन बुदुर्क
(26) वोरगांव बुदुर्क	(55) कारगांव खुर्द (71)	(84) पीपलगांव
(27) वोरगावं खुर्द	(56) धानोली	(85) पालजारी
(28) आशापुर	(57) पिपराडा	(86) बोरिनवे गांव
(29) तांगाला	(58) छिनछोली	(87) नन्दा

(88) बीबी (89) धुनकी (90) धामनगांव (91) काखमपुर (92) बाडगांव (93) इंजापुर (94) चंदूर (95) कुकुदसात (96) खिरदी (97) धुतरा (98) बहलामपुर (99) मनोली खुर्द (100) जमानी (101) नोकारी बुदुर्क (102) सोनापुर (103) उप्पारवाई (104) भुरखुंडा खुर्द (105) कदकी (150), (106) नोकारी खुर्द (107) नागराला (108) पालेजारी (109) काकबान (110) डोगरागांव (155) (111) छिखाली (156), (112) भुरखुंडा बुदुर्क (113) पाछगांव (114) सेनगांव (159) (115) ताताखेंडी (116) भेंडवी (117) सुकादपल्लि (118) कारकागोंडी (119) तित्वी	(120) नादपा (121) येरगांवन (122) कावादगोंडी (123) सोराकासा (124) कुसुम्बी (125) जनकपुर (126) पुनागुडा (नावेगांव) (127) डेवड़ा (128) खदकी रायपुर (129) गोवेन्दपुर (130) मारियापट्न (131) उमराजारा (176) (132) राहपल्लि खुर्द (133) धार्मराम (134) भोकसापुर (135) बाम्बेजारी (136) भारी (137) पांडरवानी (182) (138) सिंडोलाटा (139) सोंडो (140) बेलगांव (185) (141) काकड़घाट (142) गनेरी (143) खिरदी (144) सेदवई (145) बाबरपुर (146) हीरापुर (200), (147) सखारी (148) मनोली खुर्द (149) गोयेगांव (150) हरडोना खुर्द (151) हरडोना बुदुर्क	(152) विनिरगांव (224) (153) मागी (154) वांगी (155) पाढंरपुनी (227) (156) अहेरी (157) कोच्छी (158) गोरजा (159) बारुर (160) रानीवेली (161) भेडोडा (162) ताम्भुरवाही (163) चिरुड़ (164) छिंछवोडी (165) कवथाला (166) सोनुरली (167) सिरसी (168) बेरडी (169) भेंडाला (170) केलजारी (171) नवेगांव (265), (172) चिंचाला (173) वीरुर (174) सिद्धेश्वर (175) घोट्टा (176) गोगरगांव (177) सुबाई (178) कोस्ताला (179) लाक्कदकोट (180) अम्बेजारी (181) अन्तारगांव (277) (182) अन्नूर

महाराष्ट्र राज्य के अनुसूचित क्षेत्र को, मूलरुप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश 1950 (सी.ओ.9) दिनांक 26.01.1950 और अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश (स.आ. 26) दिनांक 07.12.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया था और अपर संदर्भित आदेशों को जहां, तक उनका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है, रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (महाराष्ट्र) आदेश,, 1985 (सां.आ. 123) दिनांक 02.12.1985 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया है।

V. ओडिशा##

1. मयूरभंज जिला 2. सुंदरगढ़ जिला 3. कोरापुट जिला 4. सम्बलपुर जिले में कुचिंडा तहसील 5. क्योंझर जिले में, क्योंझर सब–डिवीजन और तेलकोड़ तहसीलें और चम्पुआ सब डिवीजन की चम्पुआ और बारबल तहसीलें। 6. बौध–खोंडमल जिले की खोण्डमाल सब दृडिवजीजन की खोण्डमाल तहसील और बालीगुडा सब–डिवीजन की बालीगुडा और जी उदयगिरी तहसीलें।	7. गंजाम जिले आर, उदयगिरी और पारलखेमुण्डी तहसील के मूगा और रायगढा खंड और सुरदा तहसील, धुमसुर सब–डिवीजन के गजलबाडरी और ग्राम पंचायत के अतिरिक्त ग्राम।	8. कालाहांडी जिले में भवानी पटना उप–मण्डल में यौमुल रामपुर खंड और लानजीगढ में पड़ने वाला लालजीगढ खंड और कालाहांडी तहसीलें। 9. बालासोर जिले में नीलगिरी सब–डिवीजन के निलगिरी तहसील का नीलगिरी सामुदायिक विकास खंड।

ओडिशा राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को मूल रूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क) राज्य आदेश, 1950 (सी.ओ. संख्या 9) दिनांक 26.1.1950 और अनुसूचित क्षेत्र (भाग (ख) (राज्य) आदेश, 1950 (सी.ओ. 26) दिनांक 7.12.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया और ऊपर संदर्भित आदेशों को जहां तक उनका संबंध ओडिशा राज्य से है, आदेश को रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्य) आदेश, 1977 (सी.ओ. 109) दिनांक 31.12.1977 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया।

VI राजस्थान##

(1). बांसवाड़ा जिला

(2). डूँगरपुर जिला

(3). प्रतापगढ़ जिला

(4). उदयपुर जिले में निम्नलिखितः

(क) कोटरा, झडोल (तत्कालीन फलासिया), लसड़िया, सालम्बर, सारदा, खेरवाड़ा, ऋषभदेव और गोगुन्दा की तहसीलें। गिरवा तहसील में निम्नलिखित

(i) गिरवा ब्लॉक।

(ii) बड़गांव प्रखंड की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित गांव निम्नानुसार हैं:

(I) मदार ग्राम पंचायत के मदार, ब्राह्मणों की हुंदर, राठौरों का गुरहा, बंदरवाड़ा, घोड़ान कलां, घोरान खुर्द और कायलों का गुरहा गांव।

(II) कैलाशपुरी ग्राम पंचायत के कैलाशपुरी, राया, करावारी, मथाथा, नागदा, झालों का गुरहा और मुनवास गांव।

(III) चीरवा ग्राम पंचायत के चीरवा, मोहनपुरा, शिवपुरी, करेलों का गुरहा और सारे गांव।

(IV) अंबरी ग्राम पंचायत के अंबरी, भीलों का बेड़ला, ओटन का गुरहा और प्रतापपुरा गांव।

(V) ढीकली ग्राम पंचायत के ढीकली और बड़ा गांव।

(VI) कविता ग्राम पंचायत के कविता, बरोदिया, घसियार और डांगियों का हुंदर गांव।

(VII) धार ग्राम पंचायत के गहलोतों का वास, बेयाल, कुंडल उबेश्वरजी, धार, बडंगा और बनड़िया गांव।

(क) मावली तहसील के नौवा ग्राम पंचायत के नौवा, खदरा, रायजी का गुरह और मारुवास गांव।

(ख) वल्लभनगर तहसील के ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित गांव नीचे वर्णित हैं:

(I) मल की तूस ग्राम पंचायत के मल की तूस, गोवाला, फालेट, टैंक और ब्राह्मणों का रोबा गांव।

(II) धवरिया ग्राम पंचायत के धवरिया, खेराफला, नागलिया, रानी डूंगला और रानिया गांव।

(III) भोपा खेरा ग्राम पंचायत के भोपा खेरा, बेरीपुरा, हमरपुरा, फुसरिया और रायला गांव।

(IV) कुंदई ग्राम पंचायत के कुंदई, भामेला, गोटीपा, कंकरियों का खेरा, नाहरपुरा उर्फ नरपुरा, पद्मा खेड़ा और संग्रामपुरा गांव।

(V) (5). राजसमंद जिले में निम्नलिखितः

(क) कुम्भलगढ़ तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित गांव, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

(i) अंतरी ग्राम पंचायत के अंत्री, संदूकों का गुरहा और बारां गांव।

(ii) कुचोली ग्राम पंचायत के कुचोली, केशर और बावड़ा गांव।

(iii) ओरा ग्राम पंचायत के ओरा, डोवास और कोडर गांव।

(iv) पीपना ग्राम पंचायत के पीपना, जेतरान और देलवरिया गांव।

(v) बरदरा ग्राम पंचायत के बरदरा, उदावर, कलथाना और कोटरा गांव।

(ख) नाथद्वारा तहसील के कालिवास ग्राम पंचायत के निम्नलिखित गांव, अर्थात् कालीवास, बरवा, बरवालिया, बेरन, कमली का गुरहा, गैमेथॉन का नोहारा, दमवारी, कोलार, मुंजेला, लीलेरा, रैनिया, श्यामजी का गुरहा, सियोल, सोंगरिया और टेंटेला।

(6). चित्तौड़गढ़ जिले में बारी सदरी तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित गांव, जैसा कि नीचे बताया गया है:

(क) रतिचंद्र जी का खेरा ग्राम पंचायत के अफ्रोन का तालाब, लिंकोडा, सुल्तानपुरा, बोरखेड़ा, सेमल खेड़ा, रुघनाथपुरा, कीटखेड़ा, रति तलाई, रति चंद्र जी का खेड़ा, चांदपुरा, सबलपुरा और गुंडल पुर गांव।

(ख) अमीरामा ग्राम पंचायत के अमीरामा, मानपुरा, पार्बती, रूप पुरा और मरौदिया गांव।

(ग) केवलपुरा (क), केवलपुरा जागीर, रावतपुरा, शिव पुरा, तेगरियो का फला, नया खेड़ा, रानी माल्या, काली भीत, लच्छमीपुरा, हरिपुरा, श्यामपुरा, जूनी बरवाल, कल्याणपुरा और केवलपुरा (ख) केवलपुरा ग्राम पंचायत के गांव।

(घ) मूंजवा ग्राम पंचायत के मूंजवा, जयसिंहपुरा, एकलिंगपुरा, मातमगरी, ढिकरिया खीरी, पूजन का फलियां, पयरी, केशरपुरा, खानखरिया खीरी, लालपुरा, काला खेत और दीपोन का तालाब।

(ङ) परसोली ग्राम पंचायत के परसोली, बोरुंडी, गढ़ बोरुंडी, संग्रामपुरा, राठौरों का खेड़ा, खीरी कलां, खीरी खुर्द और सुखपुरा गांव।

(7). पाली जिले में बाली तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित गांव निम्नानुसार हैं:

(क) अमलिया ग्राम पंचायत के अमलिया, कागदरा, थांडी बेरी, लक्ष्मण पुरा जोड़ और बोथारा गांव।

(ख) कूरन ग्राम पंचायत के कूरन, खेतराली, कोलवाड़ा, कोटिवाड़ा, कूरन खदरा और खेतराली खड़ा गांव।

(ग) गोरिया ग्राम पंचायत के गोरिया और कोरवा गांव।

(घ) भीमना ग्राम पंचायत के भीमना, उपला भीमना, तानी, उराना और नदिया गांव।

(ङ) काकरड़ी ग्राम पंचायत के काकरड़ी, अरडवां, दानवेरली, सांभरवाड़ा और बेरडी गांव।

(च) मल्लू ग्राम पंचायत के मल्लू, हीरोला और लालपुरा गांव।

(छ) पीपला ग्राम पंचायत के पीपला गांव।

(ज) लुंदरा ग्राम पंचायत के लुंदरा, चिमनपुरा और मालदार गांव।

(झ) कोयलवाओ ग्राम पंचायत के कोयलवाओ, चिंगता भाटा और चोपा की नाल गांव।

(च) मल्लू ग्राम पंचायत के मल्लू, हीरोला और लालपुरा गांव।

(छ) पीपला ग्राम पंचायत के पीपला गांव।

(ज) लुंदरा ग्राम पंचायत के लुंदरा, चिमनपुरा और मालदार गांव।

(झ) कोयलवाओ ग्राम पंचायत के कोयलवाओ, चिंगता भाटा और चोपा की नाल गांव।

(8). सिरोही जिले में निम्नलिखित

(क) अबुरोड तहसील

(ख) पिंडवाड़ा तहसील के ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित गांव नीचे वर्णित हैं:

(i) वर्ली ग्राम पंचायत के वरली, कुंडल, सबेला, वागदारी, ढांगा, कलुंबरी और पिंडवाड़ा (ग्रामीण) गांव।

(ii) मोरास ग्राम पंचायत के मोरास, चिनिया बैंड और भदावेरी गांव।

(iii) अमली ग्राम पंचायत के अमली, थांडी बेरी, सदालवा और मलप गांव।

(iv) घराट ग्राम पंचायत के घरात, मलेरा, नवास, गड़िया और पहाड़ कलां गांव।

(v) लोटाना ग्राम पंचायत के लोटाना, अप्री खेड़ा और कलाबोर गांव।

(vi) मंदवाड़ा खालसा ग्राम पंचायत के मंडवाड़ा खालसा, खोखरी खेड़ा और वर्की खेड़ा गांव।

(vii) सांवारा ग्राम पंचायत के सांवारा, सदा फली, नववास देव, नववास खालसा और सेमली गांव।

(viii) इसरा ग्राम पंचायत के इसरा, केर, उबेरा और चुरली खेड़ा गांव।

(ix) वलोरिया ग्राम पंचायत के वलोरिया गांव।

(x) मंडवाड़ा देव ग्राम पंचायत के मंडवाड़ा देव, पीतारी पादर, केदार पादर और बोर उमरी गांव।

(xi) भुला ग्राम पंचायत भूला ग्राम।

(xii) अचपुरा ग्राम पंचायत के अचपुरा, कसींदा, नागपुरा, पंच देवल, ब्लॉक नंबर 2 और कोटरा गांव।

(xiii) बसंत गढ़ ग्राम पंचायत के बसंत गढ़ गांव।

(xiv) सिवेरा ग्राम पंचायत के सिवेरा, राजपुरा, केशवगंज और दारला पडर गांव।

राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश, 1950 (सीओ 26) दिनांक 7.12.1950 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया गया था और रद्द करने के बाद, अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश 1981 (सी ओ 114) दिनांक 12.2.1981 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट कर दिया गया है।

VII झारखण्ड

1. रांची जिला 2. लोहरदगा जिला 3. गुमला जिला 4. सिमडेगा जिला 5. लातेहर जिला 6. पूर्वी–सिंहभूम जिला 7. पश्चिमी– सिंहभूम जिला	8. सरायकेला–खरसावां जिला 9. साहेबगंज जिला 10. दुमका जिला 11. पाकुर जिला 12. जामतारा जिला 13. पलामू जिला–सतबरवा ब्लॉक की राबदा और बकोरियापंचायतें	14. गढ़वा जिला–भंडारिया ब्लॉक 15. गोडा जिला–सुंदर पहाड़ी और बौरीजोर ब्लॉक

@ संयुक्त राज्य बिहार के अनुसूचित क्षेत्रों को मूलरूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश 1950 (सी.ओ. 9) दिनांक 26.1.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया और बिहार राज्य के संबंध में उपर्युक्त पहले आदेश को रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्य) आदेश 1977 (सी.ओ. 109) दिनांक 31.12.1977 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया। बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत नए राज्य झारखंड के निर्माण के परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य बिहार के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों को नवनिर्मित झारखंड राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया। जहां तक बिहार राज्य का संबंध है, 31.12.1977 के आदेश को रद्द करके, झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 (सी.ओ. 192) दिनांक 20.2.2003 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों (छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 (सी.ओ. 192) में विनिर्दिष्ट झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र को दिनांक 11.04.2007 के अनुसूचित क्षेत्र (झारखंड राज्य), आदेश, 2007 (सी.ओ. 229) द्वारा रद्द कर दिया गया है।

VIII मध्य प्रदेश @@

1. झाबुआ जिला 2. मंडला जिला 3. डिन्डोरी जिला 4. बरवानी जिला 1 5. धार जिले में सरदारपुर, धार, कुक्षी, धरमपुरी, गंधवानी और मनावर तहसील 6. खरगोन (पश्चिम निमाड़) जिले में भगवानपुरा, सेगांव, भीकनगांव, झिरनिया, खरगोन और महेश्वर तहसील 7. खण्डवा (पूर्वी निमाड़) जिले की हरसूद तहसील के खालवा आदिवासी विकास खंड एवं खकनार तहसील के खकनार आदिवासी विकास खण्ड 8. रतलाम जिले में सैलाना और बाजना तहसील 9. बैतूल तहसील (बैतूल विकास खंड को छोड़कर) और बैतूल जिले में भैंसदेही और शाहपुर तहसील 10. सिवनी जिले में लखनादोन, घनसौर और कुरई तहसीलें 11. बालाघाट जिले की बैहर तहसील	12. होशंगाबाद जिले में इटारसी तहसील के केसला आदिवासी विकास खंड 13. शहडोल जिले की पुष्पराजगढ़, अनूपपुर, जैठारी, कोतमा, जैतपुर, सोहागपुर और जयसिंहनगर तहसील 14. उमरिया जिले की पाली तहसील में पाली आदिवासी विकास खंड 15. सीधी जिले की कुसमी तहसील में कुसमी आदिवासी विकास खंड 16. श्योपुर जिले की कराहल तहसील में कराहल आदिवासी विकास खंड 17. तामिया एवं जमाई तहसीलें, पटवारी अंचल संख्या 10 से 12 एवं 16 से 19, ग्राम सिरेगांव खुर्द एवं किरवाड़ी पटवारी अंचल नं. 09, ग्राम मैनावारी एवं पटवारी अंचल क्रमांक 13 के गौली परसिया, परसिया तहसील में, छिंदवाड़ा तहसील में पटवारी अंचल संख्या 25 के ग्राम बम्हानी,	अमरवाड़ा तहसील में हराई आदिवासी विकास खंड एवं पटवारी अंचल संख्या 28 से 36,41,43,44 एवं 45बी सौंसर तहसील में बिछुआ तहसील एवं पटवारी अंचल संख्या 05, 08, 09,10,11 एवं 14, पटवारी अंचल क्रमांक 01 से 11 एवं 13 से 26 एवं पटवारी अंचल नं. 12 (भूली को छोड़कर), पटवारी अंचल संख्या 27 के ग्राम नंदपुर, छिंदवाड़ा जिले की पांडुरना तहसील के पटवारी अंचल संख्या 28 के नीलकंठ और धवडीखापा.

IX छत्तीसगढ @@

1. सरगुजा जिला 2. कोरिया जिला 3. बस्तर जिला 4. दंतेवाड़ा जिला 5. कांकेर जिला 6. बिलासपुर जिले में मरवाही, गोरेला–1, गोरिल्ला–2 आदिवासी विकास खंड एवं कोटा राजस्व निरीक्षक अंचल	7. कोरबा जिला 8. जशपुर जिला 9. रायगढ़ जिले में धर्मजयगढ़, घरघोड़ा, तमनार, लैलुंगा और खरसिया आदिवासी विकास खंड 10. दुर्ग जिले में डोंडी आदिवासी विकास खंड 11. राजनांदगांव जिले में चौकी, मानपुर और मोहला आदिवासी विकास खंड	12. रायपुर जिले में गरियाबंद, मैनपुर और छूरा आदिवासी विकास खंड 13. नगरी (सिहावा) आदिवासी धमतरी जिले में विकास खंड

@@@ मध्य प्रदेश राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को मूलरूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश, 1950 (सां.आ. 9) दिनांक 26.1.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया और मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में उपर्युक्त पहले आदेश को रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्य) आदेश 1977 (सां.आ. 109) दिनांक 31.12.1977 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत नए राज्य छत्तीसगढ़ के निर्माण के परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश के संबंध में कुछ अनुसूचित क्षेत्रों को नवनिर्मित छत्तीसगढ़ राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया। जहां तक मध्य प्रदेश राज्य का संबंध है, 31.12.1977 के आदेश को रद्द करके, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 (सां.आ. 192) दिनांक 20.2.2003 के तहत पुनः निर्दिष्ट किया गया है।

टिप्पणः उपर्युक्त सूची में अनुसूचित क्षेत्र की वर्तनी में किसी असंगतता के मामले में सम्बंधित मूल अधिसूचना को अंतिम तथा अधिप्रमाणित माना जाएगा।

अनुलग्नक 6क

वर्ष 2019–20, 2020–21 और 2021–22 के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा एसटीसी/टीएसपी आवंटन

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	एसटीसी दायित्व	2019–20 (वास्तविक)			2020–21 (संशोधित अनुमान)			2021–22 (संशोधित अनुमान)		
			कुल योजना परिव्यय	कुल एसटीसी आवंटन	कुल परिव्यय का %	कुल योजना परिव्यय	कुल एसटीसी आवंटन	कुल परिव्यय का %	कुल योजना परिव्यय	कुल एसटीसी आवंटन	कुल परिव्यय का %
1	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	4.30	2488.61	105.91	4.26	2305.00	106.69	4.63	2686.00	115.50	4.30
2	कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	8.60	93677.82	8717.57	9.31	116199.00	9993.11	8.60	122427.00	10528.73	8.60
3	पशुपालन और डेयरी विभाग	8.60	2536.44	221.80	8.74	2500.00	240.76	9.63	2930.04	265.29	9.05
4	वाणिज्य विभाग	4.30	5976.17	29.01	0.49	3721.69	15.45	0.42	4147.02	25.00	0.60
5	उपभोक्ता मामले विभाग	4.30	1826.99	1.72	0.09	11941.65	1.83	0.02	2870.50	1.92	0.07
6	दिव्यांगजनों के अधि ाकारिता विभाग	8.60	655.43	78.92	12.04	536.89	47.57	8.86	709.77	61.04	8.60
7	मत्स्य पालन विभाग	8.60	428.95	49.44	11.53	710.00	63.00	8.87	1015.00	91.52	9.02
8	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	4.30	114052.06	0.50	0.00	437521.96	5421.31	1.24	251336.17	10814.48	4.30
9	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	8.60	45945.67	4042.09	8.80	61450.82	3997.14	6.50	53544.13	4260.20	7.96
10	उच्चतर शिक्षा विभाग	8.60	7809.46	1605.00	20.55	4395.61	1304.78	29.68	9069.43	1963.45	21.65
11	भूमि संसाधन विभाग	10.00	1511.01	178.30	11.80	1238.00	123.87	10.01	2150.00	215.01	10.00

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	एसटीसी दायित्व	2019–20 (वास्तविक)			2020–21 (संशोधित अनुमान)			2021–22 (संशोधित अनुमान)		
			कुल योजना परिव्यय	कुल एसटीसी आवंटन	कुल परिव्यय का %	कुल योजना परिव्यय	कुल एसटीसी आवंटन	कुल परिव्यय का %	कुल योजना परिव्यय	कुल एसटीसी आवंटन	कुल परिव्यय का %
12	ग्रामीण विकास विभाग	17.50	122079.68	5882.27	4.82	197247.27	5823.02	2.95	131342.00	15127.24	11.52
13	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	10.70	42487.42	5831.61	13.73	41753.58	5709.45	13.67	43648.66	5297.40	12.14
14	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	4.30	2587.98	111.84	4.32	2241.00	97.00	4.33	2915.69	125.45	4.30
15	दूरसंचार विभाग	4.30	7811.59	140.75	1.80	11407.91	322.75	2.83	14431.58	401.01	2.78
16	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	8.60	6597.63	237.81	3.60	6457.35	186.41	2.89	8144.51	197.17	2.42
17	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	10.00	18243.45	1833.89	10.05	17000.00	1700.00	10.00	60005.10	5897.18	9.83
18	उर्वरक विभाग	4.30	81124.33	——	——	133947.30	——	——	79529.68	3592.57	4.52
19	औषध विभाग	4.30	202.81	——	——	408.33	18.49	4.53	410.76	17.00	4.14
20	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष)	4.30	590.51	26.00	4.40	521.90	31.70	6.07	852.47	35.80	4.20
21	कोयला मंत्रालय	8.60	762.82	95.16	12.47	553.73	73.67	13.30	419.98	36.11	8.60
22	संस्कृति मंत्रालय	4.30	401.96	22.51	5.60	392.78	16.89	4.30	455.20	19.57	4.30
23	पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय	8.60	2636.15	750.87	28.48	1839.28	563.61	30.64	2637.49	716.87	27.18

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	एसटीसी दायित्व	2019–20 (वास्तविक)			2020–21 (संशोधित अनुमान)			2021–22 (संशोधित अनुमान)		
			कुल योजना परिव्यय	कुल एसटीसी आवंटन	कुल परिव्यय का %	कुल योजना परिव्यय	कुल एसटीसी आवंटन	कुल परिव्यय का %	कुल योजना परिव्यय	कुल एसटीसी आवंटन	कुल परिव्यय का %
24	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	6.70	3191.09	215.24	6.75	3044.82	204.00	6.70	6806.33	456.03	6.70
25	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	8.60	1580.13	95.35	6.03	1140.09	99.00	8.68	1759.13	152.00	8.64
26	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	4.30	803.06	38.25	4.76	1150.00	49.45	4.30	1200.00	47.30	3.94
27	आवास और शहरी कार्य मंत्रालय	4.30	40553.16	324.71	0.80	43503.07	369.43	0.85	51019.02	174.50	0.34
28	श्रम और रोजगार मंत्रालय	8.60	9590.54	929.06	9.69	13094.53	1126.13	8.60	12651.00	1084.12	8.57
29	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	8.60	6664.25	618.96	9.29	5604.51	382.34	6.82	15629.25	350.50	2.24
30	खान मंत्रालय	4.30	812.81	25.55	3.14	——	23.23	——	804.52	15.03	1.87
31	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	8.60	3417.39	322.00	9.42	3343.21	288.00	8.61	5645.28	486.00	8.61
32	पंचायती राज मंत्रालय	8.60	471.46	61.15	12.97	656.79	42.02	6.40	876.20	78.86	9.00
33	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	4.30	42692.74	1619.80	3.79	42809.08	1652.27	3.86	15695.00	555.99	3.54
34	ऊर्जा मंत्रालय	8.60	11950.76	803.78	6.73	7680.79	516.00	6.72	11009.12	765.60	6.95

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	एसटीसी दायित्व	2019–20 (वास्तविक)			2020–21 (संशोधित अनुमान)			2021–22 (संशोधित अनुमान)		
			कुल योजना परिव्यय	कुल एसटीसी आवंटन	कुल परिव्यय का %	कुल योजना परिव्यय	कुल एसटीसी आवंटन	कुल परिव्यय का %	कुल योजना परिव्यय	कुल एसटीसी आवंटन	कुल परिव्यय का %
35	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	4.30	78110.98	2610.00	3.34	101656.45	3430.00	3.37	117947.35	4125.00	3.50
36	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	8.60	2112.68	172.71	8.17	2461.00	189.55	7.70	2505.00	191.83	7.66
37	वस्त्र मंत्रालय	8.60	4360.24	184.99	4.24	3207.86	126.25	3.94	3444.61	202.79	5.89
38	पर्यटन मंत्रालय	**4.30**	**1251.65**	**55.00**	**4.39**	**1147.29**	**49.00**	**4.27**	**1900.67**	**82.00**	**4.31**
39	जनजातीय कार्य मंत्रालय	**100.00**	**7288.62**	**7293.66**	**100.07**	**5472.50**	**5472.50**	**100.00**	**7484.07**	**7484.07**	**100.00**
40	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	**8.60**	**22919.20**	**2232.83**	**9.74**	**20764.31**	**1785.23**	**8.60**	**24162.00**	**2077.93**	**8.60**
41	युवा मामले और खेल मंत्रालय	**8.60**	**1494.18**	**182.82**	**12.24**	**776.50**	**117.92**	**15.19**	**1398.01**	**121.25**	**8.67**
	कुल	702814.83	**39545.48**	**5.96**	**1313803.85**	**51780.82**	**3.94**	**1079614.74**	**78256.31**	**7.25**	

अनुलग्नक–6ख

राज्य जनजातीय उप–योजना/अनुसूचित जनजाति घटक के तहत विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा 2019–20 से 2021–22 तक आवंटन और व्यय का विवरण (31.12.2021 तक)

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	एसटी जनसंख्या का % (2011)	वित्तीय वर्ष 2019–20					वित्तीय वर्ष 2020–21रु					वित्तीय वर्ष 2021–22'				
			कुल योजना परिव्यय	एसटीसी आवंटन	एसटीसी आवंटन का %	एसटीसी व्यय	व्यय का %	कुल योजना परिव्यय	एसटीसी आवंटन	एसटीसी आवंटन का %	एसटीसी व्यय	व्यय का %	कुल योजना परिव्यय	एसटीसी आवंटन	एसटीसी आवंटन का %	एसटीसी व्यय	व्यय का %
1	आंध्र प्रदेश	5.3	92696.81	4988.53	5.38	3281.46	65.78	104063.25	6570.16	6.31	4731.91	72.02	100043.45	6131.24	6.13	2992.56	48.81
2	अंडमान और निकोबार	7.5	5029.16	130.03	2.59	127.65	98.17	3904.30	116.01	2.97	114.72	98.89	4347.79	231.90	5.33	39.26	16.93
3	असम	12.4	25186.00	2056.32	8.16	1965.05	95.56	37827.00	1614.43	4.27	1086.89	67.32	31783.14	1528.17	4.81	647.85	42.39
4	बिहार	1.3	102977.40	1194.28	1.16	1126.97	94.36	108210.00	1049.18	0.97	868.38	82.77	113363.27	1352.26	1.19	347.79	25.72
5	छत्तीसगढ	30.6	76546.17	22012.66	28.76	16422.09	74.60	95438.85	20919.60	21.92	4627.71	22.12	एनआर	एनआर	एनए	एनआर	एनए
6	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	33.0	एनआर	12.41	एनए	12.41	100.00	एनआर	17.45	एनए	0.71	4.05	एनआर	एनआर	एनए	एनआर	एनए
7	गोवा	10.2	19548.69	454.28	2.32	227.86	50.16	10873.18	453.39	4.17	183.06	40.38	25055.64	492.61	1.97	70.75	14.36
8	गुजरात	14.8	106308.00	14567.00	13.70	12809.00	87.93	110529.00	14106.00	12.76	11120.53	78.84	108365.60	14463.08	13.35	4692.04	32.44
9	हिमाचल प्रदेश	5.7	7100.00	639.00	9.00	639.00	100.00	7900.00	711.00	9.00	एनआर	एनए	13174.45	1227.45	9.32	एनआर	एनए
10	झारखंड	26.2	49142.62	20886.15	42.50	16312.27	78.10	48924.94	20201.43	41.29	1119.87	5.54	एनआर	एनआर	एनए	एनआर	एनए
11	कर्नाटक	7.0	234153.00	7879.11	3.36	7227.59	91.73	237893.00	7805.50	3.28	4712.78	60.38	142855.00	7673.47	5.37	एनआर	एनए
12	केरल	1.5	30610.00	866.26	2.83	504.36	58.22	27610.00	781.36	2.83	733.40	93.86	27610.00	781.36	2.83	114.76	14.69
13	मध्य प्रदेश	21.1	139774.64	33466.66	23.94	26980.30	80.62	99029.67	24261.29	24.50	14993.91	61.80	112521.34	24910.99	22.14	एनआर	एनए
14	महाराष्ट्र	9.4	99000.00	8531.00	8.62	6833.55	80.10	108000.00	8853.00	8.20	7415.42	83.76	130000.00	9738.00	7.49	1817.54	18.66

15	ओडिशा	22.8	46380.13	7374.29	15.90	6022.73	81.67	79974.26	14423.83	18.04	10647.59	73.82	77056.57	13714.87	17.80	4351.69	31.73
16	राजस्थान	13.5	111080.15	14981.24	13.49	13819.01	92.24	112362.73	15545.68	13.84	13784.39	88.67	132251.35	18095.95	13.68	7574.20	41.86
17	सिक्किम	33.8	637.34	2.63	0.41	1.51	57.41	818.43	1.00	0.12	0.76	76.00	एनआर	1.00	एनए	1.00	100.00
18	तमिलनाडु	1.1	56849.96	1277.84	2.25	1015.84	79.50	64255.97	1299.47	2.02	1155.51	88.92	65847.45	1306.01	1.98	45.38	3.47
19	तेलंगाना	9.3	75263.24	7184.87	9.55	6357.84	88.49	104612.62	9771.28	9.34	3583.12	36.67	126272.59	12304.23	9.74	2685.94	21.83
20	त्रिपुरा	31.8	6205.25	2772.42	44.68	1794.55	64.73	6529.34	2573.98	39.42	777.22	30.20	13457.54	3406.15	25.31	एनआर	एनए
21	उत्तर प्रदेश	0.6	526809.21	1027.01	0.19	823.37	80.17	544454.24	1195.14	0.22	1163.78	97.38	506181.84	1335.74	0.26	एनआर	एनए
22	उत्तराखंड	2.9	51145.29	516.54	1.01	302.93	58.65	53526.97	498.64	0.93	36.34	7.29	57400.32	543.30	0.95	एनआर	एनए
23	पश्चिम बंगाल	5.8	89329.48	6287.53	7.04	5303.00	84.34	95203.74	8211.59	8.63	4338.17	52.83	114898.33	9633.54	8.38	एनआर	एनए
	कुल	एनए	1951772.54	159108.06	8.15	129910.34	81.65	2061941.51	160980.40	7.81	87196.17	54.17	1902485.67	128871.33	6.77	25380.76	19.69

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना।

मणिपुर, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख से संबंधित एसटीसी डेटा उपलब्ध नहीं है।

#समायोजित किया जा रहा है, *अनंतिम आंकड़े, अन्यः आवंटन, व्ययरू व्यय, एनआरः प्राप्त नहीं हुआ, लागू नहीं: लागू नहीं

अनुलग्नक–6ग

"आईटीवीडी के लिए एससीए" योजना के तहत पांच साल के पहले चरण में कम से कम 50% जनजातीय आबादी और 500 अनुसूचित जनजातियों को चिह्नित गांवों की सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	गांवों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	517
2	अरुणाचल प्रदेश	141
3	असम	1700
4	बिहार	184
5	छत्तीसगढ़	4029
6	दादर और नगर हवेली	53
7	दमन और दीव	2
8	गोवा	21
9	गुजरात	3764
10	हिमाचल प्रदेश	90
11	जम्मू और कश्मीर	434
12	झारखंड	3891
13	कर्नाटक	507
14	केरल	6
15	मध्य प्रदेश	7307
16	महाराष्ट्र	3605
17	मणिपुर	254
18	मेघालय	836
19	मिजोरम	344
20	नागालैंड	530
21	ओडिशा	1653
22	राजस्थान	4302
23	सिक्किम	62
24	तमिलनाडु	167
25	तेलंगाना	533
26	त्रिपुरा	375
27	उत्तर प्रदेश	183
28	उत्तराखंड	64
29	पश्चिम बंगाल	874
	कुल गांव	**36428**

अनुलग्नक 6घ

2011–12 से 2021–22 के दौरान संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत निधि अनुदान जारी करना

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22 (31.12.2021तक)
1	आंध्र प्रदेश	7998.00	4834.00	350.00	2139.00	5500.00	2869.43	4591.11	6390.77	8942.43	2055.55	2638.65
2	अरुणाचल प्रदेश	1082.83	0.00	832.19	1880.40	3000.80	6580.53	8378.82	12170.52	13202.25	6014.00	4320.00
3	असम	3419.00	0.00	3540.25	0.00	0.00	844.12	0.00	3916.32	10802.85	4592.37	0.00
4	बिहार	959.00	0.00	0.00	586.00	0.00	1467.58	991.89	0.00	0.00	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	9294.00	8534.00	9172.11	10778.00	11904.31	10488.52	10964.49	11352.92	22500.77	9976.24	3420.95
6	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	450.00	103.00	345.66	0.00	0.00	0.00
7	गुजरात	9426.00	4629.60	10275.69	8592.45	11680.00	9739.02	11384.08	11648.20	16833.88	5940.04	6923.79
8	हिमाचल प्रदेश	431.00	474.00	474.00	190.99	523.20	1595.87	2074.70	3378.16	5314.70	1161.00	0.00
9	जम्मू और कश्मीर	1390.00	150.34	1146.75	0.00	2000.00	3539.66	3049.06	2051.79	5410.00	0.00	0.00
10	झारखंड	9181.00	7369.50	9280.40	9873.00	12202.96	9489.38	12386.93	7354.30	11166.77	10278.00	0.00
11	कर्नाटक	4263.00	4800.00	4800.00	4880.40	6300.00	4664.00	5881.74	5220.61	10435.46	3305.68	1110.00
12	केरल	463.00	510.00	510.00	748.94	1085.44	695.58	803.17	472.28	633.29	0.00	0.00
13	मध्य प्रदेश	14015.50	16518.04	15793.47	17321.42	14845.15	14971.43	22399.48	24635.30	44938.92	4279.78	0.00
14	महाराष्ट्र	10805.00	2911.00	12489.00	11701.29	13374.00	11536.53	13862.24	17015.91	23136.70	4573.16	0.00
15	मणिपुर	937.00	1031.00	1031.00	1600.01	1216.00	1694.40	2308.80	5367.65	6151.91	0.00	0.00
16	मेघालय	2798.00	0.00	2924.38	2334.03	1507.67	1576.21	3603.40	5129.79	4799.53	492.71	0.00
17	मिजोरम	1056.00	810.75	1133.61	1877.78	3617.37	1927.49	2504.41	3507.71	6598.83	1909.71	0.00
18	नागालैंड	2301.00	2454.00	2886.93	2067.15	5469.34	6368.00	4434.11	9194.49	6802.11	1717.38	1595.69
19	ओडिशा	11347.00	11283.99	14706.50	12728.22	15200.00	11954.96	15995.30	21449.15	15110.66	6304.62	3949.43
20	राजस्थान	7642.00	7737.98	9437.80	9755.92	11000.00	10341.39	10240.58	13769.23	15586.19	9166.00	4400.40
21	सिक्किम	259.00	272.58	302.90	370.30	1250.30	1147.00	405.30	355.34	3175.35	516.00	0.00
22	तमिलनाडु	614.25	0.00	901.00	639.60	852.80	798.24	378.00	773.57	6356.07	0.00	0.00
23	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	3894.40	6090.00	3608.05	5015.32	3248.89	9973.28	2517.00	2050.00
24	त्रिपुरा	1250.00	1375.00	1355.00	1218.99	1600.68	1280.99	2040.99	2006.73	2952.63	201.74	0.00
25	उत्तर प्रदेश	1484.91	200.00	0.00	743.49	1514.74	1138.62	189.00	252.43	2760.71	927.43	832.71
26	उत्तराखंड	0.00	0.00	267.00	1530.36	92.02	0.00	1577.56	1255.27	428.37	0.00	0.00
27	पश्चिम बंगाल	6066.99	6104.00	6104.00	5747.00	7000.00	5814.37	5376.51	9235.73	12127.17	4041.14	0.00
	कुल योग	**108483.48**	**81999.78**	**109713.98**	**113264.14**	**139226.78**	**126581.37**	**150939.99**	**181498.72**	**266140.83**	**79969.554**	**31241.62**

अनुलग्नक – 7

30.09.2021 तक अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत दावों और स्वामित्व विलेखों के वितरण का विवरण

क्र. सं.	राज्य	30.09.2021 तक प्राप्त दावों की संख्या			30.09.2021 तक वितरित अधिकार –पत्रों (टाइटल) की संख्या			अस्वीकृत दावों की संख्या	निपटाए गए दावों की कुल संख्या	प्राप्त दावों के संबंध में निपटाए गए दावों का %	प्राप्त दावों की संख्या से अधिक वितरित अधिकार–पत्रों (टाइटल) का %
		वैयक्तिक	सामुदायिक	कुल	वैयक्तिक	सामुदायिक	कुल				
1	आंध्र प्रदेश	1,77,446	4,062	1,81,508	96,675	1,374	98,049	75,927	1,73,976	95.85%	54.02%
2	असम	1,48,965	6,046	1,55,011	57,325	1,477	58,802	छ।ध्छत	58,802	37.93%	37.93%
3	बिहार	8,022	छ।ध्छत	8,022	121	0	121	4,215	4,336	54.05%	1.51%
4	छत्तीसगढ	8,66,955	50,735	9,17,690	4,45,377	45,210	4,90,587	3,94,741	8,85,328	96.47%	53.46%
5	गोवा	9,758	378	10,136	35	11	46	12	58	0.57%	0.45%
6	गुजरात	1,82,869	7,187	1,90,056	91,488	3,891	95,379	58,380	1,53,759	80.90%	50.18%
7	हिमाचल प्रदेश	2,746	275	3,021	129	35	164	47	211	6.98%	5.43%
8	झारखंड	1,07,032	3,724	1,10,756	59,866	2,104	61,970	28,107	90,077	81.33%	55.95%
9	कर्नाटक	2,75,446	5,903	2,81,349	14,667	1,406	16,073	1,80,956	1,97,029	70.03%	5.71%
10	केरल	43,466	1,109	44,575	26,714	183	26,897	11,888	38,785	87.01%	60.34%
11	मध्य प्रदेश	5,85,266	42,187	6,27,453	2,30,028	27,976	2,58,004	3,58,767	6,16,771	98.30%	41.12%
12	महाराष्ट्र	3,62,679	12,037	3,74,716	1,65,032	7,084	1,72,116	45,525	2,17,641	58.08%	45.93%
13	ओड़िशा	6,27,384	15,111	6,42,495	4,49,429	7,065	4,56,494	1,06,936	5,63,430	87.69%	71.05%
14	राजस्थान	82,957	1,733	84,690	44,100	356	44,456	35,414	79,870	94.31%	52.49%
15	तमिलनाडु	33,755	1,082	34,837	8,144	450	8,594	9,493	18,087	51.92%	24.67%
16	तेलंगाना	1,83,252	3,427	1,86,679	93,639	721	94,360	83,757	1,78,117	95.41%	50.55%
17	त्रिपुरा	2,00,696	277	2,00,973	1,27,931	55	1,27,986	68,657	1,96,643	97.85%	63.68%
18	उत्तर प्रदेश	92,577	1,162	93,739	18,049	861	18,910	74,741	93,651	99.91%	20.17%
19	उत्तराखंड	3,574	3,091	6,665	156	1	157	6,508	6,665	100.00%	2.36%
20	पश्चिम बंगाल	1,31,962	10,119	1,42,081	44,444	686	45,130	96,587	1,41,717	99.74%	31.76%
	कुल	41,26,807	1,69,645	42,96,452	19,73,349	1,00,946	20,74,295	16,40,658	37,14,953	86.47:	48.28%

अनुलग्नक–8क

वर्ष 2021–22 के दौरान (31.12.2021 तक) कई अन्य ईएमआरएस की आधारशिला रखने का विवरण

क्र.सं.	राज्य	जिला	ब्लाक	स्वीकृत वर्ष	निर्माण एजेंसी	शिलान्यास की तिथि	द्वारा रखी गई (लेड बाई)
1	तेलंगाना	महबुबाबाद	कोठागुडा	2020–21	सीपीडब्ल्यूडी	16.06.2021	श्रीमती सत्यवती राठौड़, तेलंगाना राज्य के अनुसूचित जनजाति कल्याण, महिला और बाल कल्याण मंत्री।
2	झारखंड	पश्चिमी सिंहभूमि	हाट गमरिया	2020–21	एचएससीएल	3.7.2021	श्री अर्जुन मुंडा, माननीय जनजातीय कार्य मंत्री
3	झारखंड	पश्चिमी सिंहभूमि	मांझगांव	2020–21	एचएससीएल	3.7.2021	श्री अर्जुन मुंडा, माननीय जनजातीय कार्य मंत्री
4	झारखंड	सरायकेला खरसावां	राजनगर (गोविंदपुर)	2019–20	एनपीसीसी	3.7.2021	श्री अर्जुन मुंडा, माननीय जनजातीय कार्य मंत्री
5	झारखंड	पूर्वी सिंहभूमि	गुरबंद	2020–21	एचएससीएल	4.7.2021	श्री अर्जुन मुंडा, माननीय जनजातीय कार्य मंत्री
6	झारखंड	पूर्वी सिंहभूमि	धालभूमगढ़	2020–21	एचएससीएल	4.7.2021	श्री अर्जुन मुंडा, माननीय जनजातीय कार्य मंत्री
7	झारखंड	सिमडेगा	पकारतंरी	2019–20	एनपीसीसी	03.09.2021	श्री अर्जुन मुंडा, माननीय जनजातीय कार्य मंत्री
8	झारखंड	सिमडेगा	बांसजोर	2019–20	एनपीसीसी	03.09.2021	श्री अर्जुन मुंडा, माननीय जनजातीय कार्य मंत्री
9	ओडिशा	मयूरभंजी	बरसाही	2020–21	एचएससीएल	12.09.2021	श्री। बिश्वेश्वर टुडू, माननीय राज्य मंत्री, जनजातीय कार्य
10	ओडिशा	मयूरभंजी	कप्तिपदा	2020–21	एचएससीएल	10.09.2021	श्री बिश्वेश्वर टुडू, माननीय राज्य मंत्री, जनजातीय कार्य
11	झारखंड	पूर्वी सिंहभूमि	पोटका	2019–20	एनपीसीसी	24.09.2021	श्री अर्जुन मुंडा, माननीय जनजातीय कार्य मंत्री

क्र.सं.	राज्य	जिला	ब्लाक	स्वीकृत वर्ष	निर्माण एजेंसी	शिलान्यास की तिथि	द्वारा रखी गई (लेड बाई)
12	झारखंड	पूर्वी सिंहभूमि	डुमरिया	2019–20	एनपीसीसी	24.09.2021	श्री अर्जुन मुंडा, माननीय जनजातीय कार्य मंत्री
13	ओडिशा	मयूरभंजी	कुलियाना	2020–21	एचएससीएल	19.10.2021	श्री बिश्वेश्वर टुडू, माननीय राज्य मंत्री, जनजातीय कार्य
14	ओडिशा	मयूरभंजी	ठाकुरमुंडा	2020–21	एचएससीएल	20.10.2021	श्री बिश्वेश्वर टुडू, माननीय राज्य मंत्री, जनजातीय कार्य
15	ओडिशा	मयूरभंजी	थकाऊ	2019–20	डब्लयूएपीसीओएस	31.10.2021	श्री बिश्वेश्वर टुडू, माननीय राज्य मंत्री, जनजातीय कार्य
16	ओडिशा	मयूरभंजी	गोरुमाहिसानि	2020–21	एचएससीएल	31.10.2021	श्री बिश्वेश्वर टुडू, माननीय राज्य मंत्री, जनजातीय कार्य

अनुलग्नक–8ख

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और उसके लाभार्थियों को जारी की गई निधि का विवरण

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2019–20		2020–21		2021–22 (31.12.2021 तक)
		निर्मुक्त निधि	लाभार्थी	निर्मुक्त निधि	लाभार्थी	निर्मुक्त निधि
1	अंडमान और निकोबार	5.62	247	12.33	278	0.00
2	आंध्र प्रदेश	736.32	28124	1433.81	12647	3935.06
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	5849	0.00
4	असम	0.00	2869	17.27	2710	102.18
5	बिहार	7131.47	46096	0.00	55198	0.00
6	छत्तीसगढ	4796.94	143986	3541.54	134262	0.00
7	दादर नगर हवेली और दमन और दीव	–	–	234.00	3452	0.00
8	दादर और नगर हवेली	38.49	5044			
9	दमन और दीव	5.89	377			
10	गोवा	80.56	3332	41.35	3475	0.00
11	गुजरात	5248.34	0.00	2198.84	0.00	3689.18
12	हिमाचल प्रदेश	83.92	2709	91.87	3534	0.00
13	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	11470	0.00
14	झारखंड	1514.49	106761	0.00	83511	3899.03
15	कर्नाटक	1846.92	87364	0.00	72626	1753.16
16	केरल	287.31	7858	116.56	9880	347.07
17	लद्दाख	0.00	0.00	42.27	3450	0.00
18	मध्य प्रदेश	7698.90	318870	5429.34	314356	11458.18
19	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	111939	0.00
20	मणिपुर	443.33	24760	0.00	0.00	0.00
21	मेघालय	0.00	0.00	0.00	790	0.00
22	मिजोरम	702.21	16890	167.86	11046	657.47
23	नागालैंड	0.00	1500	60.75	3000	0.00
24	ओडिशा	6157.65	219875	6944.96	173833	5236.75
25	पुडुचेरी	0.00	60	1.63	21	0.00
26	राजस्थान	5346.97	184163	3126.9	215040	6234.34
27	सिक्किम	3.57	415	9.41	414	0.00
28	तमिलनाडु	589.74	13423	241.00	13471	546.55
29	तेलंगाना	0.00	5570	0.00	856	0.00
30	त्रिपुरा	386.18	10980	252.09	9404	58.55
31	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	88.17
32	उत्तराखंड	0.00	2504	138.24	1329	0.00
33	पश्चिम बंगाल	894.18	37333	788.22	30050	912.51
	कुल	**43999.00**	**1271110**	**24890.24**	**1287891**	**38918.20**

अनुलग्नक–8ग

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर योजना के तहत राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और उसके लाभार्थियों को जारी निधि का विवरण

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2019–20		2020–21		2021–22 (31.12.2021 तक)
		निर्मुक्त निधि	लाभार्थी	निर्मुक्त निधि	लाभार्थी	निर्मुक्त निधि
1	अंडमान और निकाबार द्वीप समूह	11.34	447	13.29	312	0.00
2	आंध्र प्रदेश	7797.07	158195	6039.35	71820	8991.45
3	अरुणाचल प्रदेश	6113.41	20500	5712.96	31916	12360.5
4	असम	4867.20	55507	5413.54	54846	1093.40
5	बिहार	1525.43	13938	708.22	19513	0.00
6	छत्तीसगढ	7022.69	144453	8790.24	140163	0.00
7	दादर नगर हवेली और दमन और दीव	–	–	3481.73	6180	0.00
8	दादर और नगर हवेली	88.66	5618			
9	दमन और दीव	0.00	351			
10	गोवा	732.79	5870	458.18	6412	0.00
11	गुजरात	14004.48	202667	22977.64	0.00	29171.54
12	हिमाचल प्रदेश	2468.81	3009	0.00	5121	0.00
13	जम्मू और कश्मीर	1048.29	10685	805.44	4940	0.00
14	झारखंड	7862.86	79823	0.00	78755	12654.88
15	कर्नाटक	15003.43	118083	0.00	129094	17080.51
16	केरल	1641.52	16583	3285.25	15820	2516.49
17	लद्दाख	0.00	0.00	738	8200	0.00
18	मध्य प्रदेश	12198.58	244126	12344	279722	24529.43
19	महाराष्ट्र	15575.38	139550	18149.52	127848	19214.82
20	मणिपुर	6235.55	30969	2184.19	37258	4292.15
21	मेघालय	0.00	0.00	0.00	17315	2636.09
22	मिजोरम	4415.78	38174	3446.82	33798	3874.63
23	नागालैंड	3268.73	40164	3226.37	37183	4435.75
24	ओडिशा	16640.15	171532	19095.97	155309	21842.98
25	पुडुचेरी	0.00	23	19.56	38	0.00
26	राजस्थान	25950.52	286652	25557.03	315315	0.00
27	सिक्किम	566.80	4431	553.83	3488	1036.28
28	तमिलनाडु	5025.19	29478	3328.99	21593	4849.38
29	तेलंगाना	19610.60	129243	27297.83	118347	7503.90
30	त्रिपुरा	2355.78	23720	4804.98	26092	7188.77
31	उत्तर प्रदेश	1822.71	17984	2218.67	19782	0.00
32	उत्तराखंड	0.00	6499	0.00	3528	0.00
33	**पश्चिम बंगाल**	**2411.00**	**62234**	**2256.42**	**58156**	**3872.05**
	कुल	**186264.75**	**2060508**	**182908.02**	**1827864**	**189145.00**

अनुलग्नक – 9क

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	पीवीटीजी का नाम
1	आंध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित)	चेंचू
2		गदाबा
3		गदाबा
4		कोंध्स
5		कुटिया कोंधस
6		कोलम
7		कोंडारेड्डी
8		सावरसी
9		बोंडो पोरोजा
10		पोरजा
11		परंगीपरजा
12		थोति
13	बिहार (झारखंड सहित)	असुर
14		बिरहोर
15		बिरजिया
16		पहाड़ी खरिया
17		कोरवा
18		मल पहाड़िया
19		परहैया
20		सौरिया पहाड़िया
21		सावर
22	गुजरात	कोलघा
23		कथोडी
24		कोतवालिया
25		पधार
26		सिद्दी
27	कर्नाटक	जेनु कुरुबा
28		कोरागा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	पीवीटीजी का नाम
29	केरल	चोलनाइकन
30		कादर
31		कट्टुनायकानी
32		कोरागा
33		कुरुंबस
34	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	अबुझ मारियासो
35		बैगा
36		भारिया
37		बिरहोर
38		पहाड़ी कोरबास
39		कमार
40		सहरिया
41	महाराष्ट्र	कातकारी
42		कोलम
43		मारिया गोंड
44	मणिपुर	मारम
45	ओडिशा	चुक्तिया भुंजिया
46		बिरहोर
47		बॉन्डो
48		दीदाई
49		डोंगरिया खोंड
50		जुआंग
51		खरिया
52		कुटिया कंधा
53		लांजिया सोरा
54		लोढ़ा
55		मनकीर्डिया
56		पौड़ी भुयांस
57		सौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	पीवीटीजी का नाम
58	राजस्थान	सहरिया
59	तमिलनाडु	इरुलर
60		कट्टुनायकान
61		कोटा
62		कुरुंबस
63		पनियान
64		टोडा
65	त्रिपुरा	रिआंग
66	उत्तर प्रदेश (उत्तराखंड सहित)	बुक्सा
67		राजी
68	पश्चिम बंगाल	बिरहोर
69		लोढ़ा
70		टोटो
71	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	महान अंडमानी
72		जरावा
73		ओंगेस
74		सेंटीनेलेसे
75		शॉम्पेन्स

अनुलग्नक–9ख

2019–20 से 2021–22 के दौरान विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास की योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधि (31.12.2021 तक)

(लाख रू. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2019–20	2020–21	2021–22
1.	आंध्र प्रदेश	3713.43	1245.51	1829.60
2.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	252.11
3.	बिहार	0.00	0.00	0.00
4.	छत्तीसगढ़	1311.35	989.32	996.90
5.	गुजरात	429.05	552.20	761.80
6.	झारखंड	847.00	1777.29	0.00
7.	कर्नाटक	1933.01	438.46	661.17
8.	केरल	0.00	88.00	0.00
9.	मध्य प्रदेश	8064.89	2188.11	2888.69
10.	महाराष्ट्र	2510.00	1411.66	0.00
11.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00
12.	ओडिशा	976.38	1202.00	1197.00
13.	राजस्थान	968.10	968.00	706.17
14.	तमिलनाडु	819.48	551.08	1967.81
15.	तेलंगाना	538.50	1460.50	1193.04
16.	त्रिपुरा	1960.82	231.43	1481.71
17.	उत्तर प्रदेश	0.00	82.04	0.00
18.	उत्तराखंड	489.53	295.00	367.07
19.	पश्चिम बंगाल	437.47	519.40	0.00
	कुल	**24999.01**	**14000.00**	**14303.07**

अनुलग्नक – 10क

जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई)

क्र.सं.	पता
1	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सरकार, प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर – 744 101
2	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, आंध्र प्रदेश सरकार, जनजातीय कल्याण विभाग, कंधारी होटल रोड, राजस्व कॉलोनी, विजयवाड़ा – 520 010
3	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय, राजीव गांधी स्टेडियम के पीछे, बी–सेक्टर नाहरलगुन, पिनः 791110, अरुणाचल प्रदेश।
4	असम जनजातीय और अनुसूचित जाति अनुसंधान संस्थान, असम सरकार, जवाहरनगर, एनएच – 37, गुवाहाटी–781022
5	जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, छत्तीसगढ़ सरकार, पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर, सेक्टर–4, रायपुर
6	जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, गुजरात विद्यापीठ, आश्रम रोड, अहमदाबाद–380014, गुजरात
7	जनजातीय अध्ययन संस्थान, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, समर हिल्स, शिमला– 171005, हिमाचल प्रदेश
8	जनजातीय कल्याण अनुसंधान संस्थान, झारखंड सरकार, मोराबादी रोड, रांची – 834008
9	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, जनजातीय कार्य निदेशालय, जम्मू और कश्मीर सरकार, नागरिक (सिविल) सचिवालय, जम्मू – 180001
10	कर्नाटक राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थान, कर्नाटक सरकार, संख्या 15/40, अनिकेतन रोड, कुवेम्पुनगर, मैसूर –570023
11	केरल अनुसंधान प्रशिक्षण एवं विकास संस्थान, अनुसूचित जातिध्अनुसूचित जनजाति के लिए अध्ययन, केरल सरकार, कोझीकोड – 673017
12	जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान, मध्य प्रदेश सरकार, 35, श्यामला हिल्स, भोपाल – 462002
13	जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, महाराष्ट्र सरकार, 28, क्वींस गार्डन, पुणे –411011

क्र.सं.	पता
14	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, मणिपुर सरकार, चिंगमीरोंग, इंफाल – 795001
15	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, ओडिशा सरकार, यूनिट–VIII, सीआरपी स्क्वायर, भुवनेश्वर – 751003
16	जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान सरकार, अशोक नगर, पोस्ट बॉक्स नं. 86. उदयपुर –313 001
17	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता एवं कल्याण विभाग, सिक्किम सरकार, समय कल्याण भवन, कमरा नं. 402, 5वां मील, लुमसे, ताडोंग, गंगटोक –737 101
18	जनजातीय अनुसंधान केंद्र, तमिलनाडु सरकार, एम.पलाडा (पीओ), उधगमंडलम, नीलगिरी जिला, तमिलनाडु, ऊटी –643 004
19	टीसीआर और टीआई, तेलंगाना सरकार, डीएसएस भवन, मसाब टैंक, हैदराबाद –500 028
20	जनजातीय अनुसंधान और सांस्कृतिक संस्थान, त्रिपुरा सरकार, लेक चोवेमहुई, अगरतला, पश्चिम त्रिपुरा –799001
21	सांस्कृतिक अनुसंधान संस्थान, पश्चिम बंगाल सरकार, पी6–1 / 4 सीआईटी योजना VII–एम, वीआईपी रोड, कंकुरगाछी, कोलकाता – 700054
22	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश सरकार, भागीदारी भवन, (अम्बेडकर पार्क के पास), विपुलखंड–गोमती नगर, लखनऊ –226010
23	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, समाज कल्याण निदेशालय, चलतलांग, आइजोल, मिजोरम 796012
24	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, समाज कल्याण निदेशालय, राजभवन के पास, कोहिमा, नागालैंड
25	आदिवासी अनुसंधान संस्थान, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड सरकार, सुभाष रोड, सचिवालय, देहरादून – 248 001
26	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, बाबादम, वेस्ट गारो हिल्स, मेघालय
27	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, जनजातीय कल्याण निदेशालय, 5वीं मंजिल, श्रम शक्ति भवन, पट्टो, पणजी, गोवा

अनुलग्नक–10ख

31.12.2021 तक "टीआरआई को सहायता" योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधि

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	कुल निर्मुक्ति 2020–21			कुल निर्मुक्ति 2021–22 (31.12.2021 तक)		
		जीआईए	सीसीए	कुल	जीआईए	सीसीए	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	46.50	408.50	455.00	432.75	0.00	432.75
3	अरुणाचल प्रदेश	55.25	128.90	184.15	0.00	0.00	0.00
4	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	हिमाचल प्रदेश	15.00	35.00	50.00	114.10	0.00	114.10
8	जम्मू और कश्मीर	61.96	144.55	206.51	0.00	0.00	0.00
9	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	कर्नाटक	7.90	18.45	26.35	0.00	0.00	0.00
11	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	मध्य प्रदेश	232.33	214.67	447.00	0.00	0.00	0.00
13	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	मिजोरम	39.00	1139.22	1178.22	266.65	500.00	766.65
16	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00
17	ओडिशा	150.90	352.10	503.00	430.01	214.75	644.76
18	राजस्थान	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	सिक्किम	43.20	100.80	144.00	0.00	0.00	0.00
20	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	तेलंगाना	112.73	263.02	375.75	0.00	0.00	0.00
22	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	उत्तर प्रदेश	10.55	24.60	35.15	0.00	0.00	0.00
24	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	उत्तराखंड	655.04	1528.44	2183.48	0.00	0.00	0.00
27	गोवा	60.75	141.75	202.50	111.75	0.00	111.75
	कुल	**1500.00**	**4500.00**	**6000.00**	**1440.26**	**714.75**	**2155.01**

नोटः जीआईएः सहायत अनुदान सीसीएः पूँजीगत परिसम्पतियों का सृजन

"टीआरआई को सहायता" योजना के संबंध में जनवरी–मार्च, 2022 की अवधि के लिए प्रक्षेपित/अनुमानित व्यय 38.45 करोड़ रु. है।

अनुलग्नक – 11

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)
2021–22 (31.12.2021 तक) के दौरान सहायता प्राप्त लाभार्थी

क्र.सं.	राज्य का नाम	सहायता प्राप्त महिला लाभार्थी	सहायता प्राप्त कुल लाभार्थी
1	आंध्र प्रदेश	3968	3986
2	बिहार	955	955
3	छत्तीसगढ़	53	142
4	गुजरात	345	1053
5	जम्मू और कश्मीर	49	259
6	झारखंड	15,515	15,523
7	कर्नाटक	209	292
8	केरल	136	168
9	मध्य प्रदेश	86	305
10	महाराष्ट्र	442	1002
11	मेघालय	483	1136
12	मिजोरम	6704	7328
13	नागालैंड	28937	48257
14	ओडिशा	29880	29880
15	राजस्थान	217	523
16	तेलंगाना	658	1734
17	त्रिपुरा	23	46
18	पश्चिम बंगाल	2688	2756
कुल		**91348**	**115345**

अनुलग्नक 12

एमएफपी योजना के लिए एमएसपी के तहत कवर की गई मदवार न्यूनतम समर्थन मूल्य

(प्रति किग्रा. रुपये में)

क्र.सं.	एमएफपी का नाम	जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 1/05/20 द्वारा अधिसूचित एमएफपी के लिए नए एमएसपी की दर सूची	जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 26/05/20 के द्वारा अधिसूचित एमएफपी के लिए एमएसपी की दर सूची	जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 11/11/20 द्वारा अधिसूचित एमएफपी के लिए नए एमएसपी की दर सूची	वर्ग एफ–वन/एमएफपी ए–कृषि पी–संसाधित एम औषधीयएच–बागवानी	प्रयोज्यता
1	इमली (बीज सहित) (टैमारिंडस इंडिका)	36			एफ	अखिल भारत
2	जंगली शहद	225			एफ	अखिल भारत
3	गोंद कराया (स्टेरकुल्या यूरेंस)	114			एफ	अखिल भारत
4	करंज के बीज (पोंगामिया पिन्नाटा)	22			एफ	अखिल भारत
5	साल के बीज (शोरिया रोबुस्टा)	20			एफ	अखिल भारत
6	महुआ के बीज (मधुकलोंगीफोलिया)	29			एफ	अखिल भारत
7	साल के पत्ते (शोरिया रोबुस्टा)	35			एफ	अखिल भारत
8	बीज सहित चिरौंजी की फली (बुचानानियालांजन)	126			एफ	अखिल भारत
9	हरीतिका (टरमिनालिया चेबुला)	15			एफ	अखिल भारत
10	रंगिनी लाख	200			एफ	अखिल भारत
11	कुसुमी लाख	275			एफ	अखिल भारत
12	कुसुम के बीज (शैलिककेरा ओलियोसा)	23			एफ	अखिल भारत

क्र.सं.	एमएफपी का नाम	जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 1/05/20 द्वारा अधिसूचित एमएफपी के लिए नए एमएसपी की दर सूची	जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 26/05/20 के द्वारा अधिसूचित एमएफपी के लिए एमएसपी की दर सूची	जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 11/11/20 द्वारा अधिसूचित एमएफपी के लिए नए एमएसपी की दर सूची	वर्ग एफ–वन/एमएफपी ए–कृषि पी–संसाधित एम औषधीयएच–बागवानी	प्रयोज्यता
13	नीम के बीज (आजादीरस्टा इंडिका)	27			एफ	अखिल भारत
14	पुआद के बीज (कासिया टोरा)	16			एफ	अखिल भारत
15	बहेड़ा (टरमिनालिया बेल्लिरिका)	17			एफ	अखिल भारत
16	पहाड़ी झाड़ू घास(थायसानोलेना मैक्सिमा)	50			एफ	अखिल भारत
17	सूखी शिकाकायी की फली (अकैसिया कॉनसिन्ना)	50			एफ	अखिल भारत
18	बायल गूदा (सुखा) (ऐगले मार्मेलोस)	30			एफ	अखिल भारत
19	नागरमोथा (सायपरस रोटुंडस)	30			एफ	अखिल भारत
20	शतावरी की जड़ (सूखा) (ऐसपेरेगस रेसमोसुस)	107			एफ	अखिल भारत
21	गुडमर ध मधुनाशिनी (जिमनेमा सीलवेस्ट्रे)	41			एफ	अखिल भारत
22	कालमेघ (ऐंड्रोगाफिस पेनिकुलाटा)	35			एफ	अखिल भारत
23	इमली (बीज रहित) (टैमारिंडस इंडिका)	63			एफ	अखिल भारत
24	गुग्गुल (एक्ज्यूटेड)	812			एफ	अखिल भारत
25	महुआ के फूल (सूखे) (मधुकलोंगी फोलिया)	30			एफ	अखिल भारत
26	तेजपत्ता (सूखा) (सिन्नामोमुम तमाला तथा सिन्ना मोमुम एसपी)	40			एफ	अखिल भारत

क्र.सं.	एमएफपी का नाम	जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 1/05/20 द्वारा अधिसूचित एमएफपी के लिए नए एमएसपी की दर सूची	जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 26/05/20 के द्वारा अधिसूचित एमएफपी के लिए एमएसपी की दर सूची	जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 11/11/20 द्वारा अधिसूचित एमएफपी के लिए नए एमएसपी की दर सूची	वर्ग एफ–वन/एमएफपी ए–कृषि पी–संसाधित एम औषधीयएच–बागवानी	प्रयोज्यता
27	जामुन के सूखे बीज (साइजियमकुमिनि)	42			एफ	अखिल भारत
28	आमले का सूखा गूदा (बीज रहित) (फायलांथस एमबिलिका)	52			एफ	अखिल भारत
29	मार्किंग नट (सेमीकार्पस एनाकार्डियम)	9			एफ	अखिल भारत
30	रीठा (सूखा) (सैपिंडस एमार्जिनाटस)	14			एफ	अखिल भारत
31	भाव बीज (अमलतास) (कासिया फिसुला)	13			एफ	अखिल भारत
32	अर्जुन छाल (टर्मिनालिया अर्जुना)	21			एफ	अखिल भारत
33	कोकम (सूखा) (गारसिनिया इंडिका)	29			एफ	अखिल भारत
34	गिलोय (टीनोएस्पोरा कोर्डीफोलिया)	40			एफ	अखिल भारत
35	कौंच के बीज (मकुना प्रुरेंस)	21			एफ	अखिल भारत
36	चिरायता (स्वेरशिया चीराटा)	34			एफ	अखिल भारत
37	वेयबिडिंग ध्‍ वावडिंग (सूखा बीज) (एमबिलियारिब्स)	94			एफ	अखिल भारत
38	धवाईफूल सूखा फूल (वुडफोर्डीयाफ्लोरिबंडा)	37			एफ	अखिल भारत

क्र.सं.	एमएफपी का नाम	जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 1/05/20 द्वारा अधिसूचित एमएफपी के लिए नए एमएसपी की दर सूची	जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 26/05/20 के द्वारा अधिसूचित एमएफपी के लिए एमएसपी की दर सूची	जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 11/11/20 द्वारा अधिसूचित एमएफपी के लिए नए एमएसपी की दर सूची	वर्ग एफ–वन/एमएफपी ए–कृषि पी–संसाधित एम औषधीयएच–बागवानी	प्रयोज्यता
39	नक्स वोमिका (स्ट्राइक्नोसनक्स वोमिका)	42			एफ	अखिल भारत
40	बन तुलसी के पत्ते (सूखे) (ओसीम्मटेनुइफ्लोरम)	22			एफ	अखिल भारत
41	कीसीमी (हेमीडेसमसइंडिकस)	35			एफ	अखिल भारत
42	बकुल (सूखी छाल) (मीमुसोपसइलेंगी)	46			एफ	अखिल भारत
43	कुटज (सूखी छाल) (होलरहेना पुबेसिन्स/ एच.एनीडायसेन्टेरिका)	31			एफ	अखिल भारत
44	नोनी / आल (सूखे फल) (मोरिंडासिट्रीफोलिया)	17			एफ	अखिल भारत
45	सोनापाठा / स्योनाक की फलियां (ओरोक्सीलम इंडिकम)	21			एफ	अखिल भारत
46	चनोथी के बीज (अबरूस प्रिकाटोरियस)	45			एफ	अखिल भारत
47	कालिहारी (सूखे कंद) (ग्लोरियोसा सुपरबा)	31			एफ	अखिल भारत
48	मकोय (सूखे फल) (सोलानम निग्रम)	24			एफ	अखिल भारत
49	अपंग पौधा (ऐकिरांथिस असपेरा)	28			एफ	अखिल भारत
50	सुगंधमंत्री की जड़ें/कंद (होमोलोमिना एरोमैटिक)	38			एफ	अखिल भारत
51	वन तुलसी के बीज (ओसिममग्रेटिसिमम)	16		एफ	अखिल भारत	

क्र.सं.	एमएफपी का नाम	जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 1/05/20 द्वारा अधिसूचित एमएफपी के लिए नए एमएसपी की दर सूची	जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 26/05/20 के द्वारा अधिसूचित एमएफपी के लिए एमएसपी की दर सूची	जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 11/11/20 द्वारा अधिसूचित एमएफपी के लिए नए एमएसपी की दर सूची	वर्ग एफ–वन/एमएफपी ए–कृषि पी–संसाधित एम औषधीयएच–बागवानी	प्रयोज्यता
52	वैन जीरा (वर्नोनिया एंथेलमिंटिका)	70		एफ	अखिल भारत	
53	इमली का बीज (इमली इंडिका (बीज)	11		एफ	अखिल भारत	
54	बांस झाड़ू (थिसानोलाएना मैक्सिमा)	60		एफ	अखिल भारत	
55	सूखा अनोला (फिलेंथस एम्बिलका (सूखा)	60		एफ	अखिल भारत	
56	कचरी बहेड़ा (टर्मिनलिया बेलेरिका)	20		च	अखिल भारत	
57	कचरीहर्र (टर्मिनलिया चेबुला)	23		च	अखिल भारत	
58	बीज लाख (केरिया लक्का)	677		एफपी	अखिल भारत	
59	बीटल नट कच्चा (अरेका कत्था (कच्चा)	30		ए	पूर्वोत्तर राज्य	
60	सुपारी सूखा (अरेका कत्था (सूखा)	200		एपी	पूर्वोत्तर राज्य	
61	मशरूम (सूखा) (एगारिकसबिस्पोरस (सूखा)	300		एपी	पूर्वोत्तर राज्य	
62	काला चावल (ओरिजा सैटिवा एल)	100		ए	पूर्वोत्तर राज्य	
63	जोहर राइस (ओरिजा सैटिवा)	50		ए	पूर्वोत्तर राज्य	

क्र.सं.	एमएफपी का नाम	जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 1/05/20 द्वारा अधिसूचित एमएफपी के लिए नए एमएसपी की दर सूची	जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 26/05/20 के द्वारा अधिसूचित एमएफपी के लिए एमएसपी की दर सूची	जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 11/11/20 द्वारा अधिसूचित एमएफपी के लिए नए एमएसपी की दर सूची	वर्ग एफ–वन/एमएफपी ए–कृषि पी–संसाधित एम औषधीयएच–बागवानी	प्रयोज्यता
64	राजा मिर्च (शिमला मिर्च चिनेंस जैक)	300		ए	पूर्वोत्तर राज्य	
65	सरसों (ब्रासिका निग्रा)	40		ए	पूर्वोत्तर राज्य	
66	कच्चा काजू (एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटेल (कच्चा)	450		ए	पूर्वोत्तर राज्य	
67	काजू (एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटेल (अखरोट)	800		एपी	पूर्वोत्तर राज्य	
68	अदरक सूखा (जिंगिबर ऑफिसिनेल)	50		एपी	पूर्वोत्तर राज्य	
69	पेरिला (पेरिला फ्रूटसेन्स)	140		ए	पूर्वोत्तर राज्य	
70	रोजेला (हिबिस्कस सबदरिफा)	200		ए	पूर्वोत्तर राज्य	
71	नटगैल (रस चिनेंसिस)	150		ए	पूर्वोत्तर राज्य	
72	जैंथोक्सिलम सूखे (जैन्थोक्सिलम आर्मेटम)	200		ए	पूर्वोत्तर राज्य	
73	जैक फल बीज (आर्टोकार्पस हेटरोफिलस (बीज)	45		ए	पूर्वोत्तर राज्य	
74	**टसर कोकून**					
	रीलिंग क्लास ग्रेड– I (विनिर्देश – जब शेल का औसत वजन 1.55 ग्राम और उससे अधिक हो)		संख्या 3200/– हजार रुपए	एफ/एच	झारखण्ड	
	अन–रीलिंग क्लास ग्रेड– I (विनिर्देश – जब शेल का औसत वजन 1.40 ग्राम और उससे अधिक हो)		संख्या 1500६– हजार रुपए			

क्र.सं.	एमएफपी का नाम	जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 1/05/20 द्वारा अधिसूचित एमएफपी के लिए नए एमएसपी की दर सूची	जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 26/05/20 के द्वारा अधिसूचित एमएफपी के लिए एमएसपी की दर सूची	जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 11/11/20 द्वारा अधिसूचित एमएफपी के लिए नए एमएसपी की दर सूची	वर्ग एफ–वन/एमएफपी ए–कृषि पी–संसाधित एम औषधीयएच–बागवानी	प्रयोज्यता
75	कैश कर्नेल (एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटेल)			90	एफध्पी	अखिल भारत
76	हाथी सेब सूखा (डिलनिया इंडिका)			120	एफध्एच	पूर्वोत्तर राज्य
77	बैम्बू शूट (फाइलोस्टैचिस एडुलिस)			70	एफ	पूर्वोत्तर राज्य
78	मलकांगनी बीज (सेलास्ट्रूपैनीकुलेटस जंगली)			100	एफ	अखिल भारत
79	माहुल पत्तियां (बौहिनिया वाहली)		15	एफ	ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल	
80	नागोड (विटेक्स नेगुंडो)		20	एफ	अखिल भारत	
81	गोखरू (ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस)		60	एफ	अखिल भारत	
82	पिपला / उचिथि (सूखे बेरी) (पाइपर पेडिकेलटम)		120	एफ	अखिल भारत	
83	गम्हार ध्‌ गमरी (सूखी छाल) (गमेलिना अर्बोरिया)			20	एफ	पूर्वोत्तर राज्य
84	ओरोक्सिलम इंडिकम (सूखी छाल) (ऑरोक्सिलम इंडिकम)		40	एफ	पूर्वोत्तर राज्य	
85	जंगली मशरूम सूखा (अगारीकस्सप)			400	एफ	पूर्वोत्तर राज्य
86	श्रृंगराज (एक्लिप्टा अल्बा)			18	एफध्एम	अखिल भारत
87	ट्री मॉस (ब्रायोफाइट्स)			350	एफध्पी	कर्नाटक

अनुलग्नक–13

अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीएसटी) के छह क्षेत्रीय कार्यालयों का स्थान और क्षेत्राधिकार

क्र.सं.	कार्यालय का स्थान और पता	संपर्क विवरण	क्षेत्राधिकार
1.	कमरा सं.309, निर्माण सदन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, 52–ए, एरिया हिल्स, भोपाल–462011	अनुसंधान अधिकारी, फोनः 0755 2576530 0755 2578272(फैक्स), ई–मेलः ro-bhopal@ncst.nic.in	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा और संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नगर हवेली तथा लक्षद्वीप
2.	एन–1 / 297, आईआरसी गांव, भुवनेश्वर–751015	सहायक निदेशक, फोनः0674 2551616, 0674 2551818 (फैक्स), ई–मेलः ro-bbsr@ncst.nic.in	आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और संघ राज्यक्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं पांडिचेरी
3.	कमरा सं. 101 एवं 102, प्रथम तल, केन्द्रीय सदन, सेक्टर –10, विद्याधर नगर, जयपुर–302023	निदेशक, फोनः 0141 2236462, 0141 2235488 (फैक्स) ई–मेलः ro-jaipur@ncst.nic.in	गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ तथा दमन और दीव।
4.	ईएसी कॉलोनी प्लॉट नंबर 3 / 16, जिला न्यायालय के पीछे प्रथम तल, पूर्णिमा स्कूल के पास, रायपुर –492001	सहायक निदेशक, फोनः 0771 2443334 0771 2443335 (फैक्स), ई–मेलः ro-raipur@ncst.nic.in	छत्तीसगढ़
5.	14, न्यू एजी को–ऑपरेटिव कॉलोनी, कद्रू, रांची–834002	सहायक निदेशक, फोनः 0651 2341677, 0651 2340368(फैक्स), ई–मेलः ro-ranchi@ncst.nic.in	बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश
6.	रबेका विला, टेम्पल रोड, लोअर लचुमियरे, शिलांग –793001	सहायक निदेशक, फोनः 0364 2504202 0364 2221362(फैक्स) ई–मेलः ro-shilong@ncst.nic.in	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा,

अनुलग्नक –14क

'अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान' योजना के तहत 2019–20 से 2021–22 के दौरान स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों, निर्मुक्त निधि और लाभार्थियों की राज्यवार सूची

(राशि रूपए में)

राज्य	गैर सरकारी संगठन	परियोजना	2019–20		2020–21		2021–22 (31.12.2021 तक)	
			राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
आंध्र प्रदेश	ग्राम अभ्युदय सोसायटी फॉर इंटीग्रेटेड रुरल डेवलपमेंट	जीआईए – आवासीय विद्यालय	2,303,961.00	200	651,307.00	100	1,843,053.00	100
आंध्र प्रदेश	सिंहपुरी विद्या सेवा समिति	जीआईए – 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	2,093,035.00	17950	454,772.00	11210	2,306,064.00	14745
आंध्र प्रदेश	एकीकृत रूरल इम्प्रूवमेंट (शिरी)	जीआईए – आवासीय विद्यालय	325,521.00	100	-	-	-	-
आंध्र प्रदेश	श्री लक्ष्मी महिला मंडली	जीआईए – गैर–आवासीय विद्यालय	2,349,951.00	400	569,976.00	200	1,864,150.00	200
आंध्र प्रदेश	वसंत लक्ष्मी चौरिटेबल ट्रस्ट और अनुसंधान केंद्र	जीआईए – 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	2,415,600.00	2048	2,322,000.00	7552	2,300,882.00	7347
		जीआईए – मोबाइल औषधालय/बहु सेवा मोबाइल इकाइयां	669,150.00	6208	1,028,025.00	16878	1,022,130.00	17685

राज्य	गैर सरकारी संगठन	परियोजना	2019–20		2020–21		2021–22 (31.12.2021 तक)	
			राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल पली विद्यापीठ सोसायटी	जीआईए – मोबाइल औषधालय/बहु सेवा मोबाइल इकाइयां	206,250.00	2393	1,416,769.00	4044	269,405.00	2150
		जीआईए – आवासीय विद्यालय	1,933,222.00	117	3,471,073.00	351	-	-
अरुणाचल प्रदेश	बुद्धिस्ट संस्कृति संरक्षण सोसायटी	जीआईए – आवासीय विद्यालय	-	-	1,966,690.00	350	5,744,175.00	350
अरुणाचल प्रदेश	रामकृष्ण मिशन, आलो	जीआईए – 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	440,784.00	6968	2,158,652.00	9081	1,874,607.00	10349
		जीआईए – मोबाइल औषधालय/बहु सेवा मोबाइल इकाइयां	349,362.00	4712	923,250.00	10639	887,686.00	7434
		जीआईए – मोबाइल लाइब्रेरी–कम–ऑडियो विजुअल यूनिट	98,640.00	999	-	-	-	-
अरुणाचल प्रदेश	रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल	जीआईए – 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	15,514,473.00	180034	8,667,194.00	179974	456,349.00	128402

राज्य	गैर सरकारी संगठन	परियोजना	2019–20		2020–21		2021–22 (31.12.2021 तक)	
			राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
अरुणाचल प्रदेश	रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल	जीआईए – 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	2,657,217.00	9186	1,642,876.00	4593	208,803.00	2647
		जीआईए – मोबाइल औषधालय/बहु सेवा मोबाइल इकाइयां	666,426.00	3634	-	-	-	-
		जीआईए – आवासीय विद्यालय	7,306,984.00	722	6,425,097.00	734	-	-
अरुणाचल प्रदेश	रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल	जीआईए – आवासीय विद्यालय	6,422,329.00	600	512,696.00	300	-	-
असम	दयानन्द सेवाश्रम संघ	जीआईए – छात्रावास	178,729.00	50	1,254,656.00	125	-	-
असम	सामाजिक आर्थिक और स्वास्थ्य विकास पर समिति	जीआईए – मोबाइल औषधालय/बहु सेवा मोबाइल इकाइयां	1,290,868.00	8080	-	-	1,298,948.00	15635
असम	डा. अंबेडकर मिशन	जीआईए – 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	-	-	-	-	4,233,864.00	13993
		जीआईए – मोबाइल औषधालय/बहु सेवा मोबाइल इकाइयां	229,510.00	9844	-	-	2,056,050.00	18633
असम	वैश्विक स्वास्थ्य टीकाकरण और जनसंख्या नियंत्रण और	जीआईए – मोबाइल औषधालय/बहु सेवा मोबाइल इकाइयां	-	-	1,713,375.00	5527	1,028,025.00	10104

राज्य	गैर सरकारी संगठन	परियोजना	2019–20		2020–21		2021–22 (31.12.2021 तक)	
			राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
असम	ग्राम विकास परिषद	जीआईए – मोबाइल औषधालय/बहु सेवा मोबाइल इकाइयां	2,358,919.00	6960	-	-	1,289,081.00	5115
असम	रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल	जीआईए – छात्रावास	663,877.00	64	-	-	150,524.00	32
		जीआईए – पुस्तकालय	34,132.00	2786	-	-	-	-
		जीआईए – मोबाइल औषधालय/बहु सेवा मोबाइल इकाइयां	928,125.00	20958	7,455.00	18439	783,861.00	22153
असम	रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम	जीआईए – छात्रावास	223,655.00	64	1,086,160.00	64	-	-
		जीआईए – मोबाइल औषधालय/बहु सेवा मोबाइल इकाइयां	-	-	-	-	277,882.00	7194
असम	भारत सेवाश्रम संघ, गुवाहाटी	जीआईए – आवासीय विद्यालय	-	-	-	-	1,362,411.00	100
असम	सदाउ असोम ग्राम्य पुथिभराल सं	जीआईए – पुस्तकालय	37,102.00	260	-	-	-	-
		जीआईए – गैर आवासीय विद्यालय	268,488.00	85	-	-	-	-

राज्य	गैर सरकारी संगठन	परियोजना	2019–20		2020–21		2021–22 (31.12.2021 तक)	
			राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
छत्तीसगढ़	अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, जशपुरनगर	जीआईए – छात्रावास	-	-	735,845.00	116	-	-
		जीआईए – मोबाइल औषधालय/बहु सेवा मोबाइल इकाइयां	-	-	711,209.00	14774	-	-
		जीआईए – गैर आवासीय विद्यालय	-	-	216,712.00	138	-	-
छत्तीसगढ़	नव अभिलाषा शिक्षा संस्थान	जीआईए – आवासीय विद्यालय	1,995,000.00	182	1,772,811.00	186	-	-
छत्तीसगढ़	रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर	जीआईए – छात्रावास	5,862,900.00	4380	1,140,501.00	1460	3,158,101.00	1460
छत्तीसगढ़	वनवासी विकास समिति	जीआईए – छात्रावास	-	-	231,750.00	34	-	-
दिल्ली	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ	जीआईए – छात्रावास	-	-	1,316,151.00	98	1,428,775.00	100
गुजरात	भारत सेवाश्रम संघ	जीआईए – मोबाइल औषधालयध्बहु सेवा मोबाइल इकाइयां	972,056.00	24906	877,721.00	23792	-	-
गुजरात	भारत सेवाश्रम संघ, गंगपुर	जीआईए – मोबाइल औषधालयध्बहु सेवा मोबाइल इकाइयां	4,382,800.00	134212	6,968,499.00	142714	-	-
		जीआईए – गैर आवासीय विद्यालय	1,531,500.00	200	-	-	404,250.00	100
		जीआईए – आवासीय विद्यालय	2,537,220.00	200	2,287,875.00	200	-	-

राज्य	गैर सरकारी संगठन	परियोजना	2019–20		2020–21		2021–22 (31.12.2021 तक)	
			राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
गुजरात	भारत यात्रा केंद्र	जीआईए – छात्रावास	1,538,500.00	96	-	-	454,525.00	50
गुजरात	सर्वोदय आश्रम सनाली	जीआईए – आवासीय विद्यालय	2,450,331.00	166	805,894.00	166	-	-
गुजरात	अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा और सांस्कृतिक संघ	जीआईए– 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	-	-	-	-	3,486,211.00	11860
		जीआईए – छात्रावास	1,628,120.00	200	-	-	402,671.00	100
हिमाचल प्रदेश	बुद्धिस्ट कल्चरल सोसाइटी ऑफ की गोम्पा	जीआईए – छात्रावास	1,686,279.00	200	1,509,319.00	200	-	-
हिमाचल प्रदेश	हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल ऐसोशिएशन	जीआईए – आवासीय विद्यालय	713,990.00	235	8,751,413.00	675	-	-
हिमाचल प्रदेश	बौद्ध दर्शन में अध्ययन संस्थान, और जनजातीय सांस्कृतिक समाज	जीआईए – आवासीय विद्यालय	4,741,709.00	500	4,653,706.00	509	-	-
हिमाचल प्रदेश	रामधा बुद्धिस्ट सोसाइटी	जीआईए – छात्रावास	1,683,686.00	200	1,226,239.00	200	-	-
हिमाचल प्रदेश	रिनचेन जंगपो सोसाइटी	जीआईए – आवासीय विद्यालय	9,128,079.00	747	6,284,582.00	740	-	-
जम्मू और कश्मीर	हिमालयन बुद्धिष्ट कल्चरल सोसाइटी	जीआईए – आवासीय विद्यालय	-	-	1,967,859.00	140	-	-
जम्मू और कश्मीर	महाबोधि अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र	जीआईए – आवासीय विद्यालय	1,587,901.00	366	2,671,518.00	333	-	-

राज्य	गैर सरकारी संगठन	परियोजना	2019–20		2020–21		2021–22 (31.12.2021 तक)	
			राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
झारखण्ड	भारत सेवाश्रम संघ बराजुरी सिला	जीआईए – मोबाइल औषधालयध्बहु सेवा मोबाइल इकाइयां	1,090,713.00	7564	1,637,820.00	17936	24,273.00	10196
		जीआईए – आवासीय विद्यालय	2,847,118.00	228	1,242,244.00	160	-	-
झारखण्ड	भारत सेवाश्रम संघ दुमका	जीआईए – 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	3,748,808.00	8586	1,080,372.00	20	3,630,257.00	8232
		जीआईए – मोबाइल औषधालय/बहु सेवा मोबाइल इकाइयां	1,060,650.00	25936	1,426,058.00	20378	25,773.00	7689
		जीआईए – आवासीय विद्यालय	5,534,628.00	500	4,796,839.00	500	-	-
झारखण्ड	भारत सेवाश्रम संघ जमशेदपुर	जीआईए – 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	6,689,509.00	97769	-	-	10,548,527.00	59212
		जीआईए – मोबाइल औषधालय/बहु सेवा मोबाइल इकाइयां	3,230,210.00	108273	-	-	4,228,180.00	103516
		जीआईए – गैर आवासीय विद्यालय	8,240,360.00	1473	1,164,666.00	508	797,216.00	200
		जीआईए – आवासीय विद्यालय	21,037,543.00	2334	-	-	3,473,693.00	938

राज्य	गैर सरकारी संगठन	परियोजना	2019–20		2020–21		2021–22 (31.12.2021 तक)	
			राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
झारखण्ड	भारत सेवाश्रम संघ पाकुड़ शाखा	जीआईए – 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	1,749,405.00	1838	4,176,096.00	3702	116,190.00	10
		जीआईए – आवासीय विद्यालय	5,146,926.00	400	4,487,172.00	400	-	-
झारखण्ड	भारत सेवाश्रम संघ रांची	जीआईए – मोबाइल औषधालयध्बहु सेवा मोबाइल इकाइयां	974,875.00	9094	-	-	356,750.00	7895
		जीआईए – आवासीय विद्यालय	4,182,696.00	300	-	-	178,977.00	100
झारखण्ड	रामकृष्ण मठ	जीआईए – मोबाइल औषधालयध्बहु सेवा मोबाइल इकाइयां	-	-	153,224.00	1934	536,022.00	2020
झारखण्ड	रामकृष्ण मिशन आश्रम, मोराबादी, रांची	जीआईए – मोबाइल औषधालयध्बहु सेवा मोबाइल इकाइयां	304,600.00	11251	2,206,193.00	22597	-	-
		जीआईए – कृषि और संबद्ध विषयों में प्रशिक्षण,	3,951,593.00	80	-	-	-	-

राज्य	गैर सरकारी संगठन	परियोजना	2019—20		2020—21		2021—22 (31.12.2021 तक)	
			राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
झारखण्ड	रामकृष्ण मिशन क्षय रोग अस्पताल	जीआईए — 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	30,147,186.00	126564	25,633,545.00	68397	344,329.00	22156
		जीआईए — मोबाइल औषधालयध्बहु सेवा मोबाइल इकाइयां	1,041,563.00	60208	1,375,199.00	34296	53,413.00	5256
झारखण्ड	रामकृष्ण मिशन विवेकानंद सोसायटी	जीआईए — छात्रावास	1,197,588.00	130	-	-	283,612.00	65
		जीआईए — मोबाइल औषधालयध्बहु सेवा मोबाइल इकाइयां	862,035.00	41178	-	-	157,992.00	42060
झारखण्ड	रामकृष्ण मिशन आश्रम, मोराबादी	जिया — दिव्याणी	-	-	-	-	3,629,375.00	80
झारखण्ड	विकास भारती बिशुनपुर	जीआईए — छात्रावास	-	-	757,554.00	100	4,184,313.00	300
		जीआईए — आवासीय विद्यालय	1,341,225.00	120	-	-	3,340,520.00	120
कर्नाटक	अंबेडकर एजुकेशन सोसाइटी	जीआईए — आवासीय विद्यालय	492,739.00	96	-	-	-	-
कर्नाटक	आशीर्वाद रुरल डेवलपमेंट ट्रस्ट	जीआईए — 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	2,339,600.00	22562	2,612,722.00	21722	207,735.00	10021
कर्नाटक	भारती ऐजुकेशनल ट्रस्ट	जीआईए — आवासीय विद्यालय	2,187,690.00	200	496,207.00	100	1,731,380.00	100

राज्य	गैर सरकारी संगठन	परियोजना	2019–20		2020–21		2021–22 (31.12.2021 तक)	
			राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
कर्नाटक	हरिहरा ग्रामीणवृद्धि संघ	जीआईए – मोबाइल औषधालय/बहु सेवा मोबाइल इकाइयां	778,800.00	19122	1,226,457.00	20248	96,632.00	8851
कर्नाटक	नवज्योति इंस्टीट्यूट फॉर हेल्प एंड रूरल डेवलेपमेंट	जीआईए – आवासीय विद्यालय	-	-	257,367.00	86	2,092,282.00	86
कर्नाटक	प्रगति रुरल डेवलपमेंट सोसाइटी	जीआईए – आवासीय विद्यालय	2,160,360.00	200	978,368.00	100	1,948,978.00	95
कर्नाटक	समर्पण विकास संगठन	जीआईए – छात्रावास	886,833.00	86	-	-	1,058,940.00	76
कर्नाटक	संत कबीरदास एजुकेशन सोसाइटी	जीआईए – आवासीय विद्यालय	2,195,246.00	200	-	-	153,345.00	100
कर्नाटक	श्री मंजूनाथ स्वामी विद्या संस्था	जीआईए – आवासीय विद्यालय	1,797,368.00	180	-	-	630,345.00	90
कर्नाटक	श्री स्वामी सर्वधर्म शरानायला ट्रस्ट	जीआईए – 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	2,271,150.00	8625	-	-	2,830,950.00	16525
		जीआईए – गैर आवासीय विद्यालय	1,299,298.00	98	-	-	344,105.00	98

राज्य	गैर सरकारी संगठन	परियोजना	2019–20		2020–21		2021–22 (31.12.2021 तक)	
			राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
कर्नाटक	स्वामी विवेकानंद युवा आंदोलन	जीआईए – 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	2,267,120.00	11886	2,845,039.00	12780	-	-
		जीआईए – मोबाइल औषधालय/बहु सेवा मोबाइल इकाइयां	1,028,092.00	15500	1,208,618.00	15346	51,132.00	9975
		जीआईए – आवासीय विद्यालय	4,997,837.00	558	2,026,266.00	212	1,217,908.00	271
कर्नाटक	विवेकानंद गिरिजन कल्याण केंद्र	जीआईए – 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	461,170.00	6001	-	-	-	-
		जीआईए – मोबाइल औषधालयध्बहु सेवा मोबाइल इकाइयां	334,166.00	13680	-	-	-	-
केरल	माता अमृतानंदमयी मठ	जीआईए – 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	-	-	-	-	3,034,093.00	127700
केरल	स्वामी विवेकानन्द मेडिकल मिशन केरल	जीआईए – 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	-	-	7,713,613.00	104233	329,844.00	14001
केरल	वयनाड गिरीजन सेवा ट्रस्ट	जीआईए – आवासीय विद्यालय	-	-	2,884,500.00	400	7,674,134.00	400

राज्य	गैर सरकारी संगठन	परियोजना	2019–20		2020–21		2021–22 (31.12.2021 तक)	
			राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
लद्दाख	महाबोधि अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र	जीआईए – 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	-	-	-	-	618,882.00	770
मध्य प्रदेश	अमरपुर बाल विकास विद्या मंदिर समिति	जीआईए – गैर आवासीय विद्यालय	-	-	1,245,150.00	100	933,862.00	100
मध्य प्रदेश	बंधेवाल शिक्षा समिति	जीआईए – गैर आवासीय विद्यालय	1,351,990.00	200	-	-	372,972.00	100
मध्य प्रदेश	दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्युट	जीआईए – आवासीय विद्यालय	2,852,051.00	240	-	-	2,258,461.00	101
मध्य प्रदेश	एमपी आदिवासी सेवक संघ, जयसिंह नगर	जीआईए – आवासीय विद्यालय	680,040.00	330	-	-	7,972,612.00	373
मध्य प्रदेश	एमपी अनुसुचितजती, जनजाति इवाम पिचरा वर्ग कल्याण समिति	जीआईए – आवासीय विद्यालय	2,202,177.00	180	-	-	560,721.00	100
मध्य प्रदेश	पांडे शिक्षा समिति भामराह	जीआईए – आवासीय विद्यालय	-	-	10,363,056.00	685	5,487,806.00	252
मध्य प्रदेश	पुष्पा कोनवेंट शिक्षा समिति	जीआईए – गैर आवासीय विद्यालय	-	-	2,028,442.00	200	-	-
मध्य प्रदेश	रामा एज्युकेशन एंड वेल्फेयर सोसायटी	जीआईए – गैर आवासीय विद्यालय	1,331,956.00	194	-	-	424,718.00	110
मध्य प्रदेश	वनवासी सेवा मंडल समिति	जीआईए – गैर आवासीय विद्यालय	1,833,200.00	200	-	-	2,018,505.00	200
महाराष्ट्र	चंद्रराई महिला मंडल	जीआईए – आवासीय विद्यालय	5,194,350.00	400	2,615,722.00	250	4,318,144.00	250

राज्य	गैर सरकारी संगठन	परियोजना	2019–20		2020–21		2021–22 (31.12.2021 तक)	
			राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
महाराष्ट्र	जय हिंद मित्र मंडल कोल्हा ताल मनवत जिला परभ	जीआईए – आवासीय विद्यालय	2,135,734.00	200	916,117.00	130	1,977,646.00	130
महाराष्ट्र	खंडेराव एजुकेशन सोसाइटी बसर, ताल सकारी, जिला धुले	जीआईए – आवासीय विद्यालय	4,554,338.00	600	6,737,432.00	400	6,440,350.00	400
महाराष्ट्र	महामानव बाबा आम्टे बहुद्देशीय सामाजिक विकास सेवा	जीआईए – छात्रावास	-	-	239,534.00	97	1,631,728.00	125
महाराष्ट्र	मलमाथा परिसर शिक्षण प्रसार मंडल नागपुर	जीआईए – आवासीय विद्यालय	4,516,502.00	306	1,011,022.00	153	2,448,652.00	153
महाराष्ट्र	राजमाता शिक्षण प्रसारक मण्डल दाईथान अशति बीड़	जीआईए – आवासीय विद्यालय	1,961,622.00	200	715,159.00	100	-	-
महाराष्ट्र	रेनूका देवी शिक्षण प्रसारक मंडल, कुकाने	जीआईए – आवासीय विद्यालय	2,088,934.00	200	1,618,698.00	160	2,575,727.00	160
महाराष्ट्र	श्री महागणपति समाजसेवी संगठन वदनेर बीके	जीआईए – आवासीय विद्यालय	2,209,301.00	114	-	-	1,769,259.00	114
महाराष्ट्र	श्री कोटुलेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडल कोटुल	जीआईए – आवासीय विद्यालय	7,576,221.00	548	-	-	8,409,762.00	568
महाराष्ट्र	श्री साईनाथ एजुकेशन सोसाइटी	जीआईए – छात्रावास	246,406.00	100	-	-	1,615,959.00	100
महाराष्ट्र	श्री स्वामी श्याम सेवा भावी संस्था, गणेशपुर	जीआईए – छात्रावास	2,494,288.00	8713	2,475,945.00	163	2,472,890.00	163
		जीआईए – आवासीय विद्यालय	2,304,129.00	200	3,557,466.00	250	3,379,010.00	250
महाराष्ट्र	सिद्धकला शिक्षण प्रसारक मंडल तहसील, नन्दगांव	जीआईए – आवासीय विद्यालय	2,160,742.00	200	2,086,030.00	240	-	-

राज्य	गैर सरकारी संगठन	परियोजना	2019–20		2020–21		2021–22 (31.12.2021 तक)	
			राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
महाराष्ट्र	तापी प्रसार एजुकेशनल और कल्चरल ट्रस्ट, नेवाडे	जीआईए – छात्रावास	1,192,590.00	100	-	-	1,823,985.00	100
		जीआईए – आवासीय विद्यालय	2,231,246.00	200	-	-	2,460,780.00	200
महाराष्ट्र	उज्ज्वल रुरल डेवलपमेंट सोसाइटी, नेवाडे, तल सिंड –सिंधखेड़ा	जीआईए – छात्रावास	1,394,100.00	160	964,351.00	120	1,477,306.00	120
मणिपुर	आदिम जाति शिक्षा आश्रम खोंगनांग करक, चिंगमीरो	जीआईए – छात्रावास	2,292,300.00	200	1,245,679.00	100	297,866.00	150
मणिपुर	चिल चिल एशियन मिशन सोसायटी	जीआईए – आवासीय विद्यालय	4,639,500.00	600	3,002,063.00	200	2,496,126.00	335
मणिपुर	क्रिस्च्यन ग्रामर स्कूल	जीआईए – आवासीय विद्यालय	2,636,790.00	200	-	-	-	-
मणिपुर	इंटेग्रेटेड एजुकेशनल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गनाईजेशन	जीआईए – गैर आवासीय विद्यालय	2,271,780.00	200	2,798,753.00	200	863,032.00	100
		जीआईए – आवासीय विद्यालय	-	-	1,821,780.00	112	-	-
मणिपुर	इंटेग्रेटेड रुरल डेवलपमेंट एण्ड एज्युकेशनल ऑर्गनाइजेशन	जीआईए – आवासीय विद्यालय	6,285,432.00	344	-	-	657,415.00	197
मणिपुर	मणिपुर उत्तर आर्थिक विकास संघ	जीआईए – छात्रावास	-	-	1,206,175.00	93	1,346,000.00	65
मणिपुर	ग्रामीण स्वास्थ्य संगठन	जीआईए – मोबाइल औषधालयध्बहु सेवा मोबाइल इकाइयां	-	-	706,950.00	4810	2,120,850.00	27413

राज्य	गैर सरकारी संगठन	परियोजना	2019–20		2020–21		2021–22 (31.12.2021 तक)	
			राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
मणिपुर	सैमसिनपावलपी	जीआईए – आवासीय विद्यालय	8,783,173.00	1000	6,530,423.00	1000	4,435,357.00	500
मणिपुर	सोसाइटी फॉर वूमेनस एजुकेशन एक्शन एण्ड रेफलेक्शन	जीआईए – मोबाइल औषधालयध्बहु सेवा मोबाइल इकाइयां	1,413,900.00	2603	706,950.00	1310	801,840.00	2645
मणिपुर	नॉर्थ ईस्टर्न बॉयज स्काउट एंड गर्ल्स गाइड एसोसिएशन	जीआईए – आवासीय विद्यालय	1,712,357.00	100	-	-	-	-
मणिपुर	जनजातीय संस्कृति अनुसंधान केंद्र	जीआईए – गैर आवासीय विद्यालय	-	-	-	-	2,431,290.00	200
मणिपुर	टाईप राईटिंग इंस्टीट्यूट एण्ड रुरल डेवलपमेंट सर्विस	जीआईए – आवासीय विद्यालय	1,469,002.00	622	5,746,058.00	294	3,338,418.00	197
मणिपुर	यूनिक ट्रस्ट	जीआईए – मोबाइल औषधालयध्बहु सेवा मोबाइल इकाइयां	-	-	2,172,375.00	672	1,060,425.00	464
मणिपुर	यूनिटेड रुरल डेवलपमेंट सर्विस	जीआईए – आवासीय विद्यालय	1,593,270.00	100	1,410,457.00	75	2,022,537.00	81
मणिपुर	डब्ल्यूवाईएन स्टीवंस कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान	जीआईए – आवासीय विद्यालय	-	-	744,685.00	100	4,617,191.00	200
मेघालय	कायजी सोसायटी	जीआईए – छात्रावास	-	-	1,048,455.00	150	-	-
मेघालय	नोंगक्रेम यूथ डेवलेपमेंट एसोसिएशन	जीआईए – छात्रावास	844,290.00	75	-	-	-	-
		जीआईए – रूरल नाइट स्कूल	388,170.00	50	-	-	-	-

राज्य	गैर सरकारी संगठन	परियोजना	2019–20		2020–21		2021–22 (31.12.2021 तक)	
			राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
मेघालय	रामकृष्ण मिशन आश्रम चेरापूंजी	जीआईए – 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	3,288,554.00	75564	1,734,544.00	27450	91,830.00	24123
		जीआईए – छात्रावास	2,720,657.00	270	3,328,924.00	286	1,518,066.00	160
		जीआईए – पुस्तकालय	57,740.00	10200	-	-	-	-
		जीआईए – मोबाइल औषधालयध्बहु सेवा मोबाइल इकाइयां	2,229,790.00	18988	3,406,549.00	24514	118,176.00	13410
		जीआईए – गैर आवासीय विद्यालय	133,930,146.00	23116	74,982,121.00	13324	3,500,940.00	869
मेघालय	रामकृष्ण मिशन शिलांग	जीआईए – छात्रावास	732,493.00	52	-	-	228,506.00	26
		जीआईए – पुस्तकालय	81,250.00	901	-	-	-	-
		जीआईए – मोबाइल औषधालयध्बहु सेवा मोबाइल इकाइयां	1,074,563.00	54452	-	-	1,356,936.00	43733

राज्य	गैर सरकारी संगठन	परियोजना	2019–20		2020–21		2021–22 (31.12.2021 तक)	
			राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
मेघालय	सैन–केर चौरिटेबल ट्रस्ट	जीआईए – 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	-	-	-	-	1,998,900.00	13749
		जीआईए – मोबाइल औषधालयध्बहु सेवा मोबाइल इकाइयां	-	-	-	-	707,250.00	13749
मिजोरम	मिशन फाउंडेशन मूवमेंट	जीआईए – 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	1,248,300.00	40	6,963,997.00	1049	214,650.00	256
		जीआईए – मोबाइल औषधालयध्बहु सेवा मोबाइल इकाइयां	56,047.00	40	-	-	1,894,995.00	591
मिजोरम	मिजोरम हेमिथाई एसोशिएशन	जीआईए – आवासीय विद्यालय	549,810.00	100	-	-	1,779,030.00	100
मिजोरम	नेत्रहीनों के लिए समरिटन्स एसोसिएशन	जीआईए – आवासीय विद्यालय	-	-	-	-	467,937.00	44
मिजोरम	सोशल गाइडेंश एजेंसी	जीआईए – मोबाइल औषधालयध्बहु सेवा मोबाइल इकाइयां	727,134.00	5136	-	-	30,297.00	2401
मिजोरम	थुटक ननपुइतु टीम	जीआईए – आवासीय विद्यालय	2,130,237.00	186	-	-	-	-
ओडिशा	अरुण इंस्टीट्यूट ऑफ रुरल	जीआईए – आवासीय विद्यालय	2,706,516.00	260	3,867,829.00	380	-	-

राज्य	गैर सरकारी संगठन	परियोजना	2019–20		2020–21		2021–22 (31.12.2021 तक)	
			राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
ओडिशा	एसोशिएशन फॉर वोलुनटारी ऐक्शन (एवीए)	जीआईए – आवासीय विद्यालय	2,901,908.00	200	1,759,317.00	150	-	-
ओडिशा	बनवासी सेवा समिति	जीआईए – छात्रावास	1,625,636.00	200	-	-	1,462,544.00	200
ओडिशा	बंकी आंचलिक आदिवासी हरिजन कल्याण परिषद	जीआईए – छात्रावास	1,839,385.00	200	-	-	375,447.00	100
ओडिशा	भारत सेवाश्रम संघ जमशेदपुर	जीआईए – 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	3,862,622.00	31320	-	-	644,407.00	20448
		जीआईए – मोबाइल औषधालयध्बहु सेवा मोबाइल इकाइयां	2,211,740.00	18246	-	-	2,278,275.00	46152
		जीआईए – आवासीय विद्यालय	2,038,783.00	140	-	-	1,387,354.00	130
ओडिशा	कलिंगा सामाजिक विज्ञान संस्थान	जीआईए – आवासीय विद्यालय	191,473,875.00	30000	77,455,238.00	20000	-	-
ओडिशा	लक्ष्मी नारायण सेवा प्रतिष्ठा	जीआईए – आवासीय विद्यालय	2,338,594.00	200	580,601.00	100	-	-
ओडिशा	मा बिन्ध्याबसिनी अनाथ शिक्षाश्रम	जीआईए – छात्रावास	1,806,730.00	200	478,271.00	100	-	-
ओडिशा	नेहरु सेवा संघ	जीआईए – छात्रावास	2,349,623.00	272	523,475.00	136	1,623,873.00	136
ओडिशा	निखिला उत्कल हरिजन सेवा संघ	जीआईए – आवासीय विद्यालय	2,245,095.00	150	5,501,014.00	450	-	-

राज्य	गैर सरकारी संगठन	परियोजना	2019–20		2020–21		2021–22 (31.12.2021 तक)	
			राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
ओडिशा	न्यासास्द्री	जीआईए – आवासीय विद्यालय	-	-	1,357,000.00	54	5,833,275.00	200
ओडिशा	ऑरगेनाइजेशन फॉर द रूरल वुमन एंड यूथ डेवलेपमेंट	जीआईए – आवासीय विद्यालय	2,462,020.00	200	2,196,110.00	200	-	-
ओडिशा	रामकृष्ण मिशन	जीआईए – छात्रावास	149,872.00	60	-	-	1,089,495.00	60
ओडिशा	रामकृष्ण मिशन आश्रम पुरी	जीआईए – छात्रावास	312,143.00	70	-	-	2,483,106.00	140
ओडिशा	राष्ट्रीय सेवा समिति	जीआईए – मोबाइल औषधालयध्बहु सेवा मोबाइल इकाइयां	208,515.00	2800	-	-	-	-
ओडिशा	सद्ज्योतिका	जीआईए – छात्रावास	1,671,690.00	212	470,423.00	106	-	-
ओडिशा	संकल्प	जीआईए – आवासीय विद्यालय	8,205,678.00	774	6,169,772.00	798	-	-
ओडिशा	सेवा समाज	जीआईए – छात्रावास	-	-	1,299,420.00	100	-	-
ओडिशा	श्री रामकृष्ण आश्रम	जीआईए – छात्रावास	3,016,921.00	400	2,643,588.00	400	-	-
		जीआईए – मोबाइल औषधालयध्बहु सेवा मोबाइल इकाइयां	931,800.00	27472	1,287,804.00	20764	52,926.00	14592
ओडिशा	विश्वा जीवन सेवा संघ	जीआईए – आवासीय विद्यालय	4,020,926.00	400	919,212.00	200	2,216,863.00	200

राज्य	गैर सरकारी संगठन	परियोजना	2019–20		2020–21		2021–22 (31.12.2021 तक)	
			राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
राजस्थान	बनस्थली विद्यापीठ	जीआईए – बनस्थलीविद्या में आदिवासी बालिका का प्रायोजन	3,424,438.00	170	1,153,687.00	90	-	-
राजस्थान	प्रेरणामूर्ति लोक कल्याण संस्थान पूछियावाड़ा	जीआईए – गैर आवासीय विद्यालय	1,467,532.00	172	1,753,943.00	169	587,234.00	169
राजस्थान	राजस्थान बाल कल्याण समिति	जीआईए – गैर आवासीय विद्यालय	841,605.00	437	5,301,615.00	1118	-	-
सिक्किम	ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन, ऑफ सिक्किम	जीआईए – छात्रावास	379,170.00	100	-	-	1,120,410.00	380
		जीआईए – आवासीय विद्यालय	488,385.00	90	-	-	-	-
सिक्किम	मुयल लियांग ट्रस्ट	जीआईए – आवासीय विद्यालय	2,178,971.00	222	946,123.00	111	-	-
तमिलनाडु	भारथियार मक्कल नलवल्वु संगमं	जीआईए – 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	3,992,400.00	3048	561,600.00	1680	2,327,400.00	3858
		जीआईए – मोबाइल औषधालयध्बहु सेवा मोबाइल इकाइयां	-	-	-	-	2,115,450.00	15139
तमिलनाडु	सामुदायिक सेवा केंद्र	जीआईए – आवासीय विद्यालय	1,845,045.00	115	1,564,132.00	85	3,767,367.00	181

राज्य	गैर सरकारी संगठन	परियोजना	2019–20		2020–21		2021–22 (31.12.2021 तक)	
			राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
तमिलनाडु	ग्रामीण मक्कल अबनिरुद्ध ल्याक्कम	जीआईए – 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	3,946,281.00	39446	5,508,907.00	38892	324,383.00	12856
		जीआईए – मोबाइल औषधालय/बहु सेवा मोबाइल इकाइयां	1,934,212.00	80496	1,540,316.00	27071	1,102,646.00	26381
तमिलनाडु	जीआरजी ट्रस्ट	जीआईए – गैर आवासीय विद्यालय	2,826,182.00	274	460,148.00	137	-	-
तमिलनाडु	मोनफोर्ट कम्यूनिटी ट्रस्ट	जीआईए – छात्रावास	-	-	579,975.00	189	-	-
तमिलनाडु	नीलगिरी आदिवासी कल्याण एसोसिएशन	जीआईए – 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	12,800,437.00	71140	1,487,955.00	37884	13,639,917.00	37884
तमिलनाडु	दक्षिण भारत अनुसूचित जनजाति कल्याण संघ	जीआईए – आवासीय विद्यालय	1,564,195.00	100	-	-	1,615,712.00	100
तेलंगाना	बंजारा सेवा समिति	जीआईए – छात्रावास	1,096,770.00	91	3,856,496.00	283	960,933.00	95
तेलंगाना	जीयर एजूकेशन ट्रस्ट	जीआईए – गैर आवासीय विद्यालय	-	-	1,625,258.00	204	2,805,524.00	150
त्रिपुरा	बहुजन हिताय एजुकेशनल ट्रस्ट	जीआईए – आवासीय विद्यालय	2,170,883.00	200	-	-	156,271.00	100
त्रिपुरा	त्रिपुरा महिला आदिबासी महिला समिति	जीआईए – आवासीय विद्यालय	2,485,230.00	200	2,071,402.00	200	-	-
त्रिपुरा	वेद विज्ञान महा विद्या पीठ	जीआईए – गैर आवासीय विद्यालय	-	-	1,283,077.00	333	-	-

राज्य	गैर सरकारी संगठन	परियोजना	2019–20		2020–21		2021–22 (31.12.2021 तक)	
			राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
उत्तर प्रदेश	सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी	जीआईए – छात्रावास	-	-	5,945,604.00	380	3,220,666.00	189
उत्तर प्रदेश	यूपी वनवासी सेवा संस्था पलिया कलां खेरी	जीआईए – आवासीय विद्यालय	-	-	5,277,333.00	300	-	-
उत्तराखण्ड	अशोक आश्रम	जीआईए – आवासीय विद्यालय	-	-	-	-	2,249,245.00	298
उत्तराखण्ड	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ शाखा कालसी देहरादून	जीआईए – आवासीय विद्यालय	851,220.00	56	989,235.00	132	-	-
उत्तराखण्ड	समग्र ग्रामीण विकास समिति	जीआईए – मोबाइल औषधालयध्बहु सेवा मोबाइल इकाइयां	706,950.00	1015	706,950.00	816	-	-
उत्तराखण्ड	सरवेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी	जीआईए – छात्रावास	-	-	148,689.00	59	-	-
उत्तराखण्ड		जीआईए – आवासीय विद्यालय	-	-	303,718.00	32	673,777.00	41
उत्तराखण्ड	स्वतंत्र सेनानी लोक बंधु राम मूर्ति पावसे सेवा	जीआईए – आवासीय विद्यालय	-	-	2,705,870.00	200	-	-
पश्चिम बंगाल	भारत सेवाश्रम संघ – पुरुलिया	जीआईए – छात्रावास	232,447.00	100	1,772,685.00	100	1,329,514.00	100
पश्चिम बंगाल	भारत सेवाश्रम संघ	जीआईए – छात्रावास	3,280,140.00	358	1,916,851.00	298	1,328,164.00	100
		जीआईए – मोबाइल औषधालयध्बहु सेवा मोबाइल इकाइयां	2,191,156.00	36065	2,471,004.00	31676	2,031,647.00	39592
		जीआईए – आवासीय विद्यालय	5,652,041.00	450	6,149,035.00	400	3,374,236.00	150

राज्य	गैर सरकारी संगठन	परियोजना	2019–20		2020–21		2021–22 (31.12.2021 तक)	
			राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
पश्चिम बंगाल	भारत सेवाश्रम संघ बलूरघाट	जीआईए – छात्रावास	9,118,627.00	1000	6,387,274.00	1000	-	-
पश्चिम बंगाल	भारत सेवाश्रम संघ बेल्डंगा	जीआईए – 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	1,902,926.00	5472	-	-	-	-
		जीआईए – मोबाइल औषधालय/बहु सेवा मोबाइल इकाइयां	187,004.00	5472	935,068.00	7920	983,160.00	11261
		जीआईए – आवासीय विद्यालय	13,123,050.00	1499	504,655.00	125	2,098,349.00	624
पश्चिम बंगाल	भारत सेवाश्रम संघ दोकरा शाखा	जीआईए – आवासीय विद्यालय	-	-	-	-	2,363,724.00	100
पश्चिम बंगाल	भारत सेवाश्रम संघ फरक्का इकाई	जीआईए – छात्रावास	-	-	1,181,790.00	100	3,102,199.00	200
पश्चिम बंगाल	भारत सेवाश्रम संघ घाक्सोले इकाई	जीआईए – छात्रावास	1,624,961.00	200	430,187.00	100	1,329,514.00	100
		जीआईए – मोबाइल औषधालयध्बहु सेवा मोबाइल इकाइयां	937,406.00	16182	1,226,711.00	20960	44,278.00	8900
पश्चिम बंगाल	भारत सेवाश्रम संघ कुसुरिया शाखा	जीआईए – मोबाइल औषधालयध्बहु सेवा मोबाइल इकाइयां	-	-	1,224,787.00	21573	1,008,334.00	6119
		जीआईए – आवासीय विद्यालय	3,189,206.00	320	3,418,204.00	320	-	-

राज्य	गैर सरकारी संगठन	परियोजना	2019–20		2020–21		2021–22 (31.12.2021 तक)	
			राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
पश्चिम बंगाल	भारत सेवाश्रम संघ मुलुक बोलपुर	जीआईए – मोबाइल औषधालय/बहु सेवा मोबाइल इकाइयां	1,874,812.00	25104	516,712.00	11898	2,418,118.00	11898
		जीआईए – आवासीय विद्यालय	4,626,171.00	397	3,617,590.00	396	-	-
पश्चिम बंगाल	भारत सेवाश्रम संघ पंजीपुकुर शाखा	जीआईए – छात्रावास	1,624,306.00	200	1,293,410.00	200	-	-
		जीआईए – पुस्तकालय	18,697.00	100	-	-	-	-
पश्चिम बंगाल	भारत सेवाश्रम संघ ताजपुर इकाई	जीआईए – छात्रावास	1,313,978.00	144	1,217,909.00	160	-	-
		जीआईए – मोबाइल औषधालय/बहु सेवा मोबाइल इकाइयां	937,406.00	18776	1,227,150.00	14676	29,904.00	7591
पश्चिम बंगाल	भारत सेवाश्रम संघ तेओर इकाई	जीआईए – छात्रावास	2,039,334.00	260	2,194,864.00	629	-	-
		जीआईए – मोबाइल औषधालय/बहु सेवा मोबाइल इकाइयां	1,094,100.00	22242	1,434,187.00	21608	56,813.00	10804
पश्चिम बंगाल	बिकाश भारती वेलफेयर सोसाइटी	जीआईए – मोबाइल औषधालयध्बहु सेवा मोबाइल इकाइयां	-	-	685,350.00	5244	1,605,477.00	9774
पश्चिम बंगाल	गोहलडीहा जाति उपजाती ब्लू बर्ड महिला कल्याण केंद्र	जीआईए – आवासीय विद्यालय	3,468,915.00	400	3,050,460.00	400	-	-
पश्चिम बंगाल	हिमालयी बुद्दिस्ट सांस्कृतिक एसोसिएशन	जीआईए – आवासीय विद्यालय	2,825,449.00	171	-	-	274,872.00	71

राज्य	गैर सरकारी संगठन	परियोजना	2019–20		2020–21		2021–22 (31.12.2021 तक)	
			राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
पश्चिम बंगाल	मिदनापुर वेस्ट सिस्टर निवेदिता वेलफेयर सोसाइटी	जीआईए – मोबाइल औषधालयध्बहु सेवा मोबाइल इकाइयां	840,831.00	6200	1,233,307.00	8772	51,620.00	4563
पश्चिम बंगाल	निम्बार्क मठ सेवा समिति ट्रस्ट	जीआईए – मोबाइल औषधालयध्बहु सेवा मोबाइल इकाइयां	188,850.00	462	1,028,025.00	844	1,028,025.00	1102
पश्चिम बंगाल	प्रणब कन्या संघ	जीआईए – छात्रावास	-	-	-	-	864,963.00	100
पश्चिम बंगाल	रामकृष्ण मिशन बॉयज होम	जीआईए – आवासीय विद्यालय	2,191,376.00	200	1,933,369.00	200	-	-
		कुल	**807,814,850.00**	**1716678**	**509,734,889.00**	**1205903**	**285,797,136.00**	**1212919**

अनुलग्नक – 14 ख

कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के बीच शिक्षा को मजबूत करने के लिए 2019–20 से 2021–22 के दौरान संगठनों और जारी किए गए फंड तथा लाभार्थियों की सूची

(राशि रुपये में)

राज्य	गैर सरकारी संगठन	परियोजना	2019–20		2020–21		2021–22	
			राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
अरुणाचल प्रदेश	भारत सेवाश्रम संघ ईटानगर	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर पी	–	–	–	–	2894608	100
छत्तीसगढ़	विवेकानंद सामाजिक स्वास्थ्य कल्याण संस्थान	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर एम	8090715	576	91518	192	4249918	192
गुजरात	लोकनिकेतन रतनपुर	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर एम	2847573	300	1158358	300	–	–
जम्मू और कश्मीर	श्री नालंदा धर्म केंद्र	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर एम	–	–	–	–	2672910	191
झारखंड	भारतीय आदिम जातिसेवक संघ शाखा रांची	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर पी	3135406	200	–	–	242880	100
मध्य प्रदेश	आदर्श लोक कल्याण संस्थान	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर पी	10895324	840	–	–	7179374	600
मध्य प्रदेश	अमय ग्रामीण उत्थान समिति	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – केवल नए छात्रावास प्रमुख	2040127	166	3208526	200	–	–
मध्य प्रदेश	बंधेवाल शिक्षा समिति	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर एम	44246	86	–	–	6025275	200
मध्य प्रदेश	ग्रामीण सेवा केंद्र	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर एम	–	–	–	–	994818	100
मध्य प्रदेश	ग्रामीण सेवा केंद्र	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर पी	–	–	–	–	788905	43
मध्य प्रदेश	केशव ग्रामोत्थान शिक्षण समिति टिकरिया	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर एम	8412805	600	229065	200	5099174	200
मध्य प्रदेश	सांसद अनुसुचितजती, जनजाति इवाम पिचरा वर्ग कल्याण समिति	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर पी	866963	100	–	–	3268640	100

राज्य	गैर सरकारी संगठन	परियोजना	2019–20		2020–21		2021–22	
			राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
मध्य प्रदेश	पाण्डेय शिक्षा समिति भामराहा	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर एम	781870	99	376295	58	5047770	158
मध्य प्रदेश	राजेंद्र आश्रम ट्रस्ट काठीवाड़ा जिला अलीराजपुर	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर एम	4041634	300	4938036	300	–	–
मध्य प्रदेश	शहरी और ग्रामीण विकास के लिए सव्यसांची प्रमाणपत्र	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर एम	3080326	314	–	–	9317355	291
मध्य प्रदेश	श्री रामकृष्ण विवेकानंद सेवाश्रम	जीआईए – आवासीय विद्यालय	2752682	246	–	–	248002	88
मध्य प्रदेश	सांसद आदिवासी सेवक संघ जयसिंहनगर	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर एम	6032586	386	–	–	1598899	193
महाराष्ट्र	चंद्राई महिला मंडल	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर पी	3299460	100	5519804	219	4868860	219
महाराष्ट्र	नवनिर्माण शिक्षण संस्थानबेम्ब्रतंद	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर पी	656970	100	–	–	–	–
महाराष्ट्र	संधि निकेतन शिक्षण संस्था वडगाँव	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर एम	7709283	528	2958837	288	–	–
महाराष्ट्र	श्री गणेश फाउंडेशन	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर एम	8932936	537	8841175	469	7332165	469
ओडिशा	अरुण इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल अफेयर्स	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर पी	6430816	480	4744760	480	–	–
ओडिशा	उज्ज्वल कैरियर अकादमी	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर एम	4899368	300	1231012	150	3633975	150
ओडिशा	पवित्र घर	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर एम	7168935	342	10915339	600	–	–
ओडिशा	केजीएनएम ट्रस्ट	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर पी	974102	100	2202200	100	1659843	200

राज्य	गैर सरकारी संगठन	परियोजना	2019–20		2020–21		2021–22	
			राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
ओडिशा	कोरापुट डेवलपमेंट फाउंडेशन	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर एम	–	–	6732537	360	5622326	180
ओडिशा	मार मुनिंग आश्रम	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर एम	738316	100	–	–	–	–
ओडिशा	मार मुनिंग आश्रम	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर पी	3677835	200	205836	100	1660585	100
ओडिशा	प्रकल्प	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर एम	10216905	600	–	–	8701673	600
ओडिशा	पर्यावरण और विकास के लिए सामाजिक शिक्षा	जीआईए – आवासीय विद्यालय	868480	100	6261585	380	–	–
ओडिशा	सर्वोदय समिति	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर पी	1235456	180	6219001	300	–	–
ओडिशा	सेवा समाज	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर पी	–	–	1662614	100	1262339	200
ओडिशा	सोसाइटी फॉर नेचर, एजुकेशन एंड हेल्थ (स्नेह)	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर एम	4258693	206	186340	103	2446416	103
ओडिशा	सोसाइटी फॉर नेचर, एजुकेशन एंड हेल्थ (स्नेह)	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर पी	5610039	469	245241	156	3157835	156
ओडिशा	श्री रामकृष्ण आश्रम	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर एम	9538553	600	2847801	300	7619185	300
ओडिशा	ग्रामीण विकास उड़ीसा के लिए टैगोर सोसायटी	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर पी	–	–	3718554	300	–	–
राजस्थान	राजस्थान बाल कल्याण समिति	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर एम	11450920	770	10770677	770	–	–
		कुल	**140689324**	**9925**	**85265111**	**6425**	**97593730**	**5233**

अनुलग्नक – 16

वर्ष 2021–22 के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को जारी राशि

(31.12.2021 तक की स्थिति)

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	स्कीम	अरुणाचल प्रदेश	असम	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैंड	सिक्किम	त्रिपुरा	कुल
1	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के तहत योजना	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	15.95	0.00	0.00	59.15
2	मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति	0.00	1.02	0.00	0.00	6.57	0.00	0.00	0.58	8.17
3	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	123.60	10.93	42.92	26.36	38.74	44.35	10.36	71.88	369.14
4	अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठन को सहायता	1.23	1.25	2.65	0.95	0.44	0.00	0.11	0.02	6.65
5	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.81	14.81
6	जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	7.66	0.85	0.00	0.00	8.51
	कुल	**168.03**	**13.2**	**45.57**	**27.31**	**53.41**	**61.15**	**10.47**	**87.29**	**466.43**

अनुलग्नक–17

2021–22 के दौरान महिला लाभार्थियों के लिए कवरेज वाली विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्धियां (31.12.2021 तक)

क्र.सं.	योजना/ कार्यक्रमों का नाम	उप–योजनाओं का विवरण	पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित अंतिम अनुदान 2021–22 (करोड़ रुपये में)	पता लगाने योग्य, मापने योग्य, और निगरानी करने योग्य आउटपुट/परिणाम	प्राप्त लक्ष्य
1.	अनुच्छेद 275(1) अनुदान	मंत्रालय ने प्राथमिक क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युतीकरण, अंतिम मील सड़क और संचार, वित्तीय समावेशन, कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी और अन्य जनजातीय घरेलू अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए आय सृजित करने वाली योजनाएं, आदि सहित विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अंतरों को भरने के लिए हस्तक्षेप करने को प्राथमिकता दी है। मौजूदा आईटीडीए को मजबूत करनाध्नए आईटीडीए की स्थापना और समर्पित सूक्ष्म परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए भी इस योजना के तहत वित्त पोषित किया जाएगा। कमियों की पहचान की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।	रु. 1350.00 (बीई) रु. 900.00 (सं.अ.)	यह एक लिंग तटस्थ योजना है और लाभ पुरुष और महिला दोनों लाभार्थियों के लिए हैं। अनुदान गैप फिलिंग प्रकृति के हैं। हालांकि, राज्यों को सलाह दी जाती है कि एक तिहाई महिला लाभार्थियों को लाभार्थी उन्मुख परियोजनाओं के तहत कवर किया जाना चाहिए।	अनुच्छेद 275(1) के तहत 31.12.2021 तक 312.41 करोड़ रुपये की राशि राज्यों को जारी की जा चुकी है।
2.	टीएसएस को एससीए	मंत्रालय ने निम्नलिखित क्षेत्रों में जनजातियों के विकास और कल्याण के लिए हस्तक्षेपों हेतु प्राथमिकता निर्धारित की है: (i) शिक्षा (ii) स्वास्थ्य (iii) प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, बागवानी, पशुपालन (एएच), मत्स्य पालन, डेयरी और अन्य (iv) जनजातीय घरेलू अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए अन्य आय सृजन योजनाएं (v) प्रशासनिक संरचना (जनशक्ति सहित)/संस्थागत ढांचा और अनुसंधान अध्ययन	रु. 1350 (ब.अ.) रु.785 (सं.अ.)	अनुदान अंतराल भरने की प्रकृति के हैं और किसी विशिष्ट प्रकार के मात्रात्मक उपायों तक ही सीमित नहीं हैं। की जाने वाली गतिविधियों के लिए प्राथमिकता समय–समय पर आवश्यकता के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तय की जाती है। । लक्ष्य वास्तव में मंत्रालय द्वारा निर्धारित नहीं किए जाते हैं, और न ही मंत्रालय के लिए निगरानी योग्य आउटपुट/परिणामों को इंगित करना संभव है। ये लैंगिक तटस्थ कार्यक्रम हैं और लाभ पुरुष और महिला दोनों लाभार्थियों के लिए हैं।	31.12.2021 तक टीएसएस को एससीए के तहत राज्यों को 0.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है क्योंकि मंत्रालय जनजातीय उप–योजना को विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) की मौजूदा योजना को की योजना में बदलने "महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले गांवों" को चरणबद्ध तरीके से आदर्श ग्राम (आदर्श ग्राम) में बदलने के उद्देश्य से एकीकृत जनजातीय ग्राम विकास के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (आईटीवीडी के लिए एससीए) योजना में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है, जिसमें अनुसूचित जनजाति के लोगों को बुनियादी सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच होगी। ताकि उन्हें सम्मानजनक जीवन और अपनी अंतर्निहित क्षमता का पूरा उपयोग करने में सक्षम बनाया जा सके। आईटीवीडी के लिए एससीए की योजना सीसीईए के अनुमोदन के लिए लंबित है।

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रमों का नाम	उप–योजनाओं का विवरण	पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित अंतिम अनुदान 2021–22 (करोड़ रुपये में)	पता लगाने योग्य, मापने योग्य, और निगरानी करने योग्य आउटपुट/परिणाम	प्राप्त लक्ष्य
3.	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	योजना के अंतर्गत कोई योजना के अंतर्गत पृथक बजट आवंटन नहीं है। "अ.ज.जा. के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान के तहत संयुक्त निधियां आवंटित की गई है"।	12 शैक्षणिक परिसरों को वित्त पोषित किया गया और 2143 अनुसूचित जनजाति की लड़कियां लाभान्वित हुई	2020–21 के दौरान 4 राज्यों में 2143 लाभार्थी लड़कियों को कवर करते हुए 12 शैक्षिक परिसरों के लिए 3.26 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं
4.	टीआरआई को सहायता	जनजातियों द्वारा यात्रा का आदान–प्रदान	टीआरआई राज्य/देश के अन्य हिस्सों के दौरे की व्यवस्था करेगा। आने वाले समूहों में विभिन्न जनजातियों के लोग शामिल हो सकते हैं, जिनमें महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो।		
5.	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम को सहायता	एनएसटीएफडीसी की निम्नलिखित योजना के तहतः 1. आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई) 2. टर्म लोन योजना 3.सूक्ष्म ऋण योजना 4.आदिवासी शिक्षा ऋण योजना		सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या 115345	वर्ष 2020–21 के लिए 31.12.2021 तक 65.14 करोड़ रुपये का ऋण एनएसटीएफडीसी ने वितरित किया। एनएसटीएफडीसी की विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता प्राप्त लाभार्थियों में से 32856 (58.77%) महिलाएं थीं
6.	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (पीएमएस)	पीएमएस की योजना, एसटी छात्रों का बुक बैंक	1993.00 (ब.अ.) 2257.72 (सं.अ.)	संख्या योजना के तहत कवर (अनुमानित) किए गए छात्रों की संख्या 1449176	अनुसूचित जनजाति के लड़के और लड़कियों के लाभार्थियों के लिए विभिन्न राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों को 1892.12 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया है।

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रमों का नाम	उप–योजनाओं का विवरण	पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित अंतिम अनुदान 2021–22 (करोड़ रुपये में)	पता लगाने योग्य, मापने योग्य, और निगरानी करने योग्य आउटपुट/परिणाम	प्राप्त लक्ष्य
7.	कक्षा IX और X में पढ़ने वाले जरूरतमंद अनु. ज.जा. (एसटी) छात्रों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना	कक्षा IX और X. में पढ़ने वाले जरूरतमंद अनु.ज.जा. (एसटी) छात्रों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना	400.00 (ब.अ.) 400.00(सं.अ.)	योजना के तहत शामिल छात्रों की संख्या (अनुमानित) 1288868	अनुसूचित जनजाति के लड़के और लड़कियों के लाभार्थियों के लिए विभिन्न राज्य सरकारोंध संघ राज्य क्षेत्रों को 389.18 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया है।
8.	अनु.ज. जा. (एसटी) उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति (एनओएस)	एसटी उम्मीदवारों के लिए एनओएस	3.00 (ब.अ.) 5.00 (सं.अ.)	योजना के तहत कवर किए गए छात्रों की संख्या 37	अनुसूचित जनजाति बालक एवं बालिकाओं की योजना के अंतर्गत 4.92 करोड़ रुपये की राशि जारी की गयी है
9.	अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति	एम.फिल और पीएचडी पाठ्यक्रमों को पढ़ाई के लिए फेलोशिप के रूप में उच्चतर शिक्षा, पेशेवर क्षेत्रों में सरकारी और निजी उत्कृष्टता के चिन्हित संस्थानों में पाठ्यक्रम की पढ़ाई।	150.00(ब.अ.) 120.00(सं.अ.)	योजना के अंतर्गत कवर किए गए छात्रों की संख्या 4656	अनुसूचित जनजाति बालक एवं बालिकाओं की योजना के अंतर्गत 96.59 करोड़ रुपये की राशि जारी की गयी है
10.	पीवीटीजी का विकास	पीवीटीजी योजना दिशानिर्देशों में विशेष महिला सभाओं की बैठकों के माध्यम से संरक्षण सह विकास योजनाओं के निष्पादन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया गया है। पीवीटीजी के लिए संरक्षण सह विकास (सीसीडी) योजनाओं को तैयार करते समय योजना दिशानिर्देशों के तहत जेंडर डिसएग्रीगेटड जानकारी की भी सिफारिश की जाती है।	250.00	चूंकि पीवीटीजी के संरक्षण और विकास की योजना एक मांग–संचालित योजना है, इसलिए परियोजनाओं को राज्य सरकारोंध्संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा वार्षिक आवंटन के बाद प्रस्तावित किया जाता है। इन परियोजनाओं को पीएसी द्वारा उनके महत्व, व्यवहार्यता और राज्यध्संघ राज्य क्षेत्र को आवंटन के आधार पर मंजूरी दी जाती है। इसलिए, इस समय, प्रस्तावित परियोजनाओं की संख्या को इंगित करना संभव नहीं होगा	31.12.2021 की स्थिति के अनुसार पीवीटीजी के विकास की योजना के तहत 143.03 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

अनुलग्नक–18

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की स्कीम के तहत दिव्यांग अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त प्रावधानः

(क) नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए वाचक भत्ताः

पाठ्यक्रम का स्तर *	वाचक भत्ता (रुपए प्रति माह)
समूह I, II	240
समूह III	200
समूह IV	160

(ख) दिव्यांग विद्यार्थियों का यदि ऐसा दिव्यांग विद्यार्थी उस छात्रावास में नहीं रहता है, जो शैक्षिक संस्थान के परिसर के अंदर है 160 रुपए प्रतिमाह तक परिवहन भत्ते का प्रावधान। दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, सुरक्षा के अधिकार संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1955 के अनुसार दिव्यांगता को नेत्रहीनता, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग चिकित्सा, सुनने में परेशानी, चलने संबंधी दिव्यांगता, मानसिक मंदता और मानसिक बीमारी के रूप में परिभाषित किया गया है;

(ग) निम्न अग्रांग दिव्यांगता वाले गंभीर रूप से दिव्यांग दिवा छात्रों के लिए 160/– रुपए प्रतिमाह की दर से अनुरक्षक भत्ता;

(घ) किसी शैक्षिक संस्थान के छात्रावास में रहने वाले, गंभीर रूप से हड्डी रोग से पीड़ित दिव्यांग छात्र, जिसे किसी सहायक की आवश्यकता होती है, को सहायता प्रदान करने के छात्रावास के इच्छुक किसी कर्मचारी को 160/– रुपए प्रतिमाह का विशेष वेतन लागू है;

(ड.) मानसिक मंदता और मानसिक रूप से बीमार विद्यार्थियों को अतिरिक्त कोचिंग के लिए 240/– रुपए प्रतिमाह भत्ता।

(ख) से (ड.) प्रावधान कुष्ठ रोग से ठीक हुए विद्यार्थियों के लिए भी लागू होंगे।

गैर–सहायता–प्राप्त प्राप्त प्राइवेट मान्यता विद्यालयों में कक्षा IX तथा X में पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग विद्यार्थी इस स्कीम के तहत भत्तों के लिए पात्र होंगे, जो निम्नानुसार हैः

गैर–सहायता प्राप्त प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए भत्ते	राशि (रुपए में)
(i) दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए मासिक वाचक भत्ता।	160
(ii) दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए मासिक परिवहन भत्ता (दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम, 1955 में यथा परिभाषित) यदि ऐसे विद्यार्थी छात्रावास जो शैक्षिक संस्थान के परिसर के अंदर है, में नहीं रहते हैं।	160
(iii) गंभीर रूप से दिव्यांग (अर्थात 80% या उससे अधिक दिव्यांगता) के लिए मासिक अनुरक्षण भत्ता, निम्नांग दिव्यांगता वाले दिवाछात्र/विद्यार्थी ।	160
(iv) शैक्षिक संस्थान के छात्रावासा में रह रहे शारीरिक रूप से गंभीर हड्डी रोग से पीड़ित दिव्यांग विद्यार्थी जिसे सहायक की सहायता की आवश्यकता है, को सहायता देने हेतु छात्रावास के किसी इच्छुक कर्मचारी के लिए मासिक सहायक भत्ता अनुमत्य है।	160
(v) मानसिक मंदता तथा मानसिक रूप से बीमार विद्यार्थियों के लिए मासिक कोचिंग भत्ता।	240

टिप्पणीः दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा तथा पूरी सहभागिता अधिनियम, 1955) के तहत यथा परिभाषित दिव्यांगता को राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

'विभिन्न समूहों के विवरण निम्नानुसार हैः

समूह	पाठ्यक्रम
समूह I	(i) चिकित्सा (एलोपैथिक, भारतीय और चिकित्सा की अन्य मान्यता प्राप्त पद्धति), इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, आयोजना, आर्किटेक्चर, डिजाइन, फैशन प्रौद्योगिकी, कृषि, पशु चिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान, प्रबंधन, व्यवसाय वित्तध्प्रशासन, कम्प्यूटर विज्ञान/एप्लीकेशन में एमफिल, पीएचडी और डॉक्टरोत्तर अनुसंधान सहित डिग्री व स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम। (ii) व्यावसायिक पायलेट लाइसेंस (हेलिकॉप्टर पायलेट और बहु–इंजन रेटिंग सहित) पाठ्यक्रम (iii) प्रबंधन और चिकित्सा की विभिन्न शाखाओँ में स्नातकोतर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (iv) सीए/आईसीडब्ल्यूए/सीएस/आईसीएफए आदि (v) एमफिल, पीएचडी और डॉक्टरोत्तर कार्यक्रम (डि.लिट, डी.एस.सी.) आदि :– क) समूह– II के वर्तमान पाठ्यक्रमों में ख) समूह– III के वर्तमान पाठ्यक्रमों में (vi) एल.एल.एम.
समूह II	(i) फार्मेसी (बी–फार्मा), नर्सिंग (बी–नर्सिंग), एलएलबी, बीएफएस एवं पुनर्वास, जांच आदि जैसे अन्य पैरा मेडिकल शाखाएं, जन–संचार, होटल प्रबंधन और कैटरिंग, यात्रा/पर्यटन/आतिथ्य प्रबंधन, इंटिरियर डेकोरेशन, पोषण एवं आहार विज्ञान, वाणिज्यिक कला, वित्तीय सेवाएं (बैंकिंग, बीमा, कर आदि) जैसे क्षेत्रों में जहां प्रवेश पात्रता कम–से–कम उच्चतर माध्यमिक (10+2) है, उनमें डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र के लिए स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम। (ii) स्नातकोतर पाठ्यक्रम जैसे एम.ए/एम.एस.सी/एम.कॉम/एम.एड/एम.फार्मा आदि समूह–I में शामिल नहीं है।
समूह III	अन्य सभी पाठ्यक्रम जो स्नातक डिग्री के हैं जैसे बी.ए/बी.एस.सी/बी.कॉम आदि समूह–I तथा II में शामिल नहीं हैं।
समूह IV	मैट्रिक के बाद के सभी गैर–डिग्री पाठ्यक्रम जिसके लिए प्रवेश पात्रता हाई स्कूल (कक्षा X) है उदाहरण के लिए उच्च माध्यमिक प्रमाण–पत्र (कक्षा XI तथा XII) य सामान्य और व्यावसायिक दोनों विधाएं, आईटीआई पाठ्यक्रम, पॉलिटेक्निक में 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, आदि।

अनुलग्नक – 19

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) के रूप में काम करने वाले अधिकारियों की सूची

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	पता
1.	श्री नदीम अहमद	अवर सचिव (एसटीसी)	भूतल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली– 110001 दूरभाषः 23340278
2.	श्री अरविंद मुदगल	अवर सचिव (एनसीएसटी, पीजी एवं पीए)	भूतल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली– 110001 दूरभाषः 23340462
3.	श्री जीवन कुमार	अवर सचिव (सतर्कता)	कमरा नं. 217, द्वितीय तल, डी विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली – 110001. दूरभाषः 23387007
4.	श्री एच. चिन्जासन	अवर सचिव (पीवीटीजी)	भूतल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली– 110001 दूरभाषः 23340466
5.	श्री एम.के. झा	अवर सचिव (अनुदान ईएमआरएस)	भूतल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली– 110001 दूरभाषः 23340466
6.	श्री अनुपम सोनल्कर	संयुक्त आयुक्त (एनईएसटीएस)	भूतल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली– 110001 मोबाइलः 9425807642
7.	संजय कुमार	सहायक निदेशक (राजभाषा)	भूतल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली– 110001 दूरभाषः 23340461
8.	श्री आर.के. वर्मा	उप–निदेशक (राज्य एसटीसी)	प्रथम तल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली– 110001 दूरभाषः 23340278

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	पता
9.	श्री राहुल कुमार	उप–निदेशक (केन्द्रीय एसटीसी)	भूतल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली– 110001 दूरभाषः 23340463
10.	श्री सुमंत चक्रवर्ती	उप–निदेशक (सांख्यिकी)	भूतल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली– 110001 दूरभाषः 23340478
11.	श्री सुशील बड़िंग	अनुभाग अधिकारी (स्थापना/बीएण्डसी)	कमरा नं. 400, बी–विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली – 110001 दूरभाषः 23387187
12.	श्रीमती हीरा कटारिया	अनुभाग अधिकारी (एफआरए)	प्रथम तल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली– 110001 दूरभाषः 23340473
13.	श्री वीर विक्रम	अनुभाग अधिकारी (आईएफडी)	कमरा नं. 217 एफ, द्वितीय तल डी – विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली – 110001 दूरभाषः 23387007
14.	श्री राम नारायण	अनुभाग अधिकारी (एनजीओ)	कमरा नं. 416, बी–विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली – 110001 दूरभाषः 23386952
15.	श्री कामराज मलिक	अनुभाग अधिकारी (सामान्य प्रशासन)	कमरा नं. 400, बी–विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली – 110001 दूरभाषः 23387469
16.	श्री आर. एस. मीना	अनुभाग अधिकारी (छात्रवृत्ति / डीबीटी)	प्रथम तल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली– 110001 दूरभाषः 23386980
17.	श्रीमती एस. के. जॉली	अनुभाग अधिकारी (जीविकोपार्जन)	प्रथम तल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली– 110001 दूरभाषः 23340278

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	पता
18.	श्री अशोक कुमार	अनुभाग अधिकारी (पीसी प्रभाग)	कमरा नं. 216 – जे, द्वितीय तल, डी विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली – 110001 दूरभाषः 23382114
19.	श्री मनोज कुमार	अनुसंधान अधिकारी (टीआरआई / मीडिया)	भूतल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली– 110001 दूरभाषः 23340278
20.	श्रीमती दीपा जोशी	अनुभाग अधिकारी (पीजी एवं पीए)	भूतल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली– 110001 दूरभाषः 23340462
21.	श्री एस. जी. तिमोती	अनुभाग अधिकारी (सीएलएम)	प्रथम तल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली– 110001 दूरभाषः 23340278

CISF
Azadi Ka Amrit Mahotsav

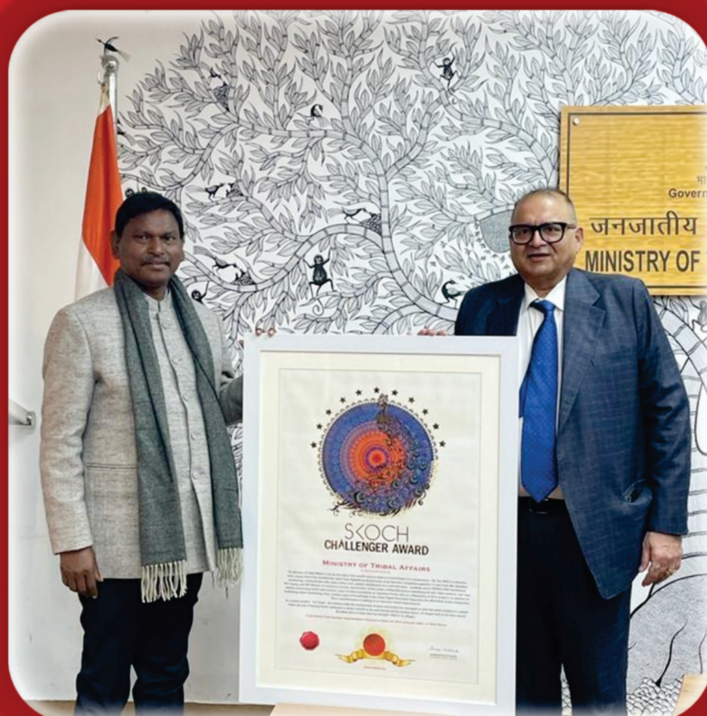

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय